भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

कल के BHEL का निर्माण

बी एच ई एल
BHEL

मेकिंग इन इंडिया
वर्ष 1964 से

नवीकरणीय ऊर्जा
ग्राउंड माउंटेड सोलर एवं रूफ टॉप सोलर स्पेस–ग्रेड पीवी पैनलों सहित सोलर पीवी पावर प्लांट

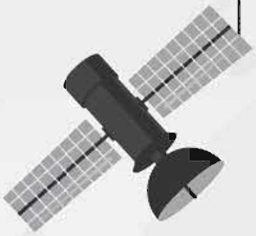

पावर
थर्मल (1000 मेगावाट तक), न्यूक्लियर, हाइड्रो एवं गैस, बीओपी एवं ऑग्जिलरी सिस्टम, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (ईएसपी, एफजीडी) सहित विद्युत उत्पादन संयंत्र

परिवहन
परिवहन प्रणाली, लोकोमोटिव्स, प्रोपल्सन सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक्स

पारेषण
एचवीएसी/एचवीएसी सिस्टम, जीआईएस एआईएस, सबस्टेशन ऑटोमेशन, एफएसी. टीएस सॉल्यूशन, पारेषण उत्पाद/प्रणाली 1200 केवी तक

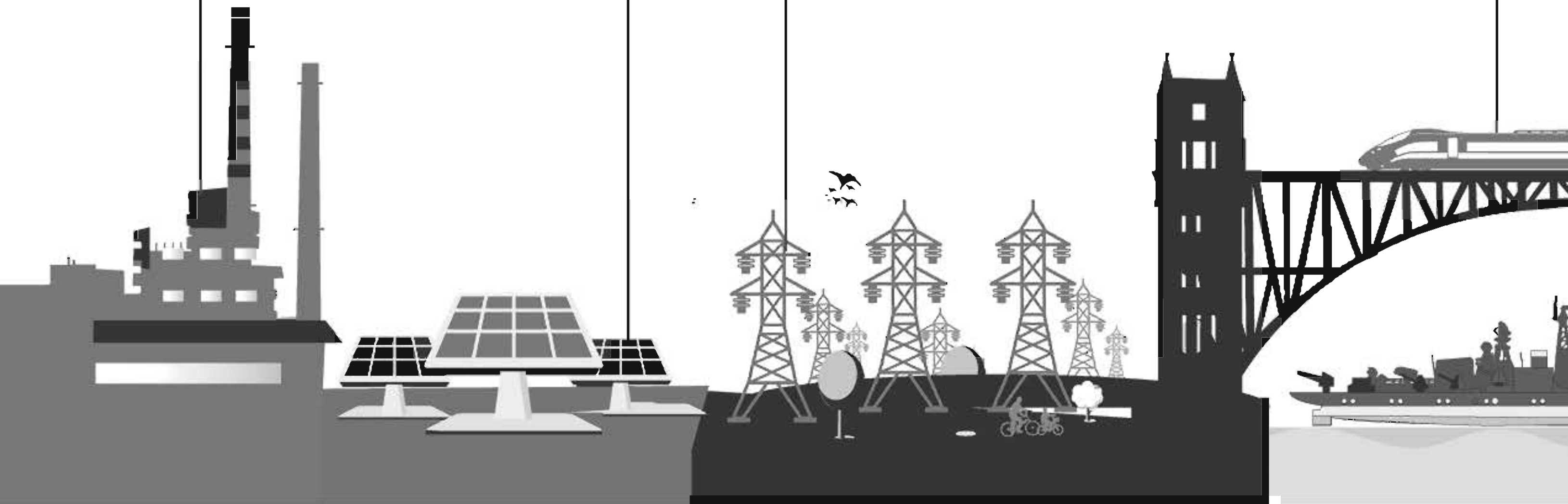

रक्षा और अंतरिक्ष

एसआरजीएम
टी72 टैंकों के लिए ट्यूरेट कास्टिंग
आईपीएमएस, एसीएस,
काम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
स्पेस ग्रेड बैटरीज

तेल और गैस

ऑयल रिग्स और कन्ट्रोल
वैल हैड्स और
क्रिसमस ट्री वाल्व्स,
कम्प्रेसर्स

उद्योग

इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल सिस्टमों
(कम्प्रेसर, पम्प, मोटर इत्यादि)
उर्वरक, कागज, रिफाइनिंग,
इस्पात और चीनी उद्योगों के लिए
कन्ट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम

जल

जल प्रबंधन प्रणालियां

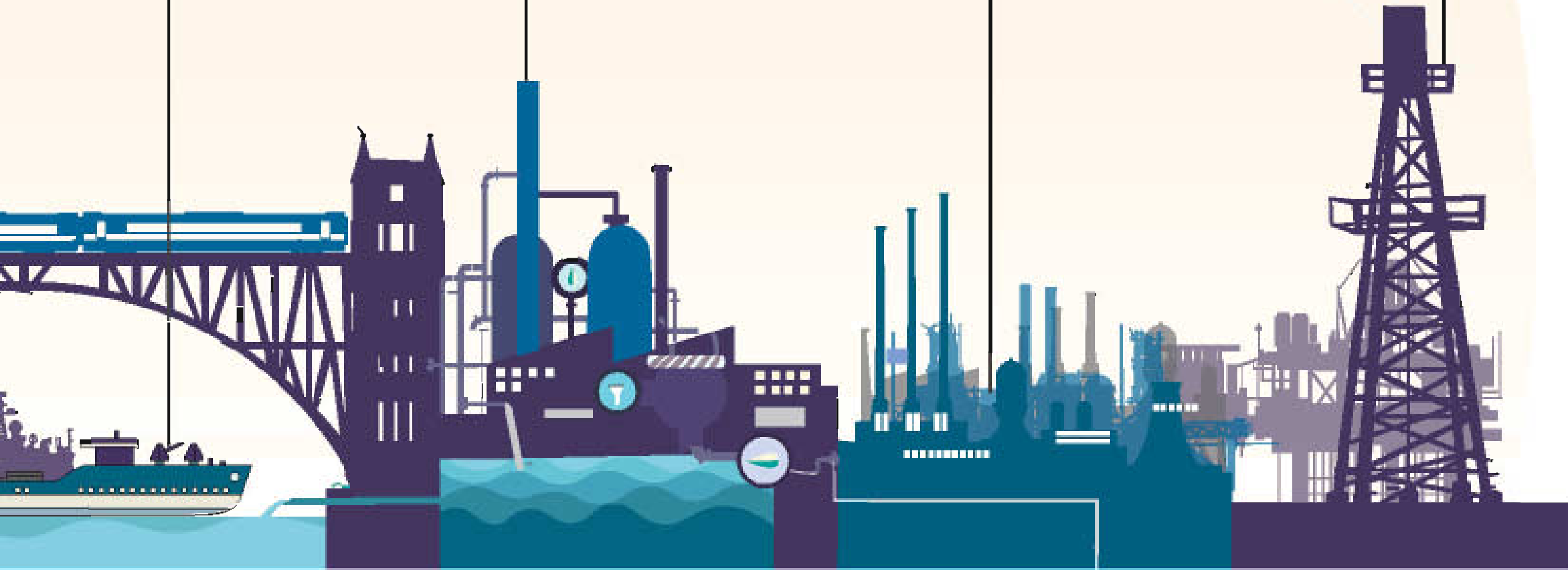

3 x 14 मेगावाट सलमा जलविद्युत परियोजना के निष्पादन में, कठिन भूभाग से होकर लोगों और सामान के संचालन में सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अनेक चुनौतियों के बावजूद, बीएचईएल ने इस काम को युद्ध स्तर पर आरंभ किया और सभी तीनों यूनिटों को सफलतापूर्वक चालू किया। इस परियोजना (नामतः अफगान–भारत मैत्री बांध) का उद्‌घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के माननीय राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद अशरफ गनी ने संयुक्त रूप से किया। इस परियोजना में बीएचईएल के अनुकरणीय योगदान को सराहा गया और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को माननीय विदेश मंत्री और माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

विषय–सूची

वार्षिक समीक्षा 4

शेयरधारकों को पत्र 4

बीएचईएल में नेतृत्व 7

वर्ष पर एक नजर 12

कॉर्पोरेट रूपरेखा 14

बीएचईएल के बारे में 14

बीएचईएल का संसार 18

उत्कृष्टता का सम्मान 20

निदेशकों की रिपोर्ट 22

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 30

- व्यवसाय की रूपरेखा 31
  (व्यवसाय क्षेत्रों की रूपरेखा और कार्य निष्पादन)
- वित्तीय कार्य निष्पादन 51

सतत विकास 70

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 82

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उपलब्धियां 89

कॉर्पोरेट अभिशासन 95

वित्तीय विवरण 147

एकल वित्तीय विवरण 148

समेकित वित्तीय विवरण 228

अतिरिक्त जानकारी 307

दस वर्षों का वित्तीय विवरण 308

मूल्य वर्धन विवरण 310

वार्षिक योजना कार्य निष्पादन 311

राजकोष में अंशदान 311

लाभांश वितरण नीति 312

भारत में बीएचईएल 314

उत्पाद रूपरेखा 315

शब्दावली 324

सूचना 325

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक 'नए भारत' के निर्माण का जोरदार आह्वान करते हुए कहा, "देश में 125 करोड़ लोग हैं और अगर हर कोई एक कदम उठाए, तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा"। इन शब्दों में एक 'नए भारत' के निर्माण के लिए 125 करोड़ भारतीयों के हाथ मिलाने के उत्साह का सार निहित है। यह एक यात्रा है और आपकी कम्पनी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है। आपकी कंपनी के 40,000 कर्मचारी मिलकर इस यात्रा में साथ चले हैं और इसे एक नए बीएचईएल के निर्माण के एक अवसर के तौर पर देखते हैं, जो पर्यावरण के प्रति अधिक जवाबदेह हो, जिसके पास ताकत के नए स्रोत और विकास के नए साधन हों, जो कंपनी को सतत तौर पर उन्नतिशील रखें। इस यात्रा में हमारे दृढ़तापूर्ण प्रयासों ने हमें चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक वातावरण के एक और वर्ष में प्रगति और लाभदेयता दोनों को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। आगे बढ़ते हुए, हमारा संकल्प वर्तमान गति को बनाए रखने के साथ ही अधिक प्रगतिशील पथ तैयार करने के लिए क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित रहेगा।

वर्ष 2017 बीएचईएल के एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनने का 25वां वर्ष भी है। यह शेयरधारकों के लिए एक बहुत सम्मानजनक यात्रा रही है। बीएचईएल में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए, मैं बीएचईएल की ओर से आप शेयरधारकों के प्रति तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

विगत वर्ष की उपलब्धियां...

आइये, अब वर्ष 2016–17 में आपकी कंपनी की कुछ उपलब्धियों पर नजर डालें:

- बीएचईएल ने पिछले तीन वर्षों के गिरावट के रूख को सकारात्मक दिशा में लौटाने के बाद–पिछले वर्ष से 10.7% की वृद्धि के साथ, ₹ 28,840 करोड़ का कारोबार दर्ज किया। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 1,164 करोड़ की हानि (इंड–एस पुनःवर्णित) की तुलना में ₹ 628 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) सहित लाभदेयता में वापसी की। शुद्ध लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष में ₹ 710 करोड़ (इंड–एएस पुनःवर्णित) की शुद्ध हानि की तुलना में, ₹ 496 करोड़ रहा।

> ...'नया भारत' ... एक यात्रा है... बीएचईएल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की योजना बना रहा है... आपकी कंपनी के 40,000 कर्मचारी... इसे एक नए बीएचईएल के निर्माण के अवसर के तौर पर देखते हैं...

- आपकी कंपनी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान, बीएचईएल के लिए सरकार के लक्ष्य 9% को पार करते हुए, परियोजना

के त्वरित निष्पादन पर हमारे निरंतर दृढ़तापूर्वक ध्यान द्वारा 45,274 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का योगदान किया।

- वर्ष के दौरान 8,570 मेगावाट के विद्युत उत्पादन उपकरणों को चालू/सिंक्रोनाईज किया गया। इसके साथ ही, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपकरण के वैश्विक स्थापित आधार में 178 गीगावाट की वृद्धि हुई है।

- बीएचईएल ने ईपीसी आधार पर अब तक का सबसे बड़ा निर्यात आर्डर–बांग्लादेश में 2x660 मेगावाट मैत्री थर्मल विद्युत संयंत्र (टीपीपी) स्थापित करने के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक मूल्य की सबसे पहली विदेशी संविदा हासिल की, जो वैश्वीकरण के प्रति हमारे दृढ़ प्रयासों का परिणाम है।

- आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 23,489 करोड़ मूल्य के ऑर्डर बुक किए। इसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा भारत के पश्चिमी और दक्षिणी ग्रिड के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक से संबद्ध ±800केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी टर्मिनलों, तेलंगाना सरकार की 18x145 मेगावाट पालामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना चरण 2 एवं 3 जिसकी भारत में पम्प मोटर सेटों की आपूर्ति के आर्डरों की सबसे अधिक रेटिंग है, और एनटीईसीएल वेल्लूर टीपीएस से 57.6 एमएलडी अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाटर पैकेज के ऑर्डर सहित मुख्य ऑर्डर शामिल हैं।

- वर्ष के दौरान प्राप्त सर्वाधिक 131 मेगावाट के कुल एसपीवी संयंत्र ऑर्डरों के साथ, अब आपकी कम्पनी का कुल सौर पोर्टफोलियो 370 मेगावाट से अधिक हो गया है।

- सुरक्षा संबंधी समस्याओं और गहन लॉजिस्टिक बाधाओं के बावजूद, बीएचईएल ने अफगानिस्तान में प्रतिष्ठित 3x14 मेगावाट सलमा जलविद्युत परियोजना (अफगान–भारत मैत्री बांध) की सभी तीनों यूनिटों को सफलतापूर्वक चालू किया।

- केपीसीएल, बीएचईएल और आईएफसीआई के संयुक्त उद्यम, आरपीसीएल के 2x800 मेगावाट येरामारस टीपीएस के वाणिज्यिक प्रचालन की शुरूआत के साथ, अब आपकी कम्पनी ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है।

- आईएनएस चेन्नई पर कमीशन किए गए 76/62 एमएम सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) और ऑक्जिलरी कंट्रोल सिस्टम (एसीएस) के साथ, भारतीय नौसेना के कोलकाता–क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के सभी तीनों पोत अब बीएचईएल द्वारा निर्मित एसआरजीएम और एसीएस से युक्त हैं।

- बीएचईएल, भारत सरकार के तत्वावधान में एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ संयुक्त रूप से उच्चतर दक्षता वाले थर्मल विद्युत संयंत्रों हेतु पहली उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है।

- आपकी कंपनी ने अपने कारोबार का 2.75% अनुसंधान और विकास पर निवेश किया है और कंपनी की कुल बौद्धिक पूंजी बढ़कर 3915 पेटेंट और कॉपीराइट हो गई है।

- सौर ऊर्जा में अपनी मूल्य–श्रृंखला का विस्तार करने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने सौर सेलों की निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 105 मेगावाट और सौर मॉड्यूल्स की निर्माण क्षमता को 226 मेगावाट प्रति वर्ष तक कर लिया है।

- आपकी कंपनी वर्ष 2016–17 के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 39% के अंतिम लाभांश सहित 79% के कुल लाभांश का भुगतान करेगी।

- आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रत्येक 2 मौजूदा शेयरों के लिए 1 बोनस शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की भी अनुशंसा की है।

आगे की राह...

परिवर्तनकारी ताकतें जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान, नाजुक भू–राजनीति, नए विनियम, निजी क्षेत्र से इष्टतम निवेश न होना और बदलते ऊर्जा–मिश्रण आपकी कंपनी के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें जैसे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम (उदय), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), 'मेक–इन–इंडिया' को बढ़ावा और रुकी हुई परियोजनाओं के फिर से शुरू होने की दिखती उम्मीद अर्थव्यवस्था की सतत प्रगति के लिए काफी उत्साहवर्धक हैं।

> विकास एवं लाभप्रदत्ता की निरंतर गति के लिए... आर्डरों के तेजी से निष्पादन पर जोर और संरचनागत बदलावों का कार्यान्वयन...

इस प्रकार, हम 'कल के बीएचईएल का निर्माण', एक ऐसे बीएचईएल जो अपने शेयरधारकों की जरूरतों के प्रति 'उत्तरदायी, ऊर्जावान और उन्नतिशील' हो, की अपनी यात्रा में उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में हमने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और लाभदेयता की वर्तमान गति को कायम रखने, नई क्षमताओं का निर्माण करते हुए व्यवसाय के मुख्य क्षेत्रों की सुरक्षा करने और उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाते हुए विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करके बहुत आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।

कल के बीएचईएल का निर्माण: प्रगति की गति को बनाए रखना

प्रगति और लाभदेयता की गति को बनाए रखने के लिए कंपनी ऑर्डरों के त्वरित निष्पादन और आपकी कंपनी को चुस्त बनाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रही है:

- रुके हुए/धीमी गति के ऑर्डरों को निष्पादन योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान लगभग ₹ 12,000 करोड़ के गैर–निष्पादन योग्य ऑर्डरों को निष्पादन योग्य बनाया गया है।

- हमने विविधीकरण प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए परमाणु, जलविद्युत, रक्षा एवं अंतरिक्ष, और परिवहन के लिए ग्राहक केंद्रित व्यवसाय समूहों का सृजन किया है। हमने संगठन की दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न संरचनाओं को भी समेकित किया है। आगे की पहलों में अपेक्षाकृत छोटे और लगातार कम निष्पादन वाले व्यवसायों और प्रतिष्ठानों का समेकन शामिल होगा।

- परियोजना स्थलों की शीघ्र पूर्णता, जनशक्ति उपयोग को इष्टतम बनाने, विभिन्न हितधारकों के साथ बकाया मुद्दों के समाधान और नकदी की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित 'प्रोजेक्ट क्लोजर सिनर्जी ग्रुप' का गठन किया गया है।

- हमने कम–मूल्य वर्धित गतिविधियों और कार्यों की बहुलता को समाप्त करने के लिए सरलीकरण और विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करके कम्पनी की विभिन्न नीतियों में बदलाव किया है।

कल के बीएचईएल का निर्माणः मध्य अवधि में प्रगति

मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व संरक्षण, जन रणनीति की ओर पुनः उन्मुख होना और उच्चतर मूल्य प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना मध्य अवधि में प्रगति की कुंजी हैः

> ...मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व संरक्षण, जन रणनीति की ओर पुनः उन्मुख होना और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग मध्य अवधि में प्रगति की कुजी है...

- हम मौजूदा पोर्टफोलियो में मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव द्वारा मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं। नए उत्पादों और सेवाओं, जैसे – उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर, लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों का विकास, परमाणु ऊर्जा के लिए वर्धित प्रस्ताव, और पुर्जे एवं सेवा व्यवसाय का विस्तार हमारे मुख्य व्यवसाय में वृद्धि के प्रयासों के पूरक हैं। 2x800 मेगावाट येरामारस टीपीएस के सह–विकासकर्ता के तौर पर विद्युत उत्पादन में प्रवेश विद्युत मूल्य–श्रृंखला में अधिक व्यवसाय हासिल करने की एक रणनीति है।
- हमने कर्मचारियों की बदलती जनसांख्यिकी और व्यवसाय मिश्रण को ध्यान में रखकर विभिन्न पहलें की हैं जिनमें विकास के सभी पहलू व्यापक तौर पर सम्मिलित हैं। आपकी कंपनी में कर्मचारी नियोजन और विकास के प्रति पहलों को प्रतिष्ठित बिजनेस टुडे पत्रिका द्वारा इसे भारत में ''कार्य करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों' में से एक घोषित किए जाने से व्यवसाय जगत में मान्यता प्राप्त हुई है – बीएचईएल इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
- व्यावसायिक अवसरों के रूप में नैदानिक और पूर्वानुमानिक रखरखाव सेवाओं में क्षमताएं विकसित करने और हमारे प्रचालनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' समूह का गठन किया गया है।

कल के बीएचईएल का निर्माणः दीर्घ अवधि तक बने रहने की नींव

दीर्घ अवधि तक बने रहने की नींव, नवाचार (इनोवेशन) क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने और व्यवसाय–मिश्रण और भौगोलिक–मिश्रण दोनों में कारोबार में अधिक विविधता लाने पर निर्भर करती हैः

> ...दीर्घ अवधि तक बने रहने की नींव, नवाचार (इनोवेशन) क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने और कारोबार में अधिक विविधता लाने पर निर्भर करती है...

- हमने अनुसंधान और विकास तथा इनोवेशन पर कारोबार के 2.5% से अधिक का निवेश जारी रखा है। वर्तमान में ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है जो देश में अधिक स्वच्छ थर्मल पावर, निष्क्रिय सौर ट्रैकर्स, 1200 केवी यूएचवीएसी ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों तथा एसीईएमयू और डीईएमयू के लिए आईजीबीटी संचालक प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के प्रति आपकी कम्पनी के नेतृत्व को बल प्रदान करेगा।
- हम गैर–कोयला क्षेत्रों से व्यवसाय में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा, परिवहन, रक्षा, अंतरिक्ष और जल व्यवसाय में उभरते अवसरों का लाभ उठाने वाले एक अधिक विविधीकृत पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहे हैं। आंतरिक संसाधनों और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ताओं के साथ सहयोग से क्षमता और योग्यता निर्माण की रणनीति को जारी रखते हुए, हमने हाल ही में मेट्रो रेल के स्टेनलैस स्टील कोचों और बोगियों के निर्माण के लिए कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान के साथ एक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया है।
- बाजार विस्तार और बाजार प्रवेश पर ध्यान देते हुए निर्यात रणनीतियों को वैश्विक गतिशीलता के अनुकूल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में 2x660 मेगावाट मैत्री टीपीपी, इस श्रेणी की और उत्कृष्ट मानकों वाली पहली विदेशी विद्युत परियोजना निर्यात बाजार में नए अवसरों के द्वार खोलेगी।

यात्रा जारी है...

अंत में, मैं अपने सभी हितधारकोंः ग्राहकों और वेंडरों सहित व्यावसायिक भागीदारों का हम पर विश्वास जताने के लिए, कर्मचारियों का उनकी लगन और प्रतिबद्धता के लिए, निदेशक मंडल के सदस्यों का उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, प्रबंधन समिति के सदस्यों का दक्षता से कंपनी के संसाधनों और प्रचालनों के प्रबंधन के लिए, और इन सबसे बढ़कर – आप शेयरधारकों का, इस चुनौतीपूर्ण समय में बीएचईएल को आगे बढ़ाने की हमारी योग्यता में विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग ने हमारा बहुमूल्य मार्गदर्शन किया और हमारे प्रयासों को समर्थन प्रदान किया है। इस निरंतर सहयोग के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं तहे दिल से आपका सम्मान और प्रशंसा करता हूँ।

आपकी कंपनी ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में 50 से अधिक वर्षो का साथ दिया है। एक 'नये भारत' के निर्माण के मौजूदा अभियान से भी हमें उत्साहजनक संभावनाओं की उम्मीद है। टीम बीएचईएल का मानना है कि इस अभियान में योगदान करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी ताकत, निर्माण क्षमता, समर्पित जनशक्ति और इनोवेशन के लिए इकोसिस्टम मौजूद है।

नये उत्साह, अधिक आत्मविश्वास और सतत दृढ़निश्चय के साथ, हम एक उत्साहवर्धक भविष्य का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं।

शुभकामनाओं सहित,

अतुल सोबती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली

10 अगस्त, 2017

बीएचईएल नेतृत्व

निदेशक मंडल

(15.07.2017 की स्थिति)

दाएं से बाएं बैठे हैं

सुश्री सुरमा पाधी
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेश किशोर
स्वतंत्र निदेशक

श्री अतुल सोबती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
डीआईपीपी: अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री ए.एन. रॉय
स्वतंत्र निदेशक

दाएं से बाएं खड़े हैं

श्री एस. बिस्वास
निदेशक (ईआरएंडडी)

श्री टी. चोकालिंगम
निदेशक (वित्त)

श्री भास्कर ज्योति महन्ता
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग: अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री अखिल जोशी
निदेशक (पावर)

श्री डी. बंद्योपाध्याय
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री केशव एन. देसीराजू
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. स्वामिनाथन
स्वतंत्र निदेशक

श्री अमिताभ माथुर
निदेशक (आईएसएंडपी)

श्री आई.पी. सिंह
कंपनी सचिव

बीएचईएल नेतृत्व

प्रबंधन टीम

(15.07.2017 की स्थिति)

अतुल सोबती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी. बंद्योपाध्याय
निदेशक (मानव संसाधन)

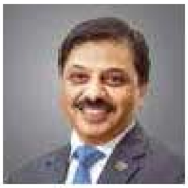

अमिताभ माथुर
निदेशक (आईएसएंडपी)

एस. बिस्वास
निदेशक (ईआरएंडडी)

टी. चोकालिंगम
निदेशक (वित्त)

अखिल जोशी
निदेशक (पावर)

एम. के. शर्मा
का.नि. (सीसीपी, सीएमजी एवं संविदा समापन), नई दिल्ली

आर. के. तिवारी
कानि. (ईडीएन), बेंगलुरु

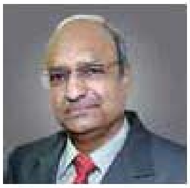

एन आर इडवी
कानि. (एयूएससी परियोजना), नोएडा

पी. के. चौहान
कानि. (आईवी), नई दिल्ली

डॉ. उमाकांत चौधरी
कानि. (सीटीएप), नई दिल्ली

संदीप नारंग
कानि. (पीईएंडएसजी), गुड़गांव

के. पुरस्वानी
कानि. (सीओएम), नई दिल्ली

डी. के. सिंह
का.नि. (पीसीएसजी), नोएडा

जे. सी. शर्मा
कानि. (पीएस–पीईएम), नोएडा

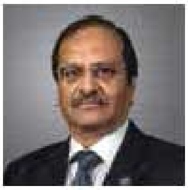

एस. वैद्यनाथन
कानि. (कॉर्पोरेट, वित्त), नई दिल्ली

प्रवीण बंसल
कानि. (टीबीएसजी), नई दिल्ली

राजीव कालरा
कानि. (पीएस–एनआर), नोएडा

के. आर. भारद्वाज
कानि. (पीएस–पीएमजी), नई दिल्ली

डॉ. बाबू लाल
कानि. (सीएलडी), नोएडा

अंजन मुखोपाध्याय
कानि. (पीएस–ईआर), कोलकाता

डी. भुईंया
कानि. (सीएसएम), नई दिल्ली

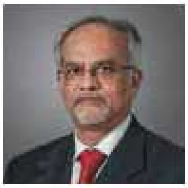
जी. एस. शेट्टी
कानि. (आईडब्ल्यूबी), नई दिल्ली

जे. गोविन्दास्वामी
कानि. (एचपीवीपी), विशाखापटनम

तापस मजूमदार
कानि. (पीएस–टीएस), नोएडा

आर. राजमनोहर
कानि. (तिरुचिरापल्ली, पीपीपीयू एंड पाइपिंग सेंटर)

एस. एस. वधावन
कानि. (सीक्यू एंड बीई) नोएडा

के. वालैसेल्वन
कानि. (बीएपी) रानीपेट

एस.वी.एन. जितिन सुन्दर
कानि. (टीबीजी) नोएडा

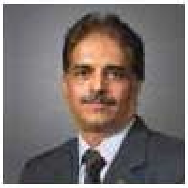
डी. के. ठाकुर
कानि. (एचईपी) भोपाल

डी. के. दीक्षित
कानि. (टीपी) झांसी

ए. के. मुखोपाध्याय
कानि. (पीएस एसआर) चेन्नई

एस. चतुर्वेदी
कानि. (आईएसजी) बेंगलुरु

जी. के. डेकाटे
कानि. (पीएस मार्केटिंग, थर्मल एंड गैस) नई दिल्ली

दिनेश कुमार
कानि. (एचवीजी) नोएडा

अतनु साहा
म.प्र.–प्रभारी (आंतरिक लेखापरीक्षा), नोएडा

के. के. खुराना
म.प्र.–प्रभारी (कार्पोरेट, आरएंडडी), हैदराबाद

कमलेश दास
म.प्र.–प्रभारी (आरओडी), नई दिल्ली

वी. रविन्द्रन
म.प्र.–प्रभारी (एसएसबीजी), नोएडा

अशोक एम. दावने
म.प्र.–प्रभारी (सीएसयू एंड एफपी), जगदीशपुर

एस. बालाकृष्णन
म.प्र.–प्रभारी (एचपीईपी), हैदराबाद

पी. पी. यादव
म.प्र.–प्रभारी (एनबीजी), नोएडा

अनिल कपूर
म.प्र.–प्रभारी (पीएस एवं सीसी), नई दिल्ली

एस. के. साहनी
म.प्र.–प्रभारी (कार्पो लेखा), नई दिल्ली

योगेश कुमार
म.प्र.–प्रभारी (टीबीजी), नई दिल्ली

राजीव मेहरा
म.प्र.–प्रभारी (सीएफएफपी), हरिद्वार

आर. सुब्रमणियन
म.प्र.–प्रभारी (पीएस–डब्ल्यूआर), नागपुर

एम. के. वर्मा
म.प्र.–प्रभारी (सीवीयू), बेंगलुरु

संजय गुलाटी
म.प्र.–प्रभारी (एचईईपी), हरिद्वार

पी. जगदीश्वर रेड्डी
म.प्र.–प्रभारी (सीडीटी), नोएडा

टी. एस. मुरली
म.प्र. (सीएसएम), नई दिल्ली
सचिव–प्रबंधन समिति

कानि. – कार्यपालक निदेशक   म.प्र. – प्रभारी महाप्रबंधक प्रभारी   म.प्र – महाप्रबंधक

बीएचईएल में नेतृत्व

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना

(15.07.2017 को)

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशकों की समिति

कॉर्पोरेट विभाग

निदेशक, इंजीनियरिंग आर एंड डी

- **कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन**
  - कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद
    - सेरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु
    - एएसएससीपी, गुरुग्राम
  - इनोवेशन रणनीति और निष्पादन
  - प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग
  - ज्ञान प्रबंधन
  - उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी
  - संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण
- **कॉर्पोरेट परिचालन प्रबंधन**
  - परिचालन प्रबंधन
  - सोर्सिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी
  - परिचालन सुधार पहलें और प्रोत्साहन कार्यक्रम
- **कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन**
  - डिजिटल स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेन्स
  - उत्पाद और सेवाएं डिजिटलीकरण
  - आईटी सिस्टम और अनुप्रयोग विकास
  - आईटी सेवा, सुरक्षा और सहयोग
  - आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन
- **कॉर्पोरेट गुणवत्ता और व्यावसायिक उत्कृष्टता**
  - नई गुणवत्ता पहल
  - समग्र गुणवत्ता प्रबंधन
  - गुणवत्ता प्रमाणन
  - फील्ड गुणवत्ता आश्वासन
- एयूएससी प्रोजेक्ट

निदेशक वित्त

- **कॉर्पोरेट वित्त**
  - बजट और बजट नियंत्रण
  - बीमा
  - राजकोष और विदेशी मुद्रा प्रबंधन
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान
  - परियोजना वित्त
  - वित्तीय सेवाएं, योजना और नीतियां
  - प्राप्य प्रबंधन
  - विदेश व्यापार नीति
- **नकद प्रबंधन**
  - नकदी प्रबंधन
  - बैंकिंग
  - लेखा एवं लेखा परीक्षा
- **आंतरिक लेखा परीक्षा**
  - इकाइयों/क्षेत्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा
  - सरकारी लेखा परीक्षा समन्वय

निदेशक मानव संसाधन

- **कॉर्पोरेट मानव संसाधन**
  - मानव संसाधन – नीति
  - भर्ती एवं जनशक्ति नियोजन
  - न्यू इनिशियेटिव सेल
  - मानव संसाधन एनेलिटिक्स
  - कार्पोरेट संचार
  - चिकित्सा सेवाएं
  - विधि
  - औद्योगिक संबंध
  - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
  - स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
  - प्रशासन और सुरक्षा
  - केन्द्रीय लोक सूचना कार्यालय
- **कॉर्पोरेट शिक्षण और विकास**
  - एल एंड डी रणनीति: निर्माण, अलाइनमेन्ट और रिपोर्टिंग
  - तकनीकी, व्यवहार संबंधी प्रबंधकीय कौशल प्रशिक्षण

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- सतर्कता

कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन

- कार्य रणनीति योजना एवं निष्पादन
- जोखिम की पहचान और प्रबंधन
- बाह्य अनुबंध
- विकास के नए क्षेत्र
- सहयोगात्मक प्रबंधन

कंपनी सचिव

- सचिवीय अनुपालन एवं निवेशक सेवाएं
- कंपनी अधिनियम और सूचीयन अनुबंध
- वार्षिक आम बैठक, बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें

व्यवसाय क्षेत्र

निदेशक पावर

निदेशक औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद

प्रबंधन समिति

- पावर सेक्टर-विपणन (थर्मल और गैस)
- न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप
- हाइड्रो बिजनेस ग्रुप
- परियोजना प्रबंधन समूह
- तकनीकी सेवाएं
- परियोजना समापन सिनर्जी समूह
- संविदा समापन समूह
- परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन
- पुर्जे एवं सेवा व्यापार समूह
- भारी उपस्कर मरम्मत संयंत्र, वाराणसी
- आर एंड एम सिस्टम समूह, भोपाल
- औद्योगिक प्रणाली समूह, बैंगलुरु
- पावर सेक्टर, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई
- पावर सेक्टर, उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
- पावर सेक्टर, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- पावर सेक्टर, पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
- पावर सेक्टर-मुख्यालय, एमएसएक्स, मानव संसाधन

- कैप्टिव पावर प्लांट बिजनेस
- औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल)
- आईएस-पीएमजी और संविदा समापन
- क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग
- परिवहन व्यवसाय और प्रणाली समूह
- रक्षा एवं अंतरिक्ष व्यापार समूह

- अक्षय ऊर्जा और जल व्यापार
- पारेषण व्यापार समूह
- परियोजना इंजी. और प्रणाली प्रभाग, हैदराबाद
- ऊर्जा संरक्षण समाधान समूह
- अंतर राष्ट्रीय परिचालन

प्रचालन

भोपाल
- हेवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट

हरिद्वार
- हेवी इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट प्लांट
- सेन्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट'

हैदराबाद
- हेवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट

तिरुचि, तिरुमयम, गोइंदवाल
- हाई प्रेशर बॉयलर प्लान्ट, तिरुचि
- सीमलेस स्टील ट्यूब प्लान्ट, तिरुचि
- पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरुमयम एवं पाइपिंग सेंटर, चेन्नै
- इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट, गोइंदवाल

रानीपेट
- बायलर ऑग्जिलरीज प्लान्ट

बैंगलुरू
- इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन
- इलेक्ट्रो पोर्सिलेन्स प्रभाग'

झांसी
- ट्रांसफार्मर प्लान्ट

रुद्रपुर
- कम्पोनेन्ट फेब्रिकेशन प्लान्ट

विशाखापटनम
- हेवी प्लेट्स और वेसल्स प्लान्ट

जगदीशपुर
- इन्सुलेटर प्लान्ट'
- सेन्ट्रलाइज्ड स्टाम्पिंग यूनिट एंड फेब्रिकेशन प्लान्ट'

'सीएफएफपी 'सीएसयू एंड एफपी – निदेशक (ई, आरएंडडी) को रिपोर्ट | 'ईपीडी एंड आईपी – निदेशक (आई एस एंड पी) को रिपोर्ट

वर्ष एक नज़र में

कारोबार
₹ करोड़ में

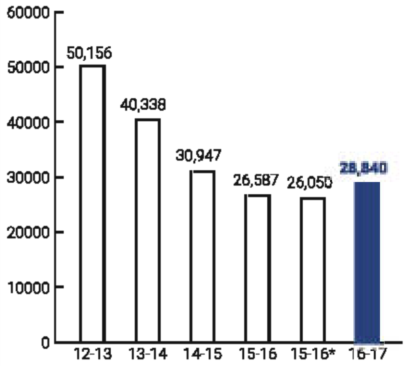

कर पूर्व लाभ / कर पश्चात लाभ
₹ करोड़ में

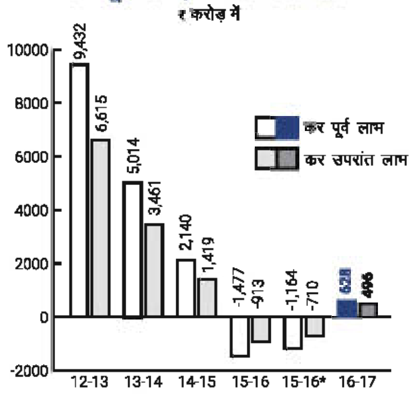

प्राप्त ऑर्डर
₹ करोड़ में

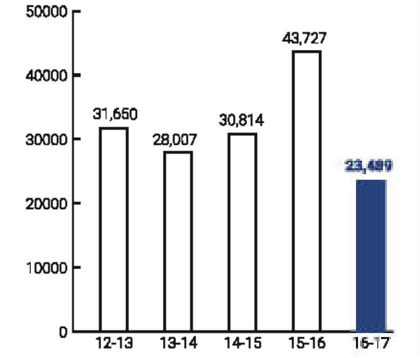

प्रति शेयर अर्जन
₹ में

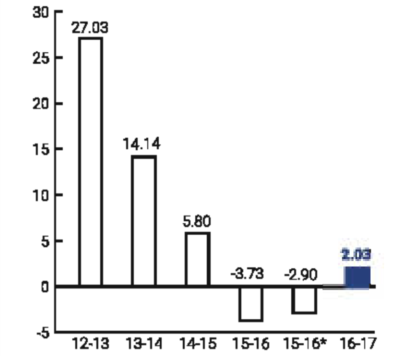

प्रति शेयर निवल मूल्य
₹ में

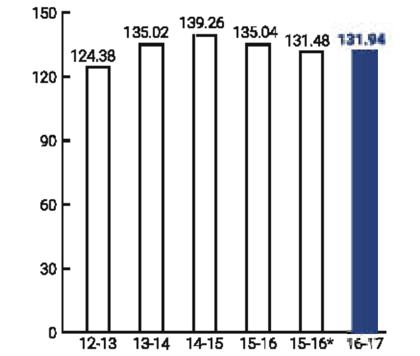

लाभांश वितरण
₹ करोड़ में

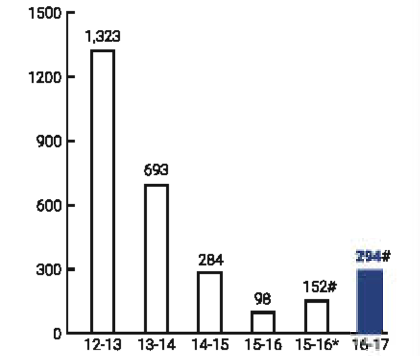

खण्डवार राजस्व
₹ करोड़ में

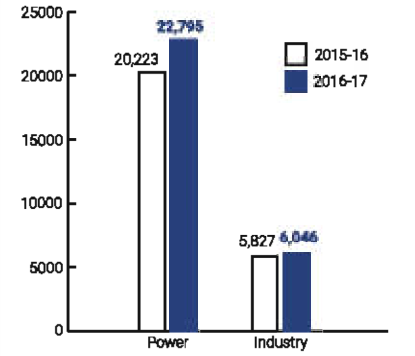

समेकित वित्तीय परिणाम
₹ करोड़ में

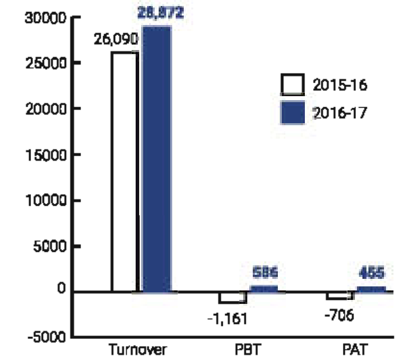

जनशक्ति
संख्या

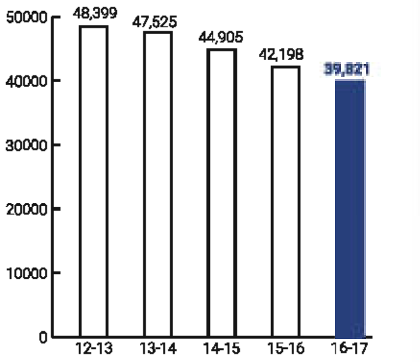

** आंकडे इंड–एएस के अनुसार फिर से पुनः उल्लिखित किए गए हैं*

 # 2015–16 और 2016–17 के लाभांश में, इंड एएस के अनुसार चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश और पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश शामिल है।*

8,570 मेगावाट
विद्युत परियोजना
कमीशन/सिंक्रोनाइज
की गई

12वीं पंचवर्षीय योजना,
2012–17 के दौरान
45,274 मेगावाट
की परियोजनाएं चालू;
भारत सरकार के लक्ष्य से
9% अधिक

178 जी डब्ल्यू+
अब तक संस्थापित
विद्युत उत्पादन उपस्कर

स्वयं के पास ऑर्डर
₹1,05,200 करोड़

घरेलू सौर ऊर्जा संस्थापनाओं
के माध्यम से
14.82 मिलियन
यूनिट ऊर्जा उत्पादित

₹10,047 करोड़ का
अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर
2x660 मेगावाट
मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश से

508
पेटेंट्स और कॉपीराइट्स दाखिल;
कुल बौद्धिक पूंजी: 3915;
₹794 करोड़ का निवेश
आरएंडडी और नवोन्मेष पर

370 मेगावाट
सौर पीवी पोर्टफोलियो;
निर्माण क्षमता बढ़कर
226 मेगावाट सौर मॉड्यूल्स
105 मेगावाट सौर सेल्स

18,282
व्यावसायिक प्रशिक्षुओं और
4,728
एक्ट–एप्रेंटिसों को प्रशिक्षण

प्रति कर्मचारी
3.9
मानव दिवस प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण/उत्पादकता वृद्धि/
स्वदेशीकरण के लिए
कंपनी की परिसंपत्तियों में
₹294 करोड़
का निवेश

कुल **39,821**
मानव संसाधन
8 विश्वकर्मा और
7 श्रम पुरस्कार विजेता

बीएचईएल के बारे में

बीएचईएल भारी विद्युत उपस्करों के स्वदेशी निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की शानदार सफलता का जश्न है। राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा कंपनी को दिया गया मूल जनादेश एहसास से बढ़कर रहा है। बीएचईएल एकीकृत बिजली संयंत्र उपस्कर निर्माता और भारत में अपनी तरह की एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है। कंपनी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, तेल और गैस तथा रक्षा के लिए 180 से अधिक उत्पाद प्रस्ताव के साथ इन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पादन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएचईएल भारत के भारी विद्युत उपकरण उद्योग के विकास का सुदृढ़ आधार रहा है।

विद्युत उत्पादन उपकरणों के निर्माण के लिए बीएचईएल की विशाल वार्षिक क्षमता 20,000 मेगावाट है। भारत और विदेशों में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर 17 विनिर्माण इकाइयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केंद्रों, 1 सहायक कंपनी, 4 विदेशी कार्यालयों, 6 संयुक्त उद्यमों, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और वर्तमान परियोजना निष्पादनों का इसका व्यापक नेटवर्क इसके परिचालनों के विशाल पैमाने और आकार के अनुरूप है। परियोजना निष्पादन पर मुख्य ध्यान देने के साथ, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपकरण का विश्वव्यापी स्थापित आधार 178 गीगावॉट से अधिक है। 31 मार्च 2017 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता में बीएचईएल की 54% हिस्सेदारी और थर्मल यूटिलिटी सेटों (कोयला आधारित) से देश के कुल उत्पादन में 58% भागीदारी राष्ट्र निर्माण के प्रति इसके बहुमूल्य योगदान का एक प्रमाण है।

बीएचईएल, हरिद्वार में नई टरबाइन ब्लेड शॉप सुविधा

बीएचईएल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने मलेशिया, ओमान, इराक, सीरिया सूडान, लीबिया, साइप्रस, माल्टा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, न्यूजीलैंड आदि सहित 82 देशों में संदर्भ सहित सभी बसे हुए महाद्वीपों में बीएचईएल निर्मित करीब 10,000 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों की संचयी विदेशी स्थापित क्षमता के साथ अपने पदचिन्ह स्थापित किए हैं।

बीएचईएल उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उच्च स्तर जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस एजी, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि सहित दुनिया में अग्रणी कंपनियों से कुछ बेहतरीन तकनीक प्राप्त करने और अनुकूल बनाने के साथ ही अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का एक प्रमाण है। जबकि सभी विनिर्माण इकाइयों और कंपनी की अन्य संस्थाओं को

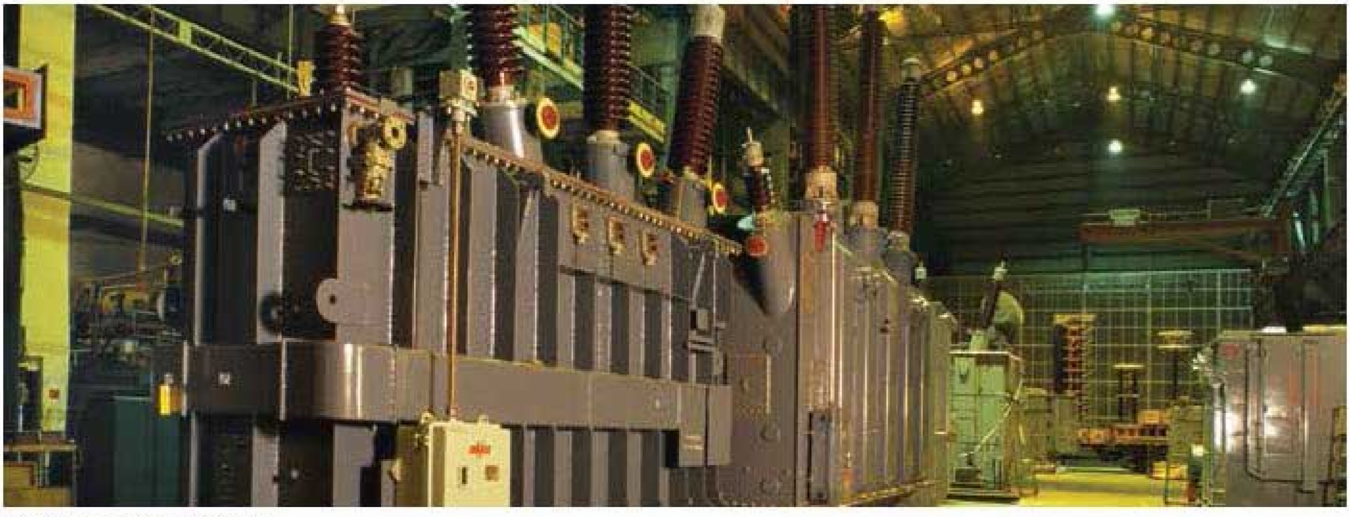

बीएचईएल, झांसी में ट्रांसफॉर्मर शॉप

विद्युत क्षेत्र

बीएचईएल विश्व की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिनके पास विद्युत संयंत्र उपकरण की सभी श्रेणियों के विनिर्माण की क्षमता और संकल्पना से चालू करने तक विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रामाणिक टर्न की क्षमताएं हैं। कंपनी के विद्युत क्षेत्र में तापीय, गैस, जलविद्युत और परमाणु विद्युत संयंत्र शामिल हैं। बीएचईएल के पास है:

- 1000 मेगावाट तक की आपूर्ति क्षमता के साथ 800 मेगावाट तक के स्टीम टरबाइनों, जेनेरेटरों, बायलरों और इनके सहायक उपकरणों की आपूर्ति की क्षमता। वर्तमान में 660 /700 /800 मेगावाट रेटिंग्स के सुपरक्रिटिकल सेटों सहित ईपीसी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन।
- 400 मेगावाट तक के हाइड्रो टरबाईनों और जेनरेटरों की आपूर्ति की क्षमता।
- 220 /235 /540 /550 /700 मेगावाट सहित परमाणु टरबाइन जेनरेटर सेटों की आपूर्ति की क्षमता।
- विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र उपकरणों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रचालन के माध्यम से संयंत्र कार्य निष्पादन सुधार में प्रामाणिक विशेषज्ञता।
- संयंत्रों के अवशिष्ट जीवन आकलन, स्वास्थ्य निदान और जीवन विस्तार की विशेष जानकारी।
- बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गये थर्मलसेटों की उपलब्धता एवं दक्षता राष्ट्रीय औसत मापदण्डों से बेहतर रही है।

बीएचईएल, हरिद्वार में स्टेटर निर्माण प्रगति पर

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ 9001:2008) की मान्यता दी गई है, प्रमुख विनिर्माण इकाइयों को भी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2004) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ओएचएसएएस 18001:2007) में मान्यता प्राप्त है।

अपनी उत्कृष्ट यात्रा के दौरान बीएचईएल बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को बदलने में कुशल है। एक संरक्षित बाजार में अपनी स्थापना के समय से लेकर उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दबाव और आर्थिक माहौल में मंदी के दौर से जूझने तक, बीएचईएल ने उत्पाद निर्माण से बाजार उन्मुखता, पोर्टफोलियो पुनर्गठन के जरिए व्यापार उत्कृष्टता और विविधीकरण के माध्यम से प्रगति को बनाए रखने के वर्तमान फोकस तक अपनी कार्यनीतियों को बदलते हुए विकास किया है।

बेल्लारी एसटीपीएस, कर्नाटक में 700 मेगावाट सुपरक्रिटिकल यूनिट का टरबाइन हॉल

एनई–आगरा एचवीडीसी टर्मिनल पर विश्व का पहला ±800 केवीपी–इंजीनियर्ड इन्डोर डीसी हॉल

परिवहन, पारेषण, रक्षा, जल और नवीकरणीय ऊर्जा में विविधीकरण, प्रस्तावों का संतुलित पोर्टफोलियो कायम रखने के लिए अपनाई गई कार्यनीति है। नए व्यवसाय अवसरों के विविधीकरण और पूंजीकरण की यह कार्यनीति नवाचार प्रेरित प्रगति की प्रतिबद्धता से उत्पन्न होती है जो बीएचईएल के व्यापारिक मॉडल का अनिवार्य अंग है। संगठन के अनुसंधान और विकास फोकस में उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों से लेकर विद्युत उपकरण के अधिसंचालित अनुप्रयोगों तक काफी विविधता है। बीएचईएल भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर सबसे अधिक खर्च करने वालों में से एक है और अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर निरंतर अपने टर्नओवर का 2.5% से अधिक खर्च कर रहा है।

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों का प्रमुख विनिर्माता है और प्रमुख उद्योगों जैसे तेल एवं गैस, धातुकर्मीय एवं खनन, चीनी, उर्वरक, रिफाइनरीज, कागज एवं पेट्रो–रसायन इत्यादि की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसके अलावा, उद्योग क्षेत्र के प्रचालन कैप्टिव बिजली उत्पादन, पारेषण, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, रक्षा और अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए भी पूर्ण समाधान प्रदान करता है। प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- **कैप्टिव विद्युत संयंत्र:** स्टीम टरबाईन और गैस टरबाईन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति करता है।
- **पारेषण:** 132 केवी से 765 केवी तक ईएचवी और यूएचवी सबस्टेशनों और 1800 केवी तक एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशनों और विद्युत ट्रांसफार्मरों, शंट रिएक्टरों, वैक्यूम तथा एसएफ6 स्विचगियर, गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स, सिरामिक इंसुलेटर्स आदि का निष्पादन करता है।
- **परिवहन:** आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर/सहायक कन्वर्टर/वीसीयू), 25 केवी एसी लोको, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ईएमयू, डीएमयू, डीईटीसी और उद्योग तथा विद्युत संयंत्रों के लिए डीजल–विद्युत शंटिंग लोकोमोटिव्स के लिए कंट्रोल गियर उपकरण का विनिर्माण करता है।
- **अक्षय ऊर्जा:** किलोवाट से मेगावाट आकार के संयंत्रों, स्पेस ग्रेड सोलर पैनलों और स्पेस ग्रेड बैटरियों के ग्रिड संयोजित और एकल पीवी अनुप्रयोगों के लिए संकल्पना से लेकर चालू करने तक ईपीसी समाधान।
- **जल:** जल शोधन प्रणालियों, पूर्व उपचार संयंत्रों (पीटी), समुद्रजल रिवर्स ऑस्मोसिस (एसडब्ल्यूआरओ) संयंत्रों, विखनिजीकरण (डीएम) संयंत्रों, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आरओ संयंत्रों, अपशिष्ट जल/ बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी)/(ईटीपी), सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) आदि के लिए टर्नकी समाधान।
- **औद्योगिक उत्पाद (विद्युत एवं यांत्रिक):** ऑयल रिग्स, वैल हैड एवं क्रिसमस ट्री वाल्वों, फैब्रिकेटिड उपकरणों और मैकेनिकल पैकेजों, बायलर फीड पंपों, कम्प्रेसरों तथा एसी मशीनों इत्यादि सहित औद्योगिक उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां।
- **रक्षा:** सुपर रैपिड गन माउंट, नौसेना के जहाजों के लिए इंटिग्रेटिड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम, थर्मो प्रेस्ड कम्पोनेंट्स, एलसीए के लिए हीट एक्सचेंजर्स, टी–72 टैंकों के लिए टयूरेट कास्टिंग, जहाजों और सिमुलेटर के लिए कास्टिंग, इत्यादि सहित भारतीय रक्षा बलों को रणनीतिक उपकरणों की आपूर्ति।

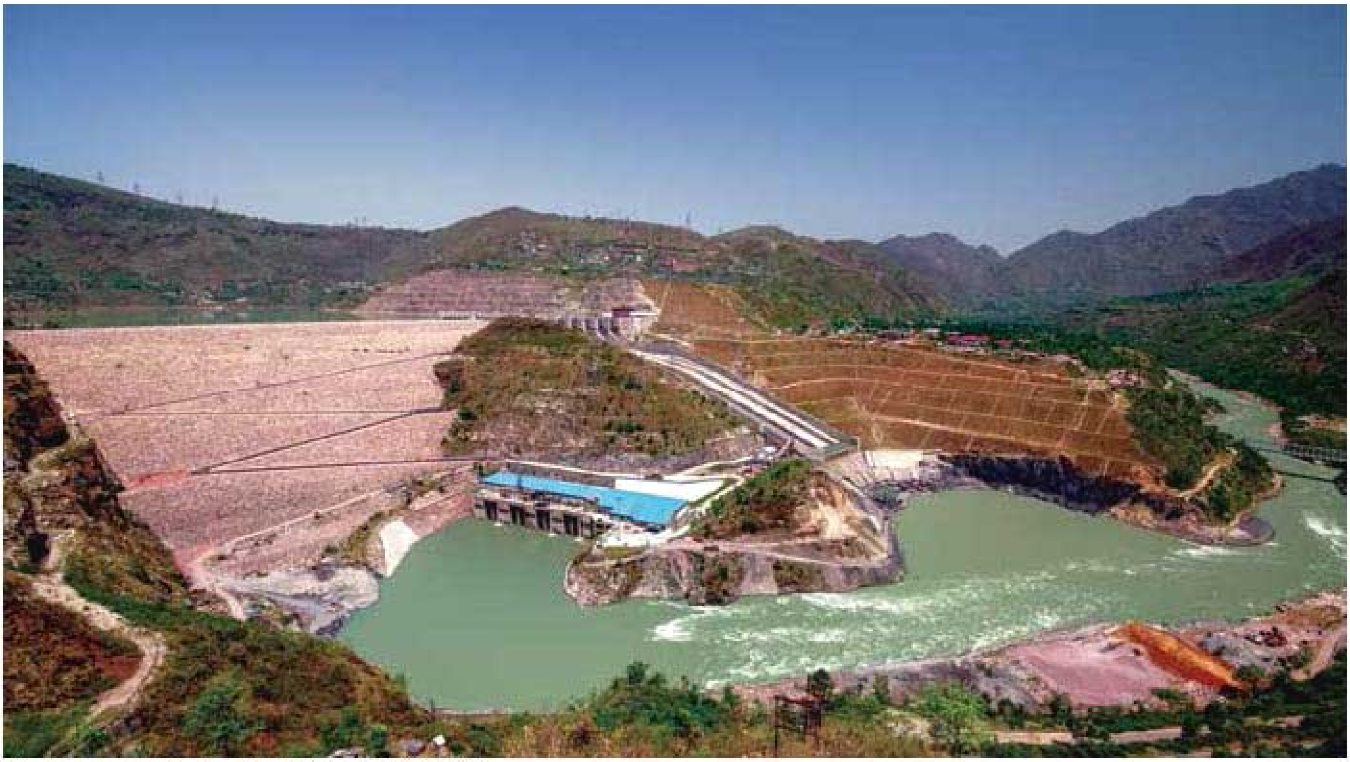

बीएचईएल द्वारा चालू किया गया 4x200 मेगावाट कोलडैम एचईपी

बीएचईएल द्वारा चालू किया गया एनएलसी टाउनशिप, नेवेली स्थित 10 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा संयंत्र

बीएचईएल की सबसे बड़ी ताकत, लगभग 40,000 कर्मचारियों का बेहद कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल है, जो बीएचईएल की उत्कृष्ट यात्रा के मुख्य आधार रहे हैं।

साइट पर कार्यरत बीएचईएल इंजीनियर्स

इसके अलावा, सतत विकास की अवधारणा को बीएचईएल के डीएनए में अंतर्निविष्ट किया गया है जो इसके मिशन वक्तव्य – "ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में संधारणीय व्यवसाय समाधान प्रदान करना" से स्पष्ट है। बीएचईएल समाज के साथ सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, प्रतिभा उन्नयन/कौशल विकास इत्यादि के उद्देश्य से अपनी सामाजिक पहलों सहित समाज के साथ मिलकर काम भी कर रहा है।

श्री अनंत गीते, माननीय केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री, श्री बाबुल सुप्रियो, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री एवं श्री गिरीश शंकर, सचिव, भारी उद्योग विभाग बीएचईएल दिवस 2017 के समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल के साथ

कंपनी बाजार की जरूरतों के अनुरूप बदल रही है और आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए परिवर्तनों को अपना रही है। मौजूदा व्यवसायों में अपने नेतृत्व को कायम रखना, नई क्षमताओं का निर्माण, प्रगति के नए स्रोतों का सृजन और आधारभूत संरचना का उत्तरदायी उपयोग भविष्य की प्रगति और शेयरधारकों की पूंजी में वृद्धि की प्रमुख कुंजी होगी।

विज़न

बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला एक वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सतत् व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

वैश्विक उपस्थिति

सभी छह आवासित महाद्वीपों में 82 देशों में उपस्थिति

करीब 17,000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरणों के अनुबंध

किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहली विदेशी टर्नकी परियोजना–त्रिपोली, लीबिया में 1980 में बीएचईएल द्वारा निष्पादित

बांग्लादेश से 2x660 मेगावाट मैत्री टीपीपी के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर प्राप्त, भारत से बाहर बीएचईएल की उच्चतम रेटिंग का विद्युत संयंत्र

बीएचईएल की दुनिया

राष्ट्रीय चैम्पियन

भारत की एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी जो आधारभूत क्षेत्रों में सेवारत हैं जैसे

- विद्युत उत्पादन एवं पारेषण
- परिवहन / अक्षय ऊर्जा / रक्षा / जल प्रबंधन / तेल एवं गैस / औद्योगिकी उत्पाद–विद्युत एवं यांत्रिक

150 से अधिक परियोजना स्थलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 17 विनिर्माण इकाइयां, 1 सहायक कंपनी, 6 संयुक्त उद्यम, 8 सेवा केन्द्र और बुनियादी सुविधाएं

विश्व–स्तरीय पर्यावरण–हितैषी तकनीक के साथ हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माण में भारत की क्षमता का सृजन

सतत कार्यनिष्पादन

शून्य ऋण कंपनी

1976–77 से लाभांश का लगातार भुगतान कर रही कंपनी

शेयर बाजारों में इसके इक्विटी शेयर पहली बार 1992 में सूचीबद्ध

क्या आप जानते हैं

बीएचईएल का देश की कुल स्थापित बिजली यूटिलिटीज में सबसे अधिक योगदान है

इसरो द्वारा प्रक्षेपित सभी भारतीय उपग्रहों में वर्ष 2002 से बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सोलर पैनल और वर्ष 2005 से आपूर्ति की गई बैटरियां लगी हैं

दुनिया की सबसे बड़ी 800 किलोवाट, 6,000 मेगावाट की मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी एनई–आगरा पारेषण परियोजना का निष्पादन बीएचईएल द्वारा किया जा रहा है

कोलकाता श्रेणी के मिसाइल विध्वंसक तीनों जहाज बीएचईएल के सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित हैं

भूटान में 95% जल विद्युत उत्पादन क्षमता बीएचईएल द्वारा स्थापित की गई है

बीएचईएल का प्रथम विद्युत उत्पादन सेट 1969 में तमिलनाडु में बेसिन ब्रिज में स्थापित 30 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन था

देश के सभी राज्यों और छह केंद्र शासित क्षेत्रों में बीएचईएल द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन उपकरण हैं

नवाचार

- अनुसंधान एवं विकास व्यय–कारोबार के 2.5% से अधिक – भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक
- पांच अनुसंधान संस्थान
- 14 उत्कृष्टता केन्द्र
- कुल बौद्धिक पूंजी : 3915
- डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त 12 विनिर्माण इकाइयों/प्रभागों में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

भारत का विद्युतिकरण

- 20,000 मेगावाट वार्षिक विनिर्माण क्षमता सहित विश्व में प्रमुख एकीकृत विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माता
- अब तक 178+ गीगावॉट विद्युत उत्पादन उपकरण स्थापित
- भारत की परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता का 55% (पारंपरिक द्वीप) बीएचईएल द्वारा स्थापित
- देश का पहला 660 मेगावाट स्वदेशी सुपरक्रिटिकल सेट एनटीपीसी बाढ़–5 2013 में चालू किया गया
- 800 मेगावाट येरमरस टीपीएस में वाणिज्यिक प्रचालन की शुरूआत के साथ बिजली उत्पादन में प्रवेश
- 16,500+ मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित
- 350+ मेगावाट पीवी सेलों, मॉड्यूलों और प्रणालियों की संचयी शिपमेंट

जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण की प्रौद्योगिकी

- एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास
- स्वदेशी सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 11% प्रतिशत कमी, अधिक दक्षता और ग्राहकों को कम लागत
- विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण समाधानों की पेशकश
- अब तक देश में चालू किए गए पर्यावरण अनुकूल सुपरक्रिटिकल सेटों की अधिकतम संख्या
- अधिक दक्ष ईएचवी पारेषण प्रणालियों और उत्पादों (1800 केवी एचवीडीसी सहित) का विकास
- आंतरिक सौर ऊर्जा स्थापनों के माध्यम से 14.82 एमयू ऊर्जा उत्पादन करके वर्ष 2016–17 के दौरान 14,378 एमटी कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन फुटप्रिंट की कमी हासिल की

सामाजिक दायित्व

- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते के प्रति वचनबद्ध
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंटीग्रिटी संधि पर हस्ताक्षरकर्ता
- नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के 25 समूहों के निर्माण में सहयोग
- जैव विविधता
- 4.7 मिलियन वर्ग मीटर का आंतरिक हरित कवरेज
- 3 मिलियन से अधिक वृक्षारोपण
- वर्ष के दौरान एक लाख से अधिक रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए 10 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का सहयोग

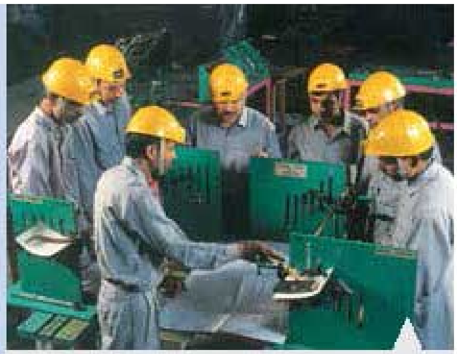

जनशक्ति का सम्मान

- बिजनेस टुडे के शीर्ष 25 कार्य करने लायक भारतीय कंपनियों में एकमात्र पीएसयू
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में गैर–वित्तीय केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता
- 1973 से संयुक्त परिषद, संयंत्र परिषद, शॉप परिषद के माध्यम से प्रतिभागिता प्रबंधन संस्कृति
- कार्यपालकों में से 80% अभियंता
- 2200+ महिला कर्मचारी
- कंपनी छोड़ने की दर 1% से कम

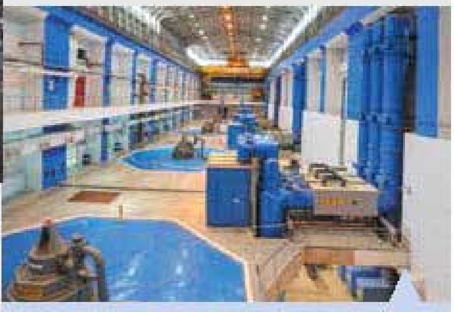

अद्वितीय औद्योगिक अनुभव

- 570,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपकरणों की आपूर्ति
- 31,000+ एसी मशीनों की आपूर्ति सबसे बड़ा भारतीय निर्माता
- भारतीय रेल के 50 प्रतिशत रोलिंग स्टॉक बीएचईएल ट्रैक्सन इक्विपमेंट से सज्जित हैं
- 360 इलेक्ट्रिक लोको की भारतीय रेलवे और अन्य उद्योगों को आपूर्ति
- 385+ कम्प्रेसर और 90 ऑयल ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति
- 42+ ऑयल रिग्स का नवीनीकरण और उन्नयन पूर्ण
- 36+ एसआरजीएम की आपूर्ति

उत्कृष्टता का सम्मान

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अतुल सोबती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–बीएचईएल को ₹ 1.79 करोड़ की सर्वाधिक राशि का चेक प्रधानमंत्री की "कौशल भारत" पहल के प्रति संगठन के योगदान के तौर पर **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)** के अंतर्गत देश भर में काफी संख्या में प्रशिक्षुओं को नियोजित करते हुए बीएचईएल के सक्रिय योगदान की सराहना के तौर पर भेंट किया।

- 12 बीएचईएल कर्मचारियों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन को सम्मान के तौर पर प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (7 पुरस्कार)

- 36 बीएचईएल कर्मचारियों को उनके अभिनव सुझावों से लागत में कमी करने, गुणवत्ता, उत्पादकता और काम की परिस्थितियों आदि में सुधार के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (8 पुरस्कार)

- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा 'हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्र' में शीर्ष पीएसयू अवार्ड 2016

- श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक अवधि तक दुर्घटना रहित और निम्नतम दुर्घटना आवृत्ति दर के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (5 पुरस्कार)

- विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण और अक्षय ऊर्जा सहित; अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उपकरणों की व्यापक श्रृंखला के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ बिजली उपकरण विनिर्माण संगठन के तौर पर सीबीआईपी पुरस्कार 2016

- इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता एवं अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास तथा नवाचार के लिए महारत्न और नवरत्न सीपीएसई श्रेणी में पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2015

- उल्लेखनीय तौर पर लगातार 26वीं बार, ईईपीसी द्वारा बीएचईएल को निर्यात में उत्कृष्टता के लिए सम्मान और 2014–15 में बड़े उद्यमों की श्रेणी में स्टार परफॉर्मर का पुरस्कार

- क्वालिटी इन्सुलेटरों की आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा पावर ग्रिड उत्कृष्टता पुरस्कार

- स्कोच पुरस्कार
  - प्रौद्योगिकी परिनियोजन और नवाचार के लिए डब्ल्यूआरआई, तिरुचि और एचईईपी, हरिद्वार को स्कोच बीएसई पुरस्कार 2016
  - समाज के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वास्थ्य देखरेख सेवा क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में स्कोच आर्डर ऑफ मेरिट–स्कोच ब्ल्यू इकॉनॉमी एवार्ड
  - प्रगति के लिए प्रौद्योगिकियों हेतु स्कोच आर्डर ऑफ मेरिट–स्कोच स्मार्ट टैक्नोलॉजी एवार्ड
- 5ए ज्ञानार्जन (कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी, कुछ भी) के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क द्वारा एनएचआरडीएन ट्रॉफी 2016
- पीपुलस्ट्रोंग की साझेदारी में बिजनेस टुडे पत्रिका द्वारा भारत में बेहतर कार्य परिवेश की शीर्ष 25 कंपनियों में शामिल

- बीएचईएल, तिरुचिरापल्ली की सुश्री मागू मनचला यरगोरला को डब्ल्यूआईपीएस (विप्स) राष्ट्रीय बैठक में गैर–कार्यपालक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी के लिए प्रथम पुरस्कार
- मानव संसाधन कामकाज और कर्मचारियों के नियोजन और संतुष्टि में बढ़ोत्तरी तथा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के प्रति पहलों में अनुकरणीय योगदान के लिए 2016 का मानव संसाधन उत्कृष्टता स्वर्ण मयूर पुरस्कार

- बीएचईएल को ''लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2016'' प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय तौर पर, बीएचईएल ने दसवीं बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। एक स्वतंत्र जूरी द्वारा 2016 के पुरस्कार के लिए पीएसयू विनिर्माण संगठन–विशाल श्रेणी में पहले पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से बीएचईएल का चयन किया गया

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को बुनियादी सुविधाओं और इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए छठे ईपीसी विश्व पुरस्कार समारोह में भारी इंजीनियरिंग में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उद्योग सम्मान प्रदान किया गया
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और इंजीनियरिंग व्यवसाय में उनके योगदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा देश के एक प्रख्यात इंजीनियरिंग व्यक्तित्व के तौर पर सम्मानित किया गया
- बीएचईएल, तिरुचिरापल्ली में डब्ल्यूआरआई की सुश्री ए. संथाकुमारी ने पीएसई में सर्वश्रेष्ठ महिला कार्यपालक 2016 का स्कोप पुरस्कार प्राप्त किया
- बीएचईएल के छह कार्यपालकों – एचईपी भोपाल से श्री एन.पी. सनोदिया, सुश्री दीपा प्रभाकर, श्री सतीश असनानी, और सुश्री मेधा रस्तोगी तथा सीडीटी, नई दिल्ली से श्री गौरव सक्सेना और श्री भरत पंवार को उनके तकनीकी–वाणिज्यिक प्रबंधन एवं लीडरशिप कौशल के लिए आगामी 100 सीआईओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कल के

का निर्माण

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	23
अनुबंध–I	30
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	
अनुबंध–II	69
सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र	
अनुबंध–III	70
संधारणीय विकास	
अनुबंध–IV	82
व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट	
अनुबंध–V	89
अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां	
अनुबंध–VI	95
कॉर्पोरेट अभिशासन	
अनुबंध–VII	131
ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय	
अनुबंध–VIII	133
फार्म एओसी–I एवं एओसी–II	
अनुबंध–IX	136
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

निदेशकों को 2015–16 के तुलनात्मक वित्तीय विवरण और भारतीय लेखा मानक परिवर्तन की प्रारंभिक तिथि 01.04.2015 को तुलन–पत्र के साथ कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनों पर 53वी वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 28,840 करोड़ का कारोबार दर्ज करके, 2015–16 से 10.7% की वृद्धि हासिल की है, और पिछले वर्ष ₹ 710 करोड़ की हानि की तुलना में ₹ 496 करोड़ का लाभ दर्ज करते हुए विकास और लाभदेयता को पुनः हासिल किया। कंपनी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 45,274 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हासिल की, जो भारत सरकार द्वारा बीएचईएल के लिए निर्धारित 41,661 मेगावाट के लक्ष्य से 9% अधिक है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

आंकड़े (करोड़ ₹ में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)		वित्तीय वर्ष	
		2016-17	2015-16
(क)	कारोबार	**28,840**	**26,050**
(ख)	**अन्य प्रचालन आय**	**635**	588
(ग)	**प्रचालनों से राजस्व**	**29,475**	26,638
(घ)	प्रचालन व्यय	(28,643)	(28,005)
(ङ)	**प्रचालन लाभ/(हानि)**	**832**	**(1,367)**
(च)	अन्य आय	996	1498
(छ)	**मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर व्यय से पूर्व लाभ/(हानि)**	**1,828**	**131**
(ज)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(949)	(936)
(झ)	वित्त लागत	(351)	(359)
(ञ)	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**628**	**(1,164)**
(ट)	कर व्यय	(132)	454
(ठ)	**अवधि में जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)**	**496**	**(710)**
(ड)	**अन्य व्यापक आय**	**(29)**	(76)
(ढ)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय**	**467**	**(786)**
(ण)	लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)#	294	152
(त)	कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर सीडीटी सहित)	60	31
(थ)	**एनएवी प्रति शेयर (₹ में)**	**131.94**	**131.48**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व्यय या हानि दर्शाते हैं

 # लाभांश में पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश और चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश शामिल है

लाभांश

कंपनी ने वर्ष के लाभ में से 2016–17 के लिए ₹ 498.52 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर 40% (₹ 0.80 प्रति शेयर) की दर से ₹ 195.81 करोड़ के अंतरिम लाभांश और ₹ 39.86 करोड़ के कॉर्पोरेट लाभांश कर का मुगतान किया। इसके साथ ही कुल भुगतान ₹ 235.67 करोड़ हो गया। कंपनी ने 2016–17 में 2015–16 के लिए ₹ 489.52 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर (₹ 0.40 प्रति शेयर) की दर से ₹ 97.90 करोड़ के अंतिम लाभांश के साथ ही ₹ 19.93 करोड़ के कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान भी किया है।

निदेशक मंडल ने वर्ष के लाभ में से 2016–17 के लिए ₹ 489.52 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर 39% (₹ 0.78 प्रति शेयर) की दर से ₹ 190.91 करोड़ के अंतिम लाभांश और इस पर ₹ 38.87 करोड़ के कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कुल भुगतान ₹ 229.78 करोड़ हो जाएगा।

श्री अनंत गीते, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल वि.व. 2016–17 के लिए अंतरिम लाभांश का चेक भेंट करते हुए

कंपनी की लाभांश वितरण नीति वार्षिक रिपोर्ट में अलग से (अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत) दी गई है और बीएचईएल की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी उपलब्ध है।

प्राप्त ऑर्डर

बीएचईएल ने 2016–17 के दौरान ₹ 23,489 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। विद्युत और बुनियादी सुविधा क्षेत्र में मंद व्यावसायिक दशाओं के साथ ही घरेलू और विदेशी बाजारों में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद ये आर्डर हासिल हुए। क्षेत्रवार बुक किए गए ऑर्डरों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
विद्युत क्षेत्र	**7,261**	38,529
उद्योग क्षेत्र	**6,181**	5,125
अंतरराष्ट्रीय प्रचालन	**10,047**	73
बुक किए गए कुल ऑर्डर	**23,489**	43,727
वर्ष के अंत में बकाया ऑर्डर बुक	**1,05,200**	1,10,730

तुलन–पत्र तिथि के बाद की गतिविधियां

तुलन–पत्र तिथि के उपरांत कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

(i) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय लागू लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन तथा सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखाओं का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न' आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।

(vi) निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये समुचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये सभी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

घरेलू अर्थव्यवस्था एक बदलाव का अनुभव कर रही है किंतु अभी अनिश्चितताओं के प्रभाव के तहत जूझ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016–17 में 6.6% की तुलना में 2017–18 में 7.3% की सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) प्रगति का अनुमान लगाया है। मध्यम दौर में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने और अन्य संरचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था उच्चतर प्रगति पथ पर अग्रसर होगी। तथापि, क्षमता का कम उपयोग और पूंजी निवेश में विलंबित पुनर्जीवन अभी भी भारतीय उद्योग जगत की प्रगति में प्रमुख चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

बीएचईएल ने पिछले तीन वर्षों से चले आ रहे नकारात्मक शीर्षस्तरीय प्रगति के रुझान को उलटते हुए पिछले वर्ष से 10.7% अधिक, ₹ 28,840 करोड़ का कारोबार दर्ज किया। कंपनी ने पिछले वर्ष में ₹ 1,164 करोड़ की कर पूर्व हानि की तुलना में ₹ 628 करोड़ के कर पूर्व लाभ के साथ लाभदेयता में वापसी की। कर पश्चात लाभ, पिछले वर्ष ₹ 710 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 496 करोड़ रहा। 2016–17 के दौरान बीएचईएल ने ₹ 23,489 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। विद्युत और बुनियादी सुविधा क्षेत्र में धीमे व्यवसाय परिवेश के साथ ही घरेलू और विदेशी बाजारों में व्यापक प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह हासिल हुआ। परियोजना निष्पादन पर वर्धित फोकस के

परिणामस्वरूप बीएचईएल ने सरकार द्वारा बीएचईएल के लिए निर्धारित 41,661 मेगावाट के लक्ष्य से 9% वृद्धि करते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान 45,274 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की। कंपनी की रणनीति मौजूदा व्यवसायों में नेतृत्व कायम रखना और प्रगति की नई लहर जिसमें सौर ऊर्जा, पारेषण, परिवहन, रक्षा और जल के क्षेत्रों में अवसरों का दोहन करना शामिल है, में बने रहने के लिए विविधीकरण पर फोकस करना है।

बीएचईएल भी बदल रहा है और यह 'कल के बीएचईएल के निर्माण' – एक ऐसे संगठन के निर्माण जो ग्राहकों, कर्मचारियों और शेयरधारकों की जरूरतों के प्रति ''उत्तरदायी, ऊर्जावान और उन्नतिशील'' हो, के विजन के साथ एक परिवर्तन यात्रा की दिशा में कार्यरत है। इस रूपांतरण प्रक्रिया के भाग रूप में निष्पादन, समेकन और सरलीकरण के अंतर्गत की गई अनेक पहलों के साथ, कंपनी सतत प्रगति और लाभ; प्रमुख व्यवसाय में नेतृत्व के अंगीकरण तथा लोगों और डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने; और अंततः सतत प्रगति के लिए नए व्यवसायों और प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित अनेक प्रयास भी कर रही है।

अधिक विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

निदेशक मंडल

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

नियुक्ति

श्री अंशु प्रकाश, अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को 31.10.2016 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री भास्कर ज्योति महन्ता, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को 03.01.2017 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

सुश्री सुरमा पाधी को 02.02.2017 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के नियम 67(iv) के अनुसरण में, अतिरिक्त निदेशकों के तौर पर नियुक्त, श्री भास्कर ज्योति महन्ता और सुश्री सुरमा पाधी, कंपनी की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक तक निदेशक पद पर रहेंगे और बैठक में निदेशक के तौर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

सेवा समाप्ति

श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जो 22.12.2014 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे, ने यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में अपना स्थानांतरण होने पर, 06.10.2016 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक का पदभार त्याग दिया।

श्री अंशु प्रकाश, तत्कालीन अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जो 31.10.2016 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे, ने ग्रामीण विकास विभाग में अपना स्थानांतरण होने पर, 03.01.2017 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक का पदभार त्याग दिया।

सुश्री हरिन्दर हीरा, जो 08.05.2014 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त की गई थीं, का कार्यकाल 01.05.2017 को समाप्त होने पर कंपनी में उनका निदेशक पद समाप्त हो गया।

निदेशक मंडल सर्वश्री राजेश कुमार सिंह, अंशु प्रकाश एवं सुश्री हरिन्दर हीरा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं के साथ ही सलाह एवं मार्गदर्शन के लिए उनकी हृदय से प्रशंसा करता है।

साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के अंतर्नियमों के नियम 67(v) के अनुपालन में, सर्वश्री सुब्रत बिस्वास और टी. चोकालिंगम वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, उन्होंने पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं की पात्रता व्यक्त की है।

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुपालन में, नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों के नाम जिनमें वह निदेशक भी हैं तथा निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता सहित, इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण/अनुबंध में दिया गया है।

वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया।

लेखापरीक्षा समिति विवरण

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के बिन्दु 6.3 में बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति का विवरण दिया गया है। इसके अलावा, ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं कि निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशें स्वीकार न की हों।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र (सूचीयन विनियम के विनियम 17(8) के अनुसार) **अनुबंध–II** में दिया गया है।

संधारणीय विकास

संधारणीय विकास में बीएचईएल का सशक्त विश्वास इसके मिशन वाक्य ''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में संधारणीय व्यवसाय समाधान प्रदान करना'' में व्यक्त होता है। संधारणीयता हमारी व्यवसाय प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है। पर्यावरणीय संधारणीयता बढ़ाने के लिए हमारी मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय पदचिन्ह घटाने पर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जोर दिया जाना जारी रहा। समावेशी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, सीएसआर पहलों को जारी रखने से समाज के हित के लिए अतिरिक्त सामाजिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण हुआ। 2016–17 के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सीएसआर पहलों पर ₹ 37.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई। 2016–17 के दौरान संधारणीय विकास से संबंधित चलाई गई विभिन्न पहलों का विवरण **अनुबंध–III** में दिया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

कंपनी ने सूचीबद्ध अनुबंधों की जरूरत के अनुरूप, कंपनी द्वारा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से शुरू की गई पहलों के विवरण वाली व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट अनुशंसित प्रपत्र के अनुसार **अनुबंध–IV** पर संलग्न की गई है।

बीएचईएल, बेंगलुरू में एसपीवी विनिर्माण सुविधा

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

बीएचईएल की अनुसंधान एवं विकास कार्यनीति, संरचना और अवसंरचना, वर्तमान और आगामी व्यवसाय माहौल की चुनौतियों का सामना करने के अनुकूल बनाई गई है। 2016–17 के लिए कंपनी का अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹ 793.62 करोड़ है जो कारोबार का 2.75% है। इसमें ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पादों/डिजाइनों में प्रमुख संशोधनों/सुधारों के लिए विनिर्माण इकाइयों में किए गए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर किया गया व्यय शामिल है जो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में शामिल नहीं है। कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान 508 पेटेंट एवं कॉपीराइट अनुप्रयोग फाइल किए, जिससे ऐसे अधिकारों के संदर्भ में कंपनी की बौद्धिक संपदा बढ़कर 3915 हो गई। अधिक विवरण **अनुबंध–V** में दिए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी में राजभाषा के प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए 12 इकाइयों/प्रभागों में निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने पीएस–एनआर, आरओडी–मुम्बई और कॉर्पोरेट आरएंडडी का क्रमशः 12.04.2016, 20.10.2016 और 20.01.2017 को किए गए निरीक्षण के दौरान इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

12.05.2016 को प्रबंधन समिति की बैठक में राजभाषा पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में 'राजभाषा कार्यान्वयन–हमारा उत्तरदायित्व' पर व्याख्यान देने के लिए श्री एस.एन. सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को आमंत्रित किया गया।

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 29.12.2016 को बीएचईएल हैदराबाद द्वारा श्री अनंत गीते, केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में 14 सितंबर, 2016 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल

अंतर–इकाई राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत, उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 10 इकाइयों/प्रभागों को शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ईकाइयों में हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 380 कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार दिए गए।

हमारी कंपनी विभिन्न शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन समितियों के तत्वावधान में अनेक मनोरंजक प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस वर्ष बीएचईएल की 9 इकाइयों/प्रभागों को इस क्षेत्र में उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए न.रा.का.स. द्वारा पुरस्कृत किया गया।

सतर्कता

बीएचईएल के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है। बीएचईएल की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों/विद्युत सेक्टर क्षेत्र में वरिष्ठ सतर्कता कार्यपालक के नेतृत्व में सतर्कता ढांचा है जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करता है।

निवारक सतर्कता हमेशा बीएचईएल सतर्कता का फोकस क्षेत्र रहा है। 2016–17 के दौरान प्रणालीबद्ध सुधारों पर भी अतिरिक्त जोर दिया गया। अपनाए गए कुछ निवारक उपाय निम्न प्रकार से हैं:

- कार्य नीति, 2016 का संशोधन
- आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन, अनुमोदन और समीक्षा प्रक्रिया (एसईएआरपी), 2016 का संशोधन
- रिवर्स नीलामी के दिशानिर्देशों का संशोधन
- आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से कारोबारी लेनदेन के निलंबन का संशोधन
- अप्रयुक्त सामग्री का उपयोग
- सामग्री अनुमान प्रक्रिया की समीक्षा
- इकाइयों द्वारा क्रमिक सामग्री आपूर्ति प्रणाली का कार्यान्वयन
- परिवहन और फैब्रिकेशन ठेकों में कॉर्टलाइजेशन रोकने के लिए एनआईटी शर्तों की समीक्षा

- धन के निविदा मूल्य में खुली निविदा और पारदर्शिता पर जोर
- ऑनलाइन सतर्कता स्वीकृति प्रणाली
- टाउनशिप राजस्व संग्रहण प्रणाली की समीक्षा

बीएचईएल में आयोजित 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल

वर्ष के दौरान, निवारक सतर्कता के भाग रूप में कर्मचारियों के लिए विभिन्न इकाइयों/प्रभागों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कॉर्पोरेट शिक्षण और विकास (सीएलडी) विभाग द्वारा आयोजित सभी सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम/कार्यनीतिक प्रबंधन कार्यक्रमों में, सतर्कता प्रशासन पर नियमित तौर पर एक सत्र शामिल किया जा रहा है।

खरीद नीति, नियमों और प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में जागरूकता पैदा करने, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रसार करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और केस स्टडी को साझा करने के उद्देश्य से, सतर्कता विभाग तिमाही न्यूजलेटर 'दिशा' प्रकाशित करता है। इसके सोलह अंक पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

31 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों (30 कॉलेजों /39 स्कूलों) के छात्रों और संगठन के कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम यानी क्विज, वाद-विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण कला, पैनल चर्चाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, वॉकेथन इत्यादि आयोजित किए गए।

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों और अचानक जांचों से प्राप्त शिक्षण को प्रबंधन के साथ साझा किया गया। इन फीडबैक के आधार पर, प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रणाली सुधार आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा, प्रणालीगत सुधारों के लिए विभिन्न परिपत्र भी जारी किए गए।

बीएचईएल ने 16.12.2008 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ विशेष समझौता किया और इसे फरवरी 2009 में अपनाया गया। स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (आईईएम) के साथ प्रत्येक तिमाही में व्यवस्थित बैठक आयोजित होती है जिसमें खरीद संबंधित मुद्दों और उनकी शिकायतों पर विचार किया जाता है।

विभिन्न सीपीएसई में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों की सक्षम सतर्कता स्वीकृति सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बोर्ड स्तरीय और बोर्ड स्तर से निम्न अधिकारियों की सतर्कता स्थिति के बारे में एक पोर्टल की शुरुआत की है। बीएचईएल के बोर्ड से एक स्तर नीचे के अधिकारियों के संबंध में डाटा को प्रणाली में अद्यतन किया गया है।

संरक्षा एवं सुरक्षा

बीएचईएल अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों और परियोजना साइटों पर सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल न केवल लोगों का मनोबल बढ़ता है बल्कि यह कार्यस्थल पर अधिक उत्पादकता की एक पूर्व शर्त भी है। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अच्छी सुरक्षा पद्धतियों का समेकन किया जाए और उन्हें अपनी कार्य संस्कृति का एक अंग बनाया जाए। परियोजना साइटों पर सुरक्षा निष्पादन में सुधार के लिए की गई विभिन्न पहलों के कारण, घातक दुर्घटनाओं और सूचनयोग्य दुर्घटनाओं के कारण मानव-दिवसों की हानि की संख्या कम हो गई है। विनिर्माण इकाइयों में, सूचनयोग्य दुर्घटनाओं की संख्या 2015-16 की अपेक्षा लगभग 8% तक कम हो गई है।

कर्मचारियों को निवारक के साथ ही उपचारात्मक व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कारखाना परिसर में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं (ओएचएस) केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन उपाय के तौर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

2016-17 के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा और कार्य संस्कृति बनाने और बनाए रखने के लिए हमारी इकाइयों/प्रभागों में की गई कुछ पहलों में शामिल रही:

- खतरनाक रसायनों के प्रबंधन और प्रयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एमएसडीएस) और सुरक्षित प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर जागरूकता प्रशिक्षण।
- नियमित कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और व्यापार प्रशिक्षुओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण सत्र।
- सामग्री प्रबंधन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर क्रेन ऑपरेटर्स, रिगर्स और हेल्परों के लिए प्रशिक्षण।
- ऊंचाई से गिरने की स्थिति में बचाव व्यवस्था का प्रदर्शन और परियोजना साइटों पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई'ज) के उचित प्रयोग पर जागरूकता का निर्माण।
- कंपनी अधिकारियों/सुपरवाइजरों को मुम्बई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई और फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय /क्षेत्रीय श्रम संस्थानों द्वारा संचालित औद्योगिक सुरक्षा में 1 वर्ष के उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित करना।
- सभी नई गतिविधियों/प्रक्रिया में संशोधन/उपकरण स्थापन के लिए खतरे की पहचान और जोखिम निर्धारण।

- क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा विषयों पर कार्यस्थल पर टूल बॉक्स वार्ता/पेप वार्ता
- सामग्री प्रबंधन उपकरणों (क्रेनों, लिफ्टिंग टैकल्स, होइस्ट, फोर्कलिफ्ट, पैलेट्स इत्यादि), प्रेसर वेसल्स/एयर रिसीवर्स, पावर प्रेसेज इत्यादि का समय-समय पर रखरखाव और परीक्षण करना।
- हमारे उत्पादों के परिवहन से संबद्ध कर्मचारियों और वाहन चालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करना।
- कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और समाज में हमारे अन्य हितधारकों में सुरक्षा विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह का आयोजन। सुरक्षा दिवस 2017 की थीम 'सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में नेतृत्व बढ़ाए व्यवसाय स्थायित्व' थी। कर्मचारियों ने सुरक्षा शपथ ली और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
- सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर आंतरिक पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से अच्छी पद्धतियों को साझा करना।

डाटा एवं साइबर सुरक्षा

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्राथमिकताओं और निर्देशों के अनुसरण में, साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए बीएचईएल में एक संगठनात्मक आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) कार्यरत है। बीएचईएल में आपदा प्रबंधन योजना भी लागू है। कंपनी के विभिन्न स्थानों पर सभी डेटाबेस प्रशासकों को भी अधिसूचित किया गया है।

बीएचईएल ने प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पाठ्यक्रमों के माध्यम से, भारत सरकार की भारतीय साइबर स्पेस के संरक्षण की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के एक प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2016-17 में 50 सहित, कुल 225 सूचना सुरक्षा व्यवसायिकों का कार्यबल गठित किया है।

बीएचईएल की सभी इकाइयां, क्षेत्र और प्रभाग सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 द्वारा प्रमाणित हैं।

बीएचईएल में उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) प्रणाली मौजूद है और साइबर सुरक्षा को एक शीर्ष जोखिम माना जाता है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सूचीयन (लिस्टिंग) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, निम्नलिखित के साथ कॉर्पोरेट अभिशासन पर विस्तृत रिपोर्ट (बोर्ड/समिति की बैठकों के विवरण सहित) **अनुबंध-VI** में दी गई है:-

(i) कॉर्पोरेट अभिशासन पर लिस्टिंग विनियम एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का जवाब

(iii) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता संबंधित मानदंडों के बारे में घोषणा।

ऋण एवं निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल ऋणों और निवेशों का विवरण वित्तीय विवरण का भाग है, जो वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में अलग खंड के तौर पर संलग्न है। 2015-16 के दौरान बीएचईएल की सहायक कंपनी, मैसर्स बीएचईएल ईएमएल को ₹ 3 करोड़ का ऋण कार्यकारी पूँजी के रूप में प्रदान किया गया था। इस ऋण के पुनर्भुगतान की समय सीमा मार्च 2018 तक बढ़ाई गई है।

अन्य सूचनाएं

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय से संबंधित सूचना **अनुबंध-VII** में दी गई है।

कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार हर सूचीबद्ध कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट में निदेशकों आदि के पारिश्रमिक के बारे में विवरणों का उल्लेख करना अपेक्षित है। तथापि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्रदान की गई है। बीएचईएल के एक सरकारी कंपनी होने के, उक्त विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के तौर पर शामिल नहीं किए गए हैं।

सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित वक्तव्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुपालन में, (फॉर्म एओसी-1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(एच) के अनुपालन में एओसी-2 प्रपत्र **अनुबंध-VIII** पर दिया गया है।

कंपनी वेबसाइटों के लिंक

1. स्वतंत्र निदेशकों का परिचय वेबलिंक :
   http://www.bhel.com/investor_relations/investor.php
2. पक्ष लेनदेन के निपटान संबंधित नीति तथा सामग्री सहायक निर्धारण नीति वेबलिंक :
   http://www.bhel.com/pdf/Policy_with_regard_to_Related_Party_Transactions.pdf

लेखापरीक्षक

बीएचईएल के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से मुद्रित हैं।

2016–17 के लिए नियुक्त किए गए लागत लेखा परीक्षकों का विवरण तथा लागत लेखापरीक्षा विवरण का मुद्रण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **अनुबंध–IX** पर दी गई है।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के भारत और विदेश में सम्मानित ग्राहकों और मूल्यवान शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में उनके द्वारा व्यक्त विश्वास और प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक सराहना करता है और भविष्य में परस्पर सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की आशा करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी उनका कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कंपनी सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकरों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, निदेशक मंडल बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है जिनके उत्साह, टीम प्रयासों, समर्पण और अपनत्व की भावना से इसे महान कंपनी होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

अतुल सोबती

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जुलाई, 2017

अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक समीक्षा

2016 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति मिली। अर्थव्यवस्थाओं में सुधार आने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक मांग बढ़ी है जिससे विनिर्माण और व्यापार में सुधार हुआ है। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के साथ ही, कच्चे तेल और धातुओं जैसी वस्तुओं की कीमतें भी मजबूत होने से निस्सारण उद्योग में निवेशों का नवीनीकरण हुआ है। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में प्रदर्शन मिश्रित रहा। मूल्य वसूली अब भी न्यून रहने से ईंधन और गैर–ईंधन वस्तुओं के निर्यातक देशों में समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर रही।

सशक्त राजनीतिक इच्छा के समर्थन से घरेलू बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसे जीएसटी तथा अन्य के चलते भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में चमक बनी हुई है। नया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 2016–17 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं में 3.07% की प्रगति सहित उत्पादन गतिविधि में 4.94% की प्रगति दर्शा रहा है। योगदान कर रहे सभी तीनों क्षेत्र यथा खनन, विनिर्माण और बिजली में 2016–17 में पिछले वर्षों की अपेक्षा प्रगति दर्शा रहे हैं। 2016–17 में देश ने पिछले वर्ष में 8.0% की अपेक्षा 7.1% की जीडीपी प्रगति दर्ज की। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की खपत को देखते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बनी रही। हालांकि, सकल स्थिर पूंजी निर्माण विगत की तरह निम्नतर स्तर पर रहने से निवेश मांग में गिरावट दिखी। घटती मुद्रास्फीति, चालू खाते के घाटे में सुधार के साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति और पूंजी प्रवाह जिससे विदेशी पूंजी आरक्षित का निर्माण हुआ है घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रगति के अगले चरण के लिए आधार तैयार करने के संकेत हैं।

विद्युत क्षेत्र में बीएचईएल का प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र आने वाले वर्षों में परमाणु और पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) में संभावित प्रगति के उदभव के साथ परिवर्तन के अधीन है। सरकार का स्पष्ट फोकस बिजली के उत्पादन में ईंधन मिश्रण के विविधीकरण पर है किंतु तापीय विद्युत आने वाले कुछ समय के लिए भारत की बिजली जरूरतों की अश्व शक्ति बनी रहेगी। देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर, में क्षमता वृद्धि प्रभावशाली बनी रही है और इसके जारी रहने की आशा है। हालांकि, सोलर पीवी बाजार की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की पूर्ति करने की घरेलू क्षमता में अधिक प्रगति की संभावना है।

बीएचईएल, हरिद्वार में असेम्बली के अधीन 800 मेगावाट एलपी मोटर

1.2 व्यवसाय क्षेत्रों की रूपरेखा एवं निष्पादन

1.2.1 विद्युत क्षेत्र

अवसर

भारत की अर्थव्यवस्था, मुख्यतया तेजी से हो रहे शहरीकरण, जनसंख्या विस्तार एवं अनुकूल नीति परिवेश जैसे कारको से विकास की गति आशाजनक रही है और ऊर्जा सुरक्षा इसकी सतत आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। 326 गीगावाट से अधिक वर्तमान स्थापित क्षमता आधार के साथ, भारत ने विद्युत क्षेत्र के विकास में काफी दूरी तय कर ली है।

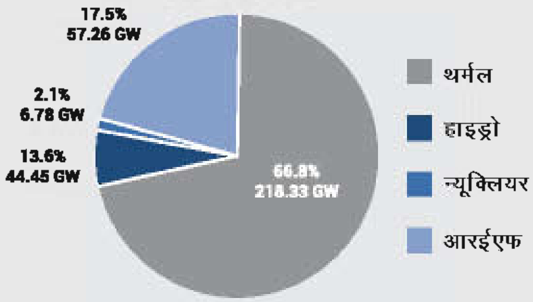

संस्थापित उत्पादन क्षमता (326 गीगावाट)
31 मार्च, 2017 को
स्रोतः सीईए विद्युत मंत्रालय

आज, देश की स्थापित क्षमता का लगभग 67% जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 12वीं योजना के दौरान परंपरागत स्रोतों से 99,209 मेगावाट की क्षमता वृद्धि से, देश ने न केवल समूची 11वीं योजना (2007–12) के दौरान परंपरागत स्रोतों से प्राप्त 54,964 मेगावाट की उपलब्धि में 80% से अधिक वृद्धि हांसिल की बल्कि 12वीं योजना के 88,527 मेगावाट के लक्ष्य के ~12% को भी प्राप्त किया है।

भारत सरकार की नवीनतम पहलों, जैसे 'सबके लिए 24x7 ऊर्जा', 'वर्ष 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटी', 'उदय' इत्यादि से देश में विद्युत की मांग बढ़ने की संभावना है। साथ ही, वर्ष 2035 तक 8.0% की सतत आर्थिक प्रगति दर प्राप्त करने के लिए, भारत को वर्तमान स्तर पर अपनी ऊर्जा की आपूर्ति तीन से चार गुना तक बढ़ाना आवश्यक है। इससे वर्तमान स्तर पर विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमता में पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है।

आशा है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) भविष्य में क्षमता वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से निरंतर, वर्ष भर प्रचालन के लिए उनकी उपयुक्तता और देश में कोयले के विशाल घरेलू आरक्षित भंडार के चलते, उनके अगले कुछ दशकों तक देश की विद्युत उत्पादन क्षमता का मुख्य आधार बने रहने की आशा है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में तीव्र क्षमता वृद्धि से जलविद्युत संयंत्रों, विशेष रूप से पम्प भंडारण योजनाओं, और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से भी ग्रिड की रैम्प अप और संतुलन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि की मांग की जाएगी। साथ ही, प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से दक्षता और उत्सर्जन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र अधिक स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

वर्तमान व्यावसायिक वातावरण

भारत सरकार ने मौजूदा और आगामी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं, जिनमें कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है। इससे देश के अंदर स्थापित किए जा रहे नये संयंत्रों के साथ–साथ मौजूदा संयंत्रों में भी उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण रेट्रोफिटिंग के अवसर मिलेंगे। पुराने संयंत्रों से उत्सर्जन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, भारत सरकार पुराने एवं अक्षम संयंत्रों को नए, ज्यादा कार्यकुशल एवं सुपर क्रिटिकल संयंत्रों से बदले जाने को प्रोत्साहित कर रही है। इससे विद्युत की मांग में प्रगति को पूरा करने की आवश्यकता के अलावा अतिरिक्त व्यवसाय अवसर सामने आयेंगे। विकासकर्ताओं की जरूरतों के अनुकूल, उन्हें अधिक मूल्य सुलभ कराने के लिए विशिष्ट पर्यावरण अनुकूल समाधानों का विकास, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) व्यवसाय में भी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अगले 5 वर्षों के लिए आरएंडएम के लिए 4,800 मेगावाट निर्धारित किया है जहां निकट भविष्य में पुनर्स्थापन की योजना नहीं बनाई गई है। इसके अलावा, भारत के 27% जलविद्युत संयंत्रों को 35 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस प्रकार इनका जीवन विस्तार और निष्पादन एवं दक्षता उन्नयन करना आवश्यक हो गया है।

विद्युत संयंत्रों के विकासकर्ताओं को पिछले कुछ वर्षों से अनेक बाधाओं जैसे– कोयला ब्लॉक डी–अलोकेशन, पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, वित्तीय एवं फंड समझौते में देरी इत्यादि का सामना करना पड़ रहा था। भारत सरकार ने इन मामलों को हल करने के लिए अनेक पहलें की हैं, जिनके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अच्छे संकेत मिल रहे हैं।

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), एक अन्य उत्साहजनक पहल है और सभी हितधारकों के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार से सकारात्मक सूचक है। विशेष रूप से, वितरण खंड जो लम्बे समय से विद्युत क्षेत्र के लिए एक संकीर्ण मार्ग रहा था, के तनावमुक्त होने की संभावना है, जिससे आने वाले वर्षों में विद्युत के लिए मांग में सुधार आ सकता है।

हाइड्रो क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और भारत की 148 गीगावाट हाइड्रो क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जलविद्युत उत्पादन, उत्पादन को संतुलित करने में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा जिसके अक्षय ऊर्जा के बढ़ते अंश के साथ एक प्रमुख चुनौती बनने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूव जलविद्युत परियोजनाओं पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना बनती है।

परमाणु ऊर्जा भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने हाल ही में 2x700 मेगावाट गोरखपुर–हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना (जीएचएवीपी 1 व 2) के अतिरिक्त 10 नग 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर आधारित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की है। परमाणु ऊर्जा में 6.8 गीगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता में आने वाले वर्षों में तीव्र उछाल आने से 2032 तक इसके 63 गीगावाट हो जाने की संभावना है।

प्रस्ताव

बीएचईएल विद्युत संयंत्र उपकरण की संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करने की क्षमता वाली विश्व की कुछ गिनी–चुनी कंपनियों में से एक है और इसने थर्मल, गैस, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संकल्पना से कमीशनिंग करने तक इनके निष्पादन में अपनी टर्नकी क्षमताओं को सिद्ध किया है।

बीएचईएल के पास थर्मल पॉवर प्लांट्स की सेवाओं के संदर्भ में परिकल्पना से लेकर चालू करने तक की क्षमता है जिसमें 1000 एमडब्ल्यू रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलर एवं अनुकूल सहायक उपकरण शामिल हैं। बीएचईएल ईपीसी आधार पर 660/700/800 मेगावाट रेटिंग के सुपर क्रिटिकल सेटों सहित अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाएं चला रहा है।

बीएचईएल थर्मल संयंत्रों के लिए, कम कैलोरी वाले ईंधनों जैसे पेट–कोक, लिग्नाइट, इत्यादि की व्यापक श्रृंखला के लिए उपयुक्त, सर्कुलेटिंग फ्ल्यूडाइज्ड बेड कंबस्शन (सीएफबीसी) बॉयलरों की आपूर्ति एवं निष्पादन भी करता है।

बीएचईएल खुले और संयुक्त चक्र प्रचालन दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार, 299 मेगावाट (आईएसओ)गैस टर्बाइन एवं मैचिंग जनरेटर प्रस्तुत करता है। परमाणु खंड में, बीएचईएल देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी 3 चरणों में निकट रूप से संबद्ध है। बीएचईएल परमाणु रिएक्टरों के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पक्षों के लिए उपकरण की आपूर्ति करता है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए 220/235/500/540/700 मेगावाट परमाणु टर्बाइन जनरेटर सेट पहले ही प्रचालन के अधीन हैं और यह वर्तमान में 700 मेगावाट सेटों का निष्पादन कर रहा है। बीएचईएल देश को परमाणु ऊर्जा के तृतीय चरण में ले जाने वाले 300 मेगावाट के उन्नत भारी जल रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) के द्वितीयक चक्र का भी विकास कर रहा है।

बीएचईएल सेटों से युक्त 400 मेगावाट कक्रापाड़ परमाणु स्टेशन

बीएचईएल के पास मैचिंग जनरेटर्स और 400 मेगावाट तक के मैचिंग मोटर जनरेटर्स के साथ पम्प टर्बाइन के साथ कैप्लान, फ्रांसिस और पेल्टन टाइप के कस्टम निर्मित परम्परागत हाइड्रो टर्बाइनों के इंजीनियरिंग और निर्माण की क्षमता है।

बीएचईएल उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कस्टमाइज्ड उपकरण भी उपलब्ध कराता है। बीएचईएल ने कणिका तत्वों के नियंत्रण के लिए, न केवल बीएचईएल द्वारा आपूर्ति/निर्मित किए गए बॉयलरों, बल्कि अन्य निर्माताओं

के बॉयलरों के लिए भी, उपकरणों की आपूर्ति की है। बीएचईएल ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर, नॉक्स और सॉक्स नियंत्रण प्रणालियां भी पेश कर रहा है।

कंपनी ने विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के शेष जीवन निर्धारण, स्वास्थ्य परीक्षण और जीवन विस्तार के बारे में विशिष्ट जानकारी के अलावा, ऊर्जा संयंत्र उपकरणों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और स्तर वृद्धि के माध्यम से संयंत्र निष्पादन सुधार में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध की है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों सहित नियंत्रण एवं उपकरण (सीएंडआई) के लिए बीएचईएल द्वारा रिट्रोफिट पैकेज भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुकिंग

वर्षों से, बीएचईएल गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पिछले पांच वर्षों से लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ, विद्युत क्षेत्र में अपना नेतृत्व कायम रखने में सक्षम रहा है। बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र ने 2016–17 में 3,622 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹ 7,261 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। इसमें आरएंडएम सहित, पुर्जे और सेवाएं कारोबार से ₹ 2,686 करोड़ (2015–16 से 48% अधिक) के ऑर्डर शामिल हैं।

बीएचईएल ने पालामुरू रंगारेड्डी एलआईएस चरण 2 व 3 (9x145 मेगावाट, 9x145 मेगावाट पम्प मोटर सेटों) के लिए क्रमश ₹ 1,051 करोड़ और ₹ 1,050 करोड़ की विशालतम लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) ऑर्डर प्राप्त किए। यह भारत में ऑर्डर किए गए पम्प मोटर सेटों की सबसे बड़ी रेटिंग है। इन ऑर्डरों के साथ, बीएचईएल ने 2016–17 के दौरान एलआईएस खंड में 78% का बाजार अंश हासिल कर लिया है।

बीएलईएल ने ओएचपीसी बार्मलिया एचईपी 6x60 मेगावाट (गैर बीएचईएल निर्मित सेटों) के लिए ₹ 295 करोड़ मूल्य के आईसीबी ऑर्डरों सहित, हाइड्रो आरएंडएम में ₹ 428 करोड़ का सर्वाधिक उच्च ऑर्डर भी प्राप्त किया है।

प्राप्त किए गए प्रमुख ऑर्डर

विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण यूटिलिटी ऑर्डर प्राप्त हुए:

तापीय

- 1x250 मेगावाट एनएसपीसीएल/राउरकेला पीपी-II विस्तार (ईपीसी)
- एपीपीडीसीएल/कृष्णापटनम (बॉयलर में संशोधन)
- एपीजेन्को/विजयवाड़ा (बॉयलर में संशोधन)
- टेनजेडको/उत्तर चेन्नई चरण III (बॉयलर में संशोधन)
- कोरबा पश्चिम टीपीएस (4x210 मेगावाट) ईएसपी आरएंडएम

हाइड्रो

- 9x145 मेगावाट एमईआईएल/पालामारू रंगारेड्डी चरण II पैकेज 5 (एलआईएस)
- 9x145 मेगावाट एमईआईएल/पालामारू रंगारेड्डी चरण III पैकेज 8 (एलआईएस)
- एमईआईएल/प्रनहिता चेवेला पैकेज 8 स्कोप विस्तार (एलआईएस)
- एमईआईएल/प्रनहिता चेवेला पैकेज 10 स्कोप विस्तार (एलआईएस)
- एमईआईएल/प्रनहिता चेवेला पैकेज 11 स्कोप विस्तार (एलआईएस)
- नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लि./प्रनहिता चेवेला पैकेज 6 स्कोप विस्तार (एलआईएस)
- बामीलिया एचईपी (6x60 मेगावाट) हाइड्रो आरएंडएम
- बैरास्यूल एचईपी (3x60 मेगावाट) हाइड्रो आरएंडएम

परमाणु

- एनपीसीआईएल/आरएपीपी-7 व 8 स्कोप विस्तार
- एनपीसीआईएल/केएपीपी-3 व 4 स्कोप विस्तार

बीएचईएल द्वारा चालू किया गया 4x40 मेगावाट तीस्ता लो डैम एचईपी

भविष्य के व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए संभावित अन्य विकास

500 मेगावाट सिम्हादि चरण-1 यूनिट-1 में बीएचईएल द्वारा विकसित सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) का पायलट परीक्षण करने के लिए एनटीपीसी के साथ परीक्षण प्रोटोकॉल (समझौता अनुबंध) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

सुपरक्रिटिकल अनुभव

बीएचईएल देश के अंदर पर्यावरण अनुकूल सुपर क्रिटिकल कोयला रहित विद्युत संयंत्र स्थापित करने में अग्रणी है और इसने 48 स्टीम जनरेटरों (एसजी) और 41 टर्बाइन जनरेटरों (टीजी) के ऑर्डर प्राप्त किए जिनमें से 14 एसजी और 12 टीजी 31.03.2017 तक चालू कर दिए गए हैं।

चालू की गई परियोजनाएं – उपलब्धियों की स्थापना

- 41,661 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 45,274 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के साथ भारत सरकार की 12वीं योजना का लक्ष्य पार किया। यह उपलब्धि 11वीं योजना के 25,385 मेगावाट की क्षमता वृद्धि से 78% अधिक है।

- 2016–17 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 5,847 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 6,317 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की। इसके अलावा, 660 मेगावाट सेटों को सिंक्रोनाइज किया गया और ये क्षमता वृद्धि के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर 1,515 मेगावाट औद्योगिक सेटों और 78 मेगावाट विदेशी सेटों सहित, 8,750 मेगावाट सेटों का सिंक्रोनाइज/चालू किया गया।

अपने संयुक्त उद्यम 2x800 मेगावाट येरामारस टीपीएस के साथ, बीएचईएल का विद्युत उत्पादन में प्रवेश।

- केपीसीएल, बीएचईएल और आईएफसीआई के इक्विटी अंशदान वाले संयुक्त उद्यम, आरपीसीएल के येरामारस टीपीएस (2x800 मेगावाट) की पहली 800 मेगावाट यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के साथ, सह विकासकर्ता के रूप में विद्युत उत्पादन में प्रवेश।
- बीएचईएल की पहली 700 मेगावाट यूनिट ने बेल्लारी यूनिट 3 में वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया।
- एनएलसी की नेवेली यूनिट 2 में राष्ट्र का पहले और उच्च रेटिंग वाले 250 मेगावाट सीएफबीसी बॉयलर आधारित विद्युत संयंत्र का परीक्षण प्रचालन पूर्ण हुआ।
- भारत में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए यूटिलिटी सेटों की स्थापित क्षमता, कोयला आधारित 120,115 मेगावाट और हाइड्रो आधारित 20,199 मेगावाट उपकरणों सहित, 151,476 मेगावाट है।
- कोयला, गैस, डीजल, हाइड्रो और परमाणु सेटों (अक्षय ऊर्जा को छोड़कर; स्थापना के समय की रेटिंग पर आधारित) सहित देश की 279,613 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में 54% का अपना सर्वाधिक बड़ा अंश बनाए रखा।

संस्थापित क्षमता यूटिलिटी* 2,79,613 मेगावाट
31 मार्च, 2017 को

*कोयला, गैस एवं सीसीपी, डीजल, न्यूक्लियर एवं हाइड्रो
नोट:– अक्षय ऊर्जा को छोड़कर, संस्थापन के समय रेटिंग के आधार पर

- देश के थर्मल यूटिलिटी सेटों (कोयला आधारित) में कुल 945 बिलियन यूनिट का 58% योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों ने किया, जो बीएचईएल सेटों के सर्वोत्तम निष्पादन का प्रमाण है।

उत्पादन यूटिलिटी* (कोयला एवं लिगनाईट)
945 बिलियन यूनिट (2016 17)

वर्ष के दौरान चालू किए गए यूटिलिटी सेट

2016–17 में 19 यूटिलिटी सेट चालू किए गए। भारत में स्थापित 436 कोयला आधारित सेटों, 408 हाइड्रो यूटिलिटी सेटों और 102 गैस यूटिलिटी सेटों तक बीएचईएल के फुटप्रिंट का विस्तार, अनुभव और निष्पादन क्षमताओं का सूचक है।

660 मेगावाट सिंगरेनी पावर स्टेशन की यूनिट 2 ने फरवरी 2017 में 100% प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया

उपकरणों का निष्पादन

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों वाले विद्युत संयंत्र, संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ), प्रचालन उपलब्धता (ओए) और आउटेज के संबंध में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बीएचईएल सेटों के निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- 153 थर्मल सेटों ने 70% से अधिक पीएलएफ प्राप्त किया जिनमें से 18 थर्मल सेटों ने 90% से अधिक पीएलएफ तथा 60 थर्मल सेटों ने 80% और 90% के बीच पीएलएफ प्राप्त किया।
- थर्मल सेटों ने 86.7% की समग्र उपलब्धता दर्ज की। 222 थर्मल सेटों ने 90% से अधिक ओए दर्ज किया।
- 195 मेगावाट और अधिक के सेटों से उत्पादन (देश के विद्युत उत्पादन का आधार) 60.6% पीएलएफ और 87.3% के ओए के साथ 530,811 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया।

- बीएचईएल द्वारा चालू की गई पहली सुपरक्रिटिकल यूनिट बाढ़ यूनिट 4 (660 मेगावाट) ने 100 से अधिक दिनों का अबाधित प्रचालन किया।
- सिंगरेनी यूनिट 2 (660 मेगावाट) ने फरवरी 2017 में 100% प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया। सिंगरेनी पावर स्टेशन का औसत पीएलएफ फरवरी 2017 के दौरान 95% रहा।
- परमाणु सेटों ने 2016–17 में 90.6% ओए और 88.8% पीएलएफ प्राप्त किया।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम)

वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने 310 मेगावाट कोयला सेटों, 50 मेगावाट हाइड्रो सेटों और 7 ईएसपी सेटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और अप–रेटिंग का कार्य किया। इससे आरंभिक डिजाइन की गई क्षमता/ अप रेटेड क्षमता प्राप्त हुई, जो बीएचईएल की उत्पाद और सेवा उत्कृष्टता का प्रमाण है।

बीएचईएल द्वारा स्थापित बरौनी यूनिट 7 (110 मेगावाट) का आरएंडएम

उत्कृष्टता के लिए पहचान और सराहना

हमारे ग्राहकों ने चुनौतीपूर्ण हालातों में समय पर काम पूरा करने, उपस्करों के निष्पादन कार्य में सुधार और बिक्री पश्चात सेवा (एसएएस) के लिए बीएचईएल द्वारा किए गए प्रयासों की विभिन्न ग्राहकों द्वारा प्रशंसा की गई है। इस प्रकार प्राप्त पुरस्कार/सम्मान निम्नानुसार हैं:

- प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (पीपीजीसीएल) ने बारा यूनिट 3 (3x660 मेगावाट) में स्टीम ब्लोइंग कार्य 18 दिनों के रिकार्ड समय में पूरा करने के लिए बीएचईएल टीम की सराहना की।
- ईपीसी आधार पर बीएचईएल द्वारा निष्पादन के अधीन 350 मेगावाट येलाहांका गैस आधारित परियोजना ने कर्नाटक सरकार के फैक्टरी निरीक्षालय से सुरक्षा हेतु 'सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना' पुरस्कार जीता है।
- विजयवाड़ा (250 मेगावाट) यूनिट को काफी कम अवधि में सम्पूर्ण टर्बाइन को पूरा ओवरहॉल करने के बाद सफलतापूर्वक सेवा में लाने के लिए एपीजेन्को से प्रशंसा पत्र प्राप्त किया।
- ऊंचाहार टीपीएस की यूनिट 1 व 2 के लिए ईएसपी आरएंडएम कार्यों के सुरक्षित और सफल निष्पादन के लिए एनटीपीसी ने बीएचईएल की सराहना की।

350 मेगावाट येलाहांका गैस आधारित परियोजना ने कर्नाटक सरकार के फैक्टरी निरीक्षालय से सुरक्षा हेतु 'सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना' पुरस्कार जीता।

प्रगति के लिए तैयारी

बीएचईएल ने सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वयं को एक बाजार अग्रणी के तौर पर स्थापित किया है। बीएचईएल ने सरकार की 'मेक इन इंडिया' की पहल के अनुरूप, सुपरक्रिटिकल सेटों के स्वदेशी निर्माण की क्षमताओं का विकास किया है।

कंपनी अनुकूलित उत्सर्जन नियंत्रण समाधान प्रस्तुत करके, संशोधित उत्सर्जन मानकों से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। आगामी परियोजनाओं के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, बीएचईएल के पास पहले से प्रचालनरत विभिन्न सेटों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण समाधान प्रदान करने की क्षमता है।

कंपनी अपने विद्युत क्षेत्र पोर्टफोलियो में नए उत्पादों यानी जल प्रबंधन प्रणाली, एयर कूल्ड कंडेंसर, बीओपी प्रणाली, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण जैसे फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर), सेलेक्टिव नॉन–कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) इत्यादि को शामिल करके अपने प्रस्तावों का कार्यक्षेत्र बढ़ा रही है।

विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत पर अधिक फोकस के कारण, खास तौर पर इस तथ्य के मद्देनजर कि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी विकास के नवजात चरण में है, यह अनुमान लगाया जाता है कि ग्रिड की स्थिरता को कायम रखने के लिए थर्मल विद्युत संयंत्रों के नमनीय प्रचालन पर अधिक जोर दिया जाएगा। यह संगठन थर्मल संयंत्रों के लिए नमनीय प्रचालन प्रदान करने के आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

कंपनी प्रौद्योगिकी में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर कार्यकुशलताएं प्राप्त करने पर निरंतर फोकस कर रही है। भारत सरकार से अनुदान सहित एक विकास परियोजना (हाल में अनुमोदित) के तहत, कंपनी राष्ट्र के सर्वप्रथम उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित संयंत्र, जो एनटीपीसी और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना है के स्वदेशी विकास पर कार्य कर रही है। इस

प्रौद्योगिकी का विकास न केवल उच्चतर क्षमताएं प्राप्त करने में मदद करेगा अपितु कोयले की खपत के साथ ही CO_2 उत्सर्जन स्तरों में भी कमी करेगा।

बीएचईएल द्वारा स्थापित 5x30 मेगावाट महात्मा गांधी कल्वाकुर्ति लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तेलंगाना

जलविद्युत खंड में, बीएचईएल ने 400 मेगावाट तक हाइड्रो सेटों के निर्माण की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। सक्षम रनर प्रोफाइल का विकास एवं हाइड्रो टर्बाइन के भार में कमी इस क्षेत्र में बीएचईएल की वर्तमान सफलताओं में महत्वपूर्ण है। बीएचईएल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही लिफ्ट सिंचाई योजना में आवश्यक बड़े आकार के पम्प–मोटरों में भी एक प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरा है। बीएचईएल का जलविद्युत संयंत्रों में आरएंडएम एवं स्पेयर्स व्यवसाय में उदीयमान अवसरों का लाभ उठाने का भी लक्ष्य है।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उभरते अवसरों का दोहन करने के लिए, कंपनी स्वदेशीकरण और 'ईपीसी' आधार पर संपूर्ण 'टीजी द्वीप' को लेने पर फोकस के साथ परमाणु संयंत्रों में अपने प्रस्तावों में वृद्धि करने पर कार्यरत है। अपनी सबल निर्माण क्षमता के साथ, बीएचईएल विदेशी सहयोग और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के भाग रूप में दोनों तरह की आगामी परमाणु परियोजनाओं में अपने योगदान में वृद्धि करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। ●

उत्तर प्रदेश में बीएचईएल द्वारा चालू की गई 3x660 मेगावाट ललितपुर सुपरक्रिटिकल टीपीपी

बीएचईएल के इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रतिष्ठान

30.3.2017 तक चालू

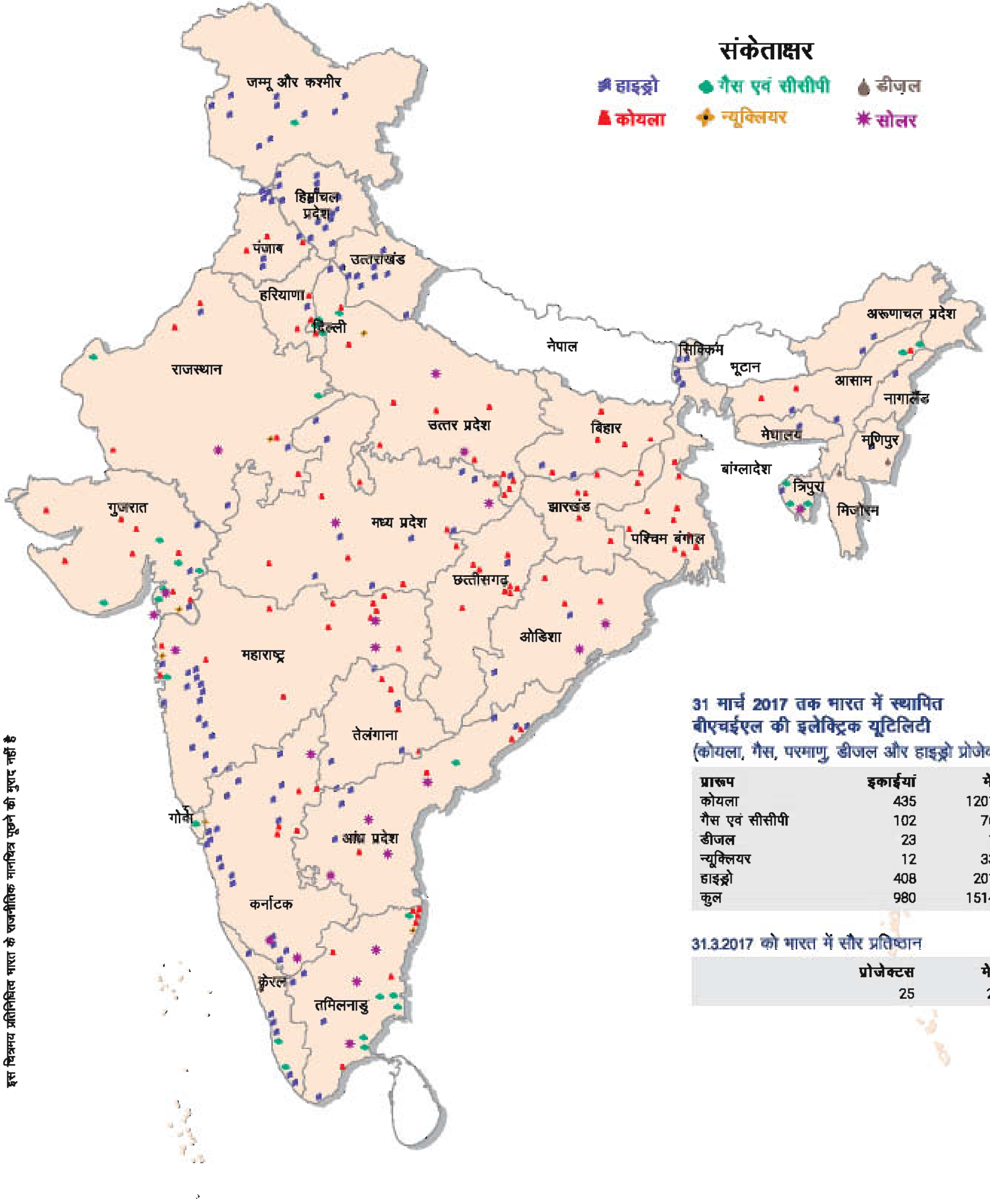

इस चित्रमय प्रतिनिधित्व भारत के राजनीतिक मानचित्र पूरे करने की मुराद नहीं है

31 मार्च 2017 तक भारत में स्थापित बीएचईएल की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी (कोयला, गैस, परमाणु, डीजल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स)

प्रारूप	इकाईयां	मेगावाट
कोयला	435	120115.00
गैस एवं सीसीपी	102	7622.38
डीजल	23	199.42
न्यूक्लियर	12	3340.00
हाइड्रो	408	20199.41
कुल	980	151476.21

31.3.2017 को भारत में सौर प्रतिष्ठान

प्रोजेक्ट्स	मेगावाट
25	220.00

1.2.2 उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र कैप्टिव विद्युत उत्पादन, पारेषण, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, रक्षा तथा अंतरिक्ष, औद्योगिक उत्पादों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है।

प्रणालियों और व्यक्तिगत उत्पादों की व्यापक श्रृंखला जैसे कोयला और गैस आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सह–उत्पादक और संयुक्त चक्र संयंत्रों सहित), औद्योगिक बॉयलर और सहायक उपकरणों, अपशिष्ट हीट रिकवरी बॉयलरों, गैस टरबाइन, हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर, स्टीम टरबाइन और सहायक उपकरणों, पंप, एचटी मोटर, सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर, ड्राइव टरबाइन, ऑयल रिग्स, वेलहेड और क्रिसमस ट्रीज, वाल्व, ट्रांसफॉर्मरों, रिएक्टरों, स्विचगियर, इंसुलेटरों, फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों, भूमि पर स्थित और छत पर सोलर पीवी संयंत्रों, पेय जल के लिए सोलर पीवी युक्त पंपों, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, उपग्रह अनुप्रयोग के लिए अंतरिक्ष ग्रेड की सोलर बैटरियों, जलशोधन संयंत्र, क्रायोजेनिक प्रणालियों, विद्युत इंजनों, इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन प्रणालियों, ई–मोबिलिटी, सुरक्षा बलों हेतु रणनीतिक उपकरणों के लिए डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति और सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

वर्ष के दौरान, बीएचईएल के उद्योग क्षेत्र ने विभिन्न उत्पादों के लिए ₹ 6,181 करोड़ मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए। इसमें पारेषण, सौर और रक्षा एवं अंतरिक्ष व्यवसाय समूहों में सर्वाधिक ऑर्डर बुकिंग शामिल है जिससे उद्योग क्षेत्र की कुल बुकिंग पिछले वर्ष से 21% अधिक हो गई है। क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में, वर्ष के दौरान 1,454 मेगावाट कैप्टिव पावर परियोजनाओं और 61.4 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाओं का सिंक्रोनाइज किया गया।

परिवहन

व्यावसायिक वातावरण एवं अवसर

रेलवे राष्ट्र की जीवनरेखा है। वर्तमान में, भारत में रेलवे अवसंरचना के 60% से अधिक मार्गों पर 100% उपयोग का बोझ है। 2017 के दौरान, भारतीय रेल का यात्री सुरक्षा, पूंजीगत और विकास कार्यों, स्वच्छता एवं अन्य परियोजनाओं के प्रति कुल पूंजीगत और विकास व्यय ₹ 1.31 लाख करोड़ रहा है। मुम्बई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कोरीडोर स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेल परिवहन में नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे 3-Φ आईजीबीटी आधारित पहलों को भी अपनाने जा रही है।

बढ़ते शहरीकरण के कारण, सरकार एक नई मेट्रो रेल नीति बना रही है और 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत, अब न्यूनतम 75% मेट्रो कारें और 25% महत्वपूर्ण पुर्जे स्वदेश में निर्मित किया जाना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 तक विद्युत वाहनों का बाजार बढ़कर 5–7 मिलियन यूनिट तक बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में शुरू की गई योजना भारत में हाइब्रिड और विद्युत वाहनों के तीव्रतर अंगीकरण और निर्माण (फेम–इंडिया) के माध्यम से इस क्षेत्र को सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

प्रस्ताव

- रोलिंग स्टॉक
  - 5000 एचपी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स
  - उद्योग एवं पावर प्लांट के लिए डीजल–इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव
- ट्रैक्शन मशीनें
  - ट्रैक्शन मोटर्स – लोको और इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिटों के लिए एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटर्स (गियर सहित)
  - ट्रैक्शन अल्टरनेटर्स – लोको और इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिटों के लिए
- ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम एंड कंट्रोल
  - एसी लोको और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों के लिए जीटीओ/आईजीबीटी आधारित ट्रैक्शन पावर कन्वर्टर सिस्टम। बीएचईएल ने भारतीय रेल द्वारा प्रचालन में 35: से अधिक आईजीबीटी आधारित विद्युत इंजनों के लिए आईजीबीटी प्रोपल्शन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर/ सहायक उपकरण कन्वर्टर/ वीसीयू) की आपूर्ति और स्थापना की।
  - विद्युत इंजनों, ईएमयू, डीईएमयू, डीईटीसी के लिए कंट्रोल गियर इक्विपमेंट
  - विद्युत इंजनों के लिए होटल लोड कन्वर्टर
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
  - ट्रांसफार्मर–विद्युत इंजन और ईएमयू के लिए सिंगल फेज और थ्री फेज

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

- परिवहन व्यवसाय में सीएलडब्ल्यू से निम्न के लिए उच्चतम मूल्य के ऑर्डर:
  - 128 नग 3 फेज ट्रैक्शन मोटर टाइप 6एफआरए6068
  - 118 सेट आईजीबीटी आधारित ट्रैक्शन कन्वर्टर
  - 32 सेट आईजीबीटी आधारित होटल लोड कन्वर्टर
- डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू) वाराणसी से 326 नग ट्रैक्शन मोटर टाइप आईएम4507 और 199 नग ट्रैक्शन अल्टरनेटर टीए 9901 के सर्वाधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त
- रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ) कपूरथला से एमईएमयू के लिए 94 सेट ट्रैक्शन उपकरण (ट्रैक्शन मोटर के बिना) के सर्वाधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त
- परिवहन व्यवसाय में पहले विकासपरक ऑर्डर निम्नलिखित ग्राहकों से प्राप्त हुए:
  - डीएलडब्ल्यू, वाराणसी से 4500 एचपी डीई लोकोमोटिव्स के लिए 10 सेट आईजीबीटी आधारित एसी–एसी ट्रैक्शन प्रणालियों के लिए
  - आईसीएफ, चेन्नई से 1600 एचपी डीईएमयू के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर सहित 2 सेट आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट कन्वर्टर और 3 फेज बो–बो डब्ल्यूएपी 5 लोकोमोटिव के लिए होटल लोड कन्वर्टर
  - डीएमडब्ल्यू, पटियाला से मल्टी जेन सेट 1600बीएचपी 2जीएस बीजी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए 2 नग ऊर्जा सक्षम प्रोपल्शन उपकरण के लिए

मुम्बई में बीएचईएल इलेक्ट्रिक से सज्जित एयर–कंडीशन एसी ईएमयू

अन्य उपलब्धियाँ:

- आईजीबीटी आधारित तीन फेज ड्राइव प्रोपल्शन प्रणाली वाले एयरकंडीशन्ड ईएमयू का स्थैतिक परीक्षण/दोलन परीक्षण आरडीएसओ की उपस्थिति में सफलतापूर्वक किया गया और गतिशील परीक्षण प्रगति पर है।

प्रगति के लिए तैयारी

- **सहयोगी एवं स्वदेशी विकास** – भारतीय रेलवे की जरूरतें पूरी करने के लिए वातानुकूलित एसी ईएमयू के टीसीएमएस सहित आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन प्रणाली का संयुक्त विकास किया गया। साथ ही डीई लोकोमोटिव और डीईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन उपकरण का स्वदेशी विकास किया जा रहा है। 3 फेज विद्युत लोकोमोटिव तथा मल्टी जेन सेट 1600 बीएचपी डीजल विद्युत लोकोमोटिव के लिए ऊर्जा सक्षम प्रोपल्शन उपकरण का कार्य बीएचईएल द्वारा किया जा रहा है। विद्युत गतिशीलता के लिए प्रोपल्शन प्रणाली, हमारे अनुसंधान एवं विकास केंद्र पर भी विकसित की जा रही है।
- **क्षमता योजना** – बीएचईएल रेलवे की जरूरतों को देखते हुए झांसी वर्क्स से आईजीबीटी आधारित डब्ल्यूएजी-9 लोकोमोटिव्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।
- **आगामी अवसर** – बीएचईएल ने 9000 एचपी विद्युत इंजनों और एमएजीएलईवी प्रणालियों के लिए प्रोपल्शन उपकरण सहित विभिन्न आगामी अवसरों के लिए ईओआई में भाग लिया। बीएचईएल मेट्रो खंड में प्रवेश के लिए भी स्वयं को तैयार कर रहा है।

बीएचईएल, भोपाल में विद्युत परिवहन केंद्र पर आईजीबीटी आधारित एसी ईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण

पारेषण

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

भारत सरकार की 2017–2022 की अवधि के दौरान 2,92,000 एमवीए की सबस्टेशन क्षमता बढ़ाने की योजना है। इससे भारतीय पारेषण और वितरण क्षेत्र में विशाल अवसरों की संभावनाएं हैं। 120 शहरों को स्मार्ट शहरों के तौर पर विकसित करने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख कारक होगी और इससे इस खंड में नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही मेक इन इंडिया जैसी पहलें विदेश के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही हैं और इससे भारत में पारेषण तथा वितरण बाजार में प्रगति को गति मिलेगी।

विद्युत उत्पादन के लिए भारत के संसाधन असमान रूप से स्थित हैं। इसलिए, देश में विद्युत उत्पादन के साथ भार को अनुकूल करने के लिए अंतरराज्यीय के साथ ही राज्य के अंदर विशाल पारेषण प्रणाली की आवश्यकता है। भारत ने वर्षों से विद्युत पारेषण प्रणाली का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। भारत सरकार के 'सबके लिए ऊर्जा' उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र, आईपीडीएस और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को मजबूत करने की सरकारी योजनाओं के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (टीबीसीबी) पर लम्बी दूरी तक विद्युत के बल्क पारेषण के लिए उच्च क्षमता के कोरीडोरों का नियोजन और निष्पादन किया जा रहा है।

साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक जोर सहित, पहले से स्थापित ग्रिड के साथ अक्षय ऊर्जा का समेकन एक चुनौती है। अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से समेकित करने की चुनौती के समाधान के लिए अनेक नई प्रौद्योगिकियों और विद्युत प्रणालियों जैसे प्रतिक्रियात्मक विद्युत क्षतिपूर्ति, एफएसीटीएस, ईएसएस और पम्प्ड स्टोरेज प्रणालियों इत्यादि का नियोजन और निष्पादन किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर प्राप्त होते हैं।

प्रस्ताव

- बीएचईएल ईपीसी आधार पर पारेषण परियोजनाओं का अवधारणा से लेकर चालू करने तक का दायित्व लेता है, जिसमें 33 केवी से लेकर 765 केवी तक के एआईएस और जीआईएस दोनों तरह के ईएचवी और यूएचवी सब-स्टेशनों/स्विचयार्ड, 1800 केवी तक के एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशन, एफएसीटीएस और विद्युत प्रणालियों का अध्ययन शामिल हैं।
- बीएचईएल द्वारा निर्मित उत्पादों में विद्युत ट्रांसफॉर्मर, उपकरण ट्रांसफॉर्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, शंट रिएक्टर्स, वैक्यूम और एसएफ6 स्विचगियर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, सेरेमिक और कंपोजिट इंसुलेटर इत्यादि शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे कैपिसिटर बैंक, सर्किट ब्रेकर, नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण और थाइरिस्टर वॉल्व भी बीएचईएल की निर्माण श्रृंखला में शामिल हैं।
- बीएचईएल ने स्वदेशी तौर पर 420 केवी तक के गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) और 765 केवी तक के ट्रांसफॉर्मर और शंट रिएक्टर स्वयं विकसित और बिक्री किए हैं। कंपनी ने काफी पहले 2012 में देश में पहले 1200 केवी के टेस्ट स्टेशन के लिए 1200 केवी सीवीटी और 1200 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर विकसित और उनकी आपूर्ति की। बीएचईएल ने 1200 केवी पारेषण लाइनों के लिए 420 केएन और 530 केएन डिस्क इंसुलेटर्स का विकास और परीक्षण किया। बीएचईएल के पास 1200 केवी एसी और 1800 केवी डीसी तक के ईएचवी और यूएचवी एसी/डीसी एप्लीकेशनों के लिए डिस्क इंसुलेटरों की

श्रृंखला, 400 केवी तक सॉलिड कोर इंसुलेटरों और 765 केवी एसी तक हॉलो पोर्सलेन इंसुलेटरों की श्रृंखला है।

765 केवी ग्रेटर नोएडा सब स्टेशन पर 500 एमवीए 765/400/33 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर

- बीएचईएल ने स्वदेशी तौर पर 400 केवी लाइनों के लिए एफएसीटीएस उपायों जैसे निश्चित श्रृंखला क्षतिपूर्ति और लंबी 400 केवी पारेषण लाइनों के गतिशील प्रतिक्रियात्मक विद्युत प्रबंधन के लिए नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) का प्रयोग कर योजनाओं का विकास और निष्पादन किया। बीएचईएल ने 400 केवी और 220 केवी प्रणालियों के बीच विद्युत प्रवाह के नियंत्रण और संतुलन के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (पीएसटी) का स्वदेशी तौर पर विकास और आपूर्ति की है। बीएचईएल 765 केवी तक के अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी पीएसटी समाधान प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- पावरग्रिड से पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालूर, तमिलनाडु) – उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक से संबद्ध ±800 केवी 6000 मेगावाट एचवीडीसी टर्मिनल
- राष्ट्रीय हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के लिए पावरग्रिड से दो प्रमुख ऑर्डर:
  - 400 केवी के 10 और 220 केवी के 3 बेज सहित 400 केवी तुमकूर पूलिंग स्टेशन (पावगडा) के विस्तार, 400/220 केवी मैसूर सब स्टेशन के विस्तार और 400/220 केवी तुमकूर (वसंतनरसापुर) के लिए सबस्टेशन पैकेज
  - 765/400 केवी भुज नया सब स्टेशन और 765 केवी बनासकांठा सबस्टेशन विस्तार (भाग 3)
- विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु में 765/400 केवी अरियालूर सबस्टेशन के लिए ऑर्डर प्राप्त। यह परियोजना 24 महीनों में पूरी की जानी है। उल्लेखनीय तौर पर यह टर्नकी परियोजना टैनट्रांसको द्वारा प्रदान किया गया सबसे अधिक मूल्य का ईएचवी एआईएस सबस्टेशन कार्य है।
- विभिन्न ग्राहकों से 100 से अधिक हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर (लगभग 13000 एमवीए) और 3400 से अधिक मीडियम वोल्टेज स्विचगियर।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- बीएचईएल विद्युत पारेषण खंड में एक प्रमुख कंपनी रही है। वर्ष के दौरान, 765 केवी और ±800 केवी वोल्टेज श्रेणी के उपकरणों के लिए विद्युत पारेषण उपकरण के निर्माण और आपूर्ति के अलावा, बीएचईएल ने 765 केवी के यूएचवी पारेषण खंड के ईपीसी समाधान में भी अपना स्थान सुरक्षित किया है।
  - पावरग्रिड की एनई–आगरा एचवीडीसी परियोजना का बाइपोल–1 सफलतापूर्वक चालू हो गया है और सितंबर 16 से प्रचालन में है।
- 2016–17 के दौरान बीएचईएल ने ओडिशा में 36 केवी के 2 जीआईएस सबस्टेशन चालू किए हैं।

बीएचईएल द्वारा टर्नकी आधार पर निष्पादित किए जा रहे विश्व के सबसे बड़े ±800 केवी, 6000 मेगावाट यूएचवीडीसी मल्टीटर्मिनल पूर्वोत्तर आगरा पारेषण लाइन के आगरा कन्वर्टर स्टेशन का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष

प्रगति के लिए तैयारी

यूएचवीएसी और यूएचवीडीसी प्रणालियां:

बीएचईएल ने 765केवी श्रेणी के ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों का सफलतापूर्वक डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और उन्हें चालू किया है और यूएचवीडीसी उपकरण (जैसे कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, थाइरिस्टर वाल्वों, फिल्टर कैपेसिटर्स आदि) के निर्माण सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। 1200 केवी ट्रांसफॉर्मर, सीवीटी, यूएचवी एसी और डीसी अनुप्रयोग के लिए 420 केएन और 530केएन डिस्क इन्सुलेटर भी सफलतापूर्वक चालू किए गए हैं और प्रचालन में हैं। वर्तमान में बीएचईएल विश्व की सबसे बड़ी ±800 केवी मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी परियोजना (पूर्वोत्तर से आगरा) का निष्पादन कर रहा है। बीएचईएल अब यूएचवीएसी और यूएचवीडीसी खंडों में आगामी बाजार जरूरतों का दोहन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस)

बीएचईएल ने स्वनिर्मित 420केवी 40 केए जीआईएस का पहला वाणिज्यिक ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा है और 420केवी जीआईएस का पहला वाणिज्यिक ऑर्डर प्राप्त किया है जो एनएचपीसी–चमेरा–1

एचईपी में निष्पादन के अधीन है। बीएचईएल अब 420केवी तक की आगामी जीआईएस जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। साथ ही बीएचईएल निर्मित 132/33 केवी जीआईएस हैदराबाद में टीएसट्रांसको की विठलवाडी साइट पर चालू होने के अधीन है।

एफएसीटीएस समाधान:

बीएचईएल ने एपीजेनको के कोठागुडेम टीपीएस पर फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर का विकास, आपूर्ति और चालू किया है। 400 केवी कंट्रोल शंट रिएक्टर, उद्योगों के अनुप्रयोगों के लिए पारेषण सुविधाप्रदाताओं और स्टेटकॉम्स के लिए अनेक नियत श्रृंखला क्षतिपूर्ति योजनाओं का विकास और आपूर्ति करने से, बीएचईएल अब विद्युत गुणवत्ता सुधार समाधानों के लिए आगामी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।

ईएसएस समाधान:

राष्ट्रीय ग्रिड से अक्षय ऊर्जा के अधिक से अधिक समेकन के साथ, बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण समाधान (ईएसएस) से मांग का अनुमान है। बीएचईएल इस खंड में अवसरों का दोहन करने के लिए तैयार है।

अक्षय ऊर्जा

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

भारत सरकार ने सन् 2022 तक 100 गीगावाट एसपीवी (सोलर फोटो-वोल्टेक) की संचयी क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसमें से 12,389 मेगावाट 31.03.2017 तक पहले ही स्थापित की जा चुकी है। 100 गीगावाट में से, अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों का अंश ग्रिड संयोजित सौर रूफटॉप्स और यूटिलिटी स्केल ग्रिडों के क्रमशः 40 गीगावाट और 20 गीगावाट के अंश के साथ 20 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट कर दिया गया है। आज सौर ऊर्जा भारत में तेजी से प्रगति कर रहा विद्युत उत्पादन खंड है। सोलर पीवी प्रणालियों के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के समेकन पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। निरंतर प्रौद्योगिकी सुधारों और घटते हुए मॉड्यूल मूल्यों से इस प्रगति को सहायता मिल रही है।

प्रस्ताव

- सोलर पीवी विद्युत संयंत्रों के अवधारणा से लेकर चालू करने तक ईपीसी समाधान:
  - बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) सहित और रहित ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां
  - एकल प्रणालियां
  - रूफ टॉप प्रणालियां
  - हाइब्रिड प्रणालियां
  - कैनाल टॉप प्रणालियां
  - फ्लोटिंग सोलर विद्युत संयंत्र
  - सोलर आधारित सिंचाई पम्प

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- वर्ष के दौरान कंपनी ने 176 मेगावाट के एसपीवी मॉड्यूल्स उपलब्ध कराते हुए देश की हरित पहलों में उल्लेखनीय योगदान किया है।

हैदराबाद, तेलंगाना में बीएचईएल द्वारा चालू किया गया 180केवी रूफटॉप सोलर पीवी संयंत्र

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- एनएलसी से 65 मेगावाट के सर्वाधिक बड़े एकल ऑर्डर सहित 131 मेगावाट के लिए एसपीवी विद्युत संयंत्र ऑर्डर
- बीएचईएल ने निम्न के सहित 7 मेगावाट के ऑर्डर प्राप्त करते हुए रूफ टॉप सोलर व्यवसाय मं अपनी उपस्थिति दर्ज की:
  - सूरत नगर निगम से 3.6 मेगावाट: इस परियोजना में सूरत स्मार्ट सिटी परियोजना भवनों में स्थापन सम्मिलित है।
  - भारतीय रेल के वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएएफ) से 2 मेगावाट: यह परियोजना पटियाला में भारतीय रेल के डीजल लोको आधुनिकीकरण संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति करेगी।
- गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड से सोलर पम्प: यह पेय जल योजनाओं में 10 वर्षों से अधिक समय बाद सोलर वाटर पम्पों में बीएचईएल का पुनः प्रवेश है। इस खंड में बीएचईएल का यह आज तक का सबसे अधिक मूल्य का ऑर्डर है।

कदीरी (अनंतपुर), आंध्र प्रदेश में बीएचईएल द्वारा चालू किया गया 50 मेगावाट सोलर विद्युत संयंत्र

चालू की गई परियोजनाएं

- 2016-17 के दौरान 61.4 मेगावाट एसपीवी संयंत्र चालू किए गए जिनमें शामिल हैं:

- चालू की गई सबसे बड़ी एकल परियोजनाः एनटीपीसी कदीरी अनंतपुर 50 मेगावाट एसपीवी
- एनआरईडीसीएपी भीमावरम, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला सीजनल टिल्ट कैनाल टॉप एसपीवी संयंत्र

प्रगति के लिए तैयारी

- अपनी सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता की क्रमशः 105 मेगावाट और 226 मेगावाट प्रति वर्ष तक वृद्धि
- इन-हाउस बीओएस का विकासः पीसीयू (630 केवीए, 12500 केवीए, पावर ट्रांसफॉर्मर्स,एससीएडीए, एचटी स्विचगियर पैनल

जल प्रबंधन

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

जल की दुर्लभता ने अनेक उद्योगों को जल की अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जल का पुनःचक्रण करने पर मजबूर कर रहा है। जल निपटान विनियमों और उच्चतर औद्योगिक टैरिफ से भी पुनःप्रयोग और प्रवाही उपचार संयंत्रों (ईटीपी) को बल मिलेगा। सरकार भी उपचारित जल की कमी को पूरा करने, जल और अपशिष्ट जल के लिए नीतियों के कार्यान्वयन, नदियों की सफाई (नमामि गंगे), शहरीकरण में तेजी (स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव) और औद्योगिक कॉरीडोरों के विकास पर भी जोर दे रही है।

प्रस्ताव

विभिन्न उपचार प्रौद्योगिकियों सहित विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक और नगर निगम अनुप्रयोगों के लिए संपूर्ण जल प्रबंधन समाधानों में शामिल हैं:

बेल्लारी एसटीपीएस, कर्नाटक में बीएचईएल द्वारा चालू पूर्व उपचार संयंत्र के लिए क्लेरिफिक्यूलेटर

- पूर्व शोधन संयंत्र (पीटी)
- समुद्र जल हेतु रिवर्स ऑस्मोसिस शोधन संयंत्र (एसडब्लूआरओ)
- खनिज शोधन संयंत्र (डीएम)
- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मेम्ब्रेन आधारित शोधन
- अपशिष्ट जल/प्रवाह उपचार संयंत्र (डब्लूडब्लूटीपी)/(ईटीपी)
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) सिस्टम

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- एनटीईसीएल वल्लूर टीपीएस से 57.6 एमएलडी अल्ट्राफिल्ट्रेशन पैकेज ऑर्डर प्राप्त किया।
- ओपल दहेज पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स, गुजरात में बीएचईएल द्वारा निष्पादित कच्चा जल शोधन संयंत्र के लिए सीईओ ओपल से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

बीएचईएल द्वारा ओपल दहेज में स्थापित 98 एमएलडी कच्चा जल शोधन संयंत्र

प्रगति के लिए तैयारी

बीएचईएल ने जल खंड को उच्च संभावित व्यवसाय क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया है और विद्युत, उद्योग और नगर निगम क्षेत्र के लिए व्यापक तौर पर जल खंड के व्यवसाय के लिए स्वयं को तैयार किया है। बीएचईएल नगर निगमों और भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम से व्यवसाय प्राप्त करने को तैयार है। नगर निगम खंड में जल और अपशिष्ट जल के उपचार की चिन्हित परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएचईएल चिन्हित महत्वपूर्ण उपकरण के इन हाउस विकास की संभावना भी तलाश रहा है।

रक्षा एवं अंतरिक्ष

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

"मेक इन इंडिया" पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य आत्म-निर्भरता, स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना और स्तरीय अर्थव्यवस्था हासिल करना तथा रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में निर्यात की क्षमताएं विकसित करना है। भारत सरकार स्वदेशी स्रोतों से रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा दे रही है और इसने स्वदेशी खरीद को आगामी दशक में मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा कारोबारी माहौल संक्षेप में निम्न प्रकार से है:

- रक्षा मंत्रालय द्वारा विशिष्ट प्रावधानों सहित रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)–2016 जारी की गई है जो घरेलू रक्षा उद्योग को प्रगति प्रोत्साहन प्रदान करेगी। रक्षा मंत्रालय रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप देने के लिए और कदम उठा रहा है।
- रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)–2016 में "दीर्घकालीन आधार पर क्षमता निर्माण हेतु सामरिक साझेदारी मॉडल" का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय साझेदारों के चयन और कार्यान्वियन के लिए रूपरेखा जारी करने जा रहा है।
- रक्षा प्रौद्योगिकी का नियंत्रण करने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के साथ, भारतीय मिसाइल, अंतरिक्ष और यूएवी कार्यक्रम प्रगति के लिए तत्पर हैं।

प्रस्ताव

बीएचईएल पिछले 20 वर्षों से भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बलों को सामरिक उपकरणों और सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरा है। भारतीय रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएचईएल ने व्यापक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विशेष इंजीनियरिंग और विनिर्माण संयंत्र शामिल हैं। बीएचईएल द्वारा बनाए जा रहे प्रमुख उत्पादों में सुपर रैपिड गन माउंट, नौसेना प्लेटफॉर्म के लिए सामरिक उपकरण, नौसेना पोतों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली, थर्मो–प्रेस्ड कंपोनेंट्स, टी72 टैंकों के लिए टयूरेट कास्टिंग्स, पोतों के लिए सिमुलेटर और कास्टिंग शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, बीएचईएल इसरो के उपग्रहों के लिए सोलर पैनलों और बैटरियों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है। बीएचईएल ने विभिन्न क्षमताओं के उच्च क्षमता के सोलर सेलों और अंतरिक्ष ग्रेड की बैटरियों का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष ग्रेड सोलर पैनलों की असेम्बली और परीक्षण के लिए आधुनिकतम सुविधाएं स्थापित की हैं।

बीएचईएल सैनिक एयरक्राफ्ट के लिए हीट एक्सचेंजर का डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता वाली विश्वव्यापी कुछ चुनिंदा फर्मों में से एक है। हमने स्वदेशी लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए)–'तेजस' के लिए 11 प्रकार के कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सफलतापूर्वक विकसित किए हैं। तेजस के मौजूदा और आगामी बेड़े में 7 प्रकार के कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। बीएचईएल अन्य एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्मों के लिए भी अपने प्रस्तावों का विस्तार कर रहा है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- **बीएचईएल का गौरव:** भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई (कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विनाशक के तीसरा पोत और सबसे बड़ा विनाशक, 21/11/16 को चालू किया गया) पर फिट बेहद विशिष्ट और उल्लेखनीय सैन्य उपकरण, 76/62 एमएम सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) और सहायक नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति बीएचईएल द्वारा की गई है। बीएचईएल ने भारतीय नौसेना को 36 एसआरजीएम की आपूर्ति की है जो विभिन्न नौसेना पोतों पर लगाए गए हैं।

बीएचईएल, हरिद्वार में भारतीय नौसेना के पोतों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) असेम्बली के अधीन

- बीएचईएल ने दिल्ली श्रेणी के पोतों के लिए 3 नग एसआरजीएम के लिए ऑर्डर प्राप्त किए।
- कोचीन शिपयार्ड में बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) विक्रांत के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति की है।

प्रगति के लिए तैयारी

बीएचईएल 'रक्षा और अंतरिक्ष' को संभावित प्रगति वाहक के तौर पर स्वीकार करता है और इसने रक्षा और अंतरिक्ष में बीएचईएल के उत्पाद भंडार का विस्तार और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति बीएचईएल के प्रभावीपन में वृद्धि करने के लिए उभरते अवसरों का दोहन करने के लिए एक समर्पित व्यवसाय समूह निर्मित किया है। बीएचईएल स्वदेशी उपकरण, प्लेटफॉर्म, प्रणालियों और उप–प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ उभरते अवसरों का दोहन करने और नागरिक/सैनिक विमानन और संबद्ध क्षेत्रों के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बीएचईएल सामरिक उपकरणों और विमानन व्युत्पन्नों के क्षेत्रों में उत्पादों/प्रणालियों के संयुक्त विकास के लिए डीआरडीओ के साथ सहयोग कर रहा है।

उत्पाद रूपरेखा के विस्तार के लिए:

- बीएचईएल नौसेना व्यवसाय की तैरना, बढ़ना और लड़ना श्रेणियों के सभी तीनों क्षेत्रों में पहलें कर रहा है।
  - मौजूदा 76/62 एसआरजीएम के अलावा, अपने नौसेना गन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।
  - बीएचईएल, भारतीय नौसेना पोतों पर प्रोपल्शन और पावर के लिए समुद्री गैस टर्बाइन का स्वदेशी निर्माण कर रहा है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसाय विस्तार के लिए इसरो और एयरक्राफ्ट निर्माताओं से विचार–विमर्श

कैप्टिव विद्युत संयंत्र

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

इस वर्ष में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए काफी कम मांग दिखाई दी। हालांकि देर से सही राज्य की रिफाइनरियों द्वारा विस्तार

योजनाओं, उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार और नई इस्पात नीति की घोषणा जिसमें सन 2030 तक क्षेत्र में यथेष्ट निवेश का अनुमान है, के मद्देनजर कैप्टिव विद्युत संयंत्र की मांग में धीमा पुनरुद्धार दिख रहा है। बुनियादी सुविधा क्षेत्र में प्रगति से मांग फिर से प्रेरित होगी।

प्रस्ताव

- स्टीम टरबाइन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - एसटीजी/बॉयलर/बीटीजी/ईपीसी – 200 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग
  - 120 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक नॉन–रीहीट
  - 200 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक रीहीट
- गैस टरबाइन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - जीटीजी / एचआरएसजी / ईपीसी – एफआर–5 (26 मेगावाट) से एफआर–9ई (126 मेगावाट)
  - खुला, पक्का और संयुक्त चक्र

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- 2016–17 में जुड़े दो नए ग्राहक यानी
  - मै. आरएफसीएल से 1xएफआर6 जीटीजी + 1x125 टीपीएच एचआरएसजी + 1x85 टीपीएच यूटिलिटी बॉयलर
  - मै. ओडिशा मैटेलिक्स लिमिटेड से 1x45 मेगावाट एसटीजी

चालू की गई प्रमुख परियोजनाएं

- हिंडाल्को – महान एल्यूमिनियम यूनिट–6 (150 मेगावाट)
- हिंडाल्को – आदित्य एल्यूमिनियम यूनिट–6 (150 मेगावाट)

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड–आदित्य एल्यूमिनियम की यूनिट–6 (150 मेगावाट) बीएचईएल द्वारा चालू की गई

- आईपीसी(एच)एल, हल्दिया, यूनिट–1 (150 मेगावाट)
- आईओसीएल, पारादीप रिफाइनरी जीटीजी–3 (102 मेगावाट)
- आरयूपीपीएल, हजीरा यूनिट–2, यूनिट–3 और यूनिट–4 (प्रत्येक 93.1 मेगावाट)
- आरयूपीपीएल, दहेज, यूनिट– 2 व 3 (प्रत्येक 90.3 मेगावाट)

प्रगति के लिए तैयारी

हाल के वर्षों में जहां सीपीपी खंड में मांग में गिरावट देखी गई है, वहीं निगम ठोस अपशिष्ट आधारित डब्ल्यूटीई संयंत्रों और धुलाई अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों आदि में नए व्यवसाय अवसरों की तलाश की जा रही है।

औद्योगिक उत्पाद

(तेल एवं गैस तथा विद्युत मशीनों सहित)

व्यवसाय माहौल एवं अवसर

- तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया (एमआईआइ) अभियान के अनुरूप, सरकार ने भारत में तेल एवं गैस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वस्तुओं और सेवाओं में स्थानीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकारी स्वामित्व की तेल और गैस कंपनियों द्वारा की गई खरीदों में घरेलू निर्माताओं को वरीयता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2017 में खरीद अधिमान स्थानीय वस्तु (पीपी–एलसी) नीति का अनुमोदन किया। इससे आने वाले वर्षों अपस्ट्रीम में तेल फील्ड उपकरण और डाउनस्ट्रीम में कम्प्रेसरों के लिए व्यवसाय संभावनाओं में वृद्धि होगी।

- 1 अप्रैल, 2020 तक देश भर में बीएस–IV मानदंडों के कार्यान्वयन के भारत सरकार के लक्ष्य के तहत, 1 अप्रैल, 2020 से बीएस–IV मानदंड के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी रिफाइनरियों में गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाएं समय पर पूरी किया जाना आवश्यक है। रिफाइनरियों को बीएस–IV मानदंडों में उन्नत किए जाने से आगामी वर्षों में कंप्रेसरों, फायर्ड हीटरों, कॉलमों और एयर सेपरेशन यूनिटों इत्यादि के लिए अच्छा व्यवसाय मिलने की संभावना है। उन्नयन परियोजनाओं के अतिरिक्त, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा सन 2022 तक लगभग 60 एमएमटीपीए की विस्तार परियोजनाएं और 60 एमएमटीपीए की प्रस्तावित मेगा रिफाइनरी कंप्रेसरों, फायर्ड हीटरों, कॉलमों और एयर सेपरेशन यूनिटों इत्यादि के लिए व्यवसाय बढ़ायेंगे।

- हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) ने उर्वरक यूनिटों यथा एफसीआई सिंदरी, गोरखपुर और एचएफसीएल बरौनी के पुनरुद्धार का निष्पादन करने का काम सौंपा। मई 2017 में घोषित नई राष्ट्रीय इस्पात नीति में कच्चे इस्पात की क्षमता को सन 2030–31 तक मौजूदा 122 एमटीपीए से बढ़ाकर 300 एमटीपीए तक करने की कल्पना की गई है। इन नीतियों के कार्यान्वयन से आगामी वर्षों में उपयुक्त ड्राइवों सहित कम्प्रेसरों और एयर सेपरेशन यूनिटों के लिए व्यवसाय अवसर पैदा होंगे।

- बाजार में मंदी की हालत के कारण, कंपनी के एचटी मशीन व्यवसाय को विद्युत, रिफाइनरी और सीमेंट के अपने परंपरागत बाजारों में सीमित अवसर प्राप्त हुए। तथापि सिंचाई क्षेत्र में संभावना देखी गई जहां एचटी मशीनों की जरूरत बढ़ रही है।

प्रस्ताव

- **ऑयल रिग्स** – 9000 मी गहराई तक खुदाई के लिए एसी–वीएफडी और एसी–एससीआर प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न ऑन–शोर ड्रिलिंग रिग्स, 6,100 मी. गहराई तक सर्विसिंग के लिए वर्क–ओवर रिग्स, 3,000 मी. गहराई तक खुदाई के लिए मोबाइल रिग्स। संपूर्ण रिग पैकेज के अतिरिक्त, बीएचईएल ऑन–शोर ड्रिलिंग रिग यांत्रिक और विद्युत उपकरण जैसे ड्रॉ वर्क, मास्ट और सब स्ट्रक्चर, एसी और डीसी पीसीआर मोटर्स, आदि की भी आपूर्ति करता है। पुराने ऑयल रिग्ज का नवीकरण और उन्नयन भी बीएचईएल द्वारा किया जाता है।

- **वैलहैड्स एवं क्रिसमस ट्रीज** – 10,000 पीएसआई तक मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वैलहैड्स, डीएसपीएम एच–मैनिफोल्ड एसेम्बली, मड वाल्व, ईएसपी हैंगर, केसिंग हैड्स के लिए ब्लॉक टाइप क्रिसमस ट्रीज और लैंडिंग बेस

- **कंप्रेसर्स** – एपीआई 617 के अनुसार उर्वरकों, रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइनों, गैस प्रोसेसिंग, इस्पात उद्योगों इत्यादि में प्रयोग हेतु विभिन्न प्रकार के मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स का विनिर्माण और आपूर्ति। बीएचईएल के पास सभी प्रकार के प्रौसेस गैसों के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स का उत्पादन करने की क्षमता है।

हैदराबाद में बीएचईएल कार्यशाला में असेम्बली के अधीन सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर

- **यांत्रिक पैकेज** – इनमें एयर सेपरेशन यूनिट, क्रायोजेनिक सिस्टम, कॉलम और रिएक्टर, प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर, फायर्ड हीटर्स और पर्ज गैस रिकवरी यूनिट जैसे फैब्रिकेटेड उपकरण शामिल हैं।

- **विद्युत मशीनें** – सुरक्षित और खतरनाक क्षेत्रों के अनुप्रयोग के लिए एसी स्क्विरेल केज, स्लिप रिंग, सिंक्रोनस मोटर (415 वी से 13,800 वी, 50 एचजेड एवं 60 एचजेड फ्रीक्वेंसी, 20000 केडब्ल्यू तक; टीईटीवी/टीईएफसी/सीएसीडब्ल्यू/सीएसीए/एसपीडीपी संलग्नक), वेरिएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटर्स (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित – 1,500 केवीए से 25,000 केवीए तक) और विशिष्ट उपयोगी मशीनें।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

- आईओसीएल से 5.5 एमएम टरबाइन चालित रिसाइकल गैस कंप्रेसर, 4.6 मेगावाट, 3 मेगावाट व 2.5 मेगावाट मोटर चालित रिसाइकल गैस कंप्रेसर और 4 मेगावाट मोटर चालित कोकर गैस कंप्रेसर; बीओआरएल, बीना से 2.4 मेगावाट मोटर चालित वेट गैस और एलएंडटी से 3.5 मेगावाट टरबाइन चालित वेट गैस कंप्रेसर

- आईओसीएल हल्दिया में ऐश्वर्या परियोजना के लिए 4.31, 4.87 और 14.61 मेगावाट केसीएएल/घंटा क्षमता के 3 नग फायर्ड हीटर्स

- विभिन्न ओएनजीसी परिसंपत्तियों से 584 वेलहेड्स और 313 क्रिसमस ट्री

- केबीएल से येत्तिनहोले लिफ्ट सिंचाई योजना–2 के लिए उद्दीपन प्रणाली सहित 7 नग 11.65 मेगावाट, 11केवी 12 पोल वर्टिकल सिंक्रोनस मोटर्स

- एमईआईएल से पुरुषोत्तपटनम लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए उद्दीपन प्रणाली सहित 18 नग 4700–5200 केडब्ल्यू, 11केवी 16 पोल वर्टिकल सिंक्रोनस मोटर्स

चालू की गई परियोजनाएं

- बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी में ड्राइव टरबाइन सहित 2 कंप्रेसर (वीजीओ और डीएचडीटी)

प्रगति के लिए तैयारी

बीएचईएल सिंचाई क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिसमें लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए मोटरों की जरूरतें बढ़ रही हैं। बीएचईएल ऑफशोर एवं वाटर ड्रिलिंग रिग उपकरणों के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है।

कल के
बीएचईएल
BHEL
का निर्माण

1.2.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन

वैश्विक आर्थिक माहौल

उत्साहजनक वित्तीय बाजारों और निर्माण एवं व्यापार में चिर प्रतीक्षित चक्रीय वापसी के चलते, विश्व की प्रगति 2016 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत और 2018 में 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। तथापि, संरक्षणवाद और शून्य–संचय नीति दृष्टिकोण के प्रति झुकाव ऐसे उभरते खतरे हैं जो अधिक सामान्य तौर पर बहुपक्षीय सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को कमजोर कर सकते हैं।

उभरती अर्थव्यवस्थाएं, खास तौर पर, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पड़ोसी देशों के बीएचईएल लक्ष्य बाजारों के भविष्य के प्रगति केन्द्र बनने की संभावना है और यह आने वाले वर्षों में बीएचईएल की निर्यात प्रगति में मुख्य अंश का योगदान करेगा।

निर्यातों में हमारे अनुभव

बीएचईएल ने विश्व भर में 82 देशों में पदचिन्हों सहित स्वयं को एक वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है। सत्तर के आरंभिक दशक में मलेशिया के लिए पहले निर्यात ऑर्डर से अपनी यात्रा आरंभ करते हुए, कंपनी साल दर साल अपने संदर्भों का विस्तार करती रही है। इन संदर्भों में ईपीसी आधार पर विद्युत परियोजनाएं (थर्मल, जल और गैस) पूरी करना, टरबाइनों, जनरेटरों, बॉयलरों, डीजी सेटों, नियंत्रण उपकरणों, ट्रांसफॉर्मरों, कैपेसिटरों, बुशिंग्स, इन्सुलेटरों, स्विचगियरों, सोलर मॉड्यूलों, मोटरों, वेलहेड्स, कास्टिंग्स, वाल्व, लोकोमोटिव्स, आदि सहित उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के साथ सबस्टेशन और पुनर्वास परियोजनाएं सम्मिलित हैं। कंपनी स्पेयर्स और सर्विसेज के रूप में अपने विदेशी ग्राहकों को बिक्री बाद सहयोग भी प्रदान करती रही है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों सहित विदेशी विद्युत संयंत्रों की संचयी स्थापित क्षमता 11 गीगावाट के आसपास है।

प्राप्त आर्डर

वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित विदेशी आर्डर प्राप्त किए हैं:

- **सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर:** बीएचईएल ने एनटीपीसी, भारत और बीपीडीपी, बांग्लादेश की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी, बांग्लादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी (प्रा.) लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) से टर्नकी आधार पर बांग्लादेश में 2x660 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अपना सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया। बीएचईएल सख्त पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक एफजीडी संयंत्र और ड्राइ ऐश प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित करेगा।

भारत में निर्माण, विश्व के लिए

82 देशों में स्थापित उपस्थिति

अफ्रीका
अल्जीरिया
बेनिन
कॉमरोस
कांगो
डीआर
इजिप्ट
इथियोपिया
घाना
केन्या
लीबिया
मलावी
मॉरीशस
मोजाम्बिक
नाइजीरिया
रवांडा
सेनेगल
दक्षिण अफ्रीका
सूडान
स्वाजीलैंड
तंजानिया
टोगो
युगांडा
जाम्बिया
जिम्बाब्वे

एशिया
अफगानिस्तान
अजरबैजान
बांग्लादेश
भूटान
चीन
हांगकांग
इंडोनेशिया
ईरान
इराक
जापान
जोर्डन
कजाखस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यांमार
नेपाल
ओमान
फिलीपीन्स
सऊदी
अरब
सिंगापुर
श्री लंका
सीरिया
ताइवान
ताजिकिस्तान
थाईलैंड
संयुक्त अरब अमीरात
वियतनाम
यमन

यूरोप
बेलारूस
बेल्जियम
बुल्गारिया
साइप्रस
एस्टोनिया
फिनलैंड
फ्रांस
जॉर्जिया
जर्मनी
ग्रीस
आयरलैंड
इटली
माल्टा
पोलैंड
रोमानिया
रूस
स्वीडन
स्विटजरलैंड
तुर्की
यूक्रेन
ब्रिटेन

उत्तरी अमेरिका
कनाडा
ट्रिनीडाड एंड टोबैगो
संयुक्त राज्य अमेरिका

ओसिएनिया
ऑस्ट्रेलिया
न्यू कैलेडोनिया
न्यूजीलैंड
समोआ

दक्षिणी अमेरिका
चिली
सूरीनाम

- 4 नए देशों में प्रवेशः **बेनिन और टोगो** – स्कैनसेम इंटरनेशनल, नार्वे से मोटरों के लिए पहला ऑर्डर; **चिली** – निकेल इलेक्ट्रिक लिमिटेड से ट्रांसफॉर्मर बुशिंग; **एस्टोनिया** – स्कैनफिल ओय वाना सॉगा से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स

- नए बाजार खंड में प्रवेशः अमेरिका से मोटरों के लिए पहला ऑर्डर

- बीएचईएल में अपना विश्वास दोहराते हुए, मोम्बासा सीमेंट लिमिटेड, केन्या ने बीएचईएल को 1 नग 750 केडब्ल्यू मोटर और 280 केडब्ल्यू मोटर के लिए स्लिप रिंग्स की आपूर्ति का दूसरा ऑर्डर दिया है। पिछले पांच वर्षों में मोम्बासा सीमेंट लि. से मोटरों के लिए यह 7वां ऑर्डर है। साथ ही, अकीज सीमेंट कंपनी, बांग्लादेश से मोटर (1500 केडब्ल्यू एचटी मोटर) के लिए एक अन्य ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

- दीर्घकालीन संबंधों की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, बीएचईएल ने बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक, कजाकस्तान, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेनेगल, श्री लंका, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम में ग्राहकों से स्पेयर्स और सर्विसेज के लिए ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

विदेशों में परियोजनाओं का निष्पादन

- **अफगान–भारत मैत्री बांध – भारत के माननीय प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के माननीय राष्ट्रपति द्वारा चालू और उद्घाटन किया गया**

सलमा एचईपी परियोजना, अफगानिस्तान में कंपनी के योगदान के लिए सुश्री उमा भारती, माननीया केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री की उपस्थिति में, श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीया केन्द्रीय विदेश मंत्री से प्रशंसा शील्ड प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल

सुरक्षा चिंताओं और कठिन लॉजिस्टिक बाधाओं के बावजूद, बीएचईएल ने प्रतिष्ठित 3x14 मेगावाट सलमा जलविद्युत परियोजना की सभी तीनों यूनिटों को सफलतापूर्वक चालू किया।

खांडा में 2x14 मेगावाट न्याबारोंगो जल विद्युत परियोजना, बीएचईएल द्वारा चालू की गई

- **इंडोनेशिया थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट चालू की गई** – वर्ष के दौरान 3x18 मेगावाट पीटी सीकेपी परियोजना की पहली दो यूनिटें सफलतापूर्वक चालू की गई।

इंडोनेशिया में 3x18 मेगावाट पीटी सीकेपी परियोजना की पहली दो यूनिटें बीएचईएल द्वारा चालू की गई।

पुरस्कार एवं प्रशंसा

- **ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार (वर्ष 2015–16 और 2014–15 के लिए)**

  लगातार 27वें वर्ष में, देश के निर्यातों में बीएचईएल के योगदान को, वर्ष 2015–16 के साथ ही वर्ष 2014–15 के लिए 'स्टार परफॉर्मर – परियोजना निर्यात' के तौर पर मान्यता दी गई है।

- **3x14 मेगावाट सलमा एचईपी, अफगानिस्तान में अनुकरणीय योगदान की प्रशंसा**

  परियोजना में कंपनी के योगदान के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को माननीया केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रशंसा शील्ड प्रदान की गई।

प्रगति के लिए तैयारी

अपनी निर्यात कार्यनीतियों को वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए बीएचईएल निरंतर प्रयास कर रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, घटते सुपुर्दगी चक्रों और कठोर मूल्यों के मध्य, बीएचईएल अपने वैश्विक पदचिन्हों में वृद्धि करने के लिए बाजार प्रवेश और बाजार विस्तार की दो–धारी कार्यनीति अपना रहा है। इस दिशा में हमारी प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- कोर क्षेत्रों में कंपनी को स्थापित करने के लिए चिन्हित बाजारों में विशिष्ट खांडों पर ध्यान केंद्रित करना
- बाजार चालित जरूरतों के प्रति झुकाव वाले कार्यक्षेत्र विस्तार सहित नवीकरणीय क्षेत्र पर अधिक फोकस
- बिक्री बाद सेवा खांडों और खुले उत्पाद बाजारों पर जोर और हर समय त्वरित सहयोग सुनिश्चित करने के लिए हमारे ग्राहको तक दर्शनीयता और पहुंच को बढ़ाना

बीएचईएल द्वारा ईपीसी आधार पर चालू की गई 4×125 मेगावाट कोस्टी टीपीएस, सूडान

1.3 कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

1.3.1 एकल वित्तीय परिणाम

कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 2016–17 से भारत में आरंभ और अधिसूचित किए गए इंड एएस का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। 2016–17 के वित्तीय विवरण 2015–16 के तुलनात्मक वित्तीय विवरणों और 01.04.2015 को पहली बार आरंभ इंड एएस पारगमन तुलन–पत्र के साथ इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.3.1.1 तुलन पत्र

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
मूर्त परिसंपत्तियां–सकल ब्लॉक	5174	4711
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	1683	886
निवल ब्लॉक	3491	3825

कंपनी ने इंड एएस 101 (इंड एएस के पहली बार प्रयोग) के अंतर्गत उपलब्ध छूट का विकल्प चुना है और तदनुसार आईजीएएपी के अंतर्गत पहले सूचित ₹ 3,980 करोड़ के अग्रेषित मूल्य (निवल ब्लॉक) को मानित लागत के तौर पर मान्य किया गया है और इंड एएस के अनुसार 01.04.2015 को सकल ब्लॉक माना गया है जिसे बाद के वर्षों में अग्रेषित किया गया है।

कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कार्यशील पूंजी	160	310

कार्यशील पूंजी में कमी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकरण के कारण है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
अमूर्त परिसंपत्तियां (निवल ब्लॉक)	105	137
प्रगति के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	9	9

कंपनी ने इंड एएस 101 (इंड एएस के पहली बार प्रयोग) के अंतर्गत उपलब्ध छूट का विकल्प चुना है और तदनुसार आईजीएएपी के अंतर्गत पहले सूचित ₹ 158 करोड़ के अग्रेषित मूल्य (निवल ब्लॉक) को मानित लागत के तौर पर मान्य किया गया है और इंड एएस के अनुसार 01.04.2015 को सकल ब्लॉक माना गया है जिसे बाद के वर्षों में अग्रेषित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां–निवेश (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
इक्विटी माध्यमों में निवेश	4	7
संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी में भागीदारी	657	657
	661	664

इक्विटी माध्यमों निवेशों का लेखांकन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर और परिवर्तन उचित मूल्य मापन के कारण हैं। वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी में कोई निवेश नहीं किया गया।

वित्तीय परिसंपत्तियां–व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
व्यापार प्राप्य	15072	27439	42511	15503	27239	42742
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4892	5148	10040	3947	4618	8565
घटाएं: स्वत मूल्य कमी समायोजन	392	215	607	429	191	620
	9788	22076	31864	11127	22430	33557

व्यापार प्राप्यों (निवल) में निरपेक्ष अवधि में ₹ 1,693 करोड़ और दिनों की अवधि में 470 दिन से 403 दिन की कमी हुई। इसे आगे कायम रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान इंड एएस के अनुसार किए गए हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
ऋण	78	139	217	66	177	243

ऋणों में मुख्य रूप से प्रचालन जरूरतों के लिए प्रतिभूत जमाराशि दर्शाई गई हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
अन्य	0	217	217	1	158	159

वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य बैंक जमाराशी और निवेशों पर उद्भूत ब्याज की प्रकृति में हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां–नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष (चालू)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
नकदी और नकदी समतुल्य	1490	1966
3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम परिपक्वता अवधि की जमाराशियां	9002	8120
	10492	10086

नकदी और बैंक शेष में वृद्धि प्रचालन दक्षता और उचित नकदी प्रबंधन को दर्शाती है। 2016–17 के दौरान ₹ 1,820 करोड़ की सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ की देयता के वित्तपोषण के बावजूद इसे हासिल किया गया।

अस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3841	3659

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) व्यय की मदों के प्रभाव को दर्शाता है जो समय अंतराल के रूप में और मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों/अन्य और सांविधिक देय के लिए प्रावधान के कारण है।

अन्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चाल	कुल
अन्य परिसंपत्तियां	203	1725	1928	240	2090	2330

अन्य परिसंपत्तियों में प्रचालन जरूरतों के लिए अग्रिम और प्रतिभूति जमाराशियां दर्शाई गई हैं।

मालसूची

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
मालसूची	7372	9602

टर्नओवर से दिनों के संबंध में मालसूची के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2016–17 के दौरान यह 135 दिन से घटकर 93 दिन रह गई है।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल प्रावधान)	873	583

इसमें स्रोत पर काटा गया कर और अग्रिम कर (कर के लिए निवल प्रावधान) दर्शाया गया है।

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
अधिकृत शेयर पूंजी	2000	2000
निर्गत, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी	490	490

2016–17 के दौरान सरकार की शेयरधारिता 63.06% के समान स्तर पर बनी रही।

अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
आरंभिक शेष	31692	32660
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	467	(786)
घटाएंः लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	294	152
घटाएंः कॉर्पोरेट लाभांश कर	60	31
अंतिम शेष	31805	31692

2016–17 के दौरान अन्य इक्विटी में ₹ 113 करोड़ की वृद्धि वर्ष के लाभ और लाभांश के समायोजन के कारण है। लाभांश में पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश और चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश और वर्ष के दौरान उस पर भुगतान किया गया लाभांश कर दर्शाया गया है।

भा.ले.मा. समायोजनों के पारगमन प्रभाव से 01.04.2015 को धारित अर्जन (अन्य इक्विटी) में ₹ 934.90 करोड़ (आईजीएएपी के अंतर्गत पहले सूचित ₹ 33,595.08 करोड़ से भा.ले.मा. के अंतर्गत ₹ 32,660.18 करोड़) की कमी हुई है। साथ ही, भा.ले.मा. के अनुसार समायोजनों के कारण आईजीएएपी के अंतर्गत पहले सूचित 2015–16 के लिए ₹ 913.42 करोड़ की हानि ₹ 127.44 करोड़ घटकर ₹ 785.98 करोड़ रह गई। समाधान और स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में दिए गए हैं।

वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
वित्तीय लीज देयताओं की परिपक्वताएं	90	64	154	126	82	208
व्यापारिक देय	631	8709	9340	746	8698	9444
अन्य वित्तीय देयताएं	105	1467	1572	124	1562	1686
	826	10240	11066	996	10342	11338

वित्तीय देयताओं में कमी प्रचालन दक्षता के अनुरूप है।

प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
संविदात्मक दायित्व हेतु प्रावधान	3244	1984	5228	4177	1630	5807
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	1520	1490	3010	2989	587	3576
अन्य प्रावधान	218	683	901	425	1063	1488
सीएसआर हेतु प्रावधान	19	35	54	33	56	89
	5001	4192	9193	7624	3336	10960

2016–17 के दौरान कुल प्रावधानों में ₹ 1,767 करोड़ की कमी मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों पर ₹ 1,820 करोड़, संविदात्मक दायित्व (निवल) पर ₹ 579 करोड़, अन्य प्रावधानों पर ₹ 587 करोड़ के वित्तपोषण के कारण है जिसे चालू प्रावधानों में दर्शाए गए कर्मचारी लाभ हेतु वर्ष के दौरान सृजित मजदूरी संशोधन पर ₹ 961 करोड़ के प्रावधानों से कुछ हद तक अंतरित किया गया है।

अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को			31.03.2016 को		
	गैर – चालू	चालू	कुल	गैर – चालू	चालू	कुल
अन्य देयताएं	2983	5694	8677	3638	7046	10684

अन्य देयताओं में कमी मुख्य रूप से वर्ष 2016–17 के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में कमी के कारण है।

1.3.1.2 लाभ एवं हानि का विवरण

कारोबार

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
बिक्री में प्रतिफल	23926	21779
इरेक्शन और अन्य सेवाओं से आय	5009	4321
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन खाता	95	50
निवल बिक्री	28840	26050

कंपनी के कारोबार में वर्ष 2016–17 के दौरान 10.7% की प्रगति आई, जो कंपनी द्वारा प्रगति पथ बहाल करने और गिरावट के रुझान पर काबू पाने के संबंध में उल्लेखनीय उपलब्धि है। पावर सेक्टर और उद्योग सेक्टर ने कंपनी के कुल राजस्व में पिछले वर्ष 78% और 22% की तुलना में क्रमशः 79% और 21% का योगदान किया।

अन्य प्रचालनात्मक आय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
निर्यात प्रोत्साहन	38	34
स्क्रैप से आय	169	159
मालभाड़ा और बीमा आय	299	269
उचित मूल्य समायोजन (अनवाइंडिंग)	99	96
अन्य	30	30
	635	588

अन्य प्रचालनात्मक आय में वृद्धि कंपनी के प्रचालनों में प्रगति के कारण है।

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
पीपीई की मदों की बिक्री से लाभ	2	6
विनिमय अंतर (निवल)	0	403
निवेश पर लाभांश (दीर्घकालीन–व्यापार)	34	34
ब्याज से प्राप्त आय	677	763
अन्य	283	292
	996	1498

अन्य आय में कमी मुख्य रूप से वर्ष 2016–17 के दौरान विनिमय अंतर के नकारात्मक प्रभाव के कारण है। पिछले वर्ष विनिमय लाभ की तुलना में, इस वर्ष के दौरान हानि हुई जिसे निर्माण के अन्य व्ययों में दर्शाया गया है।

सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय लागत

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
कच्चे माल और घटकों की खपत	13103	13002
भंडार और पुर्जों की खपत	425	422
इरेक्शन और इंजीनियरिंग व्यय	3054	2976
घटाएं: पीवी समायोजन सामग्री/उप ठेका लागत	16	23
	16566	16377

2016–17 के दौरान सामग्री खपत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और सकल कारोबार (निवल उत्पाद) से प्रतिशत के मामले में, यह 2016–17 में 64.36% से घटकर 60.51% हो गई। कंपनी द्वारा किए गए बेहतर मालसूची प्रबंधन और लागत दक्षता अभियान के कारण यह संभव हुआ।

तैयार वस्तुओं की मालसूची और प्रगति अधीन कार्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
प्रगति अधीन कार्य	(719)	42
तैयार वस्तुएं	(274)	(175)
पारगमन में अंतर–प्रभाग अंतरण	(1)	(77)
	(994)	(210)

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
कर्मचारी लाभ व्यय	5400	5380

कर्मचारी लाभ व्यय प्रचालनों के अनुरूप और लगभग उसी स्तर पर हैं।

मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	849	936

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में कमी कंपनी के प्रचालनों के अनुरूप है।

विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय	4436	4034

अन्य व्यय मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालनों से संबंधित हैं और कारोबार से प्रतिशत के मामले में, यह 2016–17 के दौरान 15.48% से घटकर 15.38% हो गई। ईआरवी हानि को छोड़कर, 2016–17 में 14.45 प्रतिशत है।

प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
प्रावधान (निवल)	1273	2050

वर्ष के लिए प्रावधानों में कमी मुख्य रूप से कंपनी के दिशानिर्देशों/नीतियों के अनुरूप संविदात्मक दायित्व के प्रावधान की रिक्ति के कारण है। इसके अलावा, संदिग्ध ऋणों/एलडी हेतु प्रावधानों की वापसी/वापस लिये जाने का प्रावधान–अन्य मुख्यतः मजदूरी संशोधन के सृजन से अंतरित किया गया है।

वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
ब्याज व्यय	62	27
उधारी लागत (अस्थगित देय से उपचय पर)	30	38
उधारी लागत (प्रावधान की अनवाइंडिंग)	259	295
	351	360

ब्याज व्यय वर्ष के दौरान कंपनी की प्रचालनात्मक जरूरतों के अनुरूप है और उधारी लागत भा.ले.मा. की अपेक्षाओं के अनुसार दीर्घकालीन अस्थगित देय और प्रावधानों पर ब्याज/छूट के अनवाइंडिंग प्रभाव को दर्शाती है।

कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
चालू कर – चालू वर्ष	610	396
– गत वर्ष	(311)	(5)
आस्थगित कर – चालू वर्ष	(462)	(834)
– गत वर्ष	295	(12)
	132	(455)

कर व्यय कटौतियों और उपलब्ध छूट तथा अस्वीकृतियों पर विचार के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार सृजित किए गए हैं।

जारी प्रचालनों से अवधि के दौरान लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
जारी प्रचालनों से अवधि के दौरान लाभ/हानि	496	(710)

कंपनी ने एक वर्ष में ही पुनरस्थान हासिल किया है और वित्त वर्ष 2015–16 में ₹ 710 करोड़ की हानि के मुकाबले 2016–17 के दौरान मजदूरी संशोधन के लिए किए गए ₹ 961 करोड़ (₹ 674 करोड़ की ग्रेच्युटी और अवकाश देय के कारण एकमुश्त संचयी प्रभाव सहित) के प्रावधान के बाद भी ₹ 496 करोड़ का लाभ दर्ज किया है।

अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
परिभाषित कर्मचारी लाभ का पुनः मापन	(44)	(116)
उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	15	40
	(29)	(76)

1.3.2 सहायक कंपनी की वित्तीय समीक्षा

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

19 जनवरी, 2011 को ₹ 5.36 करोड़ के इक्विटी निवेश से बीएचईएल के अधिकतम 51% हितों और केरल सरकार के 49% हितों के साथ "बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड" के रूप में एक सहायक कंपनी का गठन किया गया। 2016–17 में, बीएचईएल ईएमएल ने ₹ 4.24 करोड़ की हानि के साथ ₹ 32.06 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	5.36	5.36
कारोबार	32.07	41.63
कर पश्चात लाभ/हानि	(4.24)	(2.98)

1.3.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

क. बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)

बीजीजीटीएस, जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टरबाइन की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए बीएचईएल और जीई, यूएसए द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार से हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	2.38	2.38
वर्ष के दौरान बुक किए गए ऑर्डर	465.50	595.10
कारोबार	523.08	564.20
कर पश्चात लाभ	47.99	59.63
निवल मूल्य	258.61	241.82

वि. वर्ष 2016–17 के लिए, बीजीजीटीएस ने ₹ 4.76 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी पर 520% पर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और 130% का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।

ख. एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)

बीएचईएल ने एनटीपीसी के साथ मिलकर भारत और विदेशों में विद्युत संयंत्रों और अन्य बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए ईपीसी अनुबंध करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड" का प्रवर्तन किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी ने आंध्र प्रदेश में मन्नावरम में संयंत्र के बकाया (बीओपी) उपकरणों की निर्माण सुविधा स्थापित की है।

कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार से हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17*	2015-16
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	50.00	50.00
कारोबार	635.39	818.12
कर पश्चात लाभ/हानि	(76.92)	(13.09)

*अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

ग. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)

बीएचईएल ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर येरामारस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र और एदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ मिलकर "रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तन किया है। 06.06.2017 को कुल चुकता शेयर पूंजी केपीसीएल से ₹ 1,133.30 करोड़, बीएचईएल से ₹ 589.32 करोड़ और आईएफसीआई से ₹ 432.72 करोड़ के योगदान सहित, ₹ 2,155.34 करोड़ है।

कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार से हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17*	2015-16
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	589.32	589.32
निवल ब्लॉक	6673.07	137.09
प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	5591.04	10436.29

*अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

2x800 मेगावाट येरामारस टीपीपी की यूनिट–I और यूनिट–II की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 में हासिल की गई।

घ. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल)

बीएचईएल ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर खंडवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ "दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम का प्रवर्तन किया है। कोयला लिंकेज की अनुपलब्धता और भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं के कारण, दोनों प्रवर्तकों ने स्वैच्छिक रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी के समापन का अनुमोदन कर दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17*	2015-16
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	22.50	22.50
निवल ब्लॉक	0.01	0.01
प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	-	3.53

*अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

ङ. लातूर पावर कंपनी लिमिटेड (एलपीसीएल)

बीएचईएल ने लातूर, महाराष्ट्र में 2x660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र या 1500 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (सीसीपीपी) की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) के साथ ''लातूर पावर कंपनी लिमिटेड'' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तन किया है।

कोयला लिंकेज और घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण दोनों प्रवर्तकों (बीएचईएल और महाजेनको) ने स्वैच्छिक रूप से संयुक्त उद्यम के समापन का अनुमोदन कर दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी परिसमापन के अधीन है।

च. पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)

यह संयुक्त उद्यम कंपनी, पावरप्लांट परफार्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल), बीएचईएल द्वारा सीमैन्स, जर्मनी के सहयोग से पुराने जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के संयंत्र कार्य सुधार के लिए प्रवर्तित की गई थी।

चूंकि कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रवर्तक साझेदार कंपनी को धीरे–धीरे बंद करने पर परस्पर सहमत हैं। संयुक्त उद्यम कम्पनी की समापन प्रक्रिया एक लंबित अनुबंध के समापन के बाद शुरू की जाएगी।

1.3.4 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

समेकित वित्तीय विवरण ''समेकित वित्तीय विवरणों'' पर इंड एएस 110 और ''सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश'' पर इंड एएस 28 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समूह अंतर बकाया और समूह अंतर लेनदेन के पूरी तरह विलोपन के बाद संयुक्त किया जाता है और संयुक्त उद्यमों के लिए, इंड एएस के अनुसार इक्विटी प्रणाली को अपनाया जाता है।

उपर्युक्त इंड एस के अनुरूप वित्तीय निष्पादन पर परिणामों का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
लाभ एवं हानि का विवरण		
प्रचालनों से राजस्व	29507	26679
कर पूर्व लाभ/(हानि)	586	(1161)
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	455	(706)
अन्य व्यापक आय (निवल)	(29)	(76)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	426	(782)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को	31.03.2017 को
तुलन पत्र		
परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3496	3831
प्रगतिशील पूंजी	160	309
अमूर्त परिसंपत्तियां	105	137
विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	9	9
इक्विटी प्रणाली के प्रयोग से लेखांकित निवेश	753	790
वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)	9871	11201
अस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	3846	3663
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	203	240
चालू परिसंपत्तियां	42904	45140
योग	**61347**	**65320**
इक्विटी और देयताएं		
इक्विटी शेयर पूंजी	490	490
अन्य इक्विटी	31899	31824
गैर नियंत्रक ब्याज	(1)	1
गैर चालू देयताएं	8817	12265
चालू देयताएं	20142	20740
योग	**61347**	**65320**

माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री अनंत गीते बीएचईएल के उन्नत, अत्याधुनिक सोलर पीवी निर्माण लाइनों का उद्घाटन करते हुए

1.4 पूंजी निवेश

- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशीकरण, क्षमता निर्माण और उत्पादकता में वृद्धि पर जोर बनाए रखते हुए, बीएचईएल ने कंपनी की परिसंपत्तियों में ₹ 294 करोड़ का निवेश किया है
- वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने बेंगलुरू की अपनी निर्माण इकाईयों में पूर्ण ऑटोमेशन सहित सोलर फोटोवोल्टेक (एसपीवी) मॉड्यूल की निर्माण क्षमता बढ़ाकर 226 मेगावाट और सोलर सेलों की 105 मेगावाट तक की है।
- वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने तिरुचि निर्माण इकाई में कैप्टिव उपयोग के लिए एक अन्य 5.0 मेगावाट ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टेक विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इस क्षमता वृद्धि के साथ, बीएचईएल अनेक रूफटॉप सोलर पीवी प्रणालियों के अलावा 11.5 मेगावाट सोलर विद्युत संयंत्रों का प्रचालन कर रहा है। ये सोलर संयंत्र हमारे प्रचालनों में संधारणीय ऊर्जा मिश्रण के प्रति हमारे कदमों को दर्शाते हैं।
- जल प्रबंधन की हमारी कार्यनीति और अपनी औद्योगिक इकाईयों को शून्य द्रव निकासी यूनिट बनाने के प्रति लिए, बीएचईएल ने हैदराबाद और तिरुचि इकाईयों में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं जिन्हें नवीनतम मेम्ब्रेन बायो-रिएक्टर (एमबीआर) प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया गया है।

बीएचईएल, हरिद्वार में वेल्डिंग ओवरले मशीन

1.5 गुणवत्ता निष्पादन

"अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनने के लिए, बीएचईएल सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिनवता और टीम भावना के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों, सेवाओं और निष्पादन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर रहा है।"

ऊपरोक्त नीति का पालन करने के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मानकीकरण और क्षमता सुधार की दिशा में काम किए जा रहे हैं।

विनिर्माण शॉप और निर्माण स्थलों पर गुणवत्ता संबंधित मुद्दों के मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इंट्रा-यूनिट स्थायी आरसीए समितियां और अंतर-यूनिट विशेष आरसीए समितियां गुणवत्ता के मुद्दों का विश्लेषण करने और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। ग्राहकों का भरोसा हासिल करने के लिए आरसीए के निष्कर्ष उनसे साझा किए जाते हैं। आरसीए की पहल संगठन के भीतर संस्थागत रूप हासिल कर चुकी है। शीर्ष प्रबंधन द्वारा प्रबंधन समिति की बैठकों (एमसीएम) में आरसीए के निष्कर्षों की समीक्षा की जाती है।

बीएचईएल यूनिटें/प्रभाग 2008 के पुराने संस्करण से नए आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। छह बीएचईएल इकाईयों/प्रभाग (बीएपी रानीपेट, एचईईपी हरिद्वार, आरओडी कॉर्पोरेट कार्यालय, एचपीबीपी विजाग और पीईएम) को मै. बीवीसीआई द्वारा आईएसओ 9001:2015 के लिए पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। बीएचईएल के अन्य प्रभागों को आईएसओ 9001:2008 से आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तित करने का कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण हो जाएगा।

बीएचईएल, हरिद्वार में न्यू ब्लेड शॉप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल

निर्माण यूनिटों (एमयू'ज) और विद्युत क्षेत्र के परियोजना स्थलों पर मौजूदा गुणवत्ता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, कॉर्पोरेट गुणवत्ता और एमयू/साइट प्रतिनिधियों से गठित मिश्रित कार्यकारी टीमों द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रभाव समीक्षा (क्यूएमईआर-बीएचईएल का स्वदेशी कॉपीराइट मॉडल) की जाती है। चिन्हित अंतरों पर आधारित कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं और सुधार के लिए कार्यान्वियन हेतु उनका पालन किया जाता है।

गुणवत्ता के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता सत्रों, और कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता निर्माण बीएचईएल की ताकत है। बीएचईएल द्वारा कार्यपालकों के लिए कॉर्पोरेट गुणवत्ता द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जबकि अन्य स्तरों के लिए इकाईयों के एचआरडी केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 2016-17 में, लगभग 590 कार्यपालकों को कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यवसाय उत्कृष्टता कार्य द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

बीएचईएल का गुणवत्ता सर्किल (क्यूसी) अभियान, जो कामगारों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है, देश में प्रेरणास्रोत है। प्रति वर्ष बीएचईएल में अंतर-इकाई वार्षिक क्यूसी सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न गुणवत्ता सर्किल अपने केस अध्ययन का प्रदर्शन करते हैं। 27वां बीएक्यूसीएस (बीएचईएल वार्षिक गुणवत्ता सर्किल सम्मेलनः 2016-17) एचपीबीपी तिरुचि में आयोजित किया गया। बीएपी - रानीपेट के गुणवत्ता सर्किल नं. 100 को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता सर्किल के लिए श्री एसआर उडपा ट्रॉफी प्रदान की गई।

गुणवत्ता पुरस्कारः

- बीएचईएल भोपाल के "लौह विस्तार की प्रक्रिया और डबल ट्यूब ओएफडब्ल्यूएफ कूलर के कार्यात्मक परीक्षण का विकास" शीर्षक केस अध्ययन को भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा डीएल शाह स्वर्ण पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया है।
- बीएचईएल हरिद्वार के 3 स्पिंडल 5 एक्सिस पर स्टीम टरबाइन ब्लेडों की 5 एक्सिस मिलिंग के दौरान रफिंग ऑपरेशन में प्रेशरयुक्त हवा की आपूर्ति का प्रावधान' शीर्षक केस अध्ययन को भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा डीएल शाह रजत पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया है।

ग्राहकों/राष्ट्रीय एजेंसियों के हमारे प्रभागों को प्रमाणित/प्रत्यायित किया हैः

- मैसर्स सीएलडब्ल्यू ने ईडीएन के ईएसडी (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्रभाग) को ट्रैक्शन नियंत्रणों के लिए एक निर्माण केन्द्र के तौर प्रमाणित किया है।
- सीएफएफपी की मैकेनिकल, धातुकर्मी और स्पेक्ट्रोमीटर लैब्स एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित की गई हैं।
- बीएचईएल भोपाल की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कैमिकल लैब्स एनएबीएल द्वारा प्रमाणित और प्रत्यायित की गई हैं।

  बीएचईएल भोपाल को एएसएमई द्वारा जारी एएसएमयू स्टैंप के लिए पुनःप्रमाणित किया गया है।

निम्न नए उत्पादों ने सफलतापूर्वक ग्राहकों की गुणवत्ता जरूरतों को पूरा कियाः

- जीपीटी प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोग के साथ आरआरवीपीएनएल के लिए झांसी में डिजाइन, निर्मित और परीक्षित पावर ट्रांसफॉर्मर (रेटिंग 160 एमवीए, 220/132/11 केवी, डब्ल्यूओ 71141)
- झांसी में निर्मित ट्रांसफॉर्मरों क) 45 एमवीए, 27/11.5 केवी एनटीपीसी लारा (पावर) ख) 16 एमवीए, 66/11 केवी एनटीपीसी लारा (पावर) ग) 6 एमवीए, 27 केवी ड्राइ टाइप ट्रांसफॉर्मर बीजीआर/ एनटीपीसी का 2016-17 में शॉर्ट सर्किट के लिए पहले प्रयास में सफल परीक्षण किया गया।

1.6 मानव संसाधन प्रबंधन

1.6.1 ज्ञानार्जन और विकास

कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन और विकास (सीएलडी)

उदीयमान व्यवसाय परिदृश्य में व्यवसाय विकसित करने की बीएचईएल की कार्यनीति के साथ ज्ञानार्जन और विकास गतिविधियों के बेहतर तालमेल के लिए सीएलडी समूहों का गठन किया गया।

एक नोडल ज्ञानार्जन एजेंसी के रूप में सीएलडी तकनीकी प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास अवसरों के लिए एक मंच प्रदान करते हुए कक्षा में प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहिर्गामी प्रशिक्षण, प्रमाणन पाठ्यक्रमों, प्रायोजित पाठ्यक्रमों, आदि के माध्यम से कर्मचारियों की तकनीकी–प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सीएलडी प्रमुख निर्माण यूनिटों में मानव संसाधन विकास संस्थानों (एचआरडीआई), मानव संसाधन विकास केन्द्रों (एचआरडीसी) और आरएंडडी हैदराबाद में एटीईसी (उन्नत तकनीकी शिक्षा केन्द्र) को निर्देश और नीतिनिर्देश भी प्रदान कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कंपनी की ज्ञानार्जन क्षमता को बढ़ाना और उत्तरदायी, ऊर्जावान और उन्नतिशील "कल के बीएचईएल के निर्माण" के लिए "कर्मचारियों को तत्पर स्थिति" में रखना है। सीएलडी द्वारा की गई विभिन्न पहलों से वर्ष 2016–17 में संगठन को निम्नलिखित पुरस्कार हासिल कराए:

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को कानपुर में कौशल विकास महोत्सव कार्यक्रम में, सक्रिय भागीदारी और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत देश में अधिकतम संख्या में अप्रेंटिसों को नियोजन के लिए प्रशंसा के तौर पर ₹ 1.79 करोड़ का चेक भेंट किया।
- बीएचईएल ने मुम्बई में चौथे एलएंडडी एनएचआरडीएन केस प्रतियोगिता (9 से 11 नवंबर, 2016) में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रतियोगिता का विषय था 5ए (कहीं भी कभी भी कोई विषय, कोई उपकरण, कोई भी व्यक्ति) शिक्षण।

बीएचईएल, भोपाल में आयोजित हाइड्रो कनक्लेव – 2016 में प्रतिनिधि

प्रशिक्षण मानव दिवस (टीएमडी)

बीएचईएल में ई–शिक्षण और स्मार्ट कक्षा प्रशिक्षण सहित प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव दिवस 3.90 रहा। इसके अतिरिक्त 2016–17 के दौरान, बीएचईएल ने स्नातक अप्रेंटिसों, डिप्लोमा अप्रेंटिसों, वोकेशनल अप्रेंटिसों इत्यादि जैसी योजनाओं के अंतर्गत 18,282 व्यक्तियों को कौशल विकास अवसर प्रदान किए हैं। लगभग 800 ग्राहकों को भी प्रशिक्षित किया गया। 4,728 आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ई–शिक्षण

950 प्रतिभागियों को 2016–17 में ई–शिक्षण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह ई–शिक्षण मॉड्यूल इन–हाउस विकसित किया गया।

कौशल विकास पहलें

सीएलड–एचआरडीआई, भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद और पूंजीगत वस्तु कौशल परिषद नामक दो कौशल परिषदों का सक्रिय सदस्य है।

युवा कार्यपालकों के लिए क्षमता निर्माण

व्यवहार विज्ञान प्रशिक्षकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंतरिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए गए।

- आंतरिक प्रशिक्षकों का पूल तैयार करने उपलब्धि प्रेरणा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण 3 चरणों में)
- प्रशिक्षण के संचालन के लिए ई1 से ई4 तक के प्रतिभागियों के एक साथ जीतने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

नई पहलें

- नकदीरहित लेनदेन पर जागरूकता पैदा करने के लिए बीएचईएल में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सौर ऊर्जा पर भारत सरकार की रूपरेखा और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन पर विशेष वीसी सत्र क्रमशः 25 नवंबर, 2016 और 19 अक्तूबर, 2016 को आयोजित किए गए।
- सीएलडी–एचआरडीआई, निदेशक/मानव संसाधन, जो सम्मेलन की स्थायी समिति में थे, के मार्गदर्शन में स्कोप अंतर्राष्ट्रीय एचआर समिट 2017 (20–21 फरवरी 2017) के कोर टीम सदस्य के तौर पर भी सक्रिय रूप से संलग्न रहा है।

1.6.2 निष्पादन और कैरियर विकास

इन–हाउस निष्पादन प्रबंधन प्रणाली ई–मैप की समीक्षा की गई और प्रक्रिया कार्यप्रवाह में कुछ नए मॉड्यूलों की शुरुआत की गई। ये हैं तिमाही फीडबैक मॉड्यूल, पेन चित्र मॉड्यूल, प्रति योजना केआरए (प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्रों) की संख्या, अनिवार्य केआरए और संशोधित केआरए मास्टर्स हैं।

बीएचईएल में एक कर्मचारी नियोजन सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 4,390 कार्यपालकों ने भाग लिया। सर्वेक्षण में बीएचईएल का समग्र स्कोर 7 के मानक पर 5.5 रहा। प्रत्युत्तर को ऑनलाइन ग्रहण किया गया और संगत रिपोर्ट तैयार की गई। कर्मचारियों की चिंताओं के कारण जानने के लिए सभी संगठनों में विशेष समूह चर्चाएं कराई गई। संगठन और यूनिट स्तर के मुद्दों के समाधान के लिए इन क्षेत्रों में कार्य योजनाएं आरंभ की गई हैं।

कर्मचारी प्रशंसा पहलें जैसे 'तिमाही का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी' और 'उच्च क्षमता (एचआईपीओ) कर्मचारी योजना' पिछले वर्ष शुरू की गई थी और 2016–17 में जारी रही। हिपो योजना के अंतर्गत, अब तक मध्यम स्तर के कार्यपालकों में से 415 हिपो को चिन्हित किया गया

है। ऐसे कार्यपालकों के अलंकरण की प्रक्रिया, जैसा कि हिपो योजना में सोचा गया, यूनिटों/प्रभागों में आरंभ कर दी गई है। अलंकरण की प्रक्रिया में कार्य पर अनुभव, जॉब रोटेशन, कार्योत्तर टीम निष्पादन, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोच की नियुक्ति शामिल हैं।

'तिमाही का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी' योजना में, वर्ष के दौरान 1,400 आवेदन प्राप्त हुए और विभिन्न श्रेणियों में 340 पुरस्कार दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(च) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों इत्यादि का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन का तरीका वर्णित करते हुए कथन शामिल हो। कंपनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में मानदंड और पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई है जिनका कंपनी को वर्ष के दौरान पालन करना होता है। समझौता ज्ञापन का वर्ष के अंत में भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और तय मानदंडों के अनुरूप बीएचईएल के निष्पादन के आधार पर इसे निष्पादन रेटिंग प्रदान की जाती है। बोर्ड स्तर की समितियों की संदर्भ शर्तो का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड स्तर की समितियों की कार्यवाही अवलोकन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। साथ ही, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक प्रारूप तैयार किया है और निदेशक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। संबंधित निदेशक द्वारा स्वयं निर्धारण किए जाने के बाद, उसका मूल्यांकन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा, फिर सचिव, भारी उद्योग विभाग और अंत में प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशक का कार्यकाल जैसा कि उनके नियुक्ति के नियम और शर्तो में निर्धारित है, पांच वर्ष या उनके सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कामकाज के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उनकी नियुक्ति की शर्तो का विस्तार या जारी रखा जाए। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है और स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल, वह भी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, सामान्य तौर पर तीन वर्ष के लिए होता है, ऐसे में बोर्ड निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवाएं जारी रखने या अन्यथा का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियो को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों से छूट दी है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर कथन से संबंधित धारा 134(3)(च) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। साथ ही, उपरोक्त छूट के अनुसार, नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

1.6.3 औद्योगिक संबंध :

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों और व्यावसायिक क्षेत्र/कार्यालयों में औद्योगिक सौहार्द बना रहा। वर्ष के दौरान श्रम दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

वर्ष के दौरान सहभागिता की संस्कृति और संवाद पर जोर जारी रहा। शीर्ष स्तर की संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न निर्माण यूनिटों और व्यावसायिक क्षेत्र/कार्यालयों में गुप्त मतपत्र के माध्यम से कर्मचारी संघ के चुनाव 04.05.2016 और 27.06.2016 को संपन्न हुए। तदनुसार, बीएचईएल की संयुक्त समिति का पुनर्गठन हुआ। तत्पश्चात, पुनर्गठित संयुक्त समिति के नए सदस्यों के अनुकूलन, विशेष रूप से कुछ कर्मचारी संबंधित मुद्दों के अतिरिक्त व्यावसायिक परिदृश्य, कंपनी के कार्यनिष्पादन, भविष्य की चुनौतियों आदि के संबंध में परिचित करने, के लिए 17 व 18 नवंबर, 2016 को बंगलुरू में संयुक्त समिति का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। उपरोक्त मुद्दों पर प्रस्तुतियां भी की गई। इसके अलावा, बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के प्रचालनों से संबंधित मुख्य चिंताओं के विभिन्न विषयों पर की छह सिंडीकेट समूहों का गठन किया गया और उन्होंने दिए गए विषयों पर अपने मूल्यवान सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की।

शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय फोरम जिसका नाम ''बीएचईएल की संयुक्त समिति'' है की दो बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की गई। संयंत्र परिषदों की 35 बैठकें और शॉप काउंसिल्स की 304 बैठकें हुई। इनके अलावा, व्यवसाय संभावनाओं और चुनौतियों, कंपनी स्तर के मुद्दों इत्यादि पर व्यवसायिक क्षेत्र/कार्यालयों सहित विभिन्न विनिर्माण यूनिटों के कार्यपालकों और सुपरवाइजरों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी हुई।

विभिन्न स्तरों पर हुई चर्चा का केन्द्र कंपनी के समग्र कार्यनिष्पादन का सुधार रहा। कर्मचारियों की उत्पादकता बढाने से जुडे मुद्दों, लागत में कमी. और उपभोक्ताओ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने पर मुख्य जोर दिया गया।

एचआर नीति के संबंध में ''बीएचईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ ट्रस्ट'' के निर्माण के साथ एक नई पहल की गई।

वर्ष के दौरान आरंभ किए गए अन्य उल्लेखनीय नीतिगत निर्देशों में बीएचईएल कर्मचारी पेंशन योजना का पुनरीक्षण, सेवानिवृत्त बीएचईएल कर्मचारियों के लिए आरईसीएच योजना, केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल/ प्रणाली के माध्यम से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभों का प्रबंधन हैं।

1.6.4 जनशक्ति

31.03.2017 को बीएचईएल में कर्मचारियों की कुल संख्या 39,821 थी।

1.6.5 शासकीय दिशानिर्देशों की स्थिति

1.6.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के लिए आरक्षण नीति पर दिशानिर्देश

केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षण नीति पर समय–समय पर जारी शासकीय दिशानिर्देशों में विशिष्ट पदों पर और अभ्यर्थियों की विशिष्ट आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े

वर्गों और शारीरिक विकलांगों के लिए सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नति में कुछ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होता है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को स्थान देने के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण में कुछ रियायतों और और छूटों का भी प्रावधान होता है। इस विषय पर राष्ट्रपति के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत को सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, इन दिशानिर्देशों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है।

इस विषय पर अन्य प्रासंगिक जानकारी निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई है:

1. **अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व**

   कर्मचारियों की कुल जनशक्ति में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिनांक 31/12/2016 को क्रमशः 20.09%, 6.59% तथा 30.75% था। तथापि वर्ष के दौरान सीधी भर्ती में

   अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिशत क्रमश 13.91%, 2.61% तथा 27.83% था।

   दिनांक 31.12.2015 तक की स्थिति के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में, सरकार को प्रस्तुत किया गया, विवरण **अनुबंध–क** में दिया गया है।

2. **31/12/2016 को दिव्यांग जनशक्ति की संख्या**

   31/12/2016 को बीएचईएल में कुल 828 शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी हैं। वर्ष 2016 में, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत 34 शारिरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भर्ती की गई। 31/12/2016 को कंपनी में दिव्यांग व्यक्तियों की समूह वार जनशक्ति संख्या **अनुबंध–ख** में दी गई है।

1.6.5.2 कार्यस्थल पर महिलाओं की संरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनसे संबंधित या आकस्मिक मामलों के निवारण और समाधान के लिए ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013'', महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) नियम, 2013'' नामक नियमों की अधिसूचना के साथ दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 से लागू हो गया है।

अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार, बीएचईएल की सभी यूनिटों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है और उनकी संरचना और संपर्क विवरण यूनिट की वेबसाइट पर डाले गए हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता के कर्तव्यों, शिकायत निवारण प्रणाली, दुर्भावना से की गई शिकायतों के लिए कार्रवाईयों, यौन उत्पीड़न के बारे में भ्रांतियों को दर्शाते हुए पोस्टर सभी यूनिटों में प्रमुख स्थानों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किए गए हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा सभी यूनिटों में आईसीसी सदस्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 कार्यशालाएं संचालित की गई। यूनिट स्तर पर, लिंग संवेदीकरण, आत्म रक्षा और अधिनियम के बारे में जागरूकता पर 41 कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न पर बाह्य एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए महिला कर्मचारियों को नामित किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और 31.03.2017 को तत्संबंधी स्थिति का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के **अनुबंध–ग** में दिया गया है।

अनुबंध – क

31/12/2016 को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

समूह	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (31/12/2016 को)				कैलेंडर वर्ष 2016 में की गयी नियुक्तियों की संख्या										
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा			
	कर्मचारियों कुल की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	12696	2106	899	2746	92	14	3	27	0	0	0	1	0	0	0
समूह ख	8551	1624	546	1785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	18345	4214	1194	7618	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोडकर)	675	118	18	245	22#	2#	0	5#	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	48	39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**40315**	**8101**	**2658**	**12395**	**115**	**16**	**3**	**32**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

** बीएचईएल में प्रवेश स्तर पर पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नहीं होती है।*

 # मध्यस्थ कार्यवाही के परिणामस्वरूप 22 आकस्मिक कामगारों का आमेलन एचपीवीपी यूनिट में किया गया।

अनुबंध – ख

31/12/2016 को दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की संख्या (प्रतिनिधित्व)				सीधी नियुक्ति (कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान)							पदोन्नति*						
	31/12/2016 को				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)			
	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
समूह क	12696	6	20	227		34		92	0	1	33	लागू नहीं						
समूह ख	8551	4	12	191	0	0	0	0	0	0	0							
समूह ग	18345	21	36	396	0	0	0	1	0	0	0							
समूह घ	723	1	6	14	0	0	0	22	0	0	1							
कुल	**40315**	**32**	**74**	**828**		**34**		**115**	**0**	**1**	**34**							

टिप्पणी: (i) दृवि का अभिप्राय दृष्टि विकलांग से है (दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) श्रवि का अभिप्राय श्रवण विकलांग से है (बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति)
(iii) अवि का अभिप्राय अस्थि विकलांग से है (लोकोमोटर या प्रमस्तिष्कीय आघात से पीड़ित व्यक्ति)

* समूह ग से ख, समूह ख से क और समूह क के भीतर पदोन्नति हेतु कोई आरक्षण नहीं है। बीएचईएल में समूह ग और घ के भीतर, संवर्ग परिवर्तन पदोन्नति को छोड़कर, वरिष्ठता–सह–पात्रता नीति का पालन किया जाता है जिसमें सभी कर्मचारियों को एक ग्रेड में निर्धारित पात्रता अवधि पूरी करने और आचरण तथा निष्पादन में संतोषजनक स्तर प्राप्त करने पर ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

अनुबंध – ग

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1	वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4
2	वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4
3	नब्बे से अधिक दिनों से लंबित मामलों की संख्या	0
4	यौन उत्पीडन के विरूद्ध आयोजित कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	46
5	**आईसीसी की सिफारिशों पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति**	
•	2 महिलाओं, एक एसीटी अप्रेंटिस और एक नियमित कर्मचारी ने संयुक्त रूप से एक पुरुष कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की। विस्तृत जांच और दुर्व्यवहार का निर्धारण करने के बाद, जुर्माने के तौर पर प्रतिवादी का वेतन संचयी प्रभाव से 01/04/2017 से एक वर्ष के लिए एक स्तर घटा दिया गया।	मामला बंद कर दिया गया
•	एक एसीटी अप्रेंटिस ने एक पुरुष कर्मचारी के खिलाफ, जब वह नजदीक बैठी थी, फोन पर गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत की। जांच में, शिकायत सही पाई गई और यह कृत्य उसे कष्ट देने के इरादे से नहीं किया गया था। उसने अपनी गलती महसूस की और बेहतर व्यवहार करने का आश्वासन दिया। समिति ने चेतावनी पत्र देकर मामले को बंद कर दिया। प्रतिवादी मार्च 2017 में सेवानिवृत्त हो गया।	मामला बंद कर दिया गया
•	एक महिला सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर पर द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने के लिए शिकायत की थी। प्रतिवादी को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और मामला बंद कर दिया गया।	मामला बंद कर दिया गया
•	आईसीसी द्वारा प्राप्त शिकायत कार्यालय संबंधित थी न कि यौन उत्पीडन की। मामले की जांच करने पर पाया गया कि यह मामला यौन उत्पीडन का नहीं, बल्कि कार्यालय में मतभेद का है। काउंसलिंग कराई गई और यह दोहराया गया कि भविष्य में यदि कर्मचारी का उत्पीडन किया जाता है तो वह लिखित में शिकायत कर सकती है और आईसीसी द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।	मामला बंद कर दिया गया

1.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बीएचईएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में अग्रणी है और इसने अधिनियम को सही अर्थों में अक्षरशः लागू करने हेतु कदम उठाए हैं।

प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक यूनिट में 20 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों सहित कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार समूह के भाग रूप में कार्यरत हैं।

कंपनी स्तर पर 21 प्रथम अपीलीय अधिकारी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दायर अपीलों का निपटान करने के लिए कार्यरत हैं।

सूचना प्राप्त करने में नागरिकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने और अधिनियम के तहत प्रथम अपीलें दायर करने के लिए प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए, विस्तृत दिशानिर्देश बीएचईएल की वेबसाइट पर डाले गए हैं।

सूचना की विभिन्न श्रेणियों का प्रसार करते हुए बीएचईएल की वेबसाइट पर अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुसार अग्र सक्रिय प्रकटन किए गए हैं ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन से अधिनियम का सहारा लेने की आवश्यकता न्यूनतम रहे।

बीएचईएल लोक उद्यमों की स्थायी समिति (स्कोप) द्वारा गठित आरटीआई की संचालन समिति का एक सक्रिय सदस्य है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अन्य संलिप्त हितधारकों को प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत उनके दायित्वों के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के हित में 4.2.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर अपनी वार्षिक कार्यशाला आयोजित की।

वर्ष 2016–17 के दौरान बीएचईएल ने 1349 आरटीआई आवेदन और 130 अपीलें प्राप्त की जिनका निपटान आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

1.8 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल के पास अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं के रूप में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो वित्तीय और अन्य परिचालन कार्यों की जरूरी तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करती है। ये प्रक्रियाएं नियमावली, दिशानिर्देशों, शक्तियों के प्रत्यायोजन और आईटी प्रणाली एवं नियंत्रणों के रूप में हैं जिन्हें कंपनी के भीतर विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे व्यक्तियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। वरिष्ठ प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग, आचार संहिता के अनुपालन और कंपनी की नीतियों पर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा और प्रमाणन करता है।

बीएचईएल का अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) विभाग है। कॉर्पोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, बीएचईएल के सभी स्थानों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए बीएचईएल में 12 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। आईए प्रकोष्ठों के प्रमुख प्रभारी महाप्रबंधक (आईए), कॉर्पोरेट कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन के प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित लेखापरीक्षा, विशेष अध्ययन, प्रणाली समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की जांच करता है।

आईए के प्रमुखों की बैठक 26 व 27 सितंबर, 2016 को कॉर्पोरेट कार्यालय में संचालित की गई और आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों की झलकियां प्रबंधन के वरिष्ठ कार्यपालकों के संज्ञान में लाई गई। टिप्पणियों की समीक्षा और शिक्षणों को साझा करने के लिए समय–समय पर कॉर्पोरेट स्तर के साथ ही यूनिट स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ सतर्कता विभाग के परिसंवाद भी आयोजित किए जाते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज का समय–समय पर बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति (बीएलएसी) द्वारा यूनिट स्तरीय लेखापरीक्षा समिति (यूएलएसी) के सहयोग से मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के प्रचालन के गतिशील वातावरण को ध्यान में रखते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिक सुदृढ़ करना अपेक्षित होने पर बीएलएसी/यूएलएसी/प्रबंधन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कंपनी ने अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रण को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुरूप बनाना जारी रखा है।

1.9 अवसर एवं जोखिम

घरेलू अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और अभी अनिश्चितताओं से प्रभावित है। 2016–17 में अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ी है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रगति तीसरी तिमाही में 7% से घटकर चौथी तिमाही में 6.1% रह गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016–17 में 6.6% की तुलना में 2017–18 में 7.3% सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) प्रगति का अनुमान रखा है। महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारों और सरकारी पहलों के पूंजीगत व्यय, ग्रामीण मांग और आर्थिक गतिविधि के लिए स्फूर्तिदायक सामाजिक और भौतिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करने का अनुमान है। मध्यम तौर पर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने, नोटबंदी के अनुवर्तन और अन्य ढांचागत सुधार लागू किए जाने से अर्थव्यवस्था उच्च प्रगति पथ पर अग्रसर होगी।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और ई–बिज मिशन मोड परियोजना के रूप में की गई पहलों, दिवाला और दिवालियापन संहिता, और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की समाप्ति से देश में निवेश और व्यवसाय करने की आसानी सुविधाजनक हो रही है। ''मेक इन इंडिया'' प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, परिवहन, पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा आदि में की गई बड़ी पहलों सहित प्रचुर अवसर उपलब्ध करा रहा है। सौर ऊर्जा, शहरी परिवहन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ई–मोबिलिटी और

हरित ऊर्जा कॉरिडोर के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना दीर्घकालीन टिकाऊ प्रगति के लिए नए द्वार खोलेगा। इन अवसरों की विस्तृत चर्चा एमडीए के अनुबंध–I के अंतर्गत व्यावसायिक क्षेत्रों पर संबंधित अध्यायों में की गई है।

आज, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है जो चुनौतियां और अवसर दोनों ही प्रस्तुत करता है। पुराने संयंत्रों को बदलकर उत्सर्जन में कमी करके या ऊर्जा सक्षम उपाय अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी हासिल करना जरूरी है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ कोयले, परमाणु और जलविद्युत सहित संतुलित ईंधन मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा की मांग को पूरा करने पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। ग्रिड आधारित विद्युत भंडारण के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

किंतु आज देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या निवेश में मंदी है जिसने अर्थव्यवस्था को कुछ समय से जकड़ रखा है और देश के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों, जिनमें विद्युत क्षेत्र प्रमुख हैं, के ढांचागत ऋणग्रस्तता समस्या में इसकी जड़ें गहरी हो गई है। यह अत्यधिक ऋण बैंक के तुलन–पत्रों पर लद गया है जो देश में ऋण प्रगति और निवेश चक्र के पुनर्जीवन को बाधित कर रहा है। यह जुड़वां तुलन–पत्र समस्या – अधिक उत्तोलित कॉर्पोरेट क्षेत्र और तनावग्रस्त बैंकिंग क्षेत्र – निजी निवेश मांग के पुनर्जीवन को विलंबित कर सकती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2016 के दौरान, हालांकि बढ़ती अनिश्चितता के बीच धीमी गति से सुधार जारी है। वैश्विक प्रगति के 2016 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। किंतु ये सकारात्मक विकास एक सशक्त वापसी की बाधाओं को दूर नहीं करते। चीन में प्रगति दर निरंतर नीति प्रोत्साहन के सहयोग से आशा की अपेक्षा कुछ मजबूत रही। हालांकि, ऋण के विस्तार और कॉर्पोरेट ऋण के समाधान में धीमी प्रगति के साथ, नीति प्रोत्साहन उपायों पर निरंतर निर्भरता, तेज मंदी या विघटनकारी समायोजन का जोखिम बढ़ाती है।

इराक, लीबिया, यमन, सीरियाई अरब गणराज्य और यूक्रेन भू–राजनीतिक तनावों के कारण राष्ट्रीय और उप–क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं और मध्यावधि का दृष्टिकोण स्पष्ट नही है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अन्य अर्थव्यवस्थाओं से उथल–पुथल के मुद्दों में संलग्न हैं और अंतर्मुखी नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था, खास तौर पर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सेवा कर रहे वैश्विक आर्थिक एकीकरण और सहकारी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।

1.10 प्रगति के लिए तैयारी

आज भारत उच्चतर आर्थिक प्रगति के शिखर पर है। नया युग विकास के नए अवसर पेश करेगा। किंतु, प्रौद्यागिकी और प्रतिस्पर्धा का परिदृश्य परिवर्तन के अधीन है। बीएचईएल भी बदल रहा है और यह 'कल के बीएचईएल के निर्माण' – ऐसे संगठन जो ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और समाज की जरूरतों के प्रति उन्नतिशील, ऊर्जावान और उत्तरदायी होगा, के निर्माण के विजन के साथ परिवर्तन यात्रा पर चल पड़ा है।

बीएचईएल की भव्य क्षमताओं, गौरवपूर्ण अतीत और राष्ट्र के निर्माण में योगदान का संतुलन बनाते हुए, कंपनी प्रगति एवं लाभ को बनाए रखने; प्रमुख व्यवसाय में नेतृत्व पर जोर देने और व्यक्तियों और डिजिटल क्षमताओं का विकास करने; और अंततः, सतत प्रगति के लिए प्रमुख व्यवसाय और प्रौद्योगिकी में क्षमताओं का निर्माण करने पर केंद्रित अनेक प्रयास कर रही है।

निष्पादन, एकीकरण और सरलीकरण (ईसीएस)

अल्पतम संभव समय में प्रगति को गति देना और प्रचालनों को लाभकारी बनाना हाल के दिनों में कंपनी की तत्काल प्राथमिकता रही है। इसकी प्राप्ति के लिए, कंपनी प्रमुख सहायकों के तौर पर निष्पादन, एकीकरण और सरलीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

i. **निष्पादनः** निष्पादन क्षमताओं में तेजी लाने और प्रणाली की क्षमताओं में सुधार लाने पर तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। शुरू की गई प्रमुख पहलों में गैर–निष्पादन योग्य ऑर्डरों को निष्पादन योग्य में बनाना; वार्षिक परिणामों के अतिरिक्त तिमाही व्यवसाय निष्पादन पर ध्यान केन्द्रण और; बकाया भुगतानों की शीघ्रता से वसूली और परियोजनाओं को बंद करने के लिए चिन्हित परियोजनाओं के बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए 'परियोजना समापन अनुकूलन समूह' (पीसीएसजी) का गठन शामिल हैं।

ii. **एकीकरणः** प्रचालन क्षमता में सुधार और प्रचालन लागत कम करने के लिए, संगठन में दोहराव की ढांचागत परतों को विभिन्न ढांचों और स्थापनों के एकीकरण के माध्यम से हटाया जा रहा है। कार्यनीतियों के निष्पादन और आंतरिक तथा बाहरी ग्राहकों के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए कॉर्पोरेट कामकाज को पुनः संगठित किया गया है। निरंतर रूप से गैर–निष्पादक उत्पादों और परिसंपत्तियों के एकीकरण की भी जांच की जा रही है।

iii. **सरलीकरणः** कंपनी अपशिष्ट, कम मूल्य की गतिविधियों और कार्यों की बहुलता को समाप्त करने के लिए प्रणालियों और नीतियों को सरल बनाने का प्रयास कर रही है।

व्यावसायिक कार्यनीतिः विद्युत क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र पारगमन के अधीन है; इसी प्रकार बीएचईएल का विद्युत क्षेत्र व्यवसाय भी। हमें प्रमुख व्यवसाय में नेतृत्व के संरक्षण के लिए जोर देना जरूरी है और इसके लिए, कंपनी मौजूदा रूपरेखा में मूल्य अनुपात बढ़ाने के लिए समाधान विकसित कर रही है। संगठन का पुनर्गठन किया गया है और ग्राहकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए जल–विद्युत और परमाणु व्यवसाय के लिए नए व्यवसाय समूहों का गठन किया गया है। नए उत्पादों और सेवाओं जैसे उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, एयूएससी प्रौद्योगिकी, परमाणु के लिए प्राथमिक स्तर क्षमताओं और पुर्जे तथा सेवाएं व्यवसाय प्रस्तुत करके प्रमुख व्यवसाय का विस्तार करने के प्रयास भी कर रही है।

व्यावसायिक कार्यनीतिः विविधीकरण

इंजीनियरिंग और निर्माण बीएचईएल की प्रमुख ताकतें हैं। इन ताकतों का लाभ उठाते हुए, कंपनी 'गैर–कोयला' क्षेत्रों से व्यवसाय का अंश

बढ़ाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा, परिवहन, रक्षा और जल व्यवसाय में उभरते अवसरों का पूंजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। तदनुसार, उभरते अवसरों का दोहन करने और मौजूदा क्षमताओं के एकीकरण के लिए रक्षा एवं अंतरिक्ष व्यवसाय (डीएबीजी), परिवहन व्यवसाय एवं प्रणालियां (टीबीएसजी) और, ऊर्जा भंडारण समाधान (ईएसएस) हेतु नए व्यवसाय समूह गठित किए गए हैं।

सोलर पीवी में तीन दशकों के अनुभव के लाभ और क्षमता तथा सक्षमता में वृद्धि पर फोकस के साथ, सौर ऊर्जा में बीएचईएल का अंश धीरे–धीरे बढ़ रहा है। बीएचईएल ने बंगलुरू स्थित अपनी निर्माण इकाइयों में अपनी निर्माण क्षमता सोलर पीवी सेलों में 8 मेगावाट से बढ़ाकर 105 मेगावाट और मॉड्यूलों में 26 मेगावाट से बढ़ाकर 226 मेगावाट तक की है। कंपनी ने यूटिलिटी स्तर और रूफटॉप अनुप्रयोगों के ग्रिड अंतरसक्रिय और ऑफ ग्रिड सौर, दोनों पीवी विद्युत संयंत्रों के लिए ईपीसी समाधानों का विस्तार किया है।

बीएचईएल, बैंगलुरू में 105 मेगावाट सौर पीवी लाइन

सक्षमता निर्माण और एक सशक्त प्रौद्योगिकी आधार की स्थापना, शहरी परिवहन, रक्षा और अंतरिक्ष व्यवसाय में मौजूदा और नए व्यवसाय विकसित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

भारतीय रेल से मांग की बहाली और शहरी मेट्रो **परिवहन** के साथ अर्ध और उच्च गति की ट्रेनों में उभरते अवसरों के साथ, बीएचईएल इन क्षेत्रों में व्यवसाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीएचईएल वातानुकूलित एसीईएमयू में जरूरी आईजीबीटी आधारित संचालन उपकरण और डीई लोकोमोटिव्स के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए भारतीय रेल के साथ कार्य कर रहा है। बीएचईएल एक मोटरवाहन साझेदार के साथ विद्युत वाहनों/बसों के लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के विकास में भी संलग्न है। समानांतर रूप में, बीएचईएल ने प्रोटोटाइप हाइब्रिड (ग्रिड और/या सोलर पीवी आधारित) वेसाइड चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया है।

रक्षा में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं और कंपनी इस पोर्टफोलियो के विस्तार पर कार्य कर रही है। इसके लिए, बीएचईएल को भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख बंदूक प्रणालियों के लिए उत्पादन एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। नौसेना अनुप्रयोगों के लिए मैरीन गैस टरबाइन के उत्पादन के लिए भी कंपनी पर विचार किया गया है।

ईपीसी सक्षमताओं और प्रौद्योगिकी उन्नति **पारेषण** उत्पादों और प्रणालियों के व्यवसाय में प्रगति का केन्द्र है। बीएचईएल ने स्वदेश में विकसित 1200 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर और 765 केवी ट्रांसफॉर्मरों और रिएक्टरों के साथ अपने उच्च वोल्टेज पारेषण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ किया है। अपने इन–हाउस विकसित उत्पादों के साथ ही 765 केवी खंड में ईपीसी सक्षमताओं को मजबूत करते हुए कंपनी अधिक उच्च वोल्टेज गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर (ईएचवी जीआईएस) व्यवसाय के प्रबंधन के लिए तैयार है।

बीएचईएल, हैदराबाद में मेम्ब्रेन बायो–रिएक्टर (एमबीआर) आधारित एसटीपी

व्यावसायिक कार्यनीतिः वैश्विक

बीएचईएल अपनी निर्यात कार्यनीतियों को वैश्विक गति के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, कंपनी बाजार विस्तार और बाजार प्रवेश के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति को व्यापक बनाने पर ध्यान दे रही है। चिली और एस्टोनिया से पहले ऑर्डरों के साथ, कंपनी ने 82 देशों में अपने वैश्विक पदचिन्हों का विस्तार किया है।

डिजिटल कार्यनीति

प्रगति के नए अवसरों के सृजन और प्रचालनात्मक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का दोहन करने हेतु, एक डिजिटल रूपांतरण कार्यनीति विकसित की गई है और इसके निष्पादन के लिए 'कॉर्पोरेट डिजिटल रूपांतरण' समूह का गठन किया गया है। निदान एवं पूर्वानुमानित रखरखाव सेवाएं, सभी कर्मचारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और, कर्मचारी नियोजन में वृद्धि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का विकास प्राथमिक पहलें हैं।

लोगों का विकास

लोगों का विकास और उन्हें संगठन रूपांतरण कार्यनीति की ओर उन्मुख करना प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान स्थिति में, कर्मचारियों की जनसंख्या और व्यवसाय मिश्रण दोनों ही पारगमन के अधीन हैं। 'कॉर्पोरेट शिक्षण और विकास' (सीएलडी) समूह का गठन किया गया है और इसे प्रशिक्षण और विकास के व्यवसाय कार्यनीति से अनुकूलन में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, कर्मचारियों के ज्ञानार्जन प्रयास को सहयोग देने के लिए 'ज्ञानार्जन की आसानी, साझाकरण की आसानी, पहुंच की आसानी' के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी इंटरफेस में वृद्धि की जा रही है।

नवोन्मेष

भारतीय प्रचालन दशाओं के अनुसार प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और अपने इन–हाउस प्रयासों के माध्यम से मौजूदा उत्पादों को

समकालीन स्तरों तक उन्नयन बीएचईएल का प्रमुख प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता है। ऐसा अनुसंधान और विकास तथा नवोन्मेष पर कंपनी के सतत फोकस के कारण संभव हुआ है। पर्यावरण पर प्रचलित चुनौतियां जैसे शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और संबद्ध विनियम भी नए उत्पादों के लिए मांग सृजित कर रहे हैं। इसलिए, बीएचईएल परिणाम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आधार को और सुदृढ़ बना रहा है। समेकित और केंद्रित तरीके से इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास सक्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 'कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन' (सीटीएम) समूह का गठन किया गया है।

1.11 जोखिम और चिंताएं

बीएचईएल में बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है जिसमें कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र संरचना का प्रावधान किया गया है। सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में, बीएचईएल ने कंपनी की जोखिम अभिशासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की तयशुदा जिम्मेदारी के साथ 'बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति' (बीएलआरएमसी) का गठन किया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने तथा लागू करने एवं कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होते हैं और वे जोखिम प्रबंधन पर समय-समय पर बोर्ड/बीएलआरएमसी को रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप, शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियों द्वारा कंपनी के समक्ष आने वाले प्रमुख जोखिमों का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित रूप से बोर्ड/बीएलआरएमसी द्वारा समीक्षा की जाती है। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां संबंधित क्षेत्रों के जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, जोखिम में कमी की योजनाएं तैयार करती हैं, कार्यान्वियन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को, यदि ऐसा आवश्यक हो तो, सूचित भी करती हैं।

कंपनी के सामने कुछ प्रमुख जोखिमों, उनका प्रभाव और कंपनी द्वारा उनके न्यूनीकरण के लिए तत्संबंधी कार्यनीतियों की चर्चा नीचे तालिका में की गई है.

बीएचईएल, हरिद्वार में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल

जोखिम विवरण	न्यूनीकरण कार्यनीतियां
बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमताओं और अल्प व्यवसाय परिकल्पनाओं के कारण ऑर्डर बुक में कमी	• प्रस्तावों का विस्तार • विविध उत्पाद प्रोफाइल • गैर–कोयला व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना
ऑनलाइन डाटा एवं सूचना सुरक्षा उल्लंघन के कारण हानि और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना बाधित	• तकनीकी नियंत्रणों के लिए नीति लागू करना • कंपनी में साइबर सुरक्षा संबंधित घटनाएं पकड़ने की प्रणाली का कार्यान्वयन • आईएसओ 27001 आईएसएमएस मानकों के अनुरूप तृतीय पक्ष ऑडिट • व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा बहाली (डीआर) कार्यनीति • आपदा प्रबंधन समूह का गठन
बाहरी कारकों जैसे सरकारी नीति, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, आदि का प्रभाव जिससे व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है	• प्रशासनिक मंत्रालय और औद्योगिक संघों के माध्यम से नीतिगत बहस • प्रमुख व्यवसाय साझेदारों से संपर्क
बाजार की वर्तमान/भविष्य की जरूरतों को पूरा करने क लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी	• नए उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का इन–हाउस विकास • उपयुक्त साझेदारों के साथ तकनीकी सहयोग

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

अतुल सोबती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 19 जुलाई, 2017

अनुबंध–II

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

(सूचीयन विनियमन के विनियम 17(8) के अनुसार)

सेवा में,

निदेशक मंडल

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

नई दिल्ली

(क) हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन कथनों में कहीं भी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और न ही किसी भी तथ्य को छिपाया गया है या फिर ऐसा कोई बयान नहीं है, जो भ्रम पैदा करे;

(ii) कुल मिलाकर ये विवरण लागू भा.ले.मा., नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के साथ कंपनी के मामलों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं।

ख) हमारी जानकारी के अनुसार कंपनी ने 2016–17 में ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो धोखाधड़ी हो, अवैध हो या फिर कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें बरकरार रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय ब्योरे तैयार करने के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता का आकलन भी किया है। हमने ऑडिटरों और ऑडिट समिति के समक्ष इस तरह के आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या परिचालन में मौजूद खामियों के बारे में बताया है, अगर कोई ऐसी खामी हुई और हमें उसके बारे में जानकारी मिली तो हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं या ऐसी खामियां दूर करने का प्रस्ताव देते हैं

घ) हमने ऑडिटरों और ऑडिट समिति को बताया है :

(i) 2016–17 के दौरान वित्तीय विवरणों के आंतरिक नियंत्रण में आए व्यापक बदलावों के बारे में

(ii) 2016–17 के दौरान भा.ले.मा. के अनुरूप लेखाकरण नीतियों में आए व्यापक बदलावों के बारे में और यह जानकारी वित्तीय ब्यौरों में दिए गए नोट में भी दी गई है और

(iii) हमारे सामने आए धोखाधड़ी के बड़े मामले और उसमें कंपनी के किसी भी व्यक्ति, अगर कोई हो तो, के शामिल होने फिर चाहे वह प्रबंधन का हो या कर्मचारी, जो वित्तीय ब्योरे तैयार करने में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो।

(टी चोकालिंगम)	(अतुल सोबती)
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29 मई, 2017

अनुबंध–III
दीर्घकालिक विकास

3.1 दीर्घकालिक कार्यप्रदर्शन–पर्यावरणीय

दीर्घकालिक विकास का नियम हमारी व्यवसाय प्रक्रिया का मुख्य भाग है और हमारी प्रणालियों में सन्निहित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी चिन्ता कम से कम पर्यावरणीय उत्सर्जन के साथ उत्पादों का विकास, हमारे परिचालनों में कम से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ ईंधन का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों जैसे व्यवहार्य की सीमा तक कच्ची सामग्री एवं जल का पुनः चक्रण और जिम्मेदारीपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में हमारे प्रयासों में व्यक्त होता है। सामाजिक विकास के लिए हमारी चिंता हमारे सीएसआई कार्यक्रम में व्यक्त होती है जिसका उद्देश्य समाज के लिए समग्र विकास का बढ़ावा देना है। सामाजिक तौर पर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से कार्यरत हमारे सदाचार और हमारी स्थापना से निरंतर आर्थिक मूल्य वर्धन का इतिहास व्यवसाय की स्थिरता हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती से व्यक्त करता है।

पिछले कुछ वर्षों की तरह, इस वर्ष भी सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हमारे परिचालनों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पौधारोपण, वर्षा जल संचयन, हरित क्षेत्र का विकास, कमी–पुर्नचक्रण–पुनःउपयोग (3आर) के क्षेत्र में पहल एवं परियोजनाओं पर निरंतर जोर देने का उद्देश्य हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है।

पूरे बीएचईएल में 5 जून, 2016 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिन पूरे बीएचईएल में कर्मचारियों, छात्रों एवं आम जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यावरण से जुड़े विषयों पर जानकारी, पौधारोपण, पौधों का वितरण, पर्यावरण से जुड़े विषयों पर पोस्टर एवं बैनर, प्रतियोगिताएं, जैसे स्लोगन लेखन, पोस्टर बनाना आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

वर्ष 2016–17 के दौरान संधारणीय विकास संबंधित कुछ कार्यकलापों में एक झलक नीचे दी गई है:

3.1.1 सामग्री एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

विनिर्माण कार्यकलापों एवं परियोजना स्थलों में विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर इस वर्ष भी जारी रहा। वर्ष के दौरान सम्पादित कुछ विशिष्ट कार्यकलापों में लौह एवं अलौह स्क्रैप का पुर्नचक्रण, सिस्टम में सुधार द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, अपशिष्ट की रिकवरी एवं पुनः उपयोग आदि शामिल हैं।

कल के
बीएचईएल
BHEL
का निर्माण

3.1.2 ऊर्जा प्रबंधन

हमारे प्रतिष्ठानों में एनर्जी इंटेंसिव सिस्टम की बेहतर देखभाल, नेचुरल एयर फ्लो पर आधारित टर्बो वेंटिलेटर की स्थापना, पारंपरिक लाइटिंग सिस्टम को बदलकर एलईडी लाइटों का संस्थापन, छतों पर सौर संयंत्र, ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम (एसीवीएस) का संस्थापन, दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग के लिए कारखानें की साइड वाल पर एक्रेलिक शीटों का प्रावधान आदि के माध्यम से ऊर्जा खपत को कम करने के लिए निरंता प्रयास किया गया। वर्ष के दौरान त्रिची में 5 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से पूरे बीएचईएल में मार्च 2017 तक मेगावाट–स्तर सौर ऊर्जा संयंत्रों की संचित संस्थापित क्षमता 11.5 मेगावाट पहुंच गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न सौर प्रणालियों से उत्पादित विद्युत 14.82 मिलियन यूनिट पहुंच गई।

3.1.3 जल एवं जैवविविधता प्रबंधन

बीएचईएल में, जल एवं अपशिष्ट जल प्रणाली जल के पुर्नचक्रण एवं पुनः उपयोग पर विशेष जोर देने के साथ सततता से प्रबंधित की जाती है। हमारे कई प्रतिष्ठान जैसे हीप हैदराबाद, ईपीडी बेंगलुरु, ईडीएन बेंगलुरु, त्रिची यूनिट आदि बागवानी के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करते हैं। वर्ष के दौरान की गई कुछ विशिष्ट गतिविधियों में प्रक्रिया सुधार, जल आपूर्ति समय में कमी और जल के उचित उपयोग के लिए स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता लाना आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बीएचईएल में वनीकरण एक नियमित कार्यकलाप है। हमारे कारखाना परिसरों और टाउनशिप के भीतर हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पूरे उत्साह से पौधारोपण किया गया । हमारे ईडीएन बेंगलुरु यूनिट ने बेंगलुरु में नयनदाहल्ली स्टेशन से अट्टीगुप्पे स्टेशन तक मेट्रो लाइन के नीचे रोड के मध्य में विभिन्न किस्मों के हजारों पौधे लगाए ।

माननीय केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री अनंत गीते बीएचईएल, बेंगलुरु में पौधारोपण करते हुए

3.1.4 कार्बन प्रबंधन

ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता उपायों पर निरंतर जोर और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणालियों के संस्थापन के परिणामस्वरूप रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हमारे कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अतिरिक्त 5 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में हमारे प्रयासों को और बल मिला। कुल मिलाकर रिपोर्टाधीन अवधि में पूरे बीएचईएल में विभिन्न सौर प्रणालियों के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के कारण लगभग 14,378 एमटी कार्बन डाई आक्साइड समकक्ष कार्बन उत्सर्जन को रोका गया।

बीएचईएल तिरुचिरापल्ली में 5 एमडब्ल्यू सोलर पावर प्लांट, हरित विद्युत के इन–हाउस उत्पादन में विस्तार

3.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

हमारी संधारणीय प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन में कमी और उत्पादित अपशिष्ट का पुनः चक्रण एवं उनके पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। अपशिष्ट प्रबंधन में नियमित कार्यकलापों के अलावा, इस क्षेत्र में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए कुछ कार्यकलापों में एचईपी भोपाल में बहु प्रभावी वाष्पन प्रणाली के माध्यम से उचित शोधन के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में उत्पादित सभी अपशिष्टों का पुनःचक्रण, स्रोत पर अपशिष्ट का अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार के कूड़ेदान, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के लिए भंडारण सुविधा का सुधार, एचईआरपी वाराणसी और त्रिची यूनिटों में जैविक अपशिष्ट की कम्पोस्टिंग, ईडीएन बेंगलुरु में बीएचईएल परिसरों में बागवानी के लिए लगाए गए पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग आदि शामिल हैं। पूरे बीएचईएल में, पुनः बिक्रीयोग्य ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप का संग्रहण, सुरक्षित भंडारण और अधिकृत एजेंसियों/पुनःचक्रणकर्ताओं को बेचा जाता है। इसी प्रकार, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट का संगत विधानों में निर्धारित की गई प्रक्रिया/कार्य पद्धित को अपनाकर निपटान किया गया।

3.2 दीर्घावधि कार्यप्रदर्शन – सामाजिक

बीएचईएल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 के अनुरूप विविधीकृत क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआई पहलों के सम्पादन या सहयोग द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों पर हमेशा बचनबद्ध रहा है। ये पहलें पूरे देश में अधिकतर बीएचईएल प्रतिष्ठानों के आसपास की गई। वर्ष के दौरान बीएचईएल को अच्छे स्वास्थ्य एवं समाज के कल्याण के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सर्वांगीण पहल करने के लिए **"स्कोच ऑर्डर्स–ऑफ–मेरिट"** पुरस्कार प्रदान किया गया। बीएचईएल को दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों विशेषकर देश के दूरस्थ/पिछड़ें क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए 1 अक्टूबर, 2016 को **हेल्पएज इंडिया से पुरस्कार** मिला। बीएचईएल द्वारा वर्ष के दौरान सम्पादित सीएसआर कार्यकलापों (फोकस–क्षेत्रवार) का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वच्छ भारत

- बीएचईएल द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश में बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के 25 क्लस्टरों के निर्माण में सहायता दी जा रही है। परियोजना में प्रत्येक क्लस्टर के लिए सुरक्षित पेयजल का प्रावधान और चालू होने के बाद 2 वर्षों की अवधि के लिए रखरखाव भी शामिल है।

बीएचईएल द्वारा हरिद्वार एवं ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे स्थापित बायो–डायजेस्टर शौचालय

- वाराणसी नगर निगम को '' ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन के लिए स्वचालित प्रणाली'' हेतु परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- सैक्टर–17, नोएडा में डीएससी रोड के समानांतर कवर्ड आरसीसी ड्रेन का निर्माण और रजनीगंधा चौक, नोएडा के नजदीक सार्वजनिक शौचालय सुविधा के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

शिक्षित भारत

- बीएचईएल विनिर्माण यूनिटों में स्थित 30 से अधिक स्कूलों को चलाने में वित्तीय सहायता दे रहा है जिससे 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों को लाभ मिल रहा है।

- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 8 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों सहित 108 सरकारी स्कूलों में शौचालयों, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स का निर्माण एवं नवीनीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने और कुर्सी एवं मेज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

- बीएचईएल की तीन यूनिटों यानि हरिद्वार, झांसी और त्रिची के आसपास प्रत्येक यूनिट में एक मोबाइल साइंस लैब के संचालन हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

- बीएचईएल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की 100 बालिकाओं को उच्च शिक्षा में सहायता देने के लिए परियोजना ''उद्यान शालिनी'' को वित्तीय मदद दे रहा है।

''उद्यान शालिनी'' के अंतर्गत बीएचईएल द्वारा 100 बालिकाओं को वित्तीय मदद दी गई

- महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में छात्रों को 5,000 शैक्षणिक टेबल के वितरण के लिए वित्तीय मदद दी गई।

स्वस्थ भारत

- हमारे परियोजना स्थलों एवं विनिर्माण यूनिटों के आसपास 10 मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के प्रचालन के लिए वित्तीय मदद द्वारा हेल्पएज इंडिया, पीएचडीआरडीएफ और वॉकहार्ड्ट फाउंडेशन के साथ साझेदारी की गई जिससे वर्ष 2016–17 के दौरान एक लाख से अधिक रोगियों को लाभ मिला।

अपनी परियोजना साईटों तथा विर्निमाण यूनिटों के आस–पास बीएचईएल द्वारा उपलब्ध कराई गई मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस सेवा

- रायवाला, ऋषिकेश के नजदीक कैंसर रोग से ग्रस्त रोगियों की विशेष देखभाल हेतु 30 बिस्तरों वाले गंगा प्रेम आश्रय स्थल के निर्माण में वित्तीय मदद दी गई।

बीएचईएल के सहयोग से ऋषिकेश, उत्तराखंड के गंगा प्रेम आश्रय स्थल में कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए 30 बिस्तरों की सुविधा

- 1,021 हिमोफिलिक रोगियों को एंटी हिमोफिलिक फैक्टर (एएचएफ) के वितरण के लिए वित्तीय मदद दी गई। वर्ष के दौरान 20 कैम्प आयोजित किए गए जिससे 240 लाभार्थियों को लाभ मिला।

हरित भारत

- बीएचईएल ने भोपाल में 'स्कूलों में एक हरित परियोजना पहल "100 केडब्ल्यूपी ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर स्स्टिम के संस्थापन" का कार्य सम्पादित किया।
- रामकृष्ण मिशन आश्रम, नई दिल्ली में 75 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौलर पावर प्लांट की स्थापना में वित्तीय मदद दी गई।
- मेडक जिला, तेलंगाना में दो गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट और घरेलू लाइट स्थापित की गई।

मेडक गांव, तेलंगाना में बीएचईएल द्वारा लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट

उत्तरदायी एवं संयुक्त भारत

- देवांगेरे जिला, कर्नाटक में 3 गांवों में सीमेंट कंक्रीट रोड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- मध्य प्रदेश के खारगौन जिले के गरीब किसानों के कल्याण एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर वित्तीय सहायता ।
- कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज, भोपाल में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- स्त्री शक्ति भवन, देवनाहल्ली बेंगलुरु में महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गई और सिलाई में प्रशिक्षण दिया गया।

देवेनाहल्ली, कर्नाटक में बीएचईएल द्वारा महिलाओं के लिए सिलाई मशीन एवं सिलाई प्रशिक्षण की सुविधा

आपदा एवं विपत्ति

- बीएचईएल ने विजाग, आन्ध्र प्रदेश में हुद-हुद तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 96 मॉडल हाउस (फ्लैटों) का निर्माण किया है।

हुदहुद तूफान से पीड़ित परिवारों के लिए विजाग, आन्ध्र प्रदेश में बीएचईएल द्वारा निर्मित मॉडल फ्लैट

3.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की रिपोर्ट

1. सीएसआर रिपोर्टाधीन अवधि : 01.04.2016 से 31.03.2017 तक
2. सूचना में बीएचईएल की सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम से संबंधित कोई सीएसआर डाटा/जानकारी शामिल नहीं की गई है।
3. सीएसआर कार्यकलापों के संबंध में किसी अन्य इकाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

4. कम्पनी की सीएसआर नीति सहित निष्पादित की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य की संक्षिप्त जानकारी और सीएसआर पॉलिसी और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेबलिंक इस रिपोर्ट के **अनुबंध–क** में संलग्न किया गया है।

5. **बीएचईएल में सीएसआर समिति की संरचना** : बीएचईएल की सीएसआर समिति को सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसी) कहा जाता है जिसमें निदेशक (मा.सं.), निदेशक (वित्त), एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) शामिल होते हैं। समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होता है। सीएसआर समिति के संयोजन या पुनर्गठन में परिवर्तन के संबंध में निर्णय बोर्ड की अनुमति के अधीन सीएसआर समिति द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के लिए बीएलसी की संरचना नीचे दी गई है

नाम (सर्वश्री)	पदनाम	सीएसआर समिति में पद
सुश्री हरिन्दर हीरा*	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	अध्यक्षा
राजेश कुमार सिंह	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य 06.10.2016 तक
अंशु प्रकाश	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य 03.01.2017 तक
भास्कर ज्योति महन्त	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य 03.01.2017 से
डी. बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य
टी. चोकलिंगम	निदेशक (वित्त)	सदस्य

**श्री राजेश किशोर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) ने 15.05.2017 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है*

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना किया गया पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2013–14, 2014–15, 2015–16) का औसत निवल लाभ ₹ 1,874.21 करोड़ है।

7. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त प्वाइंट 6 में राशि का 2 प्रतिशत) ₹ 37.48 करोड़ बनता है जिसको देखते हुए बोर्ड ने वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर बजट के रूप में ₹ 37.50 करोड़ अनुमोदित किये हैं।

8. वित्तीय वर्ष (2016–17) के दौरान खर्च किये गए सीएसआर का विवरण

   क. वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹ 37.50 करोड़

   ख. निर्धारित की गई राशि लेकिन खर्च नहीं हुई ₹ 10.72 करोड़

   ग. वर्ष 2016–17 में खर्च की गई राशि इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख** में विस्तार से दी गई है।

9. राशि खर्च न होने का कारण

   क) वर्ष के दौरान चालू की गई कुछ परियोजनाएं 2016–17 से आगे भी चल रही हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राशि वित्त वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर बजट से उनको पहले आबंटित राशि से जुड़ी होगी।

   ख) शैक्षणिक पहलों में संलग्न अध्यापक एवं अन्य स्टॉफ के वेतन में संभावित बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए आबंटन की राशि बढ़ाई गई। तथापि, समय की कमी के कारण आबंटित की गई पूरी राशि का उपयोग नहीं हो सका।

   ग) कुछ परियोजनाओं में, निगरानी पर ज्यादा ध्यान देने से त्वरित निधि उपयोग किया गया जिससे आबंटित की गई राशि की तुलना में वास्तविक व्यय कम हुआ।

   घ) यह बताना उचित है कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीएसआर एवं संधारणीयता पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में खर्च न की गई राशि ₹ 10.72 करोड़ समाप्त नहीं की जाएगी बल्कि वित्त वर्ष 2017–18 में जोड़ दी जाएगी।

10. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यान्वियन एवं निगरानी कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुसार है।

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल)	(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2017

अनुबंध–क

बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की रूपरेखा

बीएचईएल का सीएसआर विज़न ''बेहतर भविष्य के लिए कार्यरत एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना है''। हमारा सीएसआर मिशन ''चिन्हित सीएसआर के मुख्य क्षेत्रों और कम्पनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध अन्य क्षेत्रों में कम्पनी की जिम्मेदारी को सावधानीपूर्वक एवं प्रभावी रूप से निष्पादित करना है''।

नीति के उद्देश्य :

बीएचईएल सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नीति, 2014 और मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण जिन्हें बीएचईएल शुरू करना चाहता है;
- इन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका;
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी प्रक्रिया;
- स्टेकहोल्डरों को बीएचईएल की सीएसआर परंपरा से अवगत कराना;
- व्यापार करने और सीएसआर एजेंडा के लक्ष्य को संधारणीय विकास जैसे बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निष्पादन।

नीति के प्रमुख बिंदु:

बीएचईएल की सीएसआर नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- यह कंपनी अधिनियम, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014, सीएसआर और संधारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है;
- सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल 6 में मौजूद गतिविधियों के आधार पर चैप्टर 2 (सीएसआर पॉलिसी स्टेटमेंट) में शामिल कर लिया गया है। यह हैं 1) संयुक्त भारत 2) स्वस्थ भारत 3) स्वच्छ भारत 4) शिक्षित भारत 5) जिम्मेदार भारत 6) हरित भारत 7) परंपरागत भारत;
- सीएसआर गतिविधियों (चैप्टर–3) के लिए सीएसआर बजट की गणना हेतु नीति में कंपनी अधिनियम में मौजूदा तीन आगामी वित्त वर्ष के औसत लाभ के 2 प्रतिशत का प्रावधान है;
- सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी स्थानीय इलाकों (जिला जिसमें इकाई मौजूद है और आसपास के जिलों में) को प्राथमिकता देगी और सीएसआर गतिविधियों की राशि का 75 प्रतिशत यहां खर्च करेगी। सामान्यतः सीएसआर पहलों को परियोजना मोड पर लिया जाएगा।
- सीएसआर गतिविधियों को परियोजना के तौर पर लिया जाएगा;
- परियोजना, जिसका कुल मूल्य (भले ही यह एक वित्त वर्ष या फिर इससे ज्यादा अवधि की हो) ₹ 2 करोड़ से अधिक है उसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाएगा। इसके प्रभाव का आकलन और गणना बाहरी एजेंसी करेगी;
- सीएसआर बजट के 5 प्रतिशत को दुर्घटना/आपदा में राहत बचाव कार्य के लिए आपातकालीन फंड बनाया गया है;
- कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014, डीपीई दिशानिर्देश 2014, के अंतर्गत सीएसआर बजट का 5 प्रतिशत क्षमता विकास के लिए रखा जाएगा जिसमें एडमिनिस्टेटिव ओवरहेड भी शामिल है। इस फंड का इस्तेमाल अधिकारियों और निष्पादन एजेंसियों (ऐसी एजेंसियां जिनका तीन वित्त वर्ष का अच्छा रिकॉर्ड हो) के क्षमता विकास के लिए किया जाएगा, सीएसआर स्टाफ के वेतन का बेसलाइन सर्वे और इंपैक्ट एसेसमेंट;
- कार्यावयन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र परिभाषित किया गया है।
- कॉरपोरेट स्तर पर तीन स्तरीय सीएसआर संरचना (बोर्ड लेवल कमेटी (बीएलसी), लेवल–1 कमेटी और लेवल 2–कमेटी, अपने सदस्यों और अपनी भूमिकाओं के साथ), सीएसआर नोडल अधिकारी (संबंधित यूनिट हेड) और यूनिट/रीजन/डिवीजन लेवल पर सीएसआर समितियां (अपनी भूमिकाओं के साथ) परिभाषित की गई हैं।

सीएसआर नीति का वेब–लिंक : बीएचईएल की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट सीएसआर शीर्षक के अंतर्गत http://www.bhel.com/CSR/pdf/BHEL-CSR-Policy-December-2014.pdf पर मौजूद है।

अनुबंध–क

वित्त वर्ष 2016–17 में खर्च की गई सीएसआर निधि का व्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहां कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
1	नेयेली और मेलाकुप्पम, मुधानई, सेप्लानाथम में सरकारी स्कूलों मे शौचालयो का निर्माण	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, कुड्डालौर	9.90	9.81	9.81	सीधे	बीएचईएल – पीएसएसआर, चेन्नई
2	स्कूलों/गावों/पिछड़े क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय महाराष्ट्र, नागपुर	10.00	9.41	9.41	सीधे	बीएचईएल – पीएसडब्ल्यूआर, नागपुर
3	सेलॉन कॉलोनी नेवलपट्टू मे पुरूषो के लिए नये शौचालयो का निर्माण	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	8.00	8.00	8.00	सीधे	बीएचईएल – एचपीबीपी, त्रिची
4	महात्मा ज्योतिबा फुले अमासिका, चन्द्रपुर को शौचालय निर्माण के लिए सहायता	1 स्वच्छ भारत	अन्य, महाराष्ट्र, चन्द्रापुर	3.50	3.50	3.5	कार्यान्वयन एजेंसी	महात्मा ज्योतिबा फुले अमासिका, बुद्धिस्ट समन्वय कृति समिति
5	शौचालयो का निर्माण–येरमारस सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल, चिक्कासुगुरू	1 स्वच्छ भारत	अन्य, कर्नाटक, रायचूर	3.47	3.46	3.46	सीधे	बीएचईएल – पीएसएसआर, चेन्नई
6	लोकसेवा शिक्षण विकास ट्रस्ट, गुजरात द्वारा मुडेथा स्कूल मे जल शोधन (आरओ) सिस्टम का प्रावधान	1 स्वच्छ भारत	अन्य, गुजरात, बानसकाठा	3.00	3.00	3.00	कार्यान्वयन एजेंसी	लेकसेवा शिक्षण विकास ट्रस्ट
7	सुरक्षित पेयजल, दुराचाटी एवं ब्रजवल्लभपुर ग्राम	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, पश्चिम बंगाल, साउथ 24 परगना	2.47	2.47	2.47	कार्यान्वयन एजेंसी	साउथ सुंदरबन जनकल्याण संघ (एसएसजेएस)
8	पीपीपीयू थिरुमायम के नजदीक ओनैयुर मे निरतर ऑपरेशन के लिए जरूरी पाइपिंग एवं वाल्व्स के साथ पेडस्टल, पेवमेंट और ड्रेनेज सिस्टम सहित टेप के साथ 2000 ली. जल भडारण टैंक एवं आरओ जल सुविधा का सस्थापन	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, पुडुकोट्टेई	2.10	2.10	2.10	सीधे	बीएचईएल– पीपीपीयू, थिरूमायम
9	झांसी जिले के 5 गांवों में जैव–शौचालयों का प्रावधान	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	2.00	2.00	2.00	कार्यान्वयन एजेंसी	उपमान महिला संस्थान
10	सेलॉन कॉलोनी नेवलपट्टू मे महिलाओ के लिए वर्तमान शौचालयो का नवीनीकरण	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	2.00	2.00	2.00	सीधे	बीएचईएल– एचपीबीपी, त्रिची
11	सरकारी स्कूल मे शौचालय निर्माण	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, उत्तराखण्ड, उधम सिंह नगर	2.00	1.91	1.91	कार्यान्वयन एजेंसी	पर्यावरण एवं जनकल्याण समिति
12	नजदीकी स्कूलो मे आरओ वाटर प्लाट की स्थापना	1 स्वच्छ भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	4.15	1.38	1.38	सीधे	बीएचईएल– एचपीबीपी, त्रिची
13	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पजाब, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखण्ड मे वर्ष 2016–17 मे ₹1 लाख से कम खर्च के साथ सेनीटेशन एव सुरक्षित पेयजल पर व्यय सबधित अन्य परियोजनाएं	1 स्वच्छ भारत	लागू नहीं अखिल भारत, विभिन्न स्थान	40.85	0.70	0.70	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एक वर्ष के लिए आउटरीच क्लिनिको एवं होम केयर सेवाओ के माध्यम से चेन्नई और कांचीपुरम जिलो मे गरीब एव बेघर लोगो के लिए बनयान द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पहले	1 स्वस्थ भारत	अन्य, ओडिशा, अगुल	27.81	13.91	13.91	कार्यान्वयन एजेंसी	दि बनयान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहां कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
15	दिशा फाउंडेशन के सहयोग से विविध अक्षमताओं वाले बच्चो के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर	6.25	6.25	6.25	कार्यान्वयन एजेंसी	दिशा फाउंडेशन
16	साइटलाइफ के सहयोग से कॉर्नियल दृष्टिबाधिता को दूर करने के लिए समर्पित नेत्र दान परामर्शदाताओं के लिए वित्तीय सहायता	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर	6.21	6.14	6.14	कार्यान्वयन एजेंसी	सैल्फीलाइफ इंडिया
17	मैसर्स हेल्पएज इंडिया–विशोकानंद वृद्धाश्रम सोसाइटी बिजनौर को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तराखंड, बिजनौर	4.30	4.30	4.30	कार्यान्वयन एजेंसी	हेल्पएज इंडिया
18	एनसीआर मे दूरस्थ क्षेत्रो मे नेत्रजांच एवं कैटारेक्ट सर्जरी कैम्प, विभिन्न स्थानो पर ओपीडी और आई–केयर अस्पताल, नोएडा मे केटारैक्ट सर्जरी	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर	3.10	3.10	3.10	कार्यान्वयन एजेंसी	आईकेयर अस्पताल
19	रोटरी क्लब / अन्य एजेंसियो के माध्यम से जरूरतमदो एवं गरीब लोगो के लिए विभिन्न रोगो के निदान हेतु चिकित्सा शिविर	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	3.00	2.50	2.50	कार्यान्वयन एजेंसी	रोटरी क्लब
20	यूनिट के आसपास रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता, चिकित्सा जाच, नेत्रजाच आदि	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, आन्ध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम	2.27	2.26	2.26	क्पतमबज	बीएचईएल – एचपीवीपी, विजाग
21	नदलाला मेडिकल फाउंडेशन मे उपकरणो / उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, कर्नाटक, बेंगलुरू	3.60	1.90	1.90	कार्यान्वयन एजेंसी	नदलाला मेडिकल फाउंडेशन
22	समुदाय विकास योग कक्षाए	1 स्वस्थ भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	1.37	1.25	1.25	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
23	दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश मे वर्ष 2016–17 मे 1 लाख से कम खर्च के साथ सेनीटेशन एवं सुरक्षित पेयजल पर व्यय संबधित अन्य परियोजनाए	1 स्वस्थ भारत	लागू नहीं, अखिल भारत, विभिन्न स्थान	9.03	3.51	3.51	लागू नही	लागू नही
24	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तराखण्ड, हरिद्वार	1261.00	612.00	612.00	सीधे	बीएचईएल – हीप, हरिद्वार
25	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	510.00	327.20	327.20	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
26	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झासी	330.00	326.75	326.75	सीधे	बीएचईएल – टीपी, झासी
27	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	162.90	158.52	158.52	सीधे	बीएचईएल – जगदीशपुर
28	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, आन्ध्र प्रदेश, विशाखापट्नम	150.00	141.73	141.73	सीधे	बीएचईएल – एचपीवीपी, विजाग
29	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	140.00	138.81	138.81	सीधे	बीएचईएल – एचपीबीपी, त्रिची
30	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तमिल नाडु, वेल्लौर	70.00	67.42	67.42	सीधे	बीएचईएल – बीएपी, रानीपेट
31	विभिन्न श्रेणियो के छात्रो को छात्रवृत्तियां : क. अनाथ, विधवा और दिव्यागजन ख. बीई / बीटेक एवं एलएलबी छात्र ग. एमबीबीएस एवं बीएससी नर्सिंग छात्र घ. आईआईटी के दिव्याग छात्र ड पॉलीटैक्निकों के दिव्यान छात्र	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	20.18	18.17	18.17	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहां कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
32	नेशनल कॉलेज, त्रिची–एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में पुस्तकालय भवन के लिए लिफ्ट	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली	14.50	14.50	14.50	कार्यान्वयन एजेंसी	एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
33	स्कूल व्यय	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तेलंगाना, मेडक	55.00	8.86	8.86	सीधे	बीएचईएल – एचपीईपी, हैदराबाद
34	बेंच, पंखे, कम्प्यूटर, डीडब्ल्यूओ	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, झारखंड, बिरीहिड	8.87	5.04	5.04	कार्यान्वयन एजेंसी	दीप वेलफेयर संगठन (डीडब्ल्यूओ)
35	दिल्ली/एनसीआर में 3 सरकारी स्कूलों में 8 नग स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	5.00	5.00	5.00	कार्यान्वयन एजेंसी	बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन
36	नृत्यांजलि के माध्यम से स्कूलों, 40 मैरी एएनएन. प्राइमरी स्कूल एवं 28 एल एन इंगलिश स्कूल में बेंच एवं ब्लैकबोर्ड का प्रावधान	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, महाराष्ट्र, मुम्बई	3.50	3.32	3.32	कार्यान्वयन एजेंसी	नृत्यांजली
37	स्कूलों में कम्प्यूटर/फर्नीचर/वाटर प्यूरिफायर एवं कूलर का प्रावधान	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, महाराष्ट्र, मुम्बई	3.28	3.18	3.18	सीधे	बीएचईएल – पीएसडब्ल्यूआर, नागपुर
38	केन्द्रीय विद्यालय, जगदीशपुर, अमेठी में शौचालय एवं लैब की मरम्मत	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	2.86	2.86	2.86	सीधे	बीएचईएल – आईपी, जगदीशपुर
39	बीएचईएल लेडिज क्लब के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	2.24	2.24	2.24	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
40	तरण तारण जिले में 4 स्कूलों में वाटर कूलर, वाटर फिल्टर एवं स्टेबलाइजर का संस्थापना	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, पंजाब, तरण तारण	2.04	2.04	2.04	सीधे	बीएचईएल – आईवीपी, गोइंदवाल
41	प्राइमरी स्कूल, हेदे एवं जगदीशपुर में बेंच एवं डेस्क वितरण	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	2.00	2.00	2.00	सीधे	बीएचईएल सीएसयू एवं एफपी, जगदीशपुर
42	बीपीएल छात्रों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	2.70	1.61	1.61	कार्यान्वयन एजेंसी	उपमा महिला संगठन
43	चंदनायक नगर में जीवीएसएस स्कूल का संचालन एवं रखरखाव	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तेलंगाना, हैदराबाद	1.60	1.60	1.60	सीधे	बीएचईएल कॉर्पो. आरएंडडी, हैदराबाद
44	सरकारी प्राथमिक स्कूल, थिरूमायम में कक्षाओं की रिफ्लोरिंग एवं रंगरोगन (पेन्टिंग)	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, पुडुकोट्टई	1.55	1.35	1.35	सीधे	बीएचईएल – पीपीपीयू, थिरूमायम
45	अट्टी गुप्पे स्कूल में वर्दी का वितरण	2 शिक्षित भारत	स्थानीय, कर्नाटक, बंगलौर	1.04	1.04	1.04	सीधे	बीएचईएल – ईडीएन, बेंगलुरू
46	कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में वर्ष 2016–17 में ₹1 लाख से कम खर्च के साथ शिक्षा से संबंधित अन्य परियोजनाएं	2 शिक्षित भारत	लागू नहीं अखिल भारत, विभिन्न स्थान	25.19	1.74	1.74	लागू नहीं	लागू नहीं
47	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली	91.09	91.09	91.09	सीधे	बीएचईएल – एचपीबीपी, त्रिची
48	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	36.10	36.10	36.10	सीधे	बीएचईएल कॉर्पो. कार्यालय, दिल्ली
49	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	24.77	24.77	24.77	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
50	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, कर्नाटक, बेंगलुरू	23.98	23.98	23.98	सीधे	बीएचईएल ईडीएन, बेंगलुरू

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहा कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
51	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तराखड, हरिद्वार	21.78	21.78	21.78	सीधे	बीएचईएल – हीप, हरिद्वार
52	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तेलगाना, मेडक	19.47	19.47	19.47	सीधे	बीएचईएल – हीप, हैदराबाद
53	आईटीसीओटी के माध्यम से बेरोजगार युवाओ के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, चेन्नई	9.43	9.43	9.43	कार्यान्वयन एजेसी	आईटी कसल्टेसी एड सर्विसेज लि.
54	10 स्थानों पर पीटीएफ के माध्यम से निःशुल्क टयूशन केन्द्र का सचालन	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	16.10	9.20	9.20	कार्यान्वयन एजेसी	पूथिया थलाईमुराई फाउडेशन (पीटीई)
55	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, वेल्लौर	8.84	8.84	8.84	सीधे	बीएचईएल – बीएपी, रानीपेट
56	सीआईआई फाउडेशन के माध्यम से रोजगार सृजन	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	8.77	8.77	8.77	कार्यान्वयन एजेसी	सीआईआई फाउडेशन
57	एकलव्य फाउडेशन द्वारा कामगारों को प्रशिक्षण	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तेलगाना, मेडक	8.50	7.86	7.86	कार्यान्वयन एजेसी	एकलव्य फाउडेशन
58	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, पुडुकोट्टइ	7.86	7.86	7.86	सीधे	बीएचईएल – पीपीपीयू, थिरूमायम
59	बिहार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आओ सक्षम बने प्रोग्राम को सहायता	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, वाराणसी	6.00	5.99	5.99	कार्यान्वयन एजेसी	बिहग वेलफेयर एसोसिएशन
60	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, कर्नाटक, बेगलुरू ग्रामीण	5.70	5.70	5.70	सीधे	बीएचईएल – ईपीडी, बेगलुरू
61	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	3.65	3.65	3.65	सीधे	बीएचईएल – आईपी, जगदीशपुर
62	विभिन्न ट्रेडों जैसे टेलरिग, पर्स मेकिंग, गुलदस्ता बनाना, ब्यूटिशियन, सगीत, नृत्य आदि मे कौशल विकास	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तराखण्ड, हरिद्वार	3.36	3.35	3.35	सीधे	बीएचईएल – हीप, हरिद्वार
63	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	3.23	3.23	3.23	सीधे	बीएचईएल – आईओ डिविजन, दिल्ली
64	बीएचईएल लेडीज क्लब के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम जैसे ब्यूटिशियन, मेहदी, रगोली, पेन्टिग, सिलाई, डास क्लास आदि	2 सक्षम भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	2.92	2.92	2.92	सीधे	बीएचईएल न्एचईपी, भोपाल
65	टीआरईएटी के माध्यम से बदियो के लिए वेल्डिग पर कौशल विकास	2 सक्षम भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	2.88	2.88	2.88	कार्यान्वयन एजेसी	सीआईआई फाउडेशन
66	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, आन्ध्र प्रदेश, विशाखापटनम	2.13	2.13	2.13	सीधे	बीएचईएल – एचपीवीपी, विजाग
67	कम आय वाली महिलाओ के लिए जूट बैग/फोल्डर बनाने का कार्य	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तराखण्ड, उधम सिह नगर	2.50	1.87	1.87	कार्यान्वयन एजेसी	पर्यावरण एव जनकल्याण समिति
68	कौशल विकास व्यय	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	1.75	1.75	1.75	सीधे	बीएचईएल – टीबीजी, नोएडा
69	सेटू एनजीओ के माध्यम से महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए हाई एड इडस्ट्रियल ट्रेनिग	2 सक्षम भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	1.43	1.41	1.41	कार्यान्वयन एजेसी	सीईटीयू स्किल सेन्टर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहां कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
70	आन्ध्र प्रदेश, झारखड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश मे वर्ष 2016–17 मे ₹ 1 लाख से कम खर्च के साथ कौशल विकास एव प्रशिक्षण से संबधित अन्य परियोजनाए	2 सक्षम भारत	लागू नही अखिल भारत, विभिन्न स्थान	12.88	0.85	0.85	लागू नही	लागू नही
71	कामकाजी महिला हॉस्टल की सुरक्षा प्रदान करना	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, उत्तराखण्ड, हरिद्वार	9.68	9.67	9.67	सीधे	बीएचईएल हीप, हरिद्वार
72	श्री सनातन धर्म सभा, भागवत धाम द्वारा संचालित वृद्धाश्रम को वित्तीय मदद	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	3.00	3.00	3.00	कार्यान्वियन एजेसी	सनातन धर्म सभा
73	एएलआईएमसीओ के माध्यम से ट्राइसाइकिल, बच्चो की व्हील चेयर, युवाओ की व्हील चेयर, कोहनी वैशाखी साइज–2, ऑग्जिलरी बैशाखी बड़ी, वाकिग स्टिक, ब्रेले केन, एमएसआईईडी किट, बीटीई डिजिटल हीयरिग एड, 6 पैक 13 जिक एयर बैटरी	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, तेलगाना, मेडक	2.00	1.97	1.97	कार्यान्वियन एजेसी	एएलआईएमसीओ
74	आश्रय–आकृति द्वारा बधिर बच्चो के लिए 2 विशेष शिक्षकों के मानेदय के लिए 50 प्रतिशत फडिग और एक सहायक स्टाफ–अध्यापन के मानदेय के लिए 50 प्रतिशत फडिग	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, तेलगाना, हैदराबाद	1.68	1.68	1.68	कार्यान्वियन एजेसी	आश्रय आकृति
75	आरम्भ द्वारा ऑटिज्म से प्रभावित दो बच्चों के लिए एक शिक्षक के लिए 25 प्रतिशत फडिग का प्रावधान एवं शुल्क का भुगतान	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, तेलगाना, हैदराबाद	1.49	1.49	1.49	कार्यान्वियन एजेसी	आरम्भ
76	एलआईएमसीओ के माध्यम से ट्राइसाइकिल एव व्हील चेयर (34 ट्राइसाइकिल एव 36 व्हील चेयर)	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, पश्चिम बगाल, कोलकाता	4.90	1.45	1.45	कार्यान्वियन एजेसी	एएलआईएमसीओ
77	विशेष बच्चो के लिए श्री विद्या सेन्टर द्वारा 1 विशेष शिक्षक के लिए 50 प्रतिशत फडिग और एक जूनियर अध्यापक के लिए 50 प्रतिशत फडिग	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, तेलगाना, हैदराबाद	1.38	1.38	1.38	कार्यान्वियन एजेसी	श्री विद्या सेन्टर
78	मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चो के लिए स्वीकार मे 2 विशेष शिक्षको के वेतन मे 25 प्रतिशत की वित्तीय मदद	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, तेलगाना, हैदराबाद	1.20	1.20	1.20	कार्यान्वियन एजेसी	स्वीकार
79	दिव्य ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट को ब्रेले पेपर आदि प्रदान करना	3 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, कनार्टक, बेगलूरु	1.06	1.05	1.05	कार्यान्वियन एजेसी	दिव्य ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट
80	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तर प्रदेश मे वर्ष 2016–17 मे ₹ 10 लाख से कम खर्च के साथ समुदाय विकास, आपदा राहत एव सामाजिक उत्थान से सबधित अन्य परियोजनाए	3 जिम्मेदार भारत	लागू नहीं अखिल भारत, विभिन्न स्थान	44.28	3.10	3.10	लागू नहीं	लागू नहीं
81	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नई दिल्ली मे 75 केडब्ल्यूपी क्षमता सोलर पीवी प्लाट का सस्थापन	4 हरित भारत	स्थानीय, राजस्थान, जयपुर	52.87	52.87	52.87	कार्यान्वियन एजेसी	रामकृष्ण मिशन
82	चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र मे सामुदायिक केन्द्र/विहार/हॉल मे सोलर लाइटिग सिस्टम का प्रावधान	4 हरित भारत	अन्य, महाराष्ट्र, चन्द्रपुर	4.00	3.19	3.19	कार्यान्वियन एजेसी	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक बहुद्देशीय समिति
83	समुदायिक विकास पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम	4 हरित भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	0.50	0.41	0.41	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
84	डॉ. चिन्ना मौलाना ट्रस्ट के माध्यम से 4 स्थानो पर छात्रों को नाधास्वरम और थाविल मे अग्रिम प्रशिक्षण	5 हेरीटेज भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	3.60	3.60	3.60	कार्यान्वियन एजेसी	डॉ. चिन्ना मौलाना ट्रस्ट
85	डॉ. चिन्ना मौलाना ट्रस्ट के माध्यम से बीपीएल छात्रो को संगीत उपकरण प्रदान करना	5 हेरीटेज भारत	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली	1.00	1.00	1.00	कार्यान्वियन एजेसी	डॉ. चिन्ना मौलाना ट्रस्ट
86	सिमरावती गाव मे श्मशान सरचना का प्रावधान करना	10 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झासी	3.30	0.00	0.00	सीधे	बीएचईएल – टीपी, झासी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना आती है (सातवीं अनुसूची की मद सं.) एवं बीएचईएल मुख्य क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिला जहां कार्यक्रम सम्पादित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना–वार	परियोजना या कार्यक्रम में खर्च की गई राशि (2016–17)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
87	नया बसेरा बस्ती, कोट्रा सुल्तानाबाद, भोपाल में संत रविदास सामाजिक भवन का संरचनागत कार्य	11 जिम्मेदार भारत	स्थानीय, मध्य प्रदेश, भोपाल	5.00	3.83	3.83	सीधे	बीएचईएल – एचईपी, भोपाल
88	प्रशासनिक उपशीर्षों पर व्यय सहित क्षमता निर्माण व्यय	क्षमता निर्माण	लागू नहीं, अखिल भारत, विभिन्न स्थान	348.14	340.86	340.86	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल			**3750.00**	**2678.48**	**2678.48**		

संलग्नक–IV

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2016–17

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :** एल74899डीएल1964जीओआई004281
2. **कंपनी का नाम :** भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता :** बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049
4. **वेबसाइट :** www.bhel.com
5. **ईमेल आईडी :** shareholderquery@bhel.in
6. **रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष :** 2016–17
7. **कंपनी जिन क्षेत्रों में कार्यरत है :** "कार्पोरेट प्रोफाइल", वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 देखें
8. **उन तीन मुख्य उत्पादों सेवाओं की सूची जिन्हें कंपनी निर्मित/प्रदत्त करती है :**

   क. थर्मल पावर प्लांट के लिए स्टीम टरबाइन, जेनरेटर, बॉयलर और सहायक उपकरण (एनआईसी कोड : समूह 281)

   ख. लोकोमोटिव, प्रोपल्शन उपकरण, ट्रैक्शन मोटरें/आल्टरनेटर (एनआईसी कोड : समूह 302)

   ग. ट्रांसमिशन खंड के लिए पावर और इन्सट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, स्विचगियर, कपेसिटर, इन्सुलेटर, एफएसीटीएस और एचवीडीसी प्रणाली (एनआईसी कोड : समूह 271)

9. **उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं :**

   क. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)

   बीएचईएल द्वारा जहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं वे प्रमुख स्थान हैं जकार्ता (इंडोनेशिया), त्रिपोली (लीबिया), थिम्पू (भूटान), दुबई (यूएई)।

   ख. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

   कंपनी के 17 विनिर्माण डिविजन, 2 मरम्मत इकाइयां, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सर्विस सेंटर और 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं।

10. **कंपनी द्वारा सेवारत बाजार :** बीएचईएल द्वारा राष्ट्रीय के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेवाएं दी जाती हैं।

खंड ख : कंपनी के वित्तीय विवरण (2016–17)

1.	**प्रदत्त पूंजी**	:	₹ 489.52 करोड़
2.	**कुल कारोबार**	:	₹ 28,840 करोड़
3.	**कर पश्चात कुल लाभ**	:	₹ 496 करोड़
4.	**सीएसआर और एसडी पर किया गया कुल व्यय**	:	₹ 37.50 करोड़ (आगे बढ़ायी गई ₹ 10.72 करोड़ की व्यय न की गई राशि सहित)

5. **उन गतिविधियों की सूची जिनमें सीएसआर पर व्यय किया गया है : "संधारणीय विकास" पर अनुबंध–3 देखें।**

खंड ग : अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**

   जी हां, 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बीएचईएल की एक सहायक कंपनी – बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल), कासरगोड है।

2. **क्या सहायक कंपनी/कंपनियां पेरेंट कंपनी की बीआर इनिशिएटिव में भाग लेती हैं? यदि हां, तब ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या के बारे में सूचित करें?**

   बीएचईएल–ईएमएल, कासरगोड बीएचईएल की बीआर इनिशिएटिव में भाग नहीं लेती है। तथापि, बीएचईएल–ईएमएल एक अनुसूचित ''सी'' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करती है।

3. **क्या कंपनी किसी अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर आदि) के साथ व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर इनिशिएटिवों में भाग लेती है? यदि हां, तब ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? (30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक)**

   अधिकांश मामलों में, बीआर इनिशिएटिव केवल बीएचईएल द्वारा ही किए जाते हैं।

खंड घ : बीआर जानकारी

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण**

   क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
i.	डीआईएन नंबर (यदि लागू है)	07221633
ii.	नाम	डी. बंद्योपाध्याय
iii.	पदनाम	निदेशक (एचआर)
iv.	दूरभाष नंबर	011 26001003
v.	ई–मेल आईडी	db@bhel.in

2. **सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हां/ना में उत्तर दें)**

निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और आर्थिक दायित्वों पर राष्ट्रीय वालंटरी दिशानिर्देशों (एनवीजी) को व्यवसाय दायित्व के नौ क्षेत्रों में अपनाया गया है। ये संक्षिप्त रुप से निम्नानुसार हैं :

पी1: व्यवसाय आचार, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अपने आप को संचालित और शासित करने वाला होना चाहिए।

पी2: व्यवसाय उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने वाला होना चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा संपूर्ण जीवन चक्र की स्थिरता में योगदान देते हैं।

पी3: व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4: व्यवसाय सभी स्टेकधारकों, विशेषतौर पर जो वंचित, कमजोर और सीमान्त हैं, को आदर देने वाला तथा उनके हितों के अनुरुप होना चाहिए।

पी5: व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान एवं उन्हें प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए।

पी6: व्यवसाय पर्यावरण को आदर, सुरक्षा और उसे सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए।

पी7: जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में कार्यरत हैं तो व्यवसाय को ऐसा जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।

पी8: व्यवसाय को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

पी9: व्यवसाय को जिम्मेदारी पूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को अहमियत देने के कार्य में संलग्न होना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी1	पी1	पी1	पी1	पी1	पी1	पी1	पी1
1.	क्या आपके पास ...... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या नीति संबंधित स्टेकधारकों के परामर्श के साथ तैयार की जा रही हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मेल खाती है? यदि हां, तो बताएं? (50 शब्दों में)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां, तो क्या उस पर एमडी/मालिक/सीईओ/उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए कंपनी में निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की निर्धारित समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक सूचित करें?	जहां लागू है वहां लिंक प्रदान किए गए हैं								
7.	क्या नीति के बारे में सभी आंतरिक एंव बाहरी स्टेकधारकों को औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी में कोई आंतरिक व्यवस्था की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकधारकों की शिकायतों का समाधान करने के बारे में कंपनी में कोई शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन कराया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां

टिप्पणियां

1. हमने इन सिद्धांतों पर आधारित कई प्रथाएं स्थापित की हैं, परन्तु इनमें से कुछ के संबंध में हमारे पास औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं हैं। हम आने वाले समय में ऐसी नीतियां तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

2. बोर्ड द्वारा एक बार नीति का अनुमोदन कर देने के बाद, सीएमडी/बोर्ड निदेशक द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने जरुरी नहीं हैं।

3. संगठन की नीतियों और पद्धतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, सीएजी, संसदीय समिति, निदेशक मंडल, कार्यात्मक निदेशकों की समिति, बोर्ड स्तरीय समितियों और/या प्रबंधक समिति आदि के अंतर्गत/द्वारा ऑडिट/समीक्षा के अधीन हैं।

2क. यदि किसी सिद्धांत के लिए मद संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है, कृपया स्पष्ट करें कि क्यो : (2 विकल्पों पर निशान लगाएं)

नीति समर्थन से संबंधित सिद्धांत 7 के संदर्भ में, हमने ''जिम्मेदारी पूर्वक नीति समर्थन'' पर आधारित प्रथाएं स्थापित की हैं, परन्तु कोई नीति दस्तावेज नहीं तैयार किया है। हम आने वाले समय में ऐसी नीतियां तैयार करने की योजना बना रहे हैं।

3. बीआर से संबंधित शिकायतें

- **वह आवृति बताएं जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन की समीक्षा की जाती है। (3 माह के भीतर, 3–6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)**

बीएचईएल में सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक 2016–17 के दौरान दो बार आयोजित की गई। जबकि बीएचईएल में सीएसआर गतिविधियों की मूल्यांकन एवं समीक्षा करने के लिए बीएचईएल बोर्ड की बैठक 2016–17 में छः बार आयोजित की गई।

- **क्या कंपनी बीआर अथवा संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितने समय केबाद प्रकाशित की जाती है?**

बीएचईएल अपनी संवहनीयता रिपोर्ट वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। पिछले 3 वर्षों की रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक के माध्यम से कार्पोरेट वेबसाइट पर एक्सेस की जा सकती है:

http://www.bhel.com/healthsafety/global_compact.php

खंड ड. : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

कंपनी में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'व्यवसाय आचरण और नैतिकता के लिए कोड' है जिसका अनुपालन सीपीएसई के लिए निगमित शासन के डीपीई मार्गनिर्देशों की आवश्यकताओं तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार किया जाता है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/Code_of_Business_Conduct_and_Ethics.pdf

बोर्ड ने निदेशक मंडल के लिए चार्टर निर्धारित किया है जो बोर्ड तथा व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका और दायित्वों को स्पष्ट रुप से परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को सुरक्षित रखने पर बल देती है तथा ऐसी सूचना के दुरुपयोग को रोकती है। इसके लिए बोर्ड ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) अधिनियम, 2015 के अनुसार ''इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता–2015'' नीति का अनुमोदन किया है तथा लिस्टिंग विनियमन बोर्ड सदस्यों तथा कंपनी के अन्य नामित कर्मचारियों को शासित करता है। कोड अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाएं और पद्धतियां भी प्रदान करता है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/BHEL-Insider-Trading-Code-2015.pdf

कारपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग अधिनियम के अनुसार, बीएचईएल डीएचआई तथा स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने आंतरिक परिचालन दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जिनमें संबंधित विभाग प्रमुखों/निर्माण इकाइयों को अपने क्षेत्र से संबंधित संयोजित व्यक्ति के लिए कोड से संबंधित सूचना को समय पर भिजवाने की अनिवार्यता है। लिस्टिंग अधिनियमों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक तौर पर यह पुष्टि करते हैं कि उन्होंने संबंधित वित्त वर्ष के दौरान व्यवसाय आचरण और नैतिकता कोड के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है तथा इस आशय की पुष्टि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में की जाती है। ''इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता – 2015'' के प्रयोजन के लिए निदेशक (वित्त) कंपनी का अनुपालन अधिकारी है।

इसके अलावा, अपने कर्मचारियों (स्थायी आदेशों द्वारा शासित कर्मचारियों को छोड़ कर) के लिए आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के लिए बीएचईएल के सतत प्रयास स्वरुप, ''बीएचईएल आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम, 1975'' बनाया गया है। यह धोखाधड़ी रोकथाम नीति तथा व्हिसल ब्लोअर नीति द्वारा संवर्धित है जो न केवल अस्वीकार्य प्रथाओं के विरुद्ध एक हथियार है बल्कि एक निवारक कानून भी है। कंपनी आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याधीन है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक ऑडिटरों तथा सीएजी द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है।

http://www.bhel.com/pdf/BHEL%20Fraud%20Prevention%20Policy.pdf

http://www.bhel.com/pdf/Whistle%20Blower%20Policy.pdf

http://www.bhel.com/pdf/Contact%20details%20of%20authorities%20under%20Whistle%20Blower%20Policy.pdf

बीएचईएल ने खरीद और करार को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ''सत्यनिष्ठा संधि'' अपनाने हेतु ट्रांसपिरेसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो नैतिक आचरण के लिए दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। बीएचईएल में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए तीन स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों (आईईएम) का पैनल नियुक्त किया गया है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का अनुमोदन प्राप्त है। बीएचईएल के भीतर, विभिन्न पदाधिकारियों के लिए ''शक्तियों का प्रत्यायोजन'' के द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित है। कार्य नीति, क्रय नीति तथा अन्य नीति दस्तावेज बीएचईएल की कार्यप्रणाली तथा सत्यनिष्ठा के सर्वोच्च क्रम में पारदर्शिता सुगम बनाते हैं। सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत वर्ष के दौरान सप्लायरों के छः अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से पांच का निपटान आईईएम द्वारा किया जा चुका है। एक शिकायत प्रक्रियाधीन है।

कंपनी में एक स्टेकधारक संबंध समिति है जो विशेषतौर पर शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निपटान संबंधी मामलों को देखने के लिए गठित की गई है। जैसा कि मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा सूचित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 488 शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा 31 मार्च, 2017 तक सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

इसके अलावा, 2016–17 के दौरान केंद्रीय जन शिकायत निवारण और निगरानी योजना के अंतर्गत आम जनता से कुल 269 जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों का निपटान 60 दिनों की निर्धारित अवधि के बीच कर दिया गया।

सिद्धांत 2 : उत्पाद जीवन चक्र स्थिरता

बीएचईएल अपनी वैल्यू चैन में विस्तृत और पर्यावरण सहायक व्यवसाय प्रथाएं शामिल करने के संप्रयोग के संवहनीय विकास के वैश्विक प्रयासों में योगदान दे रहा है।

समकालीन पर्यावरणीय चिंताओं को बताने वाले उत्पाद : सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों पर स्टीम के साथ परिचालित होने वाले पावर प्लांट, फ्लू–गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली, सोलर फोटोवोल्टिक, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)।

उपर्युक्त उत्पादों के माध्यम से संसाधन क्षमता सुधार : इन उत्पादों से कम आक्सिलरी पावर, उच्च प्लांट क्षमता, निम्न डिजाइन हीट रेट और बेहतर पीएलएफ खपत होती है जिसके परिणामस्वरुप कम जीवन चक्र लागत आती है और कम इंधन खपत होती है।

सतत सोर्सिंग : बीएचईएल ने व्यवसाय सुधार और वहनीय व्यवसाय प्रथाओं के तौर पर ई–प्रोक्योरमेंट को कार्यान्वित किया है। इस दिशा में, कंपनी ने आंतरिक तौर पर विकसित ''ऑनलाइन सप्लायर रजिस्ट्रेशन पोर्टल'' कार्यान्वित किया है जो www.bhel.com पर होस्ट किया गया है तथा सभी निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूल है। संभावित सप्लायर अपने पंजीकरण फार्म पोर्टल पर प्रस्तुत करते हैं तथा उसे बीएचईएल इकाइयों पर उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे प्रोसेस में लगने वाली कागज आधारित हार्ड प्रतियों के न लगने से बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है।

समावेशी सोर्सिंग : सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) तथा विनिर्माण इकाइयों के समीप के स्थानीय सप्लायर बीएचईएल की सप्लाई चेन का भाग हैं तथा कंपनी उन्हें विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान करती है। जैसा कि एमएसई (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीति–2012 में अनिवार्य किया गया है, बीएचईएल ने 2016–17 के दौरान एमएसई से अपने कुल प्रोक्योरमेंट का 20 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बीएचईएल इकाइयों द्वारा वेंडर बैठकों तथा सप्लायर विकास कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है जो विशेष तौर पर एमएसई (स्थानीय सप्लायरों सहित) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जातियों के लिए विशिष्ट रुप से होती हैं, और ये जरुरतों की पहचान के लिए प्लेटफार्म प्रदान करती हैं तथा परस्पर लाभ के लिए कार्ययोजना को तैयार करती हैं।

पुनःचक्रण और पुनः उपयोग : कंपनी की निर्माण कार्य–प्रकिया से भारी मात्रा में मेटल स्क्रैप निकलता है। यह स्क्रैप बाद में कंपनी में ही रिसाइकिल होता है तथा उचित तौर पर इसका पुनः उपयोग किया जाता है। हमारी एक इकाई, सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) स्टील फोर्जिंग तथा कास्टिंग का निर्माण करती है जिसके लिए अपेक्षित पिघले स्टील का निर्माण स्टील मेल्टिंग शॉप में किया जाता है जिसमें कच्चे उत्पाद के तौर पर स्टील स्क्रैप का उपयोग किया जाता है। बीएचईएल रिसाइकिल के लिए डाली गई सामग्री के तौर पर अपनी सामग्री का लगभग 3–5 प्रतिशत रिसाइकिल/पुनः उपयोग करता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव कम होता है। इसके साथ ही, पैकिंग तथा अन्य कार्यकलापों के लिए पुनः उपयोग की गई सामग्रियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

सिद्धांत 3 : कर्मचारियों की भलाई

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कंपनी की एचआरएम नीति का मार्गदर्शी सिद्धांत है मानव संसाधनों के लिए सक्षम, प्रेरित और प्रभावी योगदान की उपलब्धता को सुनिश्चित करना तथा संगठनात्मक मिशन को प्राप्त करने के लिए हर समय अपनी पूर्ण क्षमता की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाना। कंपनी ने नियोजन संबंध, कैरियर संवृद्धि/विकास, कर्मचारियों की परिलब्धियां/लाभ, स्वास्थ्य एवं भलाई विनियमित करने के लिए कार्यान्वयन में पारदर्शिता और एकरुपता सुनिश्चित करने हेतु ''कोडीकृत कार्मिक मैनुअल'' के रुप में एचआरएम नीतियों तथा नियमों का दस्तावेज बनाया है।

1. 31.03.2017 की स्थिति अनुसार नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या : 39,821
2. अस्थायी/ठेका आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या : बीएचईएल अस्थायी/ठेका आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करता है। तथापि, बीएचईएल संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने विभिन्न इकाइयों/डिविजनों/विभागों में ठेकेदारों को जॉब/कार्य ठेका प्रदान करता है। ठेकेदारों के साथ काम करने वालों की संख्या समय – समय पर बदलती

रहती है।

3. 31.03.2017 की स्थिति अनुसार स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या : 2,251

4. 31.03.2017 की स्थिति अनुसार दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या : 929

5. बीएचईएल में 29 सहभागी ट्रेड युनियनें हैं जो शीर्ष स्तर के द्विपक्षीय निकाय, अर्थात बीएचईएल के लिए ज्वाइंट कमेटी में प्रतिनिधित्व करती हैं, इसमें सहभागिता प्रबंधन के सिद्धांत पर कामगार प्रतिनिधियों के साथ कामगारों और कंपनी के हित संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, बीएचईएल में एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरों के लिए दो कर्मचारी एसोसिएशनें भी हैं।

6. कर्मचारियों की सभी तीन श्रेणियां, अर्थात एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर तथा कामगार, का प्रतिनिधित्व उनकी एसोसिएशनों/ट्रेड युनियनों द्वारा किया जाता है। तथापि, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर तथा कामगारों की यूनियनों की वास्तविक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई जांच बिंदु सुविधा नहीं है, तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में सही संख्या उपलबध नहीं है।

7. 2016–17 में, कंपनी को यौन उत्पीड़न के संबंध में कुल चार शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी का संतोषजनक तरीके से समाधान कर दिया गया। इसके अलावा, बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी/भेदभावपूर्ण रोजगार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

8. 2016–17 के दौरान, प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव–दिवस की संख्या 3.9 है। कंपनी अपने कर्मचारियों को व्यवहार कौशल के साथ–साथ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) पहलू का प्रशिक्षण हमारे आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है। इसके अलावा, आंतरिक और बाहरी, दोनों प्रकार के संकाय सदस्यों द्वारा एचएसई में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बीएचईएल की सभी निर्माण इकाइयों तथा परियोजना स्थलों पर पृथक कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किए जाते हैं। नीचे कर्मचारियों (प्रतिशत में) की संख्या की सूची दी गई है जिन्हें सुरक्षा और कौशल (तकनीकी और व्यवहार कौशल दोनों) का अपग्रेडेशन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। बीएचईएल तथा ठेकेदारों के बीच जॉब/कार्य ठेका के माध्यम से आकस्मिक/अस्थायी/ठेका कर्मचारियों (23.19 प्रतिशत) को सुरक्षा पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

क.	स्थायी कर्मचारी –	35.04%
ख.	स्थायी महिला कर्मचारी –	46.06%
ग.	आकस्मिक/अस्थायी/ठेका कर्मचारी –	23.19%
घ.	दिव्यांग कर्मचारी –	39.18%

सिद्धांत 4 : स्टेकहोल्डरों की वचनबद्धता

बीएचईएल ने "ग्राहकों", "कर्मचारियों", "शेयरधारकों", "वेंडरों" और "समाज" की पहचान अपने स्टेकहोल्डरों के तौर पर की है। स्टेकधारकों की सोच और उनकी अपेक्षाओं के सम्मिलन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की जा रही है। मुख्य मुद्दों की पहचान स्टेकधारकों की अविरत वचनबद्धता और कार्यक्रमों द्वारा सम्बोधन अथवा स्पष्ट एवं गौर करने योग्य लक्ष्यों के साथ कार्ययोजना बना कर की जा रही है। बीएचईएल इकाइयां क्षमता और योग्यता निर्माण के लिए विशेष रुप से एमएसई (स्थानीय सप्लायरों सहित) के लिए नियमित रुप से वेंडर बैठकों का आयोजन करती हैं, जो खुली बातचीत, परस्पर लाभ और सहायता के अवसर भी प्रदान करती हैं। ग्राहकों को विभिन्न तरीकों से व्यस्त रखा जाता है जैसे ग्राहक सम्मेलन। निवेशक समाज को बैठकों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से व्यस्त रखा जाता है तथा उन्हें उनके निवेश निर्णयों के बारे में संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है।

बीएचईएल ने बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों/प्रभागों/स्थलों/कार्यालयों के आस–पास वंचित, कमजोर, निर्धन, जरुरतमंद और सीमांत स्टेकधारकों की पहचान की है तथा बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार उनकी चिन्ताओं को उठाया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची 7 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ–साथ 21.10.2014 को जारी सीपीएसई के लिए सीएसआर एवं वहनीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

सिद्धांत 5 : मानव अधिकार

बीएचईएल की नीतियां मानव अधिकारों के सिद्धांतों, भारत के संविधान और प्रचलित कानूनों के अनुरुप हैं। बीएचईएल ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कंपनी में मानव अधिकारों के हनन का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।

बीएचईएल युनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट (यूएनजीसी), इंडिया नेटवर्क का आजीवन सदस्य है। कंपनी कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) के माध्यम से वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष यूएनजीसी के 10 सिद्धांतों पर अपने निष्पादन की जानकारी देती है। सीओपी यूएनजीसी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है तथा वेबपेज के द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है।

https://www.unglobalcompact.org

यह निम्न पर भी उपलब्ध है तथा इसे एक्सेस किया जा सकता है :

http://www.bhel.com/healthsafety/global_compact.php

सिद्धांत 6 : पर्यावरण

बीएचईएल की सभी प्रमुख निर्माण इकाइयों और पावर सेक्टर क्षेत्रों ने पर्यावरण प्रबंध प्रणाली (ईएमएस) स्थापित कर ली हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001:2004 के अनुरुप हैं। संगठन में एक कार्पोरेट एचएसई नीति है जिसके आधार पर हमारी सभी निर्माण इकाइयों तथा क्षेत्रों ने अपनी स्वयं की एचएसई नीति बना ली हैं। ये नीतियां आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001 प्रबंध प्रणाली प्रमाणन की अपेक्षाओं के अनुरुप हैं। एचएसई प्रबंध प्रणाली बीएचईएल

को पर्यावरणीय जोखिमों को व्यवस्थित तरीके से पहचानने और लागू पर्यावरण, व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रणाली में निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करती है। कानूनी अनुपालन सहित स्थापित प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन एजेंसियों द्वारा आवधिक ऑडिट किए जाते हैं। समस्त लागू पर्यावरण अनुमतियां एवं लाइसेंसों का रख–रखाव किया जाता है तथा उनके नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित वहनीय विकास नीति भी है।

एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के तौर पर, बीएचईएल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन के बीच की कड़ी को मान्यता देता है। मौसम परिवर्तन को जोखिमों को कम करने के लिए, बीएचईएल अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके अपने उत्पादों और सेवाओं के कार्बन पदचिन्हों में निरन्तर कमी कर रहा है ताकि बीएचईएल के संगठन में अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली के साथ–साथ वहनीय तरीके से उनकी बाजार मांगों को पूरा करने में मदद तथा सम्पूर्ण जीवन चक्र में पर्यावरण पदचिन्हों को न्यूनतम किया जा सके।

ऊर्जा क्षमता एवं संरक्षण प्रयासों जैसे विभिन्न उपायों के द्वारा बीएचईएल के कार्बन पदचिन्हों को कम करने के लिए अनवरत प्रयासों के कारण कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में पर्याप्त कमी की है। परिचालनों में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस दिशा में, रानीखेत और त्रिची में 5.0 मेगावाट पावर क्षमता वाले तथा एचपीईपी, हैदराबाद में 1.5 मेगावाट पावर क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए थे। उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न इकाइयों में कई किलोवाट पावर वाले सौर ऊर्जा प्लांट पहले से ही काम कर रहे हैं। सोलर स्ट्रीट लाइटें, रुफटॉप सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर आदि लगाए गए हैं जिनके परिणामस्वरुप हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इन सभी प्रयासों के कारण, बीएचईएल ने 2016–17 के दौरान 14,387 मीट्रिक टन कार्बन डाई आक्साइड-e तक कार्बन पदचिन्ह वर्जन प्राप्त किया, जो 2015–16 (7,887 मीट्रिक टन) की तुलना में लगभग 82 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न नवीकरणनीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से उत्पादित कुल ऊर्जा 2016–17 के दौरान 14.82 मिलियन यूनिट रही जबकि इसकी तुलना में 2015–16 के दौरान 8.08 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया था। कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, संसाधन संरक्षण आदि से संबंधित कई परियोजनाएं भी प्रारम्भ की हैं।

बीएचईएल के परिचालन के कार्बन पदचिन्ह में किए गए सुधारों के समांतर में, कंपनी बीएचईएल निर्मित उत्पादों के चलने वाले जीवन चक्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। आईजीसीएआर तथा एनटीपीसी के सहयोग के साथ बीएचईएल स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलोजी विकसित कर रहा है।

इस प्रौद्योगिकी से सबक्रिटिकल के ~38 प्रतिशत और सुपरक्रिटिकल सेटों के ~41–42 प्रतिशत की तुलना में 45–46 प्रतिशत की लक्षित कुशलता प्राप्त होगी। जिसके परिणामतः, सुपर क्रिटिकल प्लांटों की तुलना में इससे कोयले और कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन की खपत में लगभग 11 प्रतिशत तक तथा सबक्रिटिकल पावर प्लांटों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक की कमी आएगी। कंपनी ने पहले से ही भारत में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की शुरुआत कर दी है जिसमें पूर्व में उत्पादित सबक्रिटिकल प्रौद्योगिकी की तुलना में कम कार्बन पद चिन्ह हैं।

नए उत्सर्जन मानदंडों, जो उपयोगिताएं उत्पादित करने के लिए लागू हुए हैं, पर चर्चा करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए बीएचईएल पहले ही समाधान के साथ तैयार है। कंपनी ने विभिन्न उपाय प्रारम्भ किए हैं जैसे बॉयलर के डिजाइन में सुधार, बायलरों के विंड बॉक्स फायरिंग प्रणाली में सुधार तथा कार्बन डाई आक्साइड घटाने के लिए एससीआर कैटेलिस्ट का विकास, सल्फर डाई आक्साइड हासिल के लिए एफजीडी प्रणालियों का संस्थापन, ईएसपी की पार्टिकुलेट कलेक्शन क्षमता में सुधार।

बीएचईएल ने ऑक्सी–फ्यूल ज्वलन, बायोमास ज्वलन, अमोनिया आधारित कार्बन डाई आक्साइड प्रच्छादन प्रणालियों, शैवाल आधारित औद्योगिक फ्लु गैसों का कार्बन डाई आक्साइड वियोजन आदि के माध्यम से कार्बन डाई आक्साइड घटाने और/या कार्बन डाई आक्साइड कैप्चर की दिशा में भी अनुसंधान और विकास पहल की है।

परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास के तौर पर, परिवहन के भावी साधन के रुप में विद्युत वाहन गतिशीलता की दिशा में अनुकूल संचलन किया जा रहा है। बीएचईएल पहले से ही ई–वाहन के लिए मोटर/आल्टरनेटर, आईजीबीटी कंट्रोलर और वीसीयू (वाहन नियंत्रण युनिट) हार्डवेयर तैयार कर रहा है।

31.03.2017 की स्थिति अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7 : नीति की वकालत

बीएचईएल कई औद्योगिक निकायों/चैम्बरों, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (सीआईआई), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेन्स ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइसिस (स्कोप), फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (फिक्की), एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम), इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडी), दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन (डीएमए) का सदस्य है।

बीएचईएल ज्ञान साझा करने, सर्वेक्षण, उद्योग की आवश्यकताओं पर सरकार को अभ्यावेदन, जीएसटी, राजकोषीय बजट, विदेशी व्यापार आदि जैसी सरकारी नीतियों के निर्माण में उचित परिश्रम के द्वारा कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए इन उद्योग निकायों के माध्यम से नीति की वकालत में भाग लेता है। कंपनी व्यापार पदोन्नति और सहयोग के लिए बहुपक्षीय निकायों जैसे इंडो–यूएस, इंडो–फ्रेंच, इंडो–स्वीडन, इंडो–यूके, इंडो–रशिया, इंडो–जापान फोरमों में भाग लेती है। कंपनी नीति आयोग के साथ भी बातचीत करती है तथा तटीय आर्थिक जोन के लिए नीति, अटल टिंकरिंग लैब्स, इन्वेस्टमेंट समिट आदि के लिए नीति निर्माण में भाग लेती है।

कंपनी देश में प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने, कौशल विकास, भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास और भारतीय निर्माण उद्योग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए बनाई जाने वाली

नीतियों के विकास के लिए सार्वजनिक वकालत के माध्यम से सक्रियतापूर्वक योगदान देती है।

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास

बीएचईएल के पास अच्छी तरह से संरचित संगठनात्मक सेट–अप, नीति और प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है, जिनमें समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास पर सीएसआर पहल शामिल हैं। सीएसआर नीति, जिसमें समावेशी विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पर शामिल है, का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। नीति को वेबसाइट लिंक http://www.bhel.com/CSR/csr_policy.php पर डाला गया है तथा यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की अनुसूची 7 के अनुरुप है।

नीति का कार्यान्वयन तीन–स्तरीय विन्यास तथा इकाई स्तरीय सीएसआर समित के माध्यम से किया जाता है, जो परियोजनाओं सहित सीएसआर क्रियाकलापों का अनुमोदन, संरेखण, कार्यान्वयन ऑर मॉनिटर करती है जिससे समाज, विशेष तौर पर निर्धन, जरुरतमंद और समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को लाभ मिलता है। कंपनी सीएसआर नीति के अनुरुप एनजीओ, सरकारी एजेंसियों जैसी विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से देश भर में विभिन्न प्रकार की सामाजिक पहलों का समर्थन करती है। बीएचईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षणों, अवसंरचना विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में कई प्रकार की पहल शुरु की हैं जिससे अंततः समाज के समावेशी विकास और समग्र कल्याण में योगदान मिलता है। प्रभावी कार्यान्वयन, समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करने तथा की जाने वाली पहलों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए निकट से पर्यवेक्षण और निगरानी की जाती है।

2016–17 के दौरान, किए गए प्रमुख सीएसआर कार्य में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाना, विशेष तौर पर लड़कियों के विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी निर्माण इकाइयों के समीप स्कूलों को चलाना, स्कूलों में मोबाइल साइंस लैब चलाना, छात्रों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने के लिए गांवो को प्रमुखता देना, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों एवं गांवों में मोबाइल मेडिकल वैन चलाना, लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से बुंदेलखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चेक–अप सुविधाएं उपलब्ध करना, बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियां जैसे : गंभीर रुप से बीमार कैंसर के मरीजों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण, जल–आपूर्ति की सुविधाएं बढ़ाना, समाज कल्याण केंद्रों का निर्माण/नवीकरण, गांवों में सौर ऊर्जा विद्युत प्रणाली का संस्थापन, कक्षाओं का निर्माण, वर्षा जल के संग्रहण के लिए चैक डैम और तालाबों का निर्माण, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का संस्थापन, वर्षा के अलावा सिंचाई का स्रोत प्रदान करने के लिए गांवों में अच्छी तरह से खोदे गए कुंओं का निर्माण, विभिन्न गांवों के सीमांत किसानों के लिए कृषि आधारित बीच–बचाव का विस्तार करना, बीएचईएल की स्थापनाओं के समीपवर्ती गांवों में स्कूलों में शौचालयों का निर्माण शामिल है। परियोजनाओं का विवरण लिंक http://www.bhel.com/CSR/projects.php पर दिया गया है।

कंपनी भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ–साथ समाज के सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई करती है। कंपनी सबको समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है तथा लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भर्ती और नियोजन संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है।

सिद्धांत 9 : ग्राहक का महत्व

बीएचईएल के लिए, ग्राहक पर ध्यान देना व्यवसाय का महत्वपूर्ण भाग है तथा कंपनी अपने उत्पादों एवं सेवाओं के द्वारा ग्राहक का महत्व बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह बीएचईएल की संस्कृति का अभिन्न अंग है जो हमारे विज़न, मिशन और मान्यता कथन से भी प्रतिबिम्बित होता है।

कंपनी प्रचलित कानूनों के अनुसार सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं तथा करार की शर्तों के अनुसार उत्पाद लेबलों/नाम पट्टिकाओं/जांच प्रमाणपत्रों/ओएंडएम मैनुअलों का विवरण प्रदान करती है।

बीएचईएल के विविधतापूर्ण एवं बड़े पैमाने के परिचालनों को देखते हुए, ग्राहकों की शिकायतों को कई तरीकों से पंजीकृत किया जाता है। दो समर्पित ऑनलाइन शिकायत प्रणालियों अर्थात ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) तथा साइट एक्शन रिक्वेस्ट (एसएआर)/कमिशनिंग एक्शन रिपोर्ट (सीएआर) प्रणाली की शुरुआत की गई है तथा ये प्रचलन में हैं। शिकायतों के अलावा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों, ग्राहक सम्मेलनों तथा आमने–सामने बैठ कर चर्चा के माध्यम से ग्राहक की फीडबैक नियमित रुप से प्राप्त की जाती है।

वित्त वर्ष की समाप्ति, अर्थात 31.03.2017 पर, किसी भी स्टेकहोल्डर द्वारा कंपनी के विरुद्ध गलत व्यापार पद्धतियों, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा गैर–प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है तथा लंबित नहीं है।

कल के
BHEL
का निर्माण

अनुबंध–V

अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी उपलब्धियां

5.1 नवप्रवर्तन

विकास हासिल करने के लिए नवप्रवर्तन क्षमता और क्रिएटिव विकास का माहौल दोनों जरूरी घटक हैं। तेजी से बदलते व्यवसाय परिवेश, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता में गिरावट ने नये उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का विकास और वर्तमान उत्पादों के कार्यनिष्पादन एवं कार्यकुशलता में सुधार को अनिवार्य बना दिया है। बीएचईएल संरचनागत दृष्टिकोण एवं तकनीकी विकास का पालन करता है। इसके पास पूर्ण–परिभाषित आरएंडडी नीति एवं संरचना एवं बुनियादी ढांचा है जो नवाचार एवं सर्जनात्मक विकास की संस्कृति बनाते हैं।

नवीनतम तकनीकों की बराबरी को ध्यान में रखते हुए बीएचईएल ने अग्रणी वैश्विक इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। इसने इन तकनीकों को भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला है और अपने स्वयं के कार्यक्षेत्र में विनिर्माण सुविधाएं विकसित की हैं। आज, 12 चालू समझौतों के साथ बीएचईएल इन तकनीकों के सफल अंगीकरण और समय पर इनके उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहा है।

बीएचईएल एएसएसएससीपी, गुरुग्राम में विकासाधीन प्रोटोटाइप सोलर सेल

चालू तकनीकी समझौते

	सहयोगी का नाम	उत्पाद
1.	मितसुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लि, जापान	पम्प्स
2.	जनरल इलेक्ट्रिक कं., यूएसए	गैस टर्बाइन
3.	जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, स्विट्जरलैंड	वन्स थ्रू बॉयलर्स एवं कोल पल्वराइजर्स
4.	सीमन्स एजी, जर्मनी	स्टीम टर्बाइन, जनरेटर्स और लेटरल/एक्सियल कंडेंसर्स
5.	मेट्सो ऑटोमेशन इंक, फिनलैंड	न्यू जेनरेशन सीएंडआई ऑटोमेशन
6.	शेफील्ड फोर्जमास्टर्स इंटरनेशनल लि., यूके	फोर्जिंग्स
7.	न्यूवो पिगनॉन एस.आर.एल., इटली	सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर्स
8.	वोग्ट पावर इंटरनेशनल इंक, यूएसए	हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर्स
9.	जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया	वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट
10.	टीएलटी–टर्बो जीएमबीएच, जर्मनी	फेन
11.	मितसुबिशी हिताची पावर सिस्टम लि., जापान	फ्लू गैस डिसल्फयूराइजेशन
12.	ओटो मेलारा, इटली	76/62 सुपर रेपिड गन माउंट

5.2 कार्यनीति

आज, बीएचईएल नवप्रवर्तन पर पहले से ज्यादा ध्यान देता है। कम्पनी पांच सूत्रीय कार्यक्रम की मदद से अपने आरएंडडी एवं नवप्रवर्तन का चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प कर रही है। इस कार्यक्रम में रणनीतिक निर्देशन, उत्पाद प्रबंधन, साझेदारी एवं गठबंधन, ज्ञान का प्रबंधन एवं सहयोगी शामिल हैं।

कार्यनीति निर्देश	• आरएंडडी सलाहकार परिषद • आरएंडडी नीति • आरएंडडी प्रबंधन प्रणाली • तकनीकी पहचान
पोर्टफोलियो प्रबंधन	• यूएचवी ट्रांसमिशन, परिवहन, आधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्लांट, नवीकरणीय ऊर्जा, जल आदि के क्षेत्रों में आत्म–सामर्थ्य प्राप्त करना
सक्षमता	• लोगों की दक्षता • अवसरंचना विकास • उत्कृष्टता केन्द्र • प्रक्रियाएं • संगठन सहयोग • अनुसंधान एवं उत्पाद विकास समूह
साझेदारी एवं गठबंधन	• राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आरएंडडी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों/कंपनियों के साथ सहयोग समझौते
ज्ञान प्रबंधन	• पीएलएम एवं केबीई का कार्यान्वयन • समग्र समाधान प्रदान करने के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग • एकीकृत इंजीनियरिंग स्वचालन प्रक्रियाएं • आईपीआर तकनीक का विकास और विशिष्ट उत्पादों में इसका प्रभावी उपयोग

आरएंडडी को प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग प्रमुखों एवं शिक्षा जगत से मिलकर बनी आरएंडडी सलाहकार परिषद के निर्देशन के तहत नीतिगत प्रारूप के माध्यम से आरएंडडी को रणनीतिक दिशा दिखाई जाती है।

बीएचईएल उभरते एवं वर्तमान क्षेत्रों में क्षमताओं के निर्माण और समेकन के लिए मिशन मोड पर निम्नलिखित पर ध्यान दे रहा है:

1. डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण संस्थापन एवं कमीशनिंग को शामिल करते हुए 710 डिग्री सेल्सियस एटीए पैरामीटर के साथ 800 मेगावाट आधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना करना।

2. बीओएस मिलान (सोलर पीवी) के साथ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए इन–हाउस क्षमता करना।
3. ट्रांसमिशन (±800केवी) ट्रांसमिशन प्रोडक्ट/सबस्टेशन के लिए इनहाउस दक्षता विकास करना।
4. 765 केवी तक जीआईएस ट्रांसमिशन प्रोडक्ट/सबस्टेशन के लिए कुल दक्षता का विकास करना।
5. शहरी परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक/डीजल–इलेक्ट्रिक लोको, ईएमयू, डीईएमयू, एमईएमयू, कोच, मेट्रो और रोलिंग स्टॉक संबंधी रेलवे की जरूरतों के लिए 3–फेज प्रोपल्सन सिस्टम।
6. ई–मोबिलिटी एवं एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन
7. उभरती हुई तकनीकों जैसे हाई टैम्परेचर सुपरकंडक्टिंग (एचटीएससी) मोटर, 5 किलोवाट रेटिंग तक फ्यूल सेल, 16 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन सोलर सेल की दक्षता सुधार के क्षेत्र में एप्लीकेशन का विकास एवं वाणिज्यिकरण।

5.3 आरएंडडी ढांचा

कंपनी के आरएंडडी संगठनात्मक ढांचे के प्रमुख निदेशक (ई, आरएंडडी) हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट स्तर पर कॉर्पोरेट तकनीकी प्रबंधन (सीटीएम) का सहयोग मिलता है। सीटीएम का गठन बीएचईएल की इंजीनियरिंग एवं आरएंडडी क्षमताओं को एकीकृत एवं केन्द्रित तरीके से मजबूत करने के लिए की गई है जिससे तेजी से उभरते मांग बाजार में मुख्यतः उत्तरदायी ढंग से उत्पाद विकास एवं इंजीनियरिंग में दक्षता को मजबूत किया जा सके।

इसके अलावा, बीएचईएल यूनिटों में प्रत्येक उत्पाद समूह के पास हैदराबाद में केन्द्रीयकृत कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग द्वारा बेहतर ढंग से पूरित एक समर्पित अनुसंधान एवं उत्पाद विकास (आरपीडी) ग्रुप है।

आरएंडडी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कंपनी के पास चरणबद्ध योजना है, जिसमें कॉर्पोरेट आरएंडडी तथा विनिर्माण इकाइयों में प्रयोगशालाएं, उत्कृष्टता केंद्र, विशेष अनुसंधान संस्थान शामिल हैं

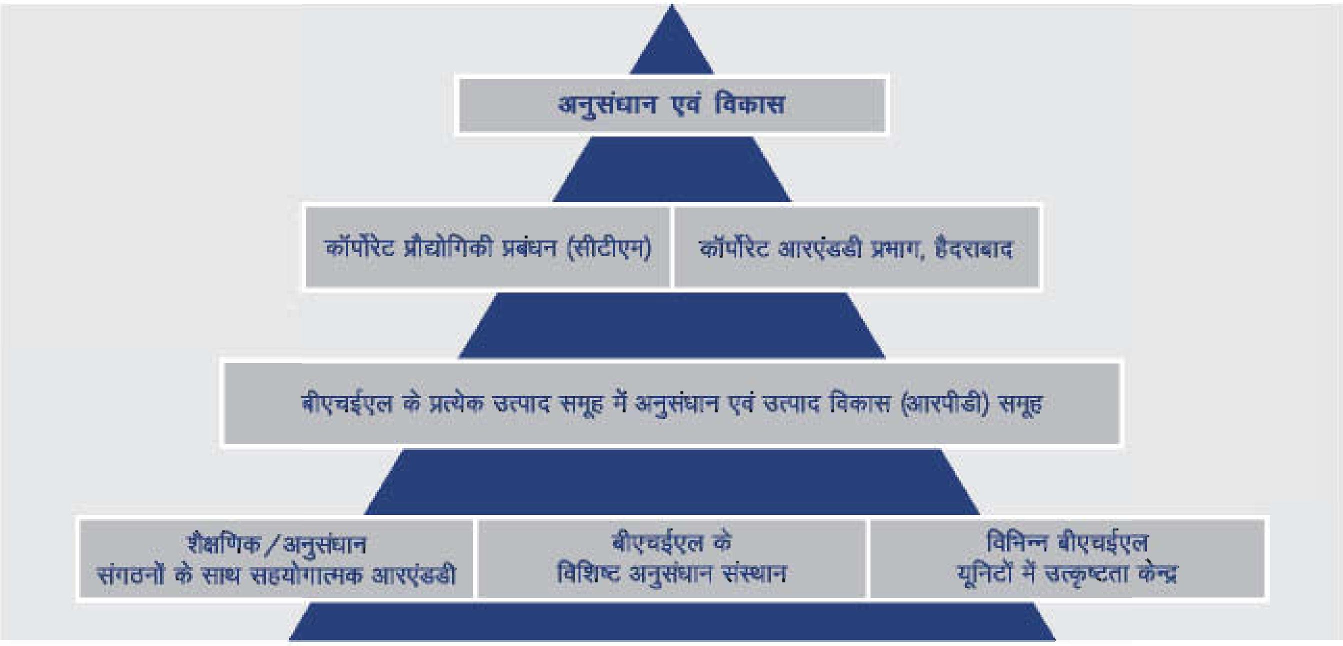

जो विश्वस्तरीय एवं अत्याधुनिक आरएंडी अवसंरचना मापदंडों से सज्जित है।

बीएचईएल के विशिष्ट अनुसंधान संस्थान

- प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार
- वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), तिरूचि
- सेरेमिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीटीआई), बेंगलूरु
- सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन (सीईटी), भोपाल
- अमॉरफस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट, गुड़गांव

उत्कृष्टता केंद्र :

हैदराबाद में :

- इंटेलिजेंट मशीन्स एंड रोबोटिक्स
- मशीन डायनामिक्स
- कंप्रेसर्स एंड पम्प्स
- नैनो टेक्नोलॉजी
- यूएचवी लैबोरेटरी
- सिम्युलेटर्स
- कंप्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स
- सरफेस इंजीनियरिंग
- परमानेंट मैग्नेट मशीन्स

बैंगलौर में

- पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईजीबीटी एंड कंट्रोलर टेक्नोलॉजी
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंट्रोल एंड इन्स्ट्रूमेंटेशन

तिरुचिरापल्ली में

- कोल रिसर्च सेंटर
- एडवान्स्ड फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी

कॉर्पोरेट आरएंडडी, हैदराबाद में यूएचवी प्रयोगशाला

अपने सभी उत्पादों में डिजाइन चक्र समय को कम करने एवं डिजाइन अनुकूलन के लिए ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग (केबीई) एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। बीएचईएल ने केबीई/पीएलएम कार्यकलापों में दक्षता एवं सुगमता के लिए कई केबीई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं।

इसके अतिरिक्त ज्ञान में खामी दूर करने के लिए बीएचईएल ने बुनियादी एवं व्यावहारिक अनुसंधान के लिए शिक्षा जगत तथा आरएंडडी संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया है। अभी बीएचईएल ने 20 से अधिक अग्रणी शिक्षा/अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के साथ समझौते किए हैं। अपने महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी प्रयासों में सफल होने के लिए कंपनी सभी सहयोगी कारक जैसे कर्मचारी क्षमताएं, बुनियादी ढांचा, प्रक्रियाएं एवं सांगठनिक समर्थन उपलब्ध करा रही है।

शैक्षणिक/अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक आरएंडडी

- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु
- सीएसआईआर, नई दिल्ली
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर
- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबपुर
- नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल
- इंटरनेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), हैदराबाद
- बीएचईएल आरएंडडी गेटवे, आईआईटी मद्रास पार्क
- ज्वाइनिंग एंड वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, जापान (जेडब्ल्यूआरआई)
- डीवीएस – जर्मन वेल्डिंग सोसाइटी
- लैबनिज यूनिवर्सिटी, हॉनओवर, जर्मनी

5.4 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

बीएचईएल ने वर्ष के दौरान आरएंडडी पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कंपनी का आरएंडडी पर खर्च ₹ 793.62 करोड़ है, जो कारोबार का 2.75 प्रतिशत है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों /डिजाइनों में संशोधन/सुधार के लिए आरएंडडी प्रयासों पर हुआ खर्च भी शामिल है, जो आरएंडडी परियोजनाओं में नही आते। कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान पेटेंट और कॉपीराइट के 508 आवेदन दाखिल किए, जिनसे कंपनी की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 3,915 हो गई। कंपनी के कुल कारोबार में से ₹ 6,025 करोड (20.89 प्रतिशत) कंपनी में ही तैयार किए गए उत्पादों तथा सेवाओं से प्राप्त हुए हैं।

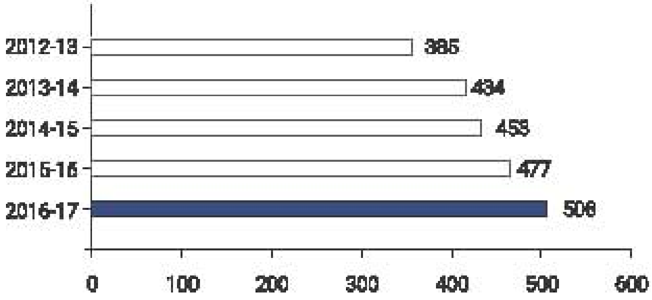

Filing of Patents & Copyrights (Nos.)

वर्ष के दौरान, कुछ उल्लेखनीय विकास/इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुधार, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पावर, उद्योग, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों को शामिल किया गया है। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां :

- एनएचपीसी चमेरा प्रोजेक्ट के लिए आपूरित किए जा रहे 420 केवी जीआईएस बेज घरेलू डिजाइन एवं निर्मित किए गए।
- भारतीय रेल के लिए प्रदूषित डीजी सेटों को बदलने के लिए 2x500 केवीए होटल लोड कन्वर्टर (एचएलसी) विकसित किए गए। पहला 2x500 केवीए एचएलसी चेन्नई–शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़े लोकोमोटिव में चालू किया गया। इस सफल विकास एवं फील्ड ट्रायल के साथ बीएचईएल ने प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से एचएलसी के 32 सेटों की आपूर्ति का एक आर्डर प्राप्त किया है।

- पोलर एक्सिस सोलर पैसिव ट्रैकर विकसित किया गया जो समान एमडब्ल्यूपी रेटिंग के लिए अधिक ऊर्जा उत्पादित करेगा। वर्तमान में 50 केडब्ल्यू सिस्टम केपीसीएल के शिवासामुदरम साइट पर कार्य कर रहा है।

बीएचईएल द्वारा घरेलू डिजाइन किए गये एनएचपीसी चमेरा, हिमाचल प्रदेश के लिए 420 केवी जीआईएस

- भीमावरम्, आन्ध्र प्रदेश में भारत के पहले 1 मेगावाट सीजिनल टिल्टेबल कैनाल टॉप सोलर पीवी प्लांट को डिजाइन एवं चालू किया गया।

- नरसापुर लेक (हैदराबाद के नजदीक), तेलंगाना में 25 केडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डिजाइन, चालू एवं प्रदर्शित किया गया। उच्च कार्यकुशलता के साथ विद्युत उत्पादन के अलावा, फ्लोटिंग सोलर फार्म वाष्पीकरण कम करते हुए बहूमुल्य सिंचाई एवं पेयजल संरक्षण करता है।

- सोलर पावर प्लांट के उच्च मेगावाट स्तर के बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए बीएचईएल ने सोलर पावर प्लांट के लिए अत्याधुनिक 1.25 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड पावर कंडीशनिंग यूनिट (जीसीपीसीयू) को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

- बीएचईएल ने भारत सरकार के साथ एमओयू आरएंडडी के रूप में थर्मल पावर प्लांट सिमुलेटर के लिए जीयूआई आधारित मॉडलिंग टूल हेतु बॉयलर एवं आग्जिलरी के लिए मॉडल सॉफ्टवेयर का विकास किया है। यह जीयूआई टूल आधारित थर्मल पावर प्लांट सिमुलेटर्स को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा जिससे नगदी बहिर्प्रिवाह में बचत होगी और बाहरी वेन्डरों पर निर्भरता खत्म होगी। इस टूल के साथ एनटीपीसी गदरवाड़ा, टीएसजेनको के नालंदा (800 मेगावाट) के लिए सिमुलेटर आपूरित किये जाएंगे।

- बीएचईएल के भारत सरकार के साथ एमओयू आरएंडडी परियोजना के रूप में प्रक्रिया अनुप्रयोगों के लिए एक्सियल फ्लो कम्प्रेसर के एयरो मैकेनिकल डिजाइन का विकास किया है और इसे अत्याधुनिक कार्यकुशलता स्तर हासिल करते हुए इसे 31 अगस्त 2016 को सफलतापूर्वक पूरा किया ।

- 70 मेगावाट रेटिंग इंडस्ट्रियल सेटों के लिए नये बैक प्रेशर एचपी मॉडयूल के साथ दो सिलेंडर रिहीट स्टीम टर्बाइन विकसित किये गए। इन टर्बाइनों में आधुनिक ब्लेडिंग एवं ब्रूश सील्स है जिससे हीट रेट में सुधार हुआ। यह टर्बाइन मैसर्स निरमा, भावनगर (गुजरात) को आपूर्ति की गई है।

- कॉम्पैक्ट ओवरहेंग ब्रशलैस एक्साइटर के साथ 80 मेगावाट, 11केवी 50 हर्ट्ज, 3000 आरपीएम के नये वेरियंट का विकास किया गया।

- 3x660 मेगावाट नार्थ करनपुरा एसटीपीपी के लिए कम वायु एवं कम स्टार्टिंग करंट हासिल करने के लिए संशोधित स्लॉट कम्बीनेशन एवं स्लॉट साइज के साथ कुशल वेरिएंट 5075 केडब्ल्यू, 11 केवी 10 पोल आईडी फैन मोटर विकसित किया गया।

- लिफ्ट सिंचाई अनुप्रयोग के लिए नया 3250 केडब्ल्यू, 11 केवी 30 पोल, वर्टिकल, स्लो स्पीड केज इंडक्शन मोटर का विकास किया गया जो 140 टन तक बाहरी दबाब सहने में सक्षम है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. (एसएसएनएनएल पीएस–1) के लिए इसे मैसर्स झेलम वाटर सॉल्यूशन इंडिया प्रा. लि. को आपूर्ति किया गया।

- मैसर्स मन टर्बो डीजल इंजन, कोमोरोस गणराज्य के निर्यात आर्डर के लिए 18 मेगावाट डीजल जनरेटर आधारित पावर स्टेशन के लिए टर्बो डीजल इंजनों के सूइट कॉम्प्लैक्ट माउंटिंग आवश्यकता के लिए नये कॉम्पैक्ट 4061 केडब्ल्यू डीजल एल्टरनेटर विकसित किया गया।

- एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) स्टीम टर्बाइन कन्ट्रोल वाल्व कम्पोनेंट्स के लिए निकिल–आधारित सुपर एलॉय मैटिरियल (आईएन617सीसीए) पर लेजर क्लेडिंग द्वारा एचवीओएफ प्रोसेस एवं सेटेलाइट कोटिंग के माध्यम से हाई टैम्परेचर वियर रेजिस्टेंट कोटिंग का विकास किया गया।

- एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) बॉयलर एप्लीकेशन के लिए उच्च तामपान एवं दाब पर प्रचालन में सक्षम विशेष निकिल आधारित एलॉय आईएन617एम के लिए विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया एवं आधुनिक एनडीटी तकनीक स्थापित करने की इन–हाउस क्षमता विकसित की गई।

- कोराडी आरएंडएम परियोजना के लिए नये घरेलू डिजाइन किए गए जनरेटर मॉड्यूल टीएचआरआई 108/40 का सफलतापूर्वक विनिर्माण, परीक्षण एवं आपूर्ति किया गया।

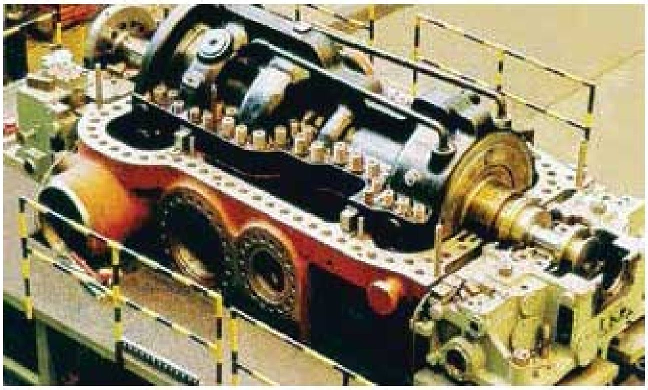

बीएचईएल वर्क्स, हैदराबाद में असेम्बली के अधीन दो सिलेंडर वाली रीहीट स्टीम टर्बाइन के लिए न्यू बैक प्रैशर एचपी माड्यूल

5.5 भावी मुख्य क्षेत्र

बीएचईएल ने कारोबार के बदलते परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिजली, परिवहन, ट्रांसमिशन, न्यूक्लियर, सोलर, जल, रक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं। हाल के वर्षों में कम–कार्बन उत्सर्जन तकनीक, आधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी, सोलर पीवी, 765/1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम, 765 केवी तक जीआईएस, 800 केवी एचवीडीसी प्रणाली, उच्च रेटिंग लोकोमोटिवों के लिए आईजीबीटी आधारित प्रोपल्सन सिस्टम, ईएमयू, मेट्रो कोच, ई–मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर विशेष जोर के साथ कम्पनी ने कई परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

डॉ. आर चिदम्बरम, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, को बीएचईएल, तिरूचिरापल्ली में उनके भ्रमण के दौरान एयूएससी प्रोजेक्ट में चल रहे कार्य के बारे में बताया जा रहा है

कम्पनी फ्यूल सेल, उच्च तापमान वियर रेजीस्टेंट कोटिंग, संशोधित विशेषताओं के साथ नेनो/माइक्रो–पार्टिकल में संयोजन के साथ नया मैटिरियल, कोयले के वैकल्पिक उपयोग के लिए तकनीक और बिजली उपकरणों के लिए सुपरकंडक्टिंग अनुप्रयोगों के विकास कार्य में भी संलग्न है।

अनुबंध–VI

कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस)

6.1 कार्पोरेट अभिशासन पर हमारी नई विचारधारा

बीएचईएल ने कार्पोरेट अभिशासन का एक सुदृढ़ ढांचा विकसित किया है जो अभिशासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटन, हितधारकों के महत्व के निरंतर विस्तार और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। बीएचईएल शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज सहित अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के हित पर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के विनियामक ढांचे और बुनियादी अपेक्षाओं से बहुत अधिक आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी ने सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को पारदर्शिता, प्रकटन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए ढांचा विकसित किया है।

बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए औचित्य के चार स्तंभों पर आश्रित है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, बीएचईएल ने "सत्यनिष्ठा करार" अपनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई कॉर्पोरेट संरचना व्यावसायिक कार्यविधियों और प्रकटन पद्धतियों ने कॉर्पोरेट अभिशासन नीति के साथ सुदृढ़ साम्यता प्राप्त कर ली है, जिससे लक्ष्यों तथा व्यावसायिक नैतिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति हुई है। बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों से मजबूती मिलती है:

i. निदेशक मंडल की स्वतंत्रता और परिवर्तनशीलता

ii. सभी कार्मिकों की सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार

iii. सभी हितधारकों – शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान।

iv. प्रकटन और पारदर्शिता का उच्च स्तर।

v. कम्पनी प्रचालन के सभी क्षेत्रों में कानूनों का पूर्ण अनुपालन।

vi. लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।

कंपनी का विश्वास है कि कॉर्पोरेट अभिशासन की कार्यविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक प्रधान मूल्य को प्रतिपादन करता है, जो बीएचईएल को अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने मे समर्थ बनाता है। हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम तथा हमारे कर्मचारियों को अच्छे अवसर प्रदान करता है और आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि करने में भागीदार बनाता है।

6.2 निदेशक मंडल

i. निदेशकों की संरचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में बीएचईएल एक 'सरकारी कंपनी' है, क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 63.06 प्रतिशत राष्ट्रपति के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा धारित है।

निदेशक मंडल में बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रबंधन एवं नियंत्रण संबंधी निदेशक मंडल के कार्यों और नियंत्रण को अलग करने के लिए सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालकों और सरकारी नामितियों द्वारा प्रतिनिधित्व में गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उपयुक्त संयोजन है। चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हैं इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की संख्या की आधी है।

निदेशक मंडल का संयोजन निम्नानुसार है:

विवरण	बोर्ड संरचना	31.03.2017 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यपालक (कार्यात्मक) निदेशक	5	5
अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	2	2
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	6
कुल	**16**	**14**

31 मार्च, 2017 को बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की 02 रिक्तियां थी। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

ii. 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम वार्षिक बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम सर्व/श्री	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		पिछली आम बैठक (22.09.2016 को आयोजित)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यपालक निदेशक			
अतुल सोबती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक #	8	8	हाँ
डी. बंद्योपाध्याय, निदेशक (मा.सं.)	8	8	हाँ
अमिताभ माथुर, निदेशक (आईएसएंडपी)	8	7	हाँ
सुब्रत बिस्वास, निदेशक (ई, आरएंडडी)	8	8	हाँ
टी. चोकालिंगम, निदेशक (वित्त)	8	8	हाँ
अखिल जोशी, निदेशक (पावर) (10.08.2016 से)	4	4	हाँ
अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकारी नामिती			
डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	8	8	नहीं
भास्कर ज्योति महन्ता, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (03.01.2017 से)	2	1	*
राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (06.10.2016 तक)	5	4	नहीं
अंशु प्रकाश, अतिरिक्त सचिव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (31.10.2016 से 03.01.2017 तक)	1	1	*
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
सुश्री हरिन्दर हीरा	8	4	नहीं
ए.एन. रॉय	8	7	हाँ
राजेश किशोर	8	7	हाँ
केशव एन. देसीराजू	8	6	हाँ
आर स्वामीनाथन	8	7	हाँ
सुश्री सुरमा पाधी (02.02.2017 से)	2	1	*

#श्री अतुल सोबती, सीएमडी ने 01.01.2016 से 09.08.2016 तक निदेशक (पावर) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला
**यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली आम सभा की तिथि को बीएचईएल के निदेशक नहीं थे।*

iii. 31 मार्च, 2017 के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशक, समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष के विवरण

निदेशक का नाम सर्व/श्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा	समिति की सदस्यता और अध्यक्षता का ब्यौरा*
अतुल सोबती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–शून्य–	–शून्य–
डी. बंद्योपाध्याय निदेशक (मा.सं.)	1. दादा धुनीवाले खंडवा पावर लि. 2. एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	**लेखापरीक्षा समिति :** एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सदस्य)
अमिताभ माथुर निदेशक (आईएसएंडपी)	1. दादा धुनीवाले खंडवा पावर लि. 2. इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 3. बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लि.	**लेखापरीक्षा समिति :** दादा धुनीवाले खंडवा पावर लि. (अध्यक्ष)
सुब्रत बिस्वास निदेशक (ई, आरएंडडी)	–शून्य–	–शून्य–
टी. चोकलिंगम निदेशक (वित्त)	–शून्य–	–शून्य–
अखिल जोशी, निदेशक (पावर)	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	–शून्य–
डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय अंशकालिक सरकारी निदेशक	एचएमटी लि.	–शून्य–
भास्कर ज्योति महन्ता अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एन्ड्रयू यूले एंड कं. लि. 2. टाइड वाटर ऑयल कं. इंडिया लि. 3. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि.	–शून्य–
सुश्री हरिन्दर हीरा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	–शून्य–	–शून्य–
ए.एन. राय अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	1. इंडिया वेंचर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड 2. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 3. वंदना फाउंडेशन (सैक्शन–8 कम्पनी) 4. ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड 5. मायर इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 6. मायर हैल्थ रिजॉर्ट्स लिमिटेड 7. स्किल्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	**लेखापरीक्षा समिति :** एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (सदस्य) **स्टेकहोल्डर सम्पर्क समिति :** एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अध्यक्ष)
राजेश किशोर अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	एयरियस एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रा. लि.	–शून्य–
केशव एन. देसीराजू अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	तमिलनाडु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड प्रबंधन निगम लिमिटेड	**लेखापरीक्षा समिति :** तमिलनाडु इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड प्रबंधन निगम लिमिटेड (अध्यक्ष)
आर. स्वामीनाथन अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	–शून्य–	–शून्य–
सुश्री सुरमा पाधी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	–शून्य–	–शून्य–

**केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।*

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस (20) कंपनियों से अधिक में निदेशक का पद धारित नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा सभी कंपनियों जिसमें वे निदेशक है, में पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष नहीं है।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण – शून्य

iv. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या और तारीख

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उन्हें बहुत पहले निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को लिखित रूप में प्रत्येक बैठक की नोटिस भेजते हैं। निदेशक मंडल की कार्यसूची पहले से ही निदेशकों को परिचालित की जाती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की पहुंच कंपनी की सभी सूचनाओं तक होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवश्यकता होने पर चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा निदेशक मंडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही परिणामों और कार्यसूची पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार अपनी बैठक करता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तारीखों को 8 बैठकें कीः

(i)	अप्रैल 7, 2016	(ii)	मई 27, 2016
(iii)	जुलाई 16, 2016	(iv)	अगस्त 10, 2016
(v)	सितम्बर 7, 2016	(vi)	नवम्बर 8, 2016
(vii)	फरवरी 2, 2017	(viii)	मार्च 7, 2017

v. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल के अधिदेश का उद्देश्य कंपनी के कार्यनीति की दिशा पर निगरानी रखना, कार्पोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हित की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श हेतु स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन, विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टेकहोल्डर संबंध समिति एवं सीएसआर समिति जैसी बोर्ड द्वारा गठित समितियों के हिस्से हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति, और शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाषित विचारार्थ विषय के भीतर होते हैं।

28 दिसंबर, 2012 को सीपीएसई के लिए गैर सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर डीपीई ओएम के अनुरूप, बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की समिति गठित की थी। यह समिति सूचीकरण करार की अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता के अनुरूप है। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड की बैठकों में परिचालित किए जाते हैं और उन पर विचार–विमर्श किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम के विवरण कंपनी की वेबसाइट 'www.bhel.com' पर उपलब्ध हैं। इसका वेबलिंक http://www.bhel.com/investor_relations/investor.php हैं।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होता हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना।
- पूंजी बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना।
- कंपनी तथा इसके प्रचालन प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त।
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देन और व्यवस्थाओं का विवरण।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
- निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ अपेक्षित किसी संयुत उद्यम अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथा उनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि जैसी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण घटना।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री, जो कि व्यवसाय की सामान्य क्रिया में नहीं है।
- बोर्ड द्वारा अपेक्षित सभी मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनकी निदेशक पदधारिता तथा उनकी रुचि की अन्य कंपनियों में से उनके द्वारा हासिल समिति पदों के बारे मे सूचना।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना।

- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- कोई संविदा (संविदाए) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि मानी जाती है।
- शेयरधारकों की शिकायतों संबंधी त्रैमासिक स्थिति।
- विद्युत तथा उद्योग क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग में त्रैमासिक आधार पर सूचना/स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और उसके कारण।
- विभिन्न इकाइयों/कार्यों के निष्पादन संबंधी विस्तृत विवरण।
- बोर्ड के समक्ष जानकारी या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचीकरण दिशानिर्देशों, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अन्य कोई जानकारी।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अंतर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किए जाते हैं और बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक और गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को भी नामित करते हैं। दो अंशकालिक सरकारी निदेशक यानि अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय और अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बीएचईएल के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम की खोज समिति, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरी प्रशासन और उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके द्वारा पदग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि या उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगे अन्य कोई आदेश तक, जो भी पहले हो, आधार पर होगी। अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेकाधीन बीएचईएल के बोर्ड में नियमित रहते हैं। अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

x. आचार संहिता

बीएचईएल में आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के सतत् प्रयास के रूप में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता' निर्धारित की गई है। भारी उद्योग विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप उक्त संहिता के विनियामक दायरे और व्यावसायिक गतिशीलता परिवर्तन करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए अन्य संगत प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुरूप, बीएचईएल के निदेशक मंडल ने 14 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी 465वीं बैठक में कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता' का पुनरीक्षण किया गया और मंजूरी दी गई। संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं,
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व, और
- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताएं

  कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उक्त संहिता की प्रति उपलब्ध कराई गई है। उक्त संहिता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुझावों/विचारों को हर्षपूर्वक आमंत्रित किया जाता है।

xi. निदेशक मंडल का चार्टर

बोर्ड तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेशक बोर्ड का एक चार्टर बनाया गया है। इस चार्टर में कार्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है।

डीपीई दिशानिर्देशों, सूचीयन समझौतों और निदेशकों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप (क) उनके सांविधिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं पर अंतर्दिष्ट, (ख) भविष्य के परिक्षेत्र एवं रणनीति के विकास के लिए व्यवसाय वातावरण को अच्छे ढंग से समझना और (ग) बोर्ड सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण हेतु बीएचईएल बोर्ड ने निदेशकों के प्रशिक्षण पर एक नीति अनुमोदित की है। इसमें कम्पनी के विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सामान्य एवं विशिष्ट प्रशिक्षण शामिल होता है।

xii. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के अनुसरण में निदेशकों की रिपोर्ट में सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण अनुबंध–2 में संलग्न हैं।

6.3 बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषयः

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, सूचीकरण करार के संशोधन तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये निम्नानुसार हैं –

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।
2. निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अगर अपेक्षित हो, उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्हें हटाने तथा लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन की सिफारिश करना।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना:
   i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 217 के खंड 134 के उपखंड (ग) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।
   ii. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए कारण।
   iii. प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां।
   iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   v. वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
   vi. किसी संबद्ध पक्ष के साथ लेन–देन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना।
   vii. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु अर्हताएं।
5. प्रबंधन के साथ निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
6. बोर्ड के समक्ष किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, वरीयता इश्यू आदि) के जरिये प्राप्त धन के उपयोगों/अनुप्रयोगों के बारे में वक्तव्य, प्रस्तुत दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में दर्ज उद्देश्यों से इतर धन के उपयोग के बारे में वक्तव्य, किसी पब्लिक या राइट इश्यू से प्राप्त धन के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना तथा इस संबंध में कदम उठाये जाने के बारे में बोर्ड को सुझाव देना।
7. स्वतंत्र लेखापरीक्षा एवं कार्यनिष्पादन के साथ लेखापरीक्षा की प्रभावी प्रक्रिया अपनाना एवं निगरानी करना।
8. सम्बद्ध पार्टियों के साथ कम्पनी के लेनदेन के बाद किसी भी संशोधन का अनुमोदन लेना।
9. अंतर कार्पोरेट ऋण एवं निवेश की जांच।
10. जहां आवश्यक हो, निष्पादन एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
11. आंतरिक नियंत्रक एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
12. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन के साथ सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की समीक्षा करना।
13. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड अथवा भारत सरकार द्वारा बीएलएसी में उल्लिखित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और उसमें उल्लिखित मुद्दों पर अपना सुझाव/ मार्गदर्शन/ टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
14. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार यथाउल्लिखित, कोई अन्य कार्य करना।
15. धोखाधड़ी की आशंका या अनियमितता या सामग्री की प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता वाले मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों के द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा और बोर्ड को इस मामले की रिपोर्ट करना।
16. निदेशकों की रिपोर्ट की प्रकृति और दायरे के बारे में ऑडिट शुरू करने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा ऑडिट के पांच दशकों की उत्कृष्टता के साथ– साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑडिट के बाद चर्चा,
17. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में काफी चूक के लिए कारणों पर विचार करना;
18. व्हिसल ब्लोअर/निगरानी तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना
19. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और/या भारत सरकार के द्वारा बीएलएसी को भेजे ऑडिट पैनल की समीक्षा करना और इनसे संबंधित मुद्दों पर इनके सुझावों/मार्गदर्शन/ टिप्पणी प्रदान करना;
20. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों/ आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समय–समय पर चर्चा;
21. आवश्यक होने पर, उपयुक्त मामलों में बाहरी स्रोतों से व्यवसायिक सलाह लेना;
22. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगी:
   क. चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और संचालन के परिणामों का प्रबंधन;
   ख. संबंधित पक्ष के लेनदेन का महत्वपूर्ण विवरण;
   ग. सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी पत्र / आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र का प्रबंधन; और
   घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट;
23. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में बताये गए अन्य किसी कार्य का निर्वाह करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और उपस्थिति

जैसा कि सूचीकरण करार में अधिदेशित है। लेखापरीक्षा समिति में अधिकांशतः स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा समिति का पिछला गठन 3 जनवरी, 2017 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
ए.एन. राय अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	7	7
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	सदस्य	4	3
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	सदस्य (31.10.2016 से)	-	-
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (03.01.2017 से)	3	1
सुश्री हरिन्दर हीरा (अंशकालिक गैर–सरकारी, स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	7	5
राजेश किशोर (अंशकालिक गैर–सरकारी, स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	7	7

निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव समिति में सचिव के रूप में काम करेंगे।

आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक के एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पास लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा लेकिन जब लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार होगा तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक सात बार – 7 अप्रैल, 2016, 27 मई, 2016, 15 जुलाई, 2016, 7 सितम्बर, 2016, 8 नवम्बर, 2016 (निर्धारित संख्या उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित और 6 फरवरी, 2017 को आयोजित), 7 फरवरी, 2017 एवं 7 मार्च, 2017 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

6.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास, मकान किराया भत्ते का भुगतान, सुसज्जित आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन आदि जैसी परिलब्धियों और लाभों की व्यवस्था करती है। अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक फीस के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ii. विचारार्थ विषय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की आवश्यकताओं के साथ और तत्कालीन लिस्टिंग एग्रीमेंट (लिस्टिंग विनियम) की धारा 49, 30 मार्च, 2015 को इन संदर्भ की शर्तों का पालन करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) बोर्ड का गठन किया गया:

क) उन लोगों की पहचान के लिए, जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जो निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकते हैं और हर निदेशक के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए और उनकी नियुक्ति और हटाने के लिए बोर्ड को सलाह दें। वरिष्ठ प्रबंधन का मतलब है जिसमें कार्यात्मक प्रमुखों सहित, कार्यकारी निदेशकों के एक स्तर नीचे के प्रबंधन के शामिल सभी सदस्य निदेशक मंडल को छोड़कर अपने मूल प्रबंधन टीम के सदस्य हों।

ख) वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के कर्मियों को जो कार्यात्मक प्रमुखों सहित कार्यकारी निदेशक नीचे प्रबंधन एक स्तर के सभी सदस्यों, जिसमें निदेशक मंडल को छोड़कर अपने मूल प्रबंधन टीम के सदस्य हैं। इसका मतलब है कि, योग्यता, सकारात्मक गुण और एक निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए, मानदंड तैयार करने के लिए निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित निदेशकों का पारिश्रमिक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित अधिनियम/नियम/डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के दायरे में है।

ग) स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड का निरूपण।

घ) बोर्ड विविधता पर एक तैयार नीति।

ड़) उसकी सहायक कंपनियों के बोर्डों और अन्य सरकारी संगठनों में बोर्ड की सिफारिश करने के लिए, बीएचईएल के अधिकारियों का नामांकन करने के लिए, जो डीएचआई को प्रस्तुत करने से पहले बीएचईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है ।

च) पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है। पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर ध्यान/विचार करना।

छ) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा करना।

ज) अनुपलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामले पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।

झ) कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित नियत संघटक और कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन।

ट) गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

ठ) स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो तो इसका भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश करना।

ड) कार्यपालकों एवं गैर–संघीय सुपरवाइजरों के बीच वितरण के लिए बोनस/विभिन्न वेतन पूल पर निर्णय लेना।

ण) पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

निदेशकों के कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अधीन एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार।

iii. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम तथा उपस्थिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अंतिम बार 3 जनवरी, 2017 को गठित की गई थी। पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक थे।

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
सुश्री हरिन्दर हीरा (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	1	0
डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय, एएस एंड एफए, डीआईपीपी (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	सदस्य	1	1
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	सदस्य (31.10.2016 से)	-	-
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (03.01.2017 से)	-	-
ए.एन. राय अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	1	1

निदेशक (एचआर) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित हैं। कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर काम करता है।

iv. बैठकें और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की वर्ष के दौरान 6 सितम्बर, 2016 को एक बैठकें हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

v. 2016–17 के दौरान कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री/श्री	वेतन	लाभ	कामकाज आधारित प्रोत्साहन*	कुल	सेवा अनुबंध/नोटिस अवधि भंग करने का शुल्क
1	अतुल सोबती	30,86,213	8,89,065		39,75,278	--
2	डी. बंद्योपाध्याय	28,59,242	16,88,816		45,48,058	रोटेशन के तहत सेवानिवृत्ति के पात्र हैं
3	अभिताभ माथुर	29,38,018	6,96,454		36,34,472	रोटेशन के तहत सेवानिवृत्ति के पात्र हैं
4	सुब्रत बिस्वास	28,46,910	10,12,998		38,59,908	रोटेशन के तहत सेवानिवृत्ति के पात्र हैं
5	टी. चोकालिंगम	24,52,162	11,45,203		35,97,365	रोटेशन के तहत सेवानिवृत्ति के पात्र हैं
6	अखिल जोशी (10.08.2016 से)	16,82,017	6,65,794		23,47,811	रोटेशन के तहत सेवानिवृत्ति के पात्र हैं

** वित्त वर्ष 2015–16 के लिए पीआरपी का कोई भुगतान नहीं*

vi. 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान की जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
सुश्री हरिंदर हीरा	80,000	1,50,000	2,30,000
श्री ए.एन. राय	1,40,000	1,35,000	2,75,000
श्री राजेश किशोर	1,40,000	1,80,000	3,20,000
श्री केशव एन. देसीराजू	1,20,000	30,000	1,50,000
श्री आर. स्वामीनाथन	1,40,000	75,000	2,15,000
सुश्री सुरमा पाधी	20,000	15,000	35,000

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान स्वतंत्र निदेशक प्रति बोर्ड बैठक के लिए रु. 20000 और प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक के लिए रु. 15000 बतौर फीस लेने के हकदार थे। वे स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं।

vii. निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

नीचे वर्णित को छोड़कर किसी भी निदेशक के पास बीएचईएल का इक्विटी शेयर नहीं है (31 मार्च, 2017 को) :

निदेशक का नाम सर्व/श्री	धारित शेयरों की सं.
अतुल सोबती	1500
अखिल जोशी	10

वर्ष 2016–17 के दौरानकंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं जारी किया है।

6.5 शेयरधारकों की समिति

6.5.1 शेयर अंतरण समिति

i. विचारार्थ विषय

कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं पूर्ववर्ती सूचीयन समझौतों की आवश्यकताओं के अनुसरण में निदेशक मंडल ने 12 मई, 2014 को स्टेकहोल्डर सम्पर्क समिति के रूप में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति पुनः गठित की है। समिति शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश की गैर–प्राप्ति आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान को देखती है।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

हितधारक संबंध समिति को पिछली 3 जनवरी 2017 को पुनर्गठन किया गया था। समिति ने निम्नलिखित निदेशक हैं :

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
आर. स्वामीनाथन (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	4	4
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	सदस्य	2	1
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	सदस्य (31.10.2016 से)	1	1
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (03.01.2017 से)	1	0
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

श्री आई.पी. सिंह, कंपनी सचिव (सूचीयन दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 सेबी के मामले में अनुपालन अधिकारी है।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 27 मई, 2016, 6 सितम्बर, 2016, 7 नवम्बर, 2016 एवं 6 फरवरी, 2017 को चार बैठकें हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विस्तार ऊपर उल्लिखित तालिका में दिया गया।

शेयरधारकों की शिकायतें

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (आरटीए) के अनुसार सेबी को दी गई सूचना के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 488 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों का निवारण 31 मार्च 2017 तक कर दिया गया। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

6.5.2 शेयर अंतरण समिति

बोर्ड ने एक शेयर अंतरण समिति का गठन 25 मार्च, 1992 को किया था । निदेशक मंडल के समिति की संदर्भ की शर्तें 1 अगस्त, 2014 से संशोधित की । शेयर अंतरण समिति शेयर से जुड़े सभी मुद्दे, शेयरों के अंतरण एवं इसके अलावा स्थानांतरण, सबडिवीजन, समेकन, डुप्लीकेट शेयर जारी करना इत्यादि पर विचार एवं अनुमोदन करती है। शेयर हस्तांतरण समिति 12 जनवरी 2016 को पुर्नगठित की गई जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (मानव संसाधन) शामिल हैं।

2016–17 के दौरान बैठकें

शेयर अंतरण समिति ने वर्ष के दौरान 7 बैठकें की। शेयर अंतरण समिति की बैठकों का विवरण समय–समय पर निदेशक मंडल के सामने पेश किया जाता है।

6.6 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिए गए डीपीई निर्देशों के अनुसार बोर्ड ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बोर्ड स्तरीय उच्च समिति का गठन 25 नवंबर 2010 को किया जिससे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के गतिविधियों की समय–समय पर निगरानी की जा सके। समिति को वर्तमान में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए बोर्ड स्तरीय समिति के रूप में जाना जाता है। 12 मई 2014 को हुई इसकी बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनीज एक्ट 2013 के अनुरूप समिति को पुनर्गठित किया। समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैः

1) कम्पनी अधिनियम 2013 की सातवीं अनुसूची के अनुसार बताए गए कार्यो पर बोर्ड को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का निर्माण कर सिफारिश करना।

2) परियोजनाओं, कार्यक्रमों और धारा 1 में दिए गए कार्यो पर होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना।

3) समय–समय पर कंपनी के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यो की निगरानी करना।

4) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत कराना।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों का नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 3 जनवरी, 2017 को हुआ। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
सुश्री हरिन्द्र हीरा (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	2	2
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	सदस्य	1	0
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	सदस्य (31.10.2016 से)	-	-
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (03.01.2017 से)	1	0
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	2	2

प्रमुख (सीएसआर) कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक प्रभारी, कार्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 26 मई, 2016 एवं 6 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है।

6.7 मानव संसाधन समिति

i. विचारार्थ विषय

बोर्ड ने मानव संसाधन समिति का गठन 31 मई, 2006 को विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए किया।

क. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन की वर्तमान नीतियों की समीक्षा।

ख. बदलते/उभरते व्यापारिक परिवेश के अनुरूप बीएचईएल को तैयार करने के लिए नीतियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक बदलाव का सुझाव देना।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
राजेश किशोर (अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	4	4
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

प्रमुख (एचआर) कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक प्रभारी, कार्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की चार बैठकें दिनांक 13 जुलाई, 2016, 6 सितम्बर, 2016, 23 सितम्बर, 2016 एवं 6 फरवरी, 2017 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर उल्लिखित तालिका में दिया गया है।

6.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

i. विचारार्थ विषय

डीपीई के अनुसार सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों के मॉडल रोल और जिम्मेदारियों पर बोर्ड ने 28 दिसंबर 2012 को स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के चौथी अनुसूची और सूचीयन समझौते की (बी) (6) की जरूरतो के मुताबिक है।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
सुश्री हरिन्दर हीरा	अध्यक्ष एवं प्रमुख स्वतंत्र निदेशक	1	1
ए.एन. राय	सदस्य	1	1
राजेश किशोर	सदस्य	1	1
केशव एन. देसीराजू	सदस्य	1	1
आर. स्वामीनाथन	सदस्य	1	1
सुश्री सुरमा पाधी	सदस्य	1	1

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की बैठक वर्ष के दौरान एक बार 7 मार्च, 2017 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति की विस्तृत जानकारी ऊपर की तालिका में दी गई है।

6.9 बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषय

पुराने लिस्टिंग एग्रीमेंट (अब लिस्टिंग विनियम) के अनुसार धारा 49 के अनुरूप बोर्ड निदेशक मंडल ने 14 नवंबर 2014 को बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। इस समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए है

(i) कंपनी के जोखिम पर काबू पाने की संरचना, जोखिम आंकलन और जोखिम प्रबंधन के ढांचे, निर्देशों, नीतियों और जोखिम निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

(ii) पाए गए प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की रणनीति के साथ–साथ ऐसे जोखिमों की निगरानी और कम करने के प्रक्रिया की समीक्षा।

(iii) सूचना के लिए समिति के प्रयासों की जानकारी बोर्ड को देना और यदि कोई परिवर्तन है तो उसकी सिफारिश मंजूरी के लिए बोर्ड को देना।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एएस एंड एफए, डीआईपीपी (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
केशव एन. देसीराजू (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (पावर)	सदस्य	1	1
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	1	1
अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन स्थायी समिति	सदस्य	1	1
मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	1	1

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की बैठक वर्ष के दौरान 6 मार्च, 2017 को एक बार हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति की विस्तृत जानकारी ऊपर तालिका में दी गई है।

6.10 मध्यस्थता और बड़े कानूनी विवादों पर समिति

i. विचारार्थ विषय

26 मई 2015 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने मध्यस्थता एवं बड़े कानूनी विवादों पर समिति का गठन किया जो मध्यस्थता के मामलों के साथ–साथ प्रमुख कानूनी विवादों की विस्तृत समीक्षा करती है और और उसके बाद तदनुसार बोर्ड को अवगत कराती है।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 3 जनवरी, 2017 को हुआ। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैः

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
सुश्री हरिन्दर हीरा (अंशकालिक गैर–सरकारी, स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष	3	2
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	सदस्य	1	0
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	सदस्य (31.10.2016 से)	1	1
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (03.01.2017 से)	1	0
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	3	3

प्रमुख, विधि समिति के संयोजक हैं और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान 26 मई, 2016, 7 नवम्बर, 2016, 6 फरवरी, 2017 को तीन बार समिति की बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर उल्लिखित तालिका में दिया गया है।

6.11 विलय एवं अधिग्रहण पर बोर्ड स्तरीय समिति

i. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

इकाईयों के विलय, अधिग्रहण एवं टेकओवर से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच के लिए समिति 3 जनवरी, 2017 को पुनर्गठित की गई। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः

निदेशक का नाम श्री/सुश्री	पद
राजेश कुमार सिंह, जेएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	अध्यक्ष
अंशु प्रकाश, एएस, डीएचआई अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 तक)	अध्यक्ष (31.10.2016 से)
भास्कर ज्योति महन्ता, जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (03.01.2017 से)
केशव एन. देसीराजू (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (ई, आरएंडडी)	सदस्य
निदेशक (पावर)	सदस्य
निदेशक (मा.स.)	सदस्य

प्रमुख, एमएंडए विभाग स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। कम्पनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे।

ii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विलय एवं अधिग्रहण पर बोर्ड स्तरीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.12 आम बैठकें

i. अंतिम तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान और समय

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
वित्तीय वर्ष 2013–14 (50वीं एजीएम)	फिक्की सभागार, बाराखंभा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली –110001	19 सितंबर, 2014	प्रातः 10.00 बजे
वित्तीय वर्ष 2014–15 (51वीं एजीएम)	फिक्की सभागार, बाराखंभा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली –110001	22 सितंबर, 2015	प्रातः 10.00 बजे
वित्तीय वर्ष 2015–16 (52वीं एजीएम)	फिक्की सभागार, बाराखंभा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली –110001	22 सितंबर, 2016	प्रातः 10.00 बजे

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा

सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर / सीएफडी / नीति सेल /2/2014 दिनांक 17 अप्रैल 2014 को ध्यान में रखते हुए 22 सितंबर 2015 को आयोजित 51वीं वार्षक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, के साथ ₹ 6300 करोड़ में मुख्य संयंत्र के उपकरणों की आपूर्ति और 2x800 मेगावाट येरामारुस विद्युत परियोजना के लिए सेवाएं देने से जुड़े लेन–देन को मंजूरी दी गई।

iii. डाक मतपत्र

पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया। डाक मतपत्र के माध्यम से ऐसा कोई संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

6.13 प्रकटीकरण

i. संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन का प्रकटीकरण, जिसके कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो।

कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है, जिनका कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो। फिर भी संबद्ध पक्ष लेनदेनों का नोट 39 के बिन्दु सं. 14 – वार्षिक रिपोर्ट में लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकटन किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित कम्पनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन, दण्ड एवं आलोचना

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन/दंड और आलोचना पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर न तो कोई दंड लगाया गया है अथवा न तो आलोचना की गई और न ही ऐसी कोई गैर अनुपालन की घटना हुई है। कंपनी कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं और संविधि द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के पूर्व सभी अनुपालन किए जाते हैं।

iii. व्हिसल ब्लोअर नीति

सीपीएसई के कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों, सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार और कंपनीज अधिनियम की धारा 177 के तहत बीएचईएल के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की मंजूरी निदेशक मंडल ने 12.08.2014 को हुई अपनी 464वीं बैठक में दी। इसके अनुवर्ती व्हिसल ब्लोअर नीति पर अधिसूचित एक परिपत्र और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति तथा सक्षम प्राधिकरण के सम्पर्क विवरणों के साथ सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए जारी की गई।

व्हिसिल ब्लोअर की एक प्रति व्यापक प्रचार के लिए कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध कराई गई है। पते में परिवर्तन, समक्ष प्राधिकरण और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति के सम्पर्क विवरणों में समय–समय पर संशोधन भी अधिसूचित किया जा रहा है।

इस नीति के तहत प्राप्त शिकायतों का निवारण इस संबंध में दिए

गए दिशा–निर्देशों के तहत किया जाता है। और किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से निषिद्ध नहीं किया गया है।

iv. कॉपोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की अवश्यकताओं, सूचीयन समझौतो/विनियमों के गैर–अनिवार्य कॉपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का अधिग्रहण एवं अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण।

सभी अनिवार्य सीपीएसई, तत्कालीन लिस्टिंग एग्रीमेंट और वर्तमान लिस्टिंग नियमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देश की आवश्यकताओं विधिवत बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या से संबंधित उन को छोड़कर कंपनी द्वारा अनुपालन। लिस्टिंग नियमों के लिए गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में, बीएचईएल असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था में पहले से ही हैं।

खाते से कोई भी खर्च ऐसा नहीं किया गया है जो व्यापार के उदेश्य से नहीं है और खाते से कुछ भी ऐसा नहीं खर्चा गया है जो व्यक्तिगत है और बोर्ड के निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया है।

v. राष्ट्रपति के निदेश

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान सेवानिवृत्ति पर आधा वेतन छुट्टी के नगदीकरण पर एक राष्ट्रपति आदेश प्राप्त हुआ और इसका अनुपालन किया गया।

vi. जोखिम प्रबंधन

सीपीएसईज के लिए कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीयन दायित्व प्रकटन अपेक्षांए) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बीएचईएल के पास बोर्ड से मंजूर एक जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति (आरएमसीवी) है, जिसमें बोर्ड के सदस्यों को जोखिम आकलन और न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया दी गई है। इस नीति में कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एवं संरचनागत एवं संपूर्ण ढांचा है जो जोखिमों के उचित एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम समीक्षा, श्रेणीकरण, जोखिमों के न्यूनीकरण, जोखिमों की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग शामिल हैं।

बीएचईएल में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) है, जिसे कम्पनी की जोखिम शासन संरचना, जोखिम आकलन एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन स्थायी समिति (आरएमएससी) पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आरएमएससी सदस्यों में कार्यपालक निदेशक/कार्यकारी निदेशक/कॉर्पोरेट कार्य एवं व्यवसाय क्षेत्र के प्रमुख शामिल हैं जो जोखिम प्रबंधन ढांचे के अंगीकरण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। व्यवसाय क्षेत्रों/प्रभागों/कार्यों पर जोखिम प्रबंधन समितियां संबंधित इकाइयों/क्षेत्रों में जोखिम प्रोफाइल और जोखिम कम करने की योजना और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

vii. कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र संलग्न है।

6.14 वित्तीय और अन्य जानकारी का संप्रेषण

लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, कम्पनी बोर्ड की उन बैठकों का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को पहले जारी करती है, जिनमें अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर सांविधिक अवधि के अंदर विचार किया जाना होता है। इसके बाद उक्त नतीजों को तत्काल रिकार्ड पर रखने/अनुमोदित करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजो को तुरंत अवगत करा दिया जाता है। ये वित्तीय परिणाम सामान्यतः उक्त बैठक, जिसमें वित्तीय परिणाम को अनुमोदित किया गया था, की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर, संपूर्ण भारत में अथवा काफी अधिक प्रसार वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक में और क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार पत्र में, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रकाशित किये जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी अपलोड किए जाते हैं।

शेयरधारकों से जुड़ी दूसरी जानकारियां, जैसे निदेशकों पर परिवर्तन, अप्रदत्त लाभांश का विवरण और वार्षिक रिपोर्ट आदि कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाती हैं। आधिकारिक प्रेस रिलीज जिनमें महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बड़े आर्डर की प्राप्ति, बड़ी परियोजनाओं की कमीशनिंग, को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेज दिया जाता है। विश्लेषक अथवा संस्थागत निवेशक सम्मेलन का कार्यक्रम और कम्पनी द्वारा उनके समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरण यदि है तो, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान बीएचईएल ने वित्तीय परिणामों पर कोई भी विश्लेषणकर्ता या निवेशक के सम्मुख और निवेशक या विश्लेषक फर्मों द्वारा आयोजित वित्तीय परिणामों के बाद तिमाही टेलीकॉन्फ्रेंस कॉल या घोषणा पर कोई प्रस्तुतिकरण नहीं दिया ।

लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में कंपनी की वेबसाइट पर विनियम 46 की अपेक्षानुसार सूचनाएं अपलोड की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों के विवरण, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के गठन, आचार संहिता, आरपीटीज से संबंधित नीति, निवेशकों की शिकायतों आदि में सहायता करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए नामित अधिकारियों के संपर्क सूत्र दिए जाते हैं।

6.15 शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

i.	**वार्षिक आम बैठक**		
	तारीख	**समय**	**स्थान**
	22 सितंबर, 2017	प्रातः 10.00 बजे	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड (खैबर लेन), दिल्ली छावनी, नई दिल्ली–110010
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	
iii.	बही समापन की तारीखें	26 अगस्त, 2017 से 30 अगस्त, 2017 तक (दोनों दिन शामिल)	
iv.	लाभांश भुगतान तारीख	21 अक्टूबर 2017 को या उससे पहले	

v. लाभांश इतिहास

बीएचईएल 1976–77 से लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है। बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	लाभांश की दर	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में)	लाभांश घोषित करने की तिथि
2008–2009 (अंतिम)	80%	391.62	17.09.2009
2009–2010 (अंतरिम)	110%	538.47	21.01.2010*
2009–2010 (अंतिम)	123%	602.11	17.09.2010
2010–2011 (अंतरिम)	132.50%	648.62	15.03.2011*
2010–2011 (अंतिम)	179%	876.24	20.09.2011
2011–2012 (अंतरिम)	136%	665.75	02.03.2012*
2011–2012 (अंतिम)	184%	900.72	19.09.2012
2012–2013 (अंतरिम)	106%	518.89	01.02.2013*
2012–2013 (अंतिम)	164.50%	805.26	20.09.2013
2013–2014 (अंतरिम)	65.50%	320.64	05.02.2014*
2013–2014 (अंतिम)	76%	372.04	19.09.2014
2014–2015 (अंतरिम)	27%	132.17	12.02.2015*
2014–2015 (अंतिम)	31%	151.75	22.09.2015
2015–2016 (अंतिम)	20%	97.90	22.09.2016
2016–2017 (अंतरिम)	40%	195.81	07.02.2017*

** निदेशक मंडल की उस बैठक की तारीख, जब अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।*

- ₹ 10/– प्रत्येक के बीएचईएल के शेयरों की संख्या 48.952 करोड़ थी जो 04.10.2011 को प्रभावी विभाजन के बाद ₹ 2 प्रति शेयर 244.76 करोड़ हैं।
- वर्ष 2008–09 (अंतिम) और 2009–10 (अंतरिम) के लिए दावा न किया गया लाभांश वर्ष 2016–17 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, वर्ष 2009–10 (अंतिम) के लिए दावा न किया गया लाभांश 22.10.2017 को आईईपीएफ को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

यदि शेयरधारक पिछले सात वर्षों में किसी के लिए भी लाभांश प्राप्त नहीं कर पाए हैं और जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईईपीएफ) में अंतरित नहीं किया गया है, वे कंपनी की की वेबसाइट ww.bhel.com अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान न किया गया लाभांश के लिए दावा कर सकते हैं। आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संबंध में शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसके संबंध में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in और कम्पनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी उपलब्ध हैं।

vi. (क) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिसके 2016–17 के लिए शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1. मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जिजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	500103
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा नं. सी/1, ब्लॉक–जी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400 051	बीएचईएल

(ख) जमाकर्ताओं को वार्षिक कस्टोडियन फीस का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

vii. बीएसई और एनएसई में वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न, बंद और बीएचईएल के शेयरों की मात्रा तथा बाजार सूचकांक नीचे दिए जा रहे हैं;

बाजार मूल्य डाटा: वित्त वर्ष 2016–17 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न, बंद										
माह	बीएसई				एनएसई				बाजार सूचकांक (बंद)	
	उच्च	निम्न	बंद	मात्रा	उच्च	निम्न	बंद	मात्रा	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	एनएसई निफ्टी
	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)	(शेयरों की संख्या)	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)	(शेयरों की संख्या)		
अप्रैल–16	135.40	112.30	125.40	23917891	135.45	112.35	125.40	192689643	25606.62	7849.80
मई–16	131.95	115.75	120.70	17816754	132.20	115.65	120.50	128462668	26667.96	8160.10
जून–16	128.45	113.90	127.65	16477306	128.20	113.75	127.70	127304047	26999.72	8287.75
जुलाई–16	151.25	128.75	145.80	18334350	151.25	128.90	145.90	151390148	28051.86	8638.50
अगस्त–16	149.00	132.15	139.05	16879631	149.00	132.20	139.10	132880198	28452.17	8786.20
सितंबर–16	162.80	129.40	134.65	32760689	162.90	129.60	134.70	287293733	27865.96	8611.15
अक्टूबर–16	143.45	130.05	138.80	13102691	143.65	129.80	139.00	108318709	27930.21	8625.70
नवबंबर–16	146.85	122.60	130.35	17507532	146.80	122.50	130.15	167875874	26652.81	8224.50
दिसंबर–16	131.20	116.15	121.05	9813230	131.20	116.10	121.20	77476296	26626.46	8185.80
जनवरी–17	142.00	120.85	137.05	12907256	142.20	120.70	137.05	117151165	27655.96	8561.30
फरवरी–17	163.70	136.00	162.00	22944598	163.80	135.70	162.45	185283213	28743.32	8879.60
मार्च–17	172.00	155.90	163.10	13068745	172.10	155.80	162.85	131144367	29620.50	9173.75

स्रोत: www.bseindia.com / www.nseindia.com

viii. आतंरिक व्यापार नीति

बीएचईएल का प्रयास है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जाए ताकि इस प्रकार की सूचना के दुरुपयोग की रोकथाम की जा सके। इस प्रयोजन के लिए तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 को पुनरीक्षित किया गया।

सेबी ने दिनांक 15.01.2015 की अधिसूचना के द्वारा, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) अधिनियम, 2015 की शुरुआत की, जो 15 मई, 2015 से प्रभावी हैं। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बोर्ड ने 6 अप्रैल 2015 को आयोजित अपनी 469वीं बैठक में 'इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग के लिए और फेयर डिसक्लोजर, 2015 के लिए आचार संहिता' को मंजूरी दी। इस संहिता का उद्देश्य पदनामित कर्मचारियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित मॉनीटर और रिपोर्ट करना है। इस संहिता में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन की पद्धति और प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इस संहिता के अंतर्गत सीएसएम का प्रमुख कम्पनी का मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी (सीआईआरओ) है।

ix. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

दिल्ली पता	हैदराबाद पता
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड	कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट **बीएचईएल**	यूनिट **बीएचईएल**
305, नई दिल्ली हाउस,	कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
27 बाराखम्बा रोड,	प्लॉट नं. 31–32, गचीबाउली, फाइनेंशिय जिला,
नई दिल्ली–110001	नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
फोनरू 011.43681700	फोनरू 040.67162222
फैक्सरू 011.43681710	फैक्सरू 040.23001153
ई–मेल ksbldelhi@karvy.com	ई–मेल madhusudhan.ms@karvy.com
einward.ris@karvy.com	वेबसाईट www.karvycomputershare.com

शेयरधारकों की सेवा में आरटीए का निष्पादन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है।

x. शेयर अंतरण पद्धति

प्रत्यक्ष शेयरों के संदर्भ में शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका सत्यापन, अनुमोदन और लिस्टिंग करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर अंतरितियों को अंतरित प्रमाणपत्र भेजने जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। लिस्टिंग करार और लिस्टिंग विनियम के अनुसार शेयर प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन और समेकन के लिए निर्धारित समय के भीतर जारी किए जा रहे हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर अंतरण गतिविधियां, जैसे कि दस्तावेजों की रसीद/डिस्पैच, उनका सत्यापन और अंतरण ज्ञापन तैयार करने आदि का काम मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है।

xi. शेयरधारिता का वितरण

(i) 31 मार्च, 2017 को धारिता के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1 - 500	354834	92.56%	34822780	1.42%
501 - 1000	16449	4.29%	13079573	0.53%
1001 - 2000	6988	1.82%	10708147	0.44%
2001 - 3000	1905	0.50%	4852940	0.20%
3001 - 4000	785	0.21%	2813940	0.12%
4001 - 5000	623	0.16%	2963964	0.12%
5001 - 10000	812	0.21%	5938347	0.24%
10001 and above	975	0.25%	2372420309	96.93%
कुल	**383371**	**100.00%**	**2447600000**	**100.00%**

(ii) 31 मार्च, 2017 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	2017		2016	
	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तकों की धारिता				
भारतीय प्रवर्तक				
भारत के राष्ट्रपति (पीओआई)	63.06	1543452000	63.06	1543452000
कुल प्रवर्तक धारिता	**63.06**	**1543452000**	**63.06**	**1543452000**
गैर–प्रवर्तक धारिता				
म्युचुअल फंड तथा यूटीआई	0.76	18498146	2.71	66356008
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां	15.67	383542722	15.68	384009517
विदेशी संस्थागत निवेशक (अर्हक विदेशी निवेशक सहित)	15.89	389004270	13.95	341291372
अन्य				
निदेशक एवं संबंधी	0.00	1510	0.00	1500
कॉरपोरेट निकाय	0.72	17563551	0.98	24025478
व्यक्ति	3.09	75630859	3.19	77944110
विदेशी नागरिक	0.20	4991743	0.20	4886565
प्रवासी भारतीय	0.13	3226202	0.13	3097094
न्यास	0.48	11688997	0.10	2536356
क्लियरिंग सदस्य	**36.94**	**904148000**	**36.94**	**904148000**
कुल गै–प्रवर्तक धारिता	**100.00**	**2447600000**	**100.00**	**2447600000**

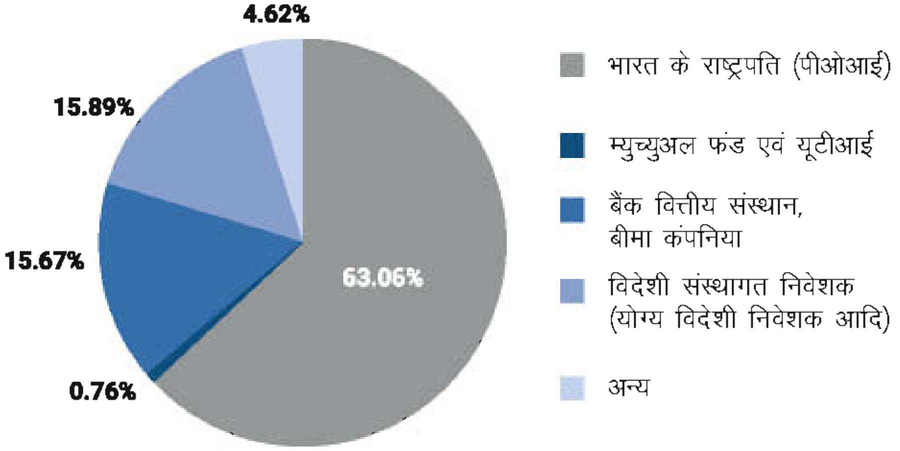

(iii) उन शेयरधारकों की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को कंपनी के शेयरों का 1 प्रतिशत से अधिक धारित कर रहे हैं।

	31-03-2017	
	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तक		
1. भारत के राष्ट्रपति	63.06	1543452000
गैर–प्रवर्तक		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	9.42	230453920
2. कॉमजेस्ट ग्रोथ पीएलसी – कॉमजेस्ट ग्रोथ इमर्जिंग मार्केटस	1.42	34660004
3. पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट जीएफ मॉरीशस लिमिटेड	1.13	27696389
4. लेजॉर्ड इमर्जिंग मार्केटस पोर्टफोलिया	1.12	27369356
5. मेजेलॉन	1.10	26822509
6. एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	1.02	24939880

xii. शेयरों और तरलता का अमूर्तकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश के लिए करार निष्पादित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 99.95 प्रतिशत (एनएसडीएल : 99.00 प्रतिशत, सीडीएसएल : 0.95 प्रतिशत) को शेयरधारकों ने अमूर्त करा लिया है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों का प्रतिशत 0.05 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति की शेयर धारिता (जो कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 63.06 प्रतिशत बनती है) को भी अमूर्त करा लिया गया। कंपनी को आबंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई257 I01026 है।

xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय वस्तु, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

शून्य

xiv. विदेशी मुद्रा जोखिम या वस्तु मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियां

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी द्वाराहेजिंग गतिविधियां / लेनदेन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार की गई है। स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, सीआरजीओ, सीआरएनजीओ, ट्रांसफार्मर ऑयल, स्नेहक जैसी बड़ी औद्योगिक वस्तुओं की खरीद जहाँ तक संभव है, बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों की आवश्यकताओं को एकत्र करके किसी एक निर्धारित इकाई में केन्द्रीय रूप से की जा रही है। कीमत के उतार चढ़ाव से कंपनी को बचाने के लिए, वार्षिक/अर्ध–वार्षिक/त्रैमासिक आधार पर फ्रेमवर्क करार कए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन निर्धारित रूप से कीमत के रूप की मॉनीटरिंग करता है और इकाइयों को जागरूक किया जाता है।

xv. संयंत्र स्थल

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां	बेंगलुरू	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन (ईडीएन)
		2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिविजन (ईएसडी)
		3. इलेक्ट्रो पोर्सिलीन डिविजन (ईपीडी)
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्व्स प्लांट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (हीप)
		7. सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9. इंसुलेटर प्लांट (आईपी)
		10. सेन्ट्रेलाइज्ड स्टेम्पिंग यूनिट (सीएसयू)
	झांसी	11. ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी)
	रूद्रपुर	12. कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
	रानीपेट	13. बॉयलर आग्जियलरीज प्लांट (बीएपी)
	तिरूचिरापल्ली	14 हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
		15. सीमलैस स्टील टयूब प्लांट (एसएसटीपी)
	थिरूमायम	16. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापटनम	17. हेवी प्लेटस एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल रिपेयर यूनिट	मुम्बई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)
बीएचईएल सहायक कंपनी	कासरगोड	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. (बीएचईएल–ईएमएल)

xvi. पत्राचार का पता

शेयरधारक शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटी का पुनःवैधीकरण और कंपनी के शेयरों से संबंधित अन्य पूछताछ के लिए शेयरधारक अपने पत्र निम्नांकित में से किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं :

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमि.

यूनिटः बीएचईएल

दिल्लीः	305, नई दिल्ली हाउस 27 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली–110001	फोन फैक्स ई–मेल	011.4368 1700 011.43681710 ksbldelhi@karvy.com einward.ris@karvy.com
हैदराबादः	कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गचीबावली, फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुंडा, हैदराबाद–500 032	फोन फैक्स ई–मेल	040.67162222 040.23001153 madhusudhan.ms@karvy.com einward.ris@karvy.com

या

श्री आई.पी. सिंह
कम्पनी सचिव
बीएचईएल
पंजी कार्यालय – बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110 049

फोन 011.26001046
फैक्स 011.66337533
ई–मेल shareholderquery@bhel.in

टिप्पणी : इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के साथ करना चाहिए।

घोषणा : सूचीकरण करार के अनुसरण में एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बीएचईएल की ''व्यवसाय' आचरण और नैतिकता'' की संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जुलाई, 2017

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में

सदस्य

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

1. हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** (सीआईएन एल74899डीएल1964जीओआई004281) द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि उक्त कम्पनी के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग द्वारा मई 2010 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में कार्पोरेट अभिशासन पद्धति पर दिशानिर्देशों में उल्लेख है।
2. कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन पर है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों को कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी का लेखा परीक्षण है और न ही वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति।
3. हमारी राय और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त लिस्टिंग करार और डीपीई दिशा–निर्देशों का सिवाय सूचीकरण समझौते की धारा 17(1)(बी) और डीपीई दिशनिर्देशों के उपवाक्य 3.1.4 जो इस शर्त से संबंधित है कि निदेशक मंडल में से कम–से–कम 50 प्रतिशत गैर–कार्यकारी होने चाहिए और बोर्ड में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, कार्पोरेट अभिशासन प्रणाली की सारी शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा किया गया अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन की उस कार्यकुशलता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन देता है, जिसके आधार पर कंपनी के प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

(पी.एस.आर. मूर्ति)

पेशेवर कम्पनी सचिव

सीपी 13090

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 मई, 2017

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

मैंने, **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** (आगे बीएचईएल/कंपनी कहा गया है) द्वारा वैधानिक प्रावधानों और बेहतर कार्पोरेट नियमों के अनुपालन का सचिव स्तरीय जांच की है। सचिव स्तरीय परीक्षण इस तरीके से किया गया कि मुझे कार्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इस पर राय प्रकट करने का अवसर मिला। बीएचईएल के बही, कागजात, कार्य विवरण पुस्तक, प्रपत्रों और विवरणियां और कंपनी द्वारा रखे गए दूसरे अभिलेखों और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंट्स और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारियों की सचिव स्तरीय परीक्षण के दौरान मेरे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर मैं यह प्रतिवेदन देना चाहता हूं कि मेरी राय में कंपनी ने परीक्षण काल में, जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष शामिल है, निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली एक सीमा तक है, जैसा कि मेरी निम्न रिपोर्ट में है।

मैंने बही, कागजात, कार्य विवरण संचिका, प्रपत्रों और दायर विवरणियां और बीएचईएल द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे अभिलेखों की 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधानों के तहत जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियम

(ii) प्रतिमूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बने नियम।

(iii) जमाकर्ता अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके तहत तैयार उपनियम।

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण जैसे नियम।

(v) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम), 1992 के तहत प्रस्तावित निम्नलिखित नियम और दिशा–निर्देश:

- क) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अन्य संपदाओं का पूर्ण अधिग्रहण) नियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी सूत्र द्वारा किए गए व्यापार पर निषेध) नियम, 2015;
- ग) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण की जरूरत के मुद्दे) नियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं);
- घ) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प और कर्मचारी शेयर खरीद योजना) दिशा–निर्देश 1999 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं);
- ङ) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिमूतियों को इश्यू और लिस्टिंग) नियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं);
- च) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) नियम, 1993, कंपनीज एक्ट और ग्राहकों के संबंध में;
- छ) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों की डीलिस्टिंग) नियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं);
- ज) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिमूतियों की पुनर्खरीद) नियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू नहीं);
- झ) भारतीय प्रतिमूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015

(vi) मैं आगे सूचित करता हूं कि कम्पनी में लागू अनुपालन नियमों और संबंधित दस्तावेजां की जांच तथा रिकार्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी पर लागू निम्नलिखित विशेष तौर लागू नियमों का पालन किया है:

- क) परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम, 2004
- ख) बैट्रीज (प्रबंधन और हैंडलिंग) कानून, 2001
- ग) कारखाना अधिनियम, 1948 और
- घ) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

मैंने, निम्नलिखित उपखण्डों के अनुपालन की भी जांच की है :

i. इंस्टीटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक; और

ii. लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने ओएम नं. 18(8)2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देश।

समीक्षा काल के दौरान कंपनी ने ऊपर दिए गए अधिनियमों, कानूनों, प्रावधानों, दिशा–निर्देशों, मानकों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ख) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा निर्देश के पैरा 3.1. 4 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अपेक्षानुसार नहीं था जैसा कि कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

कम्पनी के व्याख्या दी है कि बीएचईएल एक सरकारी कम्पनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कम्पनी ने पहले ही बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध कर दिया है।

मैं आगे सूचित करता हूं कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन करते हुए किये गए थे।

सामान्यतः बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेज दिया जाता है और बैठक से पहले कार्यसूची की अग्रिम जानकारी और स्पष्टीकरण को मांगने और प्राप्त करने के लिए एक तंत्र मौजूद है, जिससे बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो सके। बहुमत के निर्णय को मान लिया जाता है और असहमति रखने वाले सदस्यों की राय को बाद में जरूरत के वक्त इस्तेमाल के लिए रिकार्ड कर मिनट्स के तौर पर रख लिया जाता है।

बैठकों के कार्यवृत्त को विधिवत् रिकार्ड कर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस कार्यवृत्त में बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है तथा कोई फालतू मामलों को रिकार्ड में नहीं लिया जाता है।

मैं, आगे यह सूचित करता हूं कि कम्पनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए गए विधिक अनुपालनों के प्रमाणपत्र के आधार पर मेरा विचार है कि कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कम्पनी के पास पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं हैं और कम्पनी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, मैं यह सूचित करता हूं कि कम्पनी ने विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा उगाही गई मांग सूचनाओं, दावों, दण्डों आदि का उत्तर दिया है तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जहां जरूरी हुआ सही कार्यवाही करने के लिए उचित उपाय किए हैं ।

मैं आगे यह सूचित करता हूं कि लेखा परीक्षण के दौरान उपर्युक्त विधियों के अनुपालन में कंपनी मामलों पर महत्वपूर्ण कार्यों में कोई विशेष घटनाएं ६ कार्य नहीं थे।

कृते **पी.पी. अग्रवाल एंड कं.**

कंपनी सचिव

यू.सी. नं. एस2012डीई174200

प्रमोद पी. अग्रवाल

सीपी नं. 10566

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 जून, 2017

इस रिपोर्ट को यहां की तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुबंध क' के रूप में संलग्न है और रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में,

सदस्यगण

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इस रिकार्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा की प्रचलित पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जो अभिलेखों की विषयवस्तु की सत्यता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जरूरी थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालय के रिकार्डों में सही तथ्य दर्शाएं गए हैं। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं का हमने पालन किया है वे हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही–खातों की सत्यता का सत्यापन नही किया है।
4. जब भी जरूरत पड़ी, हमने नियम–कानूनों के अनुपालन और कार्यक्रमों में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कार्पोरेट और अन्य उपयुक्त कानूनों, नियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण, प्रक्रियाओं की जांच के आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था।
6. सचिवालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो इस बात का आश्वासन है कि कंपनी भविष्य में बनी रहेगी और न ही इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कार्यकुशलता एवं प्रभावोत्पादकता से कंपनी द्वारा कारोबार का संचालन किया गया है।

कृते **पी.पी. अग्रवाल एंड कं.**

कंपनी सचिव

यू.सी. नं. एस2012डीई174200

प्रमोद पी अग्रवाल

सीपी नं. 10566

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 जून, 2017

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(ख) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अपेक्षानुसार नहीं है जैसा कि कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।	बीएचईएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों का चयन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग की सर्च कमेटी के परामर्श से करता है। कम्पनी के बोर्ड में सेबी सूचीयन विनियम और डीपीई दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी भारी उद्योग विभाग के साथ लगातार संपर्क में है ।

वार्षिक रिटर्न का सार

प्रपत्र संख्या – एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i)	सीआईएन	L74899DL1964GOI004281
ii)	पंजीकरण तिथि	13 नवम्बर, 1964
iii)	कम्पनी का नाम	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सार्वजनिक कम्पनी/सरकारी कम्पनी/शूयरों द्वारा लिमिटेड
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049 फोन: 011.66337000 फैक्स: 011.66337428 ई–मेल: shareholderquery@bhel.in
vi)	क्या सूचीबद्ध है (हां/नहीं)	हां
vii)	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	**कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड** कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 फोन 040-67162222 फैक्स 040-23001153 ई–मेल madhusudhan.ms@karvy.com einward.ris@karvy.com

II. कम्पनी के प्रमुख व्यवसायिक कार्यकलाप

कम्पनी के सभी व्यवसायिक कार्यकलाप कम्पनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान दे रहे हैं:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	बॉयलर	2513	30.88
2.	टरबाइन एवं जनरेटर	2811	16.84
3	निर्माण एवं सेवा	42201	23.19

III. होल्डिंग कम्पनी और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	**बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लि.** 263/1 एवं 2, गांव पुत्तर, डाकघर बेद्रादका, कासरगोड, केरल–671124	U31909KL2011GOI027440	सहायक	51%	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87)
2	**रायचुर पावर कॉरपोरेशन लि.** 22/23, सुदर्शन कॉम्प्लैक्स, शेशाद्री रोड, बेंगलुरू–560009	U40101KA2009PLC049582	सहयोगी	27.34%	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 6(2)
3	**दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि.** शेड नं. 7, एमपीएसईबी कॉम्प्लैक्स, रामपुर, जबलपुर–482008	U40100MP2010PLC023131	सहयोगी	50%	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 6(2)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
4	**बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज लि.** गुमीदिल्ली टावर्स, छठा तल, 1–10–39 से 44, बेगमपेट एयरपोर्ट रोड, बेगमपेट, हैदराबाद–500016	U51505TG1997PTC040657	सहयोगी	50 प्रतिशत घटाकर एक शेयर	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
5	**एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.** एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	U40102DL2008PTC177307	सहयोगी	50%	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
6	**पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि.** 54/डी–9, किशनगढ़ गांव, वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110070	U28991DL2003PLC120915	सहयोगी	50 प्रतिशत घटाकर एक शेयर	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)
7	**लातुर पावर कम्पनी लि.** प्रकाशगाड, दूसरा तल, प्लॉट नं. जी–9, अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051	U40102MH2011PLC215884	सहयोगी	परिसमापन के अधीन जेवी	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)

IV. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (01.04.2016 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31.03.2017 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ख) केन्द्र सरकार	1543452000	0	1543452000	63.06	1543452000	0	1543452000	63.06	0.00
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) निकाय कार्पो.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ड) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
च) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
उपयोग (क) (1) :	**1543452000**	**0**	**1543452000**	**63.06**	**1543452000**	**0**	**1543452000**	**63.06**	**0.00**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ख) अन्य– व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ग) निकाय कॉर्पोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) बैंक/एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ड) कोई अन्य...	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
उप–योग (क)(2) :	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
प्रवर्तक (क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1)+(क)(2)	**1543452000**	**0**	**1543452000**	**63.06**	**1543452000**	**0**	**1543452000**	**63.06**	**0.00**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (01.04.2016 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31.03.2017 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
(1) संस्थान									
क) म्युचुअल फंड/यूटीआई	66340008	16000	66356008	2.72	18482146	16000	18498146	0.76	-1.95
ख) बैंक/एफआई	128612301	4000	128616301	5.25	129480506	4000	129484506	5.29	0.04
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ङ वेन्चर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
च. बीमा कंपनियां	255391216	2000	255393216	10.43	254056216	2000	254058216	10.38	-0.05
छ. एफआईआई	341282372	9000	341291372	13.94	388995270	9000	389004270	15.89	1.95
ज. विदेशी वेन्चर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
i) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
उप–योग (ख) (1) :	**791625897**	**31000**	**791656897**	**32.34**	**791014138**	**31000**	**791045138**	**32.32**	**-0.01**
(2) गैर–संस्थान									
क) निकाय कॉर्पोरेट									
i) भारतीय	24000312	6000	24006312	0.98	17511453	6000	17517453	0.72	-0.26
ii) विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
i) रु. 1 लाख तक मामूली शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	75493102	1314053	76807155	3.14	71817739	1254108	73071847	2.99	-0.15
ii) रु. 1 लाख से अधिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	1136955	0	1136955	0.05	2559012	0	2559012	0.10	0.05
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
क्लियरिंग सदस्यगण	2536356	0	2536356	0.10	11688997	0	11688997	0.48	0.38
निदेशक	1500	0	1500	0.00	1510	0	1510	0	0.00
एनबीएफसी	19166	0	19166	0.00	46098	0	46098	0	0.00
अप्रवासी भारतीय	4874065	12500	4886565	0.20	4979243	12500	4991743	0.20	0.00
ट्रस्ट	3097094	0	3097094	0.13	3226202	0	3226202	0.13	0.00
उप–योग (ख) (2)	**111158550**	**1332553**	**112491103**	**4.60**	**111830254**	**1272608**	**113102862**	**4.62**	**0.02**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (01.04.2016 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31.03.2017 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**902784447**	**1363553**	**904148000**	**36.94**	**902844392**	**1303608**	**904148000**	**36.94**	**0.00**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल योग (क+ख+ग)	**2446236447**	**1363553**	**2447600000**	**100.00**	**2446296392**	**1303608**	**2447600000**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2016 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2017 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत बदलाव
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	1543452000	63.06	0.00	1543452000	63.06	0.00	0.00
	कुल	**1543452000**	**63.06**	**0.00**	**1543452000**	**63.06**	**0.00**	**0.00**

(iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में बदलाव (कोई बदलाव नहीं)

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/वर्ष की समाप्ति (31.03.2017) को शेयरधारिता		वृद्धि/कमी के लिए कारण दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.3017 तक)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	1543452000	63.06	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		1543452000	63.06

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्नः (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

क्र.सं.	नाम	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/वर्ष की समाप्ति (31.03.2017) को शेयरधारिता		वृद्धि/कमी के लिए कारण दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.3017 तक)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	230453920	9.42		कोई बदलाव नहीं			
		230453920	9.42	31.03.2017			230453920	9.42
2	कॉमजेस्ट ग्रोथ पीएलसी ए/सी कॉमजेस्ट ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स	31801590	1.30					
				22.04.2016	116000	खरीद	31917590	1.30
				02.09.2016	2742414	खरीद	34660004	1.42
		34660004	1.42	31.03.2017			34660004	1.42
3	मार्गेलान	26822509	1.10		कोई बदलाव नहीं			
		26822509	1.10	31.03.2017			26822509	1.10
4	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	24939880	1.02		कोई बदलाव नहीं			
		24939880	1.02	31.03.2017			24939880	1.02
5	लेजार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी ए/सी लेजार्ड इमर्जिंग मार्केट्स पोर्टफोलियो	23730934	0.97					
				29.04.2016	258095	खरीद	23989029	0.98
				24.06.2016	461506	खरीद	24450535	1.00
				09.12.2016	365928	बिक्री	24084607	0.98
				16.12.2016	257082	बिक्री	23827525	0.97
				27.01.2017	1251820	खरीद	25079345	1.02
				03.02.2017	1130060	खरीद	26209405	1.07
				10.02.2017	220934	खरीद	26430339	1.08
				10.03.2017	939017	खरीद	27369356	1.12
		27369356	1.12	31.03.2017			27369356	1.12
6	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	22406815	0.92		कोई बदलाव नहीं			
		22406815	0.92	31.03.2017			22406815	0.92

क्र.सं.	नाम	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/वर्ष की समाप्ति (31.03.2017) को शेयरधारिता		वृद्धि/कमी के लिए कारण दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.3017 तक)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
7	फिडेलिटी पूरिटन ट्रस्ट–फिडेलिटी लो–प्राइस्ड स्टॉक फंड	21000000	0.86		कोई बदलाव नहीं			
		21000000	0.86	31.03.2017			21000000	0.86
8	भारतीय जीवन बीमा निगम पी एंड जीएस फंड	18902990	0.77		कोई बदलाव नहीं			
		18902990	0.77	31.03.2017			18902990	0.77
9	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	18387175	0.75		कोई बदलाव नहीं			
		18387175	0.75	31.03.2017			18387175	0.75
10	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोफिट प्लस ग्रोथ फंड	17381255	0.71		कोई बदलाव नहीं			
		17381255	0.71	31.03.2017			17381255	0.71
11	पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट जीएफ मॉरीशस लिमिटेड	17221676	0.70	07.10.2016*				
				21.10.2016	2183738	खरीद	19405414	0.79
				04.11.2016	900000	खरीद	20305414	0.83
				11.11.2016	550000	खरीद	20855414	0.85
				25.11.2016	3260126	खरीद	24115540	0.99
				09.12.2016	1200000	खरीद	25315540	1.03
				16.12.2016	600000	खरीद	25915540	1.06
				23.12.2016	600000	खरीद	26515540	1.08
				30.12.2016	555849	खरीद	27071389	1.11
				20.01.2017	625000	खरीद	27696389	1.13
		27696389	1.13	31.03.2017			27696389	1.13

* नोट मैसर्स पाइनब्रिज इन्वेस्टमेट जीएफ मारीशस लिमिटेड का विवरण शीर्ष दस शेयरधारको की सूची मे प्रवेश होने की तिथि से दर्शाया गया है।

(v) निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता:

क्र. सं.	नाम सर्व/श्री	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/वर्ष की समाप्ति (31.03.2017) को शेयरधारिता		वृद्धि/कमी के लिए कारण दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.3017/सेवानिवृत्ति तक)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	अतुल सोबती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1500	0.00					
		1500	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		1500	0.00
2	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे अंशकालिक सरकारी निदेशक	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
3	राजेश कुमार सिंह अंशकालिक सरकारी निदेशक (06.10.2016 तक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	06.10.2016	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
4	अंशु प्रकाश अंशकालिक सरकारी निदेशक (31.10.2016 से 03.01.2017 तक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	03.01.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
5	भास्कर ज्योति महन्ता अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.01.2017 से)	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
6	सुश्री हरिन्दर हीरा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
7	ए.एन. राय अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
8	राजेश किशोर अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
9	केशव एन. देसीराजू अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	0.00					0.00
		0	0.00	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0.00
10	आर. स्वामीनाथन अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	0					0.00
		0	0	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0
11	सुश्री सुरमा पाधी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.02.2017 से)	0	0					
		0	0	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0
12	डी. बंद्योपाध्याय निदेशक (मा.सं.)	0	0					
		0	0	31.03.2017	कोई बदलाव नहीं		0	0

क्र. सं.	नाम सर्व/श्री	वर्ष के प्रारंभ (01.04.2016)/वर्ष की समाप्ति (31.03.2017) को शेयरधारिता		वृद्धि/कमी के लिए कारण दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी			वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता (01.04.2016 से 31.03.3017/सेवानिवृत्ति तक)	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
13	अमिताभ माथुर निदेशक (आईएसएंडपी)	0	0		कोई बदलाव नहीं			
		0	0	31.03.2017			0	0
14	सुब्रत बिस्वास निदेशक (ईआरएंडडी)	0	0		कोई बदलाव नहीं			
		0	0	31.03.2017			0	0
15	टी. चोकालिंगम निदेशक (वित्त)	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		0	0.00	31.03.2017			0	0.00
16	अखिल जोशी निदेशक (पावर) 10.08.2016 से	10	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		10	0.00	31.03.2017			10	0.00
17	आई.पी. सिंह कम्पनी सचिव	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		0	0.00	31.03.2017			0	0.00

V. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नही सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य			
i) मूल राशि				
ii) ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं				
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणगस्तता में परिवर्तन				
• संयोजन				
• कटौती				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं				
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम (सर्वश्री)						कुल राशि
		अतुल सोबती सीएमडी	डी. बंद्योपाध्याय निदेशक (मा.सं.)	अमिताभ माथुर निदेशक (आईएसएंडपी)	सुब्रत बिस्वास निदेशक (ई, आरएंडडी)	टी. चोकालिंगम निदेशक (वित्त)	अखिल जोशी निदेशक (पावर) (10.08.16 से)	
1	सकल वेतन							
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	39,35,678	40,82,767	35,90,638	34,79,292	32,32,073	20,98,952	2,04,19,400
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	39,600	4,65,291	43,834	3,80,616	3,65,292	2,48,859	15,43,492
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ							
2	स्टॉक विकल्प							
3	स्वैट इक्विटी							
4	कमीशन							
	– लाभ का प्रतिशत							
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें							
5	अन्य, विनिर्दिष्ट करें							
	कुल (क)	**39,75,278**	**45,48,058**	**36,34,472**	**38,59,908**	**35,97,365**	**23,47,811**	**2,19,62,892**
	अधिनियम के अनुसार सीमा							

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम						कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**सुश्री हरिन्दर हीरा**	**ए.एन. राय**	**राजेश किशोर**	**केशव एन. देसीराजू**	**आर. स्वामीनाथन**	**सुश्री सुरमा पाधी (02.02.17 से)**	
	• बोर्ड / समिति बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	2,30,000	2,75,000	3,20,000	1,50,000	2,15,000	35,000	12,25,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	2,30,000	2,75,000	3,20,000	1,50,000	2,15,000	35,000	12,25,000
2	**अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक**	**डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय**	**राजेश कुमार सिंह 06.10.16 तक**	**अंशु प्रकाश (31.10.16 से 03.01.17 तक)**	**भास्कर ज्योति महन्ता (03.01.17 से)**	-	-	-
	• बोर्ड / समिति बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1+2)	2,30,000	2,75,000	3,20,000	1,50,000	2,15,000	35,000	12,25,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)							2,31,87,892
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	बीएचईएल एक सरकारी कम्पनी होने के नाते इस पर निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के शुल्क सहित प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर सीमा से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है।						

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक:

(₹ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	आई.पी. सिंह कम्पनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन	तालिका VI(क) के अनुसार		तालिका VI(क) के अनुसार	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन		30,25,686		30,25,686
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		4,854		4,854
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वैट इक्विटी				
4	कमीशन: . लाभ का प्रतिशत – अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
5	अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
	कुल		30,30,540		30,30,540

VII. जुर्माना/दण्ड/अपराधों का अभियोग:रू

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया दण्ड/जुर्माना/दण्ड/अभियोग शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
दण्ड					
अभियोग					
चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दण्ड					
अभियोग					
ब्उचवनदकपदह					

अनुबंध–VII

7.1 ऊर्जा का संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण (ईएनसीओएन) बीएचईएल में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां पूरी हुईं:

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 50001:2011) का कार्यान्वयन संगठन को ऐसी प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करने में सक्षम बनाता है जिससे ऊर्जा कार्यकुशलता, उपयोग एवं खपत सहित ऊर्जा निष्पादन में सुधार हो। पांच विनिर्माण यूनिटें (एचईपी–भोपाल, हीप–हरिद्वार, एचपीबीपी–त्रिची यूनिटः 1, एचपीईपी–हैदराबाद और ईपीडी–बेंगलुरू) आईएसओ 50001:2011 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के साथ प्रमाणित हैं।

विनिर्माण यूनिटों का ऊर्जा ऑडिट सुधारों के लिए अवसरों की पहचान (ओएफआईएस) के लिए चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाता है। वित्त वर्ष 2016–17 में हीप–हरिद्वार और पीपीपीयू–थिरूमायम में ऊर्जा ऑडिट आयोजित किया गया। पूरी कम्पनी में 64 इनकॉन प्रोजेक्ट कार्यान्वियत किए गए। ये प्रोजेक्ट पावर फैक्टर सुधार के लिए ऑटोमैटिक पावर फैक्टर करेक्शन की स्थापना, फर्नेस में डोर–लेचिंग सिस्टम, शॉप फ्लोर पर प्राकृतिक प्रकाश का लाभ उठाने के लिए छतों के ऊपर एफआरपी/पॉलीकार्बोनेट शीट, पुराने कम ऊर्जा दक्षत एयर कंडीशनरों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष स्टार रेटेड एसी आदि से संबंधित थे। इनकॉन प्रोजेक्ट ऊर्जा ऑडिट की रिफारिशों के आधार पर सम्पादित किया है।

त्रिची और सीएफएफपी–हरिद्वार के लिए वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान एमएन./कैलोरी/मीट्रिक टन (एमटी) में ऊर्जा/ईंधन यूनिटों में 4 प्रतिशत कमी का लक्ष्य निष्पादित किया गया। वास्तविक उपलब्धि क्रमशः 4.28 प्रतिशत एवं 5.14 प्रतिशत थी।

विनिर्माण यूनिटों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए एनर्जी एफिसिएंट यूनिट के लिए एक ट्राफी देने की घोषणा की गई थी । बीएपी–रानीपेट लगातार दूसरी बार विजेता घोषित की गई ।ण

7.2 प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अनुसंधान तथा विकास

अनुसंधान एवं विकास

- विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की गई हैं
- आरएंडडी एवं टेक्नॉलॉजी के अंतर्गत उपर्युक्त आरएंडडी के परिणामस्वरूप हुए लाभ
- भविष्य के लिए फोकस क्षेत्र

} निदेशकों की रिपोर्ट में आरएंडडी एंड तकनीकी उपलब्धियों के अन्तर्गत विवरण अनुबंध–V में दिया गया है

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आमेलन पर बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

- सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करने वाले अत्यधिक सक्षम पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्र
- आधुनिक अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल (एडी–यूएससी) पैरामीटरों का प्रयोग करने वाले अत्यधिक सक्षम पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्र
- ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एडवांस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म
- बेहतर भारतीय कोयला विशेषताओं की समझ के लिए कोयला अनुसंधान
- एटमॉस्फेरिक और सर्कुलेटिंग फ्लुडाइज्ड बेड कम्बस्चन (सीएफबीसी) बॉयलर
- ईंधन गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां
- मौजूदा उत्पादों की क्षमता वृद्धि
- उच्चतम रेटिंग की इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन
- उच्च कार्यकुशलता तथा लम्बी आयु वाले हाइड्रो पावर प्लांट
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, 800 केवी एचवीडीसी, 765 केवी, 1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम/उत्पाद
- फ्लेक्सीबल एसी ट्रांसमीशन सिस्टम्स तथा अन्य उपकरण जैसे थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कम्पनसेशन, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पनसेटर (स्टेटकॉम), कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर आदि
- 765 किलोवोल्ट रेटिंग तक गैस इंसुलेटिड स्विचगियर
- दक्ष, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी परिवहन समाधान जिसमें आईजीबीटी आधारित अनुप्रयोग, डीजल इलेक्ट्रिक लोको के लिए थ्री फेज एसी ड्राइव सिस्टम, मेमू, हाई स्पीड ट्रेन सेट शामिल है।
- हाई स्पीड ट्रेन सेट और मेट्रो के लिए कोच निर्माण
- ग्रिड जैसे सोलर पीवी सोलर थर्मल, विंड आदि जैसे कनेक्टेड गैर–परंपरागत ऊर्जा प्रणालियां
- सिमुलेटर्स
- एडवांस्ड फेब्रिकेटर्स टेक्नॉलॉजी
- सेरामिक उपयोग सहित सरफेस कोटिंग्स

- अवशेष आयु मूल्यांकन अध्ययन
- कम्पन एवं शोर में कमी
- साइकल टाइम तथा लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजियों सहित इंटेलिजेन्ट मशीनें एवं रोबोटों का उपयोग
- विशिष्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग
- ज्ञान प्रबंधन
- ऑटोमेशन/केबीई/पीएलएम पर फोकस के साथ ईपीसी सहित सम्पूर्ण इंजिनीयरिंग समाधान
- उच्च तापमान सुपरकंडक्टर्स पर आधारित अनुप्रयोग
- डिसेलिनेशन एवं जल–शोधन संयंत्र
- नैनो टेक्टनोलॉजी अनुप्रयोग
- हाइड्रोजन एनर्जी तथा फ्यूल सैल्स
- रक्षा उत्पाद
- ई–गतिशीलता, के लिए मोटर्स, आईजीबीटी नियंत्रक और बैटरियां

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

कुल	....	₹ 793.62 करोड़
क) आवर्ती	....	₹ 788.18 करोड़
ख) पूंजीगत		₹ 5.44 करोड़
कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय	....	2.75 %

7.3 प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अंगीकरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी की विवरण

प्रौद्योगिकी	आयात वर्ष	आमेलन स्थिति
ईंधन गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां	2013	प्रौद्योगिकी आमेलन किया जा रहा है।

7.4 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2015-16
(i)	प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	3335	4193
(ii)	अर्जित विदेशी मुद्रा	2490	3650

कृते निदेशक मंडल की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

अतुल सोबती

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान नई दिल्ली

दिनांक 19 जुलाई, 2017

अनुबंध–VIII

फॉर्म एओसी–I

(कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधानों के अनुसरण में)

सहायकों कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में वक्तव्य

भाग 'क': सहायक कंपनियां

1.	क्रम सं.	01
2.	सहायक कंपनी का नाम	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड
3.	सम्बंधित सहायक कम्पनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी के रिपोर्टिंग समय से भिन्न हो	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	10.50
6.	आरक्षित और अधिशेष	-12.73
7.	कुल संपत्ति	26.57
8.	कुल देनदारियां	28.80
9.	निवेश	शून्य
10.	कारोबार (सकल)	32.07
11.	कराधान से पहले लाभ	-5.82
12.	कराधान के लिए प्रावधान	-1.58
13.	कराधान के बाद लाभ	-4.24
14.	कुल व्यापक आय	-3.79
15.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
16.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51%
नोट: निम्न जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:		
1.	सहायक कंपनियों के नाम जिसने अब तक परिचालन शुरू नहीं किया है :	शून्य
2.	सहायक कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया :	शून्य

भाग 'ख' सहयोगी कंपनियां एवं संयक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) अनुसार विवरण

	संयुक्त उद्यम के नाम	बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	दादा धुनिवाले खंडवा पावर लिमिटेड	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
1.	नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.17	31.03.17#	31.03.17#	31.03.17#
2.	वर्ष के अंत में बीएचईएल के द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर				
	संख्या	2379999	50000000	22500000	589316000
	निवेश की राशि	2.38	50.00	22.50	589.32
	होल्डिंग प्रतिशत की सीमा	50% minus one share	50%	50%	27.34%
3.	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रित इकाईयां			
4.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5.	नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारिता के लिए कारण नेटवर्थ	129.31	21.32	18.19	584.39
6.	वर्ष के लिए लाभ / हानि	आनुपातिक समेकन पद्धति के अनुसार			
	समेकन मे विचार किया गया	21.38	-38.46	-1.55	-4.93
	समेकन मे विचार नही किया गया	-	-	-	-
7.	समेकन मे मानी गई अन्य व्यापक आय	-0.14	-	-	-

अनंकेद्रित

रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन आधार पर येरामारस, रायचुर, कनार्टक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और ईदलापुर, रायचुर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया है। येरामारस टीपीपी के यूनिट–1 एवं यूनिट–2 का सीओडी क्रमश मार्च 2017 एवं अप्रैल, 2017 में हासिल किया गया।

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड को निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन आधार पर खण्डवा, मध्य प्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कोयले की लिंकेज और भूमि अधिग्रहण समस्या पर विचार करते हुए प्रोमोटर के परिसमापन का निर्णय लिया गया था।

मैसर्स लातुर पावर कम्पनी लि. और मैसर्स पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. परिसमापन के अधीन हैं। इसलिए इन दोनों जेवी के समेकन पर विचार नहीं किया गया है।

कृते निदेशक मडल की ओर से

(आई. पी. सिंह) कपनी सचिव	**(टी. चोकालिंगम)** निदेशक (वित्त)	**(अतुल सोबती)** अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एंड गुप्ता चार्टर्ड एकाउटेंट **एफआरएन-002263एन**	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउटेंट **एफआरएन-006791एन**	**कृते एसबीए एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउटेंट **एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता) भागीदार सदस्यता सख्या 016020	**(सीए संजय जैन)** भागीदार सदस्यता सख्या 084906	**(सीए सीता राम सोनी)** भागीदार सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

फार्म एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के उपवाक्य (ज) और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उपखंड (1) के संदर्भ में तृतीय प्रावधान के तहत कुछ शर्तों के साथ हुये लेन–देन के साथ कंपनी के ठेकों/अनुबंधों(लेखा) के विवरणों के संबंध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र।

1. ठेके/अनुबंधों/लेन–देन के विवरण (आर्म्स लेंथ आधार पर नही) :

क)	संबंधित पक्ष का/के नाम एवं संबंध का स्वरूप	:	शून्य
ख)	ठेके/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूप	:	शून्य
ग)	ठेकों या व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	:	शून्य
घ)	ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित अगर हो तो	:	शून्य
ड़)	इन ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन देन का औचित्य	:	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि/तिथियां	:	शून्य
छ)	अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि	:	शून्य
ज)	वह तिथि जब आम सभा में विशेष प्रस्ताव पारित हुआ, जैसा कि खंड 188 के तहत वांछित ह	:	शून्य

2. सामग्री संबंधी ठेकों या अनुबंधों या लेने देन के विवरण (आर्म्स लेंथ आधार पर)

क)	संबंधित पार्टी के नाम एवं संबंध का स्वरूप	:	शून्य
ख)	ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन देन की प्रकृति	:	शून्य
ग)	ठेकों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	:	शून्य
घ)	ठेके या व्यवस्था या लेनदेन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित, अगर हो तो ऐसे ठेके या अनुबंध या लेन देन करने के औचित्य	:	लागू नहीं
ड़)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि/तिथियां	:	शून्य
च)	अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि	:	शून्य

निदेशक मंडल के लिए की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

अतुल सोबती

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान नई दिल्ली

दिनांक 19 जुलाई, 2017

अनुबंध–IX

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने यहां संलग्न **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** ("कंपनी") के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित) तथा नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, के सारांश की लेखापरीक्षा की है। इसके अलावा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश भी दिया गया है जिसे लेखा परीक्षा की तिथि को /पर समाप्त हुए वर्ष के लिये हमारे द्वारा तैयार किये गए 17 शाखाओं के रिटर्न तथा कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित 18 शाखाओं के रिर्टन भी संलग्न हैं।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के अधिनियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विशिष्ट लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के संदर्भ में सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करने वाले इन एकल इंड एएस वित्तीय परिणामों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथ्यों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचान करने के लिए अधिनियम के प्रावधान के साथ पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव; सही लेखांकन नीतियों (इंड एएस) के चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना और प्रबंधन करना शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संगत आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करे तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे जालसाजी अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाने गए नियमों के तहत अधिनियम के प्रावधानों, लेखा रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए जरूरी लेखांकन और ऑडिटिंग मानकों और तथ्यों पर अमल किया है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विशेष लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुरूप एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों लेखापरीक्षा की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या ये एकल इंड एएस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें।

लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और एकल इंड एएस वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल होते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में कंपनी के निदेशकों के द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किये हैं वह हमारे एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत के लिये आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए विवरण के अनुसार, एकल इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करता है और इंड एएस सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करता है:

क) तुलन पत्र की स्थिति में, 31 मार्च, 2017 तक के कंपनी के कार्य की स्थिति (वित्तीय स्थिति);

ख) लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यप्रदर्शन) के मामले में उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि और;

ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह;

घ) इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के इक्विटी में परिवर्तन के मामले में।

अन्य विषय

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की तुलनात्मक समेकित वित्तीय जानकारी और 1 अप्रैल, 2015 को पारगमन तिथि प्रारंभिक शेष कम्पनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार पूर्व में जारी सांविधिक समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं और इन्हें पूर्वाधिकारी लेखापरीक्षकों/हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है तथा क्रमशः 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी रिपोर्ट दिनांक 27 मई 2016 एवं 26 मई, 2015 में इन समेकित वित्तीय विवरणों में गैरसंशोधित राय प्रकट की गई है तथा इसे इंड एएस पारगमन तिथि को कम्पनी द्वारा अपनाये गए लेखाकरण सिद्धांत में अंतर को समायोजित किया गया है जिसकी लेखापरीक्षा हमने की है।

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 17 (सत्रह) वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को ऑडिट नहीं किया था जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2017 को ₹ 41,762.31 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 19,188.82 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल इंड एएस वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारियों की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनकी रिपोर्ट हमें भेजी गयी और ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन पर हमारी राय प्रस्तुत की गयी।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1) अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक प्रस्तुत करते हैं।

2) अधिनियम के खंड 143 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

   क) जहाँ तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिये हैं।

   ख) हमारे विचार से, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक पर्याप्त जानकारियां प्राप्त हो गई हैं।

   ग) शाखा लेखा परीक्षकों के द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और रिपोर्ट तैयार करते समय हमारे साथ सही तरीके से विचार विमर्श किया गया है।

   घ) इस रिपोर्ट में हमारे दवारा जांचे गए तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह लेखा बहियों तथा इक्विटी लेनदेन में परिवर्तन और हमारे दवारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार हैं।

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) के अधिनियम, 2014 के अधिनियम 7 के साथ पाठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

   च) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) जो इस बारे में है कि 'किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है' अधिसूचना जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कम्पनी पर लागू नहीं है।

   छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सम्बंध में और इस तरह के प्रचालन प्रभाव के सम्बंध में नियंत्रण, 'अनुबंध ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) अन्य विषयों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया।

      i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 39(2) का संदर्भ लें।

      ii. कंपनी ने लंबी अवधि के अनुबंध पर, यदि कोई है, सामग्री के नुकसान के लिए लागू कानून और लेखा मानकों के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया है। संदर्भ नोट वित्तीय विवरण का 39(17)

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

      iv. कम्पनी ने 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारित के साथ ही विनिर्दिष्ट बैंक नोट के तौर पर वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया

और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के उत्तर के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि प्रकटन कम्पनी द्वारा तैयार की गई लेखा बहियों के आधार पर हैं और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं – इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट 39(19) देखें।

3) इस अधिनियम की धारा 143 (5) में अपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया है, उसके बाद उसी के अनुसार कार्य किया है और उसका प्रभाव कंपनी के लेखा एवं वित्तीय विवरण (अनुबंध ग) पर आया है।

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-002263एन	**एफआरएन-006791एन**	**एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता)	**(सीए संजय जैन)**	**(सीए सीता राम सोनी)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 016020	सदस्यता संख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुबंध–क

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट जो 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है, के पैरा–1 में यथा उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष की अवधि में सभी अचल परिसंपत्तियों सहित सभी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को शामिल करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जा रहा है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप की दृष्टि से समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विंसगति नही देखी गई।

(ग) कंपनी के नाम से न धारित की गई अचल संपत्ति के हम विलेख के विवरण इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट नं. 2 (क से च) में दिए गए हैं।

ii) (क) हमें जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों मे चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहां ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टॉक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

iii) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों सीमित दायित्व भागीदारों अथवा किसी अन्य पक्षों को प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अतः चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 3 के खंड (iii) (ख) से (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकार्ड्स एवं लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तिकाओं तथा कंपनी के रिकार्डों का व्यापक निरीक्षण किया और हमारी राय में कंपनी ने निर्धारित लेखा एवं रिकार्ड्स को संरक्षित रखा है। हालांकि हमने लागत रिकार्डों की इस दृष्टि से विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही और पूर्ण हैं।

vii) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2017 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धनकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य. सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थीं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार हैः

(₹ in Crore)

क्र. सं.	सांविधिक प्रावधान का नाम	देयताओं की प्रकृति	लम्बित राशि	विरोध के अधीन भुगतान की गई राशि	मंच, जिसके समक्ष विवाद लंबित है
1	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, विभिन्न राज्यों के मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर, वैट	18.49	6.12	आंकलन अधिकारी
			441.18	65.90	उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)
			416.67	167.81	अपीलीय अधिकरण
			380.5	19.87	उच्च न्यायालय
			2.87	2.83	उच्चतम न्यायालय
			603.04	37.5	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.22	-	आंकलन अधिकारी
			0.05	-	आयुक्त (अपील)
			12.46	-	उच्च न्यायालय
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	80.91	7.93	आयुक्त (अपील)
			309.24	10.55	अपीलीय अधिकरण
			29.35	5.14	उच्च न्यायालय
			0.55	0.55	उच्चतम न्यायालय
			62.87	-	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
4	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवा कर	सेवा कर	111.62	3.80	आयुक्त (अपील)
			379.93	3.59	अपीलीय अधिकरण
			16.12	-	उच्च न्यायालय

viii) हमारे द्वारा जाँच किए कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों से लिए गए ऋण या लोन की अदायगी में चूक नहीं हुई है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix) वर्ष के दौरान ऐसी कोई धनराशि लोन की अवधि और ऋण भी शामिल है, विलेख सहित जारी नहीं की गई है जो कंपनी के लिए लागू नहीं है, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या बाद के सार्वजनिक प्रस्ताव भी शामिल है; के माध्यम से प्राप्त धन के उपयोग के संबंध में खंड (ix) का प्रावधान जिसमें ऋण दस्तावेज और सावधि ऋण कंपनी के लिए लागू नहीं है।

x) कंपनी के रिकॉर्ड और बहियों के बारे में हमारी जाँच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार,पूरा किया गया, और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी दारा कोई भी धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्व ारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं पाई या बताई गई है।

xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, धारा 197 से संबंधित खंड सं. (xi) कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

xii) निधि कंपनी से संबंधित खंड संख्या (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

xiii) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जाँच के अनुसार, संबंधित पक्ष का लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इसका इंड एस वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है।

xiv) वर्ष के दौरान आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या पूरी तरह या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या अधिमान्य आवंटन से संबंधित खंड संख्या (xiv) का प्रावधान वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट जगह ली या अधिमान्य आवंटन किसी रूप में कंपनी के लिए लागू नहीं है

xv) कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है।

xvi) कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुभाग 45– आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-002263एन	एफआरएन-006791एन	एफआरएन-004651सी
(सीए वाई के गुप्ता)	(सीए संजय जैन)	(सीए सीता राम सोनी)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सख्या 016020	सदस्यता सख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुबंध–ख

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने समसंख्यक तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2017 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं– पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव, जिसके तहत क्रमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जोकि अपने व्यापार का कुशल एवं प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा था, जिसमें सम्मिलित हैं – कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियाँ, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता का पता लगाना और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना ऑडिट लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("गाइडेंस नोट") पर ऑडिट के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गई हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

हमारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिर्पोटिंग को नियंत्रित करती है, जिसमे वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो ऑडिट साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नीचे दी गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाइन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के सम्बंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कम्पनी की संपत्तियों का विवरण पर्याप्त, उचित और सही रूप में दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कहा कि प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3) के बारे में उचित आश्वासन रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की संपत्ति के स्वभाव के समय का पता लगाने, जो वित्तीय विवरण पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ हैं, जिनमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन और नियंत्रण का ओवरराइड भी शामिल है। इसलिए त्रुटि या जालसाजी के कारण गलत विवरण होने तथा उनका पता न लगपाने की संभावना है। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान रहे। इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएँ खराब हो सकती हैं।

राय/परामर्श

हमारी राय में, कंपनी में सभी प्रत्यक्ष मामलों में 31 मार्च, 2017 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित हैं।

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट	चार्टर्ड एकाउटेट	चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-002263एन	एफआरएन-006791एन	एफआरएन-004651सी
(सीए वाई के गुप्ता)	(सीए संजय जैन)	(सीए सीता राम सोनी)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सख्या 016020	सदस्यता सख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुबंध–ग

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के 2016–17 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश।

क्र.सं.	जांच किए गए क्षेत्र	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और पट्टाधारी भूमि के लिए क्रमश: स्पष्ट हक विलेख/लीज होल्ड है? यदि नहीं, तो फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके टाइटल/लीज होल्ड उपलब्ध नहीं हैं।	क) स्पष्ट हक विलेख / लीज डीड – नहीं ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नही है, तो (i) फ्रीहोल्ड क्षेत्र (एकड़) ₹ 7721.34 (ii) पट्टाधारी क्षेत्र (एकड़) ₹ 476.66 (नोट पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में ऊपर दिये गये, लगभग सभी मामलों में, उपयोग करने के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त कर लिया गया है और फ्रीहोल्ड के तहत वर्गीकृत है)
2	क्या किसी ऋण/उधार/ब्याज को छूट देने/बट्टे–खाते डालने का कोई मामला तो नहीं है, अगर हां तो इसका कारण और शामिल राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 157.55 करोड़ की देनदार राशि को एलडी लगाए जाने और ग्राहकों द्वारा वसूले जाने के व ग्राहकों द्वारा विभिन्न अस्वीकृति/वसूली प्रति दावे इत्यादि के एवज में खारिज कर दिए गए। ये पुराने मामले हैं और खारिज करने के लिए जरूरी मंजूरी सक्षम प्राधिकरण से ले ली गई है।
3	क्या तीसरे पक्ष के पास रखे माल और सरकार या अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान(नों) के रूप में प्राप्त संपत्तियों का उचित अभिलेख रखा जाता है।	तीसरे पक्ष के पास रखे माल और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों का उचित अभिलेख रखा जाता है। हालांकि वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरण से उपहार के रूप में संपत्ति प्राप्त करने का कोई मामला नहीं है।

वाही एंड गुप्ता के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंट
एफआरएन-002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016020

डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंट
एफआरएन-006791एन

(सीए संजय जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंट
एफआरएन-004651सी

(सीए सीता राम सोनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

गोपनीय

No./MAB-III/Rep./01-11/A/cs-BHEL/2017-18/447

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE

PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT

& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III

NEW DELHI

दिनांक/Dated: 13/7/2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मै भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

संलग्नः यथोपरि

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel: 23239227, FAX: 23239211 e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2017.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Ritika Bhatia

(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board – III,
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 13 July 2017

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण 148

समेकित वित्तीय विवरण 228

तुलन पत्र

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
I. परिसम्पत्तियां							
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां							
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2 (क)		**3491.12**		3825.12		3979.91
(ख) कार्यशील पूंजी	2 (ख)		**159.51**		309.50		502.03
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां	3 (क)		**104.76**		137.36		158.30
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	3 (ख)		**8.83**		8.38		17.30
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां							
(i) निवेश	4	**661.42**		664.16		420.47	
(ii) व्यापार प्राप्य	5	**9787.73**		11127.27		11239.38	
(iii) ऋण	6	**78.04**		65.62		104.26	
(iv) अन्य	7	**0.16**	**10527.35**	0.62	11857.67	2.15	11766.26
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	8		**3841.37**		3659.23		2813.59
(छ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	9		**203.30**		240.40		528.49
			18336.24		20037.66		19765.88
(2) चालू परिसम्पत्तियां							
(क) मालसूचियां	10		**7372.38**		9602.15		10103.70
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	11	**22075.56**		22430.12		23967.74	
(ii) नगदी एवं नगदी समतुल्य	12	**1489.76**		1966.09		2800.01	
(iii) उपरोक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	13	**9002.03**		8119.90		7011.86	
(iv) ऋण	14	**138.88**		176.61		90.95	
(v) अन्य	15	**216.98**	**32923.21**	157.62	32850.34	214.91	34085.47
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	16		**873.08**		582.93		628.39
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	17		**1725.29**		2089.86		2145.63
			42893.96		45125.28		46963.19
कुल परिसम्पत्तियां			**61230.20**		65162.94		66729.07
II. इक्विटी और देयताएं							
इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18		**489.52**		489.52		489.52
(ख) अन्य इक्विटी (देखें एसओसीआईई)			**31804.92**		31691.56		32660.18
कुल इक्विटी			**32294.44**		32181.08		33149.70

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
देयताएं							
(1) गैर–चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार	19	89.55		126.29		61.00	
(ii) व्यापार प्राप्य	20	631.12		746.22		644.85	
(iii) अन्य वित्तीय देयताए	21	104.71	825.38	123.51	996.02	90.16	796.01
(ख) प्रावधान	22		5001.35		7624.50		6330.61
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	23		2983.36		3637.78		4559.44
			8810.09		12258.30		11686.06
(2) चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) व्यापार प्राप्य	24	8709.16		8698.34		8798.28	
(ii) अन्य वित्तीय देयताए	25	1531.45	10240.61	1643.82	10342.16	1699.26	10497.54
(ख) अन्य–चालू देयताएं	26		5693.50		7045.50		7414.55
(ग) प्रावधान	27		4191.56		3335.90		3981.22
			20125.67		20723.56		21893.31
कुल इक्विटी और देयताएं			61230.20		65162.94		66729.07
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1						
लेखाओं के संबंध में अन्य टिप्पणियां	39						

वित्तीय विवरणों के सबंध मे सलग्न टिप्पणिया देखे

कृते निदेशक मडल की ओर से

(आई. पी. सिंह)
कपनी सचिव

(टी. चोकालिंगम)
निदेशक (वित्त)

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सख्या 016020

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-006791एन

(सीए संजय जैन)
भागीदार
सदस्यता सख्या 084906

कृते एसबीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-004651सी

(सीए सीता राम सोनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
I.	**प्रचालनों से राजस्व**	**28**		**29474.99**		26638.37
II.	**अन्य आय**	**29**		**996.09**		1497.72
III.	**कुल आय (I से II)**			**30471.08**		28136.09
IV.	**व्यय**					
	सामग्री की खपत, संस्थापन एवं इंजीनियरिंग व्यय	**30**		**16566.14**		16377.13
	तैयार सामान की मालसूचियों में परिवर्तन एवं प्रगतिशील कार्य	**31**		**994.48**		210.49
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**32**		**5399.92**		5379.75
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**2.1/3.1**		**848.84**		935.74
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण संबंधी अन्य व्यय	**33**		**4435.55**		4033.81
	प्रावधान (निवल)	**34**		**1272.75**		2050.43
	वित्तीय लागत	**35**		**350.61**		359.48
	घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			**25.04**		46.57
	कुल व्यय (IV)			**29843.25**		29300.26
V.	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)**			**627.83**		-1164.17
VI.	**जोड़ें / घटाएं : असाधारण मदें**			**0.00**		0.00
VII.	**कर–पूर्व लाभ (हानि) (V-VI)**			**627.83**		-1164.17
VIII.	**कर व्यय**	**36**				
	(क) चालू कर		**298.35**		391.08	
	(ख) आस्थगित कर		**-166.38**	**131.97**	-845.65	-454.57
IX.	**निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII)**			**495.86**		-709.60
X	**अन्य व्यापक आय**	**37**				
	मदें जो लाभ या हानि (कर का निवल) में पुनः वर्गीकृत नहीं की गई हैं			**-29.00**		-76.38
XI	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय मिलाकर)			**466.86**		-785.98

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
XII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (नियमित प्रचालनों के लिए)**			
	(1) मूल	**38**	**2.03**	-2.90
	(2) विरल		**2.03**	-2.90
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (आईएनआर)		**2.00**	2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		
	लेखाओं के संबंध में अन्य टिप्पणियां	**39**		

वित्तीय विवरणों के संबंध में संलग्न टिप्पणियां देखें

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(टी. चोकालिंगम)
निदेशक (वित्त)

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016020

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-006791एन

(सीए संजय जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

कृते एसबीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-004651सी

(सीए सीता राम सोनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीआईई)

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

आईएनआर 2 प्रति के इक्विटी शेयर जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता	शेयरों की संख्या			
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
अवधि के आरंभ में शेष	**2,447,600,000**	2,447,600,000	**489.52**	489.52
जारी शेयर पूंजी	**-**	-	**-**	-
अवधि की समाप्ति पर शेष	**2,447,600,000**	2,447,600,000	**489.52**	489.52

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन		
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**(616.96)**	**(76.38)**	**31,691.56**
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			495.86	(29.00)	466.86
घटाएं : लाभांश (अंतरिम लाभांश ₹ 195.81 करोड)			293.71		293.71
घटाएं : कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश ₹ 39.86 करोड़ पर कर)			59.79		59.79
घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित			-		-
31 मार्च, 2017 को शेष	**35.18**	**32,349.72**	**(474.60)**	**(105.38)**	**31,804.92**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन		
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**275.28**		**32,660.18**
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			(709.60)	(76.38)	(785.98)
घटाएं : लाभांश (अंतरिम लाभांश ₹ शून्य)			151.75		151.75
घटाएं : कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश ₹ शून्य पर कर)			30.89		30.89
घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित					-
31 मार्च, 2016 को शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**(616.96)**	**(76.38)**	**31,691.56**

1 अप्रैल, 2015 परिवर्तन तिथि को

(₹ करोड़ में)

	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन		
31 मार्च, 2015 को शेष (आईजीएएपी के अनुसार)	**36.56**	**32,349.72**	**1,208.80**		**33,595.08**
जोड़े प्रस्तावित लाभाश समायोजन			182.64		182.64
जोड़े / (घटाए) इड एएस समायोजन के कारण पारगमन प्रभाव	(1.38)		(1,116.16)		(1,117.54)
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**275.28**	**-**	**32,660.18**

कृते निदेशक मडल की ओर से

(आई. पी. सिंह) कपनी सचिव	**(टी. चोकालिंगम)** निदेशक (वित्त)	**(अतुल सोबती)** अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एंड गुप्ता चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-002263एन**	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-006791एन**	**कृते एसबीए एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता) भागीदार सदस्यता सख्या 016020	**(सीए संजय जैन)** भागीदार सदस्यता सख्या 084906	**(सीए सीता राम सोनी)** भागीदार सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

नकदी प्रवाह विवरण

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2015-16
क.	**प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)	**627.83**	**-1164.17**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास और परिशोधन	**848.84**	935.74
	अशोध्य ऋण एवं बही खाते डाला गया एलडी और अप्राप्त अभिलाभ/हानि	**173.89**	25.63
	लाभांश आय	**-33.87**	-34.14
	वित्त आय	**-677.22**	-762.99
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लाभ/हानि	**-2.36**	-5.75
	वित्त लागत (ब्याज की छूट सहित)	**350.61**	359.48
	उचित मूल्य समायोजन	**-20.02**	-69.27
	प्रावधान (निवल)	**1272.75**	2050.43
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लागत	**2540.45**	**1334.96**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	व्यापार प्राप्य	**54.87**	-217.56
	वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण एवं अग्रिम	**28.02**	-40.36
	अन्य परिसम्पत्तियां	**407.20**	343.57
	मालसूचियां	**2229.77**	501.55
	व्यापार भुगतेय	**-87.92**	24.03
	अन्य वित्तीय देनदारियां	**-113.40**	-42.40
	अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	**-3908.04**	-1251.51
	प्रचालनों से सृजित नकदी	**1150.95**	**652.28**
	चुकता प्रत्यक्ष कर (निवल धन वापसी)	**-588.92**	-305.35
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अंतर्वाह)	**562.03**	**346.93**
ख.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद	**-355.59**	-584.84
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से आय	**19.73**	32.33
	सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम में निवेश (निवल)	**0.00**	-245.73
	ब्याज एवं लाभांश आय	**649.48**	849.29
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**-313.62**	**-51.05**
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	लघु–अवधि एवं दीर्घ अवधि उधारों से आय/पुनः भुगतान	**-52.58**	84.61
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	**-353.67**	-183.09

	वित्त लागत	**-63.60**	-25.38
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**469.85**	**123.86**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)**	**405.80**	**274.12**
	नकद एवं नकद समतुल्यों का प्रारंभिक शेष	**10085.99**	9811.87
	नकद एव नकद समतुल्यो का अतिम शेष (देखे नोट स. 12 एव 13)	**10491.79**	10085.99

टिप्पणी :

1. नकद एव नकद समतुल्यो मे नकद एव बैक शेष शामिल है।
2. जहा कही आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आकड़ो को पुन समूहित / पुन व्यवस्थित किया गया है।
3. नकद एव नकद समतुल्यो मे नामोदिष्ट बैक खातो मे पड़ा अदावाकृत लाभाश ₹ **3.10 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 3.27 करोड़) शामिल है।

कृते निदेशक मडल की ओर से

(आई. पी. सिंह) कपनी सचिव	**(टी. चोकालिंगम)** निदेशक (वित्त)	**(अतुल सोबती)** अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एंड गुप्ता चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-002263एन**	**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-006791एन**	**कृते एसबीए एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता) भागीदार सदस्यता सख्या 016020	**(सीए संजय जैन)** भागीदार सदस्यता सख्या 084906	**(सीए सीता राम सोनी)** भागीदार सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

नोट नं. 1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) और उसके अनुवर्ती संशोधनों के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण, चालूगत आधार और लेखाकरण की उपार्जित पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं। नीति में वर्णित सिवाए इसके या अन्यथा को छोड़कर वित्तीय विवरण तैयार करते समय ऐतिहासिक लागत का प्रयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक एवं प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरण आईएनआर में तैयार किए जाते हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

घ) अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ने इस बात का अनुमान, निर्णय और धारणा को ध्यान में रखा है जो लेखाकरण नीतियों के लागूकरण को प्रभावित करते हैं तथा परिसम्पत्तियों, देनदारियों, आय एवं व्यय की मात्राओं को दर्ज किया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। किए गए अनुमान एवं धारणाएं चालूगत आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। लेखाकरण अनुमानों के संबंध में संशोधन प्रत्याशित प्रभाव से पहचाना जाता है।

लेखाकरण नीतियों पर लागू महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

लेखाकरण नीतियों पर उन अनुमानों और निर्णयों को लागू किया जाता है जो निम्नानुसार वित्तीय विवरणों में पहचान की गई मात्राओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

i) राजस्व

कम्पनी निर्माण अनुबंधों के संबंध में राजस्व की गणना के लिए पूर्णता के प्रतिशत का उपयोग करती है। पूर्णता के प्रतिशत पद्धति का उपयोग करते समय कम्पनी कुल अनुबंध राजस्व और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की समाप्ति पर अनुबंध पूरा करने की शेष लागत का अनुमान लगाती है। इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जो इन अनुबंधों की अवधि के दौरान नियमित तौर पर मूल्यांकित किए जाते हैं, इसलिए पहचाना गया राजस्व एवं लाभ अनुबंध पूर्ण होने की स्थिति के अनुसार परिवर्तन के अधीन होता है।

ii) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

चरणबद्ध मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि और इसकी उपयोग अवधि तथा अनुमानित शेष अवधि के बाद लगाया जाता है। मूल्यह्रास पद्धति, कम्पनी की परिसम्पत्तियों का बचत मूल्य प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के समय और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पुनरीक्षा के दौरान अनुमानित किया जाता है।

iii) कर्मचारी हितलाभ योजना

कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजना और दीर्घ अवधि हितलाभ योजना की गणना बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर की जाती है। तथापि, इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन दायित्व एवं व्यय की दर्ज मात्रा पर प्रभाव डाल सकता है।

iv) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की पहचान के लिए निष्पादित मूल्यांकनों को वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के निर्णय के अनुसार किया जाता है।

2. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण कम लागत संचित मूल्यह्रास एवं संचित कम हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेषित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अनुबंध के अधीन विदेश में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास वहां जहां अनुमानित उपयोग अवधि अनुमानित उपयोग अवधि के तकनीकी मूल्यांकन पर संक्षिप्त आधार पर है, को छोड़कर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित उपयोग अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है जो नीचे दर्शाया गया है:

	वर्ष		
	एकल शिफ्ट	दोहरी शिफ्ट	तीसरी शिफ्ट
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	12.5	8.33	6.25
स्वचालित/अर्ध–स्वाचालित मशीन	10	6.67	5
संस्थापन उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साजो–सामान	5		
रेलवे साइडिंग्स, लोकोमोटिव तथा वैगन	12.5		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा जल आपूर्ति	30		
सर्वर एवं नेटवर्क	5		
सोलर पावर जेनरेशन प्लांट	25		

मूल्यह्रास पद्धति, उपयोग अवधि एवं बचत मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, की गणना प्रत्याशित रूप से की जाती है। पट्टे पर दी गई आस्तियों को पट्टा अवधि के संक्षेप में यथोचित उपयोग अवधि को छोड़कर इस तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद अपने स्वामित्व में लिया जाएगा। फ्रीहोल्ड भूमि को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जिनकी लागत ₹ 10,000/– या उससे कम है और जिनका घटाकर लिखा गया मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000/– या उससे कम हो, को पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

संस्थापना/परियोजना स्थल पर : सड़कों, पुलों और नालों की लागत को अनुबंध की अवधि के ऊपर पूर्णतः परिशोधित किया जाता है जबकि, शेड, रेलवे साइडिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अन्य समान इनेबलिंग कार्यों (अस्थाई ढांचों को छोड़कर) को बचत मूल्य, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद अनुबंध की अवधि के ऊपर मूल्यह्रासित किया जाता है।

दीर्घ अवधि अनुबंध के अधीन भारत से बाहर प्रयुक्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक अनुबंध की अवधि के ऊपर मूल्यह्रासित किया जाता है।

अस्थाई ढांचों को निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

विभिन्न उपयोग अवधि के साथ महत्वपूर्ण घटकों की गणना की जाती है और अलग से मूल्यह्रासित किया जाता है।

3. पट्टे

किसी व्यवस्था के प्रारंभ में कम्पनी इस बात का निर्धारण करती है कि क्या ऐसी किसी व्यवस्था की जरूरत है या इसके लिए पट्टा जरूरी है।

प्रारंभ में पहचान पर वित्त पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों को उनके अंकित मूल्य से कम और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर पूंजीकृत किया जाता है । वित्तीय पट्टे के अधीन किया गया न्यूनतम पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया देनदारी की कमी के बीच अनुपातिक होता है। पट्टा अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि में वित्त व्यय आबंटित किया जाता है जिससे शेष देनदारी राशि पर ब्याज की स्थिर चरणबद्ध दर निश्चित की जा सकें।

प्रचालन पट्टे के अधीन उत्पन्न पट्टा किराए की पहचान उन मामलों जहां पट्टा किराए में वृद्धि महंगाई की सामान्य दर में है, को छोड़कर पट्टा अवधि के ऊपर सीधी रेखा विधि आधार पर लाभ एवं हानि विवरण के अधीन की जाती है।

वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी प्रभावी ब्याज दर प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा अवधि के ऊपर वित्त आय की पहचान करती है। उपार्जित प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत मं प्राप्य वित्त पट्टे की माप और पट्टा अवधि के ऊपर पहचानी गई आय की राशि में कमी शामिल होती है।

प्रचालन पट्टे से उत्पन्न पट्टा आय की पहचान उन मामलों जहां पट्टा किराए में चरणबद्ध वृद्धि महंगाई की सामान्य दर में है, को छोड़कर पट्टा अवधि के ऊपर सीधी रेखा विधि आधार पर की जाती है।

4. अमूर्त परिसम्पत्तियां

₹ 10,000/– से अधिक लागत की अमूर्त मदें पूंजीकरण के लिए मूल्यांकित की जाती हैं और कम लागत संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो पर अग्रेषित की जाती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्तियों को उस तिथि से अनुमानित उपयोग अवधि के ऊपर सीधी–रेखा विधि आधार पर लाभ या हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है जब से वह उपयोग के लिए उपलब्ध है। अमूर्त परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि निम्नानुसार है:

सॉफ्टवेयर :	3 वर्ष
अन्य :	10 वर्ष

डब्ल्यूएडी ₹ 10,000/– या कम वाली अमूर्त परिसम्पत्तियां वर्ष के प्रारंभ में पूर्णतया परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को प्रत्याशित रूप से पहचाना जाता है।

अनुसंधान कार्यकलापों पर व्यय की पहचान उपार्जित अनुसार लाभ एवं हानि पर की जाती है। विकास कार्यकलापों पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि व्यय को विश्वनीय तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, उत्पाद एवं प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कम्पनी के पास विकास कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और कम्पनी परिसम्पत्तियों का उपयोग या बिक्री की इच्छुक है। पंजीकृत व्यय में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष कामगार,

ओवरहैड लागत जो अपने इच्छित उपयोग और उधार लागत, यदि कोई हो, को तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य है।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

योग्य परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं उत्पादन से सीधे सम्बद्ध उधार लागतें ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ी जाती हैं।

कोई परिसम्पत्ति जो कुछ वास्तविक अवधि के लिए ली गई हो, इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने या योग्य परिसम्पत्ति की बिक्री को बारह माह से अधिक माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों की पहचान उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जिसमें वह उपार्जित की जाती हैं।

6. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना कम लागत इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, पर की जाती है।

यदि प्रबंधन की मंशा आने वाले समय में निवेश के निपटान करने की है तो इसके बिक्री के लिए धारित पर वर्गीकृत किया जाता है और इसके कम अग्रेषित राशि एवं बिक्री के लिए कम अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

7. मालसूचियां

मालसूची की गणना लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है। तैयार माल एवं प्रगतिशील कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्ची सामग्री, घटकों, खुले औजार, भंडार एवं स्पेयर्स के संबंध में लागत का मतलब औसत भारित लागत है।

8. राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक हितलाभ इकाई को आगे बढ़ायेंगे और राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

क. निर्माण अनुबंध

दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध सहित निर्माण अनुबंधों से राजस्व की गणना 'पूर्णता के प्रतिशत' के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण अनुबंध को पूरा होने के लिए अपेक्षित कुल अनुमानित अनुबंध लागत के प्रतिशत अनुसार तिथि को उपार्जित अनुबंध लागतों के आधार पर किया जाता है।

ख. निर्माण अनुबंधों के अलावा

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब अनुबंध के अनुरूप ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम एवं पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। दीर्घ अवधि सेवा अनुबंधों के अलावा सेवाओं से राजस्व की पहचान तब की जाती है जब अनुबंध के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं।

अन्य आय

- लाभांश आय की गणना उस तिथि को लाभ या हानि में ही जाती है जिसमें कम्पनी का प्राप्त भुगतान अधिकार स्थापित है।
- ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज दर विधि द्वारा की जाती है।
- निर्यात प्रोत्साहन/डयूटी ड्राबैक, डयूटी रिफंड और बीमा के लिए दावों की गणना उपार्जित आधार पर की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा रूपांतरण/लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्रा वर्ग मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर प्रभावी विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। निपटान एवं रूपांतरण से प्राप्त विदेशी मुद्रा अर्जन या हानि की पहचना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में निर्धारित गैर–मौद्रिक परिसम्पत्तियां और गैर–मौद्रिक देनदारियां की गणना ऐतिहासिक लागत पर की जाती है और लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

10. कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की ओर से पारिवारिक पेंशन निधि सहित पेंशन निधि में अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत निहित है और इसे उस अवधि में लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिस दौरान कर्मचारी अपनी सेवाएं देता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

इन परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में तुलनपत्र में पहचान की गई देनदारी, योजना परिसम्पत्ति, यदि कोई हो, के अंकित मूल्य को घटाकर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर वार्षिक तौर पर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य उचित सरकारी बांड दर जिसकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्व के संदर्भ में अनुमानित है, का उपयोग कर अनुमानित भावी नकदी अंतर्प्रवाह में छूट द्वारा निर्धारित किया जाता है।

पुनः मापन जिसमें वास्तविक लाभ और हानि के साथ ही योजना

परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल और निवल परिभाषित दायित्व (परिसम्पत्ति) पर निवल ब्याज से शामिल राशि के बीच अंतर शामिल है, की पहचान अन्य व्यापक आय, आयकर का निवल में की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में अन्य व्यय लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घ अवधि छुट्टी दायित्व

कम्पनी संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति की अनुमानित लागत को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर संचित अप्रयुक्त पात्रत्रा के परिणामस्वरूप भुगतान की गई अतिरिक्त अनुमानित राशि के रूप में गणना करती है। गैर–संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर व्यय की गणना उस अवधि में की जाती है जिसमें अनुपस्थित होती है। कम्पनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर संचित शेष के लिए दायित्व को दर्ज करती है। दीर्घ अवधि हितलाभ योजनाओं के संबंध में पुनः मापन और अन्य व्यय की गणना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

11. प्रावधान

(i) कंपनी के विरूद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेनदेनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आंकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

(ii) निर्माण अनुबंधों के लिए कम्पनी जब एवं जैसे भी राजस्व को मान्यता देती है, इसे प्रगतिशील राजस्व के 2.5 प्रतिशत वारंटी लागत प्रदान करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है। अन्य अनुबंधों के लिए एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाले अनुबंधों के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iiii) जब यह संभावित है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होगी, तो इसे तत्काल अनुमानित हानि में मान्यता दी जाती है।

(iv) अन्य प्रावधानों की पहचान तब की जाती है यदि पिछले कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कम्पनी के पास वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और यह संभावना है कि आर्थिक हितलाभ का अंतर्प्रवाह दायित्व के निपटान के लिए जरूरी होगा।

तथापि, जहां राशि का समय मूल्य प्रभावी है, ऐसे में प्रावधानों को अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, जहां लागू हो में छूट द्वारा निर्धारित एवं अनुरक्षित किया जाता है।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को केवल तब मान्यता दी जाती है जब यह सुनिश्चित हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर–मौद्रिक अनुदानों की गणना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य पर की जाती है और इसे आस्थगित आय माना जाता है। आस्थगित आय को विधिवत तरीके से लाभ या हानि विवरण और परिसम्पत्तियों की उपयोग अवधि के ऊपर विवेकशील आधार पर मान्यता दी जाती है। राजस्व संबंधी सरकारी अनुदानों को अवधियों के दौरान लाभ या हानि विवरण के ऊपर विधिवत आधार पर मान्यता दी जाती है और यह संबंधित लागत जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी है, से मिलान होना जरूरी है।

13. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल होता है। आयकर व्यय की गणना लाभ या हानि विवरण में उस सीमा तक की जाती है जिसमें यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित हो।

वर्तमान कर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू कर की दर (कर कानून) या बाद में लागू कर का उपयोग कर वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है जिसमें पिछले वर्षों के संबंध में कर की गणना पर समायोजन शामिल है।

आस्थगित कर की गणना तुलनपत्र पद्धति का उपयोग कर की जाती है जिसमें किसी परिसम्पत्ति की अग्रेषित लागत और तुलन पत्र में दायित्व एवं इसके कर आधार के बीच अस्थाई अंतर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर की गणना उस कर की दर पर की जाती है जब लागू कर कानूनों या रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू कर के आधार पर कर को वसूला या निपटान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्ति की गणना उस सीमा तक की जाती है जब यह संभव हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा और उसे अस्थाई अंतर पर उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अग्रेषित लागत की समीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है जब तक दूर–दूर तक यह संभव न हो कि संबंधित कर लाभों की वसूली की जाएगी।

लाभांशों के वितरण से प्राप्त अतिरिक्त आयकर की गणना उस समय की जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व की गणना की जाती है।

14. इम्पेयरमेंट हानि

वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

व्यापार प्राप्य और पट्टा प्राप्य के संबंध में हानि अनुमोदन की गणना जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानि के समान राशि पर की जाती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में हानि अनुमोदन, जिसे इम्पेयर किया जाना है, की गणना जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानि, यदि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय कारक तेजी से बढ़ा है, के बराबर राशि पर की जाती है। तथापि, यदि प्रारंभिक मान्यता से रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय कारक के क्रेडिट जोखिम में तेजी से वृद्धि

नहीं है तो हानि अनुमोदन की गणना 12 माह के अनुमानित क्रेडिट हानि पर की जाती है।

गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

कैश जेनरेटिंग यूनिटों की अग्रेषित लागत की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि जहां हानि की कोई संभावना है, पर की जाती है। इम्पेयरमेंट हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाता विवरण जहां कैश जेनरेटिंग यूनिटों की प्राप्य राशि अग्रेषित लागत से ज्यादा है, में की जाती है। पिछली अवधियों की इम्पेयरमेंट हानि का मूल्यांकन किसी सूचना के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि जहां हानि कम है या देर तक नहीं है, पर किया जाता है।

इम्पेयरमेंट हानि को उस स्थिति में वापिस कर दिया जाता है यदि प्राप्य राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त अनुमान में कोई परिवर्तन होता है। इम्पेयरमेंट हानि को केवल उस सीमा तक वापिस कर दिया जाता है जिसमें अग्रेषित राशि परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि जो मूल्यह्रास एवं परिशोधन का निवल, यदि कोई इम्पेयरमेंट हानि नहीं है, से पहचानी गई है और यह अग्रेषित राशि से अधिक नहीं होगी।

15. खण्ड रिपोर्टिंग

राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड के प्रचालन कार्यकलापों से उनके संबंध के आधार पर खण्डों से की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियां एवं देनदारियां जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें "गैर–आबंटित राजस्व / व्यय / परिसम्पत्तियां / देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

16. वित्तीय कारक

(i) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय कारक

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय कारकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

– वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो मापी गई हैं (क) परिशोधन लागत और (ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य ("एफवीटीपीएल")

– परिशोधन लागत पर अग्रेषित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में सभी वित्तीय कारकों को उनके उचित मूल्य पर पहचाना जाता है। अग्रेषित राशि, यदि वित्तीय कारकों को एफवीटीपीएल पर नहीं मापा गया है, के निर्धारण में लेनदेन लागत शामिल होती है। वित्तीय कारकों को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वास्तविक जोखिम और स्वामित्व का अधिकार न तो अंतरित किया गया है और नहीं बचाया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों की पहचान केवल उस स्थिति में नहीं की जाती है जब कम्पनी का वित्तीय परिसम्पत्तियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वित्तीय देनदारियों की पहचान उस स्थिति में नहीं की जाती है जब अनुबंध दायित्वों का निपटान हो गया है या निरस्त या समाप्त हो गया है।

गैर–युत्पन्न वित्तीय परिसम्पत्तियाँ निम्नानुसार अनुवर्ती मापी गई हैं:

क. परिशोधन लागत –

"परिशोधन लागत पर वित्तीय कारक" प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का पालन करते हुए परिशोधन लागत पर अनुवर्ती मापी जाती है। परिशोधन लागत की गणना छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एकीकृत भाग हैं, को ध्यान में रखते हुए की जाती है। परिशोधित ईआईआर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इम्पेयमेंट के कारण हुई हानि की गणना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय कारक लाभ या हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर अनुवर्ती अग्रेषित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष आरोप्य लेनदेन लागत को उपार्जित पीएंडएल में मान्यता दी जाती है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्नानुसार मापा जाता है:

प्रारंभिक मान्यता के अनुवर्ती, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

(ii) व्युत्पन्न वित्तीय कारक

अंतःस्थापित व्युत्पन्न, यदि कोई हो, जो भौतिक प्रभाव रखते हो, को मूल अनुबंध से अलग किया जाता है और यदि मूल अनुबंध एवं सन्निहित व्युत्पन्न एक दूसरे से जुड़े न हो तो आर्थिक विशिष्टताएं और जोखिमों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। समान अवधि के साथ एक अलग कारण सन्निहित व्युत्पन्न के तौर पर व्युत्पन्न की परिभाषा होगी और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर संयुक्त कारक नहीं मापा जाता है।

व्युत्पन्न को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता एवं मापा जाता है। आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि विवरण में लागत के तौर पर मानी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के अनुवर्ती व्युत्पन्न लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

17. नगदी एवं नगदी समतुल्य

नगदी एवं नगदी समतुल्यों में बैंक एवं स्वयं के पास नगदी शामिल है। इसमें मियादी जमा और तीन माह या उससे कम के अन्य लघु अवधि मार्केट जमा, जो नगदी की ज्ञात राशि के लिए आसानी से परिवर्तनीय है, शामिल होते हैं और ये मूल्य परिवर्तनों के महत्वपूर्ण जोखिम में अंतर्गत होते हैं।

नोट नं. 2

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
(क) मूर्त परिसम्पत्तियां				
सकल ब्लॉक		**5174.44**	4710.91	3979.91
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		**1683.32**	885.79	-
निवल ब्लॉक		**3491.12**	3825.12	3979.91
कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है और तद्नुसार 31.03.2015 को अग्रेषित मूल्य को डीम्ड लागत माना गया है				
भूमि एवं भवन में शामिल है				
क. i) कई एकड़ भूमि जिसके लिए औपचारिक अंतरण / पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है	एकड़	**8198.00**	8933.27	8939.61
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**73.62**	72.62	74.20
ii) अनेक फ्लैट जिनके लिए औपचारिक अंतरण / पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है	नग	**12**	12	12
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**1.28**	1.33	1.37
iii) कई एकड़ भूमि सहित जिसके लिए भुगतान की गई लागत वैकल्पिक है; पंजीकरण प्रभार एवं स्टैम्प ड्यूटी, पहले से किए गए प्रावधान के निवल की गणना भुगतान पर की जाएगी	एकड़	**528.18**	528.18	528.18
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**66.37**	67.09	67.81
ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विभागों एवं अन्य को पट्टे पर दी गई एकड़ भूमि	एकड़	**30.37**	30.60	30.60
ग. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही कई एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंसिंग समझौता 30.11.2018 तक वैध है	एकड़	**180.00**	180.00	180.00
घ. विपरीत कब्जा / अतिक्रमण के अधीन कई एकड़ भूमि	एकड़	**759.89**	811.72	586.05
ङ हरिद्वार में 1242.71 एकड़ (पी.वाई. 1242.71 एकड़) भूमि का लंबित उत्तराधिकार जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें भूमि परिमाप 878.85 एकड़ जो कि बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन गलती से वर्ष 2004 एवं 2007 में सिडकुल, उत्तराखण्ड सरकार के नाम में परिवर्तित हो गई है, भी शामिल है				
च. भूमि परिमाप मौजूदा एसी 1–02 गुंटा का कब्जा वर्ष 2016–17 के दौरान जिला प्रशासन द्वारा रेलवे विकास निगम लि., भारत सरकार का उद्यम के पक्ष में दिया गया था। विस्तारित क्षतिपूर्ति के लिए लंबित अपील पर कथित भूमि के अंतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है				

(उपरोक्त वर्णित (ख), (ग), (घ) एवं (च) की भूमि की लागत भौतिक नही है)				
पूर्व वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना लाभ पर ₹ 10,000/– प्रति पर पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास के प्रावधान का प्रभाव निम्नानुसार है:				
₹ 10,000/– तक पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास लेखा वर्ष में प्रभारित किया गया है	₹ करोड़	**6.86**	8.48	8.26
उपरोक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ करोड़	**1.92**	2.46	1.42
अधिक राशि प्रभारित	₹ करोड़	**4.94**	6.02	6.84
(ख) कार्यशील पूंजी				
कार्यशील निर्माण– सिविल		**40.47**	83.03	72.78
निर्माण स्टोर (ट्रांजिट में सहित)		**2.33**	3.93	2.88
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपकरण				
–संस्थापन/फैब्रिकेशन/संस्थापन की प्रतीक्षा के अधीन		**84.25**	152.55	353.45
–ट्रांजिट में		**32.46**	69.99	72.92
		159.51	309.50	502.03

नोट नं. 3

अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
(क) अमूर्त परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	**198.04**	185.10	158.30
घटाएं: संचित परिशोधन	**93.28**	47.74	-
निवल ब्लॉक	**104.76**	137.36	158.30
(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	**8.83**	8.38	17.30
	8.83	8.38	17.30

कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है और तदनुसार 31.03.2015 को अग्रेषित मूल्य को डीम्ड लागत माना गया है

नोट 2.1

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
फैक्टरी/कार्यालय कॉम्प्लैक्स											
स्वामित्वाधीन											
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	25.14	25.14			25.14					25.14	25.14
सड़क, पुल एव नाले	10.62	10.65	0.05		10.70	4.54	3.02		7.56	3.14	6.11
भवन	1098.24	1220.78	59.06	1.00	1278.84	82.86	98.00	-0.03	180.83	1098.01	113792
ड्रेनेज, सीवरेज एव जल आपूर्ति	15.75	15.75	0.03		15.78	0.74	0.69		1.43	14.35	15.01
रेलवे साइडिंग	8.73	8.74			8.74	0.93	0.93		1.86	6.88	7 81
लोकोमोटिव्स एव वैगन	28.08	28.09	0.25		28.34	3.13	3.14		6.27	22.07	24.96
सयत्र एव मशीनरी	2176.22	2502.53	309.92	1.56	2810.89	623.33	539.05	-1.58	1160.80	1650.09	1879.20
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	4.29	35.15	18.36		53.51	19.53	6.64	15.66	41.83	11.68	15.62
इलेक्ट्रिकल इस्टालेशन	174.94	186.41	18.51		204.92	29.72	30.55	-0.10	60.17	144.75	156.69
निर्माण उपकरण	48.45	61.40	3.28		64.68	23.03	18.76	0.14	41.93	22.75	38.37
वाहन	6.21	9.22	1.08	0.24	10.06	1.47	1.46	-0.22	2.71	7.35	7.75
फर्नीचर एव फिक्चर्स	33.54	41.29	10.70	0.37	51.62	7.75	8.13	-0.13	15.75	35.87	33.54
कार्यालय एव अन्य उपकरण	60.24	74.75	11.98	0.86	85.87	29.62	21.31	-0.76	50.17	35.70	45.13
₹ 10,000/– तक लागत की स्थायी परिसम्पत्तिया		3.93	3.24	0.41	6.76	3.93	3.31	-0.48	6.76		
पट्टे पर											
पट्टे पर भूमि (विकास व्यय सहित)	58.60	58.60			58.60	0.64	0.64		1.28	57.32	5796
पट्टे पर भवन	1.63	1.63			1.63	0.05	0.06		0.11	1.52	1 58
ईडीपी उपकरण	50.66	171 05	9.91	18.51	162.45	36.84	51.32	-18.18	69.98	92.47	134.21
कार्यालय एव अन्य उपकरण	1.62	13.04	0.79		13.83	1.87	2.82		4.69	9.14	11.17
अन्य	0.14	0.10			0.10	0.10			0.10		
टाउनशिप/आवासीय											
स्वामित्वाधीन											
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.54	2.54			2.54					2.54	2.54
सड़क, पुल एव नाले	1.86	1 92			1.92	0.70	0.49		1.19	0.73	1 22
भवन	132.64	147.22	11.11		158.33	7.81	5.96		13.77	144.56	139.41
ड्रेनेज, सीवरेज एव जल आपूर्ति	6.86	11 08			11.08	0.55	0.59		1.14	9.94	10.53
सयत्र एव मशीनरी	10.09	11 26	25.21		36.47	2.24	2.57		4.81	31.66	9.02
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	0.03	0.03			0.03	0.02	0.01		0.03		0.01
इलेक्ट्रिकल इस्टालेशन	4.70	5.95	2.02		7.97	1.21	0.80	-0.08	1.93	6.04	4.74
वाहन	0.02	0.01			0.01					0.01	0.01
फर्नीचर एव फिक्चर्स	0.64	1.53	0.26		1.79	0.26	0.34		0.60	1.19	1 27
कार्यालय एव अन्य उपकरण	6.54	8.15	0.88	0.18	8.85	2.46	1.96	-0.14	4.28	4.57	5.69

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
₹ 10,000/– तक लागत की स्थायी परिसम्पत्तिया		0.20	0.02		0.22	0.20	0.02		0.22		
पट्टे पर ली गई परिसम्पतियां											
पट्टे पर भूमि (विकास व्यय सहित)	10.89	52.25			52.25	0.18	0.76		0.94	51.31	52.07
कार्यालय एवं अन्य उपकरण		0.52			0.52	0.08	0.10		0.18	0.34	0.44
कुल	**3979.91**	**4710.91**	**486.66**	**23.13**	**5174.44**	**885.79**	**803.43**	**-5.90**	**1683.32**	**3491.12**	**3825.12**
पिछला वर्ष		3979.91	750.67	19.67	4710.91		887.08	-1.29	885.79	3825.12	3979.91
आरएण्डडी पूजी मदों का विवरण सम्पत्ति, सयत्र एव उपकरण तथा अमूर्त मे शामिल किया गया है											
सयत्र एव मशीनरी तथा अन्य उपकरण	179.96	208.60	22.28	-0.14	231.02	45.96	43.45	-0.94	88.47	142.55	162.64
भवन	22.68	22.76			21.27	1.23	1.07		2.30	18.97	21.53

31.03.2017 को सकल ब्लॉक मे **₹ 0.12 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.37 करोड़) की सक्रिय उपयोग से रद्द की गई परिसम्पत्तिया शामिल है।

31.03.2017 को निवल ब्लॉक मे **₹ 0.12 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.37 करोड़) की सक्रिय उपयोग से रद्द की गई परिसम्पत्तिया शामिल है।

सकल ब्लॉक मे अनुसधान तथा परिसम्पत्तियो के लिए कार्यकारी एजेसी के रूप मे परिसम्पत्तियो की खरीद लागत के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल नही है क्योकि सम्पत्ति कपनी के पास मौजूद नही है।

31.03.2017	31.03.2016
49.31	49.31

वर्ष के दौरान स्थाई परिसम्पत्तियो मे कोई हानि नही है।

$ 31.03.2015 को सकल ब्लॉक पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार रु 121.46 करोड़ था।

नोट 3.1

अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
आंतरिक रूप से विकसित											
–अन्य	19.97	34.84	7.75		42.59	11.87	12.53		24.40	18.19	23.29
अन्य											
–सॉफ्टवेयर	18.94	22.03	4.23		26.26	11.63	8.51		20.14	6.12	10.08
–तकनीकी जानकारी	109.12	117.96	0.96		118.92	20.39	20.52		40.91	78.01	97.57
–अन्य	10.27	10.27			10.27	3.85	3.85	0.13	7.83	2.44	6.42
कुल	**158.30**	**185.10**	**12.94**		**198.04**	**47.74**	**45.41**	**0.13**	**93.28**	**104.76**	**137.36**
पिछला वर्ष		158.30	35.91	9.11	185.10		48.66	-0.92	47.74	137.36	158.30

$ 31.03.2015 को सकल ब्लॉक पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार ₹ 442.29 करोड़ था।

नोट नं. 4

वित्तीय परिसम्पत्तियां – निवेश (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
गैर–उद्धृत (पूर्व प्रदत्त)						
इक्विटी कारक में निवेश (एफवीटीपीएल के माध्यम से उचिम मूल्य पर):						
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक (पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रत्येक) के 1892 (पिछले वर्ष 1892) इक्विटी शेयर	*		*		*	
एपी गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 728960 (पिछले वर्ष 728960) इक्विटी शेयर	**0.91**		0.91		0.91	
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 5000000 (पिछले वर्ष 5000000) इक्विटी शेयर	**5.00**		5.00		5.00	
	5.91		5.91		5.91	
जोड़ें/(घटाएं) : उचित मूल्य समायोजन	**(1.98)**	**3.93**	0.76	6.67	2.80	8.71
सहायक कंपनी में शेयर						
बीएचईएल–ईएमएल के ₹ 10/– प्रत्येक के 5355000 (पिछले वर्ष 5355000) इक्विटी शेयर	**5.36**		5.36		5.36	
घटाएं : हानि के लिए प्रावधान	**5.36**	**0.00**	5.36	0.00	0.00	5.36
संयुक्त उद्यमों में शेयर						
पावरप्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00		2.00	
घटाएं : हानि के लिए प्रावधान	**2.00**	**0.00**	2.00	0.00	2.00	0.00
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 2379999 (पिछले वर्ष 2379999) इक्विटी शेयर		**2.38**		2.38		2.38
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 50000000 (पिछले वर्ष 50000000) इक्विटी शेयर		**50.00**		50.00		50.00
रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 589316000 (पिछले वर्ष 589316000) इक्विटी शेयर		**589.32**		589.32		331.52
दादा धुनीवाले खंडवा पावर लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 225000000 (पिछले वर्ष 225000000) इक्विटी शेयर	**22.50**		22.50		22.50	
घटाएं : हानि के लिए प्रावधान	**6.71**	**15.79**	6.71	15.79	0.00	22.50
सहकारी समितियां						
		661.42		664.16		420.47
₹ 1 लाख से कम मूल्य						
गैर–उद्धृत निवेश की औसत राशि		**675.49**		678.23		422.47
निवेश के मूल्य में हानि की औसत राशि		**14.07**		14.07		2.00

सहकारी समितियों के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर ₹ 1 लाख से कम मूल्य के हैं।

नोट नं. 5

वित्तीय परिसम्पत्तियां – व्यापार प्राप्य (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
व्यापार प्राप्य	**15071.54**		15503.77		14723.86	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमन राशि	**4892.35**		3947.30		3123.23	
घटाएं : स्वचालित कीमत कटौती समायोजन	**391.46**	**9787.73**	429.20	11127.27	361.25	11239.38
		9787.73		11127.27		11239.38

उप वर्गीकरण :

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(**₹ 9787.73 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 11127.27 करोड़)

संदिग्ध

–(**₹ 5283.81 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4376.50 करोड़)

गैर–चालू व्यापार प्राप्य में आस्थगित ऋण (प्रावधानों का निवल) शामिल हैं

–(**₹ 7989.06 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 10041.99 करोड़)

गैर–चालू व्यापार प्राप्य में मूल्यांकन समायोजन शामिल है

–(**₹ 124.63 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 187.69 करोड़)

निदेशकों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 6

वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
कर्मचारियों को ऋण	**0.00**		0.01		0.01	
पीएयू को ऋण	**0.00**		0.00		4.00	
ब्याज उपार्जित और ऋणों पर देय	**0.04**		0.11		0.17	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमन राशि	**0.01**	**0.03**	0.01	0.11	0.00	4.18
उप वर्गीकरण :						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **0.03 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.11 करोड़)						
संदिग्ध						
–(₹ **0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़)						
सुरक्षा जमा						
पत्तन न्यास एवं अन्यों के साथ शेष	**0.68**		0.25		0.27	
अन्य जमा	**77.64**		65.37		100.34	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए अनुमन राशि	**0.31**	**78.01**	0.11	65.51	0.53	100.08
उप वर्गीकरण :						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **78.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 65.51 करोड़)						
संदिग्ध						
–(₹ **0.31 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.11 करोड़)						
		78.04		65.62		104.26
शामिल है:						
निदेशकों से बकाया						
–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)						
अधिकारियों से बकाया						
–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)						

नोट नं. 7

वित्तीय परिसम्पत्तियां – अन्य (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
12 माह से अधिक परिपक्वता अवधि के सावधि जमा	**0.00**	0.00	0.83
पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों पर प्राप्य किराया	**0.16**	0.62	1.32
	0.16	0.62	2.15

नोट नं. 8

आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
प्रावधान	**2982.65**	2876.76	2087.53
सांविधिक बकाया	**725.88**	680.55	639.32
मूल्यह्रास	**132.18**	104.81	57.48
अन्य	**56.31**	57.50	78.92
	3897.02	3719.62	2863.25
आस्थगित कर देनदारियां	**55.65**	60.39	49.66
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**3841.37**	3659.23	2813.59

नोट नं. 9

अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
पूंजी अग्रिम	**40.36**		34.83		35.12	
खरीद के लिए अग्रिम	**58.29**		79.63		366.05	
अन्य	**58.17**		58.53		58.59	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अग्रिम	**23.63**	**133.19**	10.02	162.97	10.03	449.73
सुरक्षा जमा						
सीमा शुल्क एवं अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	**59.99**		62.31		53.46	
अन्य जमा	**26.80**		22.95		32.84	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमन राशि	**16.68**	**70.11**	7.83	77.43	7.54	78.76
		203.30		240.40		528.49

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 10

मालसूचियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
स्टोर एवं स्पेयर्स पार्ट						
उत्पादन	**204.02**		213.41		222.95	
ईंधन भंडारण	**8.10**		6.19		5.50	
मिश्रित	**51.03**	**263.15**	50.80	270.40	46.55	275.00
कच्ची सामग्री एवं घटक	**3060.22**		3890.51		4090.04	
परिवहन में सामग्री	**257.19**	**3317.41**	552.22	4442.73	467.45	4557.49
फैब्रिकेटरों / ठेकेदारों के पास पड़ा माल		**71.32**		93.85		145.16
खुले औजार		**36.37**		33.71		35.29
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**73.31**		62.16		71.54
तैयार माल	**1293.90**		1568.55		1743.74	
परिवहन में अंतर–प्रभाग अंतरण	**133.44**	**1427.34**	134.32	1702.87	201.99	1945.73
प्रगतिशील कार्य (उप–ठेकेदारों के साथ मदें सहित)		**2533.69**		3252.97		3210.71
घटाएं : रूकी हुई मालसूची के लिए प्रावधान		**350.21**		256.54		137.22
		7372.38		9602.15		10103.70

नोट :

कम हुई मालसूचियां ₹ **136.94 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 142.38 करोड़)

घटाएं : उस पर वापिसी ₹ **43.27 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 23.06 करोड़)

निवल ₹ **93.67 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 119.32 करोड़)

नोट नं. 11

वित्तीय परिसम्पत्तियां – व्यापार प्राप्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार प्राप्य	**27438.94**	27238.72	27793.09
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमन राशि	**5147.60**	4617.66	3574.73
घटाएं : स्वचालित कीमत कटौती समायोजन	**215.78**	190.94	250.62
	22075.56	22430.12	23967.74

उप वर्गीकरण :

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(**₹ 22075.56 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 22430.12 करोड़)

संदिग्ध

–(**₹ 5363.38 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4808.60 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में आस्थगित ऋण (प्रावधानों का निवल) शामिल है

–(**₹ 8747.89 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 7915.68 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में सामान डिस्पैच लंबित बिलिंग शामिल है

–(**₹ 1038.38 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 678.80 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में मूल्यांकन समायोजन शामिल है

–(**₹ 1031.75 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 1110.52 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में छह माह से अधिक के लिए बकाया ऋण शामिल है

–(**₹ 17252.79 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 17723.02 करोड़)

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 12

वित्तीय परिसम्पत्तियां – नगदी एवं नगदी समतुल्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
नगदी एवं नगदी समतुल्य			
बैंकों के पास शेष			
कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म जमा	**599.78**	764.23	720.87
अन्य*	**731.98**	788.64	437.82
स्वयं के पास नगदी एवं स्टैम्प	**0.25**	0.49	0.58
स्वयं के पास चैक, डिमांड ड्राफ्ट	**122.85**	412.73	290.74
परिवहन में प्रेषण	**34.90**	0.00	0.00
3 माह या कम परिपक्वता के जमा	**0.00**	0.00	1350.00
	1489.76	1966.09	2800.01
***शामिल है:**			
अदावाकृत लाभांश के अधीन पहचाना गया	**3.10**	3.27	3.72
गैर–प्रत्यावर्तन खाता	**1.77**	4.28	4.11

नोट नं. 13

वित्तीय परिसम्पत्तियां – उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाले जमा	**9002.03**	8119.90	7011.86
	9002.03	8119.90	7011.86

नोट नं. 14

वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
ऋण						
सहायक कम्पनियों को ऋण	**3.00**		3.00		0.00	
कर्मचारियों को ऋण	**0.00**		0.00		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण	**12.00**		12.00		8.00	
ब्याज उपार्जित और या ऋणों पर देय	**2.71**		2.78		1.93	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमत राशि	**13.83**	**3.88**	2.62	15.16	0.03	9.91
उप वर्गीकरण :						
प्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़)						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **3.87 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 15.15 करोड़)						
संदिग्ध						
–(₹ **13.83 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 2.62 करोड़)						
सुरक्षा जमा						
पत्तन न्यास एवं अन्यों के पास शेष	**1.47**		1.78		1.95	
अन्य	**137.42**		163.69		85.10	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए अनुमत राशि	**3.89**	**135.00**	4.02	161.45	6.01	81.04
		138.88		176.61		90.95

उप वर्गीकरण :

प्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(₹ **50.88 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 37.11 करोड़)

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(₹ **84.12 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 124.34 करोड़)

संदिग्ध

–(₹ **3.89 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4.02 करोड़)

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(₹ **0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़)

नोट नं. 15

वित्तीय परिसम्पत्तियां – अन्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
बैंक जमा एवं निवेशों पर उपार्जित ब्याज	**183.83**		122.08		175.03	
पट्टाधीन परिसम्पत्तियों पर प्राप्य किराया	**0.56**		0.91		0.93	
कर्मचारियों को अग्रिम	**32.62**	**217.01**	34.71	157.70	39.08	215.04
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमत राशि		**0.03**		0.08		0.13
		216.98		157.62		214.91

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ 0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ 0.11 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.12 करोड़)

नोट नं. 16.

चालू कर परिसम्पत्तियां – (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
अग्रिम कर एवं टीडीएस	**4365.14**	6835.24	6537.85
कराधार के लिए प्रावधान	**-3492.06**	-6252.31	-5909.46
	873.08	582.93	628.39

नोट नं. 17

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
अग्रिम						
सहायक कंपनियों को	**0.36**		0.28		0.59	
खरीद के लिए	**352.54**		495.75		508.96	
अन्यों को	**1009.59**		1127.23		1180.92	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमत राशि	**202.75**	**1159.74**	78.65	1544.61	79.87	1610.60
सुरक्षा जमा						
सीमा शुल्क एवं अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	**582.26**		537.29		525.56	
अन्य	**21.38**		25.23		27.06	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमत राशि	**38.09**	**565.55**	17.27	545.25	17.59	535.03
		1725.29		2089.86		2145.63

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ 0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ 0.04 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़)

नोट नं. 18

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
क. इक्विटी शेयर पूंजी						
प्राधिकृत						
प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)		**2000.00**		2000.00		2000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**489.52**		489.52		489.52
प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 शेयर)						
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान नीचे दर्शाया गया है:						
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**2447600,000**	**489.52**	2447600,000	489.52	2447600,000	489.52
वर्ष के दौरान पुनः क्रय किए गए शेयर		**-**		-		-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52	2447600000	489.52
ख) वर्ष के अंत में शेयरधारकों द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों का विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत के राष्ट्रपति	**1543452000**	**63.06%**	1543452000	63.06%	1543452000	63.06%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**230453920**	**9.42%**	230459320	9.42%	230516784	9.42%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		**2.00**		2.00		2.00
ग) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार						
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसमें प्रति शेयर ₹ 2 कीमत के हैं (पिछले वर्ष ₹ 2 के प्रति के शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार हैं।						

नोट नं. 19

वित्तीय देनदारियां – उधार (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
अप्रतिभूत			
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घवधि परिपक्वता	**89.55**	126.29	61.00
(देखें पट्टे पर नोट सं. 39 का पैरा 10)			
	89.55	126.29	61.00

नोट नं. 20

वित्तीय देनदारियां – व्यापार चुकाने योग्य (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार चुकाने योग्य	**631.12**	746.22	644.85
	631.12	746.22	644.85

नोट नं. 21

अन्य वित्तीय देनदारियां (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	**104.71**	123.51	90.16
	104.71	123.51	90.16

नोट नं. 22

प्रावधान (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
अनुबंधित दायित्व – दीर्घावधि	**3244.33**	4177.45	3067.59
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	**1519.56**	2989.26	2706.52
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**218.48**	424.52	511.41
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व*	**18.98**	33.27	45.09
	5001.35	7624.50	6330.61

*(देखें सीएसआर व्यय पर नोट नं. 39 का पैरा 16)

नोट नं. 23

अन्य गैर–चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**2978.80**	3637.78	4559.44
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान**	**4.56**	0.00	0.00
	2983.36	3637.78	4559.44

**सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए एमएनआरई मंत्रालय से प्राप्त

नोट नं. 24

वित्तीय देनदारियां – व्यापार चुकाने योग्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार चुकाने योग्य	**8691.00**	8662.17	8754.17
स्वीकार्यता	**18.16**	36.17	44.11
	8709.16	8698.34	8798.28

(व्यापार चुकाने योग्य में लघु एवं मध्यम उद्यम **₹ 233.43 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 192.53 करोड़) शामिल है)

लघु एवं मध्यम उद्यम प्रकटन के लिए नोट नं. 39 का पैरा 9 देखें

नोट नं. 25

अन्य वित्तीय देनदारियां (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
वित्तीय पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता#	**60.31**	76.15	56.83
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	**510.84**	529.14	517.16
चुकाया हुआ लाभांश*	**3.10**	3.27	3.72
अन्य चुकाने योग्य / देनदारियां			
–केपेक्स	**116.61**	134.31	193.49
–कर्मचारी बकाया	**187.11**	208.37	322.08
–अन्य बकाया	**646.91**	684.25	599.09
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	**0.59**	0.57	0.40
ब्याज उपार्जित एवं निम्नलिखित से ऋणों पर देय:			
राज्य सरकार ऋण	**2.33**	2.33	2.33
वित्तीय पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता	**3.65**	5.43	4.16
	1531.45	1643.82	1699.26

* तुलन पत्र की तिथि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित होने वाली कोई राशि देय एवं बकाया नहीं है।

(देखें पट्टे पर नोट 39 का पैरा 10)

नोट नं. 26

अन्य चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**5266.61**	6623.17	6959.92
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान**	**0.26**	0.00	0.00
अन्य भुगतान / देनदारियां – सांविधिक निकाय	**426.63**	422.33	454.63
	5693.50	7045.50	7414.55

ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम में मूल्यांकन समायोजन शामिल है:

–(**₹ 2333.52 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 2861.41 करोड़)

**सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए एमएनआरई मंत्रालय से प्राप्त

नोट नं. 27

प्रावधान (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
अनुबंधित दायित्व	1983.63	1629.67	2511.19
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1490.19	587.25	478.55
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व##	34.92	56.41	18.51
अन्य संक्षिप्त–अवधि प्रावधान	682.82	1062.57	972.97
## (देखें सीएसआर व्यय पर नोट नं. 39 का पैरा 16)			
	4191.56	3335.90	3981.22

नोट नं. 28

प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण			31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
(क)	**बिक्री घटाकर लाभ**			**23926.05**	21778.43
	(उत्पाद शुल्क ₹ 1100.37 करोड़ पिछले वर्ष ₹ 958.63 करोड शामिल है)				
	बाहरी संस्थापन एवं अन्य सेवाओं से आय			**5009.59**	4321.17
	(सेवा कर ₹ 534.92 करोड़ पिछले वर्ष ₹ 490.00 करोड़ का निवल)			**95.22**	49.53
	निवल बिक्री (घटाएः उचित मुल्य समायोजन खाता)	(क)		**28840.42**	26050.07
(ख)	**अन्य प्रचालन आय**				
	निर्यात प्रोत्साहन			**37.96**	34.24
	वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों पर वित्त आय			**0.10**	0.21
	स्क्रैप आय			**168.50**	158.56
	मालभाड़ा एवं बीमा आय			**298.92**	268.87
	उचित मूल्य समायोजन (गैरचालित) खाता			**98.88**	96.20
	अन्य			**30.21**	30.22
		(ख)		**634.57**	588.30
	कुल	(क) + (ख)		**29474.99**	26638.37
	प्रचालनों से राजस्व				
क.	वैकल्पिक कीमतों पर आधारित शामिल।		₹ करोड़	**74.10**	47.20
ख.	वर्ष के दौरान रेलवे के साथ कीमत निपटान के अनुरूप पिछले वर्षों में किए गए डिस्पैच के लिए अतिरिक्त दावे शामिल ।		₹ करोड़	**214.65**	204.05
ग.	बिक्री संविदाओं के अनुसार उठाए गए वृद्धि के दावों के लिए, बढ़ोतरी के आध्‍ाार पर वृद्धि के दावों के साथ–साथ नवीनतम इंडेक्स उपलब्ध थे		₹ करोड़	**899.51**	1051.47
घ.	ग्राहकों की ओर से उनके अनुरोध पर धारित उपकरण जिसका भुगतान कम्पनी को प्राप्त हो गया है, का डिस्पैच शामिल, तथा		₹ करोड़	**3.42**	0.00
ङ	अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलीवरी में देरी के कारण कीमत में कटौती (प्रतिफल का निवल) को छोड़कर।		₹ करोड़	**12.50**	32.20

नोट नं. 29

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
क. अन्य आय			
सरकारी अनुदान		**0.17**	0.00
पीपीई के टर्म की बिक्री से लाभ		**2.36**	5.75
विनिमय परिवर्तन (करोड़ शेष)		**0.00**	402.73
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि–व्यापार)		**33.87**	34.14
अन्य		**282.47**	292.11
	कुल (क)	**318.87**	734.73
ख. ब्याज आय*			
बैंकों से		**671.34**	685.75
अन्य		**5.88**	77.24
	कुल (ख)	**677.22**	762.99
कुल अन्य आय	कुल (क+ख)	**996.09**	1497.72

*टीडीएस ₹ **69.16 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 70.53 करोड़) शामिल है।

नोट नं. 30

सामग्री खपत की लागत, संस्थापन एवं इंजीनियरिंग व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
कच्ची सामग्री एवं घटकों की खपत	**13102.81**	13001.86
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	**425.60**	422.24
संस्थापन एवं इंजीनियरिंग व्यय – उपठेकेदारों को भुगतान	**3054.09**	2975.63
घटाएं : पीवी समायोजना सामग्री / उपअनुबंधित लागत	**16.36**	22.60
	16566.14	16377.13

नोट नं. 31

तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन तथा प्रगतिशील कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
प्रगतिशील कार्य				
अंतिम शेष	**2533.69**		3252.97	
प्रारंभिक शेष	**3252.97**	**-719.28**	3210.71	42.26
तैयार माल $				
अंतिम शेष	**1293.90**		1568.55	
प्रारंभिक शेष	**1568.55**	**-274.65**	1743.74	-175.19
परिवहन में अंतर–लाभांश अंतरण		**-0.55**		-77.56
		-994.48		-210.49
नोट :				
$ तैयार माल पर उत्पाद शुल्क का अंश				
अंतिम शेष		**134.25**		154.59
प्रारंभिक शेष		**154.59**		128.31

नोट नं. 32

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते एवं अन्य हितलाभ	**4484.08**	4525.09
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	**117.24**	110.31
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**349.68**	320.00
समूह बीमा	**11.25**	11.52
स्टॉफ कल्याण व्यय	**437.67**	412.83
	5399.92	5379.75

नोट नं. 33

विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
रॉयल्टी, तकनीकी, रेजीडेंट परामर्श दाता प्रभार एवं अन्य परामर्श प्रभार		118.69		102.15
किराया : आवासीय	49.07		54.77	
गैर–आवासीय	25.41	74.48	26.63	81.40
उत्पाद शुल्क		1252.78		1155.74
विद्युत एवं ईंधन		451.19		499.06
दरें एवं कर		51.41		68.00
सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर एवं अन्य उपकर		12.25		15.24
विनिमय अंतर		269.69		0.00
बीमा		123.87		135.86
मरम्मत:				
भवन		66.65		90.64
संयंत्र एवं मशीनरी		39.53		42.73
अन्य		114.05		131.60
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय		15.72		21.18
बट्टाकृत हानि		13.60		0.01
वर्ष के दौरान बट्टाकृत अशोध्य ऋण		72.86		17.00
बाह्य ढुलाई प्रभार		425.21		371.10
यात्रा एवं वाहन खर्च		124.58		146.45
अन्य उप अनुबंधों पर व्यय		322.18		345.37
विविध व्यय		761.88		691.56
प्रभारित किए गए निर्णीत हर्जाने		84.69		6.58
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		37.50		110.10
इक्विटी शेयर के निवेश में उचित मूल्य हानि		2.74		2.04
		4435.55		4033.81
लेखापरीक्षकों को भुगतान (सेवा कर एवं अन्य उपकर का निवल)				
लेखापरीक्षा शुल्क में शामिल–लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा शुल्क)– वर्ष के लिए	₹ करोड़	0.77		0.65
लेखापरीक्षकों को भुगतान–बाहर के लेखापरीक्षक	₹ करोड़	0.01		0.03
लेखापरीक्षकों को भुगतान–व्यय की प्रतिपूर्ति	₹ करोड़	0.12		0.12
लेखापरीक्षकों को भुगतान–कराधान मामले– वर्ष के लिए	₹ करोड़	0.14		0.14
लेखापरीक्षकों को भुगतान–अन्य सेवाएं	₹ करोड़	0.39		0.35

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान (लेखापरीक्षा शुल्क)– वर्ष के लिए (सेवा कर एवं स्वच्छ भारत उपकर एवं अन्य उपकर का निवल)	₹ करोड़	**0.13**	0.12
निम्नानुसार विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय:			
संयंत्र एवं मशीनरी	₹ करोड़	**206.63**	218.52
भवन	₹ करोड़	**48.32**	56.40
अन्य	₹ करोड़	**35.62**	37.61
निर्यात पर एजेंसी कमीशन में निर्यात से जुड़ा व्यय शामिल है	₹ करोड़	**12.34**	8.21
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	₹ करोड़	**240.74**	270.63
किराया आवासीय	₹ करोड़	**49.07**	54.77
मनोरंजन पर व्यय	₹ करोड़	**5.47**	5.67
विदेश यात्रा पर व्यय			
टूर की सं.		**294**	390
व्यय रुपए में	₹ करोड़	**5.09**	8.75
प्रचार एवं जन सम्पर्क पर व्यय			
वेतन भत्ते एवं अन्य हितलाभ	₹ करोड़	**16.20**	11.83
अन्य व्यय	₹ करोड़	**8.95**	9.67
निदेशक का शुल्क	₹ करोड़	**0.12**	0.16

नोट नं. 34

प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाने तथा ऋण एवं जमा अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**2963.39**		2832.11	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**1491.65**	**1471.74**	941.74	1890.37
अनुबंधित दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**619.99**		638.99	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**1446.68**	**-826.69**	692.33	-53.34
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**1564.73**		453.58	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**937.03**	**627.70**	240.18	213.40
		1272.75		2050.43

नोट नं. 35

वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
ब्याज व्यय	**61.84**	26.82
उधार लागत (आस्थगित देयताओं के संचयन पर)	**30.06**	37.99
उधार लागतें (प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**258.71**	294.67
	350.61	359.48
घटाएं: पूंजीकृत उधार लागत	**0.00**	0.00
	350.61	359.48

नोट नं. 36

कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
क) वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	**610.11**		396.32	
पिछले वर्षों के लिए	**-311.76**	**298.35**	-5.24	391.08
ख) आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	**-461.53**		-833.39	
पिछले वर्षों के लिए	**295.15**	**-166.38**	-12.26	-845.65
		131.97		-454.57

नोट नं. 37

अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
परिभाषित कर्मचारी हितलाभों का पुनः मापन	**-44.35**	-116.65
उपरोक्त मदों के संबंध में आयकर*	**-15.35**	-40.27
	-29.00	-76.38

*इसमें वर्तमान कर **₹ 0.42 करोड़** और आस्थगित कर **₹ –15.77 करोड़** (पिछले वर्ष वर्तमान कर ₹ –40.27 करोड़ और आस्थगित कर ₹ शून्य) शामिल है।

नोट नं. 38

प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
इक्विटी शेयरधारकों के मुनाफे का श्रेय	**495.86**	-709.60
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**244.76**	244.76
प्रति शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (आईएनआर में)	**2.03**	**-2.90**

नोट नं. 39

लेखों पर टिप्पणियां

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" अथवा "कंपनी") एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में स्थित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049 में है।

कंपनी एकीकृत पावर प्लांट उपस्कर निर्माता है जो पावर, ट्रांसमिशन, उद्योग, परिवहन, नवीकरणनीय ऊर्जा, तेल एवं गैस तथा रक्षा जैसे अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, स्थापन, जांच, कमिशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न है।

1 इंड एएस–101 का पहली बार अंगीकरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी पहली वित्तीय विवरणी इंड एएस के अनुसार तैयार की है। 31 मार्च, 2016 सहित तथा इस तक की अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों सहित अपनी वित्तीय विवरणियां भारतीय जीएएपी के अनुसार तैयार की थी। कंपनी की इंड एएस आरंभिक बैलेंस शीट की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2015 (इंड एस में परिवर्तन की तारीख) है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों को तैयार करने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक जानकारी तथा 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार आरंभिक एएस बैलेंस शीट (कंपनी की परिवर्तन तारीख) को तैयार करने में नोट 1 में निर्धारित की गई लेखा नीतियां प्रयोग की गई हैं। इंड एएस 101 के अनुसार, प्रथम इंड एएस वित्तीय विवरणी में उन मान्यता और माप सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए जो इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरणियों को पहली बार तैयार करने की प्रभावी तारीख, 31 मार्च, 2017 को लागू मानकों और व्याख्याओं पर आधारित हैं। इन लेखा सिद्धांत और माप सिद्धांतों को प्रथम इंड एएस वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए परिवर्तन की तारीख के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

01 अप्रैल, 2015 को इंड एएस 101 के अनुसार आस्तियों और देयताओं की आगे ले जाई गई राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2015 को प्रस्तुत की गई भारतीय जीएएपी बैलेंस शीट में प्रस्तुत की गई राशियों के बीच किसी प्रकार के परिणामी अंतर को उनके जहां भी लागू होने पर इंड एएस बैलेंस शीट में बरकरार रखी गई, आय के अंतर्गत इक्विटी में मान्यता दी गई थी।

पिछले जीएएपी से इंड एएस में हुए परिवर्तन ने किस प्रकार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन को प्रभावित किया, इसकी व्याख्या निम्नलिखित तालिकाओं और टिप्पणियों में की गई है।

प्राप्त की गई छूटें और अपवाद

01 अप्रैल, 2015 को इंड एएस आरंभिक तुलन पत्र में, 31 मार्च, 2015 को भारतीय जीएएपी से आस्तियों और देयताओं की आगे ले जाई गई राशि को 31 मार्च, 2017 से प्रभावी इंड एएस के अनुसार मान्यता दी गई है तथा मापा गया है। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत मामलों के लिए, इंड एएस 101 इंड एएस को पूर्वव्यापी तौर पर अनुप्रयोग के सामान्य सिद्धांतों के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद प्रदान करता है। इंड एएस आरंभिक बैलेंस शीट तैयार करने में कंपनी ने निम्नलिखित छूट और अपवाद प्रयोग किए हैं:

प्राप्त की गई वैकल्पिक छूट:

1) संपत्ति, प्लांट और उपकरण एवं अप्रत्यक्ष आस्तियां

इंड एएस 101 पहली बार अपनाने वाले को उसकी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्य, जैसा कि इंड एएस में परिवर्तन की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणी में मान्यता दी गई है, पिछले भारतीय जीएएपी (आईजीएएपी) के अनुसार मापा गया है तथा डी–कमिशनिंग देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद परिवर्तन की तारीख पर उसकी मानी गई लागत को जारी रखने और आगे ले जाने की अनुमति देता है। इस छूट को इंड एएस 38, अप्रत्यक्ष आस्तियों में आने वाली अप्रत्यक्ष आस्तियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार, कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति, प्लांट और उपकरणों एवं अप्रत्यक्ष संपत्ति को अपने पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी वाले मूल्य अनुसार मापने का निर्णय लिया है।

2) व्यवसाय संयोजन

इंड एएस 101 परिवर्तन की तारीख से प्रत्याशित प्रभाव अथवा परिवर्तन की तारीख से पूर्व किसी विशिष्ट तारीख से इंड एएस 103 को लागू करने का विकल्प देता है। कंपनी ने परिवर्तन की तारीख से प्रत्याशित प्रभाव से इंड एएस 103 ''व्यवसाय संयोजन'' को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 01 अप्रैल, 2015 से पूर्व घटित व्यवसाय संयोजन को फि से दोहराया नहीं गया है।

3) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश:

कंपनी ने अपनी लागत पर पृथक वित्तीय विवरणियों में सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश को मापने का निर्णय किया है। प्रथम वित्तीय विवरणी के प्रयोजन के लिए निवेश की लागत पिछली भारतीय जीएएपी होगी जो परिवर्तन की तारीख पर निवल हानि राशि को आगे ले जाती है।

इंड एएस अनिवार्य अपवाद:

1) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और प्रमाण

इंड एएस 101 को उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और प्रमाण का आकलन करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता है जो इंड एएस में परिवर्तन की तारीख को मौजूद हो। तदनुसार, कंपनी ने इंड एएस में परिवर्तन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी सभी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और प्रमाणन कराया है।

2) आकलन

एएस में परिवर्तन की तारीख के अनुसार इंड एएस के साथ एक इकाई का अनुमान पिछले आईजीएएपी (लेखा नीतियों में कोई अंतर दिखाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार उसी तारीख के लिए किए गए अनुमानों के अनुरुप होगा, जब तक कि कोई विशिष्ट प्रमाण न हो कि उन अनुमानों में त्रुटि थी। 01 अप्रैल, 2015 को इंड एएस अनुमान पिछले जीएएपी के अनुरुप होने की तारीख के अनुमान के अनुरुप हैं।

पहली बार अपनाने के लिए टिप्पणियां :

i) वित्त पट्टा के रुप में लोकोमोटिव का वर्गीकरण :

01 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दिए गए लोकोमोटिव को निर्माता डीलर पट्टादाता के लिए दी गई निर्देशिका के अनुसार खातों में लिया गया था तथा पिछले आईजीएएपी के अंतर्गत स्थायी आस्तियों के तौर पर मान्यता दी गई थीं। इंड एएस के अंतर्गत, वित्त पट्टे पर दिए गए लोकोमोटिव को एच ₹2.25 करोड़ की पिछली आईजीएएपी निवल मूल कीमत द्वारा मान्यता रद्द की गई है तथा अनुरुपी वित्त पट्टा प्राप्तियों को उनकी ट्रांजिट तारीख पर मान्यता दी गई है।

ii) सीडब्ल्यूआईपी के रुप में वर्गीकृत स्टोर और स्पेयर तथा पुनःसंयोजित व्यय :

इन्वेंटरी के तौर पर वर्गीकृत स्टोर और स्पेयर को उनके उपयोगी जीवनकाल के पश्चात पूंजी में परिणत किया गया तथा उनका मूल्यह्रास किया गया, जिनका मूल्य 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार ₹ 1.53 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, पुनः संयोजन कार्य पर हुए व्यय को इंड एएस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में पीपीई की मद के तौर पर पूंजीकृत किया गया। इसके निवल प्रभाव से 01–04–2015 की स्थिति अनुसार धारित आय में ₹ 0.40 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा 2015–16 के लिए लाभ में ₹ 1.83 करोड़ की वृद्धि हुई है।

iii) प्रस्तावित लाभांश :

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने उस वर्ष में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लिया है, हालांकि उस लाभांश का अनुमोदन रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात हुआ था। इंड एएस के अंतर्गत, प्रस्तावित लाभांश तब तक देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है जब तक शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है। कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 151.75 करोड़ का लाभांश (सीडीटी सहित ₹182.64 करोड़) घोषित किया है जिसे ₹ 182.64 करोड़ द्वारा धारित आय में वृद्धि के अनुरुपी प्रभाव से परिवर्तन की तारीख पर इंड एएस के अनुसार पूर्णतः बदल दिया गया है। 2016–17 में घोषित वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 97.90 करोड़ (सीडीटी सहित ₹ 117.83 करोड़) के लाभांश को पूर्णतः बदल दिया गया है तथा 2015–16 में घोषित वर्ष 2014–15 का ₹ 151.75 करोड़ (सीडीटी सहित ₹ 182.64 करोड़) के लाभांश को समायोजित किया गया है। इसके प्रभाव से 2015–16 के लिए धारित आय में ₹ 64.81 करोड़ की कमी हुई है।

iv) सरकारी अनुदान को अस्थगित आय के तौर पर दर्शाया जा सकता है:

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, प्राप्त ₹ 1.38 करोड़ के सरकारी अनुदान को कंपनी ने पूंजी रिजर्व के रुप में माना है।

इंड एएस के अंतर्गत, पूंजीगत आस्तियों के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को विलंबित आय के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इंड एएस के अनुसार व्यवस्थित आधार पर इसका ऋण चुकाया जाना चाहिए। ₹ 1.38 करोड़ की राशि को तदनुसार परिवर्तन की तारीख से आय के तौर पर बनाए रखने के लिए पूंजीगत रिजर्व से पुनवर्गीकृत किया गया है।

v) पीएंडएल (एफवीटीपीएल) के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश को उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाना :

इंड एएस के अनुसार, कंपनी ने एफवीटीपीएल पर ₹ 5.91 करोड़ मूल्य के विशिष्ट निवेशों को वर्गीकृत किया है। इन निवेशों का उचित मूल्य ₹ 8.71 करोड़ आंका गया है। ₹ 2.80 करोड़ का लाभ 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार आय को बनाए रखने के लिए समायोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 में, इन निवेशों का उचित मूल्य ₹6.67 करोड़ परिकलित किया गया है तथा ₹2.04 करोड़ के परिणामी प्रभाव की गणना पीएंडएल के माध्य से की गई है।

vi) राजस्व करारों की गणना पूर्णता पद्धति के प्रतिशत (पीओसीएम) पर की गई हैं:

इंड एएस 11 के अनुसार, पीओसीएम में 01.04.2013 से पहले किए गए करारों से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना कंपनी ने की है। समायोजन के प्रभाव से धारित आय में ₹9.60 करोड़ की कमी आई है जिसके परिणामस्वरुप 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार ट्रेड प्राप्तियों और वारंटी दायित्वों के लिए प्रावधान पर प्रभाव पड़ा है। समायोजन के प्रभाव से लाभ में ₹8.03 करोड़ की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप 2015–16 के लिए टर्नओवर तथा वारंटी दायित्वों पर प्रभाव पड़ा है।

vii) मौजूदा मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान करना :

इंड एएस के अनुसार, दीर्घावधि प्रावधानों की गणना मौजदा मूल्य पर की जानी चाहिए जहां दायित्वों का निपटान संभवतः बाद की तारीख पर किया जाता है। तदनुसार, अन्य दीर्घावधि प्रावधान जहां लागू होते हैं, उनका मूल्यांकन मौजूदा मूल्य पर किया गया है तथा समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹37.22 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा समान राशि द्वारा प्रावधान में कमी हुई है। इन प्रावधानों पर ब्याज को खोलना तथा वर्ष के दौरान की गई वृद्धि के संबंध में इन प्रावधानों की छूट का निवल प्रभाव के कारण 2015–16 के लाभ में ₹20.57 करोड़ की कमी हुई है।

viii) मौजूदा मूल्य पर दीर्घकालिक करार संबंधी दायित्व की पहचान करना:

इंड एएए के अनुसार जहां दायित्वों का निपटान बाद की तारीख में किया जाना होता है तथा समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है,

प्रावधान मौजूदा मूल्य पर हिसाब में लिए जाते हैं। तदनुसार, दीर्घावधि करार संबंधी दायित्वों का आकलन मौजूदा मूल्य पर किया गया है तथा समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹538.93 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा समान राशि द्वारा प्रावधान में कमी हुई है। इन प्रावधानों पर ब्याज को खोलना तथा वर्ष के दौरान की गई वृद्धि के संबंध में इन प्रावधानों की छूट का निवल प्रभाव के कारण 2015–16 के लाभ में ₹184.08 करोड़ की कमी हुई है।

ix) प्रतिफल का उचित मूल्यः

इंड एएस निर्माण करारों के संबंध में राजस्व अभिज्ञान को उचित मूल्य पर निर्धारित करता है। सामान्यतया लेन–देन मूल्य उन विशिष्ट करारों को छोड़ कर निर्माण करारों के संबंध में प्रतिफल का उचित मूल्य होता है, जहां करार संबंधी भुगतान शर्तों के अनुसार अग्रिम का प्रतिशत विलंबित ऋणों की तुलना में कम होता है। परिणामस्वरुप इसके प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति को विलंबित ऋणों में कमी की तुलना में स्थगित आय में ₹ 193.49 करोड़ की कमी हुई है। परिणामस्वरुप निवल प्रभाव से टर्नओवर में ₹49.53 करोड़ की कमी हुई है तथा अन्य परिचालन आय में ₹96.20 करोड़ की वृद्धि हुई है, 2015–16 के लिए लाभ में ₹46.66 करोड़ की वृद्धि हुई है।

x) आस्थगित देयता की छूट :

इंड एएस के अनुसार जहां करार संबंधी भुगतान शर्तों में विलंबित भुगतान सम्मिलित होता है तथा अग्रिम प्रतिशत पर विचार करने के लिए धन का सामयिक मूल्य बनाता है, ऐसी विलंबित देयता की पहचान रियायती मूल्य पर की जाती है तथा बाद में ऋण लागत के रुप में खोलता है। समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय ₹60.80 करोड़ बढ गई है तथा समान राशि से विलंबित देयता कम हो गई है। 2015–16 के लिए प्रभाव से सामग्री लागत / उप–करार संबंधी लागत की खपत में ₹22.60 करोड़ की कमी तथा इन देयताओं पर ब्याज को खोलने के लिए ₹ 37.99 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप 2015–16 के लिए लाभ में ₹15.39 करोड़ की कमी आई है।

xi) अनुमानित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

ट्रेड प्राप्य के संबंध में क्षति हानि की गणना समय मूल्य के लिए प्रतिगमन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुमानित ऋण हानि के द्वारा की गई है। समायोजन के प्रभाव से प्रतिधारित आय में 01 अप्रैल, 2015 को ₹ 2230 करोड की कमी हुई है। 2015–16 के लिए प्रावधान को समायोजन के प्रभाव से ₹328 करोड़ में बदल दिया गया है।

xii) अग्रिमों के पुनःकथन का वर्गीकरण समायोजन :

अग्रिमों के समायोजन का पुनःवर्गीकरण इंड एएस 21 के अनुसार परिवर्तन की तारीख से किया गया है, इसके प्रभाव से 01.04.2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹82.54 करोड़ वृद्धि हुई है तथा 2015–16 के लिए लाभ में ₹33.43 करोड़ वृद्धि हुई है।

xiii) आस्थगित कर :

स्थगित करों की गणना के लिए बैलेंस शीट एप्रोच का उपयोग करने के आदेश के रुप में इंड एएस के साथ परिवर्तन समायोजन के प्रभाव ने बाद की अवधियों के लिए लाभ और हानि खाते के परिणामी प्रभाव के साथ परिवर्तन की तारीख पर रिजर्व को उत्तरदायी बनाया है।

xiv) अन्य व्यापक आमदनी :

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने अलग से अन्य व्यापक आमदनी (ओआईसी) को प्रस्तुत नहीं किया है। लाभ और हानि विवरणी से अन्य व्यापक आमदनी को पुनः वर्गीकृत की गई मदों में 2015–16 में ₹ 76.38 करोड़ (शुद्ध कर) की परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्प्रमाणन शामिल है। भारतीय जीएएपी लाभ अथवा हानि का मिलान इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आमदनी के साथ किया गया है।

xv) नकदी प्रवाह की विवरणी :

भारतीय जीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन का नकदी प्रवाह की विवरणी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

39/2 पारगमन तिथि को इंड एएस अनुवर्ती तुलन पत्र का मिलान

(₹ करोड़ में)

	आईजीएएपी – पुनःवर्गीकृत	इंड एस		
विवरण	01.04.2015 को इंड एस अनुवर्ती अनुसूची–III	पारगमन समायोजन मापन – इंड एएस	01.04.2015 को आंकड़ें	उपरोक्त वर्णित निर्दिष्ट पैरा में व्याख्या किए गए परिवर्तन का कारण
I. परिसम्पत्तियां				
1 गैर–चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,982.16	-2.25	3,979.91	देखें (i)
(ख) कार्यशील पूंजी	500.50	1.53	502.03	देखें (ii)
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां	158.30		158.30	
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	17.30		17.30	
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) निवेश	417.67	2.80	420.47	देखें (v)
(ii) व्यापार प्राप्य	11,598.33	-358.95	11,239.38	देखें (vi), (ix) एवं (xi)
(iii) ऋण	104.26		104.26	
(iv) अन्य	0.83	1.32	2.15	देखें (i)
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	2,220.73	592.86	2,813.59	देखें (xiii)
(छ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	498.56	29.93	528.49	देखें (xii)
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**19,498.64**	**267.24**	**19,765.88**	
2 चालू परिसम्पत्तियां				
(क) मालसूचियां	10,104.84	-1.14	10,103.70	देखें (ii)
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य	26,038.98	-2071.24	23,967.74	देखें (vi), (ix) एवं (xi)
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	2,800.01		2,800.01	
(iii) बैंक शेष	7,011.86		7,011.86	
(iv) ऋण	90.95		90.95	
(v) अन्य	213.98	0.93	214.91	देखें (i)
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	628.39		628.39	
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	2,100.88	44.75	2,145.63	देखें (vi) एवं (xii)
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**48,989.89**	**-2026.70**	**46,963.19**	
कुल परिसम्पत्तियां	**68,488.53**	**-1759.46**	**66,729.07**	
II. इक्विटी और देयताएं				
3 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	489.52		489.52	
(ख) अन्य इक्विटी (देखें एसओसीआईई)	33,595.08	-934.90	32,660.18	
कुल इक्विटी	**34,084.60**	**-934.90**	**33,149.70**	

	आईजीएएपी – पुनःवर्गीकृत	इंड एस		
विवरण	01.04.2015 को इंड एस अनुवर्ती अनुसूची–III	पारगमन समायोजन मापन – इंड एएस	01.04.2015 को आंकड़े	उपरोक्त वर्णित निर्दिष्ट पैरा में व्याख्या किए गए परिवर्तन का कारण
देयताएं				
4 गैर–चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	61.00		61.00	
(ii) व्यापार प्राप्य	705.65	-60.80	644.85	देखें (vi) एवं (x)
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	90.16		90.16	
(ख) प्रावधान	6,898.29	-567.68	6,330.61	देखें (vi), (vii) एवं (viii)
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	4,563.06	-3.62	4,559.44	देखें (xii)
	12,318.16	**-632.10**	**11,686.06**	
5 चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यापार प्राप्य	8,798.28		8,798.28	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,699.34	-0.08	1,699.26	देखें (xii)
(ख) अन्य–चालू देयताएं	7,424.29	-9.74	7,414.55	देखें (vi) एवं (xii)
(ग) प्रावधान	4,163.86	-182.64	3,981.22	देखें (iii)
	22,085.77	**-192.46**	**21,893.31**	
कुल इक्विटी और देयताएं	**68,488.53**	**-1759.46**	**66,729.07**	

39/3 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण का मिलान

(₹ करोड़ में)

		आईजीएएपी – पुनःवर्गीकृत	भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.)		
विवरण		31.03.2016 को रिपोर्टिंग अवधि के लिए भा.ले.मा. अनुवर्ती अनुसूची–III	पारगमन समायोजन मापन – भा.ले.मा.	31.03.2016 को रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	उपरोक्त वर्णित निर्दिष्ट पैरा में व्याख्या किए गए परिवर्तन का कारण
I.	प्रचालनों से राजस्व	26583.30	55.07	26638.37	देखें (vi एवं ix)
II.	अन्य आय	1454.71	43.01	1497.72	देखें (xii)
III.	**कुल आय (I+II)**	**28038.01**	**98.08**	**28136.09**	
IV.	**व्यय**				
	सामग्री की खपत, संस्थापन एवं इंजीनियरिंग व्यय	16399.73	-22.60	16377.13	देखें (x)
	तैयार सामान की मालसूचियों में परिवर्तन एवं प्रगतिशील कार्य	210.49		210.49	
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	5496.40	-116.65	5379.75	देखें (xiv)
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	935.59	0.15	935.74	देखें (i) एवं (ii)
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण संबंधी अन्य व्यय	4037.27	-3.46	4033.81	देखें (i) एवं (xii)
	प्रावधान (निवल)	2454.10	-403.67	2050.43	देखें (vi), (vii), (viii), (xi) एवं (xii)
	वित्तीय लागत	27.71	331.77	359.48	देखें (vii), (viii) एवं (x)
	घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत	46.57		46.57	
	कुल व्यय (IV)	**29514.72**	**-214.46**	**29300.26**	
V.	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**	**-1476.71**	**312.54**	**-1164.17**	
VI.	**असाधारण मदें**				
VII.	**कर–पूर्व लाभ (हानि) (V-VI)**	**-1476.71**	**312.54**	**-1164.17**	
VIII.	**कर व्यय**				
	(क) चालू कर	350.81	40.27	391.08	
	(ख) आस्थगित कर	-914.10	68.45	-845.65	देखें (xiii)
		-563.29	**108.72**	**-454.57**	
IX.	**निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (VII-VIII)**	**-913.42**	**203.82**	**-709.60**	
X.	**अन्य व्यापक आय**				
	(i) मदें जो लाभ या हानि के संबंध में पुनः वर्गीकृत नहीं की गई हैं	0.00	-116.65	-116.65	देखें (xiv)
	(ii) घटाएं : उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.00	-40.27	-40.27	
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)** (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय मिलाकर)	**-913.42**	**127.44**	**-785.98**	

39/4 31.03.2016 को भारतीय लेखा मानक अनुवर्ती तुलन पत्र का मिलान

(₹ करोड़ में)

	आईजीएएपी – पुनःवर्गीकृत	भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.)			
विवरण	31.03.2016 को रिपोर्टिंग अवधि के लिए भा.ले.मा. अनुवर्ती अनुसूची–III	पारगमन समायोजन मापन – भारतीय लेखा मानक	पारगमन समायोजन मापन – 15–16 के लिए भारतीय लेखा मानक	31.03.2016 को आंकड़े	उपरोक्त वर्णित निर्दिष्ट पैरा में व्याख्या किए गए परिवर्तन का कारण
I. परिसम्पत्तियां					
1 गैर–चालू परिसम्पत्तियां					
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3826.22	-2.25	1.15	3825.12	देखें (i) एवं (ii)
(ख) कार्यशील पूंजी	306.59	1.53	1.38	309.50	देखें (ii)
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां	137.36			137.36	
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8.38			8.38	
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) निवेश	663.40	2.80	-2.04	664.16	देखें (v)
(ii) व्यापार प्राप्य	11376.04	-358.95	110.18	11127.27	देखें (vi), (ix) एवं (xi)
(iii) ऋण	65.62			65.62	
(iv) अन्य	0.00	1.32	-0.70	0.62	देखें (i)
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	3134.82	592.86	-68.45	3659.23	देखें (xiii)
(छ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	240.40	29.93	-29.93	240.40	देखें (xii)
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**19758.83**	**267.24**	**11.59**	**20037.66**	
2 चालू परिसम्पत्तियां					
(क) मालसूचियां	9615.06	-1.14	-11.77	9602.15	देखें (ii), (x) एवं (xii)
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) निवेश					
(ii) व्यापार प्राप्य	24227.01	-2071.24	274.35	22430.12	देखें (vi), (ix) एवं (xi)
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	1966.09			1966.09	
(iv) बैंक शेष	8119.90			8119.90	
(v) ऋण	176.61			176.61	
(vi) अन्य	156.71	0.93	-0.02	157.62	देखें (i)
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	582.93			582.93	
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	2085.67	44.75	-40.56	2089.86	देखें (vi) एवं (xii)
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**46929.98**	**-2026.70**	**222.00**	**45125.28**	
कुल परिसम्पत्तियां	**66688.81**	**-1759.46**	**233.59**	**65162.94**	

(₹ करोड़ में)

	आईजीएपी – पुनःवर्गीकृत	भारतीय लेखा मानक (भ.ले.मा.)			
विवरण	31.03.2016 को रिपोर्टिंग अवधि के लिए भा.ले.मा. अनुवर्ती अनुसूची–III	पारगमन समायोजन मापन – पारगमन तिथि को भारतीय लेखा मानक	पारगमन समायोजन मापन – 15–16 के लिए भारतीय लेखा मानक	31.03.2016 को आंकड़े	उपरोक्त वर्णित निर्दिष्ट पैरा में व्याख्या किए गए परिवर्तन का कारण
II. इक्विटी और देनदारियां					
3 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	489.52			489.52	
(ख) अन्य इक्विटी	32563.83	-934.90	62.63	31691.56	
कुल इक्विटी	**33053.35**	**-934.90**	**62.63**	**32181.08**	
देनदारियां					
4 गैर–चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधार	126.29			126.29	
(ii) व्यापार प्राप्य	788.63	-60.80	18.39	746.22	देखें (vi) एवं (x)
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	123.51			123.51	
(ख) प्रावधान	7986.51	-567.68	205.67	7624.50	देखें (vi), (vii) एवं (viii)
(ग) अन्य गैर–चालू देनदारियां	3675.90	-3.62	-34.50	3637.78	देखें (xii)
	12700.84	**-632.10**	**189.56**	**12258.30**	
5 चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) व्यापार प्राप्य	8701.34		-3.00	8698.34	देखें (x)
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	1646.74	-0.08	-2.84	1643.82	देखें (xii)
(ख) गैर–चालू देनदारियां	7133.32	-9.74	-78.08	7045.50	देखें (vi) एवं (xii)
(ग) प्रावधान	3453.22	-182.64	65.32	3335.90	देखें (iii) एवं (vi)
	20934.62	**-192.46**	**-18.60**	**20723.56**	
कुल इक्विटी और देनदारियां	**66,688.81**	**-1,759.46**	**233.59**	**65,162.94**	

39/5

I. पूर्व में रिपोर्टाधीन पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी और भारतीय लेखा मानक के अनुसार इक्विटी का मिलान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक पारगमन तिथि 01.04.2015	31.03.2016 को	पहली बार अंगीकरण के संबंध में नोट में दिए गए पैरा का संदर्भ
I. 31.03.2015 को पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के अनुसार प्रतिधारित अर्जन (अन्य इक्विटी)	**33595.08**	**32563.83**	
वर्ष के लिए समायोजन			
भंडार एवं स्पेयर्स आदि का पूंजीकरण	0.40	1.83	देखें (ii)
प्रस्तावित लाभांश समायोजन	182.64	-64.81	देखें (iii)
उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश मापन का प्रभाव	2.80	-2.04	देखें (v)
राजस्व मान्यता (पीओसीएम) का प्रभाव	-9.60	8.03	देखें (vi)
वर्तमान मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान	37.22	-20.57	देखें (vii)
वर्तमान मूल्य पर दीर्घावधि अनुबंधित दायित्वों की पहचान	538.93	-184.06	देखें (viii)
निर्माण अनुबंधों पर विचाराधीन उचित मूल्य	-193.49	46.66	देखें (ix)
आस्थगित देयताओं पर छूट का प्रभाव	60.80	-15.39	देखें (x)
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	-2230.00	328.00	देखें (xi)
अग्रिम पुनर्विवरण का वर्गीकरण समायोजन	82.54	33.43	देखें (xii)
उपरोक्त समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	592.86	-68.45	देखें (xiii)
इंड एएस पारगमन का निवल प्रभाव	**(-)934.90**	**62.63**	
प्रारंभिक इंड एस पारगमन प्रभाव		**(-)934.90**	
इंड एस (01.04.2015 को प्रारंभ) के अनुसार प्रतिधारित अर्जन (इक्विटी के अलावा)	**32660.18**	**31691.56**	

II. पूर्व में रिपोर्टाधीन पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी और भारतीय लेखा मानक 2015–16 के अनुसार कुल व्यापक आय का मिलान

(₹ करोड़ में)

		पहली बार अंगीकरण के संबंध में नोट में दिए गए पैरा का संदर्भ
पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी 2015–16 के अनुसार निवल लाभ	**(-)913.42**	
वर्ष के लिए समायोजन, वृद्धि / (–) कमी		
भंडार एवं स्पेयर्स, रेट्रोफिटिंग आदि का पूंजीकरण	1.83	देखें (ii)
उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश मापन का प्रभाव	-2.04	देखें (v)
राजस्व मान्यता (पीओसीएम) का प्रभाव	8.03	देखें (vi)
वर्तमान मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान	-20.57	देखें (vii)
वर्तमान मूल्य पर दीर्घावधि अनुबंधित दायित्वों की पहचान	-184.06	देखें (viii)
निर्माण अनुबंधों पर विचाराधीन उचित मूल्य	46.66	देखें (ix)
आस्थगित देयताओं पर छूट का प्रभाव	-15.39	देखें (x)
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	328.00	देखें (xi)
अग्रिम पुनर्विवरण का वर्गीकरण समायोजन	33.43	देखें (xii)
उपरोक्त समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	-68.45	देखें (xiii)
इंड एएस 2015–16 के अनुसार कुल व्यापक आय	**(-)785.98**	
2015–16 के लिए इंड एस का निवल प्रभाव	**127.44**	

2 आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धताएं नहीं दी गई सीमा तक:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2016 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़
(i)	**आकस्मिक देयताएं :**		
1)	कम्पनी के विरूद्ध दावें जो ऋण के रूप में नहीं माने गए:		
क	आयकर मांग	**12.73**	0.96
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद के अधीन भुगतान किया गया		-
ख	बिक्रीकर मांग	**1846.50**	1,229.44
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**298.34**	269.29
ग	उत्पाद शुल्क मांग	**482.92**	467.96
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**24.17**	23.59
घ	सीमा शुल्क मांग		0.10
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया		-
ङ	न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	**884.19**	1,029.32
च	निर्णीत हर्जाना	**6214.54**	7,836.38
	उपरोक्त 1(च) में शामिल एलडी के संबंध में ग्रहकों द्वारा काटी गई राशि	**2730.50**	3,161.77
छ	ठेकेदारों द्वारा किए गए सहायक दावे	**0.61**	0.61
ज	सेवा कर मांग	**507.67**	485.94
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**7.39**	7.34
झ	अन्य (विवादित स्टॉफ मामलों सहित)	**34.74**	45.86
	(कम्पनी द्वारा विभिन्न न्यायालय मामलों, मुकदमों एवं विवादित दावों को देखते हुए इस चरण में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की गणना नहीं की गई है)		
(ii)	**प्रतिबद्धताएं :**		
क	अनुबंधों की अनुमानित राशि, अग्रिमों का निवल, जो पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष है लेकिन प्रावधान नहीं किया गया	**193.93**	251.08
	उपरोक्त में अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण शामिल है	**3.96**	0.82
ख	संयुक्त उद्यम इकाईयों में निवेश जिसके लिए कम्पनी को गठन की तिथि / परियोजना की शुरूआत / परियोजना की पहली यूनिट / पहले ईपीसी अनुबंध की पूर्णता, जैसा भी मामला हो, की तिथि से पांच वर्षों के लिए अपने निपटान हेतु प्रतिबंधित किया गया है	**639.32**	639.32
ग	अतिरिक्त इक्विटी स्टेक को लेने के लिए अन्य जेवी साझेदार के दायित्व के मामले में जेवी में अतिरिक्त निवेश की दिशा में प्रतिबद्धताएं	**111.26**	111.26
घ	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए दीर्घावधि निर्माण अनुबंधों के तौर पर इसमें सामग्री आदि की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के रूप में माना गया है, इसलिए प्रकटित नहीं की गई है।		

3 (i) बैंकों से **₹ 5000 करोड़** (गत वर्ष ₹ 5000 करोड़) की नकद ऋण सीमा तथा कच्चे माल, उपकरण, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स, बही ऋण तथा वर्तमान तथा भविष्य दोनों में चालू परिसंपत्तियों को गिरवी के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत **₹ 55000 करोड़** (गत वर्ष ₹ 55000 करोड़) की बैंक गारंटी / ऋण सीमा पत्र के संबंध में कंपनी के प्रति गारंटी / क्षतिपूर्ति देयता रक्षित है। 31.03.2017 को बकाया बैंक गारंटियां **₹ 40666 करोड़** (गत वर्ष ₹ 45834 करोड़) है।

(ii) 31.03.2017 को स्वयं दायित्व बकाये के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटियां **₹ 1733.80 करोड़** (गत वर्ष ₹ 3028.33 करोड़) है।

4 दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भुगतानों, ठेकेदार के अग्रिम, जमा तथा उप ठेकेदार/फेब्रिकेटर के पास पड़े स्टाक/सामग्री के तहत दर्शाए गये शेष पुष्टि, समामेलन एवं परिणामी समायोजन के अधीन हैं। समाधान सतत आधार पर किए जाते हैं क्योंकि कंपनी दीर्घावधि निर्माण संविदाओं और प्रावधानों के व्यवसाय में है और जहां भी आवश्यक समझे गए हैं प्रावधान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। परियोजना की समाप्ति (ट्रायल आपरेशन एवं पीजी जांच पूरी होने पर) के बाद अंतिम मिलान किया जाता है। कुल प्राप्तियां (दीर्घावधि सहित) ₹ 42510 करोड (₹ 20195 करोड़ के आस्थगित ऋण/अन्य ऋण, जो इस समय भुगतान के लिए देय नहीं हैं और पूरी हुई परियोजनाओं के संबंध में ₹ 6287 करोड़ की बकाया राशि सहित) हैं, जिनमें से पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में ग्राहकों के साथ रिकन्साइल की नई परियोजनाओं का बकाया ऋण ₹ 5497 करोड़ है।

5 भारतलीय लेखा मानक 11 के अधीन "निर्माण अनुबंधों के लिए विचाराधीन उचित मूल्य" पर ईएसी/आईसीएआई विचार के अनुसरण में परियोजनाओं से संबंधित धारण राशि जहां अनुबंध की शर्त के अनुसार अग्रिम प्रतिशत धारण प्रतिशत से कम है, में कारोबार की मान्यता के समय छूट दी जाती है।

कुल आस्थगित देनदारों (निवल) **₹ 16736.95 करोड़** (गत वर्ष ₹ 17957.67 करोड़) में से 31.03.2017 को उपरोक्त वर्णित ऐसी धारण राशि का परिशोधन मूल्य **₹ 1797.27 करोड़** (गत वर्ष ₹ 1256.57 करोड़) है।

6 एमोरफॉस सिलिकॉन सोलर सैल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को 1 अप्रैल, 1999 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से औपचारिक लीज करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

7 वर्तमान वित्तीय देयताओं में 1990–91 तक सरकार के निर्देश पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई गारंटी फीस के लिए **₹ 100.51 करोड़** (गत वर्ष ₹ 100.51 करोड़) राशि शामिल है। इससे छूट लेने के लिए सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है क्योंकि जिस समय ऋण लिया गया था (सरकार द्वारा गारंटीकृत) उस समय ऐसी गारंटी फीस के लिए कोई शर्त नहीं थी। कम्पनी ने 09.02.2015 के पत्र द्वारा गारंटी फीस से छूट के लिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) से फिर अनुरोध किया है।

8. "कर्मचारी हितलाभ" पर भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटन

क. ग्रेच्युटी

कम्पनी के पास एक परिभाषित हितलाभ ग्रेच्युटी प्लान है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पांच वर्षों या उससे अधिक नियमित सेवा की है, वह अधिकतम ₹ 10 लाख सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन वेतन (15/26 x अंतिम देय मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है। भविष्य के भुगतानों में भी ग्रेच्युटी दायित्व बनता है जिसे सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु, सेवा छोड़ते समय भुगतान किया जाता है। दायित्व का मूल्यांक अनुमानित यूनिट क्रेडिट बीमांकिक पद्धति द्वारा किया गया है।

I. ग्रेच्युटी प्लान पर निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति) / दायित्व में निस्सरण

(₹ करोड़ में)

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति) दायित्व	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1939.47**	1909.03	**1939.47**	1909.03	**-**	-
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**117.25**	111.45			**117.25**	111.45
ब्याज लागत/आय	**155.16**	152.72	**155.16**	152.72	**-**	-
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**272.41**	264.17	**155.16**	152.72	**117.25**	111.45
ओसीआई में शामिल किया गया:						
पुनः मापन हानि (अर्जन)					**(56.86)**	16.76
निम्न से हुई बीमांकिक हानि (अर्जन)	**(55.77)**	15.64				
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर प्रतिफल			**1.08**	(1.12)		
अन्य व्यापक आय में पहचानी गई कुल राशि	**(55.77)**	15.64	**1.08**	(1.12)	**(56.86)**	16.76
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान			**60.39**	128.21	**(60.39)**	(128.21)
भुगतान किया गया हितलाभ	**(224.68)**	(249.37)	**(224.68)**	(249.37)	**-**	-
अंतिम शेष	**1931.43**	1939.47	**1931.43**	1939.47	**-**	-

II. योजना परिसम्पत्तियों का विवरण

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
भारत सरकार प्रतिभूतियां (उद्धृत)	**15.94%**	16.27%
राज्य सरकार प्रतिभूतियां (उद्धृत)	**31.83%**	30.46%
उच्च गुणवत्ता कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत)	**43.41%**	44.02%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	**0.68%**	0.42%
बीमाकर्ता द्वारा संचालित निधि	**4.86%**	4.07%
बैंक शेष	**3.28%**	4.76%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

III. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन वृद्धि दर	**पहले 4 वर्षों के लिए 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों के लिए 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु दर–सारणी	100% ऑफ आईएएलएम (2006-08)	
वापिसी दरें % (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

IV. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं को परिवर्तित करने के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)			
	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**(58.27)**	**63.99**	(58.51)	64.26
वेतन वृद्धि दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**63.31**	**(58.22)**	63.57	(58.46)

मृत्यु एवं वापिसी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

महंगाई की दर, भुगतान में पेंशन की बढ़ोत्तरी की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन में वृद्धि की दर एवं जीवन अपेक्षा के रूप में संवेदनशीलता लागू नहीं है क्योंकि ये सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ के तौर पर होते हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की इस आधार पर गणना की गई है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपार्जित मुख्य अवधारणाओं में तर्कसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व पर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़ें। यह विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन को नहीं दिखाता है जैसा कि यह असंभाव्य है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलग होने से होगा क्योंकि कुछ अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

V. भविष्य के वर्षों में ग्रेच्युटी प्लान का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

₹ करोड़ में

	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1 वर्ष से कम	**236.06**	246.36	292.69
1–2 वर्ष के बीच	**200.13**	221.96	210.91
2–3 वर्ष के बीच	**145.47**	199.79	210.64
3–4 वर्ष के बीच	**140.30**	173.56	190.54
4–5 वर्ष के बीच	**111.40**	136.66	163.70
5–6 वर्ष के बीच	**98.39**	110.10	126.87
6 वर्ष से अधिक	**999.68**	851.04	713.68
कुल	**1,931.43**	**1,939.47**	**1,909.03**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी प्लान के संबंध में अनुमानित अंशदान ₹ 118.87 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर ग्रेच्युटी परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.66 वर्ष है (31 मार्च 2016 : 14.37 वर्ष)।

VI. जोखिम आशंकाएं

मूल्यांकन कुछ अवधारणाएं जो गतिशील प्रवृत्ति की होती है और समय के अनुसार बदलती है, पर आधारित होता है । ऐसे में कम्पनी को विभिन्न जोखिमों जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु, दिव्यांगता और आहरण के संबंध में अनावृत होती है।

ख. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को कम्पनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वह कम्पनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के तौर पर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर वार्षिक तौर पर किया जाता है।

I. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ पर निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति)/दायित्व में निस्सरण

₹ करोड़ में

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति) दायित्व	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1679.37**	1530.44	**-**	-	**1679.37**	1530.44
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**30.29**	27.47	**-**	-	**30.29**	27.47
ब्याज लागत/आय	**134.35**	122.44	**-**	-	**134.35**	122.44
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**164.64**	149.91	**-**	**-**	**164.64**	149.91
ओसीआई में शामिल किया गया:						
पुनः मापन हानि (लाभ)					**67.82**	82.94
निम्न से बीमांकिक हानि (लाभ):						
जनसंख्यिकी अवधारणाएं			**-**	-	**-**	-
वित्तीय अवधारणाएं	**74.43**	18.95	**-**	-		
अनुभव समायोजन	**(6.61)**	63.99	**-**	-		
अन्य व्यापक आय में पहचानी गई कुल राशि	**67.82**	82.94	**-**	**-**	**67.82**	82.94
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान			**1820.70**		**(1820.70)**	
भुगतान किया गया हितलाभ	**(91.13)**	(83.92)	**-**	**-**	**(91.13)**	(83.92)
अंतिम शेष	**1820.70**	1679.37	**1820.70**	**-**	**0.00**	1679.37

कम्पनी की योजना परिसम्पत्तियां कम्पनी के निधि दायित्वों के लिए ली गई बीमा पालिसी के संदर्भ में कम्पनी द्वारा संचालित ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जाती हैं।

II. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन वृद्धि दर	**पहले 4 वर्षों के लिए 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों के लिए 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु दर–सारणी	100% ऑफ आईएएलएम (2006-08)	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं को परिवर्तित करने के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है: ₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति – पश्चात चिकित्सा हितलाभ			
	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**(89.34)**	**90.14**	(82.47)	83.55
वेतन वृद्धि दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**90.94**	**(90.02)**	84.11	(82.99)

मृत्यु एवं वापिसी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की इस आधार पर गणना की गई है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपार्जित मुख्य अवधारणओं में तर्कसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व पर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़ें। यह विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन को नहीं दिखाता है जैसा कि यह असंभाव्य है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलग होने से होगा क्योंकि कुछ अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

₹ करोड़ में

	सेवानिवृत्ति – पश्चात चिकित्सा हितलाभ		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1 वर्ष से कम	**103.44**	101.05	87.59
1–2 वर्ष के बीच	**105.61**	103.18	89.95
2–3 वर्ष के बीच	**108.14**	105.65	92.56
3–4 वर्ष के बीच	**111.28**	108.72	95.52
4–5 वर्ष के बीच	**115.17**	112.52	99.15
5–6 वर्ष के बीच	**119.78**	117.02	103.32
6 वर्ष से अधिक	**1,157.28**	1,031.23	962.35
कुल	**1,820.70**	**1,679.37**	**1,530.44**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ के संबंध में अनुमानित अंशदान ₹ 32.30 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.57 वर्ष है (31 मार्च 2016 : 13.26 वर्ष)।

V. जोखिम प्रकटन

मूल्यांकन कुछ अवधारणाएं, जो गतिशील प्रवृत्ति की होती है और समय के अनुसार बदलती है, उस पर आधारित होता है । ऐसे में कम्पनी को विभिन्न जोखिमों जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु, दिव्यांगता और आहरण के संबंध में अनावृत होती है।

ग. दीर्घावधि छुट्टी देयता (ईएल / एचपीएल) – गैरपोषित

कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध वेतन छुट्टी का लाभ देती है जो कि अर्द्ध वार्षिक रूप से क्रमश: 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिन जुड़ती जाती हैं। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है और सेवानिवृत्ति के समय यह 300 दिन (अधिकतम) है। अर्द्ध वेतन छुट्टी सेवा–निवृत्ति से तीन महीने पूर्व या 50 वर्ष की आयु के ऊपर विमुक्त होने पर अधिकतम 480 दिनों की कुल सीमा तक नकदीकरण योग्य होती है। अवकाश देयता को दीर्घ अवधि लाभ माना गया है और प्रस्तावित इकाई क्रेडिट बीमांकिक पद्धति का उपयोग करते हुए उसका मूल्यांकन किया गया है।

I. निवल परिभाषित हितलाभ(परिसम्पत्ति) / दायित्व में निस्सरण

₹ करोड़ में

	दीर्घावधि छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1,628.73**	1,479.87
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	**107.77**	60.35
ब्याज लागत (आय)	**130.30**	118.39
बीमांकिक हानि (अर्जन)	**226.30**	263.06
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**464.37**	441.80
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान		
भुगतान किए गए हितलाभ	**323.61**	292.94
अंतिम शेष	**1,769.49**	1,628.73

II. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	दीर्घावधि छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन वृद्धि दर	**पहले 4 वर्षों के लिए 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों के लिए 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु दर–सारणी	100% ऑफ आईएएलएम (2006-08)	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

घ. भविष्य निधि देयता

कम्पनी एक अलग ट्रस्ट में पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो इस निधि को स्वीकार्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस लेखा में वर्ष के लिए ₹ 282.46 करोड़ (31 मार्च 2016 : ₹ 278.88 करोड़) की राशि की पहचान की गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। कम्पनी के पास भारत सरकार के निर्देशानुसार सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम देयता सुनिश्चित करने का दायित्व है। तद्नुसार, कम्पनी ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके आधार पर समग्र ब्याज अर्जन और समेकित अधिशेष सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है और जहां पर भी बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयता के अनुसार ब्याज में कमी हुई है, उसे लेखाओं में लिया गया है।

₹ करोड़ में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में वृद्धि / (कमी)	**7.73**	3.69
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	**3.53**	11.26
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से पहचाना गया पुनः मापन अर्जन / (हानि)	**12.00**	(17.13)
लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से गणना किए गए ब्याज में कमी / (अधिकता)	**4.27**	(20.82)

कम्पनी के पास विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ ट्रस्ट है जिसमें कम्पनी के कर्मचारी शामिल हैं और इसका अलग प्रबंधन किया जाता है। योजना परिसम्पत्ति और दायित्व का विवरण निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		अधिकता / (कमी)	
स्थान	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
नई दिल्ली	830.17	754.18	838.08	762.42	7.91	8.24
हरिद्वार	1263.70	1186.87	1262.35	1181.28	(1.35)	(5.59)
रानीपेट	324.38	326.07	325.95	328.36	1.57	2.29
चेन्नई	502.23	458.98	500.67	455.71	(1.56)	(3.27)
हैदराबाद	873.85	841.86	911.51	879.90	37.66	38.04
विज़ाग	108.00	88.35	135.82	116.25	27.82	27.90
बेंगलुरू	507.04	454.15	510.41	453.87	3.37	(0.28)
तिरूची	1088.93	1037.84	1088.31	1035.71	(0.62)	(2.13)
झांसी	344.46	343.35	352.49	349.27	8.03	5.92
भोपाल	1033.79	955.05	1041.21	962.75	7.42	7.70

बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	**8.65%**	8.80%
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु दर–सारणी	100% ऑफ आईएएलएम (2006-08)	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

9 लघु एवं मध्यम उद्योग प्रकटन

₹ करोड़ में

विवरण		2016-17	2015-16
i)	लेखा वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल शेष राशि	**233.43**	192.53
ii)	लेखा वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष ब्याज	**0.00**	0.25
iii)	वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में भुगतान किए गए ब्याज की राशि	**0.07**	0.00
iv)	ब्याज की देय राशि और भुगतान करने में देरी के लिए देय (जिसे भुगतान कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्ति तिथि के बाद) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना भुगतान	**0.00**	1.52
v)	वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज की राशि और वर्ष की समाप्ति पर भुगतान के लिए शेष राशि	**0.00**	0.14
vi)	अनुवर्ती वर्षों में आगे देय एवं देय ब्याज की शेष राशि, जब तक ऐसी तिथि जब उपरोक्त अनुसार देय ब्याज कटौती योग्य व्यय के रूप में पाबंदी के प्रयोजन के लिए वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान किया जाता है	**1.73**	2.29

10 पट्टा

परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टेदार

कम्पनी विलोपन और गैर–विलोपन दोनों परिचालन पट्टे पर कर्मचारियों के लिए आवास, कार्यालय भवन और ईडीपी उपकरण आदि लेने की प्रक्रिया में है। निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए गैर–विलोपन परिचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार था:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**2.74**	1.02
एक और पांच वर्षों के बीच	**3.12**	1.48
पाच वर्षों से अधिक	**1.03**	1.11
	6.89	3.61

वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टेदार

कम्पनी ने भूमि, भवन, ईडीपी उपकरण वित्त पट्टे पर लिए है। गैर–विलोपन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**73.88**	95.91
एक और पांच वर्षों के बीच	**104.60**	164.47
पाच वर्षों से अधिक	**0.00**	0.00
	178.48	260.38

वित्त पट्टा देयताएं निम्नानुसार देय हैं

₹ करोड़ में

	भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**73.88**	95.91	**13.57**	19.76	**60.31**	76.15
एक और पांच वर्षों के बीच	**104.60**	164.47	**15.05**	38.18	**89.55**	126.29
पाच वर्षों से अधिक	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00

वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टादाता

कम्पनी ने लोकोमोटिव्स वित्त पट्टे पर दी हैं। वित्त पट्टा प्राप्य के घटक निम्नानुसार हैं:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
पट्टे में सकल निवेश		
एक वर्ष से कम	**0.56**	0.91
एक और पांच वर्षों के बीच	**0.19**	0.75
पाच वर्षों से अधिक	-	-

वित्त प्राप्यों में निवल निवेश

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
गैरअर्जित वित्त आय	**0.03**	0.13
वित्त प्राप्यों में निवल निवेश	**0.72**	1.53

न्यूनतम पट्टा प्राप्यों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
न्यूनतम पट्टा प्राप्यों का वर्तमान मूल्य		
एक वर्ष से कम	**0.56**	0.91
एक और पांच वर्षों के बीच	**0.16**	0.62
	0.72	1.53

11 आयकर का प्राक्धान (आस्थगित कर का निवल) और आयकर दरों को लागू करने पर गणना की गई राशि के बीच मिलान

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पूर्व कुल व्यापक आय / (हानि) (क)	**583.48**	(1,280.82)
आयकर दर (ख)	**34.608%**	34.608%
कर व्यय – (ग) = (क) x (ख)	**201.93**	(443.27)
राशि का जोड़ा गया कर प्रभाव निम्नानुसार है:		
क) व्यय – काटा नही गया	**13.51**	44.59
ख) कर छूट प्राप्त आय	**(11.72)**	(11.82)
ग) कर प्रोत्साहन	**(70.49)**	(66.84)
घ) कर व्यय में परिवर्तन – पिछले वर्षों में	**(16.61)**	(17.50)
कुल (घ)	**(85.31)**	(51.57)
निवल कर व्यय (ङ) = (ग) + (घ)	**116.62**	(494.84)
निवल कर व्यय (देखें नोट 36 एवं 37 (च)	**116.62**	(494.84)

12. अनुसंधान एवं विकास व्यय

वर्ष के दौरान उपार्जित अनुसंधान एवं विकास व्यय का विवरण, जो (भूमि या भवन के अलावा) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत कटौती योग्य है:

₹ करोड़ में

		2016-17	2015-16
क.	(i) भूमि	**0**	0
	(ii) भवन	**0**	0.08
ख.	संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरण	**16.12**	13.56
ग.	राजस्व व्यय		
	वेतन / मजदूरी	**141.81**	133.34
	सामग्री / कंज्यूमेबल्स / स्पेयर्स	**18.10**	16.40
	यूटिलिटीज	**0.55**	0.75
	अन्य आरएंडडी संबंधी व्यय	**31.82**	33.01
	कुल राजस्व व्यय	**192.28**	183.50
घ.	आरएंडडी सेन्टर द्वारा कोई प्राप्ति / आय	**-4.73**	-3.92
ङ	कटौती योग्य निवल राशि (ख+ग–घ)	**203.67**	193.14

13. संयुक्त नियंत्रित इकाईयां एवं सहायक कंपनियां

इकाईयों और बीएचईएल के स्वामित्व अनुपात का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) संयुक्त उद्यम का नाम	स्वामित्व का अनुपात		
	व्यवसाय का मूल स्थान	31.03.2017 को	31.03.2016 को
पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड	भारत	एक शेयर 50 % से कम	एक शेयर 50 % से कम
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एक शेयर 50 % से कम	एक शेयर 50 % से कम
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%
रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	27.34%	27.34%
दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड	भारत	50%	50%
लातुर पावर कम्पनी लि. (परिसमापन के अधीन)	भारत	NIL	NIL

(i) पावरप्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापनाधीन है और इक्विटी के तौर पर भुगतान की गई राशि वसूलीयोग्य नहीं है।

(ii) दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान निवल वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹ 6.71 करोड़ की सीमा तक किया गया है क्योंकि कम्पनी का परिसमापन प्रक्रियागत है।

(ख) सहायक कम्पनी का नाम	स्वामित्व का अनुपात		
	व्यवसाय का मूल स्थान	31.03.2017 को	31.03.2016 को
बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	भारत	51%	51%

14 सम्बद्ध पार्टी लेनदेन

i) संयुक्त उद्यम

पावरप्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि.

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)

लतुर पावर कम्पनी लि.

रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि.

सहायक कम्पनी

बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

केन्द्र सरकार नियंत्रित संस्थाएं

भविष्य निधि न्यास

ग्रेच्युटी न्यास, पीआरएमबी न्यास, पेंशन न्यास

ii) अन्य सम्बद्ध पार्टी (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक–कार्यकारी निदेशक, वर्तमान एवं सेवानिवृत्त तथा कम्पनी सचिव):

सीएमडी : श्री अतुल सोबती

कार्यकारी निदेशक: सर्वश्री डी. बंद्योपाध्याय, अमिताभ माथुर, एस. बिस्वास, टी. चोका लिंगम, अखिल जोशी (10.08.2016 से) एवं कम्पनी सचिव: श्री आई पी सिंह

iii) लेनदेनों एवं शेष का विवरण

₹ करोड़ में

वर्ष 2016–17 के लिए	बीजीजीटीएस	आरपीसीएल	एनबीपीपीएल	कुल (अन्य सहित)
माल एवं सेवाओं की खरीद	0.56	-	1.43	1.99
माल एवं सेवाओं की बिक्री	187.76	129.91	359.14	676.81
सेवाओं की प्राप्ति	-	-	8.06	8.06
सेवाएं देना	-	105.55	2.43	107.98
लाभांश आय	12.85	-	-	12.85
रॉयल्टी आय	1.47	-	-	1.47
शेयरों की खरीद	-	-	-	
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	42.61	472.18	309.34	824.16
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिम सहित)	0.16	27.55	91.66	119.37
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	0.70	0.72
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	11.50	11.50

₹ करोड़ में

वर्ष 2015–16 के लिए	बीजीजीटीएस	आरपीसीएल	एनबीपीपीएल	कुल (अन्य सहित)
माल एवं सेवाओं की खरीद	0.85	-	4.47	5.32
माल एवं सेवाओं की बिक्री	146.42	157.88	709.13	1013.43
सेवाओं की प्राप्ति	-	-	19.00	19.00
सेवाएं देना	0.06	241.97	53.15	295.18
लाभांश आय	21.18	-	-	21.18
रॉयल्टी आय	1.03	-	-	1.03
शेयरों की खरीद	-	257.79	-	257.79
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	-	-	-	
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिम सहित)	41.55	595.99	346.25	983.81
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.29	38.02	125.90	164.4
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	0.05	-	0.07

₹ करोड़ में

सहायक कंपनी	2016-17	2015-16
माल एवं सेवाओं की खरीद	**0.59**	1.00
माल एवं सेवाओं की बिक्री	**-**	5.33
ब्याज आय	**0.25**	0.17
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		0.54
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**3.77**	6.20
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिम सहित)	**1.18**	0.96

₹ करोड़ में

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (मुप्रका)	2016-17	2015-16
वेतन का भुगतान	**2.34**	4.20
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	**0.00**	0.01
मुप्रका के रिश्तेदार		
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**0.00**	0.01
वेतन का भुगतान	**0.00**	0.20
लेनदेनों का विवरण		
संक्षिप्त–अवधि कर्मचारी हितलाभ	**1.92**	3.53
रोजगार–पश्चात हितलाभ	**0.42**	0.67
कुल पारिश्रमिक भुगतान	**2.34**	4.20

सीएमडी और कार्यकारी निदेशकों को डयूटी और गैर–डयूटी दोनों यात्राओं के लिए स्टॉफ कार का उपयोग करने की अनुमति है। नियुक्ति के नियम व शर्तों के अनुरूप निर्धारित राशि की वसूली के अधीन गैर–डयूटी यात्रा की सीमा 1000 किमी. है। आई.टी. नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसरण में कार का उपयोग, यदि गणना की जाए, के लिए परिलब्धियों की मौद्रिक राशि **₹ 0.02 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) होगी।

कम्पनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इसके स्टेक का अधिकांश हिस्सा भारत सरकार द्वारा धारित है। अन्य पीएसयू, राज्य स्वामित्व यूटिलिटीज, रेलवे आदि, जिनका नियंत्रण भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है, के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन है। ऐसी कम्पनी के साथ लेनदेन आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार चालित दरों पर आधारित होता है।

15 क) प्रावधानों का निस्सरण

₹ करोड़ में

निर्णीत हर्जाने	2016-17	2015-16
प्रारंभिक	**2985.71**	2187.81
संयोजन	**1506.04**	1040.71
उपयोग / बट्टे खाते / भुगतान	**-84.69**	-6.58
वापिसी / समायोजन	**-525.22**	-236.23
अंतिम शेष	**3881.84**	2985.71

₹ करोड़ में

संविदात्मक दायित्व	2016-17	2015-16
प्रारंभिक	**5807.13**	5578.78
उधार लागत	**250.70**	278.91
संयोजन	**759.15**	733.87
पीवी समायोजन	**-133.63**	-115.62
उपयोग / बट्टे खाते / भुगतान	**-161.45**	-176.80
वापिसी / समायोजन	**-1288.40**	-513.89
अनुमान एवं दर में परिवर्तन	**-5.53**	21.88
अंतिम शेष	**5227.97**	5807.13

ख. निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचितरूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता नोट–39 की पैरा सं. 2 में दर्शाई गई है।

ग. संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 11 के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित संविदा की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा दर संविदा और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकता है।

16. डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कम्पनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुरूप तुरंत पड़ने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा कमाए गए औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष में खर्च करना जरूरी है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
क.	वर्ष के दौरान खर्च के लिए अपेक्षित राशि	**37.50**	110.10
ख.	पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	**88.98**	62.94
ग.	**कुल (क+ख)**	**126.48**	173.04
घ.	वर्ष के दौरान निम्न पर खर्च की गई राशि:		
	– निर्माण / किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण		
	–उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	**72.58**	84.06
कुल		**72.58**	84.06
अग्रेषित की गई राशि		**53.90**	88.98

क) **31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:**

₹ करोड़ में

विवरण	नगद में	अभी नगद भुगतान करना है	कुल
निर्माण / किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	**26.78**	**10.72**	**37.50**

ख) **31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:**

₹ करोड़ में

विवरण	नगद में	अभी नगद भुगतान करना है	कुल
निर्माण / किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	56.47	53.63	110.10

17. भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण अनुबंधों के अनुसार प्रकटन

क) भारतीय लेखाकरण मानक–11 (भा.ले.मा.–11) निर्माण अनुबंधों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण अनुबंधों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
वर्ष के लिए पहचाना गया अनुबंध राजस्व	**21757.36**	20020.94
वर्ष की समाप्ति पर प्रगतिशील अनुबंधों के संबंध में		
इस तिथि तक उपार्जित लागत और पहचाना गया राजस्व (घटाएं मान्य हानि) की औसत राशि	**280975.13**	278528.82
प्राप्त अग्रिम की राशि	**4447.76**	5883.04
धारणों की राशि (आस्थगित ऋण)	**19099.24**	20185.00
उचित निर्धारण के बाद ग्राहकों से बकाया के संबंध में		
एक परिसम्पत्ति के तौर पर अनुबंध कार्य के लिए ग्राहक से बकाया सकल राशि	**2939.99**	3705.90
एक देयता के तौर पर अनुबंध कार्य के लिए ग्राहक से बकाया सकल राशि	**1169.85**	1569.61

ख) भारतीय लेखा मानक–11 निर्माण अनुबंधों के अनुरूप निर्माण अनुबंधों के संबंध में अनुमानित कुल लागत एवं कुल राजस्व की समीक्षा की जाती है और राजस्व मान्यता के लिए प्रतिशत पूर्णता का निर्धारण करने हेतु चरणबद्ध की जाती है। तथापि, अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए यह अव्यावहारिक है।

18. वित्तीय कारक – लेखाकरण वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन

क. नगदी एवं नगदी समतुल्यों, बैंक शेष, ऋणों, व्यापार प्राप्यों, व्यापार भुगतानों और अन्यों का उचित मूल्य उनके अग्रेषित राशि के लगभग है। व्यापारिक प्राप्तियों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों पर विचार करने के बाद किया जाता है। कम्पनी मूल्यांकन तकनीकों द्वारा वित्तीय घटकों के उचित मूल्य के निर्धारण एवं प्रकटन के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करती है।

लेवल 1 : अभिन्न परिसम्पत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमत (गैरसमायोजित)

लेवल 2 : लेवल 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट जो परिसम्पत्ति या देयता, चाहे प्रत्यक्ष (अर्थात् कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष (कीमतों से व्युत्पन्न) के लिए पहचाने जाते हैं।

लेवल 3 : परिसम्पत्ति या देयता के लिए इनपुट जो विचार योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (गैर विचार योग्य इनपुट)

ख. वित्तीय परिसम्पतियां / देयता वर्गीकरण

₹ करोड़ में

	अग्रेषित राशि		
	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां			
व्यापार प्राप्य	**31863.29**	33557.39	35207.12
नगदी एवं नगदी समतुल्य	**1489.76**	1966.09	2800.01
अन्य बैंक शेष	**9002.03**	8119.90	7011.86
ऋण	**216.92**	242.23	195.21
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**217.14**	158.24	217.06
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश (इक्विटी घटक)	**3.93**	6.67	8.71
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं			
वित्त पट्टा दायित्व	**153.51**	207.87	121.99
व्यापार प्राप्य	**9340.28**	9444.56	9443.13
अन्य वित्तीय देयताएं	**1572.20**	1685.75	1728.43

₹ करोड़ में

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – पुनरावर्ती उचित मूल्य मापन	लेवल 3 अनुक्रम		
	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
गैरउद्धृत वित्तीय घटकों में निवेश	**3.93**	6.67	8.71

ग. उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग की गई मूल्यांकन तकनीक

गैरउद्धृत इक्विटी घटकों का उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है जिसमें निवल परिसम्पत्ति मूल्य प्रति शेयर के आधार पर निवेश की गई कम्पनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल हैं।

एफवीटीपीएल परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैरउद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य मापन का मिलान

₹ करोड़ में

1 अप्रैल 2015 को	8.71
उचित मूल्य में परिवर्तन	-2.04
31 मार्च 2016 को	6.67
उचित मूल्य में परिवर्तन	-2.74
31 मार्च 2017 को	3.93

घ. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

उद्देश्य एवं नीतियां

कम्पनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन व्यवसाय कार्यनीतियों का एक अभिन्न अंग है। कम्पनी अपने वित्तीय साधनों से उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों में संयम में है।

- क्रेडिट जोखिम
- लिक्विडिटी जोखिम
- बाजार जोखिम

यह नोट उपरोक्त प्रत्येक जोखिमों, कम्पनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम के मापन एवं प्रबंधन तथा कम्पनी द्वारा पूंजी प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। आगे मात्रात्मक प्रकटन इन पूरे वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं।

ङ **जोखिम प्रबंधन ढांचा**

बीएचईएल के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर हैं जिसमें जोखिम निर्धारण एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड सदस्यों को जानकारी देने की प्रक्रिया दी गई है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरी कम्पनी में एक ऐसा ढांचागत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्व्यिन करना है जो यह सुनिश्चित करें कि जोखिमों को उचित रूप से पहचाना जा रहा है और उनको प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन और जोखिमों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी शामिल होती है। बीएचईएल में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) है जिसे कम्पनी के जोखिम अभिशासन ढांचे, जोखिम निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन स्थाई समिति (आरएमएससी) पूरी कम्पनी में जोखिम प्रबंधन पहलुओं को भी देखती है। आरएमएससी सदस्य जिसमें कार्यपालक निदेशक/कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली व्यवसाय क्षेत्र से कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं, जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तदायी हैं। प्रभागीय स्तर पर व्यवसाय सैक्टर/क्षेत्र/यूनिट/कार्यप्रणाली पर जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रोफाइल एवं जोखिम निवारण योजना बनाने एवं संबंधित यूनिट/क्षेत्र में उसके कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है। प्रतिस्पर्धा के कारण आर्डर बुक में कमी, अत्यधिक घरेलू विनिर्माण दक्षमता ओर कम व्यापार कल्पनाएं आदि प्रमुख जोखिम हैं जिन्हें ऑफरिंग में विस्तार, विविधीकृत उत्पाद प्रोफाइल और ईपीसी व्यवसाय में विशेष जोर के माध्यम से कम किया जा रहा है।

च. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों पर चूक के जोखिम जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हो, उसे संदर्भित करता है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम विवरण मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से है। बीएचईएल एक परियोजना केन्द्रित संगठन है जिसके विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रचालन हैं। ग्राहक प्रोफाइल लगभग 75 प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों (एसईबी, पीएसयू, रेलवे एवं अन्य सरकारी विभागों) से शामिल है। परियोजनाएं सामान्यतः वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा निधिपोषित हैं या भुगतान लैटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर्ड हैं। निजी क्षेत्रों के संबंध में भुगतान शर्तें मुख्यतः एलसी के माध्यम से हैं। भा.ले.मा. 109 के अंगीकरण के कारण कम्पनी इम्पेयरमेंट हानि या अर्जन के मूल्यांकन के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। अनुमानित क्रेडिट हानियों का प्रकटीकरण अन्यत्र दिया गया है।

(i) क्रेडिट जोखिम के संपर्क में

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि अधिकतम क्रेडिट आशंका को प्रकट करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम आशंका निम्नानुसार थी:

₹ करोड़ में

विवरण	31.मार्च.17	31.मार्च.16	31.मार्च.15
वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग कर हानि भत्ता मापी जाती हैं			
ऋण	**216.92**	242.23	195.21
नगदी एवं नगदी समतुल्य	**1489.76**	1966.09	2800.01
अन्य बैंक शेष	**9002.03**	8119.90	7011.86
अन्य	**217.14**	158.24	217.06
वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग कर हानि भत्ता मापा जाता है			
व्यापार प्राप्य	**31863.29**	33557.39	35207.12

क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण–भूगर्भीय	कुल राजस्व का प्रतिशत	
	2017	**2016**
भारत के भीतर	**97.00%**	95.33%
भारत से बाहर	**3.00%**	4.67%

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए प्रतिपक्ष के प्रचार द्वारा क्रेडिट जोखिम के संपर्क में आने की कम्पनी की आशंका निम्नानुसार है:

नोट	कुल व्यापार प्राप्यों का प्रतिशत	
	2017	**2016**
राज्य विद्युत बोर्ड	**28.11%**	25.85%
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	**45.23%**	46.75%
रेलवे	**1.09%**	1.29%
सरकारी विभाग	**0.49%**	0.28%
निजी पार्टियां	**20.47%**	20.41%
अन्य	**4.61%**	5.42%
	100%	100%

छ. **क्षति हानियाँ**

(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग कर हानि छूट मापी जाती हैं

कम्पनी ने पास ऐसी परिसम्पत्तियां है जहां दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता में काउंटर–पार्टियां है और जहां चूक का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में क्षति के लिए छूट में गतिविधि निम्नानुसार थी:

	₹ करोड़ में
1 अप्रैल 2015 को	**6.57**
इम्पेयरमेंट हानि पहचानी गई/बट्टाकृत/वापिस	0.19
31 मार्च 2016 को शेष	**6.76**
इम्पेयरमेंट हानि पहचानी गई/बट्टाकृत/वापिस	11.28
31 मार्च 2017 को शेष	**18.04**

(ख) इम्पेयरमेंट हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्यों के संबंध में इम्पेयरमेंट के लिए अनुमति में गतिविधि निम्नानुसार थी:

	₹ करोड़ में
1 अप्रैल 2015 को	**4667.78**
इम्पेयरमेंट हानि पहचानी गई/बट्टाकृत/वापिस	1785.26
राशि बट्टाकृत/वापिस	669.12
31 मार्च 2016 को शेष	**5783.92**
इम्पेयरमेंट हानि पहचानी गई/बट्टाकृत/वापिस	1262.32
राशि बट्टाकृत/वापिस	866.37
31 मार्च 2017 को शेष	**6179.87**

कम्पनी इस बात पर विश्वास करती है कि उपरोक्त के अलावा, किसी अन्य परिसम्पत्ति के संबंध में क्षति अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नगदी एवं नगदी समतुल्यों पर क्रेडिट जोखिम सीमित होता है जैसा कि सामान्यतः क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा के तौर पर निवेश किया जाता है।

ज. **नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें कम्पनी अपने वित्तीय दायित्वों, जिन्हें नगदी द्वारा निपटाया जाता है, के साथ जुड़े दायित्वों को पूरा करने में परेशानी महसूस करती है। इन्हें संचालित करने के लिए कंपनी की पहल जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना होता है कि जब भी देय हो, सामान्य या कठिन परिस्थिति दोनों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी का लिक्विडिटी का मूल स्रोत नगदी एवं नगदी समतुल्य, बैंकों के पास शेष और नगदी प्रवाह है जो प्रचालनों से कमाया किया जाता है। कम्पनी के पास कोई बैंक बकाया नहीं है। कम्पनी यह विश्वास करती है कि कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तद्नुसार लिक्विडिटी जोखिम का पता लगाया जाता है।

अनुबंधित नगदी प्रवाह पर आधारित गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

वित्तीय देयताएं	31.03.17 को		31.03.16 को		01.04.2015 को	
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देय	8709.16	631.12	8698.34	746.22	8798.28	644.85
वित्त पट्टा दायित्व	63.96	89.55	81.58	126.29	60.99	61.00
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	510.84	104.71	529.14	123.51	517.16	90.16
अन्य देय / दायित्व						
कैपेक्स बकाया	116.61		134.31		193.49	
कर्मचारी बकाया	187.11		208.37		322.08	
अन्य बकाया	652.93		690.42		605.54	
कुल	**10240.61**	**825.38**	**10342.16**	**996.02**	**10497.54**	**796.01**

झ. **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम हैं जो बाजार कीमतों जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर एवं ब्याज दर परिवर्तन, जो कम्पनी की आय या वित्तीय घटकों की अपनी धारिता के मूल्यों को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल के ईष्टतीकरण के साथ स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम आशंकाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है।

कम्पनी कई लेनदेनों पर विदेशी मुद्रा जोखिम जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा होती है, के संबंध में अनावृत होती हैं क्योंकि विनिमय दर में उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। जोखिम यह होता है कि नगदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य में विनिमय दरों में उतार–चढ़ावं के परिमाणस्वरूप अंतर होगा।

ट. **विदेशी मुद्रा जोखिम विवरणः– रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम में कम्पनी का विवरण निम्नानुसार हैः**

(i) गौंण घटक जो 31.03.2017 को प्रतिरक्षी और बकाया हैं, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

(ii) विदेशी मुद्रा विवरण जो व्युत्पन्न कारक या किसी अन्य द्वारा प्रतिरक्षित नहीं हैं, निम्नानुसार हैं:

31 मार्च 2017

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियां/प्राप्य	करोड़ में	**47.70**	**50.48**	**0.81**	**0.03**	**-**
देयताएं (अग्रिम सहित)		**17.55**	**10.38**	**1.39**	**-**	**-**
		30.15	**40.10**	**(0.58)**	**0.03**	**-**

31 मार्च 2016

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियां/प्राप्य	करोड़ में	49.60	58.22	0.81	0.03	-
देयताएं (अग्रिम सहित)		25.81	18.22	1.36		-
		23.79	40.00	(0.55)	0.03	-

(iii) 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2016 को ₹ में व्यक्त मुद्रा प्रोफाइल निम्नानुसार हैं:

31 मार्च 2017

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियां/प्राप्य	₹ करोड़ में	**3058.67**	**3462.46**	**36.03**	**4.87**	**149.02**
देयताएं (अग्रिम सहित)		**1065.92**	**716.62**	**63.62**		**148.12**
		1,992.75	**2,745.84**	**(27.59)**	**4.87**	**0.90**

31 मार्च 2016

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियां/प्राप्य	₹ करोड़ में	3272.10	4336.11	38.74	5.25	179.83
देयताएं (अग्रिम सहित)		1696.06	1362.25	65.74		121.97
		1,576.04	2,973.86	(27.00)	5.25	57.86

संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को यूएसडी, यूरो, एलवाईडी, ओमान रियाल एवं अन्य की तुलना में नीचे दर्शाए गए अनुसार भारतीय रुपए की मजबूती नीचे वर्णित किए गए अनुसार लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) करेगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर पर आधारित होता है जिससे कम्पनी को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उचित संभवता पर विचार करना होता है। पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर विश्लेषण किया गया है सिवाए इसके कि जहां नीचे दर्शाए गए अनुसार उचित संभव विदेशी विनिमय दर अंतर अलग था।

	लाभ या हानि पर प्रभाव (कर पूर्व)	
प्रभाव ₹ करोड़ में	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2017		
1 प्रतिशत गतिशीलता		
यूएसडी	**19.93**	**(19.93)**
यूरो	**27.46**	**(27.46)**
लिबियन दीनार	**(0.28)**	**0.28**
ओमान रियाल	**0.05**	**(0.05)**
अन्य	**0.01**	**(0.01)**

प्रभाव ₹ करोड़ में	लाभ या हानि पर प्रभाव (कर पूर्व) मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2016		
1 प्रतिशत गतिशीलता		
यूएसडी	15.76	(15.76)
यूरो	29.74	(29.74)
लिबियन दीनार	(0.27)	0.27
ओमान रियाल	0.05	(0.05)
अन्य	0.58	(0.58)

ढ. **पूंजी प्रबंधन**

पूंजी प्रबंधन करते समय कम्पनी का उद्देश्य चालूगत आधार की अपनी नियमित दक्षता को सुरक्षित करना है जिससे यह निरंतर शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए लाभ प्रदान कर सकें।

निदेशक मंडल पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करते हैं जिसे कम्पनी कुल शेयरधारक इक्विटी द्वारा विभाजित कर परिचालनों कार्यकलाप से परिणाम के तौर पर परिभाषित करती है। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं।

कम्पनी का पूंजी पर रिटर्न 31.03.2016 को –2.21 प्रतिशत की तुलना में 31.03.2017 को 1.54 प्रतिशत है।

कम्पनी सामान्यतः उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए गए वित्तीय अनुपात के आधार पर लघु अवधि परिदृश्य एवं दीर्घ अवधि परिदृश्य का प्रयोग कर पूंजी की निगरानी करती है। कम्पनी बाह्य रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं होती है। कम्पनी की पूंजी संरचना का प्रबंधन मजबूत क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए अपेक्षित विभिन्न वित्तीय अनुपात के अधीन होता है।

19. कम्पनी द्वारा 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान नगदी धारित एवं लेनदेन का विवरण नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग नोट	कुल
08.11.2016 को स्वयं के पास शेष नगदी	0.30	0.11	**0.41**
(+) स्वीकार्य प्राप्तियां	-	21.49	21.49
(–) स्वीकार्य भुगतान	-	17.89	17.89
(–) बैंकों में जमा की गई राशि	0.30	3.41	3.71
30.12.2016 को स्वयं के पास शेष नगदी	-	0.30	**0.30**

20. लाभांश

क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लाभांश घोषित और भुगतान किए गए:

₹ करोड़ में

	2016-17	2015-16
₹ 0.40 का अंतिम लाभांश (गत वर्ष रु. 0.62) प्रति योग्य इक्विटी शेयर	**97.90**	151.75
₹ 0.80 का अंतरिम लाभांश (गत वर्ष रु. शून्य) प्रति योग्य इक्विटी शेयर	**195.81**	0

उपरोक्त अंतिम लाभांश आकडें में लाभांश पर कर **₹ 19.93 करोड़** (गत वर्ष ₹ 30.89 करोड़) शामिल नहीं है

उपरोक्त अंतरिम लाभांश आकड़ें में लाभांश पर कर **₹ 39.86 करोड़** (गत वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल नहीं है

ख) कम्पनी ने वर्ष 2016–17 के लिए लाभ में से ₹ 489.52 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी पर अंतिम लाभांश /39 प्रतिशत (₹ 0.78 प्रति शेयर, जिसकी राशि ₹ 190.91 करोड़ है) का प्रस्ताव किया है कॉर्पोरेट लाभांश कर (₹ 38.87 करोड़) के साथ लाभांश (₹ 190.91 करोड़) के कारण कुल अदायगी ₹ 229.78 करोड़ होगी।

ग) निदेशक मंडल ने 29.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण 2016–17 जारी करना अधिकृत किया है।

21. सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, कम्पनी द्वारा दिए गए ऋण के तौर पर ऋणों एवं अग्रिमों का अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है:

i) सहायक कंपनियों के संबंध में

₹ करोड़ में

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि.	2016-17	2015-16
बकाया ऋणों के तौर पर ऋण एवं अग्रिम	**3.00**	3.00
वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के तौर पर ऋणों एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि	**3.00**	3.00

ii) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को ऋणों के अलावा) नहीं दिया गया है जिसके कारण कोई पुनः भुगतान समय–सारणी या सात वर्षों से परे पुर्नभुगतान नही है।

ii) फर्म / कंपनियां, जिसमें निदेशक इच्छुक हैं, को ऋणों के तौर पर कोई भी ऋण एवं अग्रिम नहीं है।

22. परिसम्पत्तियां एवं देयताएं परिचालन चक्र के रूप में 12 माह अवधि पर विचार करते हुए चालू एवं गैर–चालू के बीच वर्गीकृत की जाती हैं।

23. 1 जनवरी, 2017 से देय मजदूरी / वेतन ढांचें के लिए समझौते के लंबित अंतिम रूप को देखते हुए तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) सिफारिशों के अनुसार अनुमानों के आधार पर वित्त वर्ष 2016–17 में **₹ 961 करोड़** (₹ 674 करोड़ की ग्रेच्युटी एवं छुट्टी देयता के खाते पर एक बार समेकित प्रभाव सहित) का प्रावधान किया गया है।

24. वर्ष की समाप्ति पर बीएचईएल में लागू उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) दीर्घ अवधि प्रावधानों के उचित मूल्य एवं वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए तय की गई है।

25. विभिन्न कारणों जैसे पर्यावरण क्लीयरेंस, फ्यूल लिंकेज, भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक आपदा, सामरिक कारणों आदि से बीएचईएल द्वारा रोके गए के कारण रूकी हुई 27 परियोजनाओं के संबंध में कुल बकाया ऋण ₹ 2119 करोड़ है। इन परियोजनाओं में ₹ 777 करोड़ की एफजी / डब्ल्यूआईपी भी पड़ी हुई है। इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुरूप इन परियोजनाओं के अंतर्गत 31.03.2017 तक बकाया ऋण के लिए ₹ 1618 करोड़ का प्रावधान और ₹ 180 करोड़ की मालसूची उपलब्ध कराई गई है।

26. जहां कहीं आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

27. अन्य सूचना

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ in Crore)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
एचईपी, भोपाल			
स्विचगियर, कन्ट्रोल गियर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर्स			
स्विचगियर – 11 के. वी. से 220 के. वी. उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स	221.86	0.92	0.00
	(144.02)	(1.98)	(0.92)
कंट्रोल पैनल	39.96	0.23	0.01
	(31.26)	(0.28)	(0.23)
औद्योगिक कंट्रोल गियर	5.91	0.00	0.00
	(4.54)	(0.01)	(0.00)
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल गियर	146.55	0.00	0.00
	(122.78)	(2.43)	(0.00)
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रेक्टीफ़ायर	68.16	0.11	0.00
	(64.15)	(0.31)	(0.11)
कैपेसिटर्स	21.51	3.32	2.06
	(18.79)	(1.76)	(3.33)
बुशिंग्स	35.27	0.41	0.39
	(20.98)	(0.93)	(0.41)
ट्रांसफॉर्मर्स			
पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर्स 400 के. वी. तक	784.36	30.86	79.45
	(748.40)	(21.82)	(30.86)
इंस्ट्रुमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफ़ॉर्मर्स तथा रिएक्टर्स	29.06	4.98	2.80
	(12.69)	(1.68)	(4.98)
औद्योगिक एवं ट्रैक्शन मशीनें			
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली, मुख्य / सहायक जेनरेटरों के लिए ट्रैक्शन मोटरें	503.99	8.52	0.56
	(503.25)	(4.02)	(8.52)
औद्योगिक मशीनें, 1000 एच. पी तक की एसी मोटर, सभी प्रकार की डीसी मोटर तथा जेनरेटर	178.69	29.61	16.20
	(154.92)	(21.65)	(29.61)
हेवी रोटेटिंग प्लांट तथा टर्बाइन			
1000 एचपी से अधिक बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीनें	245.31	33.81	21.80
	(204.71)	(11.25)	(33.81)
वाटर व्हील एलटरनेटर्स तथा वाटर टर्बाइन और मिनी माइक्रो टर्बाइन एवं जेनरेटर	811.92	22.03	18.87
	287.38	8.76	6.44
	(648.19)	(64.74)	(22.04)
	(360.13)	(71.17)	(8.76)
टर्बो एल्टरनेटर्स एवं स्टीम टबाईन	427.13	20.83	1.88
	(492.11)	(12.55)	(20.83)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
हीट एक्सचेंजर्स	93.65	12.29	3.14
	(236.68)	(8.11)	(12.29)
अन्य	78.61	0.04	0.00
	(70.19)	(4.96)	(0.00)
	3979.32	**176.72**	**153.60**
	(3837.79)	(229.65)	(176.72)
टीपी, झांसी			
पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स एवं विशेष ट्रांसफ़ॉर्मर्स	481.54	0.00	0.00
	(354.66)	(13.32)	(0.00)
ईएसपी ट्रांसफार्मर	59.58	0.00	0.00
	(65.45)	(0.00)	(0.00)
एसीईएमयू ट्रांसफार्मर	-6.90	0.00	0.00
	(15.74)	(0.00)	(0.00)
फ्रेट लोको ट्रांसफार्मर	92.81	0.00	1.24
	(90.59)	(0.30)	(0.00)
इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर्स	18.61	0.00	0.00
	(13.69)	(0.00)	(0.00)
बस डक्ट	0.02	0.00	0.00
	-(0.20)	(0.00)	(0.00)
ड्राई टाइप ट्रांसफ़ॉर्मर्स	41.12	0.00	0.00
	(23.42)	(0.00)	(0.00)
डीज़ल शंटर्स	36.72	0.00	0.00
	(30.51)	(12.03)	(0.00)
अन्य / विविध	25.49	0.00	0.00
	(4.19)	(0.00)	(0.00)
	748.99	**0.00**	**1.24**
	(598.06)	(25.64)	(0.00)
एचईईपी, हरिद्वार			
इलेक्ट्रिकल मशीनें	0.00	0.10	0.10
	(0.00)	(0.12)	(0.10)
औद्योगिक कंट्रोल पैनल		0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
टर्बो सेट			
टर्बाइन मॉड्यूल्स, टर्बोजनरेटर मॉड्यूल्स	2003.55	274.97	240.71
	(2435.56)	(285.16)	(274.97)
हाइड्रो सेट	0.00	0.00	0.00
	(0.16)	(0.00)	(0.00)
सुपर रेपिड गन माउंट	103.87	0.00	4.72
	(43.97)	(0.00)	(0.00)
गैस टर्बाइन	0.00	0.00	0.00
	(2.78)	(0.00)	(0.00)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
अन्य	914.37	40.69	61.27
	(772.38)	(37.37)	(40.69)
	3021.79	**315.76**	**306.80**
	(3254.84)	(322.65)	(315.76)
एचपीबीपी, त्रिचि			
बॉयलर	6425.87	561.84	433.94
	(5206.96)	(582.66)	(561.84)
वॉल्व्स	585.36	62.80	38.21
	(716.34)	(59.41)	(62.80)
एटीपी	176.68	0.08	0.00
	(40.60)	(0.00)	0.08
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय	9.99	0.00	0.00
	(8.12)	(0.00)	(0.00)
सीमलेस स्टील ट्यूब	1.43	1.52	16.82
	(4.44)	(9.49)	(1.52)
	7199.33	**626.24**	**488.97**
	(5976.46)	(651.56)	(626.24)
बीएपी, रानीपेट			
बॉयलर ऑग्ज़ियलरी	1870.48	282.99	207.84
	(1424.89)	(307.08)	(282.99)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय	9.12	0.00	0.00
	(3.59)	(0.00)	(0.00)
बाह्य इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं से आय	2.67	0.00	0.00
	(3.59)	(0.00)	(0.00)
	1882.27	**282.99**	**207.84**
	(1432.07)	(307.08)	(282.99)
एचपीईपी, हैदराबाद			
यूटिलिटी सेट (60 मेगावाट)	384.54	37.64	3.66
	(186.26)	(40.56)	(37.64)
लघु तथा मध्यम सेट्स	223.02	6.53	6.53
	(156.39)	(15.45)	(6.53)
पम्प तथा हीटर	925.12	16.89	15.15
	(774.56)	(34.58)	(16.89)
कम्प्रेसर	118.66	3.46	3.46
	(245.08)	(3.46)	(3.46)
गैस टर्बाइन	720.44	9.50	9.50
	(368.23)	(9.50)	(9.50)
बॉउल मिल्स	453.15		
	(526.92)	(4.44)	(0.00)
इरेक्शन आय	0.00	0.00	0.00
	(38.19)	(0.00)	(0.00)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
ब्रेकर्स	9.78	0.00	0.00
	(6.79)	(0.00)	(0.00)
ऑयल रिग्स	20.73	0.00	0.00
	(133.56)	(0.00)	(0.00)
अन्य (सेवाएं)	33.47		
	2888.91	**74.02**	**38.30**
	(2435.99)	(107.99)	(74.02)
आईएसजी, बैंगलुरू			
अन्य सेवाएं	917.34	0.00	0.00
	(804.33)	(0.00)	(0.00)
	917.34	**0.00**	**0.00**
	(804.33)	(0.00)	(0.00)
ईडीएन, बैंगलुरू			
पावर उपकरण	0.04	0.39	0.39
	(0.82)	(0.39)	(0.39)
फ़ोटोवोल्टेइक्स	687.33	0.23	4.27
	(424.71)	(13.81)	(0.23)
नियंत्रक उपकरण	1022.24	30.84	17.53
	(955.06)	(10.93)	(30.84)
सिमुलेटर्स (डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स)	38.71	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	1748.32	**31.46**	**22.19**
	(1380.59)	(25.13)	(31.46)
ईपीडी, बैंगलूरू			
इंसुलेटर्स तथा बुशिंग	96.96	15.44	8.89
	(83.31)	(9.21)	(15.44)
सेरालिन	42.12	7.91	3.17
	(39.13)	(4.56)	(7.91)
कंट्रोल पैनल	85.44	5.17	2.22
	(28.85)	(2.95)	(5.17)
एसपीवी	11.85	0.00	5.86
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय	0.24	0.00	0.00
	(0.25)	(0.00)	(0.00)
	236.61	**28.52**	**20.14**
	(151.53)	(16.72)	(28.52)
पॉवर ग्रुप			
इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं एवं स्पेयर्स से आय	4748.97	-53.75	-7.06
	(5011.72)	-(5.59)	-(53.75)
	4748.97	**-53.75**	**-7.06**
	(5011.72)	-(5.59)	-(53.75)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
आईपी, जगदीशपुर			
इंसुलेटर्स	88.58	20.22	13.04
	(60.88)	(14.27)	(20.22)
सेरालिन	18.81	5.17	0.18
	(28.01)	(2.70)	(5.17)
	107.39	**25.39**	**13.22**
	(88.89)	(16.97)	(25.39)
आईवीपी, गोइंदवाल			
औद्योगिक वाल्व	0.51	14.76	12.06
	(0.00)	(9.17)	(14.76)
वॉल ब्लोअर्स	2.00	0.17	0.09
	(0.00)	(0.06)	(0.17)
गिरडर पिन कनैक्शन	2.11	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ईंधन पाइप कपलिंग	0.06	0.00	0.30
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
पाइप कॉलर	0.03	0.00	0.03
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	4.71	**14.93**	**12.48**
	(0.00)	(9.23)	(14.93)
सीएफ़पी, रुद्रपुर			
बसडक्ट प्रोजेक्ट	133.92	12.14	2.71
	(136.74)	(15.41)	(12.14)
सोलर रूफ टॉप एवं पम्प	3.62	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	137.54	**12.14**	**2.71**
	(136.74)	(15.41)	(12.14)
एचईआरपी, वाराणसी			
बॉयलर/टर्बाइन तथा ऑग्जियलरी के लिए स्पेयर्स एवं मरम्मत	173.69	4.55	2.60
	(125.12)	(2.91)	(4.55)
	173.69	**4.55**	**2.60**
	(125.12)	(2.91)	(4.55)
ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह			
अतिरिक्त स्पेयर्स (सेवाओं सहित)	591.42	2.49	3.33
	(488.93)	(5.84)	(2.49)
	591.42	**2.49**	**3.33**
	(488.93)	(5.84)	(2.49)
ईएमआरपी, मुम्बई			
मरम्मत तथा परियोजना कार्य	13.30	0.06	0.06
	(23.44)	(0.07)	(0.06)
	13.30	**0.06**	**0.06**
	(23.44)	(0.07)	(0.06)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
एफपी, जगदीशपुर			
फैब्रिकेटेड आइटम	54.33	0.00	0.60
	(38.62)	(0.00)	(0.00)
	54.33	**0.00**	**0.60**
	(38.62)	(0.00)	(0.00)
सीएसयू, जगदीशपुर			
सेम्पलिंग	0.00	0.00	0.23
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	0.00	**0.00**	**0.23**
	(0.00)	(0.00)	(0.00)
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन			
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)	61.82	0.00	0.00
	(20.54)	-(0.10)	(0.00)
	61.82	**0.00**	**0.00**
	(20.54)	-(0.10)	(0.00)
उद्योग क्षेत्र			
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)	7.70	-0.12	-0.24
	-(17.68)	-(2.11)	-(0.12)
	7.70	**-0.12**	**-0.24**
	-(17.68)	-(2.11)	-(0.12)
पीई एंड एसडी			
औद्योगिक सेट	0.95	0.00	0.00
	(1.21)	(0.00)	(0.00)
गैस टर्बाइन	2.66	0.00	0.00
	(2.73)	(0.00)	(0.00)
थर्मल सेट	230.80	0.00	0.64
	(111.64)	(0.00)	(0.00)
कम्प्रेशर्स	7.61	0.00	0.00
	(2.55)	(0.00)	(0.00)
	242.02	**0.00**	**0.64**
	(118.13)	(0.00)	(0.00)
आरएमएसजी			
डीजी सेट्स एवं इरेक्शन सेवाएं	131.85	0.00	0.00
	(132.50)	(0.00)	(0.00)
	131.85	**0.00**	**0.00**
	(132.50)	(0.00)	(0.00)
एचपीवीपी			
बायलर्स	24.51	26.41	25.28
	(28.55)	(14.05)	(26.41)

उत्पाद	वर्ष 2016–17 के दौरान बिक्री	01.04.2016 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक	31.03.2017 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक
क्रायोजेनिक्स			
	0.00	0.00	0.00
	(26.77)	(0.00)	(0.00)
अन्य	6.50	0.00	0.00
	(4.41)	(0.00)	(0.00)
	31.01	**26.41**	**25.28**
	(59.73)	(14.05)	(26.41)
सीएफएफपी, हरिद्वार			
स्टील कास्टिंग	14.04	0.00	0.97
	(3.14)	(0.00)	(0.00)
एनएफ कास्टिंग्स	0.03	0.00	0.00
	(0.05)	(0.00)	(0.00)
स्टील फोर्जिंग : मध्यम	0.93	0.74	0.00
	(12.54)	(0.63)	(0.74)
स्टील फोर्जिंग :भारी	0.00	0.00	0.00
	(2.38)	(0.00)	(0.00)
	15.00	**0.74**	**0.97**
	(18.10)	(0.63)	(0.74)
अन्य	**-7.98**	**0.00**	0.00
	-(16.82)	(0.00)	(0.00)
उचित मूल्य समायोजन	**-95.22**		
	-(49.53)		
	28840.42	**1568.55**	**1293.90**
	(26050.07)	(1743.74)	(1568.55)

ख. आयात का मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
सीआईएफ आधार		
कच्चा माल	**900.98**	1727.42
कम्पोनेंट तथा स्पेयर पार्ट	**2130.31**	2240.63
पूंजीगत माल	**152.65**	40.49

ग. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2016-17	2015-16
i)	रॉयल्टी	**102.81**	88.07
ii)	तकनीकी जानकारी	**3.90**	9.93
iii)	व्यावसायिक परामर्श शुल्क	**8.72**	14.82
iv)	ब्याज तथा अन्य (विदेशी परियोजना स्थलों सहित)	**35.88**	72.08
v)	लाभांश@		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**8124**	7051
	ख) धारित शेयरो की संख्या	**363057067**	387021028
	ग) लाभांश की सकल राशि	**14.52**	24.00
	घ) जिस वर्ष से लाभांश संबंधित है	**2015-16 (अंतिम लाभांश)**	2014-15 (अंतिम लाभांश)
	अंतरिम लाभांश@		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**8314**	0.00
	ख) धारित शेयरो की संख्या	**382818549**	0.00
	ग) लाभांश की सकल राशि	**30.63**	0.00
	घ) जिस वर्ष से लाभांश संबंधित है	**2016-17 (अंतरिम लाभांश)**	2015-16 (अंतरिम लाभांश)

@ कम्पनी ने लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। बैंकरों/अप्रवासी शेयरधारकों के पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारकों को भुगतान कर दिया गया है और इसलिए विदेशी मुद्रा में उनको भुगतान किये गए लाभांश की वास्तविक राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

घ. **कच्चे माल, कम्पोनेंट्स, भंडार एवं स्पेयर पार्ट की खपत का मूल्य**

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
i) # आयातित (सीमा शुल्क सहित)	**4091.19**	4017.42
ii) घरेलू	**9437.22**	9406.68
iii) कुल खपत का प्रतिशत		
आयातित	**30**	30
घरेलू	**70**	70

ङ **विदेशी विनिमय में आय**

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
माल का निर्यात (एफओबी आधार)	**292.52**	286.63
ब्याज	**0.00**	1.54
संस्थापन एवं अन्य सेवाएं	**64.55**	60.85
विविध	**0.00**	3.22
मानित निर्यात पर विदेशी विनिमय (घरेलू संविदाओं और एसईजेड निर्यात सहित)	**2132.48**	3297.61

सारणीबद्ध, जहां कहीं भी अभिलिखित हैं, शामिल की गई हैं

च. **उपभोग की गई कच्ची सामग्री एवं कम्पोनेंट्स का विवरण**

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
सामग्री का समूह		
फैरस सामग्री	**2021.85**	2311.13
नॉन–फैरस सामग्री	**277.64**	296.60
इंसुलेटिंग सामग्री	**142.81**	159.08
इंसुलेटेड केबल्स एवं मैग्नेट वायर	**57.33**	33.14
कम्पोनेंट्स	**5955.69**	5547.26
अन्य	**4647.49**	4654.65
	13102.81	13001.86

28. परिचालन खण्ड

खंडों की पहचान संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डरों के आधार पर 'पावर' और 'उद्योग' के तौर पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन समूह द्वारा बुक किए गए आर्डरों को यथास्थिति पावर अथवा उद्योग, जैसा भी मामला हो, में शामिल किया जाता है।

कम्पनी के कार्यकारी निदेशकों की समिति की पहचान मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के तौर पर की गई है।

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खण्ड परिणाम**						
क.	खण्ड राजस्व	**22794.78**	**6045.64**	**28840.42**	20222.74	5827.33	26050.07
ख.	परिचालन राजस्व– बाहरी	**22794.78**	**6045.64**	**28840.42**	20222.74	5827.33	26050.07
II.	**खण्ड राजस्व**						
क.	खण्ड परिणाम	**2534.58**	**244.15**	**2778.73**	129.74	-194.95	-65.21
ख.	अनाबंटित व्यय (आय को छोड़कर)			**1800.29**			739.48
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क)–(ख)			**978.44**			-804.69
घ.	वित्त लागत (ब्याज की अनविंडिंग सहित)			**350.61**			359.48
ङ	आयकर पूर्व निवल लाभ (ग)–(घ)			**627.83**			-1164.17
च.	आयकर			**131.97**			-454.57
छ.	आयकर पश्चात निवल लाभ			**495.86**			-709.60
III	**परिसम्पत्तियां एवं देयताएं**						
क.	खण्ड परिसम्पत्तियां	**37602.38**	**9188.25**	**46790.63**	42020.25	9482.82	51503.07
ख.	सामान्य परिसम्पत्तियां			**14439.57**			13659.87
ग.	कुल परिसम्पत्तियां			**61230.20**			65162.94
घ.	खण्ड देयताएं	**23250.32**	**5480.91**	**28731.23**	25973.19	5806.40	31779.59
ङ	सामान्य देयताएं			**204.53**			1202.27
च.	कुल देयताएं			**28935.76**			32981.86
IV	**अन्य जानकारी**						
क.	पूंजी व्यय	**76.70**	**201.27**		347.33	117.53	
ख.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**657.83**	**142.15**		697.25	177.04	
ग.	गैर–नगद व्यय (मूल्यह्रास एवं परिशोधन को छोड़कर)	**455.17**	**202.28**		1781.49	506.04	

भौगोलिक खण्ड

		भारत में	भारत से बाहर	कुल	भारत में	भारत से बाहर	कुल
1	निवल बिक्री/परिचालनों से आय	**27974.43**	**865.99**	**28840.42**	24834.06	1216.01	26050.07
2	गैर–चालू परिसम्पत्तियां (पीपीई एवं अमूर्त परिसम्पत्तियां)	**3758.37**	**5.85**	**3764.22**	4274.12	6.24	4280.36
3	पूंजी व्यय	**329.48**	**2.98**	**332.46**	555.71	0.35	556.06

मुख्य ग्राहक – बीएचईएल के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक एक ग्राहक से राजस्व का विवरण

	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
पीएसयू	**7050.71**	**1916.08**	**8966.79**	6715.22	988.37	7703.59
रेलवे	**0.00**	**987.29**	**987.29**	0.00	793.11	793.11

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** (जिसे यहां "होल्डिंग कंपनी" कहा जाएगा) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा जाएगा) तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों के दिए गए इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2017 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि का ब्यौरा (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त हुए वर्ष में समेकित नकदी प्रवाह का ब्यौरा एवं इक्विटी में परिवर्तनों का ब्यौरा तथा लेखा नीतियां एवं अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे "समग्र वित्तीय ब्यौरा" कहा जाएगा) शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 (जिसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की आवश्यकताओं के अनुरुप इन समग्र वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 समेत भारत में सामान्य रुप से प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुरुप समूह और उसके संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयों की सकल वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित) एवं समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष विवरण देते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। समूह में शामिल सहयोगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे समूह की कंपनियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं रोकने एवं पता लगाने, उचित लेखा नीतियां चुनने एवं लागू करने, तर्कसंगत एवं दूरदर्शी निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने एवं बनाए रखने के लिए अधिनियम के उन प्रावधानों के अनुरुप पर्याप्त लेखा मानक तैयार रखें, जो लेखा रिकॉर्ड की सत्यता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से काम कर रहे थे, सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले वित्तीय ब्यौरे तैयार करने एवं प्रदर्शित करने के लिए प्रासंगिक थे और धोखाधड़ी एवं त्रुटि के कारण होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त थे तथा होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय ब्योरे तैयार करने के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी जांच के आधार पर इन इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में विचार प्रकट करना है।

ऑडिट करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, ऑडिटिंग मानकों तथा उन मसलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने चाहिए।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार जांच की है। इन मानकों का कहना है कि हम नैतिक आवश्यकताएं पूरी करें और ऑडिट की योजना तथा क्रियान्वयन इस प्रकार करें कि सकल वित्तीय ब्योरे में गड़बड़ी न होने का आवश्वासन मिले।

ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों एवं खुलासों के बारे में ऑडिट प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रक्रिया का चयन ऑडिटर के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें सकल वित्तीय विवरणों में जोखिम एवं गड़बड़ी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, का आकलन शामिल है। जोखिम का आकलन करते समय ऑडिटर समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में होल्डिंग कंपनी के लिए प्रासंगिक रहे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट प्रमाण एवं अन्य ऑडिटरों की रिपोर्ट में दिए गए प्रमाण, जो नीचे अन्य सामग्री के उप अनुच्छेद (ii) में प्रस्तुत हैं, सकल वित्तीय विवरणों पर हमारे ऑडिट विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारे विचार में और हमारी जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए विवरण के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय ब्योरे में अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत किया गया है और भारत में सामान्य रुप से प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुरुप 31 मार्च, 2017 को समूह एवं इसके संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयों की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष में उनके अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी में परिवर्तन सहित समेकित लाभ एवं सकल नकदी प्रवाह की सही और उचित जानकारी दी गई।

अन्य मामले

(क) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की तुलनात्मक समेकित वित्तीय जानकारी और 1 अप्रैल, 2015 को पारगमन तिथि प्रारंभिक शेष कम्पनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार पूर्व में जारी सांविधिक समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं और इन्हें पूर्वाधिकारी लेखापरीक्षकों/हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है तथा क्रमशः 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

उनकी रिपोर्ट दिनांक 27 मई 2016 एवं 26 मई, 2016 में इन समेकित वित्तीय विवरणों में गैरसंशोधित राय प्रकट की गई है तथा इसे इंड एएस पारगमन तिथि को कम्पनी द्वारा अपनाये गए लेखाकरण सिद्धांत में अंतर को समायोजित किया गया है जिसकी लेखापरीक्षा हमने की है।

(ख) हमने एक सहायक कंपनी जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को ₹ 26.57 करोड़ की कुल परिसम्पत्तियां, ₹. 32.30 करोड़ का कुल राजस्व और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.56 करोड़ का कुल नगदी प्रवाह दिखा रहे हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों की जांच अन्य ऑडिटरों ने की है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की और समेकित वित्तीय विवरणों में इन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों के बारे में बताई गई राशियों तथा प्रकटन के बारे में हमारे विचार एवं अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अंतर्गत उन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों के बारे में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह अन्य ऑडिटरों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ग) हमने संयुक्त नियंत्रण वाली तीन इकाइयों के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में इन तीन संयुक्त नियंत्रण वाली इकाईयों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 44.92 करोड़ के निवल हानि में समूह का हिस्सा शामिल है। इन वित्तीय विवरणों को ऑडिट कराए बिना ही प्रबंधन ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त नियंत्रण वाली इन कंपनियों से संबंधित राशियों तथा खुलासों के बारे में हमारे विचार एवं अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अंतर्गत उन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों के बारे में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह बिना ऑडिट किए विवरणों पर आधारित है। हमारे विचार में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं विवरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार तथा अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में अन्य ऑडिटरों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर निर्भरता के कारण कोई संशोधन नहीं किया गया है।

बीएचईएल के संयुक्त उद्यम पावर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स लिमिटेड के लेखों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त कंपनी समाप्त की जा रही है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि उपलब्ध कराई गई है। लातूर पावर कंपनी लिमिटेड के लेखों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त कंपनी परिसमाप्त की जा रही है तथापि इक्विटी निवेश की पूरी राशि उपलब्ध करा दी गई है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार जहां तक लागू हो, हमारी रिपोर्ट है कि :

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं, जो हमारे विचार और जानकारी के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की जांच के उद्देश्य से आवश्यक हैं।

(ख) हमारे विचार में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के कानून द्वारा आवश्यक उचित बही–खाते अभी तक संभालकर रखे गए हैं, जैसा उन बहियों की जांच तथा दूसरे ऑडिटरों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के सकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा नकदी प्रवाह के समेकित विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे विचार से उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुरुप हैं।

(ड़) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, धारा 164 (2) कंपनी अधिनियम, 2013 जो इस बारे में है कि कोई निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है या नहीं, 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) को देखते हुए कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और इस तरह के नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के साथ, हमारी अलग से प्रस्तुत रिपोर्ट "अनुबंध–क" का संदर्भ लें।

(छ) कंपनी (ऑडिट एवं ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरुप ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के बारे में हमारे विचार एवं जानकारी हमें दिए गए विवरण के अनुसार हैं:

(i) समेकित वित्तीय विवरण समूह एवं संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयों की सकल वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन करते हैं – सकल वित्तीय विवरणों के नोट 40(2) देखें।

(ii) दीर्घकालिक अनुबंधों में यदि कोई अनुमानित हानि है तो उसके लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में संबंधित कानून अथवा भारतीय लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान कर दिए गए हैं – इन मदों के संदर्भ में सकल वित्तीय विवरणों का नोट 40(18) देखें चूंकि यह समूह तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित हैं।

(iii) होल्डिंग कंपनी तथा भारत में बनी उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा कोष में जहां भी रकम

हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी, वहां हस्तांतरण में विलंब नहीं किया गया।

(iv) समूह ने 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारित के साथ ही विनिर्दिष्ट बैंक नोट के तौर पर वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के उत्तर के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि प्रकटन कम्पनी द्वारा तैयार की गई लेखा बहियों के आधार पर हैं और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं – इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट 40(20) देखें।

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन-002263एन	**एफआरएन-006791एन**	**एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता)	**(सीए संजय जैन)**	**(सीए सीता राम सोनी)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सख्या 016020	सदस्यता सख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित विवरण का हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन में हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाता है) की उस तारीख के रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है। हमने एक सहायक और चार संयुक्त नियंत्रण के अधीन कम्पनियों की लेखापरीक्षा नहीं की। इनमें से एक सहायक और एक संयुक्त नियंत्रण के अधीन कम्पनी की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षा द्वारा की गई और अन्य तीन संयुक्त नियंत्रण कम्पनियां अनंकेक्षित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कम्पनी का संबंधित निदेशक बोर्ड भारत में निगमित सहायक कम्पनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों में कंपनी के प्रबंधन की स्थापना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में कहा गया है, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं–डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय का संचालन सही और प्रभावी ढंग से किया जा रहा था, जिसके अन्तर्गत कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम, धोखाधड़ी और त्रुटियाँ, लेखा अभिलेखों की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी संबंधी कार्य दक्षतापूर्वक किए जा रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना ऑडिट लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (''गाइडेंस नोट'') पर ऑडिट के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो भारत की चार्टड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गई हों।

उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है। हमारी लेखापरीक्षा में हम उन प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं जो पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हैं।

हमारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिर्पोटिंग को नियंत्रित करती है, जिसमे वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो ऑडिट साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नीचे दी गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाइन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, उचित विस्तार, यथार्थ

और निश्पक्ष रूप से कंपनी की संपत्ति के स्वभाव को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कहा कि प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3) के बारे में उचित आश्वासन रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की संपत्ति के स्वभाव के समय का पता लगाने, जो वित्तीय बयान पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण हैं, जिनमें पता न लगाए जा सकने वाले, धोखाधड़ी होने पर या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष मिथ्या, गठजोड़ या नियंत्रण का ओवरराइड अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य की अवधि लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती हैं।

राय

हमारी राय में होल्डिंग, कंपनी, इसकी एक सहायक कम्पनी और चार संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों जो भारत में निगमित है, में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और सभी प्रत्यक्ष मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2017 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में कहे आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित मानदंड वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्टों का एक सहायक कम्पनी और चार संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों जो भारत में निगमित हैं, से जहाँ तक संबंध है, ये भारत में निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी तथा एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक की संगत रिपोर्ट और भारत में निगमित अन्य तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के प्रबंधन प्रमाण–पत्र पर आधारित हैं।

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंट	चार्टर्ड एकाउटेंट	चार्टर्ड एकाउटेंट
एफआरएन-002263एन	एफआरएन-006791एन	एफआरएन-004651सी
(सीए वाई के गुप्ता)	(सीए संजय जैन)	(सीए सीता राम सोनी)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सख्या 016020	सदस्यता सख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

गोपनीय

No./MAB-III/Rep./26-06/CFS-BHEL /2017-18/ 449

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

Indian Audit & Accounts Department

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक/Dated: 13/7/2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय: 31मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिय भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के Consolidated Financial Statements (CFS) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मै भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements (CFS) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

रितिका

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

संलग्न: यथोपरि

छठा एवंसातवाँ तल, ऐनैक्सीबिल्डिंग, 10,बहादुरशाहज़फ़रमार्ग,नईदिल्ली- 110002
6th& 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 23239227, FAX: 23239211 e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with Section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with Section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) read with Section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2017. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure I for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(b) of the Act are not applicable to BHEL-GE Gas Turbine Services Limited, being private entity for appointment of their statutory auditor nor for conduct of supplementary audit. Accordingly, C&AG has neither appointed the statutory auditor nor conducted the supplementary audit of the company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board – III,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 13 July 2017

ANNEXURE I

List of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities whose financial statements were not audited by the Comptroller and Auditor General of India

A. Subsidiaries Companies

1. BHEL Electrical Machines Limited

B. Joint Ventures Companies

1. NTPC-BHEL Power Projects Private Limited
2. Dada Dhuniwale Khandwa Power Limited
3. Raichur Power Corporation Limited

समेकित तुलन पत्र

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़े	
I. परिसम्पत्तियां							
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां							
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2 (क)		**3496.43**		3831.35		3987.02
(ख) कार्यशील पूंजी	2 (ख)		**159.51**		309.46		501.99
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां	3 (क)		**104.76**		137.36		158.30
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	3 (ख)		**8.83**		8.38		17.30
(ङ) इक्विटी पद्धति उपयोग हेतु हिसाब में लिया गया निवेश	4		**753.20**		789.75		537.27
(च) वित्तीय परिसम्पत्तियां							
(i) निवेश	4 (क)	**3.93**		6.67		8.71	
(ii) व्यापार प्राप्य	5	**9789.14**		11128.22		11240.02	
(iii) ऋण	6	**78.04**		65.62		104.26	
(iv) अन्य	7	**0.16**	**9871.27**	0.62	11201.13	2.15	11355.14
(छ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	8		**3846.19**		3662.72		2816.08
(ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	9		**203.30**		240.40		528.49
			18443.49		20180.55		19901.59
(2) चालू परिसम्पत्तियां							
(क) मालसूचियां	10		**7379.67**		9608.44		10108.77
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	11	**22077.58**		22438.89		23970.19	
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	12	**1490.79**		1966.10		2800.02	
(iii) उपरोक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	13	**9002.76**		8121.10		7012.14	
(iv) ऋण	14	**135.78**		173.81		91.22	
(v) अन्य	15	**219.02**	**32925.93**	159.02	32858.92	215.66	34089.23
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	16		**873.09**		582.96		628.48
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	17		**1725.27**		2089.59		2143.73
			42903.96		45139.91		46970.21
कुल परिसम्पत्तियां			**61347.45**		65320.46		66871.80
II. इक्विटी और देयताएं							
इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18		**489.52**		489.52		489.52
(ख) अन्य इक्विटी (देखें एसओसीआईई)			**31899.47**		31824.63		32787.76
मूल स्वामी के आरोप्य इक्विटी			**32388.99**		32314.15		33277.28
गैर–नियंत्रण हितलाभ (देखें एसओसीआईई)			**-1.08**		0.78		2.23
कुल इक्विटी			**32387.91**		**32314.93**		**33279.51**

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़े	
देयताएं							
(1) गैर–चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार	19	**89.55**		126.29		61.00	
(ii) व्यापार प्राप्य	20	**633.10**		747.69		645.03	
(iii) अन्य वित्तीय देयताए	21	**104.71**	**827.36**	123.51	997.49	90.16	796.19
(ख) प्रावधान	22		**5006.19**		7629.61		6335.02
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	23		**2983.36**		3637.78		4559.44
			8816.91		12264.88		11690.65
(2) चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार	24	**6.03**		3.53		2.14	
(ii) व्यापार भुगतेय	25	**8715.88**		8708.44		8803.17	
(iii) अन्य वित्तीय देयताए	26	**1532.39**	**10254.30**	1644.64	10356.61	1699.59	10504.90
(ख) गैर–चालू देयताएं	27		**5694.55**		7046.43		7414.20
(ग) प्रावधान	28		**4193.78**		3337.61		3982.54
			20142.63		20740.65		21901.64
कुल इक्विटी और देयताएं			**61347.45**		65320.46		66871.80
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1						
लेखाओं के संबध में अन्य टिप्पणियां	40						

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में संलग्न टिप्पणियां देखें

निदेशक मडल की ओर से और उनके लिए

(आई. पी. सिंह) कपनी सचिव	(टी. चोकालिंगम) निदेशक (वित्त)	(अतुल सोबती) अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वाही एंड गुप्ता के लिए चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-002263एन**	**डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-006791एन**	**एसबीए एंड कंपनी के लिए** चार्टर्ड एकाउटेट **एफआरएन-004651सी**
(सीए वाई के गुप्ता) साझेदार सदस्यता सख्या 016020	**(सीए संजय जैन)** साझेदार सदस्यता सख्या 084906	**(सीए सीता राम सोनी)** साझेदार सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
I.	**प्रचालनों से राजस्व**	29		**29506.57**		26678.52
II.	अन्य आय	30		**983.36**		1476.43
III.	कुल आय (I से II)			**30489.93**		28154.95
IV.	व्यय					
	सामग्री की खपत, संस्थापन एवं इंजीनियरिंग व्यय	31		**16590.68**		16406.72
	तैयार सामान की मालसूचियों में परिवर्तन एवं प्रगतिशील कार्य	32		**992.94**		210.05
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	33		**5408.00**		5387.33
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2.1/3.1		**849.79**		936.70
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण संबंधी अन्य व्यय	34		**4438.91**		4037.97
	प्रावधान (निवल)	35		**1274.22**		2039.91
	वित्तीय लागत	36		**351.30**		359.81
	घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			**25.04**		46.57
	कुल व्यय (IV)			**29880.80**		29331.92
V.	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/हानि (III- VI)**			**609.13**		-1176.97
VI.	**इक्विटी पद्धति उपयोग हेतु हिसाब में लिया गया संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का भाग**			**-23.56**		15.84
VII.	**जोड़ें/घटाएं : असाधारण मदें**			**0.00**		0.00
VIII.	**कर–पूर्व लाभ (हानि) (V+VI-VII)**			**585.57**		-1161.13
IX.	**कर व्यय**	37				
	क) चालू कर		**298.35**		391.08	
	ख) आस्थगित कर		**-167.96**	**130.39**	-846.63	-455.55
X.	**निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि) (VIII-IX)**			**455.18**		-705.58
XI.	**अन्य व्यापक आय**	38				
	मदें जो लाभ या हानि (कर का निवल) के संबंध में पुनः वर्गीकृत नहीं की गई हैं			**-28.56**		-76.38
	इक्विटी पद्धति में उपयोग के लिए लेखा में लिया गया ओसीआई का भाग			**-0.14**		0.02
XII.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)**			**426.48**		-781.94
	(अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)					
	आरोप्य:					
	मूल इक्विटी धारक			**428.34**		-780.49
	गैर–नियंत्रण हितलाभ			**-1.86**		-1.45
				426.48		-781.94

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े
XIII	**वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय (XI)**			
	आरोप्य:			
	मूल इक्विटी धारक		**-28.92**	-76.36
	गैर–नियंत्रण हितलाभ		**0.22**	0.00
			-28.70	-76.36
XIV	**वर्ष के लिए कुल लाभ (X)**			
	मूल इक्विटी धारक		**457.26**	-704.13
	गैर–नियंत्रण हितलाभ		**-2.08**	-1.45
			455.18	-705.58
XV	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (नियमित प्रचालनों के लिए) (मूल इक्विटी धारकों के आरोप्य)**			
	(1) मूल	39	**1.86**	-2.88
	(2) डाइल्यूटेड		**1.86**	-2.88
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (आईएनआर)		**2.00**	2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		
	लेखाओं के संबंध में अन्य टिप्पणियां	40		

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में संलग्न टिप्पणियां देखें

निदेशक मडल की ओर से और उनके लिए

(आई. पी. सिंह)	(टी. चोकालिंगम)	(अतुल सोबती)
कपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वाही एंड गुप्ता के लिए	डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए	एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट	चार्टर्ड एकाउटेट	चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-002263एन	एफआरएन-006791एन	एफआरएन-004651सी
(सीए वाई के गुप्ता)	(सीए संजय जैन)	(सीए सीता राम सोनी)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सख्या 016020	सदस्यता सख्या 084906	सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण (एसओसीआईई)

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

आईएनआर 2 प्रति के इक्विटी शेयर जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता	शेयरों की संख्या			
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
अवधि के आरंभ में शेष	**2,447,600,000**	2,447,600,000	**489.52**	489.52
जारी शेयर पूंजी	**-**	-	**-**	-
अवधि की समाप्ति पर शेष	**2,447,600,000**	2,447,600,000	**489.52**	489.52

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	मूल स्वामी के आरोप्य					
	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण हित
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**(483.91)**	**(76.36)**	**31,824.63**	**0.78**
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			457.26	(28.92)	**428.34**	(1.86)
घटाएं : लाभांश (अंतरिम लाभांश रु. 195.81 करोड़)			293.71		**293.71**	
घटाएं : कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश रु. 39.86 करोड़ पर कर)			59.79		**59.79**	
घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित			-		-	
31 मार्च, 2017 को शेष	**35.18**	**32,349.72**	**(380.15)**	**(105.28)**	**31,899.47**	**(1.08)**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण हित
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन			
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**402.86**		**32,787.76**	**2.23**
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			(704.13)	(76.36)	(780.49)	(1.45)
घटाएं : लाभांश (अंतरिम लाभांश रु. शून्य)			151.75		151.75	

घटाए कॉर्पोरेट लाभाश कर (अतरिम लाभाश पर कर ₹ शून्य)			30.89		30.89	
घटाए सामान्य आरक्षित को अतरित					-	
31 मार्च, 2016 को शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**(483.91)**	**(76.36)**	**31,824.63**	**0.78**

1 अप्रैल, 2015 पारगमन तिथि को

(₹ करोड़ मे)

	आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय के अन्य मद	कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण हित
	पूंजी आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित अर्जन			
31 मार्च, 2015 को शेष (आईजीएएपी के अनुसार)	**36.56**	**32,383.12**	**1,297.40**		**33,717.08**	**2.23**
जोड़े प्रस्तावित लाभाश समायोजन			182.64		182.64	
जोड़े/(घटाए) इड एएस समायोजन के कारण पारगमन प्रभाव	(1.38)		(1,116.18)		(1,117.56)	
जोड़े/(घटाए) जेवी एव सहायक कम्पनी का पारगमन प्रभाव		(33.40)	39.00		5.60	
01.04.2015 को प्रारंभिक शेष (इंड एएस के अनुसार)	**35.18**	**32,349.72**	**402.86**	**-**	**32,787.76**	**2.23**

निदेशक मडल की ओर से और उनके लिए

(आई. पी. सिंह)
कपनी सचिव

(टी. चोकालिंगम)
निदेशक (वित्त)

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वाही एंड गुप्ता के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सख्या 016020

डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-006791एन

(सीए संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सख्या 084906

एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-004651सी

(सीए सीता राम सोनी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2015-16
क.	**प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)	**585.57**	-1161.13
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास और परिशोधन	**849.79**	936.70
	अशोध्य ऋण एवं बही खाते डाला गया एलडी और अप्राप्त पूंजी अभिलाभ / हानि	**173.89**	25.63
	लाभांश आय	**-21.02**	-12.97
	वित्त आय	**-677.34**	-762.87
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लाभ / हानि	**-2.36**	-5.75
	वित्त लागत (ब्याज की छूट सहित)	**351.30**	359.81
	उचित मूल्य समायोजन	**-20.02**	-69.27
	प्रावधान (निवल)	**1274.22**	2039.91
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लागत	**2514.03**	**1350.06**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	व्यापार प्राप्य	**60.36**	-225.09
	वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण एवं अग्रिम	**27.41**	-38.09
	अन्य परिसम्पत्तियां	**406.95**	341.94
	मालसूचियां	**2228.77**	500.33
	व्यापार भुगतेय	**-90.79**	30.53
	अन्य वित्तीय देनदारियां	**-113.28**	-41.91
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**-3908.48**	-1238.04
	प्रचालनों से सृजित नगदी	**1124.97**	**679.73**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान (वापसी का निवल)	**-588.90**	-305.29
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी अंर्तवाह / (बार्हिवाह)	**536.07**	**374.44**
ख.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद	**-355.67**	-584.99
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से आय	**19.73**	32.39
	संयुक्त उद्यम में निवेश (निवल) (समायोजन सहित)	**36.55**	-252.48
	ब्याज एवं लाभांश आय	**637.02**	828.15
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**-337.63**	**-23.07**
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	लघु–अवधि एवं दीर्घ अवधि उधारों से आय / पुनः भुगतान	**-50.08**	86.00
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	**-353.67**	-183.09
	वित्त लागत	**-63.60**	-25.38
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह	**467.35**	**122.47**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)**	**406.35**	**275.04**
	नकद एवं नकद समतुल्यों का प्रारंभिक शेष	**10087.20**	9812.16
	नकद एवं नकद समतुल्यों का अंतिम शेष (देखें नोट सं. 12 एवं 13)	**10493.55**	10087.20

टिप्पणी :

1. नकद एव नकद समतुल्यो में नकद एव बैक शेष शामिल है।
2. जहा कही आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आकड़ो को पुन समूहित/पुन व्यवस्थित किया गया है।
3. नकद एव नकद समतुल्यो मे नामोदिष्ट बैक खातों में पड़ा अदावाकृत लाभाश ₹ 3.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.27 करोड़) शामिल है ।

निदेशक मडल की ओर से और उनके लिए

(आई. पी. सिंह)
कपनी सचिव

(टी. चोकालिंगम)
निदेशक (वित्त)

(अतुल सोबती)
अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक

हमारी समसख्यक तारीख की सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वाही एंड गुप्ता के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-002263एन

(सीए वाई के गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सख्या 016020

डीएसपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-006791एन

(सीए संजय जैन)
साझेदार
सदस्यता सख्या 084906

एसबीए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेट
एफआरएन-004651सी

(सीए सीता राम सोनी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 072381

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

नोट नं. 1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (समेकित वित्तीय विवरण)

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) और उसके अनुवर्ती संशोधनों के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण, चालूगत आधार और लेखाकरण की उपार्जित पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं। नीति में वर्णित सिवाए इसके या अन्यथा को छोड़कर वित्तीय विवरण तैयार करते समय ऐतिहासिक लागत का प्रयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक एवं प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरण आईएनआर में तैयार किए जाते हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

घ) अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ने इस बात का अनुमान, निर्णय और धारणा को ध्यान में रखा है जो लेखाकरण नीतियों के लागूकरण को प्रभावित करते हैं तथा परिसम्पत्तियों, देनदारियों, आय एवं व्यय की मात्राओं को दर्ज किया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। किए गए अनुमान एवं धारणाएं चालूगत आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। लेखाकरण अनुमानों के संबंध में संशोधन प्रत्याशित प्रभाव से पहचाना जाता है।

लेखाकरण नीतियों पर लागू महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय

लेखाकरण नीतियों पर उन अनुमानों और निर्णयों को लागू किया जाता है जो निम्नानुसार वित्तीय विवरणों में पहचान की गई मात्राओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

i) राजस्व

कम्पनी निर्माण अनुबंधों के संबंध में राजस्व की गणना के लिए पूर्णता के प्रतिशत का उपयोग करती है। पूर्णता के प्रतिशत पद्धति का उपयोग करते समय कम्पनी कुल अनुबंध राजस्व और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की समाप्ति पर अनुबंध पूरा करने की शेष लागत का अनुमान लगाती है। इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जो इन अनुबंधों की अवधि के दौरान नियमित तौर पर मूल्यांकित किए जाते हैं, इसलिए पहचाना गया राजस्व एवं लाभ अनुबंध पूर्ण होने की स्थिति के अनुसार परिवर्तन के अधीन होता है।

ii) सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी

चरणबद्ध मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि और इसकी उपयोग अवधि की समाप्ति के बाद अनुमानित बचत मूल्य के बाद व्युत्पन्न किया जाता है। मूल्यह्रास पद्धति, कम्पनी की परिसम्पत्तियों का बचत मूल्य प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के समय और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पुनरीक्षा के दौरान अनुमानित किया जाता ळें

iii) कर्मचारी हितलाभ योजना

कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजना और दीर्घ अवधि हितलाभ योजना की गणना बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर की जाती है। तथापि, इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन दायित्व एवं व्यय की दर्ज मात्रा पर प्रभाव डाल सकता है।

iv) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की पहचान के लिए निष्पादित मूल्यांकनों को वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के निर्णय के अनुसार किया जाता है।

2. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण कम लागत संचित मूल्यह्रास एवं संचित कम हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेषित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अनुबंध के अधीन विदेश में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास वहां जहां अनुमानित उपयोग अवधि अनुमानित उपयोग अवधि के तकनीकी मूल्यांकन पर संक्षिप्त आधार पर है, को छोड़कर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में निर्धारित उपयोग अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है जो नीचे दर्शाया गया है:

	(वर्ष)		
	एकल शिफ्ट	दोहरी शिफ्ट	तीसरी शिफ्ट
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	12.5	8.33	6.25
स्वचालित / अर्ध–स्वाचालित मशीनें	10	6.67	5
संस्थापन उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साजो–सामान	5		
रेलवे साइडिंग्स, लोकोमोटिव तथा वैगन	12.5		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	30		
सर्वर एवं नेटवक	5		
सोलर पावर जेनरेशन प्लांट	25		

मूल्यह्रस पद्धति, उपयोग अवधि एवं बचत मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, की गणना प्रत्याशित रूप से की जाती है। पट्टे पर दी गई आस्तियों को पट्टा अवधि के संक्षेप में यथोचित उपयोग अवधि को छोड़कर इस तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद अपने स्वामित्व में लिया जाएगा। फ्रीहोल्ड भूमि को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जिनकी लागत ₹ 10,000/– या उससे कम है और जिनका घटाकर लिखा गया मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000/– या उससे कम हो, को पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

संस्थापना/परियोजना स्थल पर : सड़कों, पुलों और नालों की लागत को अनुबंध की अवधि के ऊपर पूर्णतः परिशोधित किया जाता है जबकि, शेड, रेलवे साइडिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अन्य समान इनेबलिंग कार्यों (अस्थाई ढांचों को छोड़कर) को बचत मूल्य, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद अनुबंध की अवधि के ऊपर मूल्यह्रासित किया जाता है।

दीर्घ अवधि अनुबंध के अधीन भारत से बाहर प्रयुक्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक अनुबंध की अवधि के ऊपर मूल्यह्रासित किया जाता है।

अस्थाई ढांचों को निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

विभिन्न उपयोग अवधि के साथ महत्वपूर्ण घटकों की गणना की जाती है और अलग से मूल्यह्रासित किया जाता है।

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. के मामले में

मूल्यह्रास का प्रावधान परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि पर सीधी–रेखा विधि पर किया जाता है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत निर्धारित दरों से अधिक/कम होता है। परिम्सपत्तियों की वास्तविक उपयोग अवधि को दिखाने के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित होती है।

परिसम्पत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोग अवधि (वर्ष)
संयंत्र एवं मशीनरी	2-15
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	3-10
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1-8
कम्प्यूटर्स	3
कार्यालय उपकरण	3-5

वित्त पट्टे के अधीन परिसम्पत्तियां पट्टा अवधि या उपयोग अवधि, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है। ₹ 5000/– या कम उससे कम लागत की व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती हैं।

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि. के मामले में

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग अवधि के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर प्रभारित की जाती है।

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि. के मामले में

सीईआरसी विनियम 2009 में विनिर्देशित दरों पर सीधी–रेखा विधि पर मूल्यह्रस का प्रावधान किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों जिनकी दरें सीईआरसी विनियम में विनिर्देशित नहीं है, उन पर अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों को लिया जाता है।

परिसम्पत्तियां लागत के 90 प्रतिशत और शेष अवशिष्ट मूल्य 10 प्रतिशत पर मूल्यह्रासित की जाती हैं।

परिसम्पत्तियों के संबंध में संयोजन पर मूल्यह्रस का प्रावधान संयोजन की तिथि पर विचार किए बिना पूरे वर्ष के आधार पर किया जाता है। मूल्यह्रस व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां जिनकी लागत ₹ 5000 तक है उनको बिक्री/डिस्कार्ड/निपटान के वर्ष में बेची/निपटान की गई परिसम्पत्तियों पर उनकी उपयोग अवधि के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के मामले में

मूल्यह्रस कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत निर्धारित परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि पर सीधी–रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है ।

3. पट्टे

किसी व्यवस्था के प्रारंभ में कम्पनी इस बात का निर्धारण करती है कि क्या ऐसी किसी व्यवस्था की जरूरत है या इसके लिए पट्टा जरूरी है।

प्रारंभ में पहचान पर वित्त पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों को उनके अंकित मूल्य से कम और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर पूंजीकृत किया जाता है । वित्तीय पट्टे के अधीन किया गया न्यूनतम पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया देनदारी की कमी के बीच अनुपातिक होता है। पट्टा अवधि के दौरान प्रत्येक

अवधि में वित्त व्यय आबंटित किया जाता है जिससे शेष देनदारी राशि पर ब्याज की स्थिर चरणबद्ध दर निश्चित की जा सकें।

प्रचालन पट्टे के अधीन उत्पन्न पट्टा किराया की पहचान उन मामलों जहां पट्टा किराया में वृद्धि महंगाई की सामान्य दर में है, को छोड़कर पट्टा अवधि के ऊपर सीधी रेखा विधि आधार पर लाभ एवं हानि विवरण के अधीन की जाती है।

वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी प्रभावी ब्याज दर प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा अवधि के ऊपर वित्त आय की पहचान करती है। उपार्जित प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत मं प्राप्य वित्त पट्टे की माप और पट्टा अवधि के ऊपर पहचानी गई आय की राशि में कमी शामिल होती है।

प्रचालन पट्टे से उत्पन्न पट्टा आय की पहचान उन मामलों जहां पट्टा किराया में चरणबद्ध वृद्धि महंगाई की सामान्य दर में है, को छोड़कर पट्टा अवधि के ऊपर सीधी रेखा विधि आधार पर की जाती है।

4. अमूर्त परिसम्पत्तियां

₹ 10,000/– से अधिक लागत की अमूर्त मदें पूंजीकरण के लिए मूल्यांकित की जाती हैं और कम लागत संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो पर अग्रेषित की जाती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्तियों को उस तिथि से अनुमानित उपयोग अवधि के ऊपर सीधी–रेखा विधि आधार पर लाभ या हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है जब से वह उपयोग के लिए उपलब्ध है। अमूर्त परिसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि निम्नानुसार है:

सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष

डब्ल्यूएडी ₹ 10,000/– या कम वाली अमूर्त परिसम्पत्तियां वर्ष के प्रारंभ में पूर्णतया परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को प्रत्याशित रूप से पहचाना जाता है।

अनुसंधान कार्यकलापों पर व्यय की पहचान उपार्जित अनुसार लाभ एवं हानि पर की जाती है। विकास कार्यकलापों पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि व्यय को विश्वनीय तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, उत्पाद एवं प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कम्पनी के पास विकास कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और कम्पनी परिसम्पत्तियों का उपयोग या बिक्री की इच्छुक है। पंजीकृत व्यय में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष कामगार, ओवरहैड लागत जो अपने इच्छित उपयोग और उधार लागत, यदि कोई हो, को तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य है।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

योग्य परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं उत्पादन से सीधे सम्बद्ध उधार लागतें ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत पर जोड़ी जाती हैं।

कोई परिसम्पत्ति जो कुछ वास्तविक अवधि के लिए ली गई हो, इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने या योग्य परिसम्पत्ति की बिक्री को बारह माह से अधिक माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों की पहचान उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जिसमें वह उपार्जित की जाती हैं।

6. मालसूचियां

मालसूची की गणना लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है। तैयार माल एवं प्रगतिशील कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्ची सामग्री, घटकों, खुले औजार, भंडार एवं स्पेयर्स के संबंध में लागत का मतलब औसत भारित लागत है।

7. राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक हितलाभ इकाई को आगे बढ़ायेंगे और राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

क. निर्माण अनुबंध

दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध सहित निर्माण अनुबंधों से राजस्व की गणना 'पूर्णता के प्रतिशत' के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण अनुबंध को पूरा होने के लिए अपेक्षित कुल अनुमानित अनुबंध लागत के प्रतिशत अनुसार तिथि को उपार्जित अनुबंध लागतों के आधार पर किया जाता है।

ख. निर्माण अनुबंधों के अलावा

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब अनुबंध के अनुरूप ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिम एवं पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। दीर्घ अवधि सेवा अनुबंधों के अलावा सेवाओं से राजस्व की पहचान तब की जाती है जब अनुबंध के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं।

अन्य आय

- लाभांश आय की गणना उस तिथि को लाभ या हानि में ही जाती है जिसमें कम्पनी का प्राप्त भुगतान अधिकार स्थापित है।
- ब्याज आय की गणना प्रभावी ब्याज दर विधि द्वारा की जाती है।
- निर्यात प्रोत्साहन/डयूटी ड्राबैक, डयूटी रिफंड और बीमा के लिए दावों की गणना उपार्जित आधार पर की जाती है।

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. के मामले में

विविध सुपुर्दगी व्यवस्थाएं:

जब एकल व्यवस्था के अधीन दो या उससे अधिक राजस्व अर्जन

कार्यकलाप या सुपुर्दगी का प्रावधान किया जाता है, तब प्रत्येक सुपुर्दगी को लेखा में एक अलग यूनिट माना जाता है और उसकी अलग से गणना की जाती है। लेखा की अपनी अलग यूनिट के संबंध में राजस्व व्यवस्था से आबंटन का विचार प्रत्येक यूनिट के संगत उचित मूल्य पर आधारित होता है।

8. विदेशी मुद्रा रूपांतरण/लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनियम दरों पर दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्रा वर्ग मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर प्रभावी विनियम दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। निपटान एवं रूपांतरण से प्राप्त विदेशी मुद्रा अर्जन या हानि की पहचना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में निर्धारित गैर–मौद्रिक परिसम्पत्तियां और गैर–मौद्रिक देनदारियां की गणना ऐतिहासिक लागत पर की जाती है और लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनियम दर पर रूपांतरित किया जाता है।

9. कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की ओर से पारिवारिक पेंशन निधि सहित पेंशन निधि में अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत निहित है और इसे उस अवधि में लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिस दौरान कर्मचारी अपनी सेवाएं देता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

इन परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में तुलनपत्र में पहचान की गई देनदारी, योजना परिसम्पत्ति, यदि कोई हो, के अंकित मूल्य को घटाकर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर वार्षिक तौर पर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य उचित सरकारी बांड दर जिसकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्व के संदर्भ में लगभग है, का उपयोग कर अनुमानित भावी नकदी अंतर्प्रवाह में छूट द्वारा निर्धारित किया जाता है।

पुनः मापन जिसमें वास्तविक लाभ और हानि के साथ ही योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल और निवल परिभाषित दायित्व (परिसम्पत्ति) पर निवल ब्याज से शामिल राशि के बीच अंतर शामिल है, की पहचान अन्य व्यापक आय, आयकर का निवल में की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में अन्य व्यय लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घ अवधि छुट्टी दायित्व

कम्पनी संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति की अनुमानित लागत को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर संचित अप्रयुक्त पात्रत्रा के परिणामस्वरूप भुगतान की गई अतिरिक्त अनुमानित राशि के रूप में गणना करती है। गैर–संचित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर व्यय की गणना उस अवधि में की जाती है जिसमें अनुपस्थित होती है। कम्पनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर संचित शेष के लिए दायित्व को दर्ज करती है। दीर्घ अवधि हितलाभ योजनाओं के संबंध में पुनः मापन और अन्य व्यय की गणना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

10. प्रावधान

(i) कंपनी के विरूद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेनदेनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आंकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

(ii) निर्माण अनुबंधों के लिए कम्पनी जब एवं जैसे भी राजस्व को मान्यता देती है, इसे प्रगतिशील राजस्व के 2.5 प्रतिशत वारंटी लागत प्रदान करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है। अन्य अनुबंधों के लिए एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाले अनुबंधों के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) जब यह संभावित होता है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होगी, तो इसे तत्काल अनुमानित हानि में मान्यता दी जाती है।

(iv) अन्य प्रावधानों की पहचान तब की जाती है यदि पिछले कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कम्पनी के पास वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और यह संभावना है कि आर्थिक हितलाभ का अंतर्प्रवाह दायित्व के निपटान के लिए जरूरी होगा।

तथापि, जहां राशि का समय मूल्य प्रभावी है, ऐसे में प्रावधानों को अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, जहां लागू हो में छूट द्वारा निर्धारित एवं अनुरक्षित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब यह सुनिश्चित हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर–मौद्रिक अनुदानों की गणना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य पर की जाती है और इसे आस्थगित आय माना जाता है। आस्थगित आय को विधिवत तरीके से लाभ या हानि विवरण और परिसम्पत्तियों की उपयोग अवधि के ऊपर विवेकशील आधार पर मान्यता दी जाती है। राजस्व संबंधी सरकारी अनुदानों को अवधियों के दौरान लाभ या हानि विवरण के ऊपर विधिवत आधार पर मान्यता दी जाती है और यह संबंधित लागत जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी है, से मिलान होनी जरूरी है।

12. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल होता है। आयकर व्यय की गणना लाभ या हानि विवरण में उस सीमा तक की जाती है जिसमें यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित हो।

वर्तमान कर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू कर की दर (कर कानून) या बाद में लागू कर का उपयोग कर वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है जिसमें पिछले वर्षों के संबंध में कर की गणना पर समायोजन शामिल है।

आस्थगित कर की गणना तुलनपत्र पद्धति का उपयोग कर की जाती है जिसमें किसी परिसम्पत्ति की अग्रेषित लागत और तुलन पत्र में दायित्व एवं इसके कर आधार के बीच अस्थाई अंतर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर की गणना उस कर की दर पर की जाती है जब लागू कर कानूनों या रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू कर के आधार पर कर को वसूला या निपटान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्ति की गणना उस सीमा तक की जाती है जब यह संभव हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा और उसे अस्थाई अंतर पर उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अग्रेषित लागत की समीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है जब तक दूर–दूर तक यह संभव न हो कि संबंधित कर लाभों की वसूली की जाएगी।

लाभांशों के वितरण से प्राप्त अतिरिक्त आयकर की गणना उस समय की जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व की गणना की जाती है।

13. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

व्यापार प्राप्य और पट्टा प्राप्य के संबंध में हानि अनुमोदन की गणना जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानि के समान राशि पर की जाती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में हानि अनुमोदन, जिसे इम्पेयर किया जाना है, की गणना जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानि, यदि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय कारक तेजी से बढ़ा है, के बराबर राशि पर की जाती है। तथापि, यदि प्रारंभिक मान्यता से रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय कारक के क्रेडिट जोखिम में तेजी से वृद्धि नहीं है तो हानि अनुमोदन की गणना 12 माह के अनुमानित क्रेडिट हानि पर की जाती है।

गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

कैश जेनरेटिंग यूनिटों की अग्रेषित लागत की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि जहां हानि की कोई संभावना है, पर की जाती है। इम्पेयरमेंट हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाता विवरण जहां कैश जेनरेटिंग यूनिटों की प्राप्य राशि अग्रेषित लागत से ज्यादा है, में की जाती है। पिछली अवधियों की इम्पेयरमेंट हानि का मूल्यांकन किसी सूचना के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि जहां हानि कम है या देर तक नहीं है, पर किया जाता है।

इम्पेयरमेंट हानि का उस स्थिति में वापिस कर दिया जाता है यदि प्राप्य राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त अनुमान में कोई परिवर्तन होता है। इम्पेयरमेंट हानि को केवल उस सीमा तक वापिस कर दिया जाता है जिसमें अग्रेषित राशि परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि जो मूल्यह्रास एवं परिशोधन का निवल, यदि कोई इम्पेयरमेंट हानि नहीं है, से पहचानी गई है और यह अग्रेषित राशि से अधिक नहीं होगी।

14. खण्ड रिपोर्टिंग

राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड के प्रचालन कार्यकलापों से उनके संबंध के आधार पर खण्डों से की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियां एवं देनदारियां जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर–आबंटित राजस्व / व्यय / परिसम्पत्तियां / देनदारियां के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

15. वित्तीय कारक

(i) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय कारक

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय कारकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

– वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो मापी गई हैं (क) परिशोधन लागत और (ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (''एफवीटीपीएल'')

– परिशोधन लागत पर अग्रेषित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में सभी वित्तीय कारकों को उनके उचित मूल्य पर पहचाना जाता है। अग्रेषित राशि, यदि वित्तीय कारकों को एफवीटीपीएल पर नहीं मापा गया है, के निर्धारण में लेनदेन लागत शामिल होती है। वित्तीय कारकों को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वास्तविक जोखिम और स्वामित्व का अधिकार न तो अंतरित किया गया है और नहीं बचाया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों की पहचान केवल उस स्थिति में नहीं की जाती है जब कम्पनी का वित्तीय परिसम्पत्तियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वित्तीय देनदारियों की पहचान उस स्थिति में नहीं की जाती है जब अनुबंध दायित्वों का निपटान हो गया है या निरस्त या समाप्त हो गया है।

क. परिशोधन लागत –

"परिशोधन लागत पर वित्तीय कारक" प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का पालन करते हुए परिशोधन लागत पर अनुवर्ती मापी जाती है। परिशोधन लागत की गणना छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एकीकृत भाग हैं, को ध्यान में रखते हुए की जाती है। परिशोधित ईआईआर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इम्पेयमेंट के कारण हुई हानि की गणना लाभ या हानि विवरण में की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय कारक लाभ या हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर अनुवर्ती अग्रेषित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष आरोप्य लेनदेन लागत को उपार्जित पीएंडएल में मान्यता दी जाती है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां को बाद में निम्नानुसार मापा जाता है:

प्रारंभिक मान्यता के अनुवर्ती, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

(ii) व्युत्पन्न वित्तीय कारक

सन्निहित व्युत्पन्न, यदि कोई हो, जो भौतिक प्रभाव रखते हो, को मूल अनुबंध से अलग किया जाता है और यदि मूल अनुबंध एवं सन्निहित व्युत्पन्न एक दूसरे से जुड़ें न हो तो आर्थिक विशिष्टताएं और जोखिमों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। समान अवधि के साथ एक अलग कारण सन्निहित व्युत्पन्न के तौर पर व्युत्पन्न की परिभाषा होगी और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर संयुक्त कारक नहीं मापा जाता है।

व्युत्पन्न को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता एवं मापा जाता है। आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि विवरण में लागत के तौर पर मानी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के अनुवर्ती व्युत्पन्न लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

16. नगदी एवं नगदी समतुल्य

नगदी एवं नगदी समतुल्यों में बैंक में एवं स्वयं के पास नगदी शामिल है। इसमें मियादी जमा और तीन माह या उससे कम के अन्य लघु अवधि मार्केट जमा, जो नगदी की ज्ञात राशि के लिए आसानी से परिवर्तनीय हैं, शामिल होते हैं और ये मूल्य परिवर्तनों के महत्वपूर्ण जोखिम में अंतर्गत होते हैं।

नोट नं. 2

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
(क) मूर्त परिसम्पत्तियां				
सकल ब्लॉक		**5181.51**	4717.94	3987.02
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		**1685.08**	886.59	
निवल ब्लॉक		**3496.43**	3831.35	3987.02
कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है और तद्नुसार 31.03.2015 को अग्रेषित मूल्य को डीम्ड लागत माना गया है				
भूमि एवं भवन में निम्न शामिल है				
क i) एकड़ भूमि जिसके लिए औपचारिक अंतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है	एकड़	**8198.00**	8933.27	8939.61
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**73.62**	72.62	74.20
ii) फ्लैटों की संख्या जिसके लिए औपचारिक अंतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है	नग	**12**	12	12
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**1.28**	1.33	1.37
iii) एकड़ भूमि सहित जिसके लिए भुगतान की गई लागत वैकल्पिक है; पंजीकरण प्रभार एवं स्टैम्प ड्यूटी, पहले से किए गए प्रावधान का निवल की गणना भुगतान पर की जाएगी	एकड़	**528.18**	528.18	528.18
उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़	**66.37**	67.09	67.81
ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विभागों एवं अन्य को पट्टे पर दी गई एकड़ भूमि	एकड़	**30.37**	30.60	30.60
ग. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंसिंग समझौता 30.11.2018 तक वैध है	एकड़	**180.00**	180.00	180.00
घ. विपरीत कब्जा/ऋणभार के अधीन एकड़ भूमि	एकड़	**759.89**	811.72	586.05
ङ हरिद्वार में 1242.71 एकड़ (पी.वाई. 1242.71 एकड़) भूमि का लंबित उत्तराधिकार जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें भूमि परिमाप 878.85 एकड़ जो कि बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन गलती से वर्ष 2004 एवं 2007 में सिडकुल, उत्तराखण्ड सरकार के नाम में परिवर्तित हो गई है, भी शामिल है				

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
च. भूमि परिमाप मौजूदा एसी 1–02 गुंटा का कब्जा वर्ष 2016–17 के दौरान जिला प्रशासन द्वारा रेलवे विकास निगम लि., भारत सरकार का उद्यम के पक्ष में दिया गया था। विस्तारित क्षतिपूर्ति के लिए लंबित अपील पर कथित भूमि के अंतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है				
(उपरोक्त वर्णित (ख), (ग), (घ) एवं (च) की भूमि की लागत भौतिक नही है)				
पूर्व वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना लाभ पर ₹ 10,000/– प्रति पर पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास के प्रावधान का प्रभाव निम्नानुसार है:				
₹ 10,000/– तक पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास लेखा वर्ष में प्रभारित किया गया है	₹ करोड़	**6.88**	8.50	8.26
उपरोक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ करोड़	**1.93**	2.47	1.42
अधिक राशि प्रभारित	₹ करोड़	**4.95**	6.03	6.84
(ख) कार्यशील पूंजी				
कार्यशील निर्माण– सिविल		**40.47**	83.03	72.78
निर्माण स्टोर (ट्रांजिट में सहित)		**2.33**	3.93	2.88
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपकरण				
–संस्थापन/फैब्रिकेशन/संस्थापन की प्रतीक्षा के अधीन		**84.25**	152.55	353.41
–ट्रांजिट में		**32.46**	69.95	72.92
		159.51	309.46	501.99

नोट नं. 3

अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
(क) अमूर्त परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	**198.04**	185.10	158.30
घटाएं : संचित परिशोधन	**93.28**	47.74	
निवल ब्लॉक	**104.76**	137.36	158.30
(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	**8.83**	8.38	17.30
	8.83	8.38	17.30

कम्पनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है और तद्नुसार 31.03.2015 को अग्रेषित मूल्य को डीम्ड लागत माना गया है

नोट 2.1

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
फैक्टरी/कार्यालय कॉम्प्लैक्स											
स्वामित्वाधीन											
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	25.45	25.45			25.45					25.45	25.45
सड़क, पुल एव नाले	10.62	10.65	0.05		10.70	4.54	3.02		7.56	3.14	6.11
भवन	1101.17	1223.71	59.06	1.00	1281.77	82.96	98.10	-0.03	181.03	1100.75	1140.75
ड्रेनेज, सीवरेज एव जल आपूर्ति	15.75	15.75	0.03		15.78	0.74	0.69		1.43	14.35	15.01
रेलवे साइडिंग	8.73	8.74			8.74	0.93	0.93		1.86	6.88	7.81
लोकोमोटिव्स एव वैगन	28.08	28.09	0.25		28.34	3.13	3.14		6.27	22.07	24.96
सयत्र एव मशीनरी	2179.80	2506.02	309.96	1.56	2814.42	623.96	539.86	-1.58	1162.24	1652.18	1882.06
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	4.30	35.16	18.36		53.52	19.54	6.64	15.66	41.84	11.68	15.62
इलेक्ट्रिकल इस्टालेशन	175.16	186.63	18.51		205.14	29.75	30.58	-0.10	60.23	144.91	156.88
निर्माण उपकरण	48.45	61.40	3.28		64.68	23.03	18.76	0.14	41.93	22.75	38.37
वाहन	6.21	9.22	1.08	0.24	10.06	1.47	1.46	-0.22	2.71	7.35	7.75
फर्नीचर एव फिक्चर्स	33.54	41.29	10.70	0.37	51.62	7.75	8.13	-0.13	15.75	35.87	33.54
कार्यालय एव अन्य उपकरण	60.29	74.80	11.98	0.86	85.92	29.64	21.33	-0.76	50.21	35.71	45.16
₹ 10,000/– तक लागत की स्थायी परिसम्पत्तिया		3.94	3.24	0.41	6.77	3.94	3.31	-0.48	6.77	0.00	0.00
पट्टे पर											
पट्टे पर भूमि (विकास व्यय सहित)	58.60	58.60			58.60	0.64	0.64		1.28	57.32	57.96
पट्टे पर भवन	1.63	1.63			1.63	0.05	0.06		0.11	1.52	1.58
ईडीपी उपकरण	50.66	171.05	9.91	18.51	162.45	36.84	51.32	-18.18	69.98	92.47	134.21
कार्यालय एव अन्य उपकरण	1.62	13.04	0.79		13.83	1.87	2.82		4.69	9.14	11.17
अन्य	0.14	0.10			0.10	0.10			0.10		
टाउनशिप/आवासीय											
स्वामित्वाधीन											
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.54	2.54			2.54					2.54	2.54
सड़क, पुल एव नाले	1.86	1.92			1.92	0.70	0.49		1.19	0.73	1.22
भवन	132.64	147.22	11.11		158.33	7.81	5.96		13.77	144.56	139.41
ड्रेनेज, सीवरेज एव जल आपूर्ति	6.86	11.08			11.08	0.55	0.59		1.14	9.94	10.53
सयत्र एव मशीनरी	10.09	11.26	25.21		36.47	2.24	2.57		4.81	31.66	9.02
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	0.03	0.03			0.03	0.02	0.01		0.03		0.01
इलेक्ट्रिकल इस्टालेशन	4.70	5.95	2.02		7.97	1.21	0.80	-0.08	1.93	6.04	4.74
वाहन	0.02	0.01			0.01					0.01	0.01
फर्नीचर एव फिक्चर्स	0.64	1.53	0.26		1.79	0.26	0.34		0.60	1.19	1.27
कार्यालय एव अन्य उपकरण	6.54	8.15	0.88	0.18	8.85	2.46	1.96	-0.14	4.28	4.57	5.69

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
₹ 10,000/– तक लागत की स्थायी परिसम्पत्तिया		0.20	0.02		0.22	0.20	0.02		0.22		
पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तिया											
पट्टे पर भूमि (विकास व्यय सहित)	10.89	52.25			52.25	0.18	0.76		0.94	51.31	52.07
कार्यालय एवं अन्य उपकरण		0.52			0.52	0.08	0.10		0.18	0.34	0.44
कुल	**3987.02**	**4717.94**	**486.70**	**23.13**	**5181.51**	**886.59**	**804.38**	**-5.90**	**1685.08**	**3496.43**	**3831.35**
पिछला वर्ष		**3987.02**	**750.82**	**19.90**	**4717.94**		**888.04**	**-1.45**	**886.59**	**3831.35**	**3987.02**
आरएडडी पूजी मदो का विवरण सम्पत्ति, सयत्र एव उपकरण तथा अमूर्त मे शामिल किया गया है											
सयत्र एव मशीनरी तथा अन्य उपकरण	179.96	208.60	22.28	-0.14	231.02	45.96	43.45	-0.94	88.47	142.55	162.64
भवन	22.68	22.76			21.27	1.23	1.07		2.30	18.97	21.53

31 03 2017 को सकल ब्लॉक मे **₹ 0.12 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0 37 करोड़) की सक्रिय उपयोग से रद्द की गई परिसम्पत्तिया शामिल है।

31 03 2017 को निवल ब्लॉक मे **₹ 0.12 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0 37 करोड़) की सक्रिय उपयोग से रद्द की गई परिसम्पत्तिया शामिल है।

	31.03.2017	**31.03.2016**
सकल ब्लॉक मे अनुसधान तथा परिसम्पत्तियो के लिए कार्यकारी एजेसी के रूप मे परिसम्पत्तियो की खरीद लागत के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल नही है क्योंकि सम्पत्ति कपनी के पास मौजूद नही है।	49.31	49.31

वर्ष के दौरान स्थाई परिसम्पत्तियों मे कोई हानि नहीं है।

$ 31 03 2015 को सकल ब्लॉक पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार ₹ 12254 52 करोड़ था।

नोट 3.1

अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	पारगमन तिथि 01.04.2015 को डीम्ड लागत $	01.04.2016 को लागत	संयोजन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2017 को कुल लागत	01.04.2016 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2017 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2017 को निवल ब्लॉक	31.03.2016 को निवल ब्लॉक
आतरिक रूप से विकसित											
–अन्य	19.97	34.84	7.75		42.59	11.87	12.53		24.40	18.19	23.29
अन्य											
–सॉफ्टवेयर	18.94	22.03	4.23		26.26	11.63	8.51		20.14	6.12	10.08
–तकनीकी जानकारी	109.12	117.96	0.96		118.92	20.39	20.52		40.91	78.01	97.57
–अन्य	10.27	10.27			10.27	3.85	3.85	0.13	7.83	2.44	6.42
कुल	**158.30**	**185.10**	**12.94**		**198.04**	**47.74**	**45.41**	**0.13**	**93.28**	**104.76**	**137.36**
पिछला वर्ष		**158.30**	**35.91**	**9.11**	**185.10**		**48.66**	**-0.92**	**47.74**	**137.36**	**158.30**

$ 31 03 2015 को सकल ब्लॉक पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसार ₹ 444 43 करोड़ था।

नोट नं. 4

इक्विटी पद्धति के उपयोग द्वारा निवेश की गणना

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड						
प्रारंभिक निवल परिसम्पत्ति		**120.92**		116.56		
वर्ष के लिए लाभ		**21.38**		25.52		
अन्य व्यापक आय		**(0.14)**		0.02		
लाभांश का भुगतान		**12.85**		21.18		
अंतिम निवल परिसम्पत्तियां		**129.31**		120.92		116.56
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड						
प्रारंभिक निवल परिसम्पत्ति		**59.77**		66.32		
वर्ष के लिए लाभ		**(38.46)**		(6.55)		
अन्य व्यापक आय		**0.00**		0.00		
लाभांश का भुगतान		**0.00**		0.00		
अंतिम निवल परिसम्पत्तियां		**21.31**		59.77		66.32
दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड						
प्रारंभिक निवल परिसम्पत्ति		**19.74**		22.88		
वर्ष के लिए लाभ		**(1.55)**		(3.14)		
अन्य व्यापक आय		**0.00**		0.00		
लाभांश का भुगतान		**0.00**		0.00		
अंतिम निवल परिसम्पत्तियां		**18.19**		19.74		22.88
रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड						
प्रारंभिक निवल आस्तियां		**589.32**		331.52		
इक्विटी निवेश		**0.00**		257.80		
वर्ष के लिए लाभ		**-4.93**		0.00		
अन्य व्यापक आय		**0.00**		0.00		
लाभांश का भुगतान		**0.00**		0.00		
अंतिम निवल परिसम्पत्तियां		**584.39**		589.32		331.52
इक्विटी पद्धति के उपयोग द्वारा निवेश की गणना						
प्रारंभिक निवल आस्तियां		**789.75**		537.27		
इक्विटी निवेश		**0.00**		257.80		
वर्ष के लिए लाभ		**(23.56)**		15.84		
अन्य व्यापक आय		**(0.14)**		0.02		
लाभांश का भुगतान		**12.85**		21.18		
अंतिम निवल परिसम्पत्तियां		**753.20**		789.75		537.27
पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 1999999 (गत वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00		2.00	
घटाएं : हानि के लिए प्रावधान	**2.00**	**0.00**	2.00	0.00	2.00	0.00

नोट नं. 4 (क)

वित्तीय परिसम्पत्तियां – निवेश (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
गैर–उद्धृत (पूर्ण प्रदत्त)						
इक्विटी कारक में निवेश (एफवीटीपीएल के माध्यम से उचिम मूल्य पर):						
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक (पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रत्येक) के 1892 (पिछले वर्ष 1892) इक्विटी शेयर	*		*		*	
एपी गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 728960 (पिछले वर्ष 728960) इक्विटी शेयर	**0.91**		0.91		0.91	
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 5000000 (पिछले वर्ष 5000000) इक्विटी शेयर	**5.00**		5.00		5.00	
	5.91		5.91		5.91	
जोड़ें/(घटाएं) : उचित मूल्य समायोजन	**(1.98)**	**3.93**	0.76	6.67	2.80	8.71
सहकारी समितियां#						
		3.93		6.67		8.71
*₹ 1 लाख से कम मूल्य						
गैर–उद्धृत निवेश की औसत राशि		**3.93**		6.67		8.71
निवेश के मूल्य में हानि की औसत राशि						

#सहकारी समितियों के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर ₹ 1 लाख से कम मूल्य के हैं।

नोट नं. 5

वित्तीय परिसम्पत्तियां – व्यापार प्राप्य (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
व्यापार प्राप्य	**15074.54**		15506.31		14725.18	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**4893.94**		3948.89		3123.91	
घटाएं : स्वचालित कीमत कटौती समायोजन	**391.46**	**9789.14**	429.20	11128.22	361.25	11240.02
		9789.14		11128.22		11240.02

उप वर्गीकरण :

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(₹ **9789.14 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 11128.22 करोड़)

संदिग्ध

–(₹ **5285.40 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4378.09 करोड़)

गैर–चालू व्यापार प्राप्य में आस्थगित ऋण (प्रावधानों का निवल) शामिल है

–(₹ **7989.26 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 10041.99 करोड़)

गैर–चालू व्यापार प्राप्य में मूल्यांकन समायोजन शामिल है

–(₹ **124.63 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 187.69 करोड़)

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 6

वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
कर्मचारियों को ऋण	**0.00**		0.01		0.01	
सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण	**0.00**		0.00		4.00	
ब्याज उपार्जित और ऋणों पर देय	**0.04**		0.11		0.17	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**0.01**	**0.03**	0.01	0.11	0.00	4.18
उप वर्गीकरण :						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(**₹ 0.03 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.11 करोड़)						
संदिग्ध						
–(**₹ 0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़)						
सुरक्षा जमा						
पत्तन न्यास एवं अन्यों के साथ शेष	**0.68**		0.25		0.27	
अन्य जमा	**77.64**		65.37		100.34	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए अनुमति	**0.31**	**78.01**	0.11	65.51	0.53	100.08
उप वर्गीकरण :						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(**₹ 78.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 65.51 करोड़)						
संदिग्ध						
–(**₹ 0.31 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.11 करोड़)						
		78.04		65.62		104.26
शामिल है:						
निदेशकों से बकाया						
–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)						
अधिकारियों से बकाया						
–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)						

नोट नं. 7

वित्तीय परिसम्पत्तियां – अन्य (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
12 माह से अधिक परिपक्वता अवधि के सावधि जमा	**0.00**	0.00	0.83
पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों पर प्राप्य किराया	**0.16**	0.62	1.32
	0.16	0.62	2.15

नोट नं. 8

आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें
प्रावधान	**2987.47**	2880.25	2090.02
सांविधिक बकाया	**725.88**	680.55	639.32
मूल्यह्रास	**132.18**	104.81	57.48
अन्य	**56.31**	57.50	78.92
	3901.84	3723.11	2865.74
आस्थगित कर देनदारियां	**55.65**	60.39	49.66
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**3846.19**	3662.72	2816.08

नोट नं. 9

अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		01.04.2015 को इंड एएस पारगमन तिथि को प्रारंभिक आंकड़ें	
पूंजी अग्रिम	**40.36**		34.83		35.12	
खरीद के लिए अग्रिम	**58.29**		79.63		366.05	
अन्य	**58.17**		58.53		58.59	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**23.63**	**133.19**	10.02	162.97	10.03	449.73
सुरक्षा जमा						
सीमा शुल्क एवं अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	**59.99**		62.31		53.46	
अन्य जमा	**26.80**		22.95		32.84	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**16.68**	**70.11**	7.83	77.43	7.54	78.76
		203.30		240.40		528.49

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 10

मालसूचियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें	
स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट						
उत्पादन	**204.11**		213.44		222.98	
ईंधन भंडारण	**8.10**		6.19		5.50	
विविध	**51.03**	**263.24**	50.80	270.43	46.55	275.03
कच्ची सामग्री एवं घटक	**3061.71**		3892.55		4091.32	
परिवहन में सामग्री	**257.19**	**3318.90**	552.24	4444.79	467.45	4558.77
फैब्रिकेटरों/ठेकेदारों के पास पड़ा माल		**71.32**		93.85		145.16
खुले औजार		**36.37**		33.71		35.29
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**73.31**		62.16		71.54
तैयार माल	**1297.76**		1571.43		1746.24	
परिवहन में अंतर–प्रभाग अंतरण	**133.44**	**1431.20**	134.32	1705.75	201.99	1948.23
प्रगतिशील कार्य		**2535.60**		3254.32		3212.00
(उप–ठेकेदारों के साथ मदें सहित)						
घटाएं : गैर–चालित मालसूची के लिए प्राक्धान		**350.27**		256.57		137.25
		7379.67		9608.44		10108.77

नोट :

घटाकर लिखी गई मालसूचियां **₹ 136.97 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 142.32 करोड़)

घटाएं : उस पर वापिसी **₹ 43.27 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 23.00 करोड़)

निवल **₹ 93.70 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 119.32 करोड़)

नोट नं. 11

वित्तीय परिसम्पत्तियां – व्यापार प्राप्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार प्राप्य	**27441.76**	27247.49	27795.53
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**5148.40**	4617.66	3574.72
घटाएं : स्वचालित कीमत कटौती समायोजन	**215.78**	190.94	250.62
	22077.58	22438.89	23970.19

उप–वर्गीकरण :

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(**₹ 22077.58 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 22438.89 करोड़)

संदिग्ध

–(**₹ 5364.18 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4808.60 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में आस्थगित ऋण (प्रावधानों का निवल) शामिल है

–(**₹ 8748.5 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 7916.57 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में सामान डिस्पैच लंबित बिलिंग शामिल है

–(**₹ 1038.57 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 682.93 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में मूल्यांकन समायोजन शामिल है

–(**₹ 1035.29 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 1114.65 करोड़)

चालू व्यापार प्राप्य में छः माह से अधिक के लिए बकाया ऋण शामिल है

–(**₹ 17252.79 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 17723.02 करोड़)

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

नोट नं. 12

वित्तीय परिसम्पत्तियां – नगदी एवं नगदी समतुल्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
नगदी एवं नगदी समतुल्य			
बैंकों के साथ शेष			
कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म जमा	**599.78**	764.23	720.87
अन्य*	**733.01**	788.65	437.83
स्वयं के पास नगदी एवं स्टैम्प	**0.25**	0.49	0.58
स्वयं के पास चैक, डिमांड ड्राफ्ट	**122.85**	412.73	290.74
परिवहन में भुगतान	**34.90**	0.00	0.00
3 माह या कम परिपक्वता के जमा	**0.00**	0.00	1350.00
	1490.79	1966.10	2800.02
* शामिल है:			
अदावाकृत लाभांश के अधीन पहचाना गया	**3.10**	3.27	3.72
गैर–प्रत्यावर्तन खाता	**1.77**	4.28	4.11

नोट नं. 13

वित्तीय परिसम्पत्तियां – उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाले जमा	**9002.76**	8121.10	7012.14
	9002.76	8121.10	7012.14

नोट नं. 14

वित्तीय परिसम्पत्तियां – ऋण (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें	
ऋण						
कर्मचारियों को ऋण	**0.00**		0.01		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण	**12.00**		12.00		8.00	
ब्याज उपार्जित और या ऋणों पर देय	**2.29**		2.63		1.93	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**13.83**	**0.46**	2.62	12.02	0.03	9.91
उप वर्गीकरण :						
प्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़)						
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए						
–(₹ **0.45 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 12.01 करोड़)						
संदिग्ध						
–(₹ **13.83 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 2.62 करोड़)						
सुरक्षा जमा						
पत्तन न्यास एवं अन्यों के साथ शेष	**1.47**		1.78		1.95	
अन्य	**137.74**		164.03		85.37	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए अनुमति	**3.89**	**135.32**	4.02	161.79	6.01	81.31
		135.78		173.81		91.22

उप वर्गीकरण :

प्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(₹ **50.88 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 37.11 करोड़)

अप्रतिभूत, अच्छे माने गए

–(₹ **84.24 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 124.68 करोड़)

संदिग्ध

–(₹ **3.89 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4.02 करोड़)

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(₹ **शून्य** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(₹ **0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़)

नोट नं. 15

वित्तीय परिसम्पत्तियां – अन्य (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें	
बैंक जमा एवं निवेशों पर उपार्जित ब्याज	**183.83**		122.08		175.03	
पट्टाधीन परिसम्पत्तियों पर प्राप्य किराया	**0.56**		0.91		0.93	
कर्मचारियों को अग्रिम	**34.66**	**219.05**	36.11	159.10	39.83	215.79
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति		**0.03**		0.08		0.13
		219.02		159.02		215.66

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ 0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ 0.11 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.12 करोड़)

नोट नं. 16.

चालू कर परिसम्पत्तियां – (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
अग्रिम कर / टीडीएस	**4365.15**	6835.27	6537.94
कराधार के लिए प्रावधान	**-3492.06**	-6252.31	-5909.46
	873.09	582.96	628.48

नोट नं. 17

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें	
अग्रिम						
खरीद के लिए	**352.54**		495.48		507.58	
अन्य को	**1009.93**		1127.51		1180.99	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए अनुमति	**202.75**	**1159.72**	78.65	1544.34	79.87	1608.70
सुरक्षा जमा						
सीमा शुल्क एवं अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	**582.26**		537.29		525.56	
अन्य	**21.38**		25.23		27.06	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति	**38.09**	**565.55**	17.27	545.25	17.59	535.03
		1725.27		2089.59		2143.73

शामिल है:

निदेशकों से बकाया

–(**₹ 0.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

अधिकारियों से बकाया

–(**₹ 0.04 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़)

नोट नं. 18

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें		भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें	
क. इक्विटी शेयर पूंजी						
प्राधिकृत						
		2000.00		2000.00		2000.00
प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)						
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**489.52**		489.52		489.52
प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 शेयर)						
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान नीचे दर्शाया गया है:						
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600,000	489.52	2,447,600,000	489.52
वर्ष के दौरान पुनः क्रय किए गए शेयर		**-**		-		-
वर्ष की समाप्ति में बकाया शेयर	2447600000	489.52	2447600000	489.52	2447600000	489.52
ख) वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत के राष्ट्रपति (पीओआई)	1543452000	63.06%	1543452000	63.06%	1543452000	63.06%
भारतीय जीवन बीमा निगम	230453920	9.42%	230459320	9.42%	230516784	9.42%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00		2.00
ग) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार						
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसमें प्रति शेयर ₹ 2 कीमत के है (पिछले वर्ष ₹ 2 के प्रति शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है।						

नोट नं. 19

वित्तीय देनदारियां – उधार (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
अप्रतिभूत			
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वता	**89.55**	126.29	61.00
(देखें पट्टे पर नोट सं. 40 का पैरा 10)			
	89.55	126.29	61.00

नोट नं. 20

वित्तीय देनदारियां – व्यापार भुगतेय (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार भुगतेय	**633.10**	747.69	645.03
	633.10	747.69	645.03

नोट नं. 21

अन्य वित्तीय देनदारियां (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	**104.71**	123.51	90.16
	104.71	123.51	90.16

नोट नं. 22

प्रावधान (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
अनुबंधित दायित्व – दीर्घावधि	**3244.33**	4177.43	3067.59
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	**1524.40**	2994.39	2710.93
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**218.48**	424.52	511.41
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	**18.98**	33.27	45.09
	5006.19	7629.61	6335.02

*(सीएसआर व्यय पर नोट नं. 39 का पैरा 16 देखें)

नोट नं. 23

अन्य गैर–चालू देयताए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**2978.80**	3637.78	4559.44
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान**	**4.56**	0.00	0.00
	2983.36	3637.78	4559.44

**सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त

नोट नं. 24

वित्तीय देयताएं – उधार (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
प्रतिभूत			
नगद क्रेडिट (करोड़ शेष)	**6.03**	3.53	2.14
	6.03	3.53	2.14

नोट नं. 25

वित्तीय देनदारियां – व्यापार भुगतेय (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
व्यापार भुगतेय	**8697.72**	8672.27	8759.06
स्वीकार्यता	**18.16**	36.17	44.11
	8715.88	8708.44	8803.17

(व्यापार भुगतेय में लघु एवं मध्यम उद्यम **₹ 234.57 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 193.51 करोड़) शामिल है)

लघु एवं मध्यम उद्यम प्रकटन के लिए नोट नं. 40 का पैरा 9 देखें

नोट नं. 26

अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
वित्तीय पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता#	**60.31**	76.15	56.83
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	**511.07**	529.42	517.36
अभुगतेय लाभांश*	**3.10**	3.27	3.72
अन्य भुगतेय / देनदारियां			
–केपेक्स	**116.61**	134.31	193.49
–कर्मचारी बकाया	**187.57**	208.71	322.17
–अन्य बकाया	**647.16**	684.45	599.13
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	**0.59**	0.57	0.40
ब्याज उपार्जित एवं निम्नलिखित से ऋणों पर देय:			
राज्य सरकार ऋण	**2.33**	2.33	2.33
वित्तीय पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता	**3.65**	5.43	4.16
	1532.39	1644.64	1699.59

*तुलन पत्र की तिथि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित होने वाली कोई राशि देय एवं बकाया नहीं है।
(पट्टे पर नोट 40 का पैरा 10 देखें)

नोट नं. 27

अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**5267.20**	6623.40	6959.08
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान**	**0.26**	0.00	0.00
अन्य भुगतान/देनदारियां – सांविधिक बकाया	**427.09**	423.03	455.12
	5694.55	7046.43	7414.20

ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम में मूल्यांकन समायोजन शामिल है:

–(**₹ 2333.52 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 2861.41 करोड़)

** सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त

नोट नं. 28

प्रावधान (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि 01.04.2015 के प्रारंभिक आंकड़ें
अनुबंधित दायित्व	**1983.63**	1629.67	2511.19
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	**1492.41**	588.83	479.87
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व##	**34.92**	56.41	18.51
अन्य संक्षिप्त–अवधि प्रावधान	**682.82**	1062.70	972.97
##(सीएसआर व्यय पर नोट नं. 40 का पैरा 17 देखें)			
	4193.78	3337.61	3982.54

नोट नं. 29

प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
(क)	**बिक्री घटाकर प्रतिफल**			**23956.39**	21816.13
	(उत्पाद शुल्क **₹ 1102.06 करोड़** पिछले वर्ष ₹ 960.92 करोड़ शामिल है)				
	बाहरी संस्थापन एवं अन्य सेवाओं से आय			**5010.72**	4323.57
	(सेवा कर **₹ 534.98 करोड़** पिछले वर्ष ₹ 490.10 करोड़ का निवल)			**95.22**	49.53
	निवल बिक्री	**(क)**		**28871.89**	26090.17
(ख)	**अन्य प्रचालन आय**				
	निर्यात प्रोत्साहन			**37.96**	34.24
	वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों पर वित्त आय			**0.10**	0.21
	स्क्रैप आय			**168.61**	158.61
	मालभाड़ा एवं बीमा आय			**298.92**	268.87
	उचित मूल्य समायोजन (गैरचालित) खाता			**98.88**	96.20
	अन्य			**30.21**	30.22
		(ख)		**634.68**	588.35
	कुल	**(क)+(ख)**		**29506.57**	26678.52
प्रचालनों से राजस्व					
क.	वैकल्पिक कीमतों पर आधारित शामिल।		₹ करोड़	**74.09**	47.20
ख.	वर्ष के दौरान रेलवे के साथ कीमत निपटान के अनुरूप पिछले वर्षों में किए गए डिस्पैच के लिए अतिरिक्त दावे शामिल ।		₹ करोड़	**214.65**	204.05
ग.	वर्तमान उपलब्ध सूचियों की सीमा तक उपार्जित आधार पर विस्तारित दावों सहित बिक्री अनुबंधों के अनुसरण में किए गए विस्तारित दावें शामिल।		₹ करोड़	**899.51**	1051.47
घ.	ग्राहकों की ओर से उनके अनुरोध पर धारित उपकरण जिसका भुगतान कम्पनी को प्राप्त हो गया है, का डिस्पैच शामिल		₹ करोड़	**3.42**	0.00
ङ	अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलीवरी में देरी के कारण कीमत में कटौती (प्रतिफल का निवल) को छोड़कर।		₹ करोड़	**12.50**	32.20

नोट नं. 30

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
क.	अन्य आय			
	सरकारी अनुदान		**0.17**	0.00
	पीपीई के टर्म की बिक्री से लाभ		**2.36**	5.75
	विनिमय परिवर्तन (करोड़ शेष)		**0.00**	402.70
	निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि–व्यापार)		**21.02**	12.97
	अन्य		**282.47**	292.14
		कुल (क)	**306.02**	713.56
ख.	ब्याज आय*			
	बैंकों से		**671.46**	685.80
	अन्य		**5.88**	77.07
		कुल (ख)	**677.34**	762.87
	कुल अन्य आय	कुल (क+ख)	**983.36**	1476.43

*टीडीएस ₹ **69.16 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 70.53 करोड़) शामिल है।

नोट नं. 31

सामग्री खपत की लागत, संस्थापन एवं अभियांत्रिकी व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
कच्ची सामग्री एवं घटकों की खपत	**13125.88**	13028.88
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	**425.65**	422.36
संस्थापन एवं अभियांत्रिकी व्यय – उपठेकेदारों को भुगतान	**3055.51**	2978.08
घटाएं : पीवी समायोजन सामग्री/उपअनुबंधित लागत	**16.36**	22.60
	16590.68	16406.72

नोट नं. 32

तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन और प्रगतिशील कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
प्रगतिशील कार्य				
अंतिम शेष	**2535.60**		3254.32	
प्रारंभिक शेष	**3254.32**	**-718.72**	3212.00	42.32
तैयार माल $				
अंतिम शेष	**1297.76**		1571.43	
प्रारंभिक शेष	**1571.43**	**-273.67**	1746.24	-174.81
परिवहन में अंतर–प्रभाग अंतरण		**-0.55**		-77.56
		-992.94		-210.05
नोट :				
$ तैयार माल पर उत्पाद शुल्क का प्रावधान				
अंतिम शेष		**134.25**		154.59
प्रारंभिक शेष		**154.59**		128.31

नोट नं. 33

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते एवं अन्य हितलाभ	**4489.95**	4530.59
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	**117.85**	110.89
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**350.37**	320.65
समूह बीमा	**11.25**	11.52
कर्मचारी कल्याण व्यय	**438.58**	413.68
	5408.00	5387.33

नोट नं. 34

विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
रॉयल्टी, तकनीकी, रेजीडेंट परामर्श प्रभार एवं अन्य परामर्श प्रभार		**118.70**		102.15
किराया : आवासीय	**49.09**		54.79	
गैर–आवासीय	**25.41**	**74.50**	26.63	81.42
उत्पाद शुल्क		**1254.39**		1158.08
विद्युत एवं ईंधन		**451.55**		499.47
दरें एवं कर		**51.46**		68.05
सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर एवं अन्य उपकर		**12.26**		15.25
विनिमय अंतर		**269.71**		0.00
बीमा		**123.87**		135.86
मरम्मत:				
भवन		**66.65**		90.64
संयंत्र एवं मशीनरी		**39.59**		42.83
अन्य		**114.05**		131.60
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय		**15.72**		21.18
बट्टाकृत हानि		**13.60**		0.01
वर्ष के दौरान बट्टाकृत अशोध्य ऋण		**72.86**		17.00
बाह्य ढुलाई प्रभार		**425.73**		371.67
यात्रा एवं वाहन खर्च		**124.68**		146.58
अन्य उप अनुबंधों पर व्यय		**322.18**		345.37
विविध व्यय		**762.48**		692.09
प्रभारित किए गए निर्णीत हर्जाने		**84.69**		6.58
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		**37.50**		110.10
इक्विटी शेयर के निवेश में उचित मूल्य हानि		**2.74**		2.04
		4438.91		4037.97
लेखापरीक्षकों को भुगतान (सेवा कर एवं अन्य उपकर का निवल)				
लेखापरीक्षा शुल्क में शामिल–लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षा शुल्क)– वर्ष के लिए	₹ करोड़	**0.78**		0.66
लेखापरीक्षकों को भुगतान–बाहर के लेखापरीक्षक	₹ करोड़	**0.01**		0.03
लेखापरीक्षकों को भुगतान–व्यय की प्रतिपूर्ति	₹ करोड़	**0.12**		0.12
लेखापरीक्षकों को भुगतान–कराधान मामले– वर्ष के लिए	₹ करोड़	**0.14**		0.14
लेखापरीक्षकों को भुगतान–अन्य सेवाएं	₹ करोड़	**0.39**		0.35
लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान (लेखापरीक्षा शुल्क)– वर्ष के लिए (सेवा कर एवं स्वच्छ भारत उपकर एवं अन्य उपकर का निवल)	₹ करोड़	**0.13**		0.12

विवरण		31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
निम्नानुसार विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय:			
संयंत्र एवं मशीनरी	₹ करोड़	**206.65**	218.58
भवन	₹ करोड़	**48.32**	56.40
अन्य	₹ करोड़	**35.63**	37.64
निर्यात पर एजेंसी कमीशन में निर्यात से जुड़ा व्यय शामिल है	₹ करोड़	**12.34**	8.21
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	₹ करोड़	**240.74**	270.63
किराया आवासीय	₹ करोड़	**49.09**	54.79
मनोरंजन पर व्यय	₹ करोड़	**5.47**	5.67
विदेश यात्रा पर व्यय			
टूर की सं.		**294**	390
व्यय रुपए में	₹ करोड़	**5.09**	8.75
प्रचार एवं जन सम्पर्क पर व्यय			
वेतन भत्ते एवं अन्य हितलाभ	₹ करोड़	**16.20**	11.83
अन्य व्यय	₹ करोड़	**8.95**	9.67
निदेशक का शुल्क	₹ करोड़	**0.13**	0.18

नोट नं. 35

प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाने तथा जमा एवं अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**2964.19**		2833.01	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**1491.65**	**1472.54**	941.74	1891.27
अनुबंधित दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**619.99**		638.99	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**1446.68**	**-826.69**	692.33	-53.34
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**1565.40**		454.24	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**937.03**	**628.37**	252.26	201.98
		1274.22		2039.91

नोट नं. 36

वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
ब्याज व्यय	**61.84**	26.82
उधार लागत (आस्थगित देयताओं के संचयन पर)	**30.06**	38.32
उधार लागतें (प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**259.40**	294.67
	351.30	359.81
घटाएं : पूंजीकृत उधार लागत	**0.00**	0.00
	351.30	359.81

नोट नं. 37

कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें		31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	
क) वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	**610.11**		396.32	
पिछले वर्षों के लिए	**-311.76**	**298.35**	-5.24	391.08
ख) आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	**-463.11**		-834.37	
पिछले वर्षों के लिए	**295.15**	**-167.96**	-12.26	-846.63
		130.39		-455.55

नोट नं. 38

अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
परिभाषित कर्मचारी हितलाभों का पुनः मापन	**-43.67**	-116.65
उपरोक्त मदों के संबंध में आयकर*	**-15.11**	-40.27
	-28.56	-76.38

*इसमें वर्तमान कर **₹ 0.42 करोड़** और आस्थगित कर ₹ –**15.53 करोड़** (पिछले वर्ष वर्तमान कर ₹ –40.27 करोड़ और आस्थगित कर ₹ शून्य) शामिल है।

नोट नं. 39

प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़ें
इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ	**455.18**	-705.58
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**244.76**	244.76
मूल एवं तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन (भारतीय रूपये में)	**1.86**	-2.88

नोट नं. 40
लेखाओं पर टिप्पणियां

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" अथवा "कंपनी") एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में स्थित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049 में है।

कंपनी एकीकृत पावर प्लांट निर्माता है जो पावर, ट्रांसमिशन, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीनय ऊर्जा, तेल एवं गैस तथा रक्षा जैसे अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, स्थापन, जांच, कमिशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न है।

कम्पनी के पास एक सहायक कंपनी नामतः बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. और संयुक्त उद्यम कंपनियां नामतः बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लि., एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि., पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. और दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि. हैं।

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कम्पनी"), इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम इकाईयों में इसके हित से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय परिणामों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

लेखाकरण के आधार

i) सहायक कम्पनी और संयुक्त उद्यमों में हित के वित्तीय परिणामों पर विचार करते समय मूल कम्पनी की इस रिपोर्टिंग तिथि तक आहरित किया गया है

ii) समेकित वित्तीय विवरण "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भारतीय लेखा मानक 110 और "सहायक तथा संयुक्त उद्यामें में निवेश" पर भारतीय लेखा मानक–28 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

समेकन के आधार

1. सहायक कंपनी एक इकाई है जिसे कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों को "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार अंतर–समूह शेष और अंतर–समूह लेनदेनों तथा अप्राप्त लाभ या हानि को पूर्णतः हटाने के बाद परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के संबद्ध मदों की बुक वेल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन–दर–लाइन आधार पर मिलाया जाता है।

2. इक्विटी–मान्यता निवेशकों से संयुक्त उद्यम में कम्पनी के हित शामिल है। संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम्पनी का संयुक्त नियंत्रण होता है जिसमें कम्पनी के पास अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए अपने दायित्वों के बदले व्यवस्था की निवल परिसम्पत्तियों का अधिकार होता है। संयुक्त उद्यम में हित की गणना इक्विटी पद्धति के उपयोग द्वारा की जाती है। उन्हें प्रारंभ में लागत के तौर पर मान्यता दी जाती है जिसमें लेनदेन लागत शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यताओं के अनुवर्ती समेकित विवरणों में लाभ या हानि में कम्पनी की हिस्सेदारी और इक्विटी–गणना योग्य निवेशकों का ओसीआई उस तिथि तक शामिल होता है जब तक महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता ।

3. समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेनदेनों और समान परिस्थितियों में अन्य वृत्तांत के लिए एकसमान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग कर तैयार किया गया है और इन्हें संभावित सीमा तक प्रस्तुत किया जाता है।

4. वर्ष के लिए सहायक कंपनी की समेकित निवल हानि का अल्पमत हित भाग कम्पनी के शेयरधारकों के आरोप्य निवल आय पर गणना के उद्देश्य से समूह की आय के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

5. सहायक कंपनी की समेकित निवल देयताओं का अल्पमत हित भाग को पहचाना जाता है और परिसम्पत्तियों/देयताओं एवं कम्पनी शेयरधारक की इक्विटी से अलग समेकित वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित वित्तीय परिणामों में निम्नलिखित इकाईयों के परिणाम शामिल हैं:–

विवरण	व्यवसाय का मूल स्थान	स्वामित्व का अनुपात	
		2016-17	2015-16
सहायक कंपनी			
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल)	भारत	**51**	51
संयुक्त उद्यम कंपनियां (इक्विटी पद्धति उपयोग हेतु गणना की गई)			
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50% से कम एक शेयर**	50% से कम एक शेयर
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	भारत	**50**	50
रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	**27.34**	27.34
दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड	भारत	**50**	50

क) बीएचईएल–ईएमएल के वित्तीय विवरण 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित हैं।

ख) समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. (पीपीआईएल) के संबंध में संयुक्त उद्यम हित पर विचार नहीं किया गया है जैसा कि कम्पनी परिसमापन के अधीन है। इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि क्षतिपूर्ती के रूप में दी गई है।

ग) 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि. और रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि. के संबंध में संयुक्त उद्यम हित पर विचार किया गया है।

घ) 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में संयुक्त उद्यम हित पर विचार किया गया है।

1. भारतीय लेखा मानक–101 का पहली बार अंगीकरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी पहली वित्तीय विवरणी भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार की है। 31 मार्च, 2016 सहित तथा इस तक की अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों सहित अपनी वित्तीय विवरणियां भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अनुसार तैयार की थी। कंपनी की भारतीय लेखा मानक आरंभिक तुलन पत्र की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2015 (भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख) है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक जानकारी तथा 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार आरंभिक लेखा मानक तुलन पत्र (कंपनी की परिवर्तन तारीख) को तैयार करने में नोट 1 में निर्धारित की गई लेखा नीतियां प्रयोग की गई हैं। भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में उन मान्यता और माप सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए जो भारतीय लेखा मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियों को पहली बार तैयार करने की प्रभावी तारीख, 31 मार्च, 2017 को लागू मानकों और व्याख्याओं पर आधारित है। इन लेखा सिद्धांत और माप सिद्धांतों को प्रथम भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए परिवर्तन की तारीख के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

01 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार आस्तियों और देयताओं की आगे ले जाई गई राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2015 को प्रस्तुत की गई भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियां तुलन पत्र में प्रस्तुत की गई राशियों के बीच किसी प्रकार के परिणामी अंतर को उनके जहां भी लागू होने पर भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र में बरकरार रखी गई आय के अंतर्गत इक्विटी में मान्यता दी गई थी।

पिछले सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियां से भारतीय लेखा मानक में हुए परिवर्तन ने किस प्रकार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन को प्रभावित किया, इसकी व्याख्या निम्नलिखित तालिकाओं और टिप्पणियों में की गई है।

प्राप्त की गई छूटें और अपवाद

01 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक आरंभिक तुलन पत्र में, 31 मार्च, 2015 को भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों से आस्तियों और देयताओं की आगे ले जाई गई राशि को 31 मार्च, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्यता दी गई है तथा मापा गया है। तथापि, कुछ व्यक्तिगत मामलों के लिए, भारतीय लेखा मानक 101 इंड एएस को पूर्वव्यापी तौर पर अनुप्रयोग के सामान्य सिद्धांतों के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक आरंभिक तुलन पत्र तैयार करने में समूह ने निम्नलिखित छूट और अपवाद प्रयोग किए हैं।

प्राप्त की गई वैकल्पिक छूटः

i) संपत्ति, प्लांट और उपकरण एवं अप्रत्यक्ष आस्तियां

भारतीय लेखा मानक 101 पहली बार अपनाने वाले को उसकी समस्त संपत्ति, प्लांट और उपकरणों के मूल्य, जैसा कि भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणी में मान्यता दी गई है, पिछले भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों (भारतीय सामान्यतः लेखा पद्धितियां) के अनुसार मापा गया है तथा डी–कमिशनिंग देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद परिवर्तन की तारीख पर उसकी मानी गई लागत को जारी रखने और आगे ले जाने की अनुमति देता है। इस छूट को भारतीय लेखा मानक 38, अप्रत्यक्ष आस्तियों में आने वाली अप्रत्यक्ष आस्तियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार, कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति, प्लांट और उपकरणों एवं अप्रत्यक्ष संपत्ति को अपने पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी वाले मूल्य अनुसार माापने का निर्णय लिया है।

ii) व्यवसाय संयोजन

भारतीय लेखा मानक 101 परिवर्तन की तारीख से प्रत्याशित प्रभाव अथवा परिवर्तन की तारीख से पूर्व किसी विशिष्ट तारीख से भारतीय लेखा मानक 103 को लागू करने का विकल्प देता है। कंपनी ने परिवर्तन की तारीख से प्रत्याशित प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 103 ''व्यवसाय संयोजन'' को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 01 अप्रैल, 2015 से पूर्व घटित व्यवसाय संयोजन को फिर से दोहराया नहीं गया है।

भारतीय लेखा मानक अनिवार्य अपवादः

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और प्रमाण

भारतीय लेखा मानक 101 को उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और प्रमाण का आकलन करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता है जो भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख को मौजूद हो। तदनुसार, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी सभी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और प्रमाणन कराया है।

ii) आकलन

लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख के अनुसार भारतीय लेखा मानक के साथ एक इकाई का अनुमान पिछले भारतीय सामान्यत स्वीकार्य लेखा पद्धतियों (लेखा नीतियों में कोई अंतर दिखाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार उसी तारीख के लिए किए गए अनुमानों के अनुरुप होगा, जब तक कि कोई विशिष्ट प्रमाण न हो कि उन अनुमानों में त्रुटि थी। 01 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक अनुमान पिछले स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अनुरुप होने की तारीख के अनुमान के अनुरुप हैं।

पहली बार अंगीकृत करने हेतु टिप्पणियां :

i) वित्त पट्टा के रुप में लोकोमोटिव का वर्गीकरण :

01 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दिए गए लोकोमोटिव को निर्माता डीलर पट्टादाता के लिए दी गई निर्देशिका के अनुसार खातों में लिया गया था तथा पिछले आईजीएएपी के अंतर्गत स्थायी आस्तियों के तौर पर मान्यता दी गई थीं। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, वित्त पट्टे पर दिए गए लोकोमोटिव को ₹ 2.25 करोड़ की पिछली भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियां निवल आगे ले जाए गए मूल्य द्वारा मान्यता रद्द की गई है तथा अनुरुपी वित्त पट्टा प्राप्तियों को उनकी पारगमन तिथि पर मान्यता दी गई है।

ii) सीडब्ल्यूआईपी के रुप में वर्गीकृत स्टोर्स और स्पेयर्स तथा पुनःसंयोजित व्यय :

इन्वेंटरी के तौर पर वर्गीकृत स्टोर्स और स्पेयर्स को उनके उपयोगी जीवनकाल के पश्चात पूंजी में परिणत किया गया तथा उनका मूल्यह्रास किया गया, जिनका मूल्य 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार ₹ 1.53 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, पुनः संयोजन कार्य पर हुए व्यय को भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में पीपीई की मद के तौर पर पूंजीकृत किया गया। इसके निवल प्रभाव से 01–04–2015 की स्थिति अनुसार धारित आय में रु. 0.40 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा 2015–16 के लिए लाभ में ₹ 1.83 करोड़ की वृद्धि हुई है।

iii) प्रस्तावित लाभांश :

भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अंतर्गत, कंपनी ने उस वर्ष में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लिया है, हालांकि उस लाभांश का अनुमोदन रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात हुआ था। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, प्रस्तावित लाभांश तब तक देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है जब तक शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है। कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 151.75 करोड़ का लाभांश (सीडीटी सहित ₹ 182.64 करोड़) घोषित किया है जिसे ₹ 182.64 करोड द्वारा धारित आय में वृद्धि के अनुरुपी प्रभाव से परिवर्तन की तारीख पर भारतीय लेखा मानक के अनुसार विपरीत किया गया है। 2016–17 में घोषित वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 97.90 करोड़ (सीडीटी सहित ₹ 117.83 करोड़) के लाभांश को विपरीत किया गया है तथा 2015–16 में घोषित वर्ष 2014–15 का ₹ 151.75 करोड़ (सीडीटी सहित ₹ 182.64 करोड़) के लाभांश को समायोजित किया गया है। इसके प्रभाव से 2015–16 के लिए धारित आय में ₹ 64.81 करोड़ की कमी हुई है।

iv) सरकारी अनुदान को विलंबित आय के तौर पर दर्शाया जा सकता है:

भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, प्राप्त ₹ 1.38 करोड़ के सरकारी अनुदान को कंपनी ने पूंजी रिजर्व के रुप में माना है। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, पूंजीगत आस्तियों के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को विलंबित आय के तौर पर माना जाना चाहिए तथा भारतीय लेखा मानक के अनुसार व्यवस्थित आधार पर इसका ऋण चुकाया जाना चाहिए। ₹ 1.38 करोड़ की राशि को तदनुसार परिवर्तन की तारीख से आय के तौर पर बनाए रखने के लिए पूंजीगत रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

v) पीएंडएल (एफवीटीपीएल) के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश को उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाना :

इंड एएस के अनुसार, कंपनी ने एफवीटीपीएल पर ₹ 5.91 करोड़ मूल्य के विशिष्ट निवेशों को वर्गीकृत किया है। इन निवेशों का उचित मूल्य ₹ 8.71 करोड़ आंका गया है। ₹ 2.80 करोड़ का लाभ 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार आय को बनाए रखने के लिए समायोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 में, इन निवेशों का उचित मूल्य ₹ 6.67 करोड़ परिकलित किया गया है तथा ₹ 2.04 करोड़ के परिणामी प्रभाव की गणना पीएंडएल के माध्यम से की गई है।

vi) राजस्व करारों की गणना पूर्णता पद्धति के प्रतिशत (पीओसीएम) पर की गई हैं:

भारतीय लेखा मानक 11 के अनुसार, पीओसीएम में 01.04.2013 से पहले किए गए करारों से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना कंपनी ने की है। समायोजन के प्रभाव से धारित आय में ₹ 9.60 करोड की कमी आई है जिसके परिणामस्वरुप 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार ट्रेड प्राप्तियों और वारंटी दायित्वों के लिए प्रावधान पर प्रभाव पड़ा है। समायोजन के प्रभाव से लाभ में ₹ 8.03 करोड़ की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप 2015–16 के लिए टर्नओवर तथा वारंटी दायित्वों पर प्रभाव पड़ा है।

vii) मौजूदा मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान करना :

भारतीय लेखा मानक के अनुसार, दीर्घावधि प्रावधानों की गणना मौजदा मूल्य पर की जानी चाहिए जहां दायित्वों का निपटान संभवतः बाद की तारीख पर किया जाता है। तदनुसार, अन्य दीर्घावधि प्रावधान जहां लागू होते हैं, उनका मूल्यांकन मौजूदा मूल्य पर किया गया है तथा समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹ 37.22 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा समान राशि द्वारा प्रावधान में कमी हुई है। इन प्रावधानों पर ब्याज को खोलना तथा वर्ष के दौरान की गई वृद्धि के संबंध में इन प्रावधानों की छूट का निवल प्रभाव के कारण 2015–16 के लाभ में ₹ 20.57 करोड़ की कमी हुई है।

viii) मौजूदा मूल्य पर दीर्घकालिक करार संबंधी दायित्व की पहचान करना:

भारतीय लेखा मानक के अनुसार जहां दायित्वों का निपटान बाद की तारीख में किया जाना होता है तथा समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, प्रावधान मौजूदा मूल्य पर हिसाब में लिए जाते हैं। तदनुसार, दीर्घावधि करार संबंधी दायित्वों का आकलन मौजूदा मूल्य पर किया गया है तथा समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹ 538.93 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा समान राशि द्वारा प्रावधान में कमी हुई है। इन प्रावधानों पर ब्याज को खोलना तथा वर्ष के दौरान की गई वृद्धि के संबंध में इन प्रावधानों की छूट का निवल प्रभाव के कारण 2015–16 के लाभ में ₹ 184.08 करोड़ की कमी हुई है।

ix) प्रतिफल का उचित मूल्य:

भारतीय लेखा मानक निर्माण करारों के संबंध में राजस्व अभिज्ञान को उचित मूल्य पर निर्धारित करता है। सामान्यतया लेन–देन मूल्य उन विशिष्ट करारों को छोड़ कर निर्माण करारों के संबंध में प्रतिफल का उचित मूल्य होता है, जहां करार संबंधी भुगतान शर्तों के अनुसार अग्रिम का प्रतिशत विलंबित ऋणों की तुलना में कम होता है। परिणामस्वरुप इसके प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति को विलंबित ऋणों में कमी की तुलना में स्थगित आय में ₹ 193.49 करोड़ की कमी हुई है। परिणामस्वरुप निवल प्रभाव से टर्नओवर में ₹ 49.53 करोड़ की कमी हुई है तथा अन्य परिचालन आय में ₹ 96.20 करोड़ की वृद्धि हुई है, 2015–16 के लिए लाभ में ₹ 46.66 करोड़ की वृद्धि हुई है।

x) विलंबित देयता की छूट :

भारतीय लेखा मानक के अनुसार जहां करार संबंधी भुगतान शर्तों में विलंबित भुगतान सम्मिलित होता है तथा अग्रिम प्रतिशत पर विचार करने के लिए धन का सामयिक मूल्य बनाता है, ऐसी विलंबित देयता की पहचान रियायती मूल्य पर की जाती है तथा बाद में ऋण लागत के रुप में खोलता है। समायोजन के प्रभाव से 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय ₹ 60.80 करोड़ बढ़ गई है तथा समान राशि से विलंबित देयता कम हो गई है। 2015–16 के लिए प्रभाव से सामग्री लागत / उप–करार संबंधी लागत की खपत में ₹ 22.60 करोड़ की कमी तथा इन देयताओं पर ब्याज को खोलने के लिए ₹ 37.99 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप 2015–16 के लिए लाभ में ₹ 15.39 करोड़ की कमी आई है।

xi) अनुमानित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

ट्रेड प्राप्य के संबंध में क्षति हानि की गणना समय मूल्य के लिए प्रतिगमन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुमानित ऋण हानि के द्वारा की गई है। समायोजन के प्रभाव से प्रतिधारित आय में 01 अप्रैल, 2015 को ₹ 2230 करोड़ की कमी हुई है। समायोजन के प्रभाव से 2015–16 के लिए प्रावधान को ₹ 328 करोड़ से विपरीत किया गया है।

xii) अग्रिमों के पुनःकथन का वर्गीकरण समायोजन :

अग्रिमों के समायोजन का पुनःवर्गीकरण इंड एएस 21 के अनुसार परिवर्तन की तारीख से किया गया है, इसके प्रभाव से 01.04.2015 की स्थिति अनुसार प्रतिधारित आय में ₹ 82.54 करोड़ वृद्धि हुई है तथा 2015–16 के लिए लाभ में ₹ 33.43 करोड़ वृद्धि हुई है।

xiii) विलम्बित कर :

स्थगित करों की गणना के लिए बैलेंस शीट एप्रोच का उपयोग करने के आदेश के रुप में भारतीय लेखा मानक के साथ परिवर्तन समायोजन के प्रभाव ने बाद की अवधियों के लिए लाभ और हानि खाते के परिणामी प्रभाव के साथ परिवर्तन की तारीख पर रिजर्व को उत्तरदायी बनाया है।

xiv) अन्य व्यापक आय :

भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अंतर्गत, कंपनी ने अलग से अन्य व्यापक आमदनी (ओआईसी) को प्रस्तुत नहीं किया है। लाभ और हानि विवरणी से अन्य व्यापक आमदनी को पुनः वर्गीकृत की गई मदों में 2015–16 में ₹ 76.38 करोड़ (शुद्ध कर) की परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्प्रमाणन शामिल है। सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियां लाभ अथवा हानि का मिलान भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुल व्यापक आमदनी के साथ किया गया है।

xv) संयुक्त उद्यम एवं नगदी प्रवाह का विवरण

पिछले सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अनुसार, संयुक्त उद्यमों की गणना अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करके की गई थी। भारतीय लेखा मानक पारगमन पर संयुक्त उद्यमों का समेकन भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की गई है। भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियों से भारतीय लेखा मानक तक पारगमन ने केवल संयुक्त उद्यमों के अनुपापिक नगदी प्रवाह की सीमा तक नगदी प्रवाह के विवरण पर प्रभाव डाला है।

I. पूर्व में रिपोर्टाधीन पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यतः स्वीकार्य लेखा पद्धतियां और भारतीय लेखा मानक के अनुसार इक्विटी का मिलान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक पारगमन तिथि 01.04.2015	31.03.2016 को	पहली बार अंगीकरण के संबंध में नोट में दिए गए पैरा का संदर्भ
31.03.2015 को पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के अनुसार प्रतिधारित आय	**33717.08**	**32682.98**	
पूर्व में समेकित अनंकेक्षित परिणामों के अधीन अब विचार किए गए जेवी के लेखापरीक्षित परिणामों के कारण समायोजन		13.46	
वर्ष के लिए समायोजनः			
भंडार एवं स्पेयर्स आदि का पूंजीकरण	0.40	1.83	देखें (ii)
प्रस्तावित लाभांश समायोजन	182.64	-64.81	देखें (iii)
उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश मापन का प्रभाव	2.80	-2.04	देखें (v)
राजस्व मान्यता (पीओसीएम) का प्रभाव	-9.60	8.03	देखें (vi)
वर्तमान मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान	37.22	-20.57	देखें (vii)
वर्तमान मूल्य पर दीर्घावधि अनुबंधित दायित्वों की पहचान	538.93	-184.06	देखें (viii)
निर्माण अनुबंधों पर विचाराधीन उचित मूल्य	-193.49	46.66	देखें (ix)
आस्थगित देयताओं पर छूट का प्रभाव	60.80	-15.39	देखें (x)
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	-2230.00	328.00	देखें (xi)
अग्रिम पुनर्विवरण का वर्गीकरण समायोजन	82.54	33.43	देखें (xii)
उपरोक्त समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	592.86	-68.45	देखें (xiii)
जेवी भारतीय लेखा मानक समायोजन	5.58	0.03	देखें (xiv)
जेवी लाभांश समायोजन		-5.15	
भारतीय लेखा मानक पारगमन का निवल प्रभाव		**-929.32**	
इंड एस (01.04.2015 को प्रारंभ) के अनुसार प्रतिधारित अर्जन (इक्विटी के अलावा)	**32787.76**	**31824.63**	

II. पूर्व में रिपोर्टाधीन पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी और इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय का मिलान

	₹ करोड़ में	पहली बार अंगीकरण के संबंध में नोट में दिए गए पैरा का संदर्भ
पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी 2015–16 के अनुसार निवल लाभ	**-897.39**	
पूर्व में समेकित अनंकेक्षित परिणामों के अधीन अब विचार किए गए जेवी के लेखापरीक्षित परिणामों के कारण समायोजन	13.46	
पूर्व में समायोजित लाभांश इक्विटी पद्धति के अंतर्गत गणना किया गया	-21.18	
वर्ष के लिए समायोजन, वृद्धि / (–) कमी		
भंडार एवं स्पेयर्स, रेट्रोफिटिंग आदि का पूंजीकरण	1.83	देखें (iii)
प्रस्तावित लाभांश समायोजन	-2.04	देखें (v)
उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश मापन का प्रभाव	8.03	देखें (vi)
राजस्व मान्यता (पीओसीएम) का प्रभाव	-20.57	देखें (vii)
वर्तमान मूल्य पर अन्य दीर्घावधि प्रावधानों की पहचान	-184.06	देखें (viii)
वर्तमान मूल्य पर दीर्घावधि अनुबंधित दायित्वों की पहचान	46.66	देखें (ix)
निर्माण अनुबंधों पर विचाराधीन उचित मूल्य	-15.39	देखें (x)
आस्थगित देयताओं पर छूट का प्रभाव	328.00	देखें (xi)
अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	33.43	देखें (xii)
अग्रिम पुनर्विवरण का वर्गीकरण समायोजन	-68.45	देखें (xiii)
उपरोक्त समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	-4.30	
जेवी इंड एएस समायोजन	0.03	देखें (xiv)
इंड एएस 2015–16 के अनुसार कुल व्यापक आय	**-781.94**	

2. I. प्रावधान न किए गए सीमा तक आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :

(₹ करोड़ में)

fooj.k		31.03.2017 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़ें	31.03.2016 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़
(i)	**आकस्मिक देयताएं :**		
1)	कम्पनी के विरूद्ध दावें जो ऋण के रूप में न माने गए:		
क.	आयकर मांग	**12.73**	0.96
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद के अधीन भुगतान किया गया		
ख.	बिक्रीकर मांग	**1846.50**	1229.45
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**298.34**	269.29
ग.	उत्पाद शुल्क मांग	**482.92**	467.96
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**24.17**	23.59
घ.	सीमा शुल्क मांग		0.10
	जिसके खिलाफ प्रतिवाद / न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया		
ङ	न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	**884.19**	1029.32
च.	निर्णीत हर्जाना	**6214.54**	7836.37
	उपरोक्त 1(च) में शामिल एलडी के संबंध में ग्राहकों द्वारा काटी गई राशि	**2730.50**	3161.77
छ.	ठेकेदारों द्वारा प्रदत्त दावे	**0.61**	0.61
ज.	सेवा कर मांग	**507.67**	485.94

	जिसके खिलाफ प्रतिवाद/न्यायालय आदेशों के अधीन भुगतान किया गया	**7.39**	7.34
झ.	अन्य (विवादित स्टॉफ मामलों सहित)	**34.74**	45.85

(कम्पनी द्वारा विभिन्न न्यायालय मामलों, मुकदमों एवं विवादित दावों को देखते हुए इस चरण में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की गणना नहीं की गई है)

(ii) प्रतिबद्धताएं :

क.	अनुबंधों की अनुमानित राशि, अग्रिमों का निवल, जो पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष है लेकिन प्रावधान नहीं किया गया	**193.93**	251.08
	उपरोक्त में अमूर्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए राशि शामिल है	**3.96**	0.82
ख.	संयुक्त उद्यम इकाइयों में निवेश जिसके लिए कम्पनी के गठन की तिथि/परियोजना की शुरूआत/परियोजना की पहली यूनिट/पहले ईपीसी अनुबंध की पूर्णता, जैसा भी मामला हो, की तिथि से पांच वर्षों के लिए अपने निपटान हेतु प्रतिबंधित किया गया है	**639.32**	639.32
ग.	अतिरिक्त इक्विटी स्टेक को लेने के लिए अन्य जेवी साझेदार के दायित्व के मामले में जेवी में अतिरिक्त निवेश की दिशा में प्रतिबद्धताएं	**111.26**	111.26
घ.	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए दीर्घावधि निर्माण अनुबंधों के तौर पर इसमें सामग्री आदि की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के रूप में माना गया है, इसलिए प्रकटित नहीं की गई है।		

3. (i) बैंकों से **₹ 5000 करोड़** (गत वर्ष ₹ 5000 करोड़) की नकद ऋण सीमा तथा कच्चे माल, उपकरण, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स, बही ऋण तथा वर्तमान तथा भविष्य दोनों में चालू परिसंपत्तियों को गिरवी के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत **₹ 55000 करोड़** (गत वर्ष ₹ 55000 करोड़) की बैंक गारंटी/ऋण सीमा पत्र के संबंध में कंपनी के प्रति गारंटी/क्षतिपूर्ति देयता रक्षित है। 31.03.2017 को बकाया बैंक गारंटियां **₹ 40667 करोड़** (गत वर्ष ₹ 45834 करोड़) हैं।

(ii) 31.03.2017 को स्वयं दायित्व बकाये के लिए दी गई कॉर्परेट गारंटियां **₹ 1733.80 करोड़** (गत वर्ष ₹ 3028.33 करोड़) है।

4. दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियों, व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भुगतानों, ठेकेदार के अग्रिम, जमा तथा उप ठेकेदार/फेब्रिकेटर के पास पड़े स्टाक/सामग्री के तहत दर्शाए गये शेष पुष्टि, समामेलन एवं परिणामी यदि कोई है, समायोजन के अधीन हैं। समाधान सतत आधार पर किए जाते हैं क्योंकि कंपनी दीर्घावधि निर्माण संविदाओं और प्रावधानों के व्यवसाय में है और जहां भी आवश्यक समझे गए हैं प्रावधान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। परियोजना की समाप्ति (ट्रायल आपरेशन एवं पीजी जांच पूरी होने पर) के बाद अंतिम मिलान किया जाता है। कुल प्राप्तियां (दीर्घावधि सहित) ₹ 42510 करोड़ (₹ 20195 करोड़ के आस्थगित ऋण/अन्य ऋण, जो इस समय भुगतान के लिए देय नहीं हैं और पूरी हुई परियोजनाओं के संबंध में ₹ 6287 करोड़ की बकाया राशि सहित) हैं, जिनमें से पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में ग्राहकों के साथ रिकन्साइल की नई परियोजनाओं का बकाया ऋण ₹ 5497 करोड़ है।

5. इंड एएस 11 के अधीन "निर्माण अनुबंधों के लिए विचाराधीन उचित मूल्य" पर ईएसी/आईसीएआई विचार के अनुसरण में परियोजनाओं से संबंधित धारण राशि जहां अनुबंध की शर्त के अनुसार अग्रिम प्रतिशत धारण प्रतिशत से कम है, में कारोबार की मान्यता के समय छूट दी जाती है।

कुल आस्थगित देनदारों (निवल) **₹ 16736.95 करोड़** (गत वर्ष ₹ 17957.67 करोड़) में से 31.03.2017 को उपरोक्त वर्णित ऐसी धारण राशि का परिशोधन मूल्य **₹ 1797.27 करोड़** (गत वर्ष ₹ 1256.57 करोड़) है।

6. एमोरफॉस सिलिकॉन सोलर सैल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को 1 अप्रैल, 1999 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से औपचारिक लीज करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

7. वर्तमान वित्तीय देयताओं में 1990–91 तक सरकार के निर्देश पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई गारंटी फीस के लिए **₹ 100.51 करोड़** (गत वर्ष ₹ 100.51 करोड़) राशि शामिल है। इससे छूट लेने के लिए सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है क्योंकि जिस समय ऋण लिया गया था (सरकार द्वारा गारंटीकृत) उस समय ऐसी गारंटी फीस के लिए कोई शर्त नहीं थी। कम्पनी ने 09.02.2015 के पत्र द्वारा गारंटी फीस से छूट के लिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) से फिर अनुरोध किया गया है।

8. ''कर्मचारी हितलाभ'' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटन

क. ग्रेच्युटी

कम्पनी के पास एक परिभाषित हितलाभ ग्रेच्युटी प्लान है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पांच वर्षों या उससे अधिक नियमित सेवा की है, वह अधिकतम ₹ 10 लाख के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन वेतन (15/26 x अंतिम देय मूल वेतन + महंगाई भत्ता) पाने के लिए पात्र है। भविष्य के भुगतानों में भी ग्रेच्युटी दायित्व बनता है जिकास भुगतान सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु, सेवा छोड़ते समय किया जाता है। दायित्व का मूल्यांक अनुमानित यूनिट क्रेडिट बीमांकिक पद्धति पर किया गया है।

I. ग्रेच्युटी प्लान पर निवल परिभाषित हितलाभ(परिसम्पत्ति)/दायित्व में निस्सरण

(₹ करोड़ में)

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति)/ दायित्व	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1944.44**	1913.41	**1939.47**	1909.03	**4.97**	4.38
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**117.46**	111.68			**117.46**	111.68
ब्याज लागत/आय	**155.56**	153.07	**155.16**	152.72	**0.40**	0.35
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**273.02**	264.75	**155.16**	152.72	**117.86**	112.03
ओसीआई में शामिल किया गया:						
पुनः मापन हानि (अर्जन):					**(57.53)**	16.76
निम्न से हुई बीमांकिक हानि (अर्जन)	**(56.45)**	15.65				
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसम्पत्ति पर प्रतिफल			**1.08**	(1.12)		
अन्य व्यापक आय में पहचानी गई कुल राशि	**(56.45)**	15.65	**1.08**	(1.12)	**(57.53)**	16.76
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान			**60.39**	128.21	**(60.39)**	(128.21)
भुगतान किए गए हितलाभ	**(224.85)**	(249.37)	**(224.68)**	(249.37)	**(0.17)**	-
अंतिम शेष	**1936.16**	1944.44	**1,931.42**	1939.47	**4.74**	4.97

II. योजना परिसम्पत्तियों का विवरण (बीएचईएल)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
भारत सरकार प्रतिभूतियां (उद्धृत)	**15.94%**	16.27%
राज्य सरकार प्रतिभूतियां (उद्धृत)	**31.83%**	30.46%
उच्च गुणवत्ता कॉर्पोरेट बॉण्ड (उद्धृत)	**43.41%**	44.02%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	**0.68%**	0.42%
बीमाकर्ता द्वारा संचालित निधि	**4.86%**	4.07%
बैंक शेष	**3.28%**	4.76%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

III. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन प्रत्यावर्तन दर	**पहले 4 वर्षों हेतू 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों हेतू 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु संख्या–सारणी	**आईएएलएम का 100% (2006-08)**	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

IV. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं को परिवर्तित करने के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)			
	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**(58.44)**	**64.16**	(58.70)	64.46
वेतन प्रत्यावर्तन दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**63.49**	**(58.39)**	63.78	(58.66)

मृत्यु एवं वापिसी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

महंगाई की दर, भुगतान में पेंशन की बढ़ोत्तरी की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन में वृद्धि की दर एवं जीवन अपेक्षाएं के रूप में संवेदनशीलता लागू नहीं है क्योंकि ये सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ के तौर पर होते हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की इस आधार पर गणना की गई है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपार्जित मुख्य अवधारणाओं में उचित परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व पर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े। यह विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन को नहीं दिखाता है जैसा कि यह असंभाव्य है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलग होने से होगा क्योंकि कुछ अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

V. भविष्य के वर्षों में ग्रेच्युटी प्लान का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	ग्रेच्युटी (निधिपोषित)		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1 वर्ष से कम	**236.27**	246.54	292.93
1–2 वर्ष के बीच	**200.44**	222.39	210.98
2–3 वर्ष के बीच	**145.80**	199.92	210.71
3–4 वर्ष के बीच	**140.71**	173.92	190.80
4–5 वर्ष के बीच	**111.69**	137.05	163.86
5–6 वर्ष के बीच	**101.58**	110.45	127.16
6 वर्ष से अधिक	**999.67**	854.17	716.97
कुल	**1936.16**	**1944.44**	**1913.41**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी प्लान के संबंध में अनुमानित अंशदान ₹ 119.45 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर ग्रेच्युटी परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.66 वर्ष है (31 मार्च 2016 : 14.37 वर्ष)।

VI. जोखिम आशंकाएं

मूल्यांकन कुछ अवधारणाएं, जो गतिशील प्रवृत्ति की होती है और समय के अनुसार बदलती है, उस पर आधारित होता है। ऐसे में कम्पनी को विभिन्न जोखिमों जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु, दिव्यांगता और आहरण के संबंध में अनावृत होती है।

ख. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को कम्पनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वह कम्पनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के तौर पर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर वार्षिक तौर पर किया जाता है।

I. सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ पर निवल परिभाषित हितलाभ(परिसम्पत्ति)/दायित्व में निस्सरण

(₹ करोड़ में)

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसम्पत्ति)/दायित्व	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1679.37**	1530.44	-	-	**1679.37**	1,530.44
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**30.29**	27.47	-	-	**30.29**	27.47
ब्याज लागत/आय	**134.35**	122.44	-	-	**134.35**	122.44
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**164.64**	149.91	**-**	**-**	**164.64**	149.91
ओसीआई में शामिल:						
पुन: मापन हानि (आय)					**67.82**	82.94
बीमांकिक हानि (आय) निम्न से:						
जनसांख्यिकी अवधारणाएं			-	-	**-**	-
वित्तीय अवधारणाएं	**74.43**	18.95	-	-		
अनुभव समायोजन	**(6.61)**	63.99	-	-		
अन्य व्यापक आय में पहचानी गई कुल राशि	**67.82**	82.94	**-**	**-**	**67.82**	82.94
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान			1,820.70		**(1820.70)**	-
भुगतान किया गया हितलाभ	**(91.13)**	(83.92)	-	-	**(91.13)**	(83.92)
अंतिम शेष	**1820.70**	1679.37	**1820.70**	**-**	**0.00**	1679.37

कम्पनी की योजना परिसम्पत्तियां कम्पनी के निधि दायित्वों के लिए ली गई बीमा पालिसी के संदर्भ में कम्पनी द्वारा संचालित ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।

II. **बीमांकिक अवधारणाएं**

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन प्रत्यावर्तन दर	**पहले 4 वर्षों हेतु 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों हेतु 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु संख्या–सारणी	**आईएएलएम का 100% (2006-08)**	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

III. **संवेदनशीलता विश्लेषण**

महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं को परिवर्तित करने के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा संबंधी हितलाभ			
	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**(89.34)**	**90.14**	(82.47)	83.55
वेतन प्रत्यावर्तन दर (0.50 प्रतिशत निस्सरण)	**90.94**	**(90.02)**	84.11	(82.99)

मृत्यु एवं वापिसी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की इस आधार पर गणना की गई है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपार्जित मुख्य अवधारणाओं में उचित परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व पर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़ें। यह विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन को नहीं दिखाता है जैसा कि यह असंभाव्य है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलग होने से होगा क्योंकि कुछ अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

IV. **भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1 वर्ष से कम	**103.44**	101.05	87.59
1–2 वर्ष के बीच	**105.61**	103.18	89.95
2–3 वर्ष के बीच	**108.14**	105.65	92.56
3–4 वर्ष के बीच	**111.28**	108.72	95.52
4–5 वर्ष के बीच	**115.17**	112.52	99.15
5–6 वर्ष के बीच	**119.78**	117.02	103.32
6 वर्ष से अधिक	**1,157.28**	1,031.23	962.35
कुल	**1820.70**	**1679.37**	**1,530.44**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ के संबंध में अनुमानित अंशदान ₹ 32.30 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.57 वर्ष है (31 मार्च 2016 : 13.26 वर्ष)।

V. जोखिम आशंकाएं

मूल्यांकन कुछ अवधारणाएं, जो गतिशील प्रवृत्ति की होती है और समय के अनुसार बदलती है, उस पर आधारित होता है । ऐसे में कम्पनी को विभिन्न जोखिमों जैसे वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु, दिव्यांगता और आहरण के संबंध में अनावृत होती है।

ग. दीर्घावधि छुट्टी देयता (ईएल/एचपीएल) – गैरपोषित

कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध वेतन छुट्टी का लाभ देती है जो कि अर्द्ध वार्षिक रूप से क्रमशः 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिन जुड़ती जाती हैं। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है और सेवानिवृत्ति के समय यह 300 दिन (अधिकतम) है। अर्द्ध वेतन छुट्टी सेवा–निवृति से तीन महीने पूर्व या 50 वर्ष की आयु के ऊपर विमुक्त होने पर अधिकतम 480 दिनों की कुल सीमा तक नकदीकरण योग्य होती है। अवकाश देयता को दीर्घ अवधि लाभ माना गया है और प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट बीमांकिक पद्धति का उपयोग करते हुए उसका मूल्यांकन किया गया है।

I. निवल परिभाषित हितलाभ(परिसम्पत्ति)/दायित्व में निस्सरण

(₹ करोड़ में)

	दीर्घावधि छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक शेष	**1628.73**	1479.87
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	**107.77**	60.35
ब्याज लागत (आय)	**130.30**	118.39
बीमांकिक हानि (अर्जन)	**226.30**	263.06
लाभ या हानि में पहचानी गई कुल राशि	**464.37**	441.80
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान		
भुगतान किए गए हितलाभ	**323.61**	292.94
अंतिम शेष	**1769.49**	1628.73

II. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	दीर्घावधि छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
वेतन प्रत्यावर्तन दर	**पहले 4 वर्षों हेतू 7.65% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	पहले 4 वर्षों हेतू 8.25% प्रतिवर्ष एवं उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु संख्या–सारणी	**आईएएलएम का 100% (2006-08)**	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	**1%**	1%

घ. भविष्य निधि देयता

कम्पनी एक अलग ट्रस्ट में पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निधियों को स्वीकार्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस लेखा में वर्ष के लिए ₹ 282.46 करोड़ (31 मार्च 2016 : ₹ 278.88 करोड़) की राशि की पहचान की गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है। कम्पनी के पास भारत सरकार द्वारा निर्देशित अनुसार सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम देयता सुनिश्चित करने का दायित्व है। तदनुसार, कम्पनी ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसके आधार पर समग्र ब्याज अर्जन और समेकित अधिशेष सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है और जहां पर भी बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयता के अनुसार ब्याज में कमी हुई है, उसे लेखाओं में लिया गया है।

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में वृद्धि/(कमी)	**7.73**	3.69
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	**3.53**	11.26
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से पहचाना गया पुनः मापन अर्जन/(हानि)	**12.00**	(17.13)
लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से गणना किए गए ब्याज में कमी/(अधिकता)	**4.27**	(20.82)

कम्पनी के पास विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ ट्रस्ट है जिसमें कम्पनी के कर्मचारी शामिल हैं और इसका अलग प्रबंधन किया जाता है। योजना परिसम्पत्ति और दायित्व का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		अधिशेष/(कमी)	
स्थान	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
नई दिल्ली	**830.17**	754.18	**838.08**	762.42	**7.91**	8.24
हरिद्वार	**1263.70**	1186.87	**1262.35**	1181.28	**(1.35)**	(5.59)
रानीपेट	**324.38**	326.07	**325.95**	328.36	**1.57**	2.29
चेन्नई	**502.23**	458.98	**500.67**	455.71	**(1.56)**	(3.27)
हैदराबाद	**873.85**	841.86	**911.51**	879.90	**37.66**	38.04
विजाग	**108.00**	88.35	**135.82**	116.25	**27.82**	27.90
बेंगलुरू	**507.04**	454.15	**510.41**	453.87	**3.37**	(0.28)
त्रिची	**1088.93**	1037.84	**1088.31**	1035.71	**(0.62)**	(2.13)
झांसी	**344.46**	343.35	**352.49**	349.27	**8.03**	5.92
भोपाल	**1033.79**	955.05	**1041.21**	962.75	**7.42**	7.70

बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित मूल बीमांकिक अवधारणाएं थी।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आर्थिक अवधारणाएं :		
छूट दर	**7.50%**	8.00%
टनुमानित सांविधिक ब्याज दर	**8.65%**	8.80%
जनसांख्यिकी अवधारणाएं:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60.00**	60.00
मृत्यु संख्या–सारणी	**आईएएलएम का 100% (2006-08)**	
वापिसी दरें (सभी आयु)		
30 वर्षों तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्षों तक	**2%**	2%
44 वर्षों से अधिक	1%	1%

9. लघु एवं मध्यम उद्यम प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016-17	2015-16
i)	लेखा वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल शेष राशि	**234.57**	193.51
ii)	लेखा वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किया गय शेष ब्याज	**0.00**	0.25
iii)	वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में भुगतान किए गए ब्याज की राशि	**0.07**	0.00
iv)	ब्याज की देय राशि और भुगतान करने में देरी के लिए भुगतेय (जिसे भुगतान कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्ति तिथि के बाद) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्देशित ब्याज जोड़े बिना भुगतान	**-**	1.52
v)	वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज की राशि और वर्ष की समाप्ति पर भुगतान के लिए शेष राशि	**0.00**	0.14
vi)	अनुवर्ती वर्षों में आगे देय एवं भुग्तेय ब्याज की शेष राशि, जब तक ऐसी तिथि जब उपरोक्त अनुसार देय ब्याज कटौती योग्य व्यय के रूप में पाबंदी के प्रयोजन के लिए वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान किया जाता है	**1.73**	2.29

10. पट्टा

परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टेदार

कम्पनी विलोपन और गैर–विलोपन दोनों परिचालन पट्टे पर कर्मचारियों के लिए आवास, कार्यालय भवन और ईडीपी उपकरण आदि लेने की प्रक्रिया में है। निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए गैर–विलोपन परिचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**2.74**	1.02
एक और पांच वर्षों के बीच	**3.12**	1.48
पाच वर्षों से अधिक	**1.03**	1.11
	6.89	3.61

वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टेदार

कम्पनी ने भूमि, भवन, ईडीपी उपकरण वित्त पट्टे पर लिए हैं। गैर–विलोपन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**73.88**	95.91
एक और पांच वर्षों के बीच	**104.60**	164.47
पाच वर्षों से अधिक	**0.00**	0.00
	178.48	260.38

वित्त पट्टा देयताएं निम्नानुसार देय हैं

(₹ करोड़ में)

	भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
एक वर्ष से कम	**73.88**	95.91	**13.57**	19.76	**60.31**	76.15
एक और पांच वर्षों के बीच	**104.60**	164.47	**15.05**	38.18	**89.55**	126.29
पाच वर्षों से अधिक	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00

वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएं – कम्पनी एक पट्टादाता

कम्पनी ने लोकोमोटिव्स वित्त पट्टे पर दी हैं। वित्त पट्टा प्राप्य के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
पट्टे में सकल निवेश		
एक वर्ष से कम	0.56	0.91
एक और पांच वर्षों के बीच	0.19	0.75
पाच वर्षों से अधिक	-	-

वित्त प्राप्यों में निवल निवेश

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
गैरअर्जित वित्त आय	0.03	0.13
वित्त प्राप्यों में निवल निवेश	0.72	1.53

न्यूनतम पट्टा प्राप्यों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
न्यूनतम पट्टा प्राप्यों का वर्तमान मूल्य		
एक वर्ष से कम	0.56	0.91
एक और पांच वर्षों के बीच	0.16	0.62
	0.72	1.53

11. आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर का निवल) और आयकर दरों को लागू करने पर गणना की गई राशि के बीच मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–मार्च–17	31–मार्च–16
कर पूर्व कुल व्यापक आय/(हानि) (क)	541.76	(1,277.78)
आयकर दर (ख)	34.608%	34.608%
कर व्यय – (ग) = (क) x (ख)	187.49	(442.21)
राशि का जोड़ा गया कर प्रभाव निम्नानुसार है:		
क) व्यय – काटा नही गया	13.96	40.71
ख) कर छूट आय	(7.27)	(4.49)
ग) कर प्रोत्साहन	(70.49)	(66.84)
घ) कर व्यय में परिवर्तन – पिछले वर्षों में	(16.61)	(17.50)
ङ) जेवी के भाग पर लाभ (हानि) पर कर प्रभाव	8.20	(5.49)
कुल (घ)	(72.21)	(53.61)
निवल कर व्यय (ङ) = (ग) + (घ)	115.28	(495.82)
निवल कर व्यय (देखें नोट 37 एवं 38 (च)	115.28	(495.82)

12. अनुसंधान एवं विकास व्यय

वर्ष के दौरान उपार्जित अनुसंधान एवं विकास व्यय का विवरण, जो योग्य है (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत कटौती की गई भूमि या भवन के अलावा) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2015-16
क.	(i) भूमि	**0**	0
	(ii) भवन	**0**	0.08
ख.	संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरण	**16.12**	13.56
ग.	राजस्व व्यय		
	वेतन / मजदूरी	**141.81**	133.34
	सामग्री / कंज्यूमेबल्स / स्पेयर्स	**18.10**	16.40
	यूटिलिटीज	**0.55**	0.75
	अन्य आरएंडडी संबंधी व्यय	**31.82**	33.01
	कुल राजस्व व्यय	**192.28**	183.50
घ.	आरएंडडी सेन्टर द्वारा कोई प्राप्ति / आय	**-4.73**	-3.92
ङ	कटौती योग्य निवल राशि (ख+ग–घ)	**203.67**	193.14

13. सहायक कंपनियां

(क) सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मूल स्थान	कम्पनी द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात		गैर–नियंत्रण हित द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड	भारत	**51%**	51%	**49%**	49%

बीएचईएल एमईएल (सहायक कंपनी) कासरगोट, केरल में स्थित है और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों के विनिर्माण में संलग्न है।

(ख) सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है। सहायक कंपनी के लिए प्रकटित राशि इंटर–कंपनी उन्मूलन से पूर्व है:

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त तुलन पत्र	2016-17	2015-16
चालू परिसम्पत्तियां	**15.02**	19.26
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**11.55**	10.69
कुल परिसम्पत्तियां	**26.57**	29.95
चालू देयताएं	**21.98**	21.79
गैर–चालू देयताएं	**6.82**	6.60
कुल देयताएं	**28.8**	28.39
निवल परिसम्पत्तियां	**-2.23**	1.56
संचित एनसीआई	**-1.08**	0.78

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त लाभ या हानि का विवरण	2016-17	2015-16
राजस्व	**32.13**	41.73
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	**-4.24**	-2.98
अन्य व्यापक आय	**0.44**	-0.01
कुल व्यापक आय	**-3.80**	-2.99
एनसीआई के आरोप्य लाभ / (हानि)	**-1.86**	-1.45

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त नगदी प्रवाह	2016-17	2015-16
परिचालन कार्यकलापों से नगदी प्रवाह	**-2.17**	-3.53
निवेश कार्यकलापों से नगदी प्रवाह	**-0.04**	-0.08
वित्तीय कार्यकलापों से नगदी प्रवाह	**2.77**	4.54
नगद एवं नगद समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**0.56**	0.93

14. संयुक्त नियंत्रित इकाइयां एवं सहायक कंपनियां

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर आधारित संयुक्त उद्यम की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी और वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रेषित राशि के मिलान नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल व्यवसाय का स्थान	स्वामित्व का अनुपात		अग्रेषित राशि	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
क) संयुक्त उद्यम का नाम (इक्विटी पद्धति में गणना किया गया)					
बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	**50 प्रतिशत घटाकर 1 शेयर**	50 प्रतिशत घटाकर 1 शेयर	**2.38**	2.38
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)	भारत	**50%**	50%	**50**	50
रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)	भारत	**27.34%**	27.34%	**589.32**	589.32
दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड	भारत	**50.00%**	50.00%	**15.79**	15.79

बीजीजीटीएस जीई डिजाइन किए गए गैस टरबाइनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग के लिए बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है।

बीएचईएल और एनटीपीसी ने साथ मिलकर भारत एवं विदेश में विद्युत संयंत्रों के लिए ईपीसी अनुबंध और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के सम्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी "एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" की स्थापना की है।

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन आधार पर येरामारस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना और ईदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए सक्षम किया गया है। येरामारस टीपीपी के यूनिट 1 एवं यूनिट 2 की सीओडी क्रमशः मार्च 2017 एवं अप्रैल 2017 में हासिल कर ली गई है।

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड को निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन आधार पर यह विचार करते हुए कि कोल लिंकेज उपलब्ध नहीं थी और भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण प्रोत्साहक ने परिसमापन का निर्णय लिया, खण्डवा, मध्य प्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए सक्षम किया गया है।

(i) पावरप्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापनाधीन है और इक्विटी के तौर पर भुगतान की गई राशि वसूलीयोग्य नहीं है।

(ii) दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान निवल वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹ 6.71 करोड़ की सीमा तक किया गया है क्योंकि कम्पनी का परिसमापन प्रक्रियागत है।

(ख) संयुक्त उद्यमों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (अनुपातिक हित) नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	2016-17	2015-16
चालू परिसम्पत्तियां	**188.65**	200.24
चालू परिसम्पत्तियों में शामिल नगदी एवं नगदी समतुल्य (बैंक शेष सहित)	**8.30**	2.40
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**18.87**	21.11
चालू देयताएं	**74.81**	93.75
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य सहित)	**4.05**	3.64
गैर–चालू देयताएं	**3.41**	6.69
गैर–चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य छोड़कर)	**0.40**	0.44

	2016-17	2015-16
राजस्व	**269.38**	290.00
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**1.68**	1.49
ब्याज आय	**6.40**	7.52
ब्याज व्यय	**0.53**	0.12
आयकर व्यय	**13.38**	15.97
नियमित परिचालनों से लाभ या हानि	**24.00**	29.82
अन्य व्यापक आय	**-0.14**	0.02
कुल व्यापक आय	**23.86**	29.83

(₹ करोड़ में)

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	2016-17	2015-16
चालू परिसम्पत्तियां	**254.30**	299.42
चालू परिसम्पत्तियों में शामिल नगदी एवं नगदी समतुल्य	**8.96**	19.20
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**93.39**	129.35
चालू देयताएं	**309.97**	356.87
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य छोड़कर)	**60.53**	53.79
गैर–चालू देयताएं	**16.41**	12.12
	2016-17	**2015-16**
राजस्व	**321.58**	410.93
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**4.04**	4.46
ब्याज आय	**3.88**	1.38
ब्याज व्यय	**0.34**	0.11
आयकर व्यय	**0.00**	-4.32
नियमित परिचालनों से लाभ या हानि	**-38.46**	-6.55
कुल व्यापक आय	**-38.46**	-6.55

(₹ करोड़ में)

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लि.	2016-17	2015-16
चालू परिसम्पत्तियां	**21.27**	5.70
चालू परिसम्पत्तियों में शामिल नगदी एवं नगदी समतुल्य	**0.14**	0.06
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**3400.01**	2934.31
चालू देयताएं	**117.27**	47.95
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य सहित)	**45.84**	11.02
गैर–चालू देयताएं	**2719.70**	2302.68
गैर–चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य छोड़कर)	**2719.70**	2302.68
	2016-17	**2015-16**
राजस्व	**0.00**	0.00
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**3.54**	0.00
ब्याज व्यय	**1.12**	0.00
नियमित परिचालनों से लाभ या हानि	**-4.93**	0.00
कुल व्यापक आय	**-4.93**	0.00

(₹ करोड़ में)

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि.	2016-17	2015-16
चालू परिसम्पत्तियां	**18.62**	18.11
चालू परिसम्पत्तियों में शामिल नगदी एवं नगदी समतुल्य	**15.47**	15.68
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**0.01**	1.77
चालू देयताएं	**0.44**	0.02
गैर–चालू देयताएं	**0.00**	0.12
	2016-17	**2015-16**
राजस्व	**0.87**	0.00
ब्याज आय	**0.87**	0.00
आयकर व्यय	**0.42**	0.00
नियमित परिचालनों से लाभ या हानि	**-1.53**	-3.14
कुल व्यापक आय	**-1.53**	-3.14

15. संबद्ध पार्टी लेनदेन

i) संयुक्त उद्यम

पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि.

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)

लातुर पावर कम्पनी लि.

रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लि.

केन्द्र सरकार नियंत्रित इकाइयां

भविष्य निधि ट्रस्ट

ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीआरएमबी ट्रस्ट, पेंशन ट्रस्ट

ii) अन्य संबद्ध पार्टी (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक–कार्यकारी निदेशक, वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कम्पनी सचिव):

सीएमडी/बीएचईएल : श्री अतुल सोबती

कार्यकारी निदेशक: सर्वश्री डी. बंधोपाध्याय, अमिताभ माथुर, एस. बिस्वास, टी. चोकालिंगम, अखिल जोशी (10.08.2016 से) एवं कम्पनी सचिव: श्री आई पी सिंह

सीएमडी/बीईएमएल : श्री एस. बासु

(₹ करोड़ में)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	2016-17	2015-16
वेतन का भुगतान	**2.34**	4.20
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री		0.01
केएमपी के रिश्तेदार		
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**0.00**	0.01
वेतन का भुगतान	**0.00**	0.2
लेनदेनों का विवरण		
संक्षिप्त–अवधि कर्मचारी हितलाभ	**1.92**	3.53
रोजगार–पश्चात हितलाभ	**0.42**	0.67
कुल पारिश्रमिक भुगतान	**2.34**	4.20

iii) सीएमडी और कार्यकारी निदेशकों को ड्यूटी और गैर–ड्यूटी दोनों यात्राओं के लिए स्टॉफ कार का उपयोग करने की अनुमति है। नियुक्ति के नियम व शर्तों के अनुरूप निर्धारित राशि की वसूली के अधीन गैर–ड्यूटी यात्रा की सीमा 1000 किमी. है। आई.टी. नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसरण में कार का उपयोग, यदि गणना की जाए, के लिए परिलब्धियों की मौद्रिक राशि रु. 0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) होगी।

iv) कम्पनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इसके स्टेक का अधिकांश हिस्सा भारत सरकार द्वारा धारित है। अन्य पीएसयू, राज्य स्वामित्व यूटिलिटीज, रेलवे आदि, जिनका नियंत्रण भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है, के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन है। ऐसी कम्पनी के साथ लेनदेन आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार चालित दरों पर आधारित होता है।

संयुक्त उद्यमों में बीएचईएल लेनदेनों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को लेनदेनों एवं शेष का विवरण	बीजीजीटीएस	आरपीसीएल	एनबीपीपीएल	कुल (अन्य सहित)
माल एवं सेवाओं की खरीद	0.56	-	1.43	1.99
माल एवं सेवाओं की बिक्री	187.76	129.91	359.14	676.81
सेवाओं की प्राप्ति	-	-	8.06	8.06
सेवाएं देना	-	105.55	2.43	107.98
लाभांश आय	12.85	-	-	12.85
रॉयल्टी आय	1.47	-	-	1.47
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	42.61	472.18	309.34	824.15
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिम सहित)	0.16	27.55	91.66	119.37
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	0.70	0.72
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	11.50	11.50

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 को लेनदेनों एवं शेष का विवरण	बीजीजीटीएस	आरपीसीएल	एनबीपीपीएल	कुल (अन्य सहित)
माल एवं सेवाओं की खरीद	0.85	-	4.47	5.32
माल एवं सेवाओं की बिक्री	146.42	157.88	709.13	1,013.43
सेवाओं की प्राप्ति	-	-	19.00	19.00
सेवाएं देना	0.06	241.97	53.15	295.18
लाभांश आय	21.18	-	-	21.18
रॉयल्टी आय	1.03	-	-	1.03
शेयरों की खरीद	-	257.79	-	257.79
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	41.55	595.99	346.25	983.81
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिम सहित)	0.29	38.02	125.90	164.41
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	0.05	-	0.07

16. क) प्रावधानों का निस्सरण

(₹ करोड़ में)

निर्णीत हर्जाने	2016-17	2015-16
प्रारंभिक	**2986.92**	2188.32
संयोजन	**1506.83**	1041.41
उपयोग/बट्टे खाते/भुगतान	**-84.69**	-6.58
वापिसी/समायोजन	**-525.22**	-236.23
अंतिम शेष	**3883.84**	2986.92

(₹ करोड़ में)

अनुबंधित दायित्व	2016-17	2015-16
प्रारंभिक	**5807.13**	5578.78
उधार लागत	**250.70**	278.91
संयोजन	**759.15**	733.87
पीवी समायोजन	**-133.63**	-115.62
उपयोग/बट्टे खाते/भुगतान	**-161.45**	-176.80
वापिसी/समायोजन	**-1288.40**	-513.89
अनुमान एवं दर में परिवर्तन	**-5.53**	21.88
अंतिम शेष	**5227.97**	5807.13

ख. निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचितरूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता नोट–40 की पैरा सं. 2 में दर्शाई गई है।

ग. संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 11 अनुसूची के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित संविदा की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा दर संविदा और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकता है।

17. डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कम्पनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुरूप तुरंत पड़ने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा कमाए गए औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष में खर्च करना जरूरी है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
क. वर्ष के दौरान खर्च के लिए अपेक्षित राशि	**37.50**	110.10
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	**88.98**	62.94
ग. कुल (क+ख)	**126.48**	173.04
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
– निर्माण/किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण		
–उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	**72.58**	84.06
कुल	**72.58**	84.06
अग्रेषित की गई राशि (ग–घ)	**53.90**	88.98

क) **31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	नगद में	अभी नगद भुगतान करना है	कुल
निर्माण/किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	26.78	10.72	37.50

ख) **31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	नगद में	अभी नगद भुगतान करना है	कुल
निर्माण/किसी परिसम्पत्ति का अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजनों पर	56.47	53.63	110.10

18. इंड एएस 11 निर्माण अनुबंधों के अनुसार प्रकटन

क) भारतीय लेखाकरण मानक–11 (इंड एएस–11) निर्माण अनुबंधों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण अनुबंधों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
वर्ष के लिए पहचाना गया अनुबंध राजस्व	**21757.36**	20020.94
वर्ष की समाप्ति पर प्रगतिशील अनुबंधों के संबंध में		
इस तिथि तक उपार्जित लागत और पहचाना गया राजस्व (कम मान्य हानि) की औसत राशि	**280975.13**	278528.82
प्राप्त अग्रिम की राशि	**4447.76**	5883.04
धारणों की राशि (आस्थगित ऋण)	**19099.24**	20185.00
उचित निर्धारण के बाद ग्राहकों से बकाया के संबंध में		
एक परिसम्पत्ति के तौर पर अनुबंध कार्य के लिए ग्राहक से बकाया सकल राशि	**2939.99**	3705.90
एक देयता के तौर पर अनुबंध कार्य के लिए ग्राहक से बकाया सकल राशि	**1169.85**	1569.61

ख) इंड एएस–11 निर्माण अनुबंधों के अनुरूप निर्माण अनुबंधों के संबंध में अनुमानित कुल लागत एवं कुल राजस्व की समीक्षा की जाती है और राजस्व मान्यता के लिए प्रतिशत पूर्णता का निर्धारण करने हेतु चरणबद्ध की जाती है। तथापि, अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए यह अव्यावहारिक है।

19. वित्तीय कारक – लेखाकरण वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन

क. नगदी एवं नगदी समतुल्यों, बैंक शेष, ऋणों, व्यापार प्राप्यों, व्यापार भुगतानों और अन्यों का उचित मूल्य उनके अग्रेषित राशि के लगभग है। कम्पनी मूल्यांकन तकनीकों द्वारा वित्तीय घटकों के उचित मूल्य के निर्धारण एवं प्रकटन के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करती है।

लेवल 1 : अभिन्न परिसम्पत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत कीमत (गैरसमायोजित)

लेवल 2 : लेवल 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट जो परिसम्पत्ति या देयता, चाहे प्रत्यक्ष (अर्थात् कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष (कीमतों से व्युत्पन्न) के लिए पहचाने जाते हैं।

लेवल 3 : परिसम्पत्ति या देयता के लिए इनपुट जो पहचाने गए बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (गैर पहचान योग्य इनपुट)

ख. वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयता वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	अग्रेषित राशि		
	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां			
व्यापार प्राप्य	**31866.72**	33567.11	35210.21
नगदी एवं नगदी समतुल्य	**1490.79**	1966.10	2800.02
अन्य बैंक शेष	**9002.76**	8121.10	7012.14
ऋण	**213.82**	239.43	195.48
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**219.18**	159.64	217.81
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश (इक्विटी घटक)	**3.93**	6.67	8.71
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं			
वित्त पट्टा दायित्व	**153.51**	207.87	121.99
व्यापार प्राप्य	**9348.98**	9456.13	9448.20
उधार (चालू)	**6.03**	3.53	2.14
अन्य वित्तीय देयताएं	**1573.14**	1686.57	1728.76

(₹ करोड़ में)

	लेवल 3 अनुक्रम		
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – पुनरावर्ती उचित मूल्य मापन	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
गैरउद्धृत इक्विटी घटकों में निवेश	**3.93**	6.67	8.71

ग. **उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग की गई मूल्यांकन तकनीक**

गैरउद्धृत इक्विटी घटकों का उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है जिसमें निवल परिसम्पत्ति मूल्य प्रति शेयर के आधार पर निवेश की गई कम्पनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल हैं।

एफवीटीपीएल परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैरउद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य मापन का मिलान

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2015 को	8.71
उचित मूल्य में परिवर्तन	-2.04
31 मार्च 2016 को	6.67
उचित मूल्य में परिवर्तन	-2.74
31 मार्च 2017 को	3.93

घ. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

उद्देश्य एवं नीतियां

कम्पनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन व्यवसाय कार्यनीतियों का एक एकीकृत भाग है। कम्पनी वित्तीय कारको से उपयोग से निम्नलिखित जोखिम उजागर करती है:

- क्रेडिट जोखिम
- लिक्विडिटी जोखिम
- बाजार जोखिम

यह नोट उपरोक्त प्रत्येक जोखिमों, कम्पनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिम के मापन एवं प्रबंधन तथा कम्पनी द्वारा पूंजी प्रबंधन के लिए कम्पनी के अनावृत के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। आगे मात्रात्मक प्रकटन इन पूरे वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं।

ङ जोखिम प्रबंधन ढांचा

बीएचईएल के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर हैं जिसमें जोखिम निर्धारण एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड सदस्यों को जानकारी देने की प्रक्रिया दी गई है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरी कम्पनी में एक ऐसा ढांचागत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन करना है जो यह सुनिश्चित करें कि जोखिमों को उचित रूप से पहचाना जा रहा है और उनको प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन और जोखिमों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी शामिल होती है।

बीएचईएल के पास बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) है जिसे कम्पनी के जोखिम अभिशासन ढांचे, जोखिम निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन स्थाई समिति (आरएमएससी) पूरी कम्पनी में जोखिम प्रबंधन पहलुओं को भी देखती है। आरएमएससी सदस्य जिसमें कार्यपालक निदेशक/कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली व्यवसाय क्षेत्र से कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं, जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तदायी हैं। प्रभागीय स्तर पर व्यवसाय सेक्टर/क्षेत्र/यूनिट/कार्यप्रणाली पर जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रोफाइल एवं जोखिम निवारण योजना बनाने एवं संबंधित यूनिट/क्षेत्र में उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रतिस्पर्धा के कारण आर्डर बुक में कमी, अत्यधिक घरेलू विनिर्माण दक्षमता और कम व्यापार कल्पनाएं आदि प्रमुख जोखिम हैं जिन्हें ऑफरिंग में विस्तार, विविधीकृत उत्पाद प्रोफाइल और ईपीसी व्यवसाय में विशेष जोर के माध्यम से कम किया जा रहा है।

च. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिस्थानी द्वारा अपने दायित्वों पर चूक के जोखिम जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हो, उसे संदर्भित करता है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम विवरण मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से है। बीएचईएल एक परियोजना केन्द्रित संगठन है जिसके विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रचालन हैं। ग्राहक प्रोफाइल लगभग 75 प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों (एसईबी, पीएसयू, रेलवे एवं अन्य सरकारी विभागों) से शामिल है। परियोजनाएं सामान्यतः वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा निधिपोषित हैं या भुगतान लैटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर्ड हैं। निजी क्षेत्रों के संबंध में भुगतान शर्तें मुख्यतः एलसी के माध्यम से हैं। इंड एएस 109 के अंगीकरण के कारण कम्पनी इम्पेयरमेंट हानि या अर्जन के मूल्यांकन के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। अनुमानित क्रेडिट हानियों का प्रकटीकरण अन्यत्र दिया गया है।

(i) क्रेडिट जोखिम का विवरण

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि अधिकतम क्रेडिट आशंका को प्रकट करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम आशंका निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–मार्च–17	31–मार्च–16	1–अप्रैल–15
वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग कर हानि अनुमति मापी जाती हैं			
ऋण	**213.82**	239.43	195.48
नगदी एवं नगदी समतुल्य	**1490.79**	1966.10	2800.02
अन्य बैंक शेष	**9002.76**	8121.10	7012.14
अन्य	**219.18**	159.64	217.81
वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानियां (ईसीएल) का उपयोग कर हानि अनुमति मापी जाती हैं			
व्यापार प्राप्य	**31866.72**	33567.11	35210.21

क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण–भूगर्भीय **कुल राजस्व का प्रतिशत**

नोट	2017	2016
भारत के भीतर	**97.00%**	95.34%
भारत से बाहर	**3.00%**	4.66%

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए काउंटरपार्टी के टाइप द्वारा क्रेडिट जोखिम के संबंध में कम्पनी की आशंका निम्नानुसार है:

कुल व्यापार प्राप्यों का प्रतिशत	2017	2016
राज्य विद्युत बोर्ड	**28.11%**	25.85%
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	**45.23%**	46.75%
रेलवे	**1.09%**	1.29%
सरकारी विभाग	**0.49%**	0.28%
निजी पार्टियां	**20.47%**	20.41%
अन्य	**4.61%**	5.42%
	100%	100%

छ. **इम्पेयरमेंट हानि**

(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां जिनके लिए 12 माह अनुमानित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर हानि अनुमति मापी जाती हैं

कम्पनी ने पास ऐसी परिसम्पत्तियां है जहां दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता में काउंटर–पार्टियां है और जहां चूक का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में इम्पेयरमेंट के लिए अनुमति में गतिशीलता निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2015 को	6.57
इम्पेयरमेंट हानि चिन्हित गई/बट्टाकृत/वापिस	0.19
31 मार्च 2016 को शेष	6.76
इम्पेयरमेंट हानि चिन्हित गई/बट्टाकृत/वापिस	11.28
31 मार्च 2017 को शेष	18.04

(ख) इम्पेयरमेंट हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्यों के संबंध में इम्पेयरमेंट के लिए अनुमति में गतिशीलता निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2015 को	4667.95
इम्पेयरमेंट हानि चिन्हित गई	1785.47
बट्टाकृत/वापिस राशि	669.12
31 मार्च 2016 को शेष	5784.30
इम्पेयरमेंट हानि चिन्हित गई	1262.33
बट्टाकृत/वापिस राशि	866.37
31 मार्च 2017 को शेष	6180.26

कम्पनी इस बात पर विश्वास करती है कि उपरोक्त के अलावा, किसी अन्य परिसम्पत्ति के संबंध में इम्पेयरमेंट अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नगदी एवं नगदी समतुल्यों पर क्रेडिट जोखिम सीमित होता है जैसा कि सामान्यतः क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा के तौर पर निवेश किया जाता है।

ज. **लिक्विडिटी जोखिम**

लिक्विडिटी जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें कम्पनी अपने वित्तीय दायित्वों, जिन्हें नगदी द्वारा निपटाया जाता है, के साथ जुड़े दायित्वों को पूरा करने में परेशानी महसूस करेगी । इन्हें संचालित करने के लिए कंपनी की पहल जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना होता है कि जब भी देय हो, सामान्य या कठिन परिस्थिति दोनों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी का लिक्विडिटी का मूल स्रोत नगदी एवं नगदी समतुल्य, बैंकों के पास शेष और नगदी प्रवाह है जो प्रचालनों से जनरेट किया जाता है। कम्पनी के पास कोई बैंक ऋण बकाया नहीं है। कम्पनी यह विश्वास करती है कि कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तद्नुसार कोई लिक्विडिटी जोखिम नहीं पाया गया।

अनुबंधित नगदी प्रवाह पर आधारित गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताएं	31.03.17 को		31.03.16 को		01.04.2015 को	
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार भुगतेय	**8715.88**	**633.10**	8708.44	747.69	8803.17	645.03
वित्त पट्टा दायित्व	**63.96**	**89.55**	81.58	126.29	60.99	61.00
उधार	**6.03**		3.53		2.14	
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा	**511.07**	**104.71**	529.42	123.51	517.36	90.16
अन्य भुगतेय / दायित्व						
कैपेक्स बकाया	**116.61**		134.31		193.49	
कर्मचारी बकाया	**187.57**		208.71		322.17	
अन्य बकाया	**653.18**		690.62		605.58	
कुल	**10254.30**	**827.36**	**10356.61**	**997.49**	**10504.90**	**796.19**

झ. **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम हैं जो बाजार कीमतों जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर एवं ब्याज दरों परिवर्तन, जो कम्पनी की आय या वित्तीय घटकों की अपनी धारिता के मूल्यों को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को इष्टतम करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम आशंकाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है। कम्पनी कई लेनदेनों पर विदेशी मुद्रा जोखिम जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा होती है, के संबंध में अनावृत होती हैं क्योंकि विनिमय दर में उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। जोखिम यह होता है कि नगदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य में विनिमय दरों में उतार–चढ़ावं के परिमाणस्वरूप अंतर होगा।

ट. **विदेशी मुद्रा जोखिम आशंका :– रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम में कम्पनी की आशंका निम्नानुसार है:**

(i) व्युत्पन्न घटक जो 31.03.2017 को प्रतिरक्षी और बकाया हैं, शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है

(ii) विदेशी मुद्रा आशंका जो व्युत्पन्न कारक या किसी अन्य द्वारा प्रतिरक्षित नहीं हैं, निम्नानुसार हैं:

31 मार्च 2017

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियाँ/प्राप्य	करोड़ में	**47.70**	**50.48**	**0.81**	**0.03**	**-**
देयताएं		**17.55**	**10.38**	**1.39**		**-**
		30.15	**40.10**	**(0.58)**	**0.03**	**-**

31 मार्च 2016

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियाँ/प्राप्य	करोड़ में	49.60	58.22	0.81	0.03	-
देयताएं		25.81	18.22	1.36		-
		23.79	40.00	(0.55)	0.03	-

(iii) 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2016 को ₹ में व्यक्त मुद्रा प्रोफाइल निम्नानुसार हैं:

31 मार्च 2017

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियाँ/प्राप्य	₹ करोड़ में	**3058.67**	**3462.46**	**36.03**	**4.87**	**149.02**
देयताएं		**1065.92**	**716.62**	**63.62**		**148.12**
		1,992.75	**2,745.84**	**(27.59)**	**4.87**	**0.90**

31 मार्च 2016

		यूएसडी	यूरो	लिबियन दीनार	ओमान रियाल	अन्य
परिसम्पत्तियाँ/प्राप्य	₹ करोड़ में	3272.10	4336.11	38.74	5.25	179.83
देयताएं		1696.06	1362.25	65.74		121.97
		1,576.04	2,973.86	(27.00)	5.25	57.86

संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को यूएसडी, यूरो, एलवाईडी, ओमान रियालय एवं अन्य की तुलना में नीचे दर्शाए गए अनुसार भारतीय रुपए की मजबूती नीचे वर्णित किए गए अनुसार लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) करेगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर पर आधारित होता है जिससे कम्पनी को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उचित संभवता पर विचार करना होता है। पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर विश्लेषण किया गया है सिवाए इसके कि जहां नीचे दर्शाए गए अनुसार उचित संभव विदेशी विनिमय दर अंतर अलग था।

	लाभ एवं हानि पर प्रभाव (कर पूर्व)	
प्रभाव	**मजबूत**	**कमजोर**
31 मार्च 2017	**₹ करोड़ में**	
1 प्रतिशत गतिशीलता		
यूएसडी	19.93	(19.93)
यूरो	27.46	(27.46)
लिबियन दीनार	(0.28)	0.28
ओमान रियाल	0.05	(0.05)
अन्य	0.01	(0.01)

	लाभ एवं हानि पर प्रभाव (कर पूर्व)	
प्रभाव	मजबूत	कमजोर
31 मार्च 2016	₹ करोड़ में	
1 प्रतिशत गतिशीलता		
यूएसडी	15.76	(15.76)
यूरो	29.74	(29.74)
लिबियन दीनार	(0.27)	0.27
ओमान रियाल	0.05	(0.05)
अन्य	0.58	(0.58)

ढ. पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कम्पनी का उद्देश्य चालूगत आधार की नियमित अपनी दक्षता को सुरक्षित करना है जिससे यह निरंतर शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए लाभ प्रदान कर सकें।

निदेशक मंडल पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करते हैं जिसे कम्पनी कुल शेयरधारक इक्विटी द्वारा विभाजित कर परिचालनों कार्यकलापासें से परिणाम के तौर पर परिभाषित करती है। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं।

समूह का पूंजी पर रिटर्न 2015–16 के दौरान –2.18 प्रतिशत की तुलना में 2016–17 को 1.41 प्रतिशत है।

कम्पनी सामान्यतः उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए गए वित्तीय अनुपात की संख्या के आधार पर लघु अवधि परिदृश्य एवं दीर्घ अवधि परिदृश्य का प्रयोग कर पूंजी की निगरानी करती है। कम्पनी पर बाहरी लगाई गई पूंजी आवश्यकता नहीं है। कम्पनी की पूंजी संरचना का प्रबंधन मजबूत क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए अपेक्षित विभिन्न वित्तीय अनुपात के अधीन होता है।

20. समूह द्वारा 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान धारित नगदी एवं लेनदेन का विवरण नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्य–वर्ग नोट	कुल
08.11.2016 को स्वयं के पास शेष नगदी	0.31	0.11	0.42
(+) स्वीकार्य प्राप्तियां	-	21.63	21.63
(–) स्वीकार्य भुगतान	-	18.02	18.02
(–) बैंकों में जमा की गई राशि	0.31	3.41	3.72
30.12.2016 को स्वयं के पास शेष नगदी	-	0.31	0.31

21. लाभांश

क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लाभांश घोषित और भुगतान किया गया :

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
अंतिम लाभांश ₹ 0.40 (गत वर्ष ₹ 0.62) प्रति योग्य इक्विटी शेयर	**97.90**	151.75
अंतरिम लाभांश ₹ 0.80 (गत वर्ष ₹ शून्य) प्रति योग्य इक्विटी शेयर	**195.81**	0

उपरोक्त अंतिम लाभांश आकड़ें में लाभांश पर कर **₹ 19.93 करोड़** (गत वर्ष ₹ 30.89 करोड़) शामिल नहीं है

उपरोक्त अंतरिम लाभांश आकड़ें में लाभांश पर कर **₹ 39.86 करोड़** (गत वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल नहीं है

ख) कम्पनी ने वर्ष 2016–17 के लिए लाभ में से ₹ 489.52 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी पर अंतिम लाभांश /39 प्रतिशत (₹ 0.78 प्रति शेयर, जिसकी राशि ₹ 190.91 करोड़ है) का प्रस्ताव किया है कॉर्पोरेट लाभांश कर (₹ 38.87 करोड़) के साथ लाभांश (₹ 190.91 करोड़) के कारण कुल अदायगी ₹ 229.78 करोड़ होगी।

ग) निदेशक मंडल ने 29.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण 2016–17 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

22. परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं परिचालन चक्र के रूप में 12 माह की अवधि पर विचार करते हुए चालू एवं गैर–चालू के बीच वर्गीकृत की जाती हैं।

23. 1 जनवरी, 2017 से देय मजदूरी/वेतन ढांचें के लिए समझौते के लंबित अंतिम रूप को देखते हुए तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) सिफारिशों के अनुसार अनुमानों के आधार पर वित्त वर्ष 2016–17 में ₹ 961 करोड़ (₹ 674 करोड़ की ग्रेच्युटी एवं छुट्टी देयता के खाते पर एक बार समेकित प्रभाव सहित) का प्रावधान किया गया है।

24. वर्ष की समाप्ति पर बीएचईएल में लागू उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) दीर्घ अवधि प्रावधानों के उचित मूल्य एवं वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए तय की गई है।

25. विभिन्न कारणों जैसे पर्यावरण क्लीयरेंस, फ्यूल लिंकेज, भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक आपदा, सामरिक कारणों आदि से बीएचईएल द्वारा रोके गए के कारण रूकी गई 27 परियोजनाओं के संबंध में कुल बकाया ऋण ₹ 2119 करोड़ है। इन परियोजनाओं में ₹ 777 करोड़ की एफजी/डब्ल्यूआईपी भी पढ़ी हुई है। इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुरूप इन परियोजनाओं के अंतर्गत 31.03.2017 तक बकाया ऋण के लिए ₹ 1618 करोड़ का प्रावधान और ₹ 180 करोड़ की मालसूची उपलब्ध कराई गई है।

26. जहां कही आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

27. अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसम्पत्तियां यथा कुल परिसम्पत्तियां घटाकर कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिणामों का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि	कुल अन्य व्यापक आय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यापक आय का प्रतिशत	राशि
बीएचईएल	97.68 (97.55)	31636.93 (31523.61)	106.11 (101.82)	482.98 (-718.43)	101.05 (100.03)	-29.00 (-76.38)	106.45 (101.65)	453.98 (-794.81)
सहायक कंपनी–								
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल – ईएमएल)	0.00	-1.15 (0.79)	-0.47 (0.22)	-2.16 (-1.53)	-0.77 (0.00)	0.22 (0.00)	-0.45 (0.20)	-1.94 (-1.53)
बीएचईएल – ईएमएल में गैर – नियंत्रण हितलाभ	0.00	-1.08 (0.78)	-0.46 (0.21)	-2.08 (-1.45)	-0.77 (0.00)	0.22 (0.00)	-0.44 (0.19)	-1.86 (-1.45)
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)–								
बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	0.40 (0.37)	129.31 (120.91)	4.70 (3.62)	21.38 (25.52)	0.49 (-0.03)	-0.14 (0.02)	4.98 (-3.27)	21.24 (25.54)
एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	0.07 (0.18)	21.32 (59.78)	-8.45 (0.93)	-38.46 (-6.55)	0.00	0.00	-9.02 (0.84)	-38.46 (-6.55)
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन	1.80 (1.82)	584.39 (589.32)	-1.08 (0.00)	-4.93 (0.00)	0.00	0.00	-1.16 (0.00)	-4.93 (0.00)
दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड	0.06 (0.06)	18.19 (19.74)	-0.34 (0.45)	-1.55 (-3.14)	0.00	0.00	-0.36 (0.40)	-1.55 (-3.14)
कुल	**100.00**	**32387.91** (32314.93)	**100.00**	**455.18** (-705.58)	**100.00**	**-28.70** (-76.36)	**100.00**	**426.48** (-781.94)

28. समेकित परिचालन खण्ड

खंडों की पहचान संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डरों के आधार पर 'पावर' और 'उद्योग' के तौर पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन समूह द्वारा बुक किए गए आर्डरों को यथास्थिति पावर अथवा उद्योग, जैसा भी मामला हो, में शामिल किया जाता है।

कम्पनी के कार्यकारी निदेशकों की समिति की पहचान मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के तौर पर की गई है।

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खण्ड राजस्व**						
क.	खण्ड राजस्व	**22794.78**	**6077.11**	**28871.89**	20222.74	5867.43	26090.17
ख.	परिचालन राजस्व– बाहरी	**22794.78**	**6077.11**	**28871.89**	20222.74	5867.43	26090.17
II.	**खण्ड परिणाम**						
क.	खण्ड परिणाम	**2534.58**	**239.02**	**2773.60**	129.74	-198.40	-68.66
ख.	अनाबंटित व्यय (आय को छोड़कर)			**1836.73**			732.66
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क)–(ख)			**936.87**			-801.32
घ.	वित्त लागत (ब्याज की अनविंडिंग सहित)			**351.30**			359.81
ङ	आयकर पूर्व निवल लाभ (ग)–(घ)			**585.57**			-1161.13
च.	आयकर			**130.39**			-455.55
छ.	आयकर पश्चात निवल लाभ			**455.18**			-705.58
III	**परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं**						
क.	खण्ड परिसम्पत्तियाँ	**37601.20**	**9210.89**	**46812.09**	42020.25	9508.03	51528.28
ख.	सामान्य परिसम्पत्तियाँ			**14535.36**			13792.18
ग.	कुल परिसम्पत्तियाँ			**61347.45**			65320.46
घ.	खण्ड देयताएं	**23250.32**	**5504.69**	**28755.01**	25973.19	5830.10	31803.29
ङ	सामान्य देयताएं			**204.53**			1202.24
च.	कुल देयताएं			**28959.54**			33005.53
IV	**अन्य जानकारी**						
क.	पूंजी व्यय	**76.70**	**201.31**		347.33	117.45	
ख.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**657.83**	**143.10**		697.25	178.00	
ग.	गैर–नगद व्यय (मूल्यह्रास एवं परिशोधन को छोड़कर)	**455.17**	**205.61**		1781.49	510.50	
	भौगोलिक खण्ड						
		भारत में	भारत के बाहर	कुल	भारत में	भारत के बाहर	कुल
1.	निवल बिक्री/परिचालनों से आय	**28005.90**	**865.99**	**28871.89**	24874.16	1216.01	26090.17
2.	गैर–चालू परिसम्पत्तियां (पीपीई एवं अमूर्त परिसम्पत्तियां)	**3763.68**	**5.85**	**3769.53**	4280.31	6.24	4286.55
3.	पूंजी व्यय	**329.52**	**2.98**	**332.50**	555.63	0.35	555.98

मुख्य ग्राहक – बीएचईएल के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक एक ग्राहक से राजस्व का विवरण

	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
पीएसयू	**7050.71**	**1916.08**	**8966.79**	6715.22	988.37	7703.59
रेलवे	**0.00**	**987.29**	**987.29**	0.00	793.11	793.11

स्टेकहोल्डरों के लिए अतिरिक्त जानकारी

दस वर्षों की वित्तीय सूचनाएं 308

मूल्य वर्धन विवरण 310

निष्पादन की वार्षिक योजना 311

राजकोष में अंशदान 311

लाभांश वितरण नीति 312

भारत में बीएचईएल 314

उत्पाद विवरण 315

शब्दावली एवं संक्षिप्ताक्षर 324

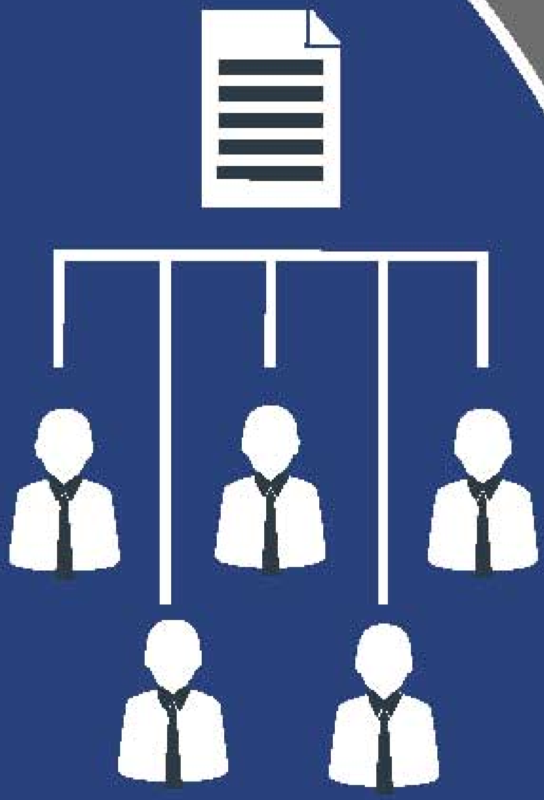

कल के BHEL का निर्माण

दस वर्षों की वित्तीय सूचनाएं

₹ करोड़ में

	भारतीय लेखा मानक		आईजीएएपी								
	2016-17	2015-16*	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
I अर्जन / व्यय											
अर्जन											
कारोबार	28840	26050	26587	30947	40338	50156	49510	43337	34154	28033	21401
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	29475	26638	25630	30242	39109	48425	47979	42246	33354	26726	19727
अन्य आय	996	1498	1450	1220	1616	1121	1266	1021	1155	983	1023
कुल अर्जन	30471	28136	27080	31462	40725	49546	49245	43267	34509	27709	20750
व्यय											
सामग्री खपत की लागत, इरेक्शन तथा इंजीनियरिंग व्यय की लागत	16566	16377	16398	17758	22103	27899	28908	23209	20672	17620	11821
मालसूचियों एवं तैयार माल में परिवर्तन एवं प्रगतिशील कार्य	994	210	210	(338)	1054	116	(823)	(127)	(787)	(1152)	(827)
कर्मचारी लाभ व्यय	5400	5380	5541	5450	5933	5753	5466	5397	6540	2984	2608
विनिर्माण, प्रशासनिक, बिक्री और वितरण पर अन्य व्यय	4435	4034	3036	3707	3315	3777	3242	2537	2057	1823	1644
प्रावधान (निवल)	1273	2051	2455	1604	2259	1566	1403	2715	-934	1281	778
घटाएं आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों की लागत	25	47	47	28	68	76	104	69	121	61	38
वित्त लागत एवं मूल्यह्रास से पूर्व व्यय	28643	28005	27594	28153	34596	39035	38092	33662	27427	22495	15986
मूल्यह्रास, वित्तीय लागत एवं कर पूर्व लाभ	1828	131	(514)	3309	6129	10511	11153	9605	7082	5214	4763
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	849	936	936	1077	983	953	800	544	458	334	297
सकल लाभ	979	(805)	(1450)	2232	5146	9558	10353	9061	6624	4880	4466
वित्तीय लागत	351	359	27	92	133	125	51	55	33	31	36
कर पूर्व लाभ	628	(1164)	(1477)	2140	5014	9432	10302	9006	6591	4849	4430
कर व्यय (निवल)	132	(454)	(564)	721	1553	2817	3262	2995	2280	1711	1571
कर उपरांत लाभ	496	(710)	(913)	1419	3461	6615	7040	6011	4311	3138	2859
कुल व्यापक आय	467	(786)									
लाभांश^	294	152	98	284	693	1323	1567	1525	1141	832	746
उपरोक्त पर कॉरपोरेट लाभांश कर	60	31	20	57	118	221	254	249	191	141	127

₹ करोड़ में

	भारतीय लेखा मानक		आईजीएएपी								
	2016-17	2015-16*	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
II कंपनी का स्वामित्व											
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियां											
सकल ब्लॉक	5372	4896	13298	12588	12050	10783	9707	8050	6580	5225	4443
घटाएं संचयी मूल्यह्रास	1776	934	9335	8448	7357	6325	5410	4649	4165	3754	3462
निवल ब्लॉक	3596	3962	3963	4140	4693	4458	4297	3401	2415	1471	981
पूंजीगत चालू कार्य	169	318	315	518	642	1172	1348	1733	1530	1157	658
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित											
गैर चालू निवेश	661	664	663	418	420	429	462	439	80	52	8
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3841	3659	3135	2221	1969	1551	1546	2164	1527	1840	1338
वर्तमान परिसंपत्तियां और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	52963	56560	58614	61170	65067	62518	59123	51523	42915	36901	27906
कुल परिसंपत्तियां	61230	65163	66690	68467	72791	70128	66776	59260	48467	41421	30892
III कुल का स्वामित्व											
उधार	90	126	126	61	105	129	123	102	81	105	61
देयताएं एवं प्रावधान	28846	32856	33510	34321	39639	39555	41280	39004	32489	28377	20056
कुल देयताएं	28936	32982	33636	34382	39744	39684	41403	39106	32570	28482	20117
IV कम्पनी का निवल मूल्य											
इक्विटी शेयर पूंजी	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
अन्य इक्विटी	31804	31691	32564	33595	32557	29954	24883	19664	15427	12449	10285
निवल मूल्य	32294	32181	33054	34085	33047	30444	25373	20154	15917	12939	10775
V नियोजित पूंजी	28374	28330	29778	31435	33139	29161	22651	16391	12968	10091	8873
VI मूल्य वर्धन	10111	8356	8382	11983	15046	19460	19098	18476	13171	9894	8323
VII अनुपात											
कुल परिसंपत्तियों पर पीबीडीआईटी (%)*	2.9%	0.2%	(0.8%)	4.7%	8.6%	15.4%	17.7%	17.8%	15.8%	14.4%	17.6%
नियोजित पूंजी पर सकल लाभ (%)#	3.4%	(2.8%)	(4.7%)	6.9%	16.5%	36.9%	53.0%	61.7%	57.5%	51.5%	54.1%
कारोबार/सकल ब्लॉक	5.4	5.3	2.0	2.5	3.3	4.7	5.1	5.4	5.2	5.4	4.8
अर्जन प्रति शेयर (रु.)✦	2.03	(2.90)	(3.73)	5.80	14.14	27.03	28.76	24.56	17.61	12.82	11.68
प्रति शेयर निवल मूल्य (रु.)✦	131.94	131.48	135.04	139.26	135.02	124.38	103.67	82.34	65.03	52.86	44.02
कुल ऋण/इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
निवल मूल्य पर प्रतिफल	1.5%	(2.2%)	(2.8%)	4.2%	10.5%	21.7%	27.7%	29.8%	27.1%	24.3%	26.5%
सकल लाभ मार्जिन	3.4%	(3.1%)	(5.5%)	7.2%	12.8%	19.1%	20.9%	20.9%	19.4%	17.4%	20.9%
निवल लाभ मार्जिन	1.7%	(2.7%)	(3.4%)	4.6%	8.6%	13.2%	14.2%	13.9%	12.6%	11.2%	13.4%

*आंकडें भारतीय लेखा मानक के अनुसार हैं

^ 2015–16* एवं 2016–17 के लिए लाभांश में भारतीय लेखा मानक के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश और पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश शामिल हैं

औसत निवल परिसम्पत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

✦ आंकडें 2011–12 में किए गए विखंडन पूर्व के आधार पर और 1:1 के अनुपात में 2007–2008 में बोनस इश्यू पर आधारित हैं

मूल्य वर्धन विवरण

₹ करोड़ में

	इंड एएस			आईजीएएपी		
विवरण	2016-17	2015-16*	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
क. मूल्य वर्धन का सृजन						
उत्पादन का मूल्य	26631	24718	24765	29755	37077	47219
(उत्पाद शुल्क घटाकर)						
घटाएं प्रत्यक्ष सामग्री, विद्युत एवं ईंधन तथा उप–ठेकेदारों को भुगतान	16520	16362	16383	17772	22031	27759
वर्धित मूल्य	10111	8356	8382	11983	15046	19460
घटाएं–अन्य परिचालन व्यय	2913	2922	3355	3224	2982	3196
निवल मूल्य वर्धन	7198	5434	5027	8759	12064	16264
उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत	27.03%	21.99%	20.30%	29.44%	32.54%	34.44%
ख. मूल्य वर्धन का प्रयोग						
कर्मचारियों को भुगतान	5400	5380	5541	5450	5934	5753
निवल मूल्य वर्धन का प्रतिशत	75.02%	98.99%	110.23%	62.22%	49.19%	35.37%
मूल्यह्रास	849	936	936	1077	983	953
निवल मूल्य वर्धन का प्रतिशत	11.79%	17.22%	18.61%	12.30%	8.15%	5.86%
वित्तीय लागतः	351	359	27	92	133	125
निवल मूल्य वर्धन का प्रतिशत	4.87%	6.61%	0.53%	1.05%	1.10%	0.77%
कर प्रावधान	132	(455)	(563)	721	1554	2818
(आस्थगित कर सहित आयकर)						
निवल मूल्य वर्धन का प्रतिशत	1.83%	(8.36%)	(11.21%)	8.23%	12.88%	17.32%
लाभांश (लाभांश कर सहित)^	354	183	118	341	810	1544
निवल मूल्य वर्धन का प्रतिशत	4.92%	3.37%	2.34%	3.90%	6.71%	9.49%
प्रतिधारित लाभ	113	(969)	(1031)	1078	2651	5071
निवल मूल्य वंर्धन का प्रतिशत	1.57%	(17.83%)	(20.51%)	12.31%	21.97%	31.18%

*आंकड़ें भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः वर्णित हैं

^2015–16 एवं 2016–17 के लिए लाभांश में भारतीय लेखा मानक के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश और पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश शामिल है

वार्षिक योजना का कार्यनिष्पादन

₹ करोड़ में

निवेश की श्रेणी	2016-17	2015-16
योजनाएं	**210**	80
आधुनिकीकरण एवं युक्तिकरण, अन्य	**51**	141
ग्राहक परियोजना संबंधी पूंजी निवेश	**33**	90
कुल	**294**	311

राजकोष में अंशदान

₹ करोड़ में

2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
2062	1857	2449	4729	6561

लाभांश वितरण नीति

1. कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य

1.1 यह नीति सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2016 द्वारा अधिसूचित विनियमन 43ए के अनुसरण में 8 जुलाई, 2016 को प्रतिपादित की गई है। कथित अधिसूचना में शीर्ष पांच सौर सूचीबद्ध कंपनियों (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाजार पूंजीकरण के आधार पर) को लाभांश वितरण नीति प्रतिपादित करनी जरूरी है जिन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में और अपनी वेबसाइट पर प्रकटित करना होगा।

1.2 तदनुसार, कम्पनी ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में नीति की प्रभावी तिथि से इस लाभांश वितरण नीति को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया है।

1.3 नीति का उद्देश्य मापदंड (बाहरी एवं आंतरिक कारक) जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और परिस्थितियां जिन पर कम्पनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते है/नही कर सकते है तथा प्रतिधारित आय कैसे उपयोग की जाए, आदि को व्यापक रूप से विनिर्देशित करना है।

कम्पनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिक से अधिक करने के लिए प्रयासरत है और यह विश्वास करती है कि इसे विकास को बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। नीति पर इस बात का व्यापक जोर दिया जा रहा है कि लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों के प्रतिफल के बीच ईष्टतम समानता बनाए रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कम्पनी के विकास तथा अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त लाभ प्रतिधारित किया जाए।

नीति लाभांश की सिफारिश के लिए बोर्ड के निर्णय का एक विकल्प नहीं है जिसे प्रत्येक वर्ष कम्पनी के ब्याज पर विचार करने तथा नीति में शामिल सभी संगत परिस्थितियां या अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, पर विचार करने के बाद बनाया जाता है।

2. परिभाषाएं

2.1 ''बोर्ड का मतलब कम्पनी का निदेशक मंडल होगा।

2.2 ''कम्पनी अधिनियम'' का मतलब कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर संशोधित अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन अधिसूचित किया गया नियम होगा।

2.3 'लाभांश' में अंतरित लाभांश शामिल होता है।

2.4 ''कम्पनी'' का मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होगा।

2.5 ''नीति'' का मतलब लाभांश वितरण नीति होगा।

2.6 ''विनियमन'' का मतलब भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय–समय पर संशोधित अनुसार अधिसूचित भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 होगा।

2.7 ''स्टॉक एक्सचेंज'' का मतलब प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के उपवाक्य (च) के अंतर्गत पभिाषित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है, होगा।

3. कारक : वित्तीय मापदंडों सहित जो कम्पनी के लाभांश को घोषित करने एवं अदायगी निर्णय लेने पर विचाराधीन होंगे:

3.1 बाहरी कारक

3.1.1 आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश : वर्तमान एवं संभावित व्यापार परिदृश्य सहित बड़ी आर्थिक परिस्थितियों पर किसी भी वर्ष में लाभांश के भुगतान की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा।

3.1.2 उद्योग की स्थिति : उद्योग की वर्तमान स्थिति जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है, को भी लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा।

3.1.3 सांविधिक प्रावधान एवं दिशानिर्देश : कम्पनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों एवं सेबी तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विनियमनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी लाभांश घोषणा के संबंध में लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

3.1.4 लाभांश पर कर सहित लागू कर : लाभांशों पर कर सहित कम्पनी पर लागू कर जो समग्र नगदी बर्हिप्रवाह को प्रभावित करते हैं।

3.2 आंतरिक कारक

वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ–साथ कम्पनी के परिचालनों की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करेगा :

3.2.1 तिमाही तक/वित्तीय वर्ष के लिए लाभ

3.2.2 कम्पनी के स्वतंत्र आरक्षित में उपलब्ध शेष

3.2.3 कम्पनी एवं उद्योग का लाभांश अदायगी की प्रवृत्ति

3.2.4 भावी व्यवसाय परियोजनाएं और परिचालन आवश्यकताएं

3.2.5 भावी लाभों के लिए अर्जन एवं अनुमानों का स्थायित्व

3.2.6 आगे भविष्य के लिए परिचालन नगदी प्रवाह, कोष की स्थिति और नगदी प्रवाह अनुमान

3.2.7 उधार का स्तर और उधार की क्षमता

3.2.8 कार्बनिक/अकार्बनिक विकास क्षतिजों सहित कम्पनी के वर्तमान एवं भविष्य की पूंजी व्यय योजना

3.2.9 कम्पनी की सहायक कंपनियों/जेवी एवं एसोसिएट कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आवश्यकता

3.2.10 आकस्मिक घटनाएं और आकस्मिकताएं, जिनके वित्तीय प्रभाव होते है, के लिए प्रावधान

3.2.11 अन्य कोई कारक जिसे बोर्ड उचित समझता हा

3.2 वर्ष के लिए लाभ नियमों, लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण मानकों में परिवर्तन या अन्यथा के परिणामस्वरूप अपवादात्मक या एकबारगी मदों या गैर–नगदी मदों को छोड़कर बोर्ड के विवेकानुसार समायोजित किया जा सकता है।

3.3 बोर्ड जब भी उचित समझे अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार कर सकता है। अंतिम लाभांश की सिफारिफ वर्तमान में लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद बोर्ड द्वारा की जाएगी।

4. परिस्थितियां जिनके अधीन शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकता है/नहीं कर सकता है

लाभांशों के रूप में लाभ का वितरण और व्यवसाय तथा अन्य उद्देश्यों में उपयोग के लिए इसका कुछ भाग प्रतिधारित रखना प्रत्येक कंपनी का मौलिक निर्णय है। इस निर्णय में लाभांशों के माध्यम से शेयरधारकों को उचित पारितोषिक और परिचालन आवश्यकताओं एवं भविष्य की व्यवसाय योजनाओं के बीच सही संतुलन होना चाहिए। इसके साथ ही कम्पनी अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रही है इसलिए वह भी भविष्य में की इसे पाने की आशा रख सकते हैं। कम्पनी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश का भुगतान के लिए मजबूर नहीं हैः

(क) लाभ न होना या पर्याप्त लाभ न होना : यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, नहीं लाभ नहीं है या यह निर्धारित किया जाता है कि कम्पनी का लाभ पर्याप्त नहीं है तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष में लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) अन्य अवरोध : संकटपूर्ण कारक जैसे सीमित नगदी संसाधन/उनकी अनुपलब्धता, भविष्य में नगदी प्रवाह अनुमानों के कारण बाध्यताएं, महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए आवश्यक आपातकालीन जरूरतें, अस्थायित्व व्यापार और लाभ अनुमान आदि तथा अन्य कोई उचित कारक जो बोर्ड जरूरी समझता हो, ऐसे पर विचार करते हुए किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा नहीं कर सकता है।

5. प्रतिधारित आय का उपयोग

लाभांश के भुगतान के बाद कम्पनी की प्रतिधारित आय का उपयोग मुख्यतया विकास योजनाओं तथा कम्पनी की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा क्योंकि कम्पनी निरंतर वृद्धि एवं स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

6. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

कम्पनी के पास वर्तमान में शेयरों का एक ही वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर हैं। जब या जैसे भी यह किसी अन्य शेयरों के वर्ग को जारी करने का प्रस्ताव करती है तो नीति तद्नुसार संशोधित हो जाएगी।

7. नीति में संशोधन

कम्पनी जब भी उचित समझे या सेबी, भारत सरकार या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी नीति के किसी या सभी प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार रखती है। यद्यपि, नीति में परिवर्तन के बारे में लागू विनियामक प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की वेबसाइट और आगामी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्टीकरणों के साथ बताना होगा।

8. सामान्य :

8.1 इस नीति के घटकों या नीति के किसी घटक में संशोधन के अलावा मापदंडों के आधार पर लाभांश की घोषणा कम्पनी की वेबसाइट के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकटित करनी होगी।

8.2 नीति का किसी विनियामक प्रावधान के साथ भिन्नता होने की स्थिति में ऐसे विनियामक प्रावधान इस नीति के संगत प्रावधान के साथ लागू होंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से संशोधित करना होगा।

भारत में बीएचईएल

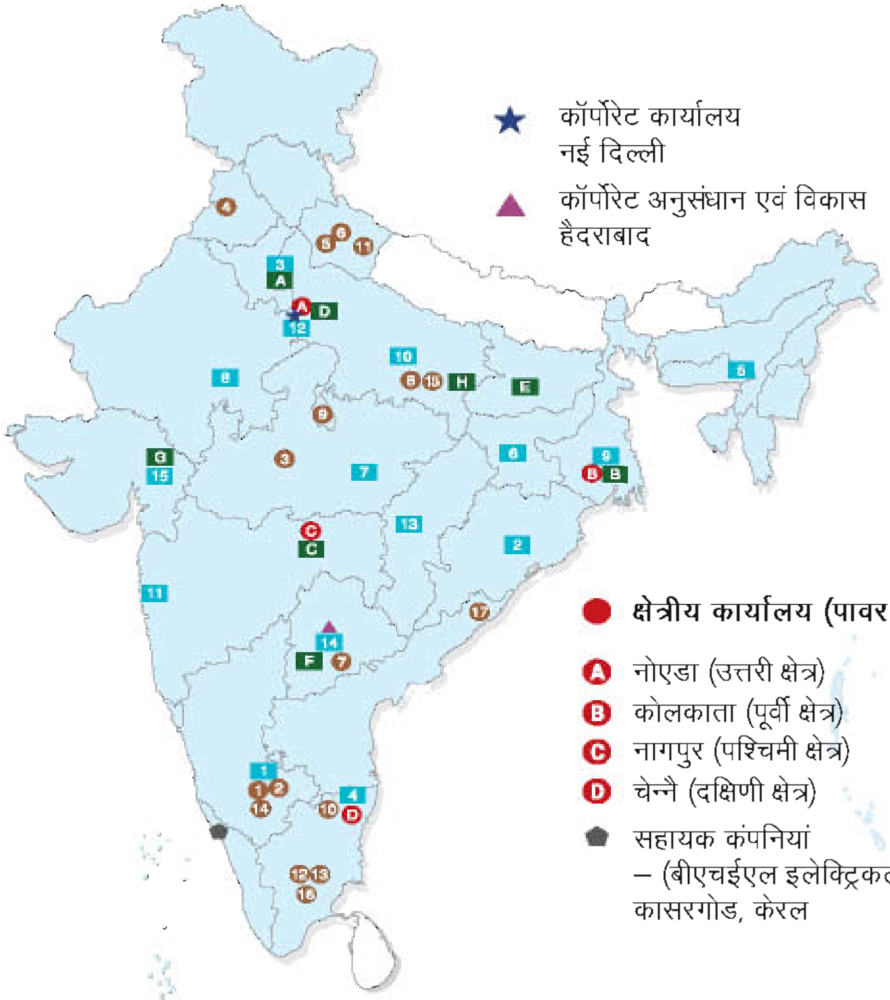

★ कॉर्पोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

▲ कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
हैदराबाद

● क्षेत्रीय कार्यालय (पावर सेक्टर)

- A नोएडा (उत्तरी क्षेत्र)
- B कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र)
- C नागपुर (पश्चिमी क्षेत्र)
- D चेन्नै (दक्षिणी क्षेत्र)

⬟ सहायक कंपनियां
– (बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
कासरगोड, केरल

व्यवसाय कार्यालय

- 1 बेंगलुरू
- 2 भुवनेश्वर
- 3 चंडीगढ़
- 4 चेन्नई
- 5 गुवाहाटी
- 6 राँची
- 7 जबलपुर
- 8 जयपुर
- 9 कोलकाता
- 10 लखनऊ
- 11 मुम्बई
- 12 नई दिल्ली
- 13 रायपुर
- 14 सिकन्दराबाद
- 15 वड़ोदरा

विनिर्माण इकाइयां

- 14 1 2 बेंगलुरू
- 3 भोपाल
- 4 गोइंदवाल
- 5 6 हरिद्वार
- 7 हैदराबाद
- 15 8 जगदीशपुर
- 9 झांसी
- 10 रानीपेट
- 11 रूद्रपुर
- 12 13 तिरूचिरापल्ली
- 16 तिरूमयम
- 17 विशाखापट्टनम

सेवा केंद्र

- A चंडीगढ़
- B कोलकाता
- C नागपुर
- D नोएडा
- E पटना
- F सिकन्दराबाद
- G वडोदरा
- H वाराणसी

यह भौगोलिक वर्णन भारत के मानचित्र को नहीं दर्शाता है।

उत्पाद प्रोफाइल

थर्मल विद्युत संयंत्र

- जीवाश्म–ईंधन एवं कम्बाइंड साइकल अनुप्रयोगों के लिये 1000 मेगावाट क्षमता तक रिजेनरेटिव फीड साइकल के साथ स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर। 1000 मेगावाट तक यूनिट आकार सुपरक्रिटिकल स्टीम साइकल मानदंडों एवं समतुल्य जेनरेटरों के साथ स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन के डिज़ाइन एवं निर्माण करने की क्षमता।
- 1000 मेगावाट तक टीजी सेटों की उपर्युक्त आवश्यकता पूरी करते हुए एयर एंड वाटर कूल्ड कंडेन्सर, कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प, बॉयलर फ़ीड पम्प, डुप्लैक्स हीटर्स, वॉल्व एवं हीट एक्सचेंजर।
- पुराने थर्मल विद्युत संयंत्रों का ऊर्जा दक्ष नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईई आरएंडएम) एवं उपयोग अवधि विस्तार (एलई) तथा आरएलए अध्ययन।

न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र

- बीएचईएल 700 एमडब्ल्यूई तक की क्षमता तक के पीएचडब्ल्यूआर आधारित न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिए स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर, एन्ड सील्ड, विशेष प्रयोजन हीट एक्सचेंजर,प्रेशर वेसेल, मोटर आदि जैस रिएक्टर साइड कॉम्पोनेन्ट की अभियांत्रिकी, उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। बीएचईएल न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों की द्वितीयक साइड को पूर्ण समाधान भी प्रदान करता है अैार इसके पास 700 एमडब्ल्यूई क्षमता तक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिए टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर और कंडेन्सर्स आदि की आपूर्ति की क्षमता है।
- बीएचईएल 500 मेगावाट रेटिंग आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफबीआर) तक के लिये न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के रियेक्टर साइड एवं सेकेंडरी साइड के विभिन्न घटकों की डिजाइन, उत्पादन एवं आपूर्ति कर सकता है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

- संयंत्र की रूपरेखा, ईंधन के प्रकार, उत्सर्जन एवं शोर संबंधी विशेष जरुरतों को पूरा करने के लिये 299 मेगावाट (आईएसओ) तक की उच्च श्रेणी की रेटिंग की गैस टरबाइनें और समतुल्य जेनरेटर। ऐसी मशीनों की विशेषताओं में निम्न शामिल हैं :
    - o कुछ ईंधन गैसीय एवं तरलीय दोनों को जलाने की क्षमता।
    - o गैसों एवं तरल के सम्मिश्रणों की मिश्रित फायरिंग।
    - o डीएनएन कम्बस्टर्स के साथ नाइट्रोजन आक्सॉइड की 15 पीपीएम के स्तर तक के कम उत्सर्जन
- उद्योग एवं उपयोगिता अनुप्रयोगों के लिये गैस टरबाइन आधारित को–जेनरेशन एवं सम्मिलित साइकल प्रणालियां

हाइड्रो विद्युत संयंत्र

- समरूप जेनरेटर सहित केपलान, फ्रेंसिस एवं पेल्टॉन प्रकार के कस्टम निर्मित परंपरागत हाइड्रो टरबाइनें, समरुप मोटर जेनरेटर सहित पम्प टर्बाइनें 300 मेगावाट तक के समतुल्य मोटर जेनरेटर, 10 मेगावाट तक के समतुल्य जेनरेटरों सहित बल्ब टरबाइन।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए समतुल्य मोटरों के साथ उच्च क्षमता के पम्प (150 मेगावाट तक)
- 10–25 मेगावाट यूनिट रेटिंग क्षमता वाले लघु जल विद्युत संयंत्र
- परंपरागत टर्बाइनों के लिए इलेक्ट्रो–हाइड्रॉलिक माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल नियंत्रक
- लिफ्ट सिंचाई पम्पों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल कंट्रोलर
- हाइड्रो जेनरेटरों और मोटरों के लिए स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए ब्रुशलेश एक्साइटर
- विशेष प्रयोजन और मोटर जेनरेटर सेट
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलाकार (रोटरी) बटरफ्लाई और रोटरी वाल्व और सहायक उपकरण

सौर विद्युत संयंत्र

- किलोवाट ईपीसी समाधान संकल्पना से पी.वी. सौर ऊर्जा संयंत्रों की कमीशनिंग के लिए
    - o ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) के साथ एवं इसके बिना
    - o स्टैन्डअलोन सिस्टम
    - o रूफ टॉप सिस्टम
    - o हाइब्रिड सिस्टम
    - o कैनाल टॉप सिस्टम
    - o फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट
    - o सौर आधारित सिंचाई पम्प

डीजी विद्युत संयंत्र

- एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, प्राकृतिक गैस आधारित डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र, टर्नकी आधार पर आपातकाल, पीकिंग तथा बेस लोड प्रचालनों के लिए 20 मेगावाट तथा 11 किलोवाट तक की वोल्टेज क्षमता वाले यूनिट।

विलवणीकरण और जल शोधन संयंत्र

बिजली संयंत्र, औद्योगिक अनुप्रयोगों और विभिन्न शोधन तकनीकों के साथ निगम अनुप्रयोगों के लिए समग्र जल शोधन समाधान जिनमें शामिल हैं :

- ट्रीटमेंट पूर्व प्लांट (पीटी)
- सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस (एसडब्लयूआरओ) प्लान्ट
- डि–मिनरलाइजेशन (डीएम) संयंत्र
- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए झिल्ली आधारित उपचार
- प्रवाह उपचार संयंत्र (ईटीपी)
- निगम अनुप्रयोगों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) सिस्टम

रक्षा

- नौसेना की पोतों के लिये सुपर रैपिड गन माउंट 76/62 गन
- नौ सेना की पोतों के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)
- वाहन, प्लेटफार्मों, रडार, हथियार, मिसाइल और सीबीटी सभी रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए के लिए प्रशिक्षण सिम्युलेटर
- टी–72 टैंकों के लिए बुर्ज टयरेट कास्टिंग
- नौ सेना के पोतों के लिए कास्टिंग
- रक्षा अनुप्रयोग के लिये कास्टिंग एवं फोर्जिंग्स
- सेना एयरक्राफ्टों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- रणनीतिक उपकरण आदि

प्रणालियां और सेवाएं

- **विद्युत उत्पादन प्रणालियां**
  - टर्नकी विद्युत स्टेशन/ईपीसी संविदाएं
  - कम्बांड साइकल विद्युत संयंत्र
  - सह उत्पादन प्रणालियां
  - कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - एमडब्ल्यूपी रेटिंग तक सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स हेतु कमीशनिंग सॉल्यूशन्स की अवधारणा
  - विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीकरण और आरएलए अध्ययन
  - यूटीलिटियों के लिए सिमुलेटर्स सहित सॉफ्टवेयर पैकेज
  - उक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, समर्थन सेवाएं, स्पेयर्स मैनेजमेंट और परामर्शी सेवाएं
- **ट्रांसमिशन प्रणालियां**
  - 33 केवी से लेकर 765 केवी तक के एआईएस तथा जीआईएस किस्म के ईएचवी एवं यूएचवी सबस्टेशन/स्विचयार्ड
  - एचवीडीसी ट्रान्समिशन प्रणालियां
  - लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (तथ्यों) समाधान
    - फिक्स्ड सीरीज कम्पेन्शेसन (एफएससी)
    - स्टेटिक वार कम्पेन्शेसन (एसवीसी)
    - स्टेटकाम (एसटीएटीसीओएम)
    - कन्ट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
    - फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)
- पावर प्रणाली अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन और इन्सुलेशन समन्वय

बॉयलर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग करके 30 से 800 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटियों के लिए स्टीम जेनरेटर, 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपरक्रिटिकल मानदंडों वाले बॉयलरों का निर्माण करने की क्षमता।
- आयातित गुणवत्ता वाले स्वेदशीकृत कोयले, लिग्नाइट की ब्लेंडिंग, पेटकोक आदि जैसी विभिन्न क्षमताओं वाली ब्लेंडिंग/को–फायरिंग के ज्वलन की क्षमता वाले फ्यूल फ्लेक्सिबल बॉयलर।
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैस, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, बेगास अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग कर 40 से 450 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले औद्योगिक उपयोगों के लिए स्टीम जेनरेटर्स।
  - पल्वराइज्ड कोल/लिग्नाइट फायर्ड बॉयलर
  - स्टोकर फायर्ड बॉयलर
  - बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - 250 मेगावाट तक सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर सीएफ़बीसी
  - हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
  - सूखे ठोस के 100 से 1000 टन प्रति दिन की क्षमता वाले कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर।

बॉयलर ऑग्जिलियरीज

पंखे

- 40 से 1300 घनमीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 400 से 1500 मिमी. डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक डस्ट लेडेन हॉट गैस प्रयोग और स्वच्छ वायु प्रयोग के लिए सिंगल एवं डबल स्टेज के एक्सियल रिएक्शन पंखे

- 25 से 600 घन मीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 300 से 700 तक मिमी डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के स्वच्छ वायु और हॉट गैस दोनों प्रयोगों के लिए एक्सियल इंपल्स पंखे
- गैस कॉलम की 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकेंड तक की क्षमता तथा 200 से 3000 तक की दाब की क्षमता वाली 400 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ वायु और डस्ट लेडेन गर्म गैसों के उपयोगों के लिए सिंगल एवं डबल सक्शन रेडियल पंखे (प्लेट एरोफोइल ब्लेडिड)

एयर प्री–हीटर

- औद्योगिक और यूटिलिटी बॉयलरों और सीएफबीसी बॉयलरों के लिए ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर
- विभिन प्रकार के बॉयलरों जैसे बाईसैक्टर, ट्रिसैक्टर ओर क्वाडसैक्टर के लिए रोटरी रिजेनरेटिव एयर प्रीहीटर
- 800 मेगावाट तक की यूटिलिटी के लिए बड़े रोटरी रिजेनेरेटिव एयर प्रीहीटर
- डीईएनओएक्स के लिए सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन (एससीआर) के साथ बॉयलरों के लिए एयर प्रीहीटर

पल्वेराइजर

- 67.5 मेगावाट से 800 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 18 टन/प्रति घंटे से 110 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले कोयला फ़ायर्ड थर्मल स्टेशनों हेतु धीमी एवं मध्यम गति के बाउल मिल।
- 110 मेगावाट से 500 मेगावाट तक थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 30 टन/प्रति घंटे से 110 टन/प्रति घंटे के उच्च राख संघटक वाले निम्न श्रेणी कोयला पल्वेराइजिंग के लिए ट्यूब मिल।
- यूटिलिटी तापीय विद्युत स्टेशनों के लिये भारतीय बाजार में मजबूत उपस्थिति बनाने के अलावा बीएचईएल निम्न की जरुरतों को भी पूरा करता है –
  - o पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन से लेकर ब्लास्ट फर्नेस के लिये इस्पात संयंत्रों की जरुरतें
  - o कोल पल्वेराइजिंग के लिये सीमेंट संयंत्रों की जरुरतें
  - o कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिये उर्वरक संयंत्रों की जरुरतें

इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)

- बायोमास से जलने वाले बॉयलरों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सोडा प्राप्ति बॉयलरों आदि सहित यूटीलिटी और औद्योगिक प्रयोगों के लिए 17 मिग्रा/ना.घ.मी. (99.97 प्रतिशत तक की क्षमता) तक निकासी उत्सर्जन सहित किसी भी क्षमता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर
- उपयोगिता एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये बैग फिल्टर
- एससीआर अनुप्रयोग के लिए मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर

गुलोटिन गेट्स एवं डैम्पर्स

- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर 100 प्रतिशत रिसाव रोधी के साथ गुलोटिन गेट्स।
- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर 100 प्रतिशत रिसाव रोधी के साथ बाई–प्लेन डेम्पर्स।
- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर के साथ लौवर डैम्पर्स।
- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर के साथ कन्ट्रोल डैम्पर्स (रेग्युलेटिंग)।

फ्लू गैस डिसल्फुराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम

- समुद्री जल/लाइमस्टोन स्लरी स्क्रबर के साथ फ़्लू गैस डिसएफराइज़ेशन (एफजीडी, प्रणाली)
- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटरों (एचआरएसजी), औद्योगिक बॉयलरों, ऑग्जिलरी बॉयलरों और अन्य फ्लू गैस एक्ज़ॉस्ट उपयोगों के लिए स्टील चिमनी

सूट ब्लोअर्स

- 12.2 मीटर तक चलने वाले लंबे रिट्रेक्टेबलर सूट ब्लोअर्स (एलआरएसबी)
- 6.9 मीटर तथा 8.3 मीटर लम्बाई तक चलने वाले फ़र्नेस टेम्परेचर प्रोब (एफटीपी)
- एयर हीटरों के लिए फ़ॉर्वर्ड ब्लोविंग के साथ लंबे रिट्रेक्टेबल नॉन–रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर्स
- सीएफबीसी बॉयलर एप्लीकेशन के लिए ऍश डिस्चार्ज वाल्व
- सीएफबीसी बॉयलर उपयोगों के लिए ऐश डिस्चार्ज वॉल्व
- इन्टीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर्स
- सूट ब्लोअर्स सिक्वेंशियल पीएलसी कन्ट्रोल पैनल
- रैक टाइप लंबे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर्स
- वॉल ब्लोअर्स
- रोटरी सूट ब्लोअर्स

वॉल्व

- उपयोगों एवं औद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए उच्च दाब तथा निम्न दाब बायपास वाल्व एवं हाइड्रॉलिक प्रणाली
- 950 मिमी व्यास, 4500 (791 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर) के अधिकतम दाव श्रेणी और 650 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक स्टीम, तेल और गैस कार्यों के लिए उच्च और मध्यम प्रेशर वाल्व, गेट, ग्लोब के ढलंग और फोर्ज इस्पात, वन रिटर्न वॉल्व (स्विंग चेक और पिस्टन लिफ्ट चैक) किस्म
- 900 एमएम अधिकतम श्रेणी 1500 एवं 650 सेंटीग्रेड तक के हॉट–रिहीट एवं कोल्ड रिहीट आइसोलेटिंग डिवाइसिस
- 372 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 630 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए उच्च क्षमता के सुरक्षा वाल्व और 210 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब तथा 593 डिग्री तक के निर्धारित तापमान के लिए स्वचालित विद्युत प्रचालित प्रैशर रिलीफ वाल्व

- 421 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 537 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए विद्युत प्रक्रिया और अन्य उद्योगों में प्रयोग हेतु सुरक्षा रिलीफ वाल्व
- 2700 मिमी आकार में अधिकतम ब्यास वाले रिएक्टिव–कम–एब्जॉर्बप्टिव टाइप साइलेंसर
- डायरेक्टर वाटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व–टर्बाइन ड्रेन उपयोग के लिए सिंगल एवं मल्टी स्टेज सर्विस कन्ट्रोल वाल्व
- आरएच एवं एस एच स्प्रे लाइनों के लिए सेरे सर्विस कंट्रोल वाल्व
- 800 मिमी व्यास 158 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर दाब का 540 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक के निष्कर्षण लाइनों के लिए शीघ्र बंद होने वाले नान–रिटर्न वाल्व और कोल्ड रिहीट नॉन–रिटर्न वाल्व
- बटर फ्लाई वॉल्व (फैब्रिकेटेड/कास्ट बॉडी एवं डोर)

पाइपिंग प्रणालियां

- सुपरक्रिटिकल सेटों सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के विद्युत स्टेशनों के लिए परिचालन जल पाइपिंग सहित विद्युत चक्र पाइपिंग, कॉन्स्टैन्ट लोड हैंगर्स, परिवर्ती स्प्रिंग हैंगर्स, हैंगर संघटक, निम्न दाब पाइपिंग
- न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों, कम्बाइन्ड साइकल विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों तथा प्रक्रिया उद्योगों में विद्युत संयंत्रों के लिए पाइपिंग प्रणालियां

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम/एपीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों सहित राइफल्ड ट्यूब एवं स्पाइरल फिन्ड ट्यूब के लिए उपयुक्त कार्बन स्टील और निम्न मिश्रधातु स्टील में 19 से 133 मिमी तक के बाहरी ब्यास और 2 से 14 मिमी तक की मोटाई की सीमा सहित उष्म निर्मित और कोल्ड ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूबें।

वाष्प टरबाइन

- अंतरराष्ट्रीय निर्दिष्टीकरण के अनुरुप तापीय सेटों के लिये 1000 मेगावाट तक की उच्च रेटिंग की स्टीम टर्बाइनें
- 500 मेगावाट परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए स्टीम टर्बाइनें

टर्बो जेनरेटर

- सुपरक्रिटिकल मानकों के लिये 1000 मेगावाट की उच्च रेटिंग के लिये टर्बो जेनरेटर
- 270 मेगावाट, 540 मेगावाट और 700 मेगावाट के न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के लिये टर्बो जेनरेटर

औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट
  - o एसटीजी/बॉयलर/बीटीजी/ईपीसीः 200 मेगावाट तक रेटिंग यूनिट
  - o 120 मेगावाट यूनिट तक नॉन–रीहीट
  - o 200 मेगावाट यूनटि रेटिंग तक रीहीट
- गैस टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट
  - o एसटीजी/एचआरएमसी/ईपीसीः एफआर 5 (26 मेगावाट) से एफआर–9ई (126 मेगावाट)
  - o ओपन, कोजेन एवं कम्बाइंड साइकल

कास्टिंग एवं फोर्जिंग

- परिष्कृत भारी कास्टिंग एवं क्रीप रोधी एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एवं ग्रेड की एलॉय स्टील, जो सब–क्रिटिकल, सुपरक्रिटिकल तथा अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रॉद्योगिकी के उपकरणों हेतु सख़्त अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टिताओं को पूरा सके।

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फेस कंडेन्सर
  - o 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
  - o 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
  - o औद्योगिक कंडेन्सर
- फीड वाटर हीटर (एचपी हीटर्स, एलपी हीटर्स, ड्रेन कूलर्स, डुप्लैक्स हीटर, डी–सुपर हीटर्स आदि)
  - o थर्मलः 07 से 500 मेगावाट (सब–क्रिटिकल) एवं 300–800 मेगावाट (एकल स्टीम के साथ सुपरक्रिटिकल)
  - o न्यूक्लियर 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट रेटिंग
- आर्द्रता सेपरेटर और रि–हीटर (एमएसआर)
  - o 236 और 500 एवं 700 मेगावाट न्यूक्लियर सेट
- लाइव स्टीम रीहीटर (एलएसआर)
  - o 500 मेगावाट एफबीआर न्यूक्लियर सेट
- टर्बो और हाइड्रोजेनेरेटर के लिए ऑग्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स
  - o एयर कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
  - o ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म तथा प्लग–इन किस्म)
  - o हाइड्रोजन कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- ट्रांसफॉर्मरों के लिए ऑग्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स
  - o ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म एकल ट्यूब अथवा कॉन्सेन्ट्रिक डबल ट्यूब टाइप) (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- सामान्य प्रयोग के लिए ऑग्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स
  - o वाटर – वाटर कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म)
- रिफाइनरी, पेट्रो–केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के लिए औद्योगिक हीट एक्सचेंजर्स

- थर्मल और न्यूक्लियर सेटों के लिए फ्लैश टैंक
- सभी रेटिंग्स के ताप, न्यूक्लियर सेटों के लिए सर्विस टैंक, स्टोरेज टैंक और प्रेशर वैसल्स एवं औद्योगिक अनुप्रयोग
- सीएस/एसएस/नॉन फेरस शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजरर्स और प्रेशर वैसल्स (सभी अनुप्रयोगों के लिए भले ही रेटिंग कुछ भी हो)
- एफआर–9 एफई तक जीटीजी हेतु एअर–कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स और सभी रेटिंग्स के कम्प्रेशर अनुप्रयोग।
- 150 मेगावाट तक के सभी कंडेंसर्स के लिए स्टीम जेट एअर इजेक्टर
- 7 मेगावाट से 800 मेगावाट तक डीरेटर्स
- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर 7 मेगावाट से 150 मेगावाट
- सभी संभव कम्प्रेशर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर्स
- ऑयल कूलर्स– एसटीजी 150 मेगावाट तक, जीटीजी एफआर–9, एफई तक
- 150 मेगावाट एसटीजी और जीटीजी तक 9 एफए तक जेनरेटर एअर कूलर्स

पम्प

- 1000 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटियों के उपयुक्त विभिन्न प्रयोगों के लिए पम्प
  - o बॉयलर फीड पम्प (मोटर अथवा स्टीम टर्बाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पम्प
  - o कंडेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प
  - o सर्कुलेटिंग वाटर पम्प (कूलिंग वाटर पंपों के तौर पर भी जाना जाता है)

कंप्रेसर्स

- निम्नलिखित कन्फीग्युरेशन एवं पैरामीटर्स के साथ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसर्स सहायक प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विनिर्माण और आपूर्ति की जाती है।
  - **o मॉडल –**
    - 40 बार डिजाइन प्रेशर तक वर्टिकली स्प्लिट टाइप
    - 350 बार डिजाइन प्रेशर तक वर्टिकली स्प्लिट टाइप
  - o क्षमता–300000 एम^3/एचआर
  - o गैस–एयर, कार्बनडाई आक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, वैट गैस सीलिंग सिस्टम, प्रोपाइलीन आदि
  - o उद्योग–रिफाइनरीज, उर्वरक, तेल एवं गैस, इस्पात, विद्युत
  - o अंतर्राष्ट्रीय मानदंड–एपीआई 617
  - o परीक्षण क्षमता–एमआरटी, परफारमेंस टैस्ट, पूर्ण लोड, पूर्ण दबाव पूर्ण गति परीक्षण, पूर्ण यूनिट परीक्षण
  - o ड्राईवर–भाप टरबाईन, गैस टरबाईन, मोटर

सौर फोटोवोल्टाइक

- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसोलर सेल्स (156 एमएम)
- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसैल्स मॉडयूल्स (80 से 300 डब्ल्यूपी)
- पावर कंडीशनिंग यूनिट (500/630 केवीए)
- स्काडा प्रणाली
- एचटी स्विचगियर
- स्पेस ग्रेड सौर पीवी पैनल
- स्पेस गुणवत्ता वाली बैटरियां

स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियां

- स्टीम जनरेटर/बॉयलर कंट्रोल, बॉयलर संरक्षण सहित
- स्टीम टरबाईन कंट्रोल्स
- बॉयलर फीड पंप (बीएफपी) ड्राइव टरबाईन कंट्रोल
- स्टेशन कन्ट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/डीसीएस
- ऑफसाइट/ऑफ बेस कंट्रोल्स/बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल
  - o ऐश हैंडलिंग (एएचपी)
  - o कोयला हैंडलिंग (सीएचपी)
  - o विद्युत संयंत्र के लिये जल प्रणाली
  - o मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)
  - o कंडेन्सेट ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस)
  - o गैस बूस्टर कम्प्रेशर्स (जीबीसी)
  - o कंडेंसेट पॉलिशिंग इकाई (सीपीयू)
  - o हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडिशनिंग (एचवीएसी)
  - o ईंधन ऑयल अनलोडिंग प्रणाली
- हाइड्रो विद्युत संयंत्र नियंत्रण प्रणालियां
- गैस टर्बाइन नियंत्रण प्रणालियां
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टरबाईन एवं सेकेंडरी साइकल कंट्रोल सिस्टम
- न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइमरी साइकल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- पावर ब्लॉक ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट
- औद्योगिक स्वचालन
- सब स्टेशन एवं पी वी संयंत्र के लिये स्टेशन स्वचालन प्रणाली (एसएएस) और पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा आंकड़ा अधिग्रहण प्रणालियां (स्काडा)
- नॉन–एफएसटी एचवीडीसी कन्ट्रोल पैनल
- इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम फॉर रिफाइनरीज
- एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पावर प्लांट
- एमवी/एलवी स्विचगियर के लिये इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम

पावर इलेक्ट्रॉनिक्स

- एक्साइटेशन सिस्टम
- एसी ड्राइव सिस्टम
- स्टेटिक स्टार्टस
- इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट

ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल

- कनवर्टर वाल्व और एचवीडीसी और एफएसीटीएस के लिए नियंत्रण

पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसिस

- डायोडस–1400–4400वी/250–2000ए की रेंज तक
- थाईरिस्टर्स–1400–7000वी/150–4950ए की रेंज तक
- टर्बो जनरेटरों के लिए आवर्ती डायोड

सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉल्यूशन

- मैरिट आर्डर रेटिंग
- थर्मल यूटिलिटीज़ हेतु कार्यनिष्पादन विश्लेषण, डायग्नोस्टिक्स एवं ऑप्टिमाइजेशन (पीएडीओ)
- कार्यनिष्पादन गणना और आप्टिमाइजेशन सिस्टम
- डीसीएस से तृतीय पक्ष प्रणालियों के लिए ओपीसी संपर्क
- इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)
- ऑपरेटर ट्रेनिंग सिम्युलेटर
- पावर हाउस इंटरानेट सॉफ्टवेयर
- अलार्म विश्लेषण प्रणाली
- रियल टाइम परफॉरमेंस डाटा मॉनीटरिंग सिस्टम
- हिस्टोरिकल रिप्ले सिस्टम

स्विचगियर

36 केवी ताप वोल्टता रेटिंग और गैस इंसुलेटेड स्विचगियरों (36 केवी, 145 केवी, 420 केवी) के लिए भीतरी और बाहरी प्रयोगों हेतु विभिन्न किस्मों के मीडियम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर

- थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एवं कम्बाइंड साइकल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 12 केवी, 50 केए, 4000 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर
- उद्योग एवं रिफाइनरी के लिए 36 केवी, 40 केए, 2500 एएमपी तक के भीतरी स्विचगियर
- वितरण प्रणाली के लिए 12 केवी, 25 केए, 1250 एएमपी के भीतरी कॉम्पेक्ट स्विचगियर ब्रेकर्स
- डिस्ट्रिब्यूशन/ट्रैक साइड रेलवे एप्लिकेशन के लिए आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स (12 केवी, 25 केए, 1250 एएमपी/36 केवी 25 केए, 2000 एएमपी/25 केवी, 25 केए, 1600 एएमपी)
- ग्रामीण खंड के लिए 12 केवी आउटडोर पोल माउन्टेड ऑटोरिक्लोजर/ सैक्शनेलाइनर कैपेसिटर स्विच
- पारेषण एवं वितरण नेटवर्क रिफाइनरियों/हाइड्रो स्टेशन/मेट्रो के लिए गैस इंसुलेटिड स्विचगियर (36 केवी, 40 केए, 2500 एम्पियर/145 केवी, 40 केए, 2500 एम्पियर/420 केवी, 50 केए 3150 एम्पियर)
- एसएफ 6 सर्किट ब्रेकर्स (145 केवी, 40केए, 3150 ए), (420 केवी, 50 केए, 4000 ए))

बस डक्ट

- 800 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटीज़ के जेनरेटर पावर आउटपुट के लिए उपयुक्त संबद्ध उपस्कर युक्त बस डक्ट

ट्रांसफॉर्मर एवं रिएक्टर्स

- 1200 केवी तक की वोल्टता के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर्स
  - o जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स (500 एमवीए, 400 केवी, 3फेज/ 400 एमवीए, 765 केवी, 1फेज/400 एमवीए, 400 केवी, 1फेज तक)
  - o ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स (1000एमवीए, 400केवी, 3फेज/ 600 एमवीए, 400 केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 765 केवी, 1 फेज/ 1000 एमवीए, 1200 केवी, 1फेज तक)
- 800 केवी तक की एचवीडीसी प्रणालियों के लिए कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर/स्मूदिंग रिएक्टर्स
- शंट रिएक्टर्स (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- ईएचवी अनुप्रयोगों के लिए कन्ट्रोल शंट रिएस्टर्स
- ईएचवी अनुप्रयोगों के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स
- इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर्स
  - o 400 केवी तक के करंट ट्रांसफार्मर्स
  - o 220 केवी तक के इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफामर्स
  - o कैपिसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स (33 केवी से 1200 केवी तक)
- स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स
  - o रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स (120 केए, 132 केवी तक)
  - o फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स (33 केवी, 60 एमवीए तक)
- ईएसपी ट्रांसफॉर्मर्स 95 केवीपी, 1600 एमएपी
- 3.3 एमएच, 2700 एम्पियर तक स्मूदिंग रिएक्टर्स
- 300 एमएच, 120 एम्पियर तक ड्राई टाइप रिएक्टर
- 0.5 एमएच, 4600 एम्पियर तक डीसी चोक
- 15 एमवीए, 33 केवी तक के ड्राइ टाइप ट्रांसफॉर्मर्स
- पावर ट्रांसफार्मरों के लिए संयुक्त निगरानी प्रणाली

कैपेसिटर्स

- पावर फैक्टर सुधार (मोटर कैपेसिटर्स) के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स, 3.3 से 11 केवी डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कम्पैनसेशन) हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी प्रयोगों (3.3 केवी से 500 केवी, 1 फेस/3 फेस कैपेसिटर बैंक्स ऑफ रेटिंग) 0.5 एमवीए से 250 एमवीए) के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स
- सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर
- जेनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के संरक्षण के लिए सर्ज कैपेसिटर (11केवी से 40 केवी)
- ट्रैक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर
    - 1200 केवी तक सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
    - 400 केवी तक के पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर एप्लिकेशंस के लिए 52 से 400 केवी ओआईपी कंडेन्सर बुशिंग्स
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- ऑयल केबल बॉक्स, वॉल बुशिंग्स, वॉल बुशिंग, उच्चतर क्रीपेज, हाई कैंटिलीवर लोड, हाई अल्टीट्यूड बुशिंग जैसी स्पेशल एप्लिकेशन बुशिंग्स

ऑन लोड टेप चेंजर्स (ओएलटीसी)

पावर ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर आदि जैसे विभिन्न एप्लिकेशंस के लिए ऑन लोड टैप चेंजर

- 765 केवी, तक के क्लास ट्रांसफार्मर के लिए ऑन टैप चेंजर
- 400 केवी, तक के क्लास ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑफ सर्किट टैप स्विच

कंट्रोल गियर

औद्योगिक कंट्रोल गियर

- उद्योगों/विद्युत संयंत्रां के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स
- रिडंडेंट थाईरिस्टर स्टेक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर के साथ डिजिटल एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (1000ए, 400वी डीसी/400 वी डीसी)
- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल के साथ लार्ज करंट रेक्टिफायर्स
- डिजिटल हाइड्रोलिक/कम्पैक्ट गवर्नर्स
- डिजिटल एवीआर (1फेज, 300 वी डीसी/3फेज, 400 वीडीसी)
- इस्पात, अल्युमीनियम, सीमेंट, कागज़, रबड़, खनन, चीनी और पेट्रो–रसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए कंट्रोल पैनल और क्यूबिकल्स

कंटेक्टर्स

- 660 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप एसी
- 600 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप डीसी कंटेक्टर्स
- 11 केवी तक की वोल्टेज के लिए एचटी वैक्यूम टाइप एसी

कंट्रोल और रिले पैनल

- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु 400 केवी तक वोल्टेज के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल्स
- सिक्रोनाईजिंग ट्रॉली/स्विंग पैनल्स
- थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और कम्बाइंड साइकल विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के लिए 800 मेगावाट तक के बड़े जेनेरेटरों के लिए प्रोटेक्शन पैनल
- एमवी स्विचगियर के लिए रिमोट कंट्रोल और रिले पैनल
- हाइड्रो सेट के लिए टर्बाइन गेज पैनल
- आउटडोर–टाइप कंट्रोल पैनल और मार्शलिंग कियोस्क
- रिमोट ट्रांसफॉर्मर टैप–चेंजर कंट्रोल पैनल
- एलटी स्विचगियर, एससीएपी एवं थाइरिस्टर, रैपकॉन तथा स्टेटकॉन पैनल्स

इंसुलेटर्स

पोरसेलेन इंसुलेटर्स

- एसी/डीसी एप्लिकेशंस, स्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरण के लिए 70 केएन से 420 केएन तक की इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्षमता वाले 1200 केवी एसी एवं ±800 केवीएचवीडीसी तक का ट्रांसमिशन लाइन एवं सब स्टेशन के लिए हाई टेंशन पोर्सेलेन डिस्क इंसुलेटर्स
- ट्रांसफार्मरों और एसएफ 6 सर्किट ब्रेकरों के लिए 765 केवी तक के हॉलो पोर्सेलेन
- सब स्टेशन में प्रयोग के लिए बस पोस्ट और आइसोलेटरों के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर्स

कम्पोजिट इंसुलेटर्स

- 25 केवी रेलवे ट्रेक्शन के लिए
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 765 केवी तक लॉग रॉड इंसुलेटर
- इंस्ट्रयुमेंट ट्रांसफार्मरों के लिए 765 केवी तक हॉलो इंसुलेटर्स

वीयर प्रतिरोधी सामग्री (सिरेलिन)

- थर्मल विद्युत स्टेशनों तथा विभिन्न अन्य प्रयोगों के लिए वीयर प्रतिरोधी अनुप्रयोग हेतु सिरामिक लाइनर्स
- ऐश स्लरी अनुप्रयोग के लिये सिरामिक लाइनर्स

औद्योगिक तथा विशेष सिरामिक्स

- बॉयलर ड्रम जल स्तर अनुवीक्षण में प्रयुक्त होने वाले ईडब्ल्यूएलआई – इलेक्ट्रॉनिक जल स्तर संकेतक (बीएचईएल विज़न प्रणाली)

- क्रिसमस ट्री वॉल्वस के लिए सिरामिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स
- थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइज़िंग के लिये ग्राइंडिंग मीडिया

विद्युत मशीनें

एसी स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, सिंक्रोनस, वेरिएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटरों तथा जोखिम क्षेत्रों के लिए मोटरों का उत्पादन नीचे वर्णित रेंज के अनुसार किया जाता है। विशेष प्रयोजनार्थ मशीनों का निर्माण अनुरोध पर किया जाता है।

  - o वोल्टेज एसी–415 वी से 13800 वी.
  - o फ्रिक्वेंसी–50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज
  - o एनक्लोजर, टीईटीवी, टीईएफसी, सीएसीडब्ल्यू, सीएसीए और सीपीडीपी
- सुरक्षित क्षेत्र प्रयोग के लिए एसी मशीनें
  - o इंडक्शन मोटरें
  - o सिक्वरेल केज मोटर–150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू
  - o स्लिपरिंग मोटर–150 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू
  - o सिंक्रोनस मोटरें – 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू
  - o वैरिएबल स्पीड मोटर
  - o 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर्स)
  - o 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर्स)
- जोखिमपूर्ण क्षेत्र में प्रयोगों के लिए एसी मशीनें (नियत गति अथवा वीएफडी के साथ)
  - o फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरें (ईएक्स 'डी') (150 केडब्ल्यू से 1500 केडब्ल्यू)
  - o नॉन स्पार्किंग स्किविरेल केज इंडक्शन मोटर्स (ईएक्स 'एन')
  - o 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - o इन्क्रीज्ड सेफ्टी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'ई') (150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - o प्रेशराइज्ड मोटर (ईएक्स 'पी')
  - o 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर्स)
  - o 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर्स)
- मिल ड्यूटी मोटर (150 केडब्ल्यू से 5000 केडब्ल्यू बेस स्पीड झ150 आरपीएम के साथ)
- इंडस्ट्रियल आल्टनेटर्स (स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन तथा डीजल इंजन चालित) (1500 केवीए से 25,000 केवीए)
- इंडक्शन जेनरेटर–300 केवीए से 6000 केवीए मिनी/ माइक्रो एचईपी हेतु
- 330 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनरेटर
- 60 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनरेटर
- 330 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2– पोल गैस टर्बाइन चालित जेनरेटर
- 60 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4– पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनरेटर
- 5 मेगावाट तक स्थाई चुम्बक आधारित जेनरेटर
- 270 मेगावाट तक गैस टरबाईन जनरेटर्स

रेल परिवहन

परिवहन प्रणालियां

- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (5000 एचपी के 25 केवी एसी तक)
- एसी–डीसी ड्यूयल वोल्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ज़
- एसीईएमयू रैक्स
- शहरी परिवहन प्रणालियां
- ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम
  - o 6000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी इंजनों के लिए
  - o 1600 एचपी एसी इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (ईएमयू) के लिए
- डीजल–इलेक्ट्रिक शंटिंग इंजनों (1400 एचपी तक) के लिए
- बैटरी संचालित लोकोमोटिव
- ओएचई रिकार्डिंग कम–टेस्ट–कार
- बैटरी संचालित रोड वाहन
- डायनेमिक ट्रैक स्टैबलाइज़र
- रेल कम–रोड वाहन
- डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर–कार
- यूटिलिटी वाहन

परिवहन उपस्कर

- ट्रैक्शन कनवर्टर
- ऑग्जिलरी कनवर्टर
- वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कनवर्टर
- पारंपरिक बिजली इंजनों के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर (5400 तक केवीए) और तीन फेस के ड्राइव इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए (7775 केवीए तक)।
- ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर (1050 केवीए तक) पारंपरिक एसी ईएमयू /एमईएमयू और (1578 तक केवीए) तीन फेस के ईएमयू के लिए
- लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर (1150 कि.वा. तक)
- लोकोमोटिव्स और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर (630 कि.वा. तक)

- डीई लोकोमोटिव्स और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन एल्टरनेटर (3860 कि.वा. तक)
- 2000 केडब्ल्यू तक ट्रैक्शन जेनरेटर
- ऑग्जिलरी आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट (25 कि.वा. तक)
- ऑग्जिलरी जेनरेटर और एक्साइटर्स (50 कि.वा. तक)
- एडी करेंट क्लच
- डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए डीसी ब्लोअर मोटर (50 कि.वा. तक)
- ट्रैक्शन गियर्स और पिनियन्स
- वैगन (28 एक्सल, 296 टन तक के)
- पारंपरिक रोलिंग स्टॉक के लिए कंट्रोल गियर उपस्कर।
- कंट्रोल क्यूबिकल्स
- ट्रैक्शन रेक्टीफायर्स
- बोगी फ्रेम
- व्हील एंड एक्सल असेंबली

ऑयल फील्ड उपस्कर

- ऑयल रिग्स – एसी– एससीआर और एसी–वीएफडी और एसी–एससीआर प्रौद्योगिकी के साथ ऑन–शोर ड्रिलिंग रिग्स, वर्क ओवर रिग्स, 9,000 मीटर की गहराई तक की ड्रिलिंग 6,100 मीटर की गइराई तक ड्रिलिंग के लिए वर्क–ओवर रिग्स, 3,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग्स, मैचिंग ड्रा वर्क्स एवं होस्टिंग उपकरण के साथ। इसमें शामिल हैं –
    - o मास्ट एवं सब–स्ट्रक्चर
    - o रोटेटिंग उपकरण : ड्रॉ कार्य, रोटरी, स्विवेल्स, ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
    - o स्वतंत्र रोटरी ड्राइव इकाई
    - o पंप सहित मड सिस्टम
    - o पावर पैक और रिग इलेक्ट्रिक्स
    - o रिग इंस्ट्रुमेंटेशन
    - o रिग यूटिलिटी एवं सहायक उपकरण
    - o बीएचईएल और गैर बीएचईएल के ऑयल रिग्स का नवीकरण और उन्नयन
    - o सभी रेंज के लिए डीसी ऑयल रिग मोटर्स
    - o सभी जरुरी रेंज के लिए ऑयल रिग अल्टरनेटर्स
- 10,000 पीएसआई तक के लिये वेल हेड्स और एक्समस ट्री, मड लाइन सस्पेंशन, चोक एंड किल मनीफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स, डीएसपीएम एच–मैनीफोल्ड, एसेम्बली, मड वॉल्व, ईएसपी हैंगर, ब्लॉक टाइप एक्समस ट्री एवं कैसिंग हेड्स के लिये लैंडिंग बेसेस

ऑयल रिग कंट्रोल्स

- एसी पावर कंट्रोल रुम
- डीसी पावर कंट्रोल रुम
- डीजी सेट के लिए 1450 केवीए तक एसी पावर पैक
    - o एसी नियंत्रण मॉड्यूल
    - o डीसी नियंत्रण मॉड्यूल
- ड्रिलर्स कंसोल
- केबल सेट, केबल ट्रे, केबल बॉक्स और ऑयल रिग्स के लिये चालक दल कक्ष
- मोबाइल लाइटनिंग टावर, रिग लाइटनिंग टॉवर
- ऑयल रिग अनुप्रयोग के लिये डीजी सेट (63/250/380/500 केवीए)
- एसी एससीआर रिग्स में पॉवर फैक्टर सुधार के लिए स्टैटकॉम

फैब्रिकेटेड उपकरण एवं मैकेनिकल पैकेज

- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन की निकासी के लिये एयर सेपरेशन यूनिट्स इत्यादि
- तरल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के लिये आर्गन क्रायोजेनिक प्रणालियां
- क्रायोजेनिक भंडारण टैंक, माउंडेड भंडारण प्रणालियां और भंडारण क्षेत्र
- पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए कॉलम और रिएक्टर्स
- प्रेशर वेसल्स, शेल और ट्यूब टाइप तथा एयर फिन टाइप हीट एक्सचेंजर्स
- फायर्ड हीटर्स
- उर्वरक उद्योग के लिये पर्ज गैस रिकवरी यूनिट

औद्योगिक प्रणालियां

- सिविल और संरचनात्मक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कार्य तथा ऑटोमेशन सिस्टम सहित संपूर्ण कोल हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट
- संपूर्ण माइन विंडर सिस्टम्स
- कच्चे माल की प्रोसेसिंग व कॉम्पेक्टिंग के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव्स कंट्रोल एवं ऑटोमेशन प्रणालियां। लॉग प्रोडक्ट्स व फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए आयरस मेकिंग, प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्टील मेकिंग कास्टर्स एवं स्टील फिनिशिंग जैसे–मिल्स व प्रोसेस लाइन्स।
- इस्पात तथा अन्य उद्योगों के लिए सिविल और संरचात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय और स्वचालन प्रणालियों सहित रॉ मैटीरियल हैंडलिंग सिस्टम
- एल्युमीनियम संयंत्रों के लिए एल्युमीनियम स्मेल्टर्स तथा प्रसंस्करण मिलों के लिए हाई करंट रेक्टिफायर हेतु संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स और स्वचालन प्रणाली
- ऑटोमेटेड स्टोरेज एवं रिट्रीवल प्रणालियां (एएसआरएस)
- जल विद्युत संयंत्रों के लिए बैलेन्स ऑफ प्लांट्स (बीओपी)

शब्दावली एवं संक्षिप्ताक्षर

एसीएस	ऑग्जिलरी कन्ट्रोल सिस्टम
एपीजेनको	आन्ध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन
एपीपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश ऊर्जा विकास कंपनी लि.
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
बीएसई	बम्बई स्टॉक एक्सचेंज
सीएंडआई	कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीएफबीसी	सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बैड कम्बंस्टन
सीएलडब्ल्यू	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीवीसी	मुख्य सतर्कता आयुक्त
डीडीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईएमयू	डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
डीईटीसी	डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार
डीएचडीटी	डीजल हाइड्रोट्रिएटिंग
डीएलडब्ल्यू	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
डीएमडब्ल्यू	डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्यशाला
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईएचवी	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
ईपीसी	इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण
ईएसपी	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर
एफएसीटीएस	फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम
एफजीडी	फ्लू गैस डिसल्फुराइजेशन
जीआईएस	गैस इंसुलेटिड सबस्टेशन
जीटीजी	गैस टरबाईन जनरेटर
जीटीओ	गैस टर्न–ऑफ थिरिस्टर
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट
एचएफसीएल	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
आईडी फैन	इंड्युस्ड ड्राफ्ट फैन
एचपी टर्बाइन	उच्च दाब टर्बाइन
एचआरएसजी	हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
एचवीओएफ	हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच फैक्टरी
आईडी फैन	इंडयूस्ड ड्राफ्ट फैन
आईजीबीटी	इंसुलेटिड–गेट बाईपोलर ट्राजिस्टर
आईजीसीएआर	इंदिरा गाधी परमाणु अनसुंधान केन्द्र
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईपीडीएस	एकीकृत ऊर्जा विकास योजना
आईपीएमएस	एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईआर	भारतीय रेल
आईएसओ	मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
केपीसीएल	कर्नाटक ऊर्जा विकास लिमिटेड
एलसीए	लाइट कॉम्बेट एयर क्राफ्ट

एलआईएस	लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम
एल.पी. टर्बाइन	लो प्रेशर टर्बाइन
एमएंडए	विलय एवं अधिग्रहण
एमईआईएल	मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
एमईएमयू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएचआईएंडपीई	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमयू	मिलियन यूनिट्स
एनडीटी	नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसपीसीएल	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएचपीसी	उडीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन
ओएनजीसी	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीसीयू	पावर कंडीशनिंग यूनिट
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएलएम	उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन
पीपीजीसीएल	प्रयागराज पावर जेनरेशन कं. लिमिटेड
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरएंडएम	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गेनाइजेशन
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरयूपीपीएल	रिलायंस यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
स्कोप	स्टैंडिंग कान्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज
एससीआर	सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर
एसडी	संधारणीय विकास
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसजी	स्टीम जेनरेटर
एसपीडीपी	स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिप प्रूफ
एसपीवी	सोलर फोटो वोल्टेइक
एसआरजीएम	सुपर रेपिड गन माउंट
स्टैटकॉम	स्टेटिक तुल्यकालिक कम्पेंसेटर
एसटीपीपी	सुपर थर्मल पावर प्लांट
टीएएनजीईडीसीओ	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्टिट्रब्यूशन कार्पोरेशन
टीसीएमएस	ट्रेन कन्ट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम
टीईटीवी	टोटली इन्क्लोज्ड टयूब वेंटिलेटेड
टीईएफसी	टोटली इन्क्लोज्ड फैन कूल्ड
टीजी	टरबाईन एंड जनरेटर
टीपीएस	ताप विद्युत केंद्र
टीएसजीईएनसीओ	तेलंगाना विद्युत उत्पादन निगम
यूएचवी	अल्ट्रा हाई वाल्टेज
यूएचवीएसी	अल्ट्रा हाई वाल्टेज एसी
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट
यूपीआरवीयूएनए	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
वीसीयू	वाहन नियंत्रण इकाई
वीएफडी	वेरिएबल फीक्वेंसी ड्राइव
वीजीडी	वैक्यूम गैस ऑयल
डब्ल्यूएजी	डब्ल्यू (ब्रॉड गेज), ए (एसी ट्रैक्सन), जी (गुड्स ड्युटी)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
वेबसाइट : www.bhel.com ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 53वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे मानकेशा सेंटर, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली–110010 (मार्ग मानचित्र संलग्न) में निम्नलिखित कार्य के निषादन के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना एवं स्वीकार करना।

2. वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. श्री सुब्रत बिस्वास (डीआईएनः 07297184) के स्थान पर नये निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।

4. श्री टी. चोकालिंगम (डीआईएनः 07428614) के स्थान पर नये निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।

5. 2017–18 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. **सामान्य संकल्प** के रुप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू सभी प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक सुधार(रों) अथवा इनके पुनः अधिनियम से, वर्तमान में लागू सहित) के अनुरुप कंपनी के निदेशक मंडल से यथा अनुमोदित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिये लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक अगली वार्षिक आम बैठक द्वारा संपुष्टि हेतु शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जायेगा।"

   "यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिये अधिकृत किया जाता है, जो कि इस संकल्प को प्रभाव में लेने के लिये आवश्यक, उचित अथवा प्रभावी हो सकते हैं।"

7. **सामान्य संकल्प** के रुप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और सही माने जाने पर आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री भास्कर ज्योति महंता (डीआईएनः 07487571), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसरण में दिनांक 03.01.2017 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त हुई है, और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

8. **सामान्य संकल्प** के रुप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि सुश्री सुरमा पाधी (डीआईएनः 07681896), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसरण में दिनांक 02.02.2017 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त हुई है, और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

9 **सामान्य संकल्प** के रुप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 और अन्य लागू प्रावधानों, या उसमें कोई संशोधन या पुनः अधिनियमन और कम्पनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86ए तथा भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इस विषय में जारी विनियमन के अधीन और उचित प्राधिकरणों

से आवश्यक अनुमोदन, सहमति, कम्पनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड", जो संदर्भ किसी भी समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) की एतदद्वारा सहमति एवं कथन के अधीन कम्पनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को बोनस शेयर ₹ 2/- (दो रुपए मात्र) प्रत्येक, पूर्णत प्रदत्त के रूप में जमा को जारी करने के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सामान्य आरक्षित या किसी अन्य स्वीकार्य आरक्षित/अधिशेष से ₹ 244,76,00,000/- (दो सौ चौवालीस करोड़ छिहत्तर लाख रुपए मात्र) तक का पूंजीकरण करना जिनके नाम इस प्रयोजन के लिए बोर्ड या समिति द्वारा निर्धारित 'रिकार्ड तिथि' को सदस्यों के रजिस्टर में उनके द्वारा धारित ₹ 2/- प्रत्येक कम प्रत्येक 2 (दो) पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2/- का 1 (1) बोनस इक्विटी शेयर के अनुपात में दर्ज हैं और वितरित किए जाने वाले बोनस शेयर सभी प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित कम्पनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि समझे जाएंगे और इन्हें आय नहीं समझा जाएगा।"

"संकल्प किया जाता है कि ऐसे आवंटित बोनस शेयर सभी संबंधों में रिकार्ड तिथि पर वर्तमान स्थिति अनुसार कम्पनी के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे सिवाए इसके कि वह रिकार्ड तिथि से पूर्व घोषित किसी भी लाभांश के लिए हकदार नहीं होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोनस शेयरों के संबंध में कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया जाएगा और जिन सदस्यों के पास शेयर हैं या शेयरों को डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, तो ऐसे सदस्यों को बोनस शेयर सदस्यों के संबंधित लाभार्थी खातो में उनके संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ जमा कर दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट प्रारूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस शेयरों से संबंधित शेयर सर्टिफिकेट विधि या संगत प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अनुसार निश्चित समय-सीमा के भीतर भेज दिए जाएंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोनस शेयरों के जारी और आवंटन के परिणामस्वरूप उदय अंश शेयर, यदि कोई हों, कम्पनी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा और कम्पनी ऐसे किसी भी अंश शेयर के लिए कोई भी सर्टिफिकेट या कूपन जारी नहीं करेगी लेकिन ऐसे सभी अंश हिस्सेदारी, यदि कोई हो, को समेकित कर दिया जाएगा और इनके बदले बोनस शेयर बोर्ड द्वारा नियुक्त उन बोर्ड नामिती को जारी किए जाएंगे जो इसके लिए हकदार सदस्यों के लिए ट्रस्टी के रूप में इन्हें धारित करेंगे और कथित शेयरों को बाजार दर पर बिक्री कर सकेंगे और ऐसे समायोजन के बाद ऐसी बिक्री के संबंध में लागत एवं व्यय को उनकी अंश हिस्सेदारी के अनुपात में सदस्यों को निवल बिक्री आय के रूप में बांट दिया जाएगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि गैर-अनिवासी सदस्यों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) एवं विदेशी निवेशकों को बोनस शेयर जारी और आवंटित करना और/या हकदार सदस्यों के अंश के संबंध में निवल बिक्री आय का वितरण आरबीआई की अनुपालन आवश्यकताओं, जो भी आवश्यक हो, के अधीन होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतदद्वारा अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के प्रावधानों के अनुरूप उन स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसे शेयरों को सूचीबद्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत हैं जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी रूप देने के प्रयोजन हेतु बोर्ड/बोर्ड की समिति एतदद्वारा बोनस शेयरों को जारी या आवंटित करने, बोनस शेयरों के परिणामस्वरूप अंश शेयरों का निपटान करने और सांविधिक प्राधिकरण(णों) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार इस संबंध में कोई भी शर्त, संशोधन, बदलाव, परिवर्तन, भिन्नता को कम्पनी की ओर से स्वीकार करने/बोर्ड की समिति द्वारा अपने उचित एवं सही विवेकानुसार बोनस शेयरों के जारी या आवंटन के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रश्न, शंका या परेशानी को दूर करने सहित जैसा भी हो ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों एवं विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2017

टिप्पणियां:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र सदस्य स्वयं अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे सदस्य अथवा अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से कार्य करेगा, जिनके पास मतदान के अधिकार के लिये कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेकिन कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के प्रावधान के अनुरुप, कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाला कोई सदस्य जिसे मतदान का अधिकार है एकल व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा शेयरधारक के लिये कार्य नहीं करेगा। विधिवत पूरा भरा गया प्रतिनिधि फार्म वार्षिक आम बैठक में निर्धारित समय के अड़तालीस घंटे (48 घंटों) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फॉर्म संलग्न है।

2. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को उनकी ओर से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिये अधिकृत करने हेतु बोर्ड प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति/पावर ऑफ अटार्नी भेजें।

3. ऊपर यथानिर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 102(1) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।

4. सर्वश्री सुब्रत बिस्वास और टी. चोकालिंगम, निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर स्वयं पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। तथापि, सर्वश्री सुब्रत बिस्वास और टी. चोकालिंगम, की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल क्रमशः 28.02.2019 और 30.11.2017 को समाप्त होगा। पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तावित दोनों निदेशकों का संक्षिप्त परिचय सूचना के अनुच्छेद में प्रस्तुत किया गया है।

5. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाता है, के लिये पात्र शेयरधारकों के नामों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ दिनांक शनिवार, 26 अगस्त, 2017 से बुधवार, 30 अगस्त, 2017 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

6. सदस्यों को कंपनी को ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस/इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) का अधिदेश प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है।

7. निदेशक मंडल ने वर्ष 2016–17 के दौरान अदा किए जा चुके अंतरिम लाभांश 40 प्रतिशत (₹ 0.80 प्रति शेयर) के अलावा कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 39 प्रतिशत (₹ 0.78 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

8. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत किया जाता है, लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा दिनांक 21 अक्तूबर, 2017 को अथवा उसके पूर्व उन शेयरधारकों को देय होगा, जिनका नाम :

   i. शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार 25 सितंबर, 2017 को कारोबारी घंटो के बंद होने के समय शेयरों के लाभभोगी मालिक के नामों में इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा गया और

   ii. वास्तविक रुप में उन सभी वैध शेयरों के अन्तरण अनुरोधों को प्रभावी बनाने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रुप में है जो 25 अगस्त, 2017 को कारोबारी घंटों के बंद होने पर अथवा उससे पूर्व कम्पनी/आरटीए के साथ दर्ज कराया गया।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 124 अनुसरण में लाभांश की राशि जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। इसके बाद सदस्यों का उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का दावा, चाहे जो भो हो, नहीं रह जाता। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अंतरिम लाभांश, जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में क्रमशः दिनांक 22 अक्तूबर, 2017 और 18 अप्रैल, 2018 को अंतरित किया जाना है।

   सदस्य, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

10. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 72 के अनुरुप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं (फार्म वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है) जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 142(1) के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। आम बैठक वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकती है।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पता और एनईसीएस/ईसीएस के विवरण और स्थायी खाता संख्या (पैन) सहित अन्य संबंधित पत्राचार के किसी भी परिवर्तन को सूचित करें:–

i. अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर खातों के संबंध में अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) को, और

ii. लाभांश वारंट की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलियो संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या बताते हुए अपने वास्तविक शेयरों, अगर कोई हो, के संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. – कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गांचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 को भेजें।

13. सदस्य, जो अमूर्त रुप में शेयर धारित करते हैं, वे अपनी ग्राहक और डीपी आईडी संख्या लिखने का और जो वास्तविक रुप में शेयर धारित करते हैं, उनसे बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपनी फोलियो संख्या लिखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, ऑडिटोरियम में प्रवेश, बैठक स्थल पर काउंटर पर उपलब्ध और उपस्थिति पर्ची से बदली जाने वाली प्रवेश पर्ची के आधार पर होगा।

14. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सूचीयन समझौते के उपबंध 44 के अनुसरण में कंपनी को अपने सदस्यों को मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए हर्ष हो रहा है। जिन सदस्यों के नाम शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017, अर्थात कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के वितरण तथा वार्षिक आम बैठक बुलाये जाने हेतु सूचना (ई–वोटिंग के लिये सूचना सहित) हेतु ली गई अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में मौजूद हैं, ई–वोटिंग/वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिये वोट करने के पात्र होंगे। ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 19 सितंबर, 2017 को प्रात 9.00 बजे आरंभ होगी और बृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। ई–वोटिंग मॉडयूल 21 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे बंद हो जायेगा। इलेक्ट्रानिक पद्धति से मतदान करने के इच्छुक सदस्य आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अलग से भेजी गई ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं। शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान किये जाने के उपरांत, बाद में शेयरधारक को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारकों को मतदान का अधिकार अंतिम तिथि, जो कि 15 सितम्बर, 2017 है, की स्थिति के अनुरुप कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके हिस्से के समानुपात में होगा।

15. मत पत्रों के जरिये मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में उपस्थित जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई वोटिंग के जरिये मतदान नहीं किया है वे बैठक में मतपत्रों के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

16. जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व ही दूरस्थ ई वोटिंग के जरिये मतदान किया है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान के लिये हकदार नहीं होंगे।

17. कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच के लिये जांचकर्ता के तौर पर कार्य करने हेतु मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी की सुश्री आशु गुप्ता, पेशेवर कंपनी सचिव, को नियुक्त किया है। जांचकर्ता ई–वोटिंग अवधि समाप्त होने के अधिकतम तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में, जो कंपनी के रोज़गार में नहीं हैं, मतों को खोल देंगे और पक्ष अथवा विपक्ष में, यदि कोई है, डाले गए मतों की जांचकर्ता की रिपोर्ट तुरंत कंपनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर देंगे। परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अथवा इसके उपरांत घोषित किये जायेंगे। घोषित परिणाम और साथ में जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) तथा एजेंसी की वेबसाइट पर अध्यक्ष/उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद तत्काल उपलब्ध करा दिये जायेंगे और तदनुसार शेयर बाज़ारों को सूचित कर दिये जायेंगे।

18. सदस्यों से अनुरोध है कि

i. बैठक स्थल पर विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची एवं फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।

ii. सभी पत्राचार में अपनी फोलियो संख्या/डीपी एवं ग्राहक आईडी संख्या का उल्लेख करें।

iii. सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर कोई ब्रीफकेस अथवा बैग ले जाने की अनुमति नही होगी।

iv. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नही किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2017

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

11 अगस्त, 2017 की संलग्न सूचना के मद सं. 6 से 9 में उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित वास्तविक तथ्यों के वर्णन में निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत हैं :

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के साथ पठित कम्पनी (लेखा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, 19 जुलाई 2017 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने ₹ 14.70 लाख के कुल पारिश्रमिक के साथ नियुक्ति के लिए सात लागत लेखापरीक्षकों / फर्मों के नाम का अनुमोदन किया है:

₹ लाख में

क्र. सं	लागत लेखापरीक्षक का नाम	यूनिट	2017–18 का पारिश्रमिक
1	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कं., दिल्ली (मुख्य लागत लेखापरीक्षक)	समेकित ऑडिट रिपोर्ट	0.91
		हीप हरिद्वार	1.82
		सीएफएफपी हरिद्वार	0.36
2	मैसर्स संजय कसलीवाल एंड एसोसिएट्स, भोपाल	झांसी	0.73
		एचईआरपी वाराणसी	0.36
		भोपाल	1.82
3	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कं., हैदराबाद	हैदराबाद	1.82
4	मैसर्स कृष्णास्वामी एंड एसोसिएट्स, चेन्नई	तिरूचि	2.42
		बीएपी रानीपेट	1.21
5	मैसर्स जे.एच. एंड एसोसिएट्स, बेंगलुरू	ईपीडी बेंगलुरू	0.48
		ईडीएन बेंगलुरू	0.61
6	मैसर्स के. बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	आईवीपी गोइंदवाल	0.36
		एफपी जगदीशपुर	0.24
		सीएफपी रुद्रपुर	0.36
		आईपी जगदीशपुर	0.48
		सीएसयू जगदीशपुर	0.24
7	मैसर्स वेलामार्ठि एंड एसोसिएट्स, विशाखापत्तनम	एचपीवीपी विशाखापत्तनम	0.48
		कुल	**14.70**

उपरोक्त शुल्क में लागू कर एवं जेब खर्च शामिल नहीं है जो अतिरिक्त दिये जाते हैं।

तदनुसार सदस्यों से 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में लागत लेखापरीक्षकों के लिये पारिश्रमिक को मंजूरी देने का निवेदन किया जाता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधन अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों का किसी भी तरह का वित्तीय या फिर अन्य हित नहीं जुड़ा है जिसका संकल्प मद संख्या 6 में किया गया है।

निदेशक मंडल इस संकल्प को शेयरधारकों की मंजूरी के लिये इसे प्रस्तावित करते हैं।

मद संख्या – 7

श्री भास्कर ज्योति महंता (डीआईएनः 07487571), आयु 54 वर्ष, 3 जनवरी, 2017 से बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए।

श्री भास्कर ज्योति महंता एक आईपीएस अधिकारी (1988 बैच) हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। श्री महंता वर्तमान में संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के तौर पर कार्यरत हैं।

श्री महंता के पास सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में और अभिशासन मामलों में व्यापक अनुभव है। वह पूर्व में कई महत्वपूर्ण पदों जैसे पुलिस डीआईजी, आईजीपी एवं अतिरिक्त डीजीपी, असम पुलिस में रहे हैं। असम में उनकी नियुक्ति के दौरान उन्होंने आतंकवाद प्रभावित बच्चों के हित के लिए असम पुलिस द्वारा चलाए गए ''प्रोजेक्ट आवास'' में सक्रिय भागीदारी निभाई जिसके लिए उन्हें 2008 में उत्कृष्ट सेवा के लिए मुख्यमंत्री मैडल मिला।

वह एन्ड्रयू युले एंड कं. लिमिटेड, टाइड वाटर ऑयल कं. इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक भी हैं।

बीएचईएल के बोर्ड में भारत सरकार नामिती होने के नाते श्री महंता बीएचईएल से कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

श्री महंता के पास बीएचईएल के कोई शेयर नहीं हैं और अन्य निदेशकों/प्रबंधक/कम्पनी के केएमपी के साथ उनके कोई रिश्ता नहीं हैं।

श्री महंता ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अपने कार्यकाल में आयोजित एक (दो में से) बोर्ड बैठक में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार कंपनी के अंतर्नियम के अधिनियम 67(iv) के साथ पढ़ें, श्री भास्कर ज्योति महंता को आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण का अधिकार हैं और वह नियुक्ति के पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक के पद के लिए श्री महंता की उम्मीदवारी के प्रस्ताव के लिए कंपनी को लिखित रूप में एक नोटिस मिला है।

श्री भास्कर ज्योति महंता के अलावा किसी भी निदेशक या कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कर्मी या किसी भी प्रकार से उनके संबंधी का, संबंध या रुचि आर्थिक रूप या अन्यथा, मद संख्या 7 पर प्रस्ताव में नहीं है।

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के प्रस्ताव की सराहना की है।

मद संख्या 8

सुश्री सुरमा पाधी (डीआईएनः 07681896), आयु 56 वर्ष, 2 फरवरी, 2017 से बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक के तौर पर नियुक्त हुई।

उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और विधि में स्नातक डिग्री है तथा वह एक अधिवक्ता हैं।

वह कई पदों जैसे अध्यक्षा, ओडिशा राज्य काजू विकास निगम लि., गवर्निंग बोर्ड सदस्य, राष्ट्रीय महिला कोष (नई दिल्ली) एवं नेशनल काउंसिल सदस्य, एनआईआरटीएआर, भारत सरकार में भी रही हैं। सुश्री सुरमा पाधी ने स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) प्रतिपादन, रक्तदान शिविरों का आयोजन, वृद्धों की सेवा, महिलाओं के लिए आत्मरक्षा एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सहित सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके साहित्यिक कार्यकलापों में महिला कल्याण पर लेख लिखना और ओडिशा लेखिका संसद के साथ भागीदारी शामिल है। सुश्री पाधी के पास संस्कृति एवं खेल कार्यकलापों के क्षेत्र में भी अनुभव है।

सुश्री सुरमा पाधी का बीएचईएल में किसी प्रकार का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक/प्रबंधक/केएमपी के साथ कोई रिश्ता नहीं है।

सुश्री पाधी ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अपने कार्यकाल में आयोजित एक (दो में से) बोर्ड बैठक में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार कंपनी के अंतर्नियम के अधिनियम 67(iv) के साथ पढ़ें, सुश्री सुरमा पाधी को आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण का अधिकार हैं और वह नियुक्ति की पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक के पद के लिए सुश्री पाधी की उम्मीदवारी के प्रस्ताव के लिए कंपनी को लिखित रूप में एक नोटिस मिला है।

कंपनी ने सुश्री सुरमा पाधी से एक घोषणा प्राप्त की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अंतर्गत और लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 के अंतर्गत दोनों में निर्धारित आज़ादी के मानदंडों को पूरा करते हैं। उनके व्यापक अनुभव और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, कंपनी यह चाहेगी कि सुश्री सुरमा पाधी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त की जाएं। बोर्ड के विचार से सुश्री सुरमा पाधी कम्पनी अधिनियम 2013 व उनके अन्तर्गत लिए गए कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक पद पर नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करती हैं प्रबंधन और शर्तों से स्वतंत्र रहेंगी।

सुश्री पाधी जो, नियुक्त की जा रही हैं, किसी भी निदेशक या कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या किसी भी प्रकार से उनके संबंधी की अर्थिक रूप से या अन्यथा, आइटम नंबर 8 के प्रस्ताव में रूचि नहीं है।

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के प्रस्ताव की सराहना की है।

मद संख्या 9

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2000 करोड़ (₹ 2 प्रत्येक के 1000 करोड़ इक्विटी शेयर और ₹ 489.52 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी शामिल) है। 31 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षित वित्तीय

विवरणों के अनुसार आरक्षित ₹ 31804.92 करोड़ है। कम्पनी के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में आरक्षित से ₹ 244.76 करोड़ राशि के पूंजीकरण द्वारा बोर्ड/बोर्ड की समिति द्वारा यहां के बाद निर्धारित की गई रिकार्ड तिथि को शेयरधारकों द्वारा धारित कम्पनी के ₹ 2/– प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 2 (दो) वर्तमान इक्विटी शेयरों के लिए कम्पनी के ₹ 2/– प्रत्येक के 1 (एक) नये इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। यह बोनस शेयर के रूप में ₹ 2/– प्रत्येक के 122,38,00,000 नये इक्विटी शेयरों के समतुल्य जारी करने इसे पूरा लागू करने का प्रस्ताव है। इसके परिणाणस्वरूप, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 2/– प्रत्येक के 367,14,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ ₹ 734.28 करोड़ बढ़ जाएगी।

बोनस शेयर का प्रस्तावित इश्यू कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशनिर्देशों एवं इसके अधीन सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, के अनुसार किया जाएगा। कम्पनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86ए के अनुसार आरक्षित के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयर जारी करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल/कम्पनी के बोर्ड की समिति को सेबी, आरबीआई और स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है और/या बोनस शेयर जारी करने के साथ जुड़े अन्य विनियामक या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियामक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

कम्पनी के निदेशक और उनके रिश्तेदार कम्पनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक प्रस्तावित संकल्प में हिस्सा या मत दे सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2017

पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

श्री सुब्रत बिस्वास

श्री सुब्रत बिस्वास (डीआईएन 07297184), 24 सितंबर, 2015 से 58 वर्ष की आयु मे बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) के तौर पर नियुक्त हुए।

बीएचयू–आईटी (वर्तमान में आईआईटी, वाराणसी) से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से एमबीए श्री बिस्वास ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक फैलोशिप कार्यक्रम भी पूरा किया।

श्री बिस्वास ने लगभग 36 वर्ष बीएचईएल के मुख्य आर एंड डी क्षेत्रों में कार्य करके विविध और बहुमुखी व्यवसायिक अनुभव प्राप्त किया है। वह 2013 में बीएचईएल की आर एंड डी नीतियों के निर्माण और उन्हें अंतिम रूप देने में शामिल रहे और वर्तमान में कंपनी के सभी प्रभागों/सभी इकाइयों में इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर रहे हैं।

1981 में हैदराबाद में बीएचईएल के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग में बतौर इंजीनियर प्रशिक्षु बीएचईएल में अपना कॅरियर प्रारंभ करने वाले श्री बिस्वास ने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के लिए शिक्षा के लिए सभी आईआईटी और भारतीय/विदेशी के साथ बातचीत के साथ पेटेंट आवेदनों, अनुसंधान एवं विकास निवेश, नवीन उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यावसायीकरण को बढ़ाने में कंपनी की व्यापक विकास की ओर प्रयास में अपने कई वर्ष दिए हैं। उन्होंने विख्यात वैज्ञानिकों की अनुसंधान एवं विकास सलाहकार परिषद की बैठकों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों, सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं और त्वरित अनुसंधान एवं विकास के लिए आई आईटी जैसे संस्थानों के साथ वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, डीएसआईआर ने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए बीएचईएल की 12 आर एंड डी/आरपीडी इकाइयों को मान्यता प्रदान की।

श्री बिस्वास उत्पादों के विकास जैसे शॉप फ्लोर के उत्पाद में स्वचालन के लिए फ्लेक्सिबिल विनिर्माण प्रणाली, स्वचालित भंडारण और पुर्नप्राप्ति प्रणाली, कंप्रेसर घटकों के विनिर्माण के लिए रोबोट वेल्डिंग सिस्टम, इकाईयों और साइटों पर मैटीरियल ट्रैकिंग के लिए आरएफआईडी और जीपीएस आधारित प्रणाली, सौर पीवी व्यूह, ईंधन की कोशिकाओं आदि के लिए ट्रैकिंग प्रणाली में कार्यरत रहे।

श्री बिस्वास ने 30 से अधिक पेटेंट आवेदन किए/कॉपीराइट्स स्वीकृत हुए और 40 से अधिक तकनीकी पेपर्स राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

श्री सुब्रत बिस्वास को स्वचालन उत्पादन के क्षेत्र में नवीन उत्पादों जैसे – स्वचालित सामग्री हैंडलिंग/भंडारण की व्यवस्था, आरएफआईडी आधारित ट्रैकिंग और नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन और कार्य आदि को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना प्रबंधन और अग्रणी निगरानी कार्यों के विकास और प्रवर्तन में लाने का अनुभव है। उन्होंने प्रेशित ट्रैकिंग प्रणाली पर आधारित जीपीएस को विकसित और कमीशन किया है। वह नेटवर्किंग, संचार और उत्पादकता में सुधार लाने

के लिए सीएनसी मशीनों के समूह के नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वर्तमान में श्री बिस्वास बीएचईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ नेटवर्किंग का दायित्व निभा रहे हैं।

श्री बिस्वास की नियुक्ति ₹ 75,000–1,00,000 प्रतिमाह के वेतनमान में 28.02.2019 तक या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों पर अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक है।

श्री बिस्वास की बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के किसी अन्य केएमपी/निदेशकों/प्रबंधकों से कोई रिश्ता नहीं है।

श्री बिस्वास ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अपने कार्यकाल की आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (8) में भाग लिया है।

श्री टी. चोकालिंगम

श्री टी. चोकालिंगम (डीआईएन 07428614) आयु 59 वर्ष, को 11 फरवरी, 2016 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के तौर पर शामिल किया गया था।

वह तमिलनाडु में मदुरा कॉलेज से वाणिज्य स्नातक और भारत के चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों के संस्थान से व्यापार वित्त में अतिरिक्त योग्यता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिप्लोमा के अलावा 1981 बैच के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उन्होंने अपना कैरियर निगम कार्यालय, नई दिल्ली में 1982 में कार्यपालक प्रशिक्षु (वित्त) के रूप में बीएचईएल में शुरू किया। बोर्ड के लिए निदेशक की नियुक्ति से पहले, वह तिरुचिरापल्ली में बीएचईएल के सबसे बड़े निर्माण विभाग के वित्त कार्यों के प्रमुख थे।

वित्त प्रबंधन के सभी पहलुओं में 34 से अधिक वर्षों के उनके समृद्ध और विविध अनुभव ने उन्हे बीएचईएल के पूरे वित्तीय संचालन की वास्तविक जानकारी दे दी है। उन्होंने बीएचईएल तिरुचिरापल्ली में उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणालियों के कार्यान्वियन, अनुकूलन और सफल डिजाइन में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यूनिट ने वित्त के प्रमुख के रूप में उनके नेतृत्व में लाभप्रदता और अब तक का सर्वाधिक कारोबार दर्ज करवाया है। इससे पहले, बीएचईएल के इलैक्ट प्रभाग (ईपीडी) की वित्तीय बदलाव और कंपनी के औद्योगिक सिस्टम समूह (आईएसजी) बेंगलुरु में भी उनको श्रेय जाता है, जब वह वित्त प्रमुख के रूप में इन इकाइयों में कार्य करते थे।

उन्होंने अब तक के सबसे बड़े आधुनिकीकरण के सफल कार्यान्वियन और त्रिची इकाई के इतिहास में क्षमता संवर्धन योजनाओं और तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में तिरूमयम पर बीएचईएल के नए ग्रीनफील्ड पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट की स्थापना का निरीक्षण भी किया । वित्तीय कार्यों और सबसे अच्छा लागत की एक गहरी प्रस्तावक जो कि व्यापार की गतिशीलता के बदलने को प्रतिबिंबित करती है, उन्होंने लागत में कमी की बाज़ार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामरिक मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त लाभप्रदता में सुधार लाने के उद्देश्य से उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री टी. चोकालिंगम अग्रणी नेतृत्व पर उन्नत कार्यक्रम और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आईएमआइ), नई दिल्ली में रणनीतिक सोच और संयुक्त राज्य अमरीका के विश्वविद्यालय में प्रबंधन के स्कूल रॉबर्ट एच. स्मिथ मैरीलैंड से भी गुज़रे हैं।

उनके द्वारा ऋणदाताओं से नगदी संग्रहण पर निरंतर ध्यान एवं जोर देने से विद्युत क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण एवं उतार–चढ़ाव भरे व्यापार परिवेश में भी नगदी अधिशेष बना रहा जिससे वसूली के दिनों की संख्या में कमी आई। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सक्षम वित्तीय योजना, कठोर बजटीय एवं लागत नियंत्रण योजना ने कम्पनी के कारोबार वृद्धि में सहायता की।

श्री टी. चोकालिंगम की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की शर्तों और नियम पर ₹ 75,000–1,00,000 प्रतिमाह के वेतनमान में 30.11.2017 तक है या जब तक अगले आदेश आए, इनमें से जो भी पहले हो।

श्री टी. चोकालिंगम का बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के किसी केएमपी/प्रबंधक/निदेशक से कोई रिश्ता नहीं है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अपने कार्यकाल की आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (8) में भाग लिया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2017

TEAR HERE

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
वेबसाइट : www.bhel.com ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

उपस्थिति पर्ची

53वीं वार्षिक आम बैठक जो कि शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को
प्रातः 10.00 बजे मानकेशा सेंटर, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली–110010 में होनी है

उपस्थित सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में भरें)	
फोलियो/डीपी आईडी–ग्राहक आईडी सं.	
धारित शेयरों की संख्या	
धारित शेयरों के प्रतिनिधि का नाम (साफ अक्षरों में भरें, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)	

मैं एतद्द्वारा 22 सितम्बर, 2017 को आयोजित 53वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

विधिवत भरी हुई यह पर्ची बैठक कक्ष में प्रवेश द्वार पर सौंपी जाए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोन 011–66337000, फैक्स 011–66337428
वेबसाइट www.bhel.com ई–मेल shareholderquery@bhel.in

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में

प्रतिनिधि फार्म

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलियो नं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी	
ईमेल पता	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम ऊपर वर्णित नामक कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा निम्नलिखित को प्रतिनिधि नियुक्त करता/करते हैं/हूं–

1.	नाम		हस्ताक्षर	
	पता			
	ई–मेल आईडी			
इनके ना होने पर				
2.	नाम		हस्ताक्षर	
	पता			
	ई–मेल आईडी			
इनके ना होने पर				
3.	नाम		हस्ताक्षर	
	पता			
	ई–मेल आईडी			

कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक के लिये, जो कि 22 सितंबर 2017 को प्रातः 10.00 बजे मानेकशा केंद्र, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली–110010 में आयोजित की जायेगी, और नीचे उल्लिखित प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन के लिये मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने और मेरी/हमारी ओर से वोट (मतदान) देने हेतु –

क्र.सं.	प्रस्ताव
सामान्य कार्य	
1.	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और साथ उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकार करना।
2.	वर्ष 2016–17 के लिये लाभांश की घोषणा करना
3.	पारी के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले श्री सुब्रत बिस्वास (डीआईएन : 07297184) की पुनः नियुक्ति
4.	पारी के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले श्री टी. चौकालिंगम (डीआईएन : 07428614) की पुनः नियुक्ति
5.	निदेशक मण्डल को वर्ष 2017–18 के लिये लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिये अधिकृत करना
विशेष कार्य	
6.	वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करना
7.	श्री भास्कर ज्योति महंता (डीआईएन : 07487571) को निदेशक के रूप में नियुक्त करना
8.	सुश्री सुरमा पाधी (डीआईएन : 07681896) को निदेशक के रूप में नियुक्त करना
9.	बोनस शेयर जारी करना

दिनांक , 2017 को हस्ताक्षरित

कृपया राजस्व टिकट चिपकाएं

शेयरधारकों के हस्ताक्षर

------------------------ प्रथम प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

------------------------ द्वितीय प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

------------------------ तृतीय प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणियां क फार्म पर कंपनी में दर्ज हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के आर–पार हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
ख सही एवं पूर्ण रूप में भरा हुआ यह फार्म बैठक के आयोजन के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

बीएचईएल की 53वीं वार्षिक आम बैठक के लिये मानचित्र

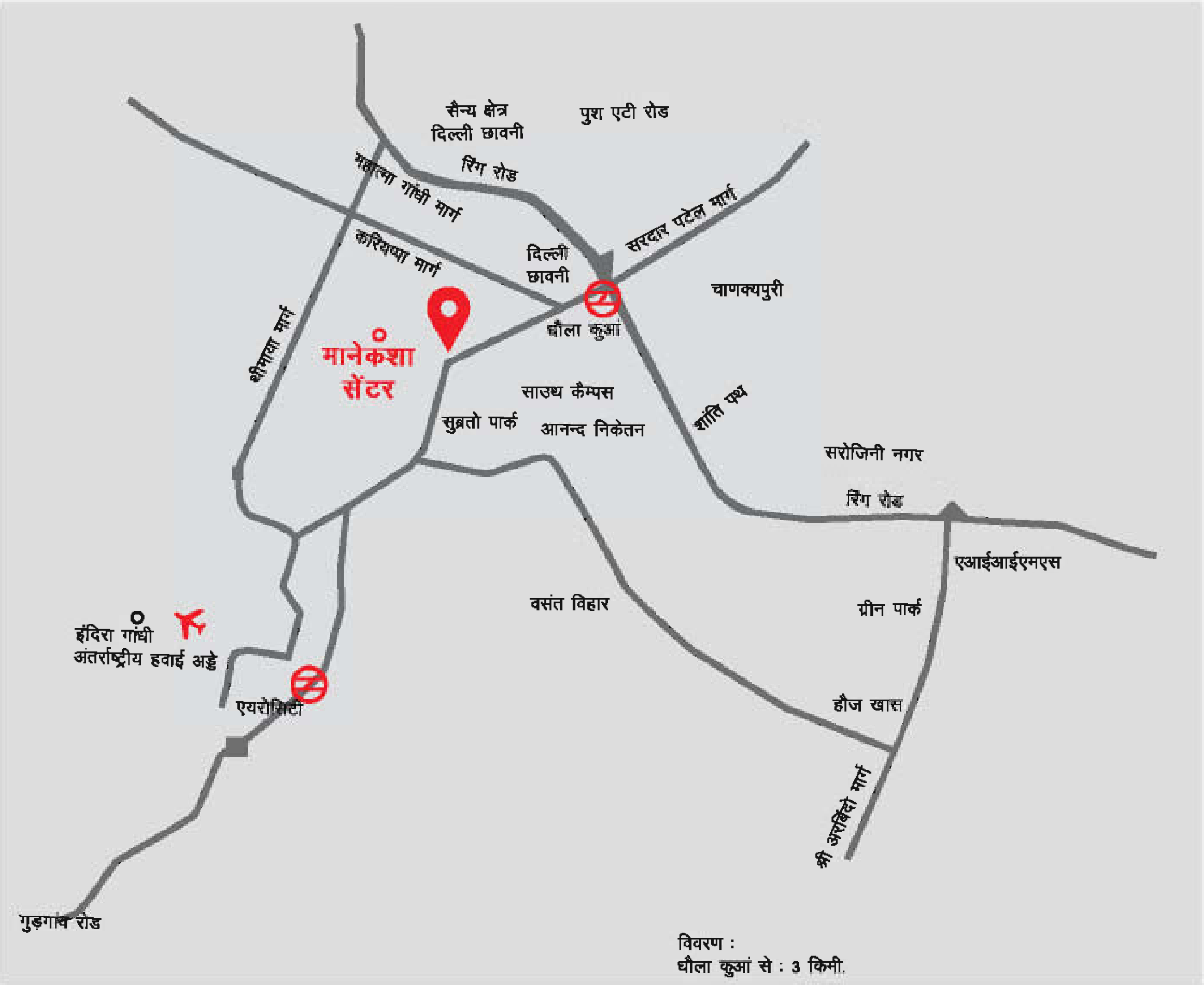

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई00428)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
वेबसाइट : www.bhel.com ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारक/शेयरधारको

संदर्भ : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के जरिये लाभांश का भुगतान

सेबी (सूचीयन बाध्यता एव प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसरण मे सभी सूचीबद्ध कपनिया लाभाश के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व द्वारा स्वीकृत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड सभी ईसीएस/एनईसीएस/सीधे क्रेडिट आदि के भुगतान की पद्धति को अपनाएगे।

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रार यानि मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार सहभागी (डीमैट होल्डिग के मामले मे), को एनईसीएस/ईसीएस/बैंक खाता विवरण प्रेषित नही किए है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्मेट मे उक्त विवरण उपलब्ध कराए, ताकि 22 सितबर, 2017 को आयोजित होने वाली कपनी की 53वी वार्षिक आम बैठक मे घोषित होने वाले लाभाश का शीघ्र सुरक्षित एव सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करे कि रजिस्ट्रारो/निक्षेपागार सहभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही है, क्योंकि उनमे कोई त्रुटि होने पर लाभाश की राशि गलत खाते मे जमा हो जाएगी।

कृपया आपकी बेहतर सेवा करने मे हमारी मदद करें।

भवदीय

(आई.पी. सिह)
कपनी सचिव

विशेष टिप्पणीः यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/एनईसीएस/ईसीएस/सीधे क्रेडिट अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

TEAR HERE

एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फार्म

मै/हम..एतद्द्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहभागी को

- ☐ मेरे/हमारे लाभाश वारट पर निम्न विवरण छापने
- ☐ एनईसीएस/ईसीएस द्वारा बैंक खाते मे मेरी लाभाश राशि जमा करने हेतु प्रधिकृत करता हू/करते है

(जो लागू न हो कृपया उसे काट दे)

मेरा/हमारा फोलियो स. .... अथवा डीपी आईडी स. .... ग्राहक खाता स ....

बैंक खाते का विवरण

क.	बैक का नाम	: ....
ख.	शाखा का नाम	: ....
	(केवल अधिदेश के लिए पता)	....
ग.	एमआईसीआर चैक में दिए गए बैक और	: ....
	शाखा के 9 अको की कोड सख्या	: ....
घ.	आईएफएससी कोड	: ....
ड.	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	: ....
च.	चैक बुक मे दिए गए अनुसार खाता स.	: ....
छ.	शेयरधारक का एसटीडी कोड एव दूरभाष स.	: ....

यदि एनईसीएस/ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक एनईसीएस/ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगें।

प्रेषित करें ⇒

मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट बीएचईएल
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट 31–32
गाचीबावली, फाइनेनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा,
हैदराबाद–500032

....
शेयरधाक के हस्ताक्षर

कृपया (i) 9 अको की कोड स. की यथार्थता के सत्यापन हेतु आपके उक्त खाते से सबधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति और (ii) अपने पैन कार्ड की एक प्रति इस फार्म के साथ सलग्न करे।

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
कार्पोरेशन बैंक
सेंट्रल बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिंडिकेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
विजया बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिटी बैंक एन.ए
डचिज बैंक एजी
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
जे.पी. मोर्गन
एक्सिस बैंक
दि फेडरल बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक
कोटैक महिन्द्रा बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
यस बैंक

पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049 (भारत)

फोनः 011–66337000

फैक्सः 011–66337428

वेबसाइटः www.bhel.com

ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

लेखापरीक्षक

वाही एंड गुप्ता, नई दिल्ली
डीएसपी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
एसबीए एंड कं. भोपाल
वी नारायणन एंड कंपनी, त्रिची
राव एसोसिएट्स, बेंगलूरु
अंजनेयुलु एंड कंपनी, हैदराबाद
श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स, चेन्नई
एम. बी. गभावाला एंड कं, वाराणसी

लागत लेखापरीक्षक

जुगल के. पुरी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
संजय कासलीवाल एंड एसोसिएट्स, भोपाल
नरसिम्हा मूर्ति एंड कं., हैदराबाद
विश्वनाथ भट्ट एंड कं., बंगलुरु
सुनील सिंह एंड कं., लखनऊ
आरकेएमएस एंड एसोसिएट्स, चेन्नई
वेलामार्थी एंड एसोसिएट्स, विशाखापट्टनम

लागत लेखापरीक्षक रिपोर्ट

क) वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट देय तिथि 07.10.2016 के स्थान पर 29.09.2016 को दाखिल की गई ।

ख) वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिटः बीएचईएल

दिल्लीः 305, नई दिल्ली हाउस,
27 बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली–110001
फोनः 011–43681700
फैक्सः 011–43681710
ई–मेलः ksbldelhi@karvy.com
einward.ris@karvy.com

हैदराबादः कार्वी सिलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट 31–32,
गांचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक
नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
फोनः 040–67162222
फैक्सः 040–23001153
ई–मेलः madhusudhan.ms@karvy.com
einward.ris@karvy.com

कुशल पारेषण...
पूरे भारत में – उत्तर से पूर्व

विश्व के सबसे बड़े मल्टी–टर्मिनल उत्तर–पूर्व आगरा (एनईए) यूएचवीडीसी प्रोजेक्ट के लिए आगरा टर्मिनल में बीएचईएल–आपूरित भारत के पहले 800 केवी थायरिस्टर वाल्व।

बीएचईएल उत्तर–पूर्व आगरा 6000 मेगावाट, ±800केवी, मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी लिंक को एबीबी, स्वीडन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निष्पादित कर रहा है। बाईपोल–1 सितम्बर, 2016 को सफलतापूर्वक चालू किया गया था और फरवरी, 2017 से बाईपोल–2 कमिशनिंग के अधीन है।

यह परियोजना असम में बिश्वनाथ चरियाली और पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार से उत्तर प्रदेश में आगरा तक 1,728 किमी. की दूरी के बीच 6,000 मेगावाट विद्युत पारेषण करने में सक्षम होगी। लिंक को 33 प्रतिशत निरंतर ओवरलोड क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है । इस प्रकार अधिकतम 8,000 मेगावाट विद्युत कन्वर्जन हासिल करते हुए इसे विश्व का सबसे बड़ा मल्टी–टर्मिनल यूएचवीडीसी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।

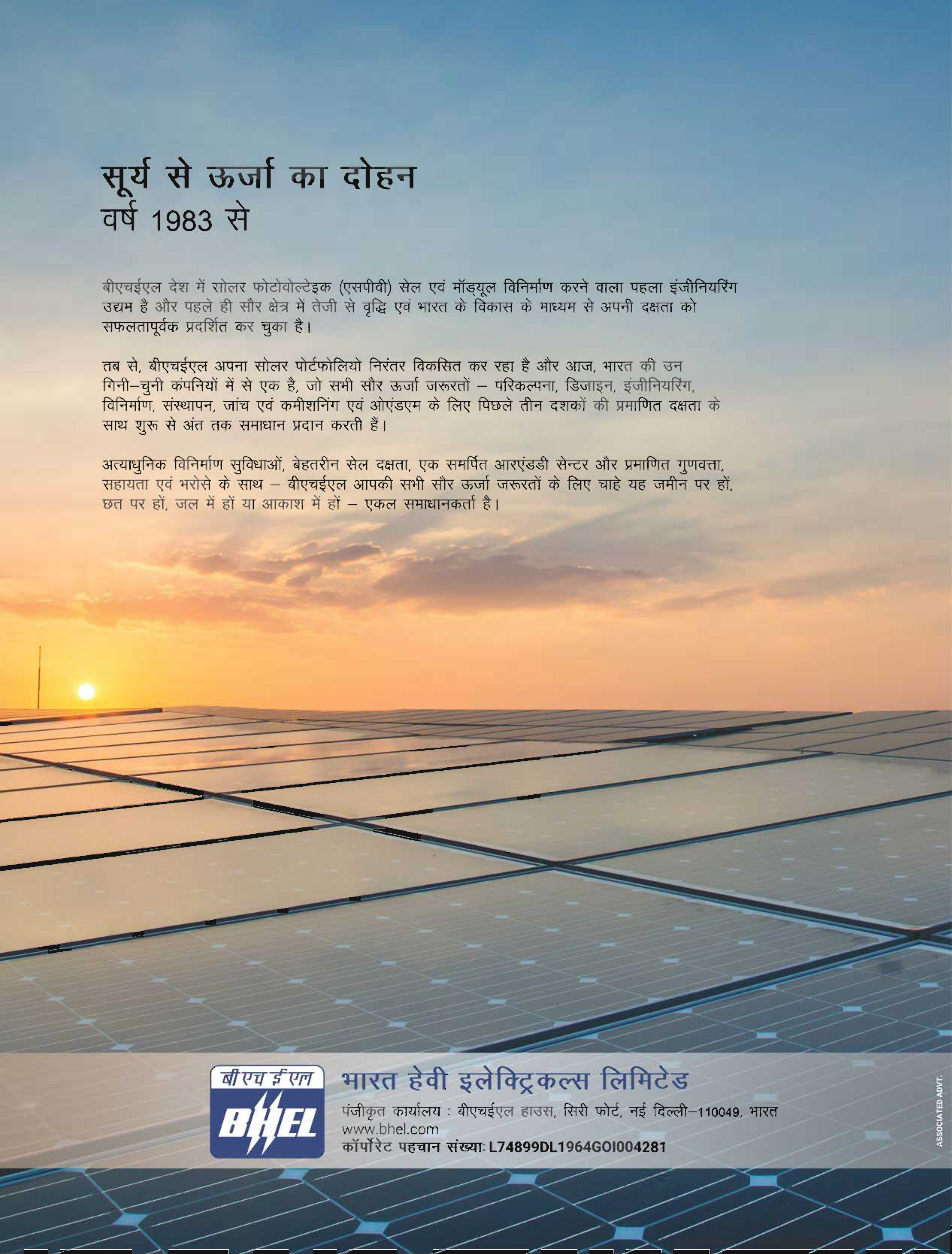
सूर्य से ऊर्जा का दोहन
वर्ष 1983 से
बीएचईएल देश में सोलर फोटोवोल्टेइक (एसपीवी) सेल एवं मॉड्यूल विनिर्माण करने वाला पहला इंजीनियरिंग उद्यम है और पहले ही सौर क्षेत्र में तेजी से वृद्धि एवं भारत के विकास के माध्यम से अपनी दक्षता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर चुका है।
तब से, बीएचईएल अपना सोलर पोर्टफोलियो निरंतर विकसित कर रहा है और आज, भारत की उन गिनी–चुनी कंपनियों में से एक है, जो सभी सौर ऊर्जा जरूरतों – परिकल्पना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, संस्थापन, जांच एवं कमीशनिंग एवं ओएंडएम के लिए पिछले तीन दशकों की प्रमाणित दक्षता के साथ शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करती हैं।
अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं, बेहतरीन सेल दक्षता, एक समर्पित आरएंडडी सेन्टर और प्रमाणित गुणवत्ता, सहायता एवं भरोसे के साथ – बीएचईएल आपकी सभी सौर ऊर्जा जरूरतों के लिए चाहे यह जमीन पर हों, छत पर हों, जल में हों या आकाश में हों – एकल समाधानकर्ता है।
बी एच ई एल
BHEL
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049, भारत
www.bhel.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1964GOI004281
ASSOCIATED ADVT.